

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

भारतवर्ष का नागरिक जीवन और प्रशासन

लेखक—

ज्योति प्रसाद मूद एम॰ ए०

अध्यक्ष, राजनीति-विभाग

मेरठ कॉलिज, मेरठ

चित्रिता—

Elements of Political Science Introduction to Philosophy,

Govt of Great Britain Govt of U S A U S S R

and Switzerland, Govt of France, etc

अनुवादक—

श्री० रामभूति सिंह एम॰ ए०

वर्द्धन्स कॉलिज, वनारस

श्री० ओंकार सिंह 'निर्भय' एम॰ ए०

प्रकाशक—

जय प्रकाश नाथ एण्ड को०

पुस्तक-विक्रेता और प्रकाशक

मेरठ

१९५०

नृत्य ६)
सचित्त ६॥)

प्रकाशक—
जय प्रकाश नाथ एंड को०,
मेरठ ।

आमुख

विद्यार्थियों और जनता के समक्ष अपनी पुस्तक 'India Her Civic Life and Administration' का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करते समय मुझे हैर्प है।

पुस्तक के पहले सात अध्यायों का, अब्रेजी संस्करण से, प्रायः ज्वों का त्या हिन्दी अनुवाद है जिसे मेरे मित्र, क्वीन्स कॉलेज बनारस के अध्यापक, श्री राममूर्ति सिंह जी एम॰ ए॰ ने किया है।

आठवाँ अध्याय भी प्रायः अब्रेजी पुस्तक का हिन्दी म रूपांतर है। १९१६ ई॰ और १९३५ ई॰ के गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्टों से सम्बन्धित अध्यायों का पुनरावृत्ति करते समय उन्हे बहुत सक्षिप्त कर दिया गया है। २६ जनवरी १९५० से आरम्भ होने वाले नये रुचिधान के जारे में उछ्च नये अध्याय बोडे गये हैं। ग्राधुनिक सशोधनों के अनुसार स्थानीय स्वरासन सम्बन्धी अध्याय में आशिक परिवर्तन किया गया है। देशी रियासतों की व्यवस्था म ग्रामूल उत्कान्ति के कारण तत्सम्बन्धा अध्याय को नये ढग से लिखना पड़ा है। पुस्तक के इस भाग का हिन्दी अनुवाद मेरे प्रिय विद्यार्थी श्रीकारसिंह निर्भय एम॰ ए॰ ने किया है।

समय के अभाव के कारण यह कार्य दो पृथक् व्यक्तियों को सौंपना पड़ा, ऐसा परिस्थितियों में यह अवर्जनीय हो गया। मैं अपने इन दोनों मित्रों का बहुत ग्रामार्थी हूँ जिन्हें अनुवाद का काम शीघ्र समाप्त करने के लिए बढ़िन परिश्रम करना पड़ा।

प्रूफ सशोधन म सद्याता ने लिए श्री वृष्णलाल शर्मा नो॰ ए॰ और श्री शिवमुमार माधुर एम॰ एस.सी॰ भी अनुवाद के पात्र हैं।

विषय-सूची

अध्याय १—	नागरिक जीवन की सामान्य भूमिका	१—१५
परिचय, प्राकृतिक दशा, भारत के निवासी, व्यवसाय, भाषा, भारत की मूलभूत एकता।		
अध्याय २—	भारत का सामाजिक जीवन	१६—६८
सामान्य विशेषताएँ, वर्ण व्यवस्था, छूआछूत, सम्मिलित परिवार, पिंडाह, वैधव्य, भारतीय समाज में नारी का स्थान, खो आन्दोलन, मुसलमानों का सामाजिक जीवन।		
अध्याय ३ का पूरक—		
सामग्रदायिक प्रश्न, अन्य सामाजिक समस्याएँ, सामाजिक मुद्धार और राज्य का कर्त्तव्य।		
अध्याय ३—	भारत का आर्थिक जीवन	६९—८१
भारत में घरीबी, राष्ट्रीय धन के स्रोत :— खेती, पशु-पालन आदि, ग्रौजोगीकरण के परिणाम, मजदूर सर्वां की मॉर्गे, व्यापार, देश के विभाजन का उसकी आर्थिक दशा पर प्रभाव, आवागमन, वेकारी, ग्रामीण विकास : १९४७ के बाद।		
अध्याय ४—	भारत का धार्मिक जीवन	८२—१३१
हमारे जीवन में धर्म का स्थान, हिन्दुत्व, धार्मिक-मुद्धार-आन्दोलन, ब्रह्म-समाज, आई-समाज, धियोसौफिकल सायाइटी, रामकृष्ण सेवा ग्राम्यम, कुछ छोट आन्दोलन, हिन्दू महासभा, कुछ प्रमुख धर्मिक, सिक्ख सम्प्रदाय, भारत में इस्लाम, मुस्लिम-मुद्धार आन्दोलन, खुदाई खिदमतगार, खाकसार, दिन्दुव तथा इस्लाम का पारस्परिक प्रभाव, भारत में ईसाई धर्म, पारसी।		
अध्याय ५—	भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन	१३२—२३८
राष्ट्रीय-आन्दोलन का महत्व, राष्ट्रीय आन्दोलन की उत्पत्ति में सहायक परिस्थितियों, काप्रेस का जन्म, इण्डियन नैशनल कांग्रेस की विशेषताएँ तथा उद्देश्य, प्रथम युग, उग्रवादी विचार धारा का प्रादुर्भाव, दूसरा युग, तीसरा युग, चौथा युग, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज, सविनय श्रवक्ता आन्दोलन, गोलमेज कान्क्षा, तृतीय अर्द्दसात्मक प्रतिरोध, तीसरी गोलमेज कान्क्षा, १९४७ का चुनाव और उसके बाद, युरोपीय मश्युद्द और उसके बाद, रिप्स-मिशन और उसके बाद की घटनाएँ, वेल योजना और शिमला-सम्मेलन, रिमला-सम्मेलन के असफल होने के कारण, शिमला-सम्मेलन के बाद, काप्रेस-मैनिफेस्टो, निर्वाचन-परिणाम,		

आ

पेटली की घोपणा, कैविनेट मिशन, कैविनेट-मिशन-योजना, कैविनेट मिशन-योजना का मूल्याक्षन, कांग्रेस दृष्टिकोण योजना के प्रति, लीगी दृष्टिकाण, कैविनेट मिशन का स्पष्टीकरण, अन्तर्रिम सरकार के विषय में बाद विवाद, १६ जून की घोपणा, कांग्रेस को जून १६-व्याजना अस्वीकृत, उिक्ख तथा अन्य वगों का मिशन के प्रति दृष्टिकोण, मिशन योनना के सम्बन्ध में गाँधी जी के विचार, राष्ट्रीय-सरकार की स्थापना, अन्तर्रिम सरकार में लीग का पदार्पण, लीग और विधान-परिषद्, लन्दन-सम्मेलन, लन्दन सम्मेलन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, विधान-परिषद्, परबरी बोस की घोपणा, लॉर्ड वेबल को बुलावा, जून ३ की घोपणा, देश का विभाजन अनिवार्य, भारतीय राष्ट्रीयता स्वरूप और उद्देश्य, दो इण्डियन लिबरल फेडरेशन तथा अन्य दल, अन्य दल, कम्यूनिस्ट पार्टी।

अध्याय पाँच का पूरक—

कांग्रेस का गौर-राजनीतिक कार्य, राष्ट्रीय आनंदा विशेषताएँ।

अध्याय ६— भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता २३६—२६२

साम्प्रदायिकता। भारतीय राजनीति की एक विशेषता, साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति, मुस्लिम लीग की स्थापना तथा अलग निर्वाचन-क्षेत्र की माँग, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान, लीग और कांग्रेस, लीग और सरकार, हिन्दू महासभा तथा अन्य साम्प्रदायिक संस्थाएँ, साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के दोष, साम्प्रदायिक निर्णय।

अध्याय ७— भारत में शिक्षा २६३—३०४

परिचय, विद्या सरकार के शिक्षा-सम्बन्धी उद्देश्य, शिक्षा सम्बन्धी विकास की सीढ़ियाँ, आधुनिक विकास, शिक्षा-सम्बन्धी उन्नति, भारतीय शिक्षा-प्रणाली—प्राइमरी शिक्षा, सैकेन्डरी या माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, भारत में विश्वविद्यालय, अन्तर्विश्वविद्यालय चौर्झ, शिक्षा-प्रणाली के दोष, शिक्षा प्रणाली के गुण, प्रमुख समस्याएँ, स्त्री-शिक्षा, सार्वजनीन शिक्षा, धर्म शिक्षा-योजना, युद्धोत्तर शिक्षा विकास की सार्जन-योजना, अस्वीकृत संथाएँ, १९४६ के परचम, शिक्षा-प्रगति, यूनिवर्सिटी कमीशन।

द्वितीय भाग

अध्याय ८—शासन पद्धति का विकास

३०५—३१६

प्रवेशक, वैधानिक विकास-महूला को कहिया—१७७३ ई० का ऐकट, १७८४ ई० का मिस्ट्रिस इडिया ऐकट, १८१३ ई० का ऐकट, १८३३ ई० का ऐकट, १८४३ ई० ता ऐकट, १८६१ ई० का इण्डियन कॉसिल ऐकट, १८८२ ई० का इण्डियन कॉसिल ऐकट, १८०६ का इण्डियन कॉसिल ऐकट, १८१६ का गवर्नर्मेण्ट आफ इण्डिया ऐकट, १८३५ ई० का गवर्नर्मेण्ट आफ इण्डिया ऐकट, १८५७ ई० ता इडिपैन्डेन्स ऐकट, नवीन संविधान।

अध्याय ९—मान्टेग्यूचेम्सफोड सुधार और उनका कार्यान्वित रूप ३१७-३२६

ऐकट का महत्व, १८१६ के ऐकट के मुख्य उपबन्ध, भारत सरकार, कार्य कारिणी, १८४७ ई० तक तीस स्थिति, भारत मन्त्री का निरीक्षण, केन्द्रीय व्यव स्थापक मण्डल, व्यवस्थापक मण्डल के अधिकार, प्रातीय सरकार—परिचयात्मक, द्वितीय शासन ता अधीन, प्रान्तीय धारा समाएँ, हीम गवर्नर्मेण्ट—परिचयात्मक, १८१६ ई० के सुधारों ता कार्यान्वित रूप।

अध्याय १०—१८३५ ई० का गवर्नर्मेण्ट ऑफ इंडिया ऐकट— ३३०—३५०

१८३५ ई० के ऐकट वा कुछ निशेहताएँ, अधिकार वितरण, सघ शासन की स्थापना, गवर्नर जनरल, संघीय व्यवस्थापक-मण्डल, संघीय न्यायालय, संघीय रेलवे अधिकार, भारतीय सचित अधिकोष, उधार इत्यादि का लेना, १८३८ ई० के अन्तर्गत प्रातीय सरकार—परिचयात्मक, प्रान्तीय प्रशासन, प्रान्तीय कार्यकारिणी, गवर्नर, प्रान्तीय मनिन-मण्डल, प्रान्तीय व्यवस्थापक-मण्डल, प्रान्तीय शासन ता कार्यान्वित-रूप, भारत-मन्त्री इत्यादि, भारतीय हाई कमिशनर, पार्लियामेन्ट का नियन्त्रण, १८४७ ई० के ऐकट के द्वारा किये गये सशाधन।

अध्याय ११—नये संविधान का सामान्य परिचय

३५१—३६३

परिचयात्मक, संविधान की मुख्य विशेषताएँ, संघ की इकाइयाँ, शक्ति-वितरण, राजभाषा, संविधान का संशोधन।

अध्याय १२—नागरिकता, मूल अधिकार और निदेशक तत्व ३६४—३७२

नागरिकता, मूल अधिकार, समता अधिकार, स्वातन्त्र्य अधिकार, धर्म स्वायन्ध का आधिकार, सत्कृति और शक्ति सम्बंधी अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, संविधानिक उपचारों के अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व।

अध्याय १३—संघ का शासन—

३७३—

परिचयात्मक, केन्द्रीय शासन प्रणाली, केन्द्रीय शासन के अग, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की शक्तिया—कार्य-पालिका-शक्तिया, विधायनी शक्तिया, वित्त सम्बन्धी शक्तिया, आपात शक्तिया, उपराष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्, भारत सरकार के विभाग, राज्य परिषद्, लोक सभा, नये संविधान के अन्तर्गत मताधिकार, अध्यक्ष, संसद के कृत्य, विधान प्रक्रिया, धन विधेयक विषेष प्रक्रिया विधेयकों पर स्वीकृत, वित्तीय विषयों में प्रक्रिया, न्यायपालिका, उच्चतमन्यायालय, का द्वेषाधिकार, उच्चतम न्यायालय की स्वाधीनता, अन्य वर्भन्नारी, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियन्त्रक महालेला परीक्षक।

अध्याय १४—राज्य-शासन—

४०२—४२२

परिचयात्मक, राज्य शासन का संगठन, कार्य पालिका, राज्यपाल की शक्तियाँ, मन्त्रिपरिषद्, मुख्य मन्त्री के कर्तव्य, महाविवक्षा, भाग (ख) के शज्यों की उद्यगपालिका, राज्य का विधान मण्डल, विधान सभा, विधान परिषद्, राज्य के विधान मण्डल के अधिवेशन, विधान प्रक्रिया, धन विधेयक सम्बन्धी विषेष प्रक्रिया, विधेयकों की स्वीकृति, वित्तीय विषयों में प्रक्रिया, राज्यपाल की विधायनी शक्तियाँ, न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का द्वेषाधिकार, अधीन न्यायालय, दरड-न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, आगम-न्यायालय।

अध्याय १५—संघ और राज्यों के सम्बन्ध, लोक सेवा इत्यादि—४२३—४३२

परिचयात्मक, राज्य सूची के विषयों पर समूद्र के अधिकार, प्रशासन सम्बन्ध, विन सम्बन्ध, सरकारी वर्भन्नारी, लोक-सेवा आयोग, सेवाएँ।

अध्याय १६—जिले का प्रशासन—

४३३—४३८

परिचयात्मक, जिले के अफसर, ज़िलाधीश और कलकटा, जिले के दुकड़े, डिवीजनल कमिशनर।

अध्याय १७—स्थानीय स्वशासन—

४३८—४७८

परिचयात्मक, स्थानीय स्वशासन का विकास, निगम, नगरपालिका, साधारण-परिचय, सगठन, मताधिकार, नगरपालिका के कृत्य, सार्वजनिक सुरक्षा से सम्बन्धित, सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित, सार्वजनिक सुविधाओं से सम्बन्धित, सार्वजनिक शिक्षा से सम्बन्धित, नगरपालिका वित्त, नगरपालिका के पदाधिकारी—प्रधान समितियाँ, सरकारी नियन्त्रण, कैरेटो-मेएट-बोर्ड, टाइन ऐरिया, नोटीफाइड ऐरिया, ज़िला बोर्ड, परिचयात्मक, ज़िला बोर्ड का सगठन, मनदाताओं की योग्यताएँ, उम्मेदवार के लिये योग्यताएँ, अवधि, सदस्यों का उपनयन, बोर्ड के पदाधिकारी, ज़िला बोर्ड का अध्यक्ष, अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य, ज़िला-मण्डली के कृत्य, वित्त, बाह्य इस्तज्जेप, बोर्ड की समितियाँ, प्रशासी समिति, शिक्षा समिति, प्राम पंचायतें,—परिचयात्मक, १९४७ का गाँव पंचायत रज ऐक्ट, गाँव-समा, गाँव पंचायत, गाँव कोर, पंचायती अदालत, बाह्य नियन्त्रण, नये ऐक्ट के विषय में कुछ विचार, स्थानीय स्वशासन के प्रयोग की असफलता वे कारण।

अध्याय १८—देशी रियासतें—

४७८—४८५

परिचयात्मक, रियासतों का समस्या, एकीकरण, राज्य-संघों की शासन-प्रणाली।

प्रथम भाग

नागरिक जीवन

चुनी पुस्तक-सूची (Select Bibliography)

एन्ड्रू ज, सी० ए४०

एनी वेस्ट

अन्सारी, शौकतउल्लाह

ग्रशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन
प्रेनज्ञी, एस० एन०

बेनी प्रसाद

द्रेल्सफाई

कंजि स, मिसेज मार्गेट

बलचरल हेरिटेज ग्रॉफ इशिडया, शमकृष्ण सेन्टेनरी बोल्यूम

कमिंग

फारकुदार

ग्रिस्टवल्ड

गुरमुख निहालतिंह

हुमायूँ करार

इशिडयन हवर चुक

जश्मर एण्ड वेरी

कृष्ण, ची०

कुन्ही कानन

भेद्यू

मजुमदार, ए० सी०

नेहरू, जवाहरलाल

निवेदिता

‘दी सोशल प्रॉब्लेम इन इशिडया’, ‘एनुश्शन इन इशिडया’ तथा ‘दी इकोनॉमिक बैंकग्राउण्ड’ पर ग्रॉक्सफाई पैरेस्टेट्स

ओ’मैली

पड़ाभि सीतारमैया

रमन, टी० ए०

रोम्हाँ रालाँ

शादूँ लसिह कबीश्वर

सिमथ, विलफ्रेड कैन्टीन

जकरिया

दी ट्रॉयांडया, दी राहज एण्ड ग्रोथ ग्रॉफ
इशिडयन नेशनल काम्प्रेस, महात्मा गांधीज
आइडिया ज

इशिडया, ए नेशन, हाऊ इशिडया रॉट हर
फ्रीडम

पाकिस्तान

दी कम्यूनल ट्रैंगिल इन इशिडया
ए नेशन इन दी मेकिंग

हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन, कम्यूनल सटिलमेन्ट
सज्जेक्ट इशिडया

इशिडयन बुमनहुड ट्रुडे

मॉडर्न इशिडया, पॉलिटिकल इशिडया

मॉडर्न रिलीजस मूवमन्ट्स इन इशिडया

इनमाइट्स इन्हू मॉडर्न हिन्दुइजम

लेडमाक्स इन इशिडयन कॉन्स्ट्रूशूनल
एण्ड नेशनल डेवेलपमेन्ट

मुस्लिम पॉलिटिक्स

इशिडयन इकोनॉमिक्स

दी प्रॉब्लेम आफ माइनरिटीज

सिविलाइजेशन ऐट वे

एजुकेशन इन इशिडया

इशिडयन नेशनल इवॉल्यूशन

ओटोब्रायांग्रेफी, डिस्कवरी ग्रॉफ इशिडया

दि वेब ग्रॉफ इशिडयन लाइफ

मॉडर्न इशिडया एण्ड दी वेस्ट

हिस्ट्री ग्रॉफ इशिडयन नेशनल काम्प्रेस

इशिडया

दी प्रॉफेस ग्रॉफ न्यू इशिडया

नॉन वायलेन्ट नॉन कॉश्चापरेशन

मॉडर्न इस्लाम इन इशिडया

रिनेसेंट इशिडया

भारतीय जीवन को समझने में स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानन्द तथा महात्मा गांधी की पुस्तकें, तथा लेख विचारिंयों को सहायक सिद्ध होंगे।

भारतवर्ष

का

नागरिक जीवन और प्रशासन

अध्याय १

नागरिक जीवन की सामान्य भूमिका

परिचय— नागरिकता का अर्थ केवल राज्य के प्रति भक्ति, उसके सदस्य के रूप में अधिकारा का उपर्योग तथा कर्तव्यों का पालन ही नहीं है बल्कि समाज के नागरिक और राजनैतिक जीवन में साक्ष्य तथा बुद्धिपूर्ण योग तथा राष्ट्रीय प्रश्नों के निराकरण में अपना व्यक्तिगत निर्णय भी है। या राज्य ने सभी वरस्क सदस्य अपनी सदस्यता से लाभ उठाते हैं तथा राज्य के प्रति अपनी इतिहास भी प्रकट करते हैं लेकिन कुछ योड़े ही लोग ऐसे हैं जो विभिन्न समस्याओं के निराकरण में अपना योग दे पाते हैं। इसका कारण यह है कि समाज के साधारण नागरिक और राजनैतिक जीवन में भाग लेने का अर्थ है उसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शक्तिकांतक तथा राजनैतिक वातावरण पर प्रभाव डालने वाली दशाओं तथा पहलुओं का ज्ञान, जो योड़े ही लागों के पास होता है। इसलिए इस पुस्तक का उद्देश्य है भारतीय विचारिंशी तथा कार्य-कर्त्त्वों को उन धाराओं तथा पहलुओं के विषय में योड़ी जानकारी प्रदान करना जो हमारे नागरिक तथा राजनैतिक जीवन के स्वरूप को स्थिर करते हैं।

इस अध्याय में हम भौगोलिक दृष्टि का, जिसने लागा के सामाजिक तथा आर्थिक बीचन पर गहरा प्रभाव डाला है, वर्णन करेंगे और साथ ही उस आधारभूल एकता पर भी प्रकाश डालेंगे जिसे जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, रीति रिवाज तथा तौर-तरीका की विविधता से प्रभावित होने वाले लाग भूल जाते हैं। भारत तथा पाकिस्तान नाम के दो राजनैतिक दुर्भाग्य में देश का विभाजन हो जाने से हमारा कार्य कठिनतर हो गया है क्याकि कुछ सिद्धान्त विभाजन के पूर्व वाले पूरे भारत पर ही लागू होते हैं और दोनों राज्यों में से किसी एक पर अलग स घटित करने पर उनकी महत्त्व कम हो जाती है। अविभाजित भारत की प्राकृतिक सीमायें निश्चिन थीं और वह सप्ताह के सबसे अच्छे भौगोलिक भू-भागों में गिना जाता था।

भारत तथा पाकिस्तान दोनों की समिलित पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाएँ कृति, अप्राकृतिक तथा अस्थिर हैं। उनका प्रभाव सामा के निकट तथा समूचे देश में रहने वाले लागों, सभी पर पड़ेगा। विभाजन का देश के आधिक जीवन पर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है और प्रत्येक राज्य के लिए ऐसी समस्याएँ पैदा हो गई हैं जिनको पहिले कभी कल्पना भी नहीं थी।

प्राकृतिक दशा— देश के जीवन पर जिन आधारमूल तथों का प्रभाव पड़ता है उनमें उसका बहुत विस्तार भी है। कुछ तुलनाएँ हमें देश की विस्तार की कल्पना करा देंगी। अविभाजित भारत का जेनफल १५,८०,४१० वर्ग मील था जो ऐट ब्रिटेन के जेनफल का यो सुना तथा रूस को निकाल कर सारे यूरोप के जेनफल के चराचर है। यह सुकृत राज्य अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया के भी तीन-पाँचवें भाग के लगभग है। इस को छोड़कर कोई भी यूरोपीय देश मद्रास प्रान्त से बड़ा नहीं है तथा हालैंड और स्ट्रिटजरलैंड जैसे कुछ छोटे देश तो गोरखपुर जैसे बड़े जिले से भी बड़े नहीं हैं। आप एक रात रेल में यात्रा करने कानून, इंगलैंड या इटली की एक और में दूसरी और जा सकते हैं किन्तु भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में चार-पाँच दिन लग जायेंगे। काश्मीर के सबसे उत्तरी बिन्दु से लेकर कुमारी अन्तरीप के सबसे दक्षिणी छोर तक की लम्बाई २००० मील है, आसाम के सबसे पूर्वी स्थान से सिन्ध के सबसे पश्चिमी स्थान तक की चौड़ाई २३०० मील है। उत्तर में देश हिमालय की शृङ्खलाओं से जो टेढ़ी तलवार की भाँति धूमी हूँ है, विरा हुआ है और इस प्रकार उत्तर में पूरी निलोपन्दी-सी हो जाती है। पूर्व तथा पश्चिम में देश का अधिकांश भाग मागर से विरा हुआ है। उसकी पूर्वी स्थन-सीमा पहाड़ी है जिसमें बहुत ही थाड़े और दुर्घार मार्ग है। उसकी पश्चिमोत्तर स्थल सीमा पर भी पहाड़ी शृङ्खलाएँ हैं जिनमें लैंबर, कुर्म, दोची तथा गोमल के प्रसिद्ध दर्ते हैं जिन्होंने समय-समय पर विदेशी आक्रमणकारियों को देश में आने का मार्ग दिया है। देश की इन प्राकृतिक सीमाओं का उसके इतिहास पर बड़ा गहरा राजनीतिक प्रभाव पड़ा है। उत्तरी तथा पूर्वी आक्रमणों से अधिकतर भारत मुक्त रहा है। आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर दिशा से ही आये हैं जहाँ पहाड़ी दर्ते आक्रमण के लिए सशल किन्तु यत्त्वाव के लिए दुर्गम हैं। देश के विभाजन से इस स्थिति में बड़ा अन्तर पड़ गया है। पूर्वी पश्चिम को पश्चिमी पाकिस्तान तथा पश्चिमी बगाल को पूर्वी पाकिस्तान से अन्तर करने वाली काई पहाड़ी दीवार नहीं है। विभाजित भारत की स्थल-सीमाओं की रक्षा का प्रश्न अब पहिले को अपेक्षा कहाँ अधिक कठिन हो गया है। परिणामस्वरूप रक्षा की समस्या देश की आर्थिक सामर्थ्य से परे हो गयी है। प्राचीन

* १९४१ की गर्मी में मनीषुर राज्य पर जापानियों का आक्रमण इस नियम का अपवाद है।

काल में भारत समुद्र के रस्ते आक्रमणों से सुरक्षित था, किन्तु जल पर नाव चलाने का कला तथा यूरोपीय राष्ट्रों की सार्वादिक शक्ति के विकास के साथ-साथ उस पर विभिन्न आक्रमणों को बाहु-सी ग्रा गयी जिसका अन्त भारत में विद्युत राज्य की स्थापना में हुआ।

चारों ओर से प्राकृतिक सीमाओं द्वारा घिरे इस विस्तृत भू-भाग में पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रकार की जलवायु तथा भूमि मुलभ है। उत्तर, उत्तर-पूर्व तथा पश्चिमोत्तर के पहाड़ी प्रदेश शांतकाल में बहुत ही ठड़े रहते हैं तथा सूख जल बृष्टि होती है। यहाँ लकड़ी, चाय, ऊन तथा अन्य पहाड़ी बस्तुएँ पैदा होती हैं। सिन्ध, गगा तथा ऊनकी सहायक नदियों द्वारा सीचा हुआ सिन्ध गगा का मैदान गर्मिया में बहुत गर्म तथा सदियों में ठड़ा हो जाता है। यहाँ भी पर्याप्त वर्षा होता है किन्तु पूर्व से पश्चिम झों-झों पठते जाइए वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इस मैदान की भूमि बहुत उपजाऊ है—शायद ससार में सबसे अधिक। यह मैदान भारत का खलार है, जहाँ गेहूँ, मक्का, जौ, चावल, जूट, अर्पीम, गन्धा तथा अन्य फसलें होती हैं। भारत की दो तिहाई जन-सख्त्या इसी मैदान में रहती है। इस मैदान के दक्षिण-पश्चिम में राजस्थान का गर्म मैदान है, जहाँ वर्षा की कमी के कारण हरियाली का धोर अभाव है। दक्षिण में दक्षिणी पठार सतपुड़ा तथा विन्ध्य पहाड़ों से उत्तर में तथा पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों से पूर्व और पश्चिम में विरा हुआ है। इस पठार की जलवायु कम विषम किन्तु सिन्ध-गगा के मैदान से अधिक समशीलोषण है। यहाँ की भूमि लाल या काली है किन्तु पर्याप्त उपजाऊ है। पश्चिमी घाट तथा समुद्र के बीच में सेंकरा तटीय भू-भाग है जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है और नारियल तथा मसाले इत्यादि की पैदावार होती है। पूर्वी घाट तथा समुद्र के बीच भी एक भू-भाग है जो पश्चिमी घाट के भू-भाग से अधिक चौड़ा और उपजाऊ है। इसमें चावल, मक्का तथा अन्य मोटे ग्रनाइ देते हैं।

दक्षिणी पठार सिन्ध गगा के मैदान से नीचे पहाड़ों की एक अणी द्वारा विभाजित है; उसकी भिन्न प्राकृतिक स्थिति का दक्षिण के राजनैतिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है; फिर भी, हिमालय से लेकर कुमारी अन्तरीप तक सारा देश भौगोलिक दृष्टि से एक अविभाज्य भूखण्ड है। सतपुड़ा और विन्ध्य पर्वत न तो इतने लम्बे ही हैं न इतने लंबे कि उत्तर और दक्षिण भारत के आदान-प्रदान में वे वाधा पहुँचा सके। वे गगा के उपजाऊ मैदान को दक्षिणी भू-भाग से इस प्रभाव अलग नहीं करते जैसे हिमालय तिब्बत को भारत से या हिन्दूकुश अफगानिस्तान को अलग कर देता है। यूरोप की भौगोलिक भिन्नता, भारत की भौगोलिक एकता से एकदम विपरीत है। भारत का काई भी भाग एक दूसरे से उस प्रकार अलग नहीं है जैसे आइवेरिया का दमरु मध्य फ्रान्स से पिरेनीज द्वारा अलग है, जैसे नार्वे स्वीडेन शेष प्रमुख भूखण्डों

से समुद्र द्वारा या जिस प्रकार कोरिन्थ की शृङ्खला से ग्रीस रेलकान से अलग हो गया है। ये प्राकृतिक सीमाएँ यूरोप भू विभिन्न राष्ट्रों के निर्माण का कारण हुई हैं और इस प्रकार इन्हें यूरोप का एक महादीप बना दिया है, न कि एक देश। भारत में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में यूरोप की भौति भी इसी बिठाई नहीं पड़ी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि लोगों में कभी काई मूल भूत विरोध या अन्तर नहीं रहा है और इसा लिए एक राष्ट्रीय सम्पत्ति एवं संस्कृति का विनास हुआ है। इस प्रकार भौगोलिक एकता देश की एक प्रमुख विशेषता है। इसकी राष्ट्रीय और साल्वांतिक एकता वे विषय में दूसरे प्रकरण में प्रकाश डाला जायगा।

विन्तु, जैसा कि ऊपर प्रदर्शित किया जा चुका है, पाकिस्तान की स्थापना से इस भौगोलिक एकता का विनाश हो चुका है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को विदेशी राष्ट्र समझते हैं, मनुष्या और वस्तुओं के आवागमन में वे सभी समावेश और बिठाईयाँ उठानी पड़ती हैं जो एक दूसरे से विलक्षण अलग राष्ट्रों के बीच उठानी पड़ती हैं। भूतकाल में पूर्वी या पश्चिमी पजाहार या पूर्वी या पश्चिमी उगाल के निवासियों में कोई अन्तर नहीं था। वे सभी पजाहारी या उगाली थे। आज उनकी स्वाभाविक एकता तथा सद्भावनाओं का विनाश हो चुका है, पश्चिमी पजाहार के लोगों का पूर्वी पजाहार व निवासियों से अपने को एकदम भिन्न तथा अपने को दूसरे राष्ट्र का नागरिक समझने की रिहाई दी जा रही है। उगाल का भी यही हाल है। मनुष्य की प्रवृत्तियों ने प्रवृत्ति की विभूतियों को नष्ट करने की घटन रखी है। मनुष्य विजयी होगा या प्रवृत्ति, यह भविष्य के गर्भ में है। विश्वास नहीं होता कि मनुष्य प्रवृत्ति की धारा को सदैव के लिये वैसे नद्द देगा।

देश की तटीय रेखा ने विषय में भी ऊँचे शब्द जाड़ देना उपयुक्त होगा। अविभाजित भारत की सामुद्रिक सीमा ५००० मील लम्बी थी। इसका एक छोटा हिस्सा पाकिस्तान में बला गया है, परं भी भारत की सामुद्रिक सीमा पर्याप्त लम्बी है, गो देश के विस्तार की तुलना में छोटी है। समुद्र में आड़ियों या उससे होकर अन्तर आने वे रस्ते बहुत कम हैं और इसी लिए प्राकृतिक और अच्छे बन्दरगाह भी बहुत कम हैं। गम्झई और गोआ, यहीं दो प्राकृतिक बन्दरगाह हैं। मद्रास और विजगाप्तम वे बन्दरगाह बनाये गये हैं। पूर्वी किनारे पर समुद्र किनारे के निकट बहुत छिढ़ला है, इसलिए यह सामुद्रिक जहाजों को किनारे से कुछ दूर ही लगर डालना पड़ता है जिसका सामुद्रिक आवागमन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भौगोलिक-पृष्ठ भूमि वे इस बहुत छोटे विवेचन को समाप्त करने से पहले भारत नाम का नव-निर्मित राजनैतिक इकाई की स्थल-सीमाओं तथा छेनफल के विषय में ऊँचे शब्द जोड़ देना आवश्यक प्रतीत होता है।

पजाब दो भागों में, विभाजित हो गया है। रावलपिंडी और मुलान का पूरा प्रदेश तथा लाहौर प्रदेश के गुजरानवाला, शेखुपुरा और स्यालकोट जिले, पश्चिमी पजाब सूखे में रखे गये हैं और अब यही भू भाग पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त सिंध, चिलोचिस्तान तथा कुछ भारतीय राज्यों ने साथ पश्चिमी पाकिस्तान बन गया है। अविभाजित पजाब के जैसे भाग अर्थात् ग्रमाला और जालन्धर का पूरा प्रदेश तथा लाहौर प्रदेश का अमृतसर जिला पूर्वी पजाब में रखे गये हैं और अब यह मिल कर भारत का एक भाग है। लाहौर प्रदेश ने गुरदासपुर और लाहौर जिले, पूर्वी तथा पश्चिमी पजाब के सूखी में विभाजित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार उगाल भी, पूर्वी तथा पश्चिमी उगाल का दो भागों में बँट गया है। पूर्वी उगाल में चिंगाँव और दाका का पूरा प्रदेश तथा रगपुर, बोगण, राजसाही, पठना और खुनना जिले सम्मिलित हैं। आसाम के बिनहट जिले का एक छोटा भाग पूर्वी उगाल के नव-निर्मित सूखे में मिला दिया गया है। पश्चिमी उगाल ने सूखे में, जो भारतीय संघ का एक भाग है, बंडचान का पूरा प्रदेश कल्पना, २४ परगना, सुर्खिदाशाद और दार्जिलिंग सम्मिलित है। नटिया, जैमोर, दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और मालदा जिले दोनों प्रान्तों में विभाजित कर दिये गये हैं। पाकिस्तान का पूरा चतुरपल लगभग ३६,२१८ वर्ग मील और भारत का १,०५५,६२१ वर्ग मील है। विभाजन का परिणाम यह हुआ है कि सिंध-गगा का मैदान जो पूर्व में उगाल की खाड़ी से पश्चिम में ग्रन्तगानिस्तान की सीमा तक २,००० माल से भी अधिक लगा था अब दो या तीन भागों में विभाजित हो गया है जिसके पूर्वी तथा पश्चिमी छार पाकिस्तान में हैं तथा रीच का भाग भारत में रह गया है। गोहू के कुछ सर्वोत्तम ज़ेन पाकिस्तान में पड़ गये हैं जिनके कारण भारत का खाद्याचार की कमी पड़ गई है। जूँ के ज़ेन भारतीय पाकिस्तान ही में है। इसके कल्पने के दूर-उद्याम को उड़ा धका लगा है। यह ने लिए भी भारत को पाकिस्तान का मुँह देखना पड़ा है। दूसरों आर पाकिस्तान के पास योद्धा या गिलकुन हा कोयला नहीं है और उसके पास शक्ति और कम्पड़े की भी बहुत कमा है। इस प्रकार विभाजन से दोनों देशों का ग्राहिक स्थिति बुरा तरह प्रभावित हुई है।

भारत के नियासी— देश का बहुत विस्तार इसकी विशाल जन सख्त्या का पालन करता है। चान को छोड़ कर ससार के किसी भी देश की जन-सख्त्या इससे बहुत नहा है। सयुक्त-राज्य अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया जैसे देश भारत से ज़ेनपल में बड़े हैं किन्तु जन-सख्त्या की दृष्टि से कहा छोटे हैं। अन्तिम जन गणना को टिपोर्ट के अनुसार समूचे भारत की जन-सख्त्या ३८६ करोड़ अनुमान की जाती थी जिसमें से लगभग ३०८ करोड़ भारत में और लगभग ८१ करोड़ पाकिस्तान में है। मनुष्यों के द्वाने बड़े समुदाय में, जो सारी मानव जाति का $\frac{1}{4}$ भाग है, जातीय तथा ग्रन्थ विविधाएँ अवश्यम्भावी हैं। कदाचित् रूप को छोड़कर विश्व में कहीं भी इतनी

* देखिये, दण्डिया एन्ड पाकिस्तान इथर बुक १६४८, प्रष्ठ ६।

जातीय विभिन्नता नहीं पायी जाती जितनी भारत में। उत्तर-पश्चिम से उत्तरने वाली प्रारम्भिक आर्य जातियों से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी से सालहवीं शताब्दी तक धावा मारने वाले मुस्लिम फिरकों तक, अग्रकमणकारियों की अनवरत लहरां ने लोगों के ऊपर अपनी अपनी छाप छाड़ रखी है। वर्तमान समय में भारत के निवासी निम्नलिखित जातियों के मिश्रण हैं : द्रविड़, भारतीय आर्य, मगोल, सिथियन, तुर्क, पारसी, और, कुछ लोगों के ग्रनुसार, यूनानी भी।

गो यहाँ के जन-समुदाय के किसी भी ग्रंथ के लिए जातिगत पवित्रता का दावा नहीं किया जा सकता, फिर भी हम साधारणतया कह सकते हैं कि—

(१) पञ्चाब, काश्मीर तथा राजस्थान के निवासी भारतीय आर्य हैं। वे उन्हा ग्रामों के बशज हैं जो पश्चिमोत्तर दिशा से देश मध्यसे पहले आये और जिन्होंने आदि वासियों को पूर्व तथा दक्षिण की ओर खड़ेढ़ दिया।

(२) उत्तर-प्रदेश, राजस्थान ने कुछ भाग तथा विहार के निवासी द्रविड़ आर्य हैं। वे आयों तथा द्रविड़ों के मिश्रण हैं लेकिन आर्य तत्व की प्रधानता है।

(३) उगाल तथा विहार के कुछ भागों के लोग मगोल द्रविड़ हैं।

(४) महाराष्ट्र तथा पश्चिमी भारत के दूसरे भागों के लोग सिथियन-द्रविड़ हैं।

(५) मद्रास, हैदराबाद तथा मध्यभारत के कुछ भागों ने लोग प्रधानतया द्रविड़ हैं।

(६) बिलोचिस्तान तथा पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के बिलोची तथा अफगान, तुर्क ईरानी हैं।

(७) आसाम में मगोल हैं।

(८) आदिवासियों की सख्ता २५% लाय है और वे पूरी जन-सख्ता के ६१% हैं।

आधुनिक युग में यूरोपीय रहने का भी सम्मिश्रण हुआ है। आगले भारतीय (Anglo Indian) नाम की एक नई जाति जन गई है। स्पष्ट है कि भारत की मुख्य जातियाँ आर्य, द्रविड़ तथा मगोल हैं और उनके सम्मिश्रण से अन्य छाटी जातियों की उत्पत्ति हुई है। साधारणतया आर्य ऊँचे तथा स्वच्छ वर्ण के, द्रविड़ काले तथा गहरे रंग के और मगोल पीले वर्ण, चिपटी नाक तथा गालों की उठी हड्डियों वाले होते हैं। वे बख्त तथा भोजन में भी भिन्न होते हैं। लेकिन यह कहा जा सकता है कि भोजन तथा बस्त्र की मिलता जातिगत विशेषता से कहीं अधिक जलवायु तथा भूमि पर निर्भर है।

भारतीय राष्ट्र की यह जातीय अनेकता दुख का कारण नहीं होनी चाहिए, उसके अभाव में हमारी सख्ति का जो रूप होता, उससे वह आज कहीं अधिक

सम्पन्न, विविध, स्फूर्तिमयी तथा प्रभावोत्पादिनी है। ससार का फटाचित् हा कोई जन समुदाय है जो जातिगत एकता का दावा कर सके।

सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन या प्रभाव की दृष्टि से भारत-निवासियों की जातीय विभिन्नता से अधिक महत्वपूर्ण उनमें धार्मिक विविधता है। अपने इस देश में समार के लगभग सभी प्रमुख धर्मों के प्रनुयायी हैं। हिन्दू, जो प्राचीन वैदिक धर्म के अनुयाया हैं, बौद्ध (मुख्यतया लका तथा बर्मा में हैं जो भारत के भाग नहीं हैं), जैन और सिक्ख जिनमें धर्म मूल वैदिक धर्म की दी शास्त्राएँ हैं, सभी यहाँ हैं। इनके अतिरिक्त मुसलमान, ईसाई, पारसी तथा यहूदी भी यहाँ हैं। इनके अलावा अन्य जातीय-धर्म भी हैं।

१९४१ का जन गणना के अनुसार अविभाजित भारत में विभिन्न धर्मावलम्बियों की समिलित सख्ता निम्नलिखित है ३८,६६,६६,५२३ की सम्पूर्ण जन-सख्ता में हिन्दुओं की सख्ता २५,४६,३०,५०६ यानी सारी आवादी की ६५.६३ %, मुसलमानों की सख्ता ६,२०,५८,०८६ यानी पूरी आवादी की २३.८१ %, सिक्खों की सख्ता ५६,६१,४४७ यानी सम्पूर्ण आवादी की १.४७ %, जैनियों की सख्ता १४,४६,२८६ यानी सम्पूर्ण आवादी की ३.७ %, बौद्धों की सख्ता २,३२,००३, पारसियों की १,१४,८६०, भारताय ईसाईयों की ६०,४०,६६५ यानी पूरी आवादी की १.६३ %, आगले भारतीयों की १,४०,४२२, दूसरे ईसाईयों का १,२५,४६२, बन जातियाँ की २,५४,४९,४८६ यानी पूरी आवादी का ७.५८ %, तथा अन्य धर्मों के अनुयायियों की सख्ता सम्पूर्ण जन सख्ता की ०.२ % है।

२५,४६,३०,५०६ हिन्दुओं में से २०,६१,१७,३०६ सर्वर्ण छहदू हैं और ४,८८,१३,१८० 'अछूत' कहे जाने वाले हैं।

हिन्दुओं का मद्रास (८६.७४ प्रातशत), उत्तर प्रदेश (८३.२६ प्रतिशत), मध्य प्रदेश (७६.६२ प्रातशत), बम्बई (७६.४० प्रतिशत), बिहार (७२.६६ प्रतिशत), तथा उडीसा (७८.८८ प्रतिशत) में बहुल्य है। मुसलमान बगाल (५४.७३ प्रतिशत), तथा पञ्चमोत्तर सामाजिक में भी (६१.७० प्रतिशत) उनकी सख्ता अधिक थी। सिक्ख अधिकतर पजाच म ही थ। सख्ता में कम हाते हुए भी उनका महत्व अधिक था। विभिन्न प्रान्तों म हिन्दुओं तथा मुसलमानों का यह विषम विभाजन बड़े हा विकट देश व्यापी साम्प्रदायिक प्रश्न का कारण बना। पारसी तथा यहूदी ऐवल बम्बई नगर में स्थित थे।

विभिन्न धार्मिक विश्वासों तथा सम्प्रदायों का होना अपने तर्ह न तो अस्वाभाविक है और न अकल्याणकारी ही। इससे तो धार्मिक अनुभवों की विविधता और

सम्पदता तथा दृष्टिकोण की विशालता और सौहार्द के प्रसार का ही अनुमान होता है, किन्तु अपने देश में इन सबके बड़े ही अग्रुप और पिनाशकारी परिणाम हुए हैं। डेहू की वर्षों से भी अधिक अमेज शासकों का 'विभाजन तथा शासन' (Divide and rule) की नीति से हिन्दुओं, मुसलमानों और लिख्नों ने चीन के पृथक्त्व को और बढ़ावा मिला और आत में द्विराष्ट्र के मिडान्ट (Two nation theory) का उत्पात्त हुई और देश भारत तथा पाकिस्तान में बँट गया। विभाजन की उल्टर फेर में जो भयकर घटनाएँ घर्गी उनकी कल्पना भी सम्भव नहीं है वर्णन की कोन कहे ? दोनों ही देशों में दोनों धर्मों द्वारा एक दूसरे पर अमानुषिक तथा भयकर अत्याचारों की (मनगढ़त भी) कथाओं द्वारा साम्राज्यिक भावनाओं को और जल मिला और इसी क्षरण पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्व पाजार में पाश्विक कृत्यों की बढ़ सी आ गई। परिणाम यह हुआ कि बड़ी ही कठिन और विषम परिस्थितियों में एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच पूरी पूरी जनसख्त्या की अखला बदली करनी पड़ी। इस कार्य में लाखों आदमी मेरे तथा घायल हुए और मनुष्य के नैतिक स्वभाव का जो ह्रास हुआ उसका तो अनुमान भी सम्भव नहा है। लेकिन यहाँ हमारा दोनों देशों की जनसख्त्या पर विभाजन के प्रभाव से ही सम्बन्ध है। पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दुओं तथा सिक्खों का बहुत थोड़ी सख्त्या रह गयी है, वहाँ की पूरी जनसख्त्या में उनका अनुपात नगण्य है। उसी प्रकार, पूर्वी पाजार में मुसलमानों की सख्त्या नाममात्र है। पूर्वी बगाल से पश्चिमी बगाल में भी हिन्दू लालों की सख्त्या में आये हैं। विभजन भारतीय प्रान्तों में मुसलमानों की निश्चित सख्त्या देना सरल नहीं, किन्तु कुछ प्रान्तों में आज उनकी सख्त्या विभाजन के पहले की तुलना में कम है। इतना तो सर्वमान्य है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों का अनुरात पश्चिमी पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं तथा सिक्खों ने अनुपात से बहुत अधिक है। पाकिस्तान में साम्राज्यिक प्रश्न का हल अत्यसख्त्यों के लगभग एकदम निष्कासन द्वारा ही हुआ है। मायबरा, भारत में यह स्थिति नहीं है। महात्मा गांधी के प्रभाव से भारत ने अपने लिए एक धर्म निरपेक्ष राज्य का आदर्श अपनाया है और मुसलमानों तथा अन्य धर्मावलम्बियों को उसने न्याय तथा रक्षा का वचन दिया है, और व्यवहार किया है।

व्यवसाय— भारत मुख्यतया गौवों का देश है। इसका ग्रंथ यह है कि अधिकाश लोगों का व्यवसाय खेती है। अनुमान लगाया गया है कि ७१ प्रतिशत लोग अपनी जाविका खेती द्वारा चलाते हैं। हालांकि भारत का ससार के औद्योगिक देशों में आठवाँ नम्बर है, पर भी सगठित उद्योगों में रुचल एक प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। लगभग १० % लोग कूटपुट उद्योगों या घरेलू उद्योग-धर्धों में, ६ प्रतिशत व्यापार में, दो प्रतिशत यातायात में और नेचल एक प्रतिशत लोग सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं। जो लोग देश को दशा सुधारने का काम कर रहे हैं उनके लिए ये बातें बहुत

महत्त्व की है। जो योजना कृपि तथा अन्य छोटे उच्चोग-धधो में लगे ग्रामीण लोगों की सहायता नहीं करती वह जनता की दशा में सुगर नहीं कर सकती। केवल यह उच्चोगों से जन-साधारण की दशा नहीं सुधर सकती।

भाषा— भागत म हमें जाति और धर्म की ही भिन्नता नहीं मिलती बल्कि बोली तथा लिखी जाने वाली भाषाओं में भी यहौँ बड़ी भिन्नता है। लिखी जाने वाली भाषा ग्रों को होड़कर भी देश में लगभग एक सौ पचास भाषाएँ भला जाती हैं। यह काई लिलदगु या ग्रामचर्चेजनक गत नहीं है। इस तथ्य के कई कारण हैं। समय-समय पर यहाँ ग्राने तथा बस जाने वाले विभिन्न ग्राममण्डलों श्रमने साथ अपनी भाषा भी लाये। परिणामशूल्य नई और मिश्रित भाषाओं की उत्पत्ति हुई। दूरी के साथ साथ भाषा में भी बदल जाने की प्रवृत्ति होती है। बोली जाने वाली मुख्य भाषाएँ हिन्दी, उडूँ, बगला, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पञ्जाबी, तामिल, तेलगू, कनाडी, मलयालम हैं। ये दो प्रमुख बगों म रखती जा सकता है— मारतीय ग्रामीय तथा द्रविड़। हिन्दी, बगला, उरिया, मराठी, गुजराती, राजस्थानी और पञ्जाबी भारतीय-ग्रामीय हैं और तामिल, तेलगू, कनाडी और मलयालम द्रविड़। अप्रेजी, जो प्रिटिश शासन-काल म राज भाषा थी, अब भी ऊँचे पड़े-लिखे लोगा द्वारा प्रयुक्त होती है। इन सभी भाषाओं में हिन्दी प्रमुख है क्याकि अधिकारा लागा के बोलने और समझने की यही भाषा है। यह उन्नर प्रदेश, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, पूर्वी पञ्जाब तथा राजपूताने ने उच्च भागों की भाषा है। मध्य राज्य के लोगों की भाषा यह नहीं है, पर भा. गुजरात तथा उत्तरी प्रान्त के अन्य भागों म लोग इसे समझ सकते हैं। इसे मद्रास तथा दक्षिणी भारत के अन्य लोग नहीं समझ सकते। स्वतन्त्रता की प्राप्ति ने बाट से ही राष्ट्र भाषा का प्रश्न एक चिकिट प्रश्न बन गया था। देवनागरी लिपि म लिखी जाने वाली हिन्दी तथा देवनागरी तथा फारसी लिपि म लिखी जाने वाली हिन्दुस्तानी त्र समर्थकों म इस प्रश्न ने धारा बयाड का रूप धारण कर लिया था। सावधान-परिप्रद ने आगे चलकर इस प्रश्न पर अपना निर्णय दे डिया। नागरी भारत की राष्ट्र-भाषा स्वीकार कर ली गयी।

भाषाओं के विभाजन म एक या दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। भारत ने राज्यों (प्रान्तों) का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। उत्तरी राज्य म तीन और मद्रास राज्य में चार विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। उसी प्रकार मध्य प्रान्त (मध्य प्रदेश) के लाग कम से कम दो भाषाओं का प्रयोग करते हैं। भाषा के आधार पर प्रातो अरथा राज्य के विभाजन की माँग में यह महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरी ओर, यत्रपि कुछ

* पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश म जाली जने वाला पुरुष तथा सिंध में बोली जाने वाली मिन्ही की आर भी सरेत उपयुक्त होगा। ये ग्रामीय भाषा की ईरानी शास्त्र में सम्मिलित है।

साम्राज्यिक मनोवृत्ति के लोग हिन्दी को हिन्दुत्व तथा उर्दू को इस्लाम से जोड़ते हैं, परं विभी मनुष्य के धार्मिक विश्वासों और अपने पढ़ोनी से विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त भाषा में कोई सम्बन्ध नहीं है। यगाली मुसलमान वही यगला बोलता है जो उसका हिन्दू पढ़ोनी, यद्यपि वह भाषा सख्त से निकली हुई है। उसी प्रकार, मद्रास राज्य के मुसलमान भी अपने हिन्दू पढ़ासियों द्वारा व्यभृत भाषा ही पढ़ोग में लाते हैं। यह सत्य पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा सिन्ध के हिन्दुओं के साथ भी लागू होता है। जातीय दृष्टि से भी, यगाली मुसलमान पजाही मुसलमान के, जिसकी न तो वह भाषा से परिचित है न परम्परा तथा राति-रिवाजों से ही, अधिक निकट है। वैश-भूषा, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज तथा सान-पान के विचार से बगाल के मुसलमान, मद्रास के मुसलमानों से भिन्न पड़ते हैं, और मद्रास के पजाह से, इसी प्रकार अन्य भी। इस दृष्टि से भारतवासियों को हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, पारसी, ईसाई इत्यादि न कहकर यगाली, पजाही, तामिल, महाराष्ट्री तथा गुजराती इत्यादि कहना अधिक समाचीन होगा। उत्तर-प्रदेश के भूतपूर्व गवर्नर सर हारकोटे बटलर का यह कहना कि 'वर्तमान भारत में विदीध का कारण उतना ज्ञाताय या भाषा सम्बन्धी नहीं है जितना धार्मिक,'^३ ठीक नहीं प्रतीत होता। यह बात तो केवल एक विचार का प्रतिपादक बनने की इच्छा से कटी गई है।

भारत की मूलभूत एकता— चाहे समय में हमारी स्वतन्त्रता की भावनाओं के कई विदेशी विराधियों को, भारत के महादोप के समान आकार, उसके निवासियों की जातीय विभक्ता, धार्मिक तथा भाषा सम्बन्धी अन्तर— जिसने उसके निवासियों को अलग कर रखा है तथा देश के विभिन्न मार्गों में प्रचलित विभिन्न राति रिवाजों की उपस्थिति ने यह अस्वीकार करने का अवसर दिया कि भारत एक देश और एक राष्ट्र है। उन्होंने इसे 'देशों का समूह' तथा 'अनेक छोटे देशों द्वारा निर्मित एक महाद्राप'^४ के रूप में प्रदर्शित किया। सर जान कुम्हेच्ची ने एक बार कहा था कि 'यूरोपीय विचारधारा' के अनुसार प्राकृतिक, राजनैतिक या विसी भी प्रकार का एकता से सम्बन्ध भारत नाम का कोई देश न है, न था। विभाजन के पहले हमीं में से कुछ लोग बड़े जोर के साथ हिन्दुओं तथा मुसलमानों को भिन्न राष्ट्र के नागरक कहते थे। वे भारत को एक देश और एक राष्ट्र नहीं मानते थे। इतिहास या तर्क में इस सिद्धान्त के लिए कोई स्थान न होते हुए भी देश जी राजनैतिक दरशा का विकास इस रूप में हुआ कि कार्यों से के सापने भारत तथा पाकिस्तान के रूप में देश जी विभाजन वीकर कर लेने के अतिरिक्त और कई मार्ग ही न था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत एक राष्ट्र और एक देश नहीं था। भारत की मूलभूत एकता बाद विवाद या झगड़े से परे

* माडर्न इण्डिया, पृष्ठ ७ (सर जान कुमिंग द्वारा संपादित)

एक तथ्य है ; किपी भी मानवी निर्णय से इसको सार्थकता निरर्थक नहीं ठहराई जा सकती । भारत सदैव एक रहा है और भविष्य में फिर वह एक होकर रहेगा ।

यह मानना पड़ेगा कि भारत में जातीय पुकारा नहीं है । उसके नियासी विभिन्न जातियों के बशज है, जिनमें प्रमुख ग्राम्य, द्रविड़ तथा मगोल है । उसमें धार्मिक एकता भी नहीं है । जैसा कि ऊपर कहा गया है, समार के लगभग सभी धर्मों के अनुयायी इस देश में रहने हैं । देश में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं और बालचाल की भाषाओं की संख्या तो सैकड़ों है । उसमें पजाबी, नगाली, राजपूत तथा मद्रासी जैसे एक दूसरे से भिन्न लोग रहते हैं । उसमें ऐसे रीति-रिवाजों का प्रचलन है जो किमी भी दो प्रान्तों में एक से नहीं हैं । इस प्रत्यक्ष विभिन्नता से प्रभावित किसी मनुष्य के लिए भारत की सार्वभौम एकता की बात मूर्खतापूर्ण नहीं तो और क्या होगी । इमारी धारणा है कि ऊपर से चाहे जो प्रतीत हो, इस विभिन्नता का भारत की सार्वभौम एकता से विरोध नहीं है ।

किसी जाति की एकता उन विभिन्न उद्गमों से जन्म लेती है, जो उसने जीवन में एक दूसरे से इतने मिल गए होते हैं कि अलग नहीं किंतु जा सकते, फिर भी उनका अपना ग्राहित्य और महत्व है । इन उद्गमों में सबसे ग्रधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक और सासूतिक है, जातीय, धार्मिक तथा भाषा सम्बन्धी नहीं । ऐसे कई देशों का उदाहरण दिया जा सकता है जिन्हें जातीय, धार्मिक तथा भाषा-सम्बन्धी विभिन्नता होते हुए भी राष्ट्रीय एकता प्राप्त की है । प्रिटेन को ही ले लीजिए । उसके नियासी बेल्ट, सैक्सन, डेन तथा नॉर्मन हैं । उनके पूर्वजों ने ओपम में शतान्द्रियों तक युद्ध किया और एक दूसरे का विनाश किया । इगलैंड और स्कॉटलैंड एक दूसरे के कहर शत्रु थे और 'ट्वीड नदी से भा' बढ़कर उनका विभाजन रक्त की एक गहरी नदी द्वारा हुआ है । लेकिन आज सैकड़ों वर्षों के युद्ध के पश्चात् भी वे एक ही समाट के भक्त हैं । रॉवर्ट ब्रूस और बैलेस अंग्रेजों के मिश्ड सदैव वारता से लड़ने रहे जिन्हुंना आज इन बीरों का ग्रंथेभों को भा उठाना ही गर्व है जितना स्टॉलोर्गों को । जर्मनी में रोमन कैथोलिकों और लूथर के अनुयायियों की शानुता के सामने तो हिन्दू-मुसलमानों का विरोध नहीं के बराबर है, फिर भी सभी जर्मन, कैथोलिक तथा लूथर के अनुयायी, राष्ट्रीयता की भावना से अनुप्राणित होकर एक शक्तिशाली राष्ट्र के सदस्य बन गए हैं । जातीय, धार्मिक और भाषा सम्बन्धी विरोधों से बिनष्ट हो जाने पर भी स्टिट्जरलैंड आज एक शक्तिशाली तथा सम्मिलित गण्ड का अनुपम उदाहरण है । सयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमें एक और उत्त्युक्त उदाहरण मिलता है कि जातीय तथा धार्मिक एकता किसी भी जाति को राष्ट्र में परिणत करने के लिए अनियार्थ नहीं है । जातीय एकता उसकी शुद्धता पर निर्भर है । समाज-शास्त्र के बाता बताते हैं कि जातीय शुद्धता आज के समार में स्वाने के सिवाय और कुछ नहीं

है। चान्न के सम्म सासार के सामाजिक तथा राजनैतिक जावन मध्यम काढ़ महत्वपूर्ण यगनहीं रह गया है—धार्मिक सहिष्णुता की इस मावना की धन्यवाद है। इगलेंड, जरमनी, स्विटजरलैंड, सबुक राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा में जो सम्भव हुआ है वह भारत के लिए असम्भव नहीं थोगपत किया जा सकता। भारतीय एकता प्रिलवाड़ मान कर केवल इसी लिए नहीं उपेक्षित की जा सकती कि उसमें जाताय एकता का अभाव है, या वहाँ कई भाषाएँ बोला जाता हैं या वहाँ अनेक धार्मिक विश्वास प्रचलित हैं। दूसरी ओर, भारत में एकता के धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सामृद्धिक खोतों की कमी नहीं है।

भारत सदार की सरसे अधिक स्पष्ट भौगोलिक द्रकान्या में से एक है। उसकी प्राकृतिक सीमाएँ—उच्चर, उच्चर पूर्व तथा पश्चिमोत्तर में ऊँचे से ऊँचे पहाड़ तथा घने से घने ढगल, पूर्व तथा पश्चिम म गढ़वा समुद्र—उसे छड़े नी मुन्दर दृग से परिषिया के अन्य भागों से अलग करता है। भारत तभा तिक्ष्णत और चान्न के जीव सभी प्रकार क सम्बन्ध-वा म घोर झकाखटें डालने वाले हिमालय की भौति भारत के भली-भाली सुरक्षित ज़ेपफल के भत्तर कोई भी ऐसा दुगम पर्वत या गढ़वी नदी नहीं है जो देश के एक भाग से दूसरे भाग के आवागमन को बन्द कर सके। यातायात के सर्वते साधनों की उपस्थिति तथा प्राकृतिक अडचनों के न होने के कारण देश को नपे तुले भागों म भा नहीं बॉटा जा सकता। जो युछ पहले कहा जा चुका है, उसे हाँ भ रखने पर इस विषय पर अधिक जोर देना आवश्यक नहीं है। प्रकृति ने भारत का निर्माण एक अविभाज्य भू भाग के रूप में किया है। यह एक प्रत्यक्ष सत्य है। इस भौगोलिक एकता के एक या दो परिणामों की ओर सकेत निया जा सकता है। यही परिणाम उस ऐतिहासिक सत्य के लिये मुख्यत। उत्तरदायी है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक उसके सभी बड़े शासकोंने सारे देश पर अपना शासन पैलाने का प्रयत्न किया। प्राचीन काल म चक्रवर्ती सम्राटों को देश की राजनैतिक एकता का ज्ञान था। मौर्यों, गुप्तों, पटान राजाओं, मुगल बादशाहों तथा अन्त म अमेरिकों द्वारा स्थापित साम्राज्य, सभी उसी तर्थ की रूचना देते हैं। कोई भी बड़ा राजा देश के किसी भी भाग को अलग या स्वतन्त्र सचा मान कर उसे अपनी महत्वाकांक्षा की परिधि के बाहर नहीं मानता था। यूरोप म जैसे स्वतन्त्र राज्य रहे हैं और हैं वैसे भारत में नहीं उन सकते। यूरोप की भौगोलिक स्थिति उसे एक महाद्वीप जना देती है, भारत की भौगोलिक स्थिति उसकी ऐतिहासिक तथा राजनैतिक एकता का ज्ञान कराती है। हाँ, समय समय पर उसकी सीमा के भीतर स्वतन्त्र राज्य भी रहे हैं।

भौगोलिक एकता के ही कारण देश म आर्थिक एकता भी रही है। विद्युत सरकार के लिये देश के एक भाग को दूसरे भाग से रेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा सभी अनुद्धों में काम आने वाली सड़कों द्वारा जोड़ देना बड़ा सरल कार्य हो गया। वह बर्मा, चीन, तिक्ष्णत तथा अब य पठोकी देशों से उसी सरलतापूर्वक नहीं मिलाया जा

सका। प्राकृतिक कठिनादर्थों अधिकतर ग्रनेव होती है। इस तथ्य के तथा देश की बीहड़ तरीय रेतों के कारण चुंगी तथा विनियम की एक ही नीति देश के लिये अनिवार्य हो जाती है। ग्रीयोगिक दृष्टि से बुल्ड प्रान्त देश के दूसरे भागों की कमी पूरा बर सबते हैं। और इस प्रकार देश स्थुक्त राष्ट्र-अमेरिका की मौति आत्म-निर्भर नन सकता है।

भारत की भौगोलिक तथा ऐतिहासिक एकता से उसकी सास्कृतिक एकता का इस घनिष्ठ सम्बन्ध है। सास्कृतिक एकता का महत्व इतना अधिक है कि ओ'मैली (O'Malley) ने अनुमार भारत एक सास्कृति का नाम है, किसी जाति या समद्वयक का नहीं। “एक गणाली, मद्रासी, या मराठा, एक पजानी या सिन्धी, या एक मुसलमान और एक हिन्दू, इनमें आपस म चाहे जितनी भक्षता हो, भारत के सभी निवासियों में जीवन की एक ही व्यापक एकता प्रशंशित होती है।

प्रसिद्ध जाति-शास्त्रवेत्ता (Anthropologist) सर हरजीं रिसले द्वारा यह सीझार किया गया है कि भारत म उन सभी प्राकृतिक, सामाजिक, माणा-सम्बन्धी, राति रिवाजों की तथा धार्मिक विभिन्नताओं के बीच, जिनसे एक निर्यातक प्रभावित होता है, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तरीप तक नीचे उत्तरी हुई एकता की एक सट्ट धारा देखी जा सकती है। एक गणाली, मद्रासी, मराठा, पजानी तथा उत्तर प्रदेश के एक सभ्यान्त व्यक्ति के बीच अधिक समानता है वनिष्यत इनमें से किसी एक तथा चीन देश के एक चीनी जापान ते एक जापानी या अफगानिस्तान के एक पठान के बीच। नीले तथा स्वच्छ बल वाले सम्ब्रों तथा हिम से ढंगे हिमालय के बीच रहने वाली सभी जातियाँ, उत्तरी-पूर्वी मगोल तथा उत्तरी पश्चिमी सेमाइट जातियाँ की तुलना में साफ अलग हो जाती हैं। भारत की एक विशेषता है जिसने उन सभी पर अपनी छाप डाली है जो वहाँ आकर उन गये हैं चाहे वे किसी भी भूभाग से क्यों न आये रहे हो। भारत की यह विशेषता सचमुच एक विचित्र चोज है जिसने सूजन में अनेक तत्त्वों ने याग दिया है। उनमें से सब से प्रमुख हैं आर्य आदर्श एवं विचारधारा, जिनसे हमारे वर्तमान सास्कृतिक मूल्यों का विसास हूँगा है। हिन्दू और मुसलमान, ईसाई और पारसी, आर्य और द्रविड़, मगाल तथा सीढियन आदि भारत म रहने वाली सभी जातियों म परिवार के प्रति वही प्रेम, पुत्र वीं माता पिता के प्रति वही श्रद्धा, मौं तथा नारी के प्रति वही आदर-भाव, सर्व-नार्ति-तपका-कुट्टा-न-भुक्त्य-पहारी नापनामफा-दृष्टि-पाई-जाता है। जो उपर्युक्त जात देखी जाती है वह इस तथ्य की स्वीकृति है कि जावन की प्रवृत्तियों एवं आत्मा के बीच एक नेतृत्व सर्वप्रथम है जिसमें पहले बो दूसरे का अनुयायी होना चाहिये। कौन

* सुभरत ने जा ग्रीस के विषय में कहा था वही भारत न विषय में भी कहा जा सकता है, अर्थात् “यह एक सास्कृति का नाम है, जाति का नहीं।”—मार्डन द्विया ऐंड ड चेन्ट, प्रष्ठ ६।

भारतीय ग्रामा की श्रेष्ठता को नहीं स्वीकार करता ? इसी कारण हमारे देश के व्यक्ति नैतिकता एवं अनासक्ति को आसक्ति और अनुराग की तुलना में श्रेष्ठ समझते हैं। कोई कार्य करने के लिये अपने को नैतिक रूप से आनंद पाने पर चाहे परिस्थितियों वितनी भी विकट क्यों न हो, वे कोई बहाना करके उससे बचने का विचार नहीं करते। वे जीवन में साधगी एवं पूरी शक्ति से कार्य करने की भावना का भी बड़ा मूल्यवान् मानते हैं। वे महात्मा गांधी का उनके राजनैतिक विचारों के लिए नहीं बल्कि उनकी सरलता एवं सत्यता के कारण आदर करते थे। स्वर्गीय श्री एण्ड्रूज का, जो लोगों के प्रेम के कारण दीनबन्धु कहे जाते थे, भारतीय हृदय में अपनी ग्रनथ सरलता एवं सत्यता के ही कारण इतना आदर था।

यहाँ हम यह कहना चाहते हैं कि धर्मनान् भारतीय सस्तनि को जिसके कुछ मूल्य ऊपर प्रदर्शित किये जा चुके हैं, हिन्दू सस्तति नहीं कहना चाहिए। इसका आधार हिन्दू अवश्य है, लेकिन उसका जो रूप आज है, वह हिन्दू, मुस्लिम तथा पश्चिमी सभ्यताओं के सम्मिश्रण का परिणाम है। अपनी उत्तरति की जरम सीमा की शतान्द्रियों में हिन्दू धर्म ने चिस सस्तति को जन्म दिया वह बाद को उस सस्तति से बहुत प्रभावित हुई जिसे मुसलमान अपने साथ लाये। हिन्दू तथा मुसलमानों का साथ साथ रह कर एक दूसरे की सस्तति को कुछ भी प्रदान न करना, समाजशात्र के नियमों के घोर विरुद्ध होता। दादू, नानक, कबीर तथा ग्रन्थ सन्तों पर इस्लाम के 'एक-ईश्वरवाद' तथा मनुष्य के पारस्परिक भ्रातृ भाव के उदार सिद्धान्तों का स्पष्ट प्रभाव है। अकबर, जहाँगीर तथा शाहजहाँ को हिन्दू तथा मुस्लिम सभ्यताओं के सम्बन्ध का सर्वोकृष्ट नमूना कहा जा सकता है। पिछले दो सौ वर्षों से पश्चिमी सभ्यता के सम्बन्ध से इसे एक नवीन दिशा मिली है। इन सम्पका से हमारे यहाँ एक नवीन धार्मिक एवं सास्त्रात्मिक जागृति हुई जिसका सर्वोकृष्ट व्यक्तीकरण गांधी और टैगोर की शिक्षाओं में हुआ है। सारे भारत को एक बनाने वाली सार्वभौम सस्तति की धारा पिछली कई शतान्द्रियों से अनवरत एवं बड़े ही महत्वपूर्ण ढङ्ग से बहती चली आ रही है और वह बड़ी शक्तिशालिनी, समन्वय एवं विविध है।

देश की जन-स्थापना के सभी मार्गों ने एकस्वर से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मौग की थी, यह तथ्य हमारे चर्तवान उद्देश्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजनैतिक भावनाओं तथा स्वाग की एकता ही एक जन समुदाय को राष्ट्र के रूप में परिणत कर देती है। यह ज्ञाननाम बड़ा ही आहूदकारी एवं आशापूर्ण है कि सभी प्रकार के लोगों ने राष्ट्र य स्वतन्त्रता का युद्ध कन्धे से कन्धा मिला कर किया है। देशभक्ति एवं स्वाग करने की शक्ति पर किसी एक जाति या गणेह का एकाधिपत्य नहीं है, वह सभी में पाई जाती है। भारत की स्वतन्त्रता सबके प्रयास का पल है।

ऊपर दिए हुए विचारों से यह स्पष्ट है कि भारत एक देश है और भाषा वे साधारण ग्रन्थ के अनुसार भारतवासी एक ही गद्य के नागरिक हैं। कुछ यजनीतिशों

द्वारा समर्थित 'दि राष्ट्र मिदान्त' सत्य का विरोधी, दुष्प्रतापूर्ण तथा व्यग्नहार में हानिकारक मिद्द हुआ है। यह देश का अकथ हानि पहुँचा भी चुसा है। हर्ष का विषय है कि भारत में रहने वाले मुस्लिम नागरिकों का इसमें विश्वास नहीं है और वे उस गज्य के प्रति पूरे समाप्तिभक्त हैं जिसने वे सदस्य हैं।

यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राष्ट्रीयता की भावना भारत में उतनी शक्तिशाली एवं उत्पादपूर्ण नहीं है जितनी यूरोप के देशों में। इसका विकास तो अभी हाल में ही हुआ है— अभी एक शताब्दी भी नहीं हुई अखिल मारतीय काग्जेस के जन्म के साथ-साथ यह भा अपतीर्ण हुई। भूत म इसका उन्नति में कई अइच्चनें जाधक पर्नी। उनमें से एक भी जनता का राजनैतिक अज्ञान, जो राष्ट्र के उत्थान के लिए काग्जेस द्वारा किये गये कई राष्ट्रीय आन्दोलनों से कुछ-कुछ हटा है। दूसरी भी साम्राज्यवादी विदेशी शासकों की विमाजन द्वारा शासन की नीति। हिन्दू मुस्लिम विरोध, जिससे भारत की स्वतन्त्रता ने विरोधियों ने इतना लाभ उठाया, विमाजन द्वारा शासन करने की इसी नीति का परिणाम है। यह विरोध धार्मिक तो है ही नहीं, सामाजिक या आर्थिक होने की जगह राजनैतिक अधिक है। विमाजन द्वारा लगाई गई अग्नि अब शान्त हो रही है। इस सम्बन्ध म और विचार हम आगे करेंगे।

भारत का सामाजिक जीवन

सामान्य विशेषताएँ— भारतीय जीवन पर भौगोलिक परिस्थितियाँ का बों प्रभाव है उन पर विचार करने के बाद, हम अब उसके सामाजिक पहचान पर प्रकाश ढालेंगे। ग्राहिक, धार्मिक तथा राजनैतिक पक्षों पर आगे के अध्यायों में विचार किया जायगा।

ज्ञाति, धर्म और भाषा की स्थिति इन दोनों को हुआ उसके साथ-साथ राति रिराब, ग्राचार व्यवहार तथा परम्परा की विभिन्नता में भी जावन की एकता हिंपा हुई है। ग्रीष्म, यही है देश के सामाजिक जीवन का प्रमुख विशेषता। जिस प्रकार कुछ निरीक्षक मूलभूत एकता नहीं देख पाते या देखकर भी उस पर जार नहीं देते और वेग़ल जातीय तथा ग्रन्थ विभिन्नताओं पर ही ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार वे हमारे सामाजिक जीवन का सकारात्मक और विभिन्नता से प्रभावित होकर रह जाते हैं, उसके नीचे पहती हुई एकता तथा एकरक्षा को धारा का दर्शन नहीं कर पाते। पहले प्रचार का और ग्राहिक स्पष्ट करने के लिए हम भारत के भूतपूर्व गवर्नर-जनरल लॉर्ड डफरिन के विचार उद्धृत करते हैं— ‘‘भारतीय जगत की सबसे बड़ी विशेषता है कनाचित् दो प्रमल राजनैतिक समुदायों में उसका विभाजन। ये समुदाय अपने धार्मिक विश्वासा, ऐतिहासिक परम्पराओं, सामाजिक व्यवस्था तथा स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक दूसरे से टो ब्रूचों के समान अलग हैं। एक और हिन्दू अपने विभिन्न एवं अनेक देवी देवताओं में पिश्चास, मूर्तियों तथा प्रतिमाओं से सुनिष्ठ मान्दरा, गाय के प्रति अपने अग्राध ग्रास्था, अपने अनुल्लंघनीय जाति भेड़ों तथा विजेताओं के सामने धुरने टेक देने की ग्रन्ती प्रवृत्ति को लिये पड़ा है, दूसरी ओर है मुसलमानों का एक ईश्वर में विश्वास, उनकी कठ्ठर धर्मान्धिता, पशु गलि में ग्रास्था, उनकी सामाजिक एकता तथा उन स्वर्णिम दिनों की स्मृति जब दिल्ली ने सप्ताह बनकर वे हिमालय से कन्याकुमारी तक फेले हुए इस विशाल देश पर शामन करने थे।’ यहाँ हमारा काम कारी अतिशयाक्षि तथा तथा उसमें छिपे अधूरे सत्य का उद्घाटन करना नहा है। यहाँ हम वेग़ल इतना ही निर्देश कर देना चाहते हैं कि भूतपूर्व गर्दनर जनरल ने लायों गाँवों में वसे वास्तविक भारत के दिनू-मुसलमानों के बीच हम इतना अन्तर नहीं पाते जितना लॉर्ड डफरिन ने दियाया है। यास्तर में इतना अन्तर रह भी कैसे सकता है।

समाज-शास्त्र के नियमों का इतना भयकर व्यतिरेक समय नहीं है। इस सत्य द्वारा समूल गड़न हो जाता है कि भारतीय मुमलमानों में से एक बहुत बड़ी सख्त इस्लाम में दीक्षित हिन्दुओं की ही वशज है और इन वशजों में अब भी बहुत से हिन्दू-विचार, हिन्दू रघु-रिवाज और रहन-सहन के टग प्रचलित हैं। बाहरी 'लेत्रिल' के बदल जाने से चरित्र और भावनाएँ कहाँ तक परिवर्तित हो जायेंगी? धार्मिक विश्वासों तथा सामाजिक जीवन में कुछ विरोधों के होते हुए भी, हिन्दू-मुमलमान तथा अन्य जातियाँ जीवन की मूलभूत प्रेरणाओं में एकता ही प्रदर्शित करती हैं।

हमारे यहाँ हर समुदाय अपने जीवन में धर्म को समान महत्व देता है। यह कुछ उपरी, साधारण बात नहीं है: इसका कारण वास्तव में भारतीय जीवन की मूलभूत एकता है। भारत में हम धर्म को पश्चिम से अधिक महत्व देते हैं; हम इसे जीवन के किसी मिशेप पहलू या चेत तक ही सीमित नहीं रखते और न किसी विशेष दिन को ही लॉर्ड (ईश्वर) का दिन मानते हैं जैसा कि पश्चिम वाले करते हैं। रौशनावस्था से लेकर मृत्यु तक तथा प्रातः से लेकर गत तक धर्म ही हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। प्रत्येक हिन्दू से जावन में सोलह-सौकारों की पूर्ति की आशा की जाती है जिनमें अमरप्राशन, विद्यारम्भ, मु डन, यज्ञापवीत और पाणिग्रहण मुख्य हैं। यम नियमों के प्रति भी लोगों की बड़ी आस्था है। माता-पिता का अभिवादन, प्रातः स्नान, प्रार्थना इत्यादि धार्मिक कृत्य समझे जाते हैं। हमारे भोजन वस्त्र, आचार तथा व्यवहारों पर धर्म का गहरा प्रभाव है। धर्म की इस व्यापकता का कारण यह है कि जीवन को त्रिलोक वाली सभी सामाजिक संस्थाओं का आधार धार्मिक है। हिन्दू धर्म तथा इस्लाम दोनों ही सामाजिक तथा दोनों ही धार्मिक हैं। उनकी मूलभूत संस्थाएँ दोनों धार्मिक मूल्यों से अनुपाणित एवं प्रतिष्ठित हैं। जावन के भारतीय दृष्टिकोण में धर्म की प्रधानता का प्रमाण यह है कि राजनीतिक द्वेष तक में हमने धार्मिक तथा नैतिक भावनाओं को स्थान दिया है। गाधाजी के नेतृत्व में भारत ने यह विश्वास कर लिया है कि 'इसी राजनीति अन्द्वा धर्म नहीं बन सकती'। जीवन और धर्म को अलग-अलग समझने वाले अद्यतों तथा शेष समार का महात्मा गांधी और भारत को समझने तथा उसका समर्थन करने भ असफल होने का एक यह भी कारण है।

जावन की साधारण रूप रेखा में धर्म का महत्वरूप तथा नैति के विचारों से भी प्रदर्शित होगा। भारतीय इतिहास में कदाचिन् ही ऐसा कोई समय रहा होगा जब विसान किसी रूप में धार्मिक आन्दोलन न हुआ हो। धर्म के सम्बन्ध में ही हिन्दू नेताओं की प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट विकास हुआ है। पिछली शताब्दी में हुए धार्मिक आन्दोलनों ने ही बाद की राष्ट्रीय जागृति के लिए पथ तैयार किया है। अपने देश में सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों का ज्ञान अकार्पित करने वाली विभिन्न सामाजिक समस्याओं के साथ धार्मिक पृष्ठभूमि रही है। बाल-विवाह, विभवा विवाह और अस्तृशयता-

निवारण जैसे समाज-सुधार के कायों के विरोधी तथा समर्थक अपने अपने विचारों की पुष्टि के लिए प्रमुख धार्मिक पुस्तकों का आध्यय सेते हैं। छूआछूत ने प्रश्न पर महात्मा गांधी को भी पटितों से बाद-विवाद करना पड़ा था।

भारत के लोग धर्म पर बहुत जोर देते हैं, इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह तो इस सत्य के साथ लिपटी एक स्थाभाविक बात है कि भारत के लोग अनिश्चित काल से आध्यात्मिक आदर्शों की खोज में रहे हैं। जिस प्रकार प्राचीन ग्रीस ने बुद्धि-वैभव का शह्नाद किया और इस दिशा में सकार के साहित्य को एक अमूल्य निधि प्रदान की, जिस प्रकार प्राचीन रोम ने नागरिक जीवन की उच्चता का बढ़वोप सुनाया और सकार के सामने राज्य-भक्ति का आदर्श रखा, उसी प्रकार प्राचीन भारत ने अपने को आध्यात्मिक आदर्शों की खोज में लगाया और सामन्ब-जाति की सेवा में एक आध्यात्मिक दर्शन की मैट दी। विदेशी शासन के अनैतिक प्रभावों के बीच भी हम जीवन के इसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण जिसे हमने अतीत से विरासत के रूप में प्राप्त किया है, धार्मिक रह सके।

माता पिता, गुरुजन और बड़ों के प्रति श्रद्धा, सौबन्ध तथा दूसरों के प्रति आदर, अतिथि-सत्कार तथा दानशीलता आदि भारतीय जीवन से सम्बन्धित गुण, समूर्ख जीवन के प्रति व्यापक धार्मिक दृष्टिकोण के परिणाम हैं। हमें आज भी भारतीय राष्ट्र के सभी भागों में ये विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। हिमालय से कन्याकुमारी तथा ब्रह्मपुत्र से सिन्धु तक कोई बही भी जाय, उसे अतिथि-सत्कार एवं उदारता की समान भावना की आशा रखनी चाहिए।

जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण ने, जिस पर हमने इतना जोर दिया है, एक दूसरे परिणाम पर भी दृष्टि डालनी चाहिए। इस परिणाम के ग्रनुसार हम किसी व्यक्ति का मूल्य उसके भौतिक वैभव से नहीं, उसके जरिय-धन से आँकते हैं। हमारे यहाँ धनी नहीं, गुणवान् व्यक्ति का आदर होता आया है। हिन्दुओं में सबसे ऊँचे वर्ण के लोग ब्राह्मण रहे हैं जो धन की नहीं, ज्ञान एवं सत्य की उपासना करते हैं। उसी प्रकार मुसलमान भी सामाजिक वैभव से कही ग्राधिक चारित्य को महत्व प्रदान करते हैं। उनमें सूफियों का बहुत ही अधिक आदर होता है। जहाँ कही भी चरित्र तथा अन्य गुण मिलते हैं हम उन्हें स्तीकार करते हैं और उनकी प्रशसा करते हैं। एक विदेशी भाई, यादि वह गुणवान् है तो, अपने ही देशवासियों की भाँति हमारी श्रद्धा का पात्र बनता है। स्वर्गीय दीनबन्धु ऐरेंड्र ज भारतवासियों द्वारा जिस प्रेम तथा आदर के साथ देखे जाते थे, वह इस बात का उदाहरण है।

किन्तु यह बड़े दुर्ल के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि ग्राबकल विषम परिस्थितियों की विश्वाता से और अधिकतर विदेशी शासन के परिणामस्वरूप

जीवन के प्रति आध्यात्मिक हृषिकोण को भौतिकतावादी हृषिकोण हटाता चला जा रहा है। धार्मिक हृषिकेष के लुप्त होने का अर्थ है भारतीय सम्यता और सकृति का अन्त। ग्रान्तों ग्रीष्म, मीरिया और यूनान के साथ मृत राष्ट्र न कहला कर भारत के जीवित रहने का यही कारण है कि लगातार आक्रमणों द्वारा उसके सजैतिक शरीर के विनाश के बाद भी उसके आध्यात्मिक आदर्शों का अन्त नहीं हुआ। लेकिन आज हमारी मास्कृतिक धारा की गति बहुत ही धीमी हो गई है और यदि हम पश्चिमी भौतिकवाद द्वारा हुए विनाश को रोकने के लिए कदम नहीं उठाते तो हमारी ग्रान्तीन सम्यता भी अन्य सम्यताओं का रास्ता पकड़ेगी तथा नव-प्राप्त स्वतन्त्रता के होते हुए भी हजारों वर्ष पुरानी हमारी सम्यता केवल अदीत की यदि दिलाने के लिए रह जायगी।

हो सकता है कुछ ऐसे भी व्यक्ति हों जो धर्म को जीवन और व्यवहार का आधार बनाना निर्गर्थक समझें। उनकी धारणा है कि चूँकि धर्म उनके और ईश्वर के बीच एक व्यक्तिगत बल्नु है इसलिए व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर धर्म का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। उनके अनुसार राजनीति तथा सामाजिक सम्बन्धों पर धर्म के आक्रमण का अर्थ है समाज में वैमनस्य का चीज़-चपन और उसका परस्पर-विरोधी दुकड़ों में विभाजन। अपने विचार की पुष्टि में वे हिन्दू-मुसलमानों के बीच के शर्मनाक भगवानों का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि धर्म भारत के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के लिए एक भवहकर अभियाप है। हमारे जीवन तथा व्यवहार को छिप करने वाली सामाजिक संस्थाओं तथा नियमों में धार्मिकता का पुट होने के कारण ही हमारा सामाजिक जीवन एक अलग चीज़ बन गया है। हिन्दू मुसलमान के न साथ भोजन करता है और न उसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है। हिन्दू के रस्म-रिवाज और आन्चार-व्यवहार मुसलमानी रस्म रिवाज और आन्चार-व्यवहार से भिन्न हैं; पारसियों के सिङ्गों से भिन्न हैं, इत्यादि। इसका परिणाम यह है कि विभिन्न समुदायों के त्यौहार भी अलग-अलग हैं। हिन्दू विजयदशमी, दीपावली, जन्माष्टमी, होली और अन्य त्यौहार मानते हैं जब कि मुसलमान ईद, मुर्हरम आदि और ईसाई बड़ा दिन मनाते हैं। न केवल उनके त्यौहार ही एक दूसरे से भिन्न हैं बल्कि उन स्तोशयों के मनाने ने टग भी मूलतया भिन्न है। हिन्दू अपने त्यौहारों को मुसलमानों तथा ईसाईयों की तुलना में अधिक व्यक्तिगत टग से मनाते हैं। इससे भी कुरी बात तो यह है कि साम्प्रदायिक विरोध के कारण एक जन-समूह दूसरे जन-समूह के त्यौहारों में माग ही नहीं लेता। आज हमेहुत योड़े ही मुसलमानों को होली तथा कुदू ही हिन्दुओं का मुर्हरम में माग लेते देखते हैं। ऐसा कोई राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है जिसमें सभी भारतीय भाग लेकर आनन्द मना सके। राजनीति में धर्म के आ जाने में हमारे राजनीतिक जीवन में विनाशकारी तत्व पैदा हो गये थे। साम्प्रदायिक निर्वाचन-न्यैत्र उमो जहर का असर था। आगे बढ़कर सरकारी नौकरियों

और विद्यालयों तक में साम्प्रदायिकता की माँग प्रारम्भ हुई थी। इन तमाम मर्गों का अन्त पारिस्तान में हुआ। कुछ अशो तक पृथक्त्व हमारे सामाजिक जीवन का एक ऐसी विशेषता है जो और कहीं नहीं पायी जाती। हममें सामाजिक जीवन की यह एकता नहीं है जो फ्रास, इगलैंड तथा बर्मनी जैसे देशों में देखने को मिलती है। और हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह जीवन में धर्म का प्रधानता देने का ही परिणाम है। लेकिन यह कहना समीचीन होगा कि ये सत् तुष्टिरिणाम धर्म को प्रधानता देने के कारण नहीं बल्कि धर्म के मूलतत्वों के बजाय उसके बाह्य रूपों को ही प्रधानता देने के कारण हैं। यदि हम धर्म का अर्थ बेबल एक ऐसी आनंदिक भावना से हो जो जीवन का पथ प्रदर्शन करती है और उदाचु गुणों का समावश करती है, लगाते हैं, और उसके बुलु बाह्य कृत्यों की पूर्ति से नहीं, तो यह असम्भव है कि धर्म कभी भी फूरू और पृथक्त्व को प्रश्रय देगा। धार्मिक भावना की उपस्थिति न कारण नहीं बल्कि उसका नुणि पूर्ण व्याख्या के कारण ही इस अनेक परेशानिया भेल रहे हैं। आब दुनिया का अपने सामाजिक तथा राजनीतिक जावन को आव्याप्तिक बनाने की आवश्यकता है। सारी मनुष्य जाति ने लिए महात्मा गांधी का यही सदेश है। उनके अनुसार नैतिक और आव्याप्तिक विचारों से विमुख होकर राजनीति जीवन का हनन कर छालती है। इसी लिए उन्होंने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सत्यपूर्ण उपायों के प्रयोग का आदेश दिया था।

अपने देश न सामाजिक जीवन को प्रवाह तथा दिशा देने वाली सामाजिक संस्थाओं की परीक्षा करने के पहले उसके एक महत्वपूर्ण ग्रंथ पर ध्यान देना आवश्यक होगा। भारतीय समाज के निर्माण में व्यक्तियों का उतना हाथ नहीं है जितनों समुदायों का। कोई व्यक्ति समाज में एक अलग इकाई बनकर नहीं बल्कि परिवार, जाति और ग्राम का सदस्य बनकर रहता है। ग्राम में इन समुदायों में से किसी-न-किसी की सदस्यता के बाहर तो कदाचित् ही कोई रहता रहा हो। सामाजिक संघटन के नाम पर जो कुछ भी प्रतिवध उस पर लगाये जाते थे उन्हीं के अनुसार उसमा विकास होता था। समाज को उस व्यवस्था का बड़ी शास्त्रतापूर्वक पतन हो रहा है। शासन का वर्तमान रूप जिन सिद्धान्तों पर आधारित है उनसे उस सामाजिक व्यवस्था का भेल नहीं बैठता।

वर्ण-व्यवस्था— लुअ्यालूत, परिवार, विवाह, पर्दा तथा धार्मिक कर्मकाड़ का सतकंतपूर्ण अध्ययन आवश्यक है। हम उनमें से प्रत्येक का अलग अलग विवेचन कर रहे हैं।

वर्ण-व्यवस्था— वर्ण-व्यवस्था हमारे सामाजिक संघटन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा उसे अन्य समाजों से अलग कर देने वाली विशेषता है। हालाँकि इसका विशेष सम्बन्ध हिन्दू सामाजिक व्यवस्था से है किंतु भी इसे भारताय कहा जा

सकता है क्योंकि मुसलमानों तथा ईसाइयों में भी कुछ-न-कुछ जातीय भेद पाये जाते हैं। इन धर्मोंमें दीक्षित होने वाले अपने नये चोले में भी पुराने जातीय विभेद लेते गए। इस सम्प्ता का अध्ययन हम एक परिभाषा से प्रारम्भ करते हैं।

जाति की परिभाषा और उसका स्वरूप— /सुर पड़वड़ ब्लट के अनुसार जाति ऐसे लोगों का समूह है या ऐसे समूहों का समिश्रण है जो अपने ही जैसे लोगों में वैयाहिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। उनका एक ही नाम होता है; सदस्यता परम्परागत होती है; जन्म के साथ ही जाति निश्चित हो जाती है और जन्म ही जाति की सदस्यता का आधार होता है तथा सामाजिक यादान प्रदान के मामलों में जाति के सदस्यों पर कुछ कठोर बन्धन होते हैं। परम्परागत पेशा, गोत्र, या इन दोनों पर बन्धन समान रूप से लागू होते हैं। साधारणतः जाति का अर्थ है लोगों का एक सम्मिलित समुदाय। जाति की यह 'परिभाषा इम्पीरियल गेटेयर ऑफ इरिडया' में ही गई परिभाषा की ही तरह है और अपने देश में जाति की कियाशीलता तथा व्यक्तिगत जीवन में उसके मद्दत्वपूर्ण म्भान पर प्रकाश ढालती है। इस परिभाषा के अनुसार जाति ऐसे लोगों का समूह है जिसकी सदस्यता जन्म के ही अनुसार निश्चित की जाती है। इसमा यह अर्थ है कि वर्तमान जातियों परम्परागत है। कोई आदमी किसी जाति को छुनता नहीं; वह उसमें पैदा होता है और उसे बदल नहीं सकता। इस बन्धन के खाल यह व्यवस्था स्थावर हो जाती है और इस प्रकार लोग एक समूह से दूसरे समूह में नहीं जा सकते जो कभी-कभी सामाजिक प्रगति तथा न्याय की दृष्टि से बहुत आवश्यक हो सकता है। यह याद रखना चाहिए कि यद्यपि जाति और जन्म बहुत प्राचीन काल से एक दूसरे से बँधे हुए हैं फिर भी यह व्यवस्था अपनी प्रारम्भिक अवस्था में उतनी कठोर नहीं थी जितनी आज है। बहुत ही प्राचीन काल में जाति के बीच जन्म पर ही नहीं बल्कि स्वभाव और गुण पर निर्भर थी। ब्राह्मण दूसरी जातिया से सतोगुण, क्षमित रजोगुण और शूद्र तमोगुण के आधार पर अलग समझा जाता था। इस प्रकार वर्तमान व्यवस्था प्राचीन व्यवस्था से मूल रूप में अलग हो गई है। यही मूलभूत विरोध इसमें आ जाने वाले कई दुरुण्गों एवं अपूर्णांताओं का कारण है।

इस परिभाषा के अनुसार, दूसरी ओर, जाति एक ही परम्परागत पेशा मानने वालों का एक समूह है। आधी शताब्दी पहले इस पहलू पर आधिक जोर था, किन्तु आज ऐसी बात नहीं है। एक ही जाति के लोग आज तरह तरह के पेशे कर रहे हैं— कुछ ब्राह्मण पुरोहित हैं, कुछ ज्योतिषी; कुछ जमीदार हैं और कुछ ने सरकारी नौकरियाँ कर ली हैं या विद्यानुद्दिक्षा के दूसरे कामों में लगे हुए हैं। दूसरी पेशेवर जातियाँ, जैसे नाई, धोना, जुलाहा, कुम्हार तथा गड़रिये इत्यादि भी केवल अपने परम्परागत पेशे ही नहीं बरततीं, बल्कि उनम से कितने लोग दूसरे पेशे कर लेते हैं। देश में प्रचलित नयी आधिक प्रत्यक्षियों का यह प्रभाव हुआ है। लेकिन कुछ समय पहिले, जैसा कि इस परिभाषा से स्पष्ट है, जाति और पेशे में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था। इस पहलू का

यहाँ एक और अर्थ भी समझ लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जातियों की सख्ता पेशों की सख्ता से कहीं अधिक होनी चाहिए क्योंकि कुछ जातियों के कई टुकड़े हैं। यह स्थिति प्राचीन आदर्श के विरुद्ध पड़ती है क्योंकि उसने अनुसार ब्राह्मण द्वित्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये ही चार वर्ण होने चाहिए^५। आज सब मिलाकर लगभग तान हजार छोड़ी बड़ी जातियाँ हैं। गुण तथा कर्तव्य के आधार पर समाज का चार प्रमुख भागों में विभाजन ठीक भा है और स्वाभाविक भी। विभाजन को किसी स्वाभाविक रेखा के द्विना समाज को निश्चित समूहों में बँट देना गलत और नियम-विरुद्ध है। जनियों बनियों तथा कायस्थों, जाटों, गुर्जरों तथा तांगियों, कोलियों तथा डोमों का विभाजन तर्कसगात नहीं है और न जल्दी समझ म आने वाला है। हर पेशों की श्रलग जाति बना देना और लुहार, सुनार, बड़ई, नाई, कसाई आदि का भिन्न-भिन्न जातियों में बँट देना मूर्खता पूर्ण है। हिन्दू समाज म सघटन क अभाव का कारण जाति का इतने अधिक टुकड़ों में विभाजन ही है जिनका प्राचीन समय में कोई अस्तित्व नहीं था। यह बताना बहुत कठिन है कि विभिन्न जातियाँ और पिर उनमें भी उपजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई।

तीसरे, सर एडवर्ड ब्लैर द्वारा दी हुई परिभाषा के अनुसार प्रत्येक जाति ऐसे लोगों का एक समूह है जो आपस ही में वैधानिक सम्बन्ध आदि स्थापित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक जाति का सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता—एक वैश्य को वैश्य से, ब्राह्मण को ब्राह्मण से, तथा एक कायस्थ को कायस्थ से ही विवाह करना पड़ेगा। यह व्यवस्था अन्तर्जातीय विवाह के विरुद्ध है। इस नियम का बड़ी कड़ाई से पालन होता है, आज भी अन्तर्जातीय विवाहों की सख्ता बहुत थोड़ी है।

चौथे, एक सगठित तथा अविभाज्य जनसमूह को भी जाति की सज्जा दी गई है। इसका अर्थ है कि एक जाति के लोग इसी जाति के लोगों की श्रपेक्षा अपनी जाति के लोगों से अधिक मिलते हैं। एक वैश्य एक ब्राह्मण की बनिस्तुत अपनी जाति के एक दूसरे व्यक्ति से अधिक सामान्य अनुभव करेगा। नियम, गति रिवाज तथा आचार-विचार के कारण प्रत्येक जाति का अपना अपना ढंग और नियम होता है और इसी कारण उनका अलग-अलग सघर्षन भी होता है।

अन्त म, सामाजिक व्यवहार के क्षेत्र म प्रत्येक जाति के अपने सदस्यों पर कुछ बंधन होते हैं। इन्हीं बंधनों के अनुसार जाति के लोगों का जान-नान, वेश भूषा, शादी विवाह तथा जीवन के अन्य कार्य चलते हैं।

इस व्यवस्था को कुछ अन्य उत्तेजनीय विशेषताएँ हैं जिनका ऊपर की परिभाषा में समावेश नहीं है। प्रत्येक जाति अपनी तर्ह एक जनत-नामक सघटन है। जाति में माईचारे का नाम है जिसमें सभी बराबर हैं, चाहे वे किसी भी स्थिति के

ही। अकिंगाद तथा विदेशी शासन के ग्रहितकर प्रभाव वे कारण हिन्दू-समाज में चैसे स्तर वे लोगों में समता तथा भाईचारे की इस भावना का लोप हो गया है, फिर भी, नचै स्तर न लोगों में, जहाँ ज तिष्यचावतें सभी सदस्यों का बराबर मानती हैं, यह भावना अब भी चाही है। वैवाहिक भोज तथा अन्य अवसरों पर जाति के लोग बुलाये जाते हैं। विरादी के इस तथ्य में समानता की भावना आज भी बनी हुई है। प्रत्येक जाति में पारस्परिक सहानुभूति, सदमाव तथा मेल जोल की भावना पायी जाती है। विग्रह आटि ने अवसरों पर विरादी के सभी सदस्य एक-दूसरे की सहायता करते हैं। विधवा, अनाथ और अन्य प्रभार के ग्राम्यहीन तथा अपग लोग अक्सर जाति द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं। कभी कभी जाति सभा योग्य विश्वार्थियों को छात्र वृत्ति इत्यादि भी देती है। पृष्ठचम में समाज या राज्य से जिन कर्तव्यों की आशा की जाती है वह अपने देश में जाति पूरा करती है।

आज की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते समय प्राचीन व्यवस्था से उसके अन्तर के कुछ प्रमुख विचार रखें गये हैं। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मूलरूप में वेश्वल चार ही जातियाँ थीं, जैसे विद्या की ही उपसना में लगे रहने वाले ब्राह्मण, बाहरी आनन्दणों से समाज की रक्षा करने वाले ज्ञात्रिय, आर्थिक क्षेत्र में प्रभुत्व रखने और धन उत्पन्न करने वाले वैश्य और अन्त में शूद्र जिनमा मुख्य कर्तव्य या शेष तीन उच्च वर्णों की सेवा। इस प्रभार बुद्धि का प्रयोग करने वाले, लड़ने मिडने वाले, धन उत्पन्न करने वाले तथा हर समाज में पाये जाने वाले दासी या धरेलू सेवकों की अलग-अलग जातियाँ बन गई थीं। लेकिन आज हिन्दू समाज सैंकड़ों छोटे-छोटे दुकड़ों में बँट गया है। इन चार मूल जातियों का विभाजन गुण और स्वभाव की विशेषताओं के आधार पर हुआ था लेकिन आज गुण और जाति में बदल भेद है। इन मित्रताओं में एक विचार और जोड़ जा सकता है। पहिले, जाति द्वारा मनुष्य के कर्तव्यों का निश्चय होता था, उसके अधिकारों का नहीं। विद्या की उपसना करना ब्राह्मणों का कर्तव्य या धर्म था। उनके लिए धन या राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने की मनाही थी क्योंकि यह क्रम से वैश्यों तथा ज्ञात्रियों का वायं था। उनका जीवन विनम्रता और आत्मसंयम का था और इस प्रकार वे जीवन के भौतिक मुखों और वैभवों से दूर रहते थे। इसी प्रभार अन्य वर्णों के कर्तव्य भी स्थिर हुए थे। जब तक प्रत्येक जाति अपने धर्म तथा कर्तव्यों का पालन करती रही, सभ कुछ ठीक था और समाज समृद्धिशाली होता रहा। लेकिन जब ब्राह्मणों ने अपना कर्तव्य भुलाकर राजनैतिक शक्ति पानी जाही और सासारिक उन्नति करने की इच्छा की, ज्ञात्रिय अपना कर्तव्य भुलाकर विद्या के वायं में लग गये तथा वैश्य ब्राह्मणों के क्षेत्र में उत्तरने लगे, तभी से पतन प्रारम्भ हो गया। आज हिन्दू-समाज में हम जो द्वारा इयाँ देख रहे हैं वे जाति प्रथा के कारण नहीं बल्कि उस प्रभा की विकृति के कारण

पैदा हो गई है। इस समय वर्ण-व्यवस्था का केवल गाहरी दाँचा रह गया है; उसकी आत्मा तो समाप्त हो चुकी है।

इस व्यवस्था की एक और बुराई भी खोने देने योग्य है। प्राचीन काल में जाति-व्यवस्था आश्रम धर्म से नामक एक दूसरी व्यवस्था से सम्बन्धित थी, लेकिन आज वैसी चीज़ नहीं है। प्राचीन काल के लोगों ने चार वर्णों या जातियों की नहीं वल्कि पूरे वर्णाश्रम की व्यवस्था की थी। जीवन के चार आश्रमों में जाति केवल एक आश्रम के लिए था। केवल शृङ्खला ही जाति-व्यवस्था के नियमों का पालन करने थे, द्रष्टव्यारी, वाजपायी तथा मन्यासी की ओर जाति नहीं थी। ग्राज-जन्म से मृत्यु तक जाति चंनी रहती है, इसी के अनुसार मनुष्य के भोजन, विवाह, पेशे, समाज में स्थान आदि सबका निर्णय होता है। यदि आज इस व्यवस्था ने अपनी उपयोगिता खो दी है और यह समाज का पोड़ा बन गया है तो इसका कारण इसका वही विहृत रूप है जिसे इसने अपने लम्बे जीवन में प्राप्त कर लिया है।

जाति-व्यवस्था के गुण— जाति-व्यवस्था को बुरा बताना तथा भारतीय राष्ट्र की अनेक बुराइयों के लिए इसी को दोषा। ठहराना आज एक फैशन बन गया है। यदि यह इतनी ही बुरी चीज़ हाती तो सदियों तक शायद जीवित न रहती और न अपने ऊपर विभिन्न समयों में हुए आधारों का ही सहन कर पाती। जाति ने विलक्षण जीवन शक्ति का परिचय दिया है, इसने उन जन-समूहों में भी प्रवेश करके अपना प्रभाव दियाया है निम्नमें इसका प्रचलन पढ़ले नहीं था। इसलिए स्पष्ट है कि इसमें
बुद्ध अच्छाइयों आवश्यक है।

आर्य जन पश्चिमोत्तर से भारत आये तो उन्हें देश के उन निवासियों से बड़ा सधर्ष करना पड़ा जिन्हे बाद में उन्होंने हराया। अफीका की काली जातियों तथा आस्ट्रेलिया के निवासियों के साथ यूरोपियालों ने जिन तरीकों का अनुमरण किया उस प्रकार के नरीकों का प्रयोग करके हमारे पुरुषों ने यहाँ के मूलनिवासियों को नहीं निकाला। उन्होंने अपनी समस्याओं के हल का दूसरा ही उपाय निकाला। उन्होंने अनायों को शूद्र वर्ग में परिणत कर दिया और उन्हें निम्न कार्य सौंप दिये। तीन उच्च वर्णों तथा शूद्रों के बीच के अन्तर का आधार कदाचित् व्याघटातिक ही है। देश के भीतर बाद में आने वाली नस्लों की अलग अलग जातियाँ बना दी गईं। यगाल के राजवंशी और चाहाल, पञ्चाच और राजस्थान के जाट और मेय (Meos), उत्तर-प्रदेश के बुन्देल, बम्बई के माहर, मद्रास ने नायर तथा देश के कुछ अन्य लोग भी बाहर से आने वाली नस्लों में से हैं जिनकी बाद म अलग-अनग जातियाँ बन गई थीं। हमारे पुरुखों को बाहरी नस्लों के सम्बन्ध में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा।

इन समस्याओं में जाति-व्यवस्था का जाम हुआ। समस्याओं के हल करने का ऐसा दङ्गा उन सभी तरीकों से अच्छा है जिनका विभिन्न देशों के लोगों ने प्रयोग किया है।*

ब्राह्मणों, लृतियों तथा वैश्या के ग्रोज भेद की उत्तरि दूसरी चीज है और उसका अर्थ भी दूसरा है। इससा ग्राधार कदाचित् अम का विभाजन है जो आर्थिक हाँटि से अत्यन्त मुविधाजनक होता है। प्राचीन आदर्शों तथा धार्मिक परम्परा की रखा, मध्योच्च सत्ता के विषय में भत्ते को ग्राज और उमझा प्रचार करने के लिए ब्राह्मण, शासन को कर्तव्य मान कर समाज की रखा के लिए ज्ञानिय, धन उत्सव करने तथा उसका वितरण करने के लिए वैश्वन और अन्त में, निम्न काया के सम्पादन के लिए शूद्र वर्ण की व्यवस्था कर देने से ग्राधिक स्थामाविक और क्या चीज हो सकती थी। अम का ऐसा विभाजन करने से समाज का सघटन अच्छी प्रकार होता है। इसी सिद्धान्त के कार्यरूप म परिणत होने के कारण कदाचित् विभिन्न पेशेवर जातियों की उत्तरि हुई। जाति व्यवस्था की उत्तरि का यदि यह विवरण मान्य न भी हो तो भी यह सत्य है कि इस व्यवस्था से आर्थिक जीवन में बड़ी सरलता होती है। किनी भी जाति या परिवार में किनी भी पेशों के परम्परागत उनने से, अनुकूल परिवारिक वातावरण तथा पिता के स्वेच्छा पूर्ण नियोजन में रह कर बच्चे उन पेशों में कुशलता तथा चतुरता आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि प्राचीन पेशा तथा धन्यों म लगे रहने वाले लोग बड़े ही आशन्वर्जनक हस्त-कौशल का परिचय देते हैं। जाति व्यवस्था ही बहुत भीमा तक भारतीय दमतकारा द्वारा बनाई गलुओं ने शतान्त्रिया तक धूरोप में आदर पाने का कारण रही।

हमारे समाज म जाति-व्यवस्था का एक और अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसने लोगों को अपने परम्परागत पेशा से सतुर्द रखा है और कोई पेशा चुनने के लिए व्यर्थ की माध्य-प्रक्री से उहै बचाया है। खनी प्रतियांगिना (Free Competition) से उत्पन्न हुई खुराद्याँ पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था म सफ्ट हाँटिगत है और इसी कारण वहाँ समाजगाद तथा कम्यूनियम की उत्तरि हुई। भारत म अभी हाल तक हम इन खुराद्याँ से अनुत्ते थे। जाति-व्यवस्था का भारतीय जनता को यह कोई कम महत्व की देन नहीं है।

जाति-व्यवस्था ने ही हिन्दू समाज को इस्लाम के ग्राहकमणों से बचाया और उमे एकदम समान हो जाने से बचा लिया। इसन ही हिन्दूया मे यह सघटन दिया जिसन समूचों जनता को मसलमान उनने से बचा लिया। फारम, अपग्रेनेशनान,

* 'अलग अलग सास्त्रातिक स्तरों की विभिन्न नस्लों के लोगों को एक ही समाज म सहाँटित करने वाले दङ्ग का सचुन बड़ी सरलता मिली और इसका अत्यन्त मुद्र परिणाम यह हुआ कि देश ग्राम म लड़ने वाली विभिन्न नस्लों के कारण अनेक दुरङ्ग म विभाजित होने से बच गया।' —रमन इरिड्या, पृष्ठ २७।

मिथु, सीरिया आदि इस्लाम के बढ़ते तूफान में समाप्त हो जाने वाले देशों के पास रक्षा तथा बचाव के लिए ऐसी कोई सम्भान थी। विभिन्न जातियों के लोग व्यक्तिगत रूप से कोई धर्म भले ही स्वीकार कर ले किन्तु इरादा करके सारी की सारी जाति का धर्म-परिवर्तन करने का प्रयत्न जानि की दृष्टा। के मारे असम्भव हो जाता है। इस बुरी तथा एकदम बेकार चताई जाने वाली व्यवस्था के प्रति हिन्दू बड़े ही कृतज्ञ हैं। आलोचक यह भले जाते हैं कि इस व्यवस्था में पारस्परिक मदभाव को प्रश्न्य मिलता है तथा आपस में एक समानता के भाव की इच्छा होती है।

जाति-व्यवस्था के दुरुर्णाश—जाति-व्यवस्था ने हिन्दू-समाज को जहाँ बड़े लाभ पहुँचाये हैं वही उससे उत्पन्न हानिया ने उसके लाभा को पीका कर दिया है। इसने हमें जो सबसे बड़ी हानि पहुँचाई है वह है हमारी सर्वशाही राष्ट्रीयता का सर्वनाश। इसी के कारण सामाजिक तथा राजनैतिक विरोधों का सूत्रपात हुआ और इसी लिए हिन्दू और भारतीय राष्ट्र कमज़ोर हो गये। इसने सामाजिक चेतना को बड़ा धक्का पहुँचाया है। और इसी लिए मुख्लमाना में एकता तथा पारस्परिक समर्पण की जो भावना है वह हिन्दुओं में नहीं है।

हमारे सामाजिक जीवन में जो पुरुषत्व है उसकी जिम्मेदार यही व्यवस्था है। एक जाति के लाग दूसरी जाति के लोगों में न विवाह करते हैं और न यान यान का सम्बन्ध ही रखते हैं। विभिन्न जातियों के रस्त रिचार्डों तथा आचार व्यवहार में बड़ा अन्तर रहता है। परिणाम यह होता है कि किसी भी बाहरी निरीक्षक की दृष्टि में भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि विभिन्न जातियों का समूह मान दिखाई देता है। इस प्रकार जाति-व्यवस्था द्वारा उत्तन्न विभिन्नता सम्प्रूदि की भीतरी एकता प्रेरणा डाल देती है।

यदि एक और इस व्यवस्था ने लागों को एक दूसरे से मिलाया है तो दूसरी ओर इसने सामाजिक उन्नति में भयकर रोड़ा भी घटकाया है। इसी के कारण लोग सक्रीय विचार के, परिवर्तन के विरोधी तथा पुरानी लकीर के पक्षीर बन गये हैं। विचारों की यह सक्रीयता विशेषकर सामाजिक धार्मिक मामलों में देखी जाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी विधवा लड़की का पुनर्विवाह, या प्रौढ़ता आने तक लड़की का विवाह रोक रखना सरल नहीं है। हर्ष की बात है कि इस विशेष चेत्र में रिवाज की कठोरता समाप्त हो रही है। फिर भी, यह सत्य है कि सामाजिक सुधार के यस्ते में जाति अभिशाप बनी हुई है।

इस व्यवस्था ने और भी कई तरह हिन्दू जाति का कमज़ोर बनाया है। इस्लाम या ईसाई धर्म की तरह हिन्दू धर्म धर्म-परिवर्तन कराने वाला धर्म नहीं है, हालाँकि इसमें आने के लिए मार्ग सप्तरे लिए खुला है। जाति-व्यवस्था के ही कारण हिन्दू धर्म के लिए अपने धर्म में आये लोगों को भिलाना और उन्हें पचाना

कठिन हो जाता है। हिन्दू धर्म में ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें ऐसे लोग मिला दिये जायें। और, बिना किसी जाति में मिलाये वे इसके सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सकते। आर्य-समाज में मा, जा हिन्दुत्व का लड़ाका भाग है और जिसमें लोगों को अपने धर्म में मिलाने की भी विशेषता है, यह कमी है। इसके अतिरिक्त विवाहादि के मामले में जाति का बन्धन लग जाने से यात्रा की सजीवता का बड़ा धक्का लगा है और देहज देने की दुरी प्रथा का जन्म हुआ है। यदि एक जाति में पुरुष अधिक हैं और स्त्री कम या छियाँ अधिक हैं और पुरुष कम, तो एक दूसरे में विवाह करके आपस की कमी पूरी करना असम्भव हो गया है। इसी के कारण कुछ कैंची जातियों शारीरिक अम और कुछ पेशों के करने में अपनी मान हानि समझती हैं और इस प्रकार उनकी आर्थिक उक्खति रुक जाती है।

जाति-व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह— इसकी बहुत सा दुराद्यों का कारण यह है कि यतीत काल में इसके पाले जो भावना था वह आज नहीं है। आज जाति व्यवस्था एक तमाशा बन गई है। इसलिए, यदि इसके विरुद्ध विद्रोह हुए हैं तो आश्चर्य की जात नहीं है। यह विद्रोह अधिकतर उन पढ़े लिखे लोगों द्वाय प्रारम्भ हुआ है जो पश्चिमी विचारों, भावों तथा वहाँ के आदर्शों से प्रभावित हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए जाति व्यवस्था का प्रभाव कम होता जा रहा है जैसा कि नीचे लिखी गयी से स्पष्ट होगा :—

(१) दीते जपाने के निमी भी समय से अधिक आज अन्तर्जातीय विवाह हो रहे हैं। हालोंकि उनकी सख्ता अमी बहुत कम है। ‘जाति-पैतौर्डक-मण्डल’ नाम की एक संस्था जाति-व्यवस्था के विरुद्ध बड़ा जोरदार प्रचार करती रही है और उसने कई अन्तर्जातीय विवाह भी कराये हैं।

(२) युले या छिपे रूप से खान-पान का भी बन्धन तोड़ा जा रहा है, लेकिन यह नीबू अमी बहुत कम है। पढ़े लिखे व्यक्ति दूसरी जाति के साथ खाना पाने में कोई हिचक नहीं मानते और न नीची जाति के किसी आदमी द्वाय बनाया खाना खाने में ही उन्हें कोई आपत्ति होती है विशेष अवसरा पर अन्तर्जातीय खान-पान भी चलता है।

(३) भोजन, वस्त्र, यात्रा इत्यादि पर बन्धन टीले पड़ते जा रहे हैं।

(४) एक या दो पांडी पहिले पेशे तथा जाति के गारे में जितना सकोच था उतना अम नहीं है। अब पुन को पिता का ही पेशा अपनाने की आवश्यकता नहीं है; वह अक्सर नये नये देन दूटा है।

(५) देश के कुछ भागों में ‘नीची’ जातियाँ अपनी उस नीची स्थिति के विरुद्ध विद्रोह करना प्रारम्भ कर रही हैं जिसे जाति-व्यवस्था ने दृढ़ कर दिया था। वे

ऊँची जातियों के साथ बराबरी का दावा करने लगी है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे ऊँची जातियों के सामाजिक रसम-रिवाजों को भी अपनाने लगी हैं। पुराने नामों को बदल कर आब वे विभिन्न सम्बोधनों के साथ नये नये नाम भी रखने लगी हैं।

यह कहा जा सकता है कि बड़े शहरों तथा बड़ी जातियों में अब जाति-व्यवस्था सत्त्व हो रही है। गोंवों तथा 'नीची' जातियों में अब भी इसका बड़ा जोर है। इसका कारण यह है कि शहरों में रहने वाला पट्टा-लिखा वर्ग पश्चिम के प्रभाव में आ गया है लेकिन गोंव में अब भी निरक्षण पैली हुई है और लोगों पर आहरी दुनिया का अभी बहुत कम प्रभाव पड़ा है।

जाति-व्यवस्था की सर्वाधिता— जाति-व्यवस्था के विरुद्ध जो आघात हो रहे हैं वे नये जमाने में अब भी बहुत कमज़ोर हैं और उनका दायरा सीमित है। भविष्य में जाति का क्या स्वरूप होगा यह कहना कठिन है। इस व्यवस्था ने विविन्द जीवन शक्ति का परिचय दिया है। ग्रतीत में समय-समय पर हुए अपने ऊपर आक्रमणों को इस ने सफलतापूर्वक भेला है। गौतम बुद्ध ने इस व्यवस्था पर सबसे पहला अक्रमण किया था। उनके बहुत बाद कवीर तथा मानक जैसे साधुओं ने इसके विरुद्ध आधार बुलन्द की। पिछली शताब्दी में ब्रह्म-समाज, प्रार्थना समाज तथा आर्य-समाज ने इसे निस्तार बताया। इस्लाम और ईसाई धर्म तो पूरे के पूरे इसके विरुद्ध हैं ही। इन आक्रमणों के होते हुए भी जाति अब भी जीवित है। यह सुधारवादी मतों में भी कुस गई है; यहाँ तक कि इस्लाम तथा ईसाई-धर्म भी अप्रभावित नहीं रह सके हैं। इन घमों में दृष्टित होने वाले हिन्दू अपने साथ जातीय विभेद भ लेते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय चरित्र तथा बुद्धि में जाति इतनी गहरी जम गई है कि फ्रान्स की ब्रान्ति तथा अभी हाल में हुई रूसी ब्रान्ति का प्रभाव भी इसे भारतीय भूमि से निकाल फेकने में सफल नहीं हो सका है।

जो लोग मानव-स्वभाव को समझते हैं उन्हें यह प्रतीत होगा कि जाति-व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेकना असम्भव है। जो सम्भव है और जिसके लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए वह है जाति-व्यवस्था में सुधार; उसका समूल विनाश नहीं। जो कुछ भी तर्क के विरुद्ध है, उसे छोड़ देना चाहिए, जो मानव-स्वभाव के अनुकूल है, उसे बचाना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि जहाँ कहीं भी कुछ आदमी समूहों में रहने लगेंगे वहीं जिसी न-किसी प्रकार का 'जातीर' भेद-भाव उत्पन्न हो जायगा। इस प्रकार का भेद कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। प्लेटो ने, जो संसार के बड़े से बड़े विडानों में हुआ है, अपने आदर्श समाज को चार भागों में बोटा। उसका बैटवार्य प्राचीन हिन्दू जाति-व्यवस्था के ही अनुरूप

है। हमें बुगाइयों से उच्चते हुए चार वर्णों में दृष्टा हुई जाति व्यवस्था को उसके मूलरूप में स्वीकार करना चाहिए। जाति का आधार गुण और कर्म होना चाहिए, केवल परम्परा नहीं, जैसा कि वर्तमान व्यवस्था में है। हम जाति व्यवस्था के विरोधियों से यह पृथ्वीना चाहेंगे कि वे इसके स्थान की पूर्ति क्याकर करेंगे और अपने नये समाज को वह किस सिद्धांत पर संगठित करेंगे। जब तक समाज संगठन की नई योजना हमारे सामने नहीं आ जाती तब तक हम इस व्यवस्था का एकदम मिथ्या देने का अनुरोध नहीं स्वीकार कर सकते।

जातीय पचायतें— जाति-व्यवस्था के एक अधिय लक्षण 'छूआळूत' के निरीक्षण से पहले इसके एक महत्वपूर्ण अङ्ग 'जातीय पचायतो' पर प्रकाश डाल देना समीचीन होगा। जातीय अनुशासन तथा उसके नियमों-उपनियमों के लागू करने के ये ही कुछ परम्परागत तरीके हैं। एक जाति के सभी मामले जाति की पचायत के समने पेश किए जाते ये और इसी न द्वारा उनका पैसला होता था। पचायत अपराधी पर जुर्माना कर सकती थी और उसे विरादी से भा निकाल सकती थी; यह किसी विवाह की अनुशुल्क ठहरा सकती थी या किसी स्त्री को पुनर्विवाह की आशा दे सकती थी। अप्रेजी न्याय-व्यवस्था के विकास ने इस, किसी समय प्रमुख तथा लाभदायक, स्थान को बड़ा धक्का पहुँचाया। पाश्चात्य विचारों का भी इस पर बड़ा बुध प्रभाव पड़ा। ऊँची जातियों के पढ़े लिखे सदस्या द्वारा तो आजकल जाति पचायता का निर्णय बहुत कम स्वीकार किया जाता है। सामाजिक तथा व्यक्तिगत मामलों में ये आत्म निर्णय के अधिकार का प्रयोग करते हैं। सान-पान, देशे तथा सामाजिक सम्पन्नों के मामले में ये जातीय नियमों का खुल्लमखुल्ला उल्लङ्घन करते हैं। किन्तु 'नीची' जातियों तथा ग्रामीण ज़र्ज़ा में जातीय पचायत अब भी जोर रखती है।

छूआळूत'

इसकी प्रकृति— छूआळूत की व्यवस्था भी जिसके लिए हिन्दू-धर्म की टीक गालोचना की जाती है, लगभग उतनी ही पुरानी है जितनी जाति-व्यवस्था। जाति-व्यवस्था के प्रमुख चार वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, को छोड़कर देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों सहित अनेक छोटी छोटी जातियों हैं जो सामूहिक रूप से 'अळूत' या 'जाति-बाहर' मानी जाती हैं। पजात और उत्तर-प्रदेश में उन्हें भगी, चमार, कोली तथा ढोम, बगाल म नामशूद्र, महाराष्ट्र में माहार, मैयूर में बोक़लिंग तथा मलायर म धिया (Thiyya) कहते हैं। अळूतों को कमाकमी, किन्तु गलती से, दलित वर्ग भी कहते हैं क्याकि इस शब्द का अर्थ प्रभूत है और उसमें वे वर्ग भी आ जाते हैं जो अळूत नहीं हैं, जैसे खटिक। दलित वर्ग की अनुमानित जन-संख्या भारत की कुल जन-संख्या की २० % है। महात्मा गांधी उन्हें 'हरिजन' कहना अधिक पसन्द करते थे, जिसका शान्तिक अर्थ है 'ईश्वर के बन्दे'।

'अच्छूत' से स्पर्श किया हुआ कोई भी व्यक्ति या वस्तु गन्दी समझी जाने लगती है, इसी लिए उन्हें अच्छूत कहा जाता है। एक सवर्ण हिन्दू किसी अच्छूत का छुआ भोजन या पानी नहीं लेगा और उससे स्पर्श किये जाने पर उसे स्वयं नहाना पड़ेगा या पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करना पड़ेगा। दक्षिण भारत में छुआच्छूत का ग्रन्थ 'निकट न आना' तक हा गया है। वहाँ ऐसी जातियों हैं जो सबणों की दृष्टि में बातावरण तक को गन्दा कर देती हैं, यानी उनकी उपस्थिति कुछ दूर तक बायु को भी दूरित कर देती है, इसलिए वे किसी सवर्ण हिन्दू के समीप निश्चित दूरी तक ही आ सकते हैं। इसके अनिरिक्त यह दूरी सभी अच्छूत वगा के लिए एक सी नहीं है। कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जिनकी बेवल छाया उस वस्तु को दूरित कर देगी जिस पर वह पढ़ती है। कुछ हरिजन किसी उच्च वर्ण व हिन्दू के ६० पीएं की सामा के अन्दर नहीं आ सकते। मध्यात्र के [तनेवल] जिले में एक ऐसा भी वर्ग है जिसके सदस्यों का दिन में बाहर निकलने की आज्ञा ही नहा है, व अपने घर से बेवल रात म ही बाहर निकल सकते हैं। वे इतने नीच समझे जाते हैं कि उनका छाया या स्पर्श की तो जात ही क्या, उनका दिनचाइ पढ़ जाना भा निपिद्ध माना जाता है। इस प्रकार उन्हें छुना या उनमें निकट जाना ही नहीं मना है, जल्कि उन्हें द्रेपना भी मना है। उत्तर भारत में ऐसी भावणा नहीं है। ऐसी भयकर छुआच्छूत दक्षिणी भारत तक ही सीमित है। दूसरी दृष्टियों से भी छुआच्छूत उत्तर भारत में उतनी बीड़ड नहीं है जितनी दक्षिण भारत में। इत्याम् के प्रभाव का भी इस अन्तर से बदाचिक् बुछु सम्बन्ध है।

अच्छूतों की असमर्थताएँ— अच्छूतों का जीवन कठिन है। उन्हें जीवन में हीनता, दासता, मानसिक तथा नैतिक असमर्थता ही भोगनी है। जिसे वे बड़ा समझते हैं उसमें सामने उनका जैसा व्यवहार होता है उसे देखकर वह प्रतीत होगा कि उनमें मनुष्योचित गौरव तथा आत्मसम्मान की भावना है ही नहीं और उन्होंने अपने का मनुष्यतार प्राप्तियों की ओर भी उतार दिया है। उनकी दयनीय दशा तथा पतन की गहराई का अनुमान नीचे दिये हुए दीननंधु एंड्रूज तथा महात्मा गांधी के व्यक्तिगत ग्रनुभवों से किया जा सकता है।—

(1) 'मुझे स्मरण है कि जब मैं मलाचार में एक दीना अच्छूत स्त्री के पास गया तो मैंने देखा कि अपनी गोद में एक 'धकाल' बच्चे को लिये वह अपने दूसरे मरमुखे बच्चों दे साथ अपनी झोपड़ी में सिमटी पड़ी थी। मुझे देखते ही वह डरायने स्वर में चिल्ला उठी, हालाँकि मैं भारतीय था, खादी पहने था और मुझे कोई अपसर समझने की गुजायश नहीं थी। वह इस भय से आक्रात थी कि मैं उसकी उपस्थिति में अपवित्र हो जाऊँगा और नाराज होकर इसके बदले म उसे सजा दूँगा। मैंने जब उसका भय से अभिभूत चेहरा देखा तो मुझे ऐसा धक्का लगा कि वहूत दिनों तक मुझे उसका वह रूप न भूला।'

(२) 'सब से अधिक निकट रेलवे स्टेशन के इकतीस मील की दूरी पर नोसपुर में बैठा जग में दीनदन्धु सी० एफ० एंड्रूज से बातें कर रहा था, तो अपनी आधी झुकी कमर में बैचल एक गन्दा चिथड़ा लपेटे एक ग्रन्हूत हम लोगों के सामने झुका और दूसरी ओर उसने एक तिनका उठा कर अपने मुँह में रख लिया और दोना हाथों द्वा० पैलाकर यह लेट गया। इसने बाद यह रठा; उसने हाथ जोड़े, तिनका मुँह के बाहर निकाला, उसे अपने बाला में लगाया और पिर लगाने लगा।' मुँह में तिनका रखने का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि यह बैचल 'महात्मा' का आदर करने के लिए किया गया था। महात्मा जी का सिर शर्म से नीचे झुक गया। 'इस आदर का मूल्य इतना अधिक था कि उसे बर्दाश्त करना मेरे लिए कठिन हा० गया मेरी हिन्दू आत्मा को गद्दा चोट पहुँची।'

सर्वर्ण हिन्दुओं की कुछ ऐसी मान्यताएँ तथा रस्म-रिवाज हैं जिन्होंने अद्यूतों को उनकी इस दयनीय तथा दुःखभरी स्थिति तक पहुँचा दिया है। हम उन्हें अपने मन्दिरों में प्रवेश नहीं करने देते और न उनकी धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति का हमने काँई प्रयत्न नहीं किया है। हमने उनकी रहने की जगह को अपनी बस्ती से दूर कर दिया है। यही नहीं, हम उनके बच्चों को अपने स्कूलों तक में नहीं धुसने देते। इस तरह तथा अन्य कई रूपों में वे धर्म के ऊपर प्रभाव से दूर रखे जाते हैं जो मनुष्य की सभ्य बनाता है। उच्च वर्णों के निकट सम्पर्क में आने का उन्हें अवसर ही नहीं मिलता। जूदून उठाने के रिवाज तथा मरे जानवरों का मौस खाने की आदत के कारण उनकी दशा और भी दयनीय हो गई है। उनकी गरीबी भी यर्थन के परे है। उनकी गरीबी का सप्तसे बड़ा कारण यह है कि वे सप्तसे नीचे तथा सप्तसे कम आमदनी के पेशों में समित कर दिये गये हैं। निरक्षरता तथा अन्य-विश्वास भी उनकी बीस डालने वाली गरीबी के कारण है। जिस दशा में रहने के लिए वे बाध्य किये गये हैं उसने विशद चित्रण के लिए उनकी विविध असमर्थताओं का निर्देश आवश्यक है। ये असमर्थताएँ निम्नलिखित चार भागों में विभाजित की जा सकती हैं : सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक।

सामाजिक असमर्थताएँ— अद्यूतों की सामाजिक असमर्थताएँ अनेक तथा कई प्रकार की हैं। उनमें से कुछ का लिक ही चुमा है, जैसे, उनके रहने के स्थान कँची जातियों की बस्तियों से एकदम अलग है। उनके निवास-स्थान गन्दे हाते हैं और वहाँ पानी तथा रोशनी का भा० कोई उचित प्रबन्ध नहीं रहता। उनके सर्व से आठमी तथा बलुएँ अपवित्र हो जाती हैं, इस मान्यता के कारण उनकी सामाजिक

असमर्थता बहुत बढ़ जाती है और इसका बड़ा भयकर प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि वे सबर्ण दिनुग्रों से कुआ से पानी नहीं ले सकते, तालाबों में नहा नहीं सकते और अपने बच्चों को स्कूलों में अन्य बच्चों के साथ शिक्षा के लिए भेज नहीं सकते। शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ जहाँ थोड़ी और सीमत हीं उस देश में इस अन्याय की कल्पना सहज ही में की जा सकती है। उनके निरक्षर तथा मूर्ख बने रहने का यह सबसे बड़ा कारण है। अनेक जगहों में गाँवों में उन्हें विद्याह के अवसर पर अपने बर-वधू को पालकों में ले जाने की आशा नहीं है, उनकी औरतों को सोने चादी के गहनों का प्रयोग करने की तथा पुरुषों को कमर से ऊपर बस्त पहनने की आशा नहीं है। वे बेगार वे लिए भी मजनूर किये जाते हैं। दक्षिण भारत के कुछ भागों में तो उन्हें कुछ सड़कों पर चलने तक की आशा नहीं है। मद्रास राज्य ने एक जिले में कलारों ने कुछ ऐसी आशाएँ निकाल दी थीं और उनका पालन अचूतों ने लिए आवश्यक कर दिया गया था। इन आशाओं में यह भी था कि धूप या वर्षा से बचने के लिए वे छाते का प्रयोग न करे और न खाना चनाने के लिए वे मिट्टी के बर्तनों को छोड़कर अन्य बर्तनों का प्रयोग ही करें। ये आजाये १६३० ३१ भ निजाली गयी थीं।

धार्मिक असमर्थताएँ— इनके अनुसार अबूता को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने तथा मन्दिरों में घुमने की आशा नहीं है। वे जनें कि पहनने के भी अधिकारी नहीं हैं। इससे भी बुरी नात तो यह है कि हिन्दू समाज ने उनकी धार्मिक शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया है और उनकी आध्यात्मिक दशा की देख-भाल करने के लिए शिक्षक भी नियुक्त नहीं हैं। ईश्वर ने इन उपेक्षित तथा परिवर्तक बच्चों की सोज-खबर बेचल सन्धारिया ने ली है। उनके पतन मध्यम धार्मिक असमर्थताओं का कुछ अधिक हाथ नहीं है। किसी भी अन्य धर्म में इनकी प्रशंसनी की चोज देखने को नहीं मिलेगी। अबूता को मनुष्य के मूल ग्रंथिकारों से भी विच्छिन्न रखा गया है।

आर्थिक असमर्थताएँ— आर्थिक दृष्टि से भी अबूता सबसे गन्दे तथा सबसे कम लाभ बाले पेश करने वे लिए जाध्य किये गये हैं जैसे भूषु देना तथा चमड़ा साफ करना आदि। गाँव में उनके पास अपनी भूमि नहीं रहती और भूमि के मालिकों द्वारा वे ग्रहूत कम मजदूरी पर खेत में काम करने वे लिए नौकर रप लिये जाते हैं। इस प्रकार वे सबसे नीची आर्थिक स्तर पर हैं। उन्हें आधिकार अन्य पेशों के करने की आशा भी नहीं है और इस तरफ उनकी आर्थिक कठिनाइयाँ और भी भीषण बन गई हैं।

राजनीतिक असमर्थताएँ— क्या इन भीषण बन्धनों के बीच रहने वाले किसी आदमी से राजनीतिक जीवन में हाथ बटाने की आशा की जा सकती है? पहिले अबूत के लिए ग्राम पञ्चायत में कोई जगह न था राज्य में भी वह कोई पद नहीं

प्राप्त कर सकता था। प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं की स्थापना के पूर्व सदिया तक बोट देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था।

कपर द्रिये हुए विवेचन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अछूत लोग मानव जाति के सबसे अधिक सताये जाने वाले लोगों में हैं और सबर्ण हिन्दू मनुष्यों में सबसे अधिक कुछ तथा हृदयहीन व्यक्ति हैं। परन्तु कुछ ऐसी बातें हैं जो अछूतों की मुसीबतों तथा परेशानियों को कुछ कम कर देता है और यह भी प्रदर्शित करती है कि सबर्ण हिन्दू उतना हृदयहान नहीं है जितना वह समझा जा सकता है। यदि अछूतों का गन्दी ग्रादतों के बारण वे उन्ह ग्रपने कुओं से पानी नहीं भरने देते थे तो वे पानी के लिए एक ऐसा हौज भी रखते थे जिसमें से नीची जातियाँ आवश्यकता य अनुसार पानी ले सकता थीं। यदि परम्परा से अछूत गन्दे पेशे करने के लिए ही चाध रहे तो उन्हें कुछ ऐसे अधिकार भी य जिन्हें कोई द्यीन नहीं सकता था। खेत कटने के अवसर पर अप्टद देने वाले के अनाज का घपना भाग मिलता था और पौद्धारा के अवसर पर सभी नाच काम करने वाला को भोजन कराया जाता था। इसका अर्थ यह नहा है कि व्यवस्था वो ठाक बतलाने के लिए यह सब कहा जा रहा है तात्पर्य वेबल यह है कि अपनी सेवाओं के बदले अछूतों का समाज ने कुछ न कुछ अधिकार भा दे रखके थे। यह दिलाना भी उचित हांगा कि कुछ ऐसे धार्मिक वृत्त्य हैं जिनका सम्पादन या कामी-कभी प्रारम्भ भी नीची जाति के किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के कई भागों में किसी सबर्ण हिन्दू का शब तब तक नहीं ललाया जा सकता जब तक नीची जाति के किसी व्यक्ति द्वारा करी लकड़ी उपलब्ध न हो जाय। इसी तरह ग्रिना किसी अछूत के अर्थ दिए कुछ देवताओं को अर्पण या अर्ध नहीं दिया जा सकता। *

असूरश्यता-निपारण के आनंदोलन— हिंदुत्व के धबल नाम पर असूरश्यता सबसे बड़ा कलरु है। ईश्वर तथा मानवता के विहृदय यह पाप है। समाज का एक ग्रंथ इतना अधिक दग्ध दिया गया है कि उसके शरीर का स्पर्श ही अपवित्र नना देता है जिससे सून्नकरा पाने के लिये स्नान की आवश्यकता पड़ती है। मानवता के विहृदय इससे भी बड़ा पाप हा सकता है। धर्म ने नाम पर इस व्यवस्था से चिप्पे रहना ईश्वर के विहृदय पाप है। इस पाप के लिए हिंदू भरपुर भोग चुके हैं। महात्मा गांधी न ठीक ही कहा था कि 'असूरश्यता' का पाप के लिए क्या हम भोग नहीं चुके हैं? क्या जैसा हम लोगों ने चाया है वैसा काना नहीं है? क्या हम लोगों ने डायर तथा आदायर का नृशस्ता अपने ही भाइयों न साथ नहीं दिखाई है? हम लागों ने अछूतों को अनग कर रखा है और इसके बदले हम लाग प्रिण्टिश उपनिवेशी भ अलग कर

* अन्य उदाहरणों के लिए देखिए डाक्टर कुमार कानन की 'सिविलाइजेशन एवं वे', अध्याय ५।

दिये गये हैं। हम उन्हें जनता के कुओं का उपभोग नहीं करने देते, हम उन्हें खाने के लिए अपना जूठन देते हैं। उनकी परछाई तक हमें अपवित्र कर देती है। यदि अद्वृत हमारे प्रति ऐसी अप्रिय भाषा का प्रयोग करते हैं जैसी हम अमेजों के प्रति, तो इसमें आश्र्वय क्या है? १६०३ यह एक आशाप्रद लक्षण है कि अपने एक अग के प्रति की गई गलता की भीषणता हिन्दू समाज समझने लगा है और इस भयानक फोड़े से अपनी रक्षा करने के लिए वह उत्सुक हो गया है। इसने निवारण का आनंदोलन तो अभी दाल ही में शुरू हुआ है। हिन्दुओं की सामाजिक तथा धार्मिक आत्मा इसे बहुत समय तक ईश्वर प्रदत्त विधान मानती रही। नीचता तथा पतन का जीवन चिताने के लिये भारतीय मानवता के एक अश का लगातार गाथ करते जाना बुरा नहीं समझा जाता था। ऐसा जीवन पूर्व जाम म किये पापों का उपयुक्त दड समझा जाता था। अद्वृत भी अपने साथ किये गये व्यवहार में सतुर्ध रहते थे गोथा वे इससे अच्छे व्यवहार के अधिकारी ही नहीं थे। लेकिन यह सब अब पढ़ल गया है। हिन्दू समाज अतीत में किये गये अपने लुरे कमों के प्रायशिच्च म लगा हुआ है और अद्वृत अपना जीवन-स्तर तथा समाज में स्थान बढ़ाने में लग गया है।

यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इन दलित वर्गों के उत्थान का सक्रिय प्रयत्न इसाई पादरियों ने किया जिहोने इनके गीच कार्य करके इन्हें हजारों की सख्ता में अपने धर्म में दीक्षित कर लिया। ईसाई धर्म में दीक्षित इन व्यक्तियों ने अपनी गन्दी आदते लोड़ दी, उन्हें एक नया सम्मान मिला और वे ईसाई समाज के सभ्य सदस्य बन गये। इस हास्तात ने समझदार हिन्दुओं की निद्रा भग की और अपने पददलित भाइयों की ओर उनकी वर्त्तय बुद्धि जागृत की। आर्य-समाज ने इनके उत्थान का बीबा उठाया और शुद्ध करने के कुछ धार्मिक कृत्यों के पश्चात् उन्हें अपने समाज में ले लेना प्रारम्भ कर दिया। प्रगाल में ब्रह्म-समाज ने भी उनका जीवन खतर ऊँचा करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। कई हिन्दू समाज-सुधारकों ने अद्वृतों की आधिक तथा शक्ता-सम्बधी उभात के लिए 'दलित वर्ग मिशन' स्थापित किये। १६०३ म स्वर्गीय गोपालकृष्ण गोपले की एक वक्तृता में लोगों को इस बदले दृष्टिकोण का परिचय मिला था। अपनी इस वक्तृता में उन्होंने लूआद्वृत की इस व्यवस्था की मरणांशी की थी और कहा था— 'यह व्यवहार चिताना मूर्खता-पूर्ण है कि जप तक अद्वृत हमारे धर्म में रहते हैं, हम उन्हें अपने धर्मों में नहीं आने देते और न उन्हें अपने मैमिलने जुलेन देने हैं लौकिक बवेवे हमारा धर्म छोड़ कर हेठ कोट पैन्ट पहन कर ईसाई बन जाते हैं, तो हम उनसे हाथ मिलाते हैं और उनका आदर करते हैं।' लेकिन हिन्दू समाज बहुत दिनों तक इस आनंदोलन को उपेक्षा की दृष्टि से देखता रहा। कई जगहों में तो कहर हिन्दुओं ने इसका सक्रिय विरोध

निया। मिरोध की गहराई इस गत से जाँची जा सकती है कि १६१० में जनगणना के समय यह प्रस्ताव रखा गया कि अनुद्वतों के हिन्दुओं के साथ नहीं गिनना चाहिए।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने छूआळूत के निवारण को अपने कार्य-क्रम का एक प्रमुख अङ्ग घनाया। इससे हवा बहुत कुछ पढ़ली। कई बार भाषण करते समय गांधी जी ने यह घायित किया था कि मारतीया की यज्ञतिरहीनता उनके छूआळूत रूपी पाप का ही परिणाम है और इसी लिए वे अप्रेजी सामाज्य में 'बाति-बाहर' सदृश हो गये हैं। उन्होंने लोगों के सामने अपना यह विश्वास अक्सर प्रदर्शित किया था कि जब तक छूआळूत की बला लोगों दे दीच से नहीं हट जाती तब तक स्वराज असम्भव है। उनके शब्द हैं कि 'जब हिन्दू जनवृक्ष कर सज्जे हृदय से, नीति दे रूप में नहीं गलिक ग्रात्म शुद्धि की भावना से, छूआळूत का विचार ल्याए देंगे, तो उनका यह कार्य राष्ट्र का उचित कार्य करने की एक नई शक्ति देगा और इसलिए +राज की प्राप्ति म सहायक होगा। हममें एकता नहीं है इसलिए हम शक्तिरीन हैं। जब हम इन पाँच करोड़ अनुद्वतों का अपना समझेंगे तो एकता का महत्व हमारी समझ में आयेगा। यह एक कार्य शायद हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न को भी मुनाफ़ा देगा, क्योंकि इसमें भी अम्बशरता का विष प्रलयन या परोक्ष रूप में काम कर रहा है। हिन्दूत्व की रक्षा के लिए यदि इस प्रकार की इनिम दीवार की आवश्यकता है तो वह अपश्य हा कमज़ोर धर्म है। ग्रहमठाबाड़ में १३ अप्रैल, १६२१, ने एक भाषण में गांधी जी ने कहा था कि अनुद्वतों का उदार तथा गोमाता की रक्षा ही उनकी प्रबल इच्छाओं में से दो ऐसी हैं जिन्होंने उन्हें जीवित रख द्योगा था। 'इन दो इच्छाओं की पूर्ति में ही स्वराज है और मेरा अपना मोक्ष है।' इस उठाई के उन्नत्सुन में उनके इस अनवरत प्रचार का गहरा असर पड़ा, किन्तु निर भी जनता ने बास्तव में इसके प्रियद अपनी आवाज नहीं उठाई। इसके लिए और बोरदार कट्टम उठाने की आवश्यकता थी। १६२२ तथा १६२३ ने महात्मा जी के दो नड़े उपवासों से यह कभी पूरा हुई। इन उपवासों के प्रभाव से जनता एकटम प्रभावित हो उठी और प्रश्न वैदिक धरातल से उठ कर भावनात्मक धरातल पर जा पहुँचा। प्रियंश भारत में अनेक स्थानों पर अनुद्वतों के लिए मन्दिर सोल दिए गए। इसके श्रीतोरेक श्रवनकार तथा अन्य रियासतों ने अनुद्वतों सहित सभी जातियों के लिए मन्दिर खुले रहने का आदेश नियाल दिया। सर्वर्ण हिन्दू इन लोगों की चलियां में जाकर गलियां में भड़ाड़ लगाते तथा उनकी सफाई करते थे, उनके बच्चों को नहलाते थे तथा अन्य लोगों से भी वे उन्हें अपना ही अग दिल्लाने की चेष्ठा करते थे। बाद में महात्मा जी बच कभी दिल्ली जाते थे तो भगी कानोनों में ही ठहरते थे। इसका भी हिन्दू हृदय तथा मन्त्रिक पर प्रभाव पड़ा।

इन लोगों की उन्नति तथा छुआछूत की समाप्ति के लिए आनंदोलन श्रम भी जारी है। इस महान् कार्य में अनेक समितियाँ लगी हुई हैं जिनमें सबसे प्रमुख महात्मा जी द्वाय स्थापित की हुई 'हरिजन सेवक संघ' है। दूसरी है पंजाब के कुछ प्रमुख आर्य-समाजियों द्वाय चलाई गई 'दलित-उदाहरणभा'। स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले द्वाय स्थापित 'सरवैष्टस् ओप इंडिया सोसायटी,' स्वर्गीय लाला लाजपतराय द्वाय स्थापित 'सरवैष्टस् ओप दि पीपुल सोसायटी' तथा अन्य कई दलित वर्ग मिशन कार्य कर रहे हैं। इससे अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि ग्रन्थाता में स्वयं एक चेतना आ गई है और वे अपनी स्थिति सुधारने में लगे हुए हैं। मद्रास में श्री राजगोपालाचारी के प्रधानमन्त्रित्व में कार्पोर-मन्त्रिमण्डल ने 'सिविल डिजिलिटीज रिमूवल एक्ट' तथा 'भलाबार रैमिल एन्ड्री एक्ट' पास किया था। हाल में ही वर्म्बै तथा उत्तर-प्रदेश ने एक कानून निकाल दिया था जिसके अनुसार किसी भी रूप में छुआछूत का पालन कानून भुमि ठहराया गया था। वर्म्बै सरकार उत्तर प्रदेश-सरकार से एक कदम इस अर्थ में आगे है कि उसने दिखाई पड़ जाने वाले छुआछूत के विचार तक को जुर्म मान लिया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सविधान ने ग्रस्तृश्यता को किसी भी रूप में जुर्म माना है। छुआछूत द्वाय उत्तर हुई किसी भी असमर्थता का प्रयोग एक जुर्म होगा जिस पर कानूनी सजा दी जा सकती है। इस प्रकार इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि जहाँ तक हिन्दू समाज की कानूनी आत्मा का सम्बन्ध है, छुआछूत अब ग्रन्ति की ही चीज़ कही जा सकती है। यह कहना अभी उपयुक्त न होगा कि यह बुराई अब सारहप में भी अवशेष नहीं है। उद्देश्य तक पहुँचने तथा अछूत वर्ग को अन्य वर्गों के साथ चराचरी का दर्जा दिलाने और उन्हें विशाल हिन्दू समाज के ही सदस्य बनाने में अभी अटूट लगन और अथक परिश्रम की आवश्यकता है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार हो, इसे महात्मा जी ने अपने जीवन म हा साप्त कर दिया था। उन्होने स्वयं एक हरिजन लड़की का अपनी लड़की के सदृश स्वाकार कर लिया और उसका अपने परिवार के ही एक सदस्य के समान पालन-पोपण किया। वह उनके साथ सर्वर्ण हिन्दुओं के घर जाती और पूरा आदर पाती। बाद में उन्होने उसकी एक सर्वर्ण हिन्दू से शादी भी कर दी। हरिजन लड़के-लड़कियों को अपने परिवारों में लेकर और अपने बच्चों के मध्य उनका पालन-पोपण करके हम राष्ट्रियता के पवित्र उदाहरण पर चल सकते हैं। फिर भी, यह एक बड़ा ही साहसर्पूर्ण काय है और सर्वत्र इसका पालन नहीं हो सकता। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ होगी उन्हें घरेलू कामों के लिये नौकर रख लेना, वे खाना बनाने वे लिये भी रखवे जा सकते हैं। इस प्रकार इस धृणित प्रथा का अन्त अवश्य हो जायगा।

इन सबरें अतिरिक्त महात्मा जी ने अछूतों के मन्दिर-प्रबंध पर भी चहुत जार दिया था। अब डॉ. अम्बेदकर की तरह जो मन्दिर प्रबंध को योड़ा वह बिल्कुल ही महत्व

नहीं देते और यज्ञोत्तिक अधिकारों को अधिक आवश्यक मानते हैं, वे इस ज्ञात को भली प्रकार नहीं समझ पाये कि छुआछूत की समस्या मुख्यतः सामाजिक तथा धार्मिक है, उज्ज्ञानिक नहीं। असृष्टता का निवारण तब तक असम्भव है जब तक अद्युत लोग रहन-सहन की गन्दी आदतों का परित्याग नहीं करते। उन्हें रहन सहन के साप सुधरे दग की ओर आकर्षित करने के लिए मन्दिर प्रवेश से बढ़ कर दूसरी बोई चीज़ नहीं है। वे गन्दे शरीर पर गन्दे बपड़े पहिन कर और शराब में मस्त होकर भगवान की पूजा करने को दिम्मत नहीं कर सकते। वे धर्म के लिये मृत-जीवों का माँस-भक्षण तथा नशीली बलुआ का सेवन भी छोड़ सकते हैं। गो अनेक मन्दिरों में हरिज्ञों के प्रवेश की आज्ञा दे दी गई है फिर भी बट्टर हिन्दुओं को यह माँग अभी तक सहन नहीं हुई है। उनके मन में जो हिचक है उसकी जड़ बहुत गहरी है, उनके विरोध पर विजय पाने में एक या दो पीढ़ियाँ लग सकती हैं। असृष्टता-निवारण के लिए मन्दिर प्रवेश का बहुत ही अधिक मूल्य है। बुलु लोग शूक्तर्जन्तीय सान-दान का भी समर्थन करते हैं। पर यह अनिवार्य नहीं माना जा सकता और इससे हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कुछ अधिक सहायता भी नहीं मिलेगी। इसका मूल्य वेवल प्रदर्शन या प्रचार के लिए है।

हरिज्ञों को उन बुद्धों से पानी लेने की भी आज्ञा नहीं रही है जिनसे सप्तर्ण दिनु पानी लेते हैं। सौमांग्यवश शहरों में यह चीज़ समाप्त हो रही है और नये सविधान की धाराओं का अधिकाधिक प्रचार होने से यह चीज़ गोंदों में भी समाप्त हो जायगी।

सप्तर्ण हिन्दुओं के बच्चों के साथ हरिजन बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाने का आनंदोलन और पकड़ता जा रहा है। वे अब जिन रोक-टोक भर्ती किये जा रहे हैं और अनेक जगहों में हरिज्ञों के लिये अलग स्कूलों की भी स्थापना हुई है। असृष्टता के समूल विनाश तथा सप्तर्ण हिन्दुओं के समक्ष उन्हें लाने के लिए शिक्षा का प्रचार सबसे अच्छा उपाय है। यह प्रसन्नता का विषय है कि लगभग सभी राज्य-सरकार हरिज्ञों में शिक्षा-प्रमार्शे के लिए क्षुग्रन्ति तथा निःशुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान कर रही है।

ये तथा इस प्रस्तर के अन्य उपाय गवर्नेंट तथा सप्तर्ण हिन्दुओं द्वाना ये लिए मुलभ हैं। इन उपायों को स्वयं हरिज्ञों का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। हरिज्ञों की कुछ गन्दी तथा नीच आदतें इस मार्ग में सप्तसे बड़ी बाधा हैं। वे सोगों कर जड़न उठाते हैं और उनमें से कुछ मृत-जीवों का माँस भी खाते हैं। उनमें स्वयं ऊँच नीच की मावना है, वे बड़े नुक्कों में ढैटे हुए हैं। इस भेट भाव में ही असृष्टता का नियास है। असृष्टता के विनाश ने लिए इन सबका विनाश आवश्यक है। अप्रैल सन् १९२१ में अहमदाबाद की एक सभी बांगों की समिलित सभा में हरिज्ञों को सम्बोधित करने हुए महात्मा जी ने निम्नलिखित शब्द कहे थे : 'आपको अपने

उत्थान के लिये अपने को पवित्र बनाना पड़ेगा। आपको शराब पीने जैसे बुरी ग्रादतों से छुटकारा पाना पड़ेगा ग्रापको आत्म निर्भर बनना पड़ेगा । आपको अब नूठन लेने से इनकार कर देना चाहिये, देखने म वह चाहे कितना भी स्वच्छ कपों न प्रतीत हो। आप बेवल अनाज स्वीकार करें— यह भी अच्छा अनाज, सदा नहीं— और वह भी तभी जब वह उदारतापूर्वक पढ़ा गया हो। मैंने जो कुछ आपसे कहा है यदि आप उतना सब कर लगे तो विश्वास मानिये, आपका कल्पण व्यवस्थ होगा— चार पाँच महीनों में नहीं, कुछ ही दिनों में।

इस बुराई को दूर करने में हमारे मूनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये स्थाएँ अछूतों की नितियों को स्वच्छ और स्वास्थ्य के अनुकूल बनाने तथा उनमें कुएँ खुदवाने के लिये रूपये दे सकती हैं। वे उनकी शिक्षा के लिये सात्रि-स्कूल तथा बाच्चनालय आदि खुलवा सकता हैं। इन सब के साथ उनकी आर्थिक दशा का भी सुधार होना चाहिये। कुछ ऐसे मार्ग जो उनके लिये अब तक बन्द थे, खुल जाने चाहिए, जैसे, पुलिस तथा फौज में भी उनकी भर्ती होनी चाहिये। इस तथा अन्य कई दिशाओं में कई प्रयत्न किये गये हैं और यह आशा की जाती है कि हिन्दुओं की सामाजिक आत्मा, जो महात्मा जी के उपवासों तथा अन्य कार्यों से जाग कर सकिया हो चुकी है, पूरी तरह क्रियाशील हो उठेगी और यह उस्ति, व्यवस्था कुछ ही दिनों में बेवल अतीत की ही बन्तु रह जायगी।

सम्मिलित परिवार

इसकी प्रकृति— सम्मिलित परिवार भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक बुनियादी विशेषता है, जिसने भारताधि चरित्र तथा जीवन प्रणाली पर गहरा प्रभाव डाला है। जाति-व्यवस्था की माति यह भी मुख्यतः एक हिन्दू सम्पद है हालाँकि देश म रहने वाली अन्य धार्मिक जातियों में भी यह व्यवस्था प्रचलित है। सम्मिलित परिवार में पुत्र पश्चिमी देशों की भाँति विवाह के बाद दूसरा परिवार नहीं बनाता बल्कि उसी पैतृक घर म रह कर परिवार के ग्रन्थ सदस्यों के साथ उन वे दुख-सुख में हाथ बैठता है। इस प्रकार तीन चार पुश्ती के बाद एक ही परिवार बढ़कर एक सम्मिलित बड़ी इकाई बन जाता है। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनमें सम्मिलित परिवार वे सदस्य मिलकर लगभग एक सैकड़ा हा जाते हैं जिसमें दादा, बाबा, माँ, बाप, चाचा, चाची, भाई, बहन, चचेरे भाई, बच्चाहित भाई और उनके बच्चे, भतीजे, नातिनें और कभी कभी लड़के वे लड़के के लड़के तक सम्मिलित रहते हैं। ये सभी एक घर म रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और जायदाद के सम्मिलित स्वामी बने रहते हैं। बेवल यही नहीं कि भोजन तथा जायदाद के मामले में परिवार सम्मिलित रहता हो बल्कि धर्म की दृष्टि से भी यह एक

ही रहता है। परिवार के बल सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से ही एक समुदाय नहीं है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी वह अधिभाज्य है जिसमें एक ही धार्मिक कृत्य किये जाते हैं और एक ही देवता की पूजा की जाती है। वही धार्मिक बन्धन परिवार को अन्य सामाजिक तथा आधिक समुदायों से ग्रलग रखता है क्योंकि अन्य समुदायों में धर्म की भावना को स्थान नहीं रहता।

यह समझना आवश्यक है कि किस अर्थ में सम्मिलित परिवार के सदस्य जायदाद के सम्मिलित स्वामी होते हैं। सबसे पहले, परिवार म जन्म लेने वाले लड़के पैदा होने के साथ ही परिवार की जायदाद के लोट मालिक बन जाते हैं। दूसरे, इसका अर्थ यह है कि परिवार का कोई भा सदस्य रुपये पैसे का हिसाब अलग नहीं रखता, सबकी कमाई इकट्ठी हो जाती है और इस एकत्रित धन से ही परिवार का पूरा खर्च चलता है। पारिवारिक व्यवस्था की यह विशेषता है कि स्वयं न कमाने वाले सदस्यों के भी वे ही अधिकार होते हैं जो कमाने वाले सदस्यों के, कमाने वाले सदस्यों का काई विशेष अधिकार नहीं मिलता। जब परिवार दूटता है तो सभी पुरुष-सदस्य कानून के अनुसार जायदाद म अलग ग्रलग हिस्सा ले लेते हैं।

सम्मिलित परिवार की एक और विशेषता का भी जिक्र होना चाहिये। परिवार के सभी सदस्य परिवार के सबसे पड़े सदस्य का ग्राहक करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वह पूरे परिवार की जायदाद की देखभाल के लिए उत्तरदायी है और यह भी टेकता है कि कोई सदस्य कोई समाज-विरोधी कार्य तो नहीं करता। भारतीय सम्मिलित परिवार की कुछ विशेषताएँ सम्मिलित जायदाद के मामले में रूस के किसानों के परिवार से मिलती-जुलती हैं और सामाजिक सम्बन्धों को दृष्टि से प्रान्त के परिवारों से।

परिवार-व्यवस्था की अच्छाइयाँ तथा दुराइयाँ— भारतीय सम्यता तथा सुखति के आलोचकों के लिए इस व्यवस्था को बुरा बताना एक प्रकार की आदत सी बन गयी है। इस व्यवस्था के मूल में किसी समय जो आव्याप्तिक आदर्श तथा उस के ग्रन्थे प्रभाव वे उन्हें न देख सकने के कारण वे इसकी बाहरी कमियों पर ही अधिक जोर देते हैं। लोग अक्सर यह वह डालते हैं कि सम्मिलित परिवार शालसियों तथा वेकारों के लिए एक प्रकार का पोषण यह बन गया है। मनस्ती सदस्यों के कमाये धन में से हिस्सा पाते रहने के कारण कुछ लोग सामर्थ्यवान होते हुए भी उत्तादन के कान्यों में लगने का प्रयत्न नहीं करते। इस प्रकार ऐसे सदस्यों की आत्मनिभरता तथा स्वयं कुछ करने की इच्छा फा विनाश हो जाता है और उनमें दूसरों के कधा का भार बन कर रहने की भावना पैदा हो जाती है। अपनी कमाई को दूसरों में बैठ जाते देख कर काम करने वाले सदस्यों पर बड़ा दुर्योग प्रभाव पड़ता है। थोड़े में, सम्मिलित परिवार के विशद्द रखते गये तर्क समाजवाद के विशद्द किये गये तर्कों से

मिलते जुनते हैं। हमें इन तरों को अधिक महत्व प्रदान करने की आवश्यकता प्रतात् नहीं होती क्यों कि वे यह मान कर कहे जाते हैं कि मनुष्य स्वार्थी, आरामतलन और कामचार प्राणी है। यह एक ऐसी मान्यता है जिसकी सचाई पर शक्ति की जा सकती है और कोई भी गई है। सच जात तो यह है कि सम्मिलित परिवार के बीच उन्हीं सदस्यों को आलसी और आरामतलन बना सकता है जिनमें आत्मसम्मान की भावना नहीं है और जो स्वभावत् मुस्त और काहिल हैं। उसमा उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता जिन्हे काम में अनन्द आता है और जो दूसरों के लिए काम करना पसन्द करते हैं। इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि यदि एक और परिवार ने सभी सदस्य अपनी आवश्यकता ने अनुसार परिवार के भाड़ार से सहायता पाने के अधिकारी हैं तो दूसरी आर उस भाड़ार को अपनी शक्ति के अनुसार भरते रहने के लिए वे नैतिक रूप से बाध्य भी हैं। कम्यूनिज़म और सम्मिलित परिवार ने आदर्श कुछ एक तरह के हैं सबसे योग्यनानुसार लेना; सबसे आवश्यकतानुसार देना।

दूसरे, यह कहा जाता है कि इस प्रथा से मुक्तमेवाजी की आदत बढ़ती है। अधिकतर मामलों में चिना कचहरियों में गये जापानी वैटवारा आसानी से नहीं हो पाता। कुछ लोगों वा यह भी कहना है कि वैटवारा और वैटवारे के जाद वैटवारा कराने के कारण भूमि को अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर देने का उत्तरदायित्व भी इसी प्रथा के ऊपर है। लेकिन यह दशा तो उस परिवार की भी हो सकती है जो हमारे परिवार से भिन्न है और जिसम सभसे बड़े लड़के को ही अधिकार देने की प्रथा नहीं है। अन्त म, इस प्रथा की आलोचना इसलिए भी होती है कि इसमे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं मिलता, परिवार के छोटे सदस्यों को हर मासते स गड़ों का कहना मानना पड़ता है, उन्हे अपनी कर्तृत्व-शक्ति के प्रदर्शन का अवसर ही नहीं मिलता। परिवार के अन्य सदस्यों की उपस्थिति म पति-पत्नी को एक दूसरे के अत्यधिक निकट आने तथा आपम में प्रेम बढ़ाने का अवसर नहीं मिलता जो अलग परिवार की व्यवस्था में सम्भव है।

ऐसे तर्क अधिकतर उन्हीं लोगों द्वारा रख्ये जाते हैं जो व्यक्तिवाद की भावना से अोतप्रीत हैं और जिन्हे मानव जीवन की आर नैतिक तथा भावनात्मक दृष्टि से नहीं बत्कि आर्थिक दृष्टि से देखने की आदत पड़ गई है, लेकिन भारत में हमें परिवार के बूढ़े, अपग तथा कम भाग्यवान सदस्या की, नेबल दृष्टा नहीं, यह भार्मिक वृत्तशता के भाव से, सेवा करने की शिक्षा मिली है। सम्मिलित परिवार एक ऐसी पाठशाला है जहाँ मनुष्य को सभसे पहिले दूसरों की नि स्वार्थ और प्रेमभाव से सेवा करने की शिक्षा मिलती है। यह व्यवस्था व्यक्ति को समुदाय की भलाई के लिए रहने की शिक्षा देती है। इसम पारदर्शक सन्भाव तथा दूसरा ने निए लाग करने की भावना का

विकास होता है। परिवार में प्रत्येक सदस्य के कम से कम जीवन-निर्वाह का प्रबन्ध हो जाता है, और यही आर्थिक उन्नति की पहली शर्त है। जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं परिवार उनकी देखभाल करता है और वे तब तक दुनिया में नहीं ढैंके दिये जाते जब तक वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े दौँजे लायक नहीं हो जाते। इसी प्रकार समुक्त परिवार में उन विष्वाशीओं को भी आश्रय मिलता है जो पिर निवाह करके अपनी दृढ़नीय दशा से छुटकारा नहीं पा सकती। जिस प्रकार गज्ज अपने नौकरों को बुद्धाई में पेन्शन देता है उसी प्रकार यहाँ भी बूढ़ों तथा दीन-दुखियाँ की परवरिश हो जाती है। अपझ लोग बेकार होते हुए भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था में स्थान पा जाते हैं और उन्हें उनके योग्य कोई काम मिलता रहता है।^{५०} समुक्त परिवार की व्यवस्था सामाजिक गुणों के लिए शिक्षण-क्लैब, बेकारी की समस्या का हल, अपझों तथा गरीबों को सहायता देने में गज्ज वी समवक्ष तथा अनाथों और विष्वाशी की रक्षा का साधन ही नहीं है बर्तक विपक्षि पड़ने पर अपने सदस्यों में उनका सामना करने की सामर्थ्य पैदा करना भी इसका बढ़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। वीमारी की हालत में, घर छोड़ने या बिसी भी अप्रत्याशित विपक्षि के पड़ने पर परिवार का एक सदस्य द्वयन्य सदस्यों में आवश्यक सहायता तथा सहानुभूति की आशा रखता है। इसी व्यवस्था ने इमारे अनेक राध्रीय कार्यकर्त्ताओं को इस योग्य बनाया है कि वे घरेलू तथा अपनी निजी चिन्ता छोड़ कर राष्ट्र की सेवा कर सकें। यह एक सत्य है कि राष्ट्र के स्वातन्त्र्य-सम्प्राप्ति में योग देने वाले सैकड़ों देशप्रेमियों के मार्ग में स्त्री-चन्द्रों तथा भविष्य की बेकारी की चिन्ता ने बड़ी वाधाएँ उत्पन्न की हैं। यदि ये लोग समुक्त परिवार के सदस्य होते तो उन्हें अपने आधिकारी की चिन्ता न सताती और वे देश के प्रति अपने कर्त्तव्य की पूर्ति भ पूर्णत सफल होते। यह व्यवस्था और भी स्पौं में लाभदायक सिद्ध हुई है। इसने परम्परागत रीति रिवाजों, मान्यताओं तथा धार्मिक कृत्यों की रक्षा की है। परिवार वे छोटे सदस्य बड़े सदस्यों से दैनिक और शिक्षा प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार वे अपने बच्चों को भी दृश्य बना देते हैं। मिं० गमन के निम्नलिखित शब्दों द्वारा इस व्यवस्था की उन अच्छाइयों तथा बुराइयों पर अच्छाइया प्रकाश पड़ता है : 'इस व्यवस्था की एक अच्छाई यह भी है कि बृद्धावस्था में लोग सुरक्षित तथा सम्मानपूर्ण जीवन— एक अद्वितीय सुख— का आनन्द लेते हैं जब कि पश्चिम में लोग बृद्धावस्था में अकेलेपन से परेशान होने लगते हैं। पर साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन अच्छाइयों के साथ बुराइयों भी लगी हुई हैं। एक और यदि परम्परा का रक्षा होती है, तो पुरानी सकीर्ता भी बनी रह जाती है; और यदि आत्मसंयम और दूसरा का ध्यान रखने की आदत पड़ती है तो साथ ही योहे में सन्तोष भी मानना पड़ता है और व्यक्तिगत रूप से घन नहीं इकट्ठा किया जा सकता।

५० जयर और बेरी : 'इंडियन इकोनॉमिक्स', पृष्ठ १०६, द्वितीय सत्र।

नीमार की देहभाल के लिए यदि लोग तैयार रहते हैं तो साथ ही कोइन बाईं हरदम बोमार भा रहता है। बूढ़ों का आदर अवश्य होता है जबान मिठी में ही क्यों न मिल जायें ?

लेकिन अतीत में इसने लोगों का चाहे बितना फायदा किया हो, आधुनिक परिस्थितियों में परिवार का दौँचा पिसक रहा है। व्यक्तिगत भावनाओं तथा बढ़ती हुई व्यक्तिवादिता के साथ इसका मेल नहीं बैठ रहा है। मनस्वी और जबान अलग अलग काम करने अपने लिए अलग धन पैदा करना चाह रहे हैं। जिन आर्थिक परिस्थितियों ने चीन यह व्यवस्था विकसित हुई और आज तक निभती रही वे अब बदल चुकी हैं। खेती करने योग्य अब ज्यादा जमीन भी नहीं रह गई है और खेती-गृहस्थी से अब उतने लोगों की गुजर भी नहीं हो पाता। अब लोगों को अपनी रोज़ी कमाने दूर-दूर जाना ही पड़ता है।

विवाह

इसकी प्रकृति— विवाह की व्यवस्था तो सारी मानव जाति में प्रचलित है, इसलिए इसके भारताय स्वरूप के अध्ययन के निमित्त अलग लिखना कुछ अजाव सा लग सकता है। विवाह के विषय में हिन्दुओं की कुछ अलग धारणाएँ हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। विगा उनके ज्ञान के हिन्दू सामाजिक जीवन ने विषय में हमारी दाप्त अधूरी रह जायगी। मनुष्य जाति की दो प्रथाओं परिवार और विवाह, ने हिन्दू सामाजिक जीवन में भिन्न रूप धारण किया है और अपने इसी रूप के कारण हमारा सामाजिक जीवन अन्य देशों के सामाजिक जीवन से अलग हो गया है।

धारा देने योग्य पहिली बात यह है कि हिन्दू धर्म धैवाहिक सम्बन्ध का अत्यन्त पवित्र मानता है। विवाह एक धार्मिक कृत्य माना जाता है यानी, दो आत्माओं के भीतरी तथा आत्मात्मिक सम्मिलन का वाहरी रूप। इसी कारण पति या पत्नी को अपने मन से इस धार्मिक बन्धन को ताङड़ने की अनुमति नहीं है। हिन्दुओं में तलाक की प्रथा प्रचलित नहीं है। किसी धार्मिक हिन्दू के लिए तलाक का विचार ही घृणात्मक है। इसके विपरीत इस्लाम तथा ईसाई धर्म तलाक की आज्ञा देते हैं। लेकिन यह बड़ी मजेदार बात है कि भारतीय सुललमान और ईसाई अपने ही धर्म के अनुयायी अन्य देशवासियों के सुरक्षिते में इस प्रथा का बहुत ही कम प्रयोग करते हैं। कई पीढ़ी पहिले जो हिन्दू इन धर्मों में दीक्षित हो गये थे उनके भी वशजों में आज भी हिन्दू परम्पराएँ प्रवल हैं। विधवा-विवाह की ओर हिन्दुओं की अदाहीनता का भी यही कारण है। (बाद में इस विषय पर विस्तृत रूप में प्रकाश ढाला जायगा।)

हिन्दुओं के विवाह सम्बन्धी विचारों की दूसरी विशेषता यह है कि विवाह करना प्रत्येक हिन्दू स्त्री तथा पुरुष का कर्तव्य समझा जाता है। हिन्दुओं में हमें चहुत कम अविवाहित स्त्री पुरुष मिलेंगे। जो विवाह नहीं करते वे कुछ इसलिए नहीं कि ब्रह्मचर्य को कोई आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करते हैं, बल्कि इसलिये कि उन्हें कोई अच्छा विवाह ही नहीं मिलता। अविवाहित जीवन मनवूरी के कारण ही पिताया जाता है, खुशी से नहीं। जो लोग विवाह नहीं करते वे धर्म के नाम पर या फिर किसी अन्य उच्च ध्येय की प्राप्ति के लिए समाज से अलग निकल जाते हैं। हिन्दुओं में विवाह सर्वत्र प्रचलित है क्योंकि उनका यह धार्मिक विश्वास है कि जब तक पुत्र के हाथों कुछ विशेष धार्मिक कृत्यों का सम्पादन नहीं हो जाता तब तक उसके मृत पिता की आत्मा को शान्ति नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे धार्मिक कृत्य भी हैं जिन्हे पत्नी की अनुपस्थिति में विविधत् नहीं पूर्ण किया जा सकता। न तो इस्लाम और न ईसाई धर्म ही विवाह के इस पहलू पर जोर देता है, लेकिन हिन्दुओं की वैयाकिरण व्यवस्था में इसका प्रमुख स्थान है।

यान देने योग्य कुछ अन्य पहलू भी हैं। हिन्दुओं में जाति और विवाह का अदूट सम्बन्ध है। स्त्रियों तथा पुरुषों की अपनी ही जाति में शादी होती है। इस नियम की अवहेलना बहुत कम देखने में आती है, हालाँकि अब विवाह आठि में जाति-व्यवस्था के बन्धनों की परवाह न करने का प्रवृत्ति कुछ बढ़ रही है। अन्तर्जातीय विवाह 'ग्रनुलोम' तथा जातीय विवाह 'प्रतिलोम' कहे जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखने का चाहत है कि जाति-व्यवस्था न अन्दर लोग अपने जैसे जन-समुदाय में ही विवाह करते हैं। इस प्रथा के कारण पुरुष तथा स्त्री को अपना जोड़ा चुनने रे लिये विस्तृत क्षेत्र नहीं मिलता। हिन्दुओं में 'कॉर्टशिप' जैसी कोई चीज़ नहीं है। साधारणतया जोड़ा चुनने की जिम्मेवारी माता पिता पर छोड़ दा जाती है, लेकिन आजकल माँ बाप लड़के-लड़कियों की भी राय लेने लगे हैं—सुख्यतया उस दशा में जब वे सुतान पढ़ी-लिखी रहता है। अन्तर्जातीय विवाह अब प्रचलित हाते जा रहे हैं और कानून ने भी इसे ठीक मान लिया है।

यह धारणा कि हिन्दू एक से अधिक विवाह करते हैं परिचम में बहुत प्रचलित है। ऐसा साचना ठाक नहीं है गो ऐसे हिन्दू हैं जिन्होंने पहली स्त्री के जावित रहस्य भी दूसरी या तीसरी स्त्री से विवाह कर लिया है। ऐसा विचार इसी कारण पैला हुआ है कि कुछ रईस और राजा महाराजा लोग विवाहित जावन में सदैव कुछ न कुछ उच्छृंखल रहे हैं। गो यह बात ठीक है कि बहु विवाह किसी हिन्दू या मुसलमान के लिए मना नहीं है—मुसलमान एक साथ चार स्त्रियों तक रख सकता है—फिर भी अधिकतर लोग एकपलनाक ही हैं।

वाल विवाह—दूसरी चीज़, जिसके लिए हिन्दू की परिचम वाले आलोचना करते हैं और वह निकम्मा ठहराया जाता है, वह है लड़के या लड़कियों का छोगी ही

उम्र म विवाह। साधारणतया लोगों का यह धारणा हो गई है कि बाल विवाह हिन्दू-धर्म का अभिन्न अंग है। यह निविवाद है कि दूसरा या बीस वर्ष पहिले इस तरह के विवाह आज से कहीं अधिक प्रचलित थे और आज दिन 'शारदा एकट' के होते हुए भी ऐसे विवाहों का अभाव नहीं है, पर मा. इन्दू जाति ने उपयुक्त दिशा म सभी सुधार किये हैं और विवाह को उम्र दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ इतना कहना आवश्यक है कि बाल-विवाह के प्रति हिन्दू दृष्टिकोण को इसके आलोचकों ने गलत समझा है। यदि इस प्रथा के सम्बन्ध म सभी पहलुओं पर विचार किया जाय तो वह प्रतीत होगा कि यह प्रथा बुरी या अनुचित नहीं थी। इसके ठीक विपरीत यही कहा जायगा कि कुछ समय पहिले जाति का आवश्यकता न अनुरूप ही यह व्यवस्था प्रचलित हुई। बाल विवाह के विरुद्ध एक तर्क यह है कि इससे लड़की जल्दी मा. जन जाती है जिससे उमर क शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार सारे गायू का स्वास्थ्य चौपां होता है। लोकन आलोचक यह भूल जाता है, या उसे इसका ज्ञान नहीं है, कि अद्वेषों के आने के पाले जब माल-विवाह की प्रथा थी तब जाति या देश का स्वास्थ्य नहीं गया था। इसका कारण यह था कि उस समय बाल विवाह वह चीज़ नहीं थी जो उसे आज हम समझ पैठे हैं। दिसावर्टी विवाह तथा वास्तविक विवाह के दीन म, जिसे गौण विवाह कह सकते हैं, लड़की की उम्र का स्वाल करके कई वर्षों का अन्तर छोड़ दिया जाता था। बगाल में जब ग्रन्तिप्रद लड़की की शादी हो जाती थी तो उसे हर हालत म पिता के घर म ही रहने की आज्ञा नहीं मिलती थी, बाल्कि वह अपने पति के घर म, या और सही रूप म श्वसुर के घर में, लाई जाता थी जहाँ उसे अपने नये घर के रूप रिवाज आदि समझाये जाते थ।^{१०} इस विवाह का ग्रन्थ पति-पत्नी न दीन का सम्बन्ध नहीं होता था, इसका ग्रन्थ रेवल इतना था कि लड़का अपने माँ-बाप का घर छोड़कर श्वसुर के घर चली गई। यहाँ उसे अपने पति को जानने का अवसर तक नहीं मिलता या जब तक वह परिवार छोड़ा इसके बाये नहीं समझ ली जाती थी। इस प्रकार बाल विवाह के प्रत्यक्ष दुष्परिणामों से उचने के उपाय काम म लाये जाते थ।^{११}

बाल विवाह की प्रथा के क्या कारण थे, इसमें ग्राधिक गहराई से उत्तरने की आवश्यकता नहीं है, हम उनम से बेवल एक पर विचार करेंगे। इस प्रथा के प्रचलित होने का कारण था सयुक्त परिवार की व्यवस्था। ग्रन्तिम रूप में सयुक्त परिवार की समृद्धि और उसका सुख स्थियों की हा. सद्बुद्धि, सन्तोष, नि स्वार्थ भाव, प्रेम और भक्ति पर निर्भर रहती है। इसलिए परिवार की परम्परा और उसके बातावरण के दीन स्थियों को पक्की बन जाना चाहिए। वह इस प्रकार पक्की तभी बन सकती है जब छोग ही उम्र म, यानी जब उनका मस्तिष्क सुमुमार, हृदय उदार

और निःसार्थ रहे— वे घर म लाई जायें। लड़कियाँ जब बड़ी उम्र मे घर में आती हैं तो उनकी आदतें पहले ही बन चिग़ह नुस्खे रहती हैं और उनके स्वभाव का परिष्कार जा रुच्छ होना रहता है हो चुकता है। वे घर के बातावरण में मुल मिल नहीं पातीं बल्कि भगडे तथा कलह का कारण बन बैठती हैं। सयुक्त परिवार म शीघ्र-विवाह की वत्पना पहिले से ही कर ली जाती है। सयुक्त परिवार की व्यवस्था के घटने से बाल-विवाह की प्रथा का भी चिनाश हा रहा है, पहिली प्रथा न रहे तो दूसरी सुन्दर नहीं रह सकती क्योंकि सतुलन लाने वाला जो प्रभाव इसे चलाता है तब नहीं रहेगा।

वर्तमान परिवित्यतियों म तो बाल-विवाह की प्रथा बड़ी ही विनाशकारिणी हागी। इससे लड़की शीघ्र हा माँ बन जायगी और इस प्रकार माँ तथा बच्चों, दोनों की कम उम्र म मूत्यु-सख्ता बढ़ जायगी। इससे लड़की की शारीरिक दशा पर बड़ा बुया प्रभाव पड़ेगा और सारी जाति में पुरुषत्वहीन सन्तानों की बुद्धि होगी। ब्रह्म-समाज, आई-समाज तथा थियोसोफिकल सोसायटी जैसी सुधारवादी सम्प्रदायों ने कुछ इस प्रथा को नन्द करने का प्रयत्न किया है और साथ ही बदली हुई सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों ने भी इस प्रथा का अन्त करने मे मदद दी है। लड़के तथा लड़कियों की शादी उनकी शक्ति समाप्त होने पर ही करने का अन्त रिवाज चल पड़ा है। यह सुधार अधिकतर पटे-लिखे लोगों मे प्रचलित है। नीचे रतर के लोगों मे भी अब यह प्रथा फैल रही है क्योंकि वे भी तो कैची जातियाँ की ही नकल करते हैं। बाल-विवाह-नोक एकट के अनुसार, जो शारदा एकट के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, उम्र की एक निश्चित सीमा से नीचे लड़के-लड़कियों का विवाह करना कानून की दृष्टि में जुर्म है। यह कानून पूरा मूस्तैदा से लागू नहीं किया गया है। जनता के विचार धीरे-धीरे किन्तु वास्तविक रूप म गाल-विवाह की प्रथा के विरुद्ध हो रहे हैं। दिनू-समाज अपने को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाता जा रहा है।

वैधव्य— हिन्दुओं की वैवाहिक विचार-धारा से सम्बन्धित एक विचित्रता यह भी है कि वे विधवा-विवाह के उचित नहीं समझते। इस प्रथा की नहुत ही अधिक आलोचना की जाती है और पश्चिमी आलोचक तो हमारी विधवाओं के जीवन का बड़ा ही रोमाञ्चसारी चित्र खींचने हैं। इस आलोचना का सामना करने के लिए हमें जबरदस्ती लादे गये वैधव्य तथा अपनी इच्छा से स्वीकृत वैधव्य का अन्तर समझ लेना चाहिए। पहिले प्रकार का वैधव्य हिन्दुत्व पर एक धन्या है; परिष्कृत विचारधारा ने उसे हेतु समझा है और हमारे धर्म मे भी इसका आदेश नहीं दिया गया है। अपनी इच्छा के विरुद्ध भी वैधव्य की ज्याला मे दूकेल दी गई रियों का जीवन सचमुच बड़ा दुखमय होता है। लेकिन वैधव्य का दूसरा रूप प्रशसा के योग्य है और हिन्दू धर्म ने ससार के सामने यह एक वेमिसाल चीज़

रखती है। यही 'सतीत्व' है। यह सतीधर्म, जिसका उद्देश्य शुद्ध रूप म आध्यात्मिक है, 'शुद्ध भारत' म इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है 'पति को पत्नी संदेव ईश्वरीय रूप मानती रही है। पति तथा उसके परिवार के प्रति उसके नित्य के कर्त्तव्य म एक प्रकार की धार्मिक भावना लिपटी रहती है। उसका साया जीवन ही साधना है। इसी लिए जब पति की मृत्यु हो जाती है तो यह उसका चित्र पूजा की बेदी पर नहीं रखती बल्कि अन्त स्थित ईश्वर को पूजा जो पति ने जीवनकाल में उसकी पूजा न जरिये की जाती थी, अब प्रत्यक्ष रूप बारण कर लेती है। यह शुद्ध आध्यात्मिक जीवन तथा मनन-चिन्तन के साथ अपने उपास्य देव या आदर्श की पूजा म जीवन निताती है। इस प्रकार वह पत्नी या विधवा के जीवन में कोई अन्तर नहीं महसूस करती।^{१८} इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि वास्तव म वैधव्यपूर्ण जीवन दुःख या विपाद का जीवन नहीं है बल्कि एक ऊँची आध्यात्मिक स्वतंत्रता के स्तर पर बन्धन से मुक्ति है। पत्नी के रूप म उसमें जिस भावना का विकास हुआ था वह अब विधवा के रूप म और भा विस्तित हो जाती है।^{१९} कुछ हा विधवाएँ इस आदर्श तक पहुँच जाती हैं, यह कहना कोई तर्क नहीं है काई आदर्श आदर्श नहीं रह जायगा यदि सभी उस तक पहुँच जायें। इस प्रकार के जीवन से हमें यह समझने का अवसर मिलेगा कि विधवा का जीवन संदेव दुःख तथा अवसाद का ही जीवन नहीं है। वैधव्यपूर्ण जीवन दिताना बुरा नहीं है, बुरा है स्त्री की इच्छा ने विहङ्ग उस पर वैधव्य लादना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हमारे नेताओं ने विधवाओं की दशा म सुधार के लिए एक शूरा मोर्चा ही तैयार कर रखा था। आई समाज, ब्रह्म समाज तथा अन्य सुधारवादी सत्थायों ने विधवाओं के पुनर्विवाह को अपने कार्यक्रम म प्रधानता दी है।

जब तक सम्मिलित परिवार की व्यवस्था रही और विधवा को उसके शवसुर या पिता के घर में आश्रय मिला, वह सेवा और भक्ति का जीवन निता सकता थी। सयुक्त परिवार की व्यवस्था दूर्जने से विधवा की मुसीबतें भी बढ़ गईं और आज तो उसका जीवन अस्थि हा चला है। उसके साथ लोगों का वास्तविक व्यवहार बदलता जा रहा है। कई जगहों म उसके साथ अच्छा व्यवहार होता है, अनेक परिवारों म विधवा का अत्यधिक आदर है। वह अपनी नम्रता, सेवा तथा आत्म-त्याग से लोगों के आदर का पात्र बन जाती है। कुछ परिवारों म उसकी उपस्थिति लागों को मुश्किल से बर्दाश्ट होती है, और कुछ परिवारों में वह दुर्भाग्य का बारण भानी जाती है और उसकी जिन्दगी जहर का धूँट बन जाती है।

इर्ष का विषय है कि भारतीय स्त्री तथा पुरुष विधवा की महत्ता का ग्रादर करने लगे हैं और अब वे उसके प्रति अद्वा का भाव रखना सीर रहे हैं।

भारतीय समाज में नारी का स्थान— किसी समाज की सभ्यता, सकृति एवं उसके सामाजिक स्तर की माप उस समाज में स्त्रियों के स्थान से की जा सकती है। भारतीय सामाजिक जीवन तथा सम्भाला का वर्णन समाप्त करने के पहिले स्त्रियों के स्थान के सम्बन्ध में कुछ शब्द कह देना उपयुक्त होगा। यह इस कारण और भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि विदेशी निरीद्धर्मों तथा आलोचकों में इस सम्बन्ध में वडा हो गया धारणा बना हुई है और वही दशा अपने उन देशवासियों का भी है जो विदेशी विचारों में पले हुए हैं। भारतीय मियों की दीन दशा से पाश्चात्य स्त्रियों की उच्च दशा की तुलना करना ऐसे आलोचकों का आदत हो गई है। बरल बुराई की ओर हा दृष्टि डालने वाले परिचयी आलाचक हम बाल विवाह, जवरदस्ती लादे हुए वैधय तथा पर्दा-प्रथा के कारण अर्ध-सम्मिलित होने में नहीं हिचकते। हम बाल विवाह तथा वैधय पर वचार कर चुके हैं। इस प्रकार ये क श्रूति म हम पर्दा-प्रथा के विषय म कुछ कहना चाहते हैं। ऊपर हम इस परिस्थिति पर पहुँच चुके हैं कि जिन आदर्शों पर हमारा सम्भाला की नींव पड़ा है वे सभा सुन्दर हैं, लेकिन परिस्थितियों के साथ उनमें बुराईयों सुसंग गई है और इसलिए उनमें सुधार का आवश्यकता है। भारतीयों ने सामाजिक सुधारों के प्रश्न का कभी अव्वेहलना नहीं की है। स्त्रियों के सम्बन्ध में भायहा स्थिति है। हमारा आधार स्वस्थ है, किन्तु नई धाराओं एवं बदली हुई पारस्थितियों में सुधार आवश्यक है।

हिन्दू समाज में स्त्रियों का स्तर समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन बाल में पुरुषों का नरावरी करता थी। प्राचीन हिन्दू नारी पूरी समस्ति की स्वामिनी होती था, पति महादेव विना उसका राय के उत्तम हेर फेर नहीं कर सकते थे। वह पूर्ण घटक होने पर अपने पति का स्वयं चुनाव करता थी और पति की असामयिक मृत्यु के बाद दूसरा पिवाह भी कर सकती थी। उस समय पर्दा नहीं था, स्त्रियाँ स्वतन्त्रतापूर्वक धूमती भिरता थीं। योगा, अपाला, विश्ववरा, गार्गी, मेवेयी जैसी नारीयों पुरुषों ने साथ बाद विवाद में स्वतन्त्रतापूर्वक भाग लेती थीं और अपनी प्रतिभा से श्रेष्ठ विद्वानों एवं दार्शनिकों को भी चक्रित कर देती थीं। ऋग्वेद की दुर्घट ऋचाएँ तो स्त्रिया द्वारा ही प्रणीत हैं। प्राचीन आर्य अपनी स्त्रियों का जिनना महान्पूर्ण स्थान देते थे उतना काँई दूसरी जाति नहीं देती था। ‘भारतीय खट-काव्यों में नारीत्व का जिनना सुन्दर चित्रण है, वैसा संसार के किसी भी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। नारी के ऐसे चित्रों का निर्माण महान् कलाकारी द्वारा हुआ है जिहने उनको समाप्ति ऐसे महान् चरित्रों के रूप में का है जिनमें मानवता की सबसे अधिक सबल, मधुर, ऊँची तथा श्रद्धायुक्त भावनाओं का सन्निवेश हुआ है।’^{१०}

^{१०} एना वेसें दि डॉन, अक्टूबर १९०१, पृष्ठ ८२, ‘कल्चरल ईरिटेज ग्रॉफ इण्डिया’ म उद्धृत, खट III, पृष्ठ २०।

लेकिन आर्य गगा की घाटी में जैसे जैसे आगे बढ़ते गये उन्हे आदिवासियों की एक बड़ी सख्ता मिलती गई जिनका रूपन्भग भिन्न था और सम्भवा भी भिन्न थी। स्त्रियों को ग्रन्थ पढ़िले की सी ही स्वतन्त्रता दे देने में वर्ण-सकर का भय होने लगा। इस भय तथा समुक्त परिवार के विकास के कारण उनका पहले जैसा चराचरी और स्वतन्त्रता का स्थान जाता रहा और वे पुरुष पर निर्भर रहने लगी। यद्यपि समय समय पर उनकी स्थिति में अन्तर पड़ता रहा किन्तु पहले कान्सा दर्जा पर कभी नहीं मिला। मुसलमानों के युग में स्त्रियों का दशा दयनीय हो गई और लड़कियों की हत्या तथा जौहर की प्रथा प्रचलित हुई, वे जनानखाने के अन्दर पढ़े में डाल दी गई। ये दो प्रथाएँ उनकी वर्तमान हीन दशा, शित्ता की कमा तथा आर्थिक पराधानता वे लिए बहुत सीमा तक उत्तरदायी हैं।

स्त्रियों की वर्तमान सामाजिक हीनता का परिचय कई जाता से मिलता है। उन्हे सदैव दूमरे के ही आसरे रहना पड़ता है। वे लड़का वे रूप में पिता पर, पत्नी के रूप में पति पर तथा बृद्धावस्था में लड़का पर निर्भर रहती हैं। जीवन की किसी भी अवस्था में उन्हें आत्म निर्णय या अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर नहीं मिलता। स्त्री वे लिए विवाह करना आवश्यक है और यही उसकी परतन्त्रता सुन्दर करता है। यदि पति, सास या परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ कटोर ज्यवहार करता है तो हिन्दू धर्म भें इसके लिए कोई इलाज नहीं है, उसे चाहे जिन्हीं ताढ़ना करों न हो। यदि पति उसे छोड़ देता है या वेशर्मी के साथ उसकी उपेक्षा करता है या दूसरी स्त्रा से शादी कर लेता है तो भी वह तलाक की माँग नहीं कर सकती और न कष्ट सहते जाने के पजाय उसके पास कोई दूसरा चारा ही है। जायदाद पाने के विषय में हिन्दू धर्म के नियम उसके लिए कहीं अधिक कटोर हैं। वह जायदाद की वारिस नहीं बन सकती। एक गये गुजरे पुरुष वारिस को भी लड़की के मुकाबले तरबीह दी जाती है। एक प्रमुख पत्र ने स्त्री की कानूनी स्थिति का इन शब्दों में बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। 'जग्ना लेने पर बला मान। आने वाली तथा जीवन भर किसी पैतृक अधिकार से बचित रह कर हिन्दू स्त्री से एक विचित्र जीवन पिताने की आशा की जाती है। कानूनी अधिकार वे रूप में काई ऐसी चीज नहीं है जो उसे ग्राहिक हास्त से स्वाधीन बना सके, वह सदा परतन्त्र है, चाहे दहेज दिया जाय चाहे नहीं। यह स्पष्ट है कि जायदाद पर मौलसी हक न देने के लिये हम वेचल स्त्री धन के बहाने का सहारा नहीं ले सकते।'* इन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए

* कोचीन तथा द्रावनकार में स्त्रियों जायदाद की वारिस बन सकती है क्योंकि वहाँ मातृ-प्रधान व्यवस्था है।

* एस्ट्रू ज द्वारा उद्धृत : 'दि द्रू इण्डिया', पृष्ठ १२८।

'हिन्दू-स्थिति' का तलाक देने का अधिकार' तथा 'हिन्दुओं के एक ही विवाह करने का विल' केन्द्रीय धारा सभा में पेश किये गये थे। आजके हिन्दू कोड विल सुधारों की पुरानी ग्रावश्यकता की पूर्णि कर रहा है।

भारतीय स्थितों को शिक्षा सम्बन्धी अवनति पर टीका गिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता प्रत्यक्ष है। उनम साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही नीचा है—पाँच प्रतिशत से आधे नहीं। हर्ष का विषय है कि लियों की शिक्षा में चराचर उत्तरति हो रही है। विभिन्न पराक्षाआ में समिलित होने वाली तथा शिक्षा संस्थाओं में भर्ता होने वाली लड़कियों की सख्त्या बराबर नहीं रही है। स्त्री-शिक्षा की ओर लोगों की उत्तरासीनता तथा शिक्षा में वाधक होने वाली अन्य प्रथाओं—पर्दा तथा घालनविवाह—का अन्त हो रहा है। लेकिन यह भी बहुत लम्बी मनिल तथा करनी है।

यद्यपि आजकल कहीं-कहीं लियों शिक्षक, बकील, बैरिटर और डॉक्टर के रूप में दिखाई पड़ने लगी हैं फिर भी साधारणतया गड़े घरों की स्थितों परिवार के कमाने वाले सदस्यों में शामिल नहीं की जाती। स्थितों को नौकरी में लगाना अब भी लोगों को ठीक नहीं जैवता, विशेषतया उन्हें वर्ग के हिन्दू तथा मुसलमानों में। इस कारण उनकी पुश्पों पर निर्भरता ज्यों की लों चनी रहती है।

कानूनी असमर्थताओं, शिक्षा सम्बन्धी अवनति तथा आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर निर्भरता के अतिरिक्त उहे जीवन में पति चुनने का अधिकार नहीं है और न तो पुरुषों के समान छुवतन्त्र अन्तिम रखने का ही अधिकार है। इसके साथ साथ उम पर वैधय का बोझ लाद दिया जाता है और उसके साथ कठोरता का व्यवहार स्थित जाता है। जिन विदेशी आलोचकों को भारताय स्थिति की इस दृश्या का ज्ञान है वे हम पर उनके प्रति अत्यापक कठोर और अनुग्रह व्यवहार करने तथा उहे गहड़े मटकेलने का अपराध लगाते हैं। उनका ऐसा करना ठीक भी है। लेकिन सब गतों का ज्ञान किये बिना एका निर्णय दे देना उत्तावनापन है। शिक्षा का अभाव, अधिकारों की कमी तथा पुरुष पर निर्भर होने के कारण समनता के दबे से वंचित रहना—इन तथा अन्य कमियों के हाते हुए भी स्त्री घर की नौकरानी नहीं बल्कि वहाँ की रही है, घर में उसकी एक अलग शान्त्वान है। घर में उसका ऐसा स्थान है जिसके लिए यूरोपी स्थितों का ईर्ष्या हो सकती है। जिन उसकी राय के घर में काई काम नहीं हो सकता। लड़के या लड़कों की मगनी या शादी या परिवार के किसी लड़के को शिक्षा पाने के लिए पिंडेश मेने की तो बात ही क्या, घर के प्रबन्ध से जिन मामलों का कम धान्याल सम्बन्ध रहता है उनमें भी उसका राय का महत्व हाता है, जैसे जायदाद बच्चों या उत्तोन में, कमीन उत्तराने में तथा विभिन्न अवसरों पर मित्रों का नियंत्रण जाने वाले उपहार इत्यादि में। पति के प्रति अड़ा, बच्चों के प्रति प्यार, दूसरों के नियंत्रण अपने

मुखों का त्याग करने की उम्मीद तप्पता तथा नैतिक पवित्रता ही उसके अप्रभाव का स्राव है। नारी के प्रति महान् ग्रादर का भाव इसी नात से सप्त है। केवल देश म माँ को सप्तसे ग्रधिक ग्रादर प्राप्त किया गया है। माँ का स्थान पिता से, या बहा तक कि ईश्वर से भी, ऊँचा समझा जाता है। हम अपने देश को भारतमाता कहत हैं। शाश्वत शक्ति या अनादि तेज भी स्त्री के रूप में व्यक्त किया गया है। जर्हों की भा पति पल्ली का नाम साध-साध लिया जाता है पल्ली का नाम ही पत्नि का नाम है—जैमे, साताराम, राधाकृष्ण, गौराशकर आदि। सत्य तो यह है कि हमारी सभ्यता और सम्भृति म स्त्री को मर्वश्चेष्ठ स्थान है परिस्थितयों की उल्लङ्घन-फेर से ही उसे आनंद स्थान मिल गया है जिसे हम नीचा कहत हैं। उठके कार्य का ज्ञेन ही अलग रहा है जिसमें वह सर्वोच्च रहा है। दृसरी ग्राह भनुष्य का वह ज्ञेन है जिसमें वह ग्राहुया है। दाना एक दूसरे के विवाही या प्रतिशब्दा नहा बहिं किंवा ध्येय की पृति में एक दूसरे के पूर्ण रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारी व्यवस्था में अनेक उत्तियों हैं। मन्त्र्या न। दशा म अनेक दार्श्यों से सुधार की आवश्यकता है, यह निर्मित है, लोकन् यह स्त्रीराम नहीं किया जा सकता कि हम री स्त्रियों का स्थान यूरोपीय स्त्रियों से नाचा है।

पुरुषों तथा स्त्रियों म समानता नहीं है इसी लिए हम स्त्रिया का स्थान पुरुषों से नीचा समझते हैं। चारपरी—आधारों वी प्राप्तरी—उसी कोई चीज़ भारतीय विचारधारा म है ही नहीं यहीं तो जापन की कलना ग्रा यात्मक लार्मा का प्रति न लिए एक ग्रावर प्राप्त करने वाली वस्तु के रूप म का भई है जर्हों अपने वर्तीयों का सभ्यादन व्यवहार स्त्रेच्छा से निया जाता है, दूरी पर अपने ग्रधिकारा का आराप करन साम रिक मुखों की प्राप्ति के लिए नहीं।^{१६} दुष्प है कि इस तथ्य को हमारे आलोचक भूल जात हैं।

स्त्री-आनंदोलन—पिछले पचीस वर्षों से धारे धारे कि तु अनवरत गति से नटते हुए नारी-आनंदोलन की कुछ विवेचना यहाँ अनुपसुक न होगी। इस समय तक भारतीय स्त्रियों के अनेक ग्रधिकारा—सामाजिक, कानूनी तथा राजनैतिक—की प्राप्ति हो चुकी है और उनमें पर्यात जागति भा गयी है।

१६ १४-१८ के प्रथम मह युद्ध न गाद नारी आनंदोलन का रूप ग्रालिल भारतीय तथा राजनैतिक हो गया। अम मन्युद्ध न पहिले सारा कार्य व्यक्तिगत रूप से या अलग ग्रलग समितिया द्वारा ही होता था और वह नेवल शिद्धा तथा सामाजिक ज्ञेनों तक ही समित था। यह ध्यान देने की बात है कि भारत म स्त्री आनंदोलन उनना आवेगपूर्ण नहीं रहा जिताया यूरोप म, इसका विकास नहुत ही शान्तिमूल रहा है।

* 'इस्त्रियों हेरिटेज ऑफ न शहर' , माग III , पृष्ठ २०३।

चाहे बोट देने का अधिकार लेना हो, प्रतिनिधित्व करने वाली सम्पादिका का चुनाव लड़ना हो या पर्दा-प्रथा जैसी कोई हानिकर प्रथा उठानी हो, स्त्रियों को पुरुषों से कभी लड़ना नहीं पड़ा है, उन्हें बेबल एक गार, दो बार या तीन बार अपनी आवाज बुलन्द ऊंची पड़ी है और कड़रता की दीवार अपने आप ढह गयी है। जिस आसानी के साथ उन्हें अनेक राजनीतिक, कानूनी तथा सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति हुई है तथा मनुष्यों के बराबर ही उह जो नागरिक आधिकार मिले हैं वे इस बात के प्रमाण हैं कि भारतीय नारीत्व का कितना आधक आदर करते हैं। उनका सफलता के और भी कारण है, कि तु उनका और इम यहाँ सरत नहीं कर रहे हैं।

यदि हम स्त्रियों की प्रगति को राजनीतिक, सामाजिक तथा कानूनी, इन तीन भागों में विभाजित कर देता हम इस बात का सही सही पता चल जायगा कि पनीस वर्षों के थाड़े समय में ही उन्होंने कितनी प्रगति कर ली है।

राजनीतिक प्रगति— १९२० के पहिले भारतीय नारियों को बोट देने का अधिकार नहीं था, १९१६ के 'गवर्नमेंट ग्राउंड इंडिया एक्ट' ने उन्हें बोट का अधिकार नहीं दिया था लेकिन एक्ट के निर्वाचन नियमों ने प्रान्तीय धारा-समा का यह अधिकार दिया था कि यदि बदल नहे तो पुरुषों के समान स्त्रियों का भी बाट का अधिकार दे सकती है। बम्बई तथा मद्रास ने इस धारा का लाभ उठाया और १९२१ में पहिले ही स्त्रियों को यह आधिकार दे दिया। १९२३ में उत्तर प्रदेश (तभ सुयुक प्रान्त) ने भी उनकी नज़ल की ओर बगल, पञ्चाब तथा मध्य प्रदेश ने भी तान वर्ष माद उनका अनुमतिरण किया। इस सुधार के माद दस वर्ष के अन्दर ही सारे प्रिंसिप भरत में स्त्रियों का बाट देने के अधिकार दे दिये गये। यह नड़ा हा महत्वपूर्ण सफलता था लेकिन अभी और ऊँछ मिलना चाका था। १९२६ में पहिले पहल स्त्रियों को 'विधान सभा' का मेम्रर होने का आधिकार मिला और १९२७ में डा० सुशुलज्ज्मी रेडा मद्रास प्रान्तीय व्यवस्थापिका काउन्सिल का मेम्रर बनी और एकमत से उसकी उपग्रहण चुनी गई।

१९३५ के 'गवर्नमेंट ग्राउंड इंडिया एक्ट' ने उनको उन अधिकारों से आग छढ़कर कही अधिक अधिकार दिये। स्त्रियों का निर्वाचन चेन कापी विलूत हुआ और चालिंग स्त्रियों में से लगभग १०५% को बाट देने का आधिकार मिला।

उनके लिए १५ स्थान संघ (६ कौसिल तथा ६ सभा में) और ४५ प्रान्तीय विधान-सभा में रिजर्व कर दिये गये थे। वे साधारण संघों का चुनाव भी बड़ी सफलतापूर्वक लड़ा और पुरुषों का उन निर्वाचन चेनों में भी दृश्या जहा उनकी अधिकता था। चिभन्न प्रान्तों में स्त्रियों मन्दा, पालियामेट्रा सेकेटरी, उपायक्त्र तथा उपसभानेत्रा चना। सविधान परिषद् में भी, जो राष्ट्रीय पर्लियमेंट के रूप में कार्य कर रही थी, दस स्त्रियाँ थीं। जब १९४७ में भारत की स्वतंत्रता मिली तब उसने नारात्मक तथा

स्वातन्त्र्य-युद्ध में भाग लेने वाली स्त्रियों की देन का बढ़ा सम्मान किया। श्रीमती सराजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की गवर्नर, राजनुमारी अमृतचौर स्वास्थ्य की मन्ती तथा श्रीमती विजयलक्ष्मी पटिंग रुस में भारतीय दूत बना दी गई^१। और अब हमारे नये संविधान में तो हर बालिग स्त्री को बोट का अधिकार दिया गया है और स्त्री पुरुष की समानता के सिद्धान्त को स्वीकार किया है।

विधान सभा के बाहर समाज सेवा में भी स्त्रियों ने हाथ रेखना ग्राम्य कर दिया है। लगभग सभी बड़ी मूनिसिपैलिटियों में सरकार द्वारा नियुक्त या थोट द्वारा चुनी हुई एक या एक से अधिक स्त्रियों काम कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में भी वे कार्य कर रही हैं। उनके द्वारा अधिकारों से कठीं अधिक है देश के साधारण राजनीतिक जीवन में उनका सहयोग। १९३१ से ही, जब महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवलोकनात्मक ग्राम्य किया, उन्होंने अपने को हजारों की सख्त्या में राजनीतिक सम्प्रभाम में भोक्ता दिया है और उसमें अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों से भली प्रकार अवगत होकर बाहर निकली है। राष्ट्रीय सम्प्रभाम में भाग लेने से अधिक किसी भी चीज़ ने उनके उत्थन में इतना महत्वपूर्ण काम नहीं किया है। ग्राम्यों में भाग लेने वाली सभी स्त्रियों ने पर्दे की प्रथा तोड़ दी है और वे मर्दों की बराबरी में आ गई हैं।

'विधान सभाओं' तथा स्थानीय संस्थाओं की स्त्री सदस्याओं ने स्त्रियों की स्थिति तथा प्रभाव को ऊँचा बनाने का प्रयत्न किया है। स्वर्गीय आदरणीय सी॰ एफ॰ एश्वर्ज के शब्दों में उनके इन कार्यों का भली भाँति परिचय मिलता है, 'आश्चर्यजनक परिवर्तनों के लाभकारी प्रभाव से सभी अनगत हैं। दीन, धनायों, निवल तथा असहायी की सेवा के क्षेत्र में मूनिसिपैलिटी का स्तर उच्चतर हो गया है। घरों की गण्डगों के विकास अद्वितीय तथा बठिन लडाई आगे बढ़ती गई और एक के बाद दूसरी सफलता मिलती गई है। घरेलू—विशेषतया बच्चों की—बीमारियों की रोकथाम पहले से अच्छी हो रही है। उपयुक्त पोषण, उपचार तथा चीर-पाइ की सहायता की कमी के कारण जहाँ अत्यधिक बष्ट—कभी कभी मृत्यु भी—होता था वहाँ अब जनता के स्पष्टों की सहायता से बच्चा को अधिक सुर देने का प्रयत्न हो रहा है।'

सामाजिक प्रगति— सामाजिक क्षेत्र में भी स्त्रियों की उनती कम महत्वपूर्ण नहीं है। बास्तव में इसके बिना किसी प्रकार की प्रगति का होना असम्भव है क्योंकि सामाजिक तथा राजनीतिक पहलू सिक्के की दो बाजुओं के समान हैं। जैसा कि ऊपर प्रदर्शित किया जा चुका है, स्वतन्त्रता न राष्ट्रीय सम्प्रभाम में सक्रिय भाग लेने के कारण वहे घर की स्त्रियों ने पर्दे को फाझ फैका। अब वे हजारों की सख्त्या में राजनीतिक सभाओं तथा खुलूसों में भाग लेती हैं। उनके प्रत्येक कार्य में उनकी मुक्ति की नई

भलक देखकर कोई भी निरीक्षक प्रभावित होगा। वे पुरानी चीजों को नेवल पुराना होने के कारण ही स्वीकार नहीं कर लेतीं। यथने वार्षिक सम्मेलनों में वे साहस के साथ बिल्लून सुधारों की माँग करती हैं। १९३१ के पहिले इन सम्मेलनों के सम्भाप्तियों के माध्यमों में पद्म-निवारण, बाल-विवाह-उन्मूलन तथा वैयक्ति समाजित पर विशेष जीर रहता था। अब वे उन कुरीतियों की समाजित के लिए प्रत्याव पास करने की चिन्ता नहीं करतीं; उनकी हटिं शब अधिक आवश्यक विषयों की ओर है। अब वे जायदाद की स्वामिनी बनने तथा तलाक देने के अधिकार की माँग कर रही हैं। वे कानून द्वारा बहु-विवाह तथा द्वेज-प्रथा का अन्त और साथ ही साथ बाल-विवाह-कानून की कड़ाई के साथ पावन्दी चाहती हैं। वे सहशिक्षा तथा लड़कियों के लिए शिक्षा सम्बन्धी विशेष सुविधाओं की माँग कर रही हैं क्योंकि उनका विचार है कि शिक्षा के प्रसार से अन्य समस्याओं का हल अपने आप हो जायगा।

कानून-सम्बन्धी सुधार— जियों में उत्पन्न महत्वपूर्ण चेनना तथा ग्रनेक दिशाओं में बी गई उनकी प्रगति का आभास उन सारे प्रबलों द्वारा मिल जाता है जो इधर हाल में कुरीतियों को हटाने के लिए किये गए हैं। वेन्ट्रीय व्यवस्थापिका समा में डाक्टर देशमुख तथा सेठ गोविन्दलाल मोतीलाल द्वारा उपस्थित दो विलों की ओर सत्रेत ऊपर हो चुका है। उससे कुछ पहिले १९३७ में हिन्दू स्त्री जायदाद-अधिकार-एकट पास हुआ था। विवाह, तलाक, जायदाद का स्वामित्व इत्यादि के विषय में हिन्दू परिवारों में प्रचलित अनिश्चित तथा विरोधात्मक कानूनों पर पुनर्विचार तथा सुधार करने की हटिं में भारतीय सरकार ने 'गव कमेटी' नामक एक कमेटी बिठाई। इस कमेटी ने सारे देश का दौरा के प्रमाण एकत्रित किये और अपने द्वारा तैयार किये हुए सम्भावित हिन्दू कोड पर जनता की राय ली। इस सम्भावित कोड पर आधारित हिन्दू-कोड-बिल पार्लियामेंट के सामने है। इस बिल का तात्पर्य है कुछ परिस्थितियों में तलाक को कानूनी बनाना तथा हिन्दू स्त्रियों को जायदाद की वारिस बनने का अधिकार देना। इन सुझावों का अभी काफी विरोध हो रहा है इसलिए पार्लियामेंट इस पूरे प्रश्न पर नवे सिरे से विचार कर रही है।

कस्तूरवा स्मारक-निधि— भारतीय स्त्रियों की प्रगति का ऊपर दिया हुआ वर्णन तब तक अनुरा रहेगा जब तक उस प्रगति को शक्ति देने वाले 'कस्तूरवा-स्मारक यान्दोलन' की भी योही बहुत चर्चा न कर दी जाय। १९४२ के ग्रान्दोलन के सिलसिले में ही कस्तूरवा गांधी जी के साथ जेल में नजरबन्द थीं और वहीं परवरी १९४४ में उनकी मृत्यु हुई। मदामाजी की राय से कस्तूरवा स्मारक निधि के सरकारी ने स्त्रियों—विशेषतया ग्रामीण स्त्रियों—की दशा में सुधार के लिए एक अप्रियल भारतीय संस्था की योजना बनाई। इस योजना वा सुख्य अग है ग्रामीण ज़ों वो शाखानिक ढंग के जच्चा-खानों तथा उपचार-गृहों से सुनिजित करना तथा

पूरे देश म स्त्रियों की उन्नति का सन्देश ले जाने के लिए संविधान और रुद्र तेजर करना। वही बगहों म ट्रेनिंग के लिए कैम्प स्थापित किये गये जर्हे प्राथमिक निकित्स, चच्चा तथा गोंव की देस-भाल की शिक्षा दी जाती था। इस याज्ञना का अच्छी प्रगति हुई है।

अपने देश म स्त्रियों की उन्नति के विषय म दिये हुए वर्णन से यह पता चलता है कि पिछली शताब्दी के आत्म चरण से, जब उनकी दशा सभ्यता से निचली सीढ़ा पर थी आज तक वे उन्नति की किस सीमा तक पहुँच चुकी हैं। '१६५०' ई. तक स्त्रियों की सामाजिक, शिक्षा-सम्बन्धी तथा राजनीतिक प्राप्तियों का लहर इतनी ऊँचाई तक उठ चुकी थी कि प्रान्तों तथा भेंटों की 'पिधान समाजों' को मिलाने पर स्वा-सदस्यों की संख्या अस्ती होती है और इस प्रकार स्त्रियों के राजनीतिक प्रभाव तथा स्थान की दृष्टि से भारत सभार म तामर नम्बर का देश ठहरता है। उनकी इस अनायो उन्नति का एक कारण यह भी है कि उनकी स्वतन्त्रता तथा उन्नति का ग्रान्टोलन स्वतन्त्रता के राष्ट्राय स्थापन से मिल गया था। देश का स्वतन्त्रता की प्राप्ति म उतना आधक सहयोग और विसी चीज से नहीं मिला जितना महात्मा गांधी ने नवरूप म कार्य करने वाले मुन्द्र तथा उदार नारीत्व से।

पिछले चालीस या ऐसे ही कुछ वर्षों से भारतीय स्त्रियों ने ग्राहन्यजनक प्रगति की है। तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि विचार, वाणी तथा कार्य रूपों म उन्हें वही सफलता मिली है जो आहरी ग्रनेक देशों की स्त्रियों का मिली है। उत्तरी भारत म पर्दा तथा दाक्षण्यी भारत म पुरुष अनुगमन पर जार तथा अपनाइ गया कई बुराईयों के साथ गाल विवाह की प्रथा ने मध्यम तथा ऊँचे वर्ग की स्त्रियों को अत्यावश्यक स्वतन्त्रता से बाचत कर रखा है। गोंव म, जहाँ शिक्षा तथा राष्ट्रीयता का प्रभाव अभी नहीं फैला है, स्त्रियों की दशा अब भी शोचनीय है।

स्त्री-संस्थाएँ— स्त्री ग्रान्टोलन के इस अध्याय को समाप्त करने से पहिले तान अपिल म रत्नी संस्थाओं का आर भी, जो एक-एक करने स्थापित हुई और जर भी कार्य कर रही है, सफल कर दना अनुग्रह करना होगा। मग्ने पहली संस्था आ भारतीय स्त्री उगठन' नाम की जो १६१७ म स्थापित हुई थी और जितकी डॉस्टर एंटी वसेट प्रेमिडेन थी। इसका उद्देश्य था देश की सारी नारियों को पारस्परिक तथा मातृभूम की सेवा के लिए एकता कर सून म बोधना। इसने ही तत्वावधान म दश की प्रमुख चौदह स्त्रियों का एक दल, जनकी अगुवा श्रीमती सराजनी नायड़ थी, मिं० मान्टेन्यू तथा लाई चैम्पफार्ड से १६१७ क दिसम्बर म मिला और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जन्म-जन्म की देस भल की मुविधा दे साथ पुल्पो की बराबरी म स्त्रियों को भा बोढ़ देने के अधिकार की मार्ग की। दूसरा संस्था है १६२५ म

स्थापित 'भारतीय द्वियों की राष्ट्रीय बोसिल'। यह सस्था सामाजिक सुधार की योजनाओं तथा कार्यों को व्यवस्थित करने तथा भारतीय द्वियों का प्रब्लेम देशी का द्वियों के सम्पर्क में रखने का विशेष प्रबन्ध करती है। तासरी है 'ग्रामिल-भारतीय स्ट्री सम्मेलन'। १९२६ के अक्टूबर में दो उद्देश्यों से इसकी घटापना हुई थी। एक उद्देश्य या प्रगल्ले के गिर्जा-टन्सपेक्चर की चुनौती का स्तीकार करना जो उन्होंने देश की द्वियों को दो थी और उन्हें यह पतना कि वह अपनी लड़किया के लिए निस प्रभार में गिर्जा चाहता है। दूसरा या देश में काम करने वाली विभिन्न स्त्री समस्याओं की शक्ति एक ही बिन्दु पर देन्तिक करना। बर्तमान समय में यह स्त्रिया की सबसे महत्वपूर्ण तथा समिय सम्भा है और यह उनको प्रभने विचारों का व्यक्त करने का बड़ा उपयुक्त मन्त्र प्रदान करती है। इसका अधिवेशन साल में किसी एक नडे शहर में होता है और राजनैतिक विचार-धारा की मिया में यह सत्या नहुत प्रिय बन गई है। यद्यपि इसकी मूल सम्थापिताओं का विचार स्त्री-शिक्षा के प्रश्न पर ही अधिक ध्यान देने का था किंतु प्रपने तीसरे चारिस अधिवेशन में सामाजिक सुधारों का भी अपने वार्ष-क्रम में सम्मिलित करके इसने प्रपना क्षेत्र और अधिक विस्तृत कर लिया। स्वा शिक्षा, पुरुषों न समान नोट देने का अधिकार, विनाह का उप्र बढ़ाना, अप्रश्यता नियारण तथा जातीय अन्धना का विनाश, पर्दा-निवारण, जायदाद के बारे में स्त्री-गमन्धी कानूनों में नुधर तथा कनून द्वारा बहु विनाह का निषेध— सम्मेलन का ध्यान अधिक वरने वाले ये तुछ प्रमुख विषय हैं। इस सम्भा का कार्य प्रत्येक वर्ष वित्त रात होता जा रहा है और यह इस गत का प्रमाण है कि हमारा स्त्री समाज अपने वर्त्तव्य में भी उतना ही अवगत है। जबतना ग्रामिल से और राष्ट्र निर्माण के महान् कार्य में ग्रना। शक्ति के अनुकार सद्यग देने के लिए वे गुरु द्वप से तप्त हैं। ये सम्मेलन किसी राजनैतिक दल के नहीं होते, सम्था दलगत राजनीति में भाग नहीं लेती किंतु उन सभी प्रकार के प्रश्न। तथा मामलों पर— राजनैतिक तथा आय—विचार वरने के लिये स्वतन्त्र है जो विशेषतया स्त्रियों तथा बच्चों से सम्बन्ध रखते हैं। विश्व की न्याया शान्ति न लिए इसने भरतीय स्वतन्त्रता पर आधक जार दिया है। यहौं उस एकता की भावना पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है जिससे इसके भभा कार्य तथा विचार अनुप्रगति रहे हैं। हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई एवं पारसी मिया म, धर्म और जाति की भावना के परित्याग करके, पारस्परिक सद्भाव उत्तन करने तथा उन सभी पर पाश्चात्य मिया के उदार विचारों की छलझ चढ़ाने में इस सम्भा का अमाधारण सफलता मिली है। भारतीय उन्नत नारी-समाज ने जातिन्यांत, तथा नडे छाँट का भेट छोड़ कर सम्भन्न के कार्यों में शाय वैग्याक है और उसे अपनी सदानुभूति दा है।

ग्रामिल भारतीय स्ट्री-सम्मेलन के समाप्तियों की और एक दृष्टि द्वालने से ही यह स्पष्ट हो जायगा कि उसके कार्यों पर साप्रदायिक या स्वीर्ण विचारों का प्रभाव

नहीं पढ़ा है। इस सूनी में महारानी रड्डीदा, भोगल की स्त्रीया वेगम, हर्माया श्रीमती सरोजनी नायड़, लेडी आर नोलकठ, लेडी अब्दुल कादिर, द्रावननोर की महारानी, मिसेज कजिन, राजकुमारी अमृतबौर, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पडित श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय, लेडी रामा राव और श्रीमती अनुनूयागाई काले सम्मिलित हैं। इस सम्मेलन की सदस्यता २७,००० तक पहुँच चुकी है, इसकी ४० शाखाएँ तथा १६४ प्रशासनाएँ हैं।

मुसलमानों का सामाजिक जीवन

भारत में सामाजिक जीवन धार्मिक विचारा तथा कृत्यों से प्रभागित होता है। अपने धार्मिक ग्रादेशों तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण में हिन्दू धर्म तथा इस्लाम एक दूसरे से ग्रलग पड़ते हैं। इन तथ्यों में यह निर्णय किया जा सकता है कि मुसलमानों तथा हिन्दुओं के सामाजिक जीवन में मूलभूत भेदों का होना अनिवार्य है, लेकिन वात वास्तव म ऐसा नहीं है। साथ ही साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि दोनों म एक ही अन्तर नहीं है। अतः यह अवश्य लेकिन इतने मूलभूत नहीं है कि नीचे बृहने वाली एकता की धारा—इस पर पहले ग्रध्याय म प्रकाश डाला जा चुका है—पर परदा पड़ सके। यह कथन कि मुसलमान म जातिगत बोई भेद ही नहीं है, सभूर्ण सत्य नहीं है। जैसा कि इस ग्रध्याय में पहले कहा जा चुका है, अपार धर्म बदल कर मुसलमान बनने वाले हिन्दू अपने नये रूप म जाति व्यवस्था भी लेते गये। यिन ग्रोर सुनियों में बड़ा अन्तर है, इसके अतिरिक्त शेष सैयदों तथा मुगल पटानों के बीच भी बड़ा दीवार है। इन लोगों म अतर्जातीय विवाह नहीं होते। फिर भी, यह मानना पड़ेगा कि भारतीय दस्ताम हिन्दू धर्म से अधिक लोकतन्त्रात्मक तथा जाति पॉर्टिके भेद भाव से उससे बही कम प्रभावत है। मुसलमानों को अस्वृश्यता का प्रश्न नहीं हल करना है, वे सभा एक ही बर्तन से पानी वी सकते तथा एक ही बगाह बैठ कर स्वा सकते हैं। अपना जोड़ा ढूँढ़ने ने लिये भी उनके यहाँ कम बन्धन हैं, चर्चेरे भाइयों तथा बहनों में विवाह कार्या प्रचलित है। हालाँकि इस्लाम बहुविवाह की आशा देता है और उसे पखन्द भी कहता है, फिर भी भारतीय मुसलमान अविवृतर एक ही विवाह करना अच्छा समझते हैं। उनमें भी ऊँचे स्तर के लाग विधवा ग्रा वा विवाह ठीक नहीं समझते, गा उनके धर्म म विधवा विवाह बर्जित नहीं है। उनमें हिन्दुओं की भाँति विवाह धार्मिक बन्धन नहा, पारस्परिक लाभ के लिए यह एक सौदा है जो तलाक देकर समाप्त किया जा सकता है। फिर भी तलाक कुछ अधिक प्रचलित नहीं है। मुसलमानों की स्त्रियों सम्पत्ति की स्वामिना भन सकती है और इस प्रकार अपनी हिन्दू वहना से वे अच्छी दशा म हैं, लेकिन सर मिलाकर इन्होंने भी मुसलमानों म भी वही दशा है जो हिन्दुओं में। एक बात म तो उनकी हालत हिन्दुओं से भी गयी-गुजरी है ऊँचे स्तर के लोगों में यहाँ पड़े की प्रथा हिन्दुओं से कहा अधिक कहाँहै के साथ भरती जाती है।

राजनैतिक चेतना से मुख्यमाने की विरों हिन्दू भिन्ना के मुकाबिले बहुत कम प्रभावित हो पाती है।

सिक्खों, जैनियों तथा अन्य द्योटे धार्मिक बन-सनुदायों का सामाजिक जीवन हिन्दुओं के सामाजिक जीवन से मिलता-जुनता है। पारसियों का समाज कुछ भिन्न अवश्य है। उनमें जाति-भेद नहीं है ग्रौर वे अन्यों प्रकार शिक्षित और शिष्ट हैं। उनकी स्थिरों में पड़ें की प्रथा नहीं है, रियाह भी वे शीघ्र नहीं करते। तलाक भी आज्ञा स्त्री तथा पुरुष दोना को है।

अध्याय २ का पूरक

कुछ सामाजिक समस्याएँ

परिचयात्मक— अपने देश के सामाजिक जीवन का उपर दिया हुआ वर्णन अधूरा रह जायगा अगर उन छढ़ी समस्याओं की ग्राह सदत— साक्षर ही सही— न कर दिया जाय जिनसे हम निवटना है। उसमें से कुछ का, जैसे विवाह या अछूतोदार का सम्बन्ध हमारी उन विभिन्न सामाजिक समस्याओं तथा व्यवहारों से है जो हमारे सामाजिक जीवन का अभिन्न अग्र बन गये हैं। कुछ समस्याओं, जैसे साम्प्रदायिक प्रश्न, का सम्बन्ध हिन्दू-मुसलमानों के बीच के उस अन्तर से है जिसका प्रगाह अग्रेज शासकों ने अपने 'विभाजन द्वारा शासन' की नीति में किया। कुछ समस्याएँ, जैसे भ्रष्टाचार तथा चोराजारी, अभी हाल में उत्पन्न हुई हैं और द्वितीय महायुद्ध ने कारण गिरे हुए नैतिक स्तर का ही पारणाम है। पछली दो समस्याएँ क्वाल भारत में ही प्रचलित नहीं हैं, वे लगभग सारी दुनिया में व्याप्त हैं, किंतु यही सोचकर हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

(अ) **असाम्प्रदायिक प्रश्न**— पहिले हम साम्प्रदायिक प्रश्न पर विचार करेंगे। लगभग आधी शताब्दी तक यह बड़ा हा गम्भीर तथा परेशान करने वाला प्रश्न था रहा और इसी ने कारण हम अपने विरोधियों की उपेक्षा और उनका व्याप सहना पड़ा। सौभाग्यवश इसका हल होना गया है और अब यह उतना गहरा तथा भीड़ प्रश्न नहीं रह गया है।

यह समस्या कभी भी शुद्ध रूप से सामाजिक तथा धार्मिक नहीं रही, उसमें राजनैतिक भी शामिल था। यह कहा जा सकता है कि सामाजिक तथा धार्मिक होने की विनियत यह प्रश्न राजनैतिक अधिक था। यह अधिकतर अग्रेज कूटनीतिज्ञों द्वारा उन प्रयत्नों का फल था जिन्हें उन्होंने हिन्दू तथा मुसलमानों को एक दूसरे से अलग रखने की नीति से किया था। एक दूसरे अध्याय में इस प्रश्न के इस पहलू की विस्तृत विवरण होंगे यहाँ हम क्वाल उसके धार्मिक तथा सामाजिक पहलुओं का ही विवरण करना चाहते हैं।

साम्प्रदायिक प्रश्न के विषय में पहला ध्यान देने योग्य चात यह है कि यह मुख्यतया हिन्दू मुस्लिम ही प्रश्न था, कभी कभी यह सिर्फ मुस्लिम भी हो जाता और वहाँ ही कम अवसरा पर यह हिन्दू सिक्ख प्रश्न भी। हिन्दू ईसाई या मस्लिम ईसाई भगवें का रूप इसने बहुत ही कम या कभी भी धारण नहीं किया। इस स्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि धार्मिक विश्वासों तथा कृत्यों के भेद के अलावा समस्या की तह में कोई और चीज भी थी। यदि क्वाल धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों के भेद से ही साम्प्रदायिक विपरीता उत्पन्न हुई होता तो वह सिक्खों ईसाईयों तथा मुसलमान

इसाइयों के बीच भी होती। इसके अलावा शिक्षा के प्रसार तथा धार्मिक उद्देश्यों की भाग्यना रे, जो वर्तमान सुग की एक प्रमुख विशेषता है, प्रसार के कारण इन साम्प्रदायिक भगवानों में कमी आ जानी चाहिए थी। लेकिन इसने ठीक उलटे हम देखते हैं कि जैसें-जैसे वर्तमान शताब्दी बढ़ती गई, हिन्दू मुस्लिम प्रश्न तूल पकड़ता गया और इसे सबसे अधिक महकाने वाले शायद पटेलिसे व्यक्ति ही थे। यह बड़े मजे की बात है कि साम्प्रदायिक भगवाने तभी उभड़ते थे जब काइ राजनैतिक सुधार होने वाला होता। राजनैतिक सुधार के कार्यान्वित हो जाने के बाद अपेक्षाकृत शान्ति हो जाती। साम्प्रदायिक सधौर अपनी चरम सीमा पर उस समय पहुँचा जब अंग्रेज सरकार ने भारत को सत्ता हस्तान्तरित करने की घोषणा की। स्वतन्त्रता के प्रमाण से कुछ पहिले ही बलवत्ता तथा नोआखाली के भीषण दगे हुये। विभाजन के साथ घटने वाली भयभर घटनाओं के बाद देश में आने वाली साम्प्रदायिक शान्ति इस बात का प्रमाण है कि अंग्रेजों द्वारा मुग में साम्प्रदायिक विरोध धार्मिक या सामाजिक होने से राजनैतिक कहीं अधिक था।

अंग्रेजों की 'विभाजन द्वारा शातन' की नीति का इस समस्या की उत्तरांत तथा निष्ठली आधी शताब्दी में उसके विषयम रूप से निस्सन्देह भूत गहरे सम्बन्ध था। लेकिन इस सारे ब्राह्मण की जिम्मेदारी अंग्रेजों पर ही जाड़ देना अपने प्रति ग्रौदार्य तथा उनके प्रति कठोरता ही होगी। हमें यह मानना पड़ेगा कि दोनों दलों के सामाजिक सम्बन्धों, उनकी शिक्षा तथा जीवन-प्रणाली में ही कुछ ऐसी खराबी या जिसने मक्कार विदेशियों को अच्छा भौका दिया। चौड़हवीं तथा ग्राटारहवीं शताब्दी के बीच के समय में हिन्दू तथा मुसलमानों में पर्याप्त एकता उत्तम हो गई थी जिसकी स्पष्ट भलकू उस समय के साहित्य, सर्गात, चित्रकला, वास्तुकला तथा दादू, करीर, नानक जैसे सन्तों द्वारा हिंदू गये प्रश्लों में मिलती है। इन सन्तों ने हिन्दू धर्म और इस्लाम, दोनों के तत्त्वों को मिश्रित करके उसे एक नयी दिशा दी। उन्नीसवीं शताब्दी की जागृति ने इस नवीन दिशा को घस्का पहुँचाया। हिन्दूओं ने 'वेदां की आर', 'उपनिषदों की ओर', मुसलमानों ने 'पैगम्बर की ओर' के नारे लगाये और दोनों धर्मों के अनुयायियों का स्वयं हजारों वर्ष पहिले के महापुरुषों, विभिन्न धार्मिक परमराया तथा रस्म-रिवाजों की ओर मुड़ गया जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों जीवन के कुछ चैप्स में एक दूसरे से विलकुल अलग हो गये। जागृति-आनंदोलन के प्रभाव में पड़कर हिन्दू तथा मुसलमानों ने उस आपसदारी को छोड़ देना प्रारम्भ कर दिया जिसे दोनों ने एक दूसरे से सीखा था। इस प्रसार दोनों के आपसी सम्पर्क तथा समिलित जीवन का बहुत सी चीज़ समाप्त हो गई। अलग-अलग निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्माण से जागृति द्वारा उत्तम परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों को और बढ़ावा मिला। निर्वाचन-क्षेत्रों

की इस व्यवस्था में हिन्दू मुसलमानों को बोट के लिए न रेवल एक दूसरे से मिलने की आवश्यकता नहीं थी बल्कि इससे भी बुरी चीज़ यह हुई कि उसी व्यक्ति के चुने जाने की सम्भावना रहती जो अपनी जाति की मलाई के लिए बातें बना सकता और विरोधी दल की सूचा बुराई करता। ऐसे बातावरण में शारारती लोगों को 'मस्तिष्ठ चे सामने गाना-बजाना', 'पीपल की डाल काटना' या 'गोदत्या' का बहाना लेकर उत्पात मचाने का अच्छा अवसर मिलता। यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों जातियों ने उच्च तथा मध्यम वर्ग के लोग दगे, लूट, लड़ाई, लुरेबाजी और निर्दोष स्त्री पुरुषों पर ग्राक्रमण करने में भाग नहीं लेते थे, गुन्डे लोग ही ऐसी चीजों में जो खोलकर भाग लेते हैं। हाँ, पर यह समझ ही सकता है कि वे कुछ ऐसे पड़े लिखे साम्रादायिक लोगों के भड़काने पर ऐसा काम करते रहे हों जो अपना काई मतलब साधना चाहते थे।

स्वतन्त्रता के साथ एक नवीन बातावरण की सुष्टि तथा ऐसे लोगों की कमी जो हिन्दू-मुस्लिम विरोध से लाभ उठाना चाहते हैं, इन दो कारणों से अब देश में साम्रादायिक एकता की भावना पिर से स्थापित हो गई है। इस तथ्य को दृष्टि में रखने पर अतीत में हुए साम्रादायिक भगड़ों के कारणों का विवेचन आवश्यक नहीं प्रतीत होता। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि दोनों जातियों के पारस्परिक सम्बन्ध और गहरे हों, एक दूसरे से समर्क के मौकों में बढ़ती हो और हर व्यक्ति को एक दूसरे के धर्म तथा दर्शन को समझने तथा उसकी प्रशासा करने के अनेक सुव्यवसर मिलें। स्वाध्याय मठल, सब के लिए एक ही राष्ट्रीय त्यौहार, दोना जातियों के लोगों का एक दूसरे के त्यौहारों में भाग लेना तथा सम्मिलित निर्वाचन-चेनों का स्थापना ये कुछ तरीके हैं जिनसे एक दूसरे के अधिक निकट आने के मुव्यवसर मिल सकते हैं।

पठित जवाहरलाल नेहरू वे नेतृत्व में हमारी नवीन सरकार ने दोनों जातियों के बीच की खाई को पाटने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाए हैं। उदाहरणस्वरूप रेलवे स्टेशनों पर हिन्दू और मुसलमान जलपानगृह अलग अलग नहीं हैं, 'हिन्दू-पानी', 'मुसलमान पानी' की ग्रावाज भी अब नहीं सुनाई पड़ती जिसके शोर के मारे पहिले नाकों दम था। अतीत में ऐसा कोई राष्ट्रीय त्यौहार ही नहीं था जिसे सभी जातियों के लोग मना सकते। 'स्वतन्त्रता दिवस' के रूप में १५ अगस्त, 'राष्ट्र पिता के जन्मदिन' के रूप में, २ अक्टूबर, 'राष्ट्रीय त्यौहार' के रूप में ५६ जनवरी तथा अन्य कई महत्वपूर्ण दिन इस कमी की पूर्ति काफी हद तक करते हैं। ये दिन ऐसे हैं जब सभी भारतीय जाति-पांचि, जम या धार्मिक विश्वास का भेद छोड़ कर एक दूसरे से मिल कर आनन्द मना सकते हैं। सबसे बड़ी शक्ति, जो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिस्तर, पारसी, सभी को एक विशाल राष्ट्र का सदस्य बना सकती है, यह है धर्म-निरपेक्ष भारताय राज्य का आदर्श जिसमें जाति, धर्म इत्यादि का भेद-भाव त्याग कर सभी के साथ

समान अवधार होगा और सभी आपने अधिकारों का प्राप्त उपभोग कर सकेंगे। राष्ट्रीय एकता की भावना को पक्की करने के लिए इस कल्यान के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अलग-अलग साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्लैबों को तोड़ कर, दस वर्षों तक हरिजनों या पददलित जातियों को छोड़ कर किसी अन्य के लिए स्थान सुरक्षित न करके तथा समिलित निर्वाचन-क्लैबों की स्थापना द्वारा संविधान ने इस ओर एक जोरदार कदम उठाया है। स्वतंत्रता आने के साथ साथ इन नई शक्तियों के विरोधी होने से कोई भी यह आशा कर सकता है कि साम्प्रदायिक समस्या बहुत शीघ्र ही बेवल आतीत की ओर रह जायगी।

राष्ट्रीय त्विज पर काले बालों का एक दुक्कड़ा ग्रन भी बाकी है मिन्तु यह अब कृत्ता जा रहा है। मतलब है राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-संघ के रूप में हिन्दुओं के एक विशिष्ट भाग में साम्प्रदायिक भावना के उदय से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ का उदय एक असाधारण अवसर पर और असाधारण तरीके से हुआ। यह उस मुस्लिम साम्प्रदायिकता के जवाब के रूप में बना जिसको अब्रेबी सामाजिकाद ने अपना मतलब सिद्ध करने के लिए प्रथम तथा उच्चे बना दी थी। हिन्दुओं का संगठन करके और उनमें एकता की भावना का विकास करके राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-संघ ने कुछ अच्छाई भी की है। लेकिन जिस प्रकार मुस्लिमानों ने पाकिस्तान को अपना घर तथा वहाँ की सरकार को इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार चलाने की इच्छा प्रकट की है उसी प्रकार यह सत्था भी भारत को हिन्दुओं का राष्ट्रीय घर तथा यहाँ की सरकार को शुद्ध हिन्दू सरकार बनाना चाहती है। संघ का यह उद्देश्य भारत के 'धर्म-निरपेक्ष राज्य' की धोषणा से बहुत दूर पड़ता है। सचमुच यह एक बड़ा विनाशकारी कदम होगा। राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-संघ की प्रवृत्तियों तथा कार्यों से उत्पन्न वातावरण ही ३० जनवरी १९४८ को दिल्ली बाले गहिरे तथा नीच कार्य के लिए उत्तरदायी है। मातृभूमि के सबसे बड़े पुनर्महात्मा गांधी की हत्या उस समय हुई जब देश को उनकी सबसे अधिक शावश्यकता थी। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक-संघ के उद्देश्यों तथा मन्त्रियों के विस्तृत विवेचन का यह उपयुक्त अवसर नहीं है। इसका जिक्र बेवल इसलिए किया गया है कि यह साम्प्रदायिकता की ज्याला को प्रबलित रखता है तथा देश में स्थायित्व और व्यवस्था का आगमन कठिन बना देता है। आशा की जाती है कि महात्मा गांधी के सपनों के 'धर्म-निरपेक्ष भारत' का आदर्श भारतीय शीघ्र अपना लेंगे।

हिन्दू-मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी— महात्मा गांधी ने अपने कार्य क्रम में हिन्दू-मुस्लिम एकता को इतना अधिक महत्व दिया था कि इस क्षेत्र में उनकी देन के विषय में कुछ शब्द कहना अत्यत आवश्यक है। विदेशी बधन में हुटकारा पाने के लिए देरा के सामने रखने उनके रक्षात्मक कार्य-क्रम में इस एकता का दड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्राप्ति के लिए उनसे बढ़कर किसी अन्य नेता ने प्रयत्न नहीं किया और यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि इसी की प्राप्ति के लिए

प्रयत्न करते करते उनकी मृत्यु हुई। जब तक वे जीवित रहे, अपने प्रयत्नों में उन्हें आधिक सफलता न मिली, किन्तु, उनके उलिदान ने इस समस्या को इसके सफल और अन्तिम हल के बहुत समीप ला दिया। नोआगामी म उनके नगे पैर भ्रमण तथा वहाँ मुसलमानों के घर जाकर शान्ति के लिए उनकी अधीन ने पाशविकाता के तूफान को शान्त कर दिया और स्थिति को और अधिक नाजुक होने से बचा लिया। जब साम्राज्यिकता क पागलपन ने लाखों मनुष्यों को जड़ नहा दिया था और जब देश के बचे खुचे भागों म भी इस अग्नि के फैल जाने का ढर था, उस समय कलन्ता और दिल्ली म उनकी उपस्थिति का विलक्षण प्रभाव पड़ा। मुसलमानों ने यह अनुभव किया, जैसा कि शायद उन्होंने पहिले कभी नहीं किया था, कि माँधी जी उनके सबसे बड़े मित्र तथा शुभेच्छु थे, और हिन्दुओं ने भा यह समझा कि साम्राज्यिक धूसा तथा विद्रोप से उनका तनिक भी भला नहीं होगा। हालांकि उनके जीवन तथा मृत्यु से यह साफ पता चलता है कि साम्राज्यिक शान्ति तथा एकता स्थापित करने का उनका अपना क्षय तरीका था, परं भी साम्राज्यिक एकता रे तात्पर्य तथा उसे सिद्ध करने के उपायों पर उनके अपने शब्द उद्धृत कर देना लाभप्रद होगा। उनके अनुमार, ‘हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का सच्चा गौरव अपने ग्रन्थ के प्रति सच्चा रहकर भी एक दूसरे के प्रति सच्चा रहने म है। हमारे समान उद्देश्य, समान गतव्य तथा समान सुख दुःख म है। एक ही उद्देश्य तक पहुँचने के लिए एक दूसरे का साथ देने, एक दूसरे के दुखों को बेयाने तथा पारस्परिक सद्भाव से ही इसकी सबसे अच्छी वृद्धि होती है। हम सबको एक ही स्थान तक जाना है। हमारी इच्छा है कि हमारा यह महान् देश स्वतन्त्र तथा और भी महान् हो। हमें सुख दुःख म एक दूसरे का हाथ बेंटाना है’ ***पारस्परिक सद्भाव की आवश्यकता सभी जातियाँ के लिए है, और सदैव है। हम शान्ति-नूर्दूक नहीं रह सकते यदि हिन्दू मुसलमानों की ईश्वर-उपासना तथा उनके व्यवहारों या रस्म रिवाजों को सहन नहीं कर सकते, या यदि मुसलमान हिन्दुओं की मूर्ति पूजा या गो प्रेम पर उत्तेजित हो उठेंगे । ‘हमारे सभी भगवानों की जड़ है एक का दूसरे को ज्वरदस्ती अपने विचार मनाने की जिद करना।’

(ब) अन्य सामाजिक समस्याएँ— ऐसी समस्याओं की उपस्थिति ने, जो हिन्दू जाति से समय के प्रतिकूल व्यवहार मौगली है इसके लिये अनेक समस्याएँ पैदा कर दी हैं। हिन्दू जाति का भविष्य इस पर निर्भर है कि हम इन समस्याओं को कैसे हल कर लेते हैं।

जनगणना की रिपोर्ट मे गिनाई गई तीन हजार जातियों तथा उपजातियों ने, जो एक-दूसरे से एकदम अलग हैं, हिन्दू जाति के लिये एक बड़ी भाषण समस्या बना रखती है। इसके कारण हिन्दू समुदाय अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गया है जिससे एक सामाजिक भावना वा विचार यदि असम्भव नहीं तो कठिन तो अवश्य हो

गया है। इन जातियों में आपस में खान पान कम और विवाहादि तो विलकुल होते ही नहीं। जो कुछ भी थोड़ा द्रुत आपस में खान-पान तथा विवाहादि होता है वह इत्तियनि नियमों के विरुद्ध है और उनके होते हुए भा चल रहा है। इस भेद-भाव को कम करने एकता तथा शक्ति का निर्माण करना ही इन्दुआ के सामने एक सब से मुख्य प्रश्न है। वर्ती समस्या का नाम यता देना उसका दल बताने से कही आसान है। हिन्दुओं को इस अजीर धारण में लूटकारा दिलाने के लिये कानून से कम शायद किसी अन्य चन्द्र से काम नहीं चलेगा। अनन्यता के कारण उत्तम हुई समस्या भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस अध्याय के प्रारम्भ म ही इस विषय पर पर्याप्त कहा जा सकता है।

भारतीय स्त्रियों की निरक्षरता तथा उसमें उत्तम उनकी पुरुषा की दासता एक दूसरी प्रमुख बुराई है जिसके सम्मिलित परिणाम अन्त में विनाशकारी ही है। जब तक स्त्रियों निरक्षर हैं, सामाजिक उन्नति असम्भव है। मनुष्य स्वयं उन्नति भले ही कर सके, पर उसके साथ साथ जिना स्त्रियों की उन्नति वे, उसके घरों की दशा में सुधार असम्भव है। स्त्रियों के आगे बढ़े जिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। यह समय का उत्तरवाल चिह्न है कि राष्ट्रीय उत्थान की लड़ाई में भारतीय स्त्रियों के महत्वपूर्ण भाग लेने ने कारण अनेक परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन ऐसे हैं जो भविष्य के लिए एक आशा देते हैं। लेकिन ये पर्यावर्तन केवल शहरों तक ही सीमित हैं, और वहाँ भा समाज के सीमित ग्राम तक। मध्यम तथा उच्च वर्ग की स्त्रियों की एक बड़ी समस्या अब भी जनानखाने में बन्द, पारन्द और अमहाय है। आमाला ज़ेवों में भी स्त्रियों की दशा पिछड़ी तथा अनन्तिशील है। वहाँ उनकी शिक्षा ने लिए सुविधाएँ कम या विलकुल ही नहीं हैं और ग्रामीण घरों तक राष्ट्रीय आदानपान का प्रभाव अभी तक नहीं पहुँचा है। इस प्रकार, स्त्री-शिक्षा हमारी सभसे महत्वपूर्ण समस्याओं म है। यहाँ यह कुंजा है जिससे अनेक दरवाजे खुल सकते हैं।

स्त्रियों की उन्नति ने रास्ते म पर्दे की प्रथा भी एक बड़ा अद्वन्दन है। स्त्री शिक्षा के मार्ग म यह केवल एक बड़ी अद्वन्दन ही नहीं है नहीं कि स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा साधारण हानि पर भा इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आन्दोलन ने इस बुराई को अद्वन्द सीमा तक दूर किया है। हजारों स्त्रियों लड़ाई में भाग लेने के लिए घर ने घन्धन तोड़ कर बाहर निकल, ग्राई। जिस प्रकार वे अपने घन्धनों को ताड़ कर बाहर निकलीं वह हमारे नारीत के प्रति एक शुभ देन है। लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रथा का अन्त हो गया। जिस किले का जीतना है उसकी दीवार में अभी एक दर्यर भर पड़ी है।

समर्पिती की स्वामिनी बनने में स्त्रियों की कानूनी असमर्थता पर्ति तथा उसक अन्य समर्पिती वे बुरे व्यवहार के प्रति उसकी विवशता उच्छ्वास अन्य बुराद्वयों हैं।

जिनका निरावरण अत्यावश्यक है। जैसा कि दूसरे सम्बन्ध में कहा गया है इन असमर्थताओं को दूर करने का प्रयास धारा-समाजों ने पेश किये गये प्रस्तावों द्वारा ही रहा है। पैदृक सम्भालि में स्त्रियों के अधिकार का प्रश्न कुछ ऐसी विकट समस्याएँ उत्पन्न कर देता है जिनमें हम यहाँ पढ़ना नहीं चाहते। इस दिशा में काई उत्तापला कदम नहीं उठाना चाहिए।

विवाह समन्वयी कुछ परम्पराओं में भी सुधार की आवश्यकता है। बाल विवाह की प्रथा पर पहले ही विचार हो चुका है। समिलित परिवार की प्रथा के कम होने के कारण उसकी स्थिति की आवश्यकता तथा उसके बुरे प्रभावों को ट्रोकने वाली बातें, सभी समाप्त हो गई हैं। जल्दी ही मातृत्व का बीम समालने के लिये विवश करने तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने के कारण बाल विवाह की प्रथा ने हिन्दू-समाज को अचिन्त्य हानि पहुँचाई है। कानून द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने के प्रयत्न किये गये हैं लेकिन उनमें अधिक सफलता नहीं मिली है। इसे कम हानिकर बनाने के प्रयत्न में विवाह की उम्र पहले दस और फिर बारह कर देने से कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। जनता की भावना तथा इसके विरुद्ध उसकी ऊँची आवाज ही इसका एक मात्र इलाज है।

विवाह में दहेज की प्रथा भी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। देश तथा समाज के कुछ भागों में यह अन्य भागों को बनिस्तत अधिक व्यापक रूप से प्रचलित है। इस प्रथा के कारण गरीब माँ-बाप के लिए लड़की का विवाह कितना बड़िन हो जाता है। कभी-कभी ऐसी घटनाएँ भी हुई हैं जब माँ-बाप को चिन्ता से मुक्त करने के लिए लड़की ने आत्म हत्या तक बरली है। यह एक ऐसी बुराई है जिसे कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, इसके विरुद्ध जनता की जोरदार आवाज ही काम दे सकती है।

हिन्दू विधवाओं की यनीय दशा तथा उनकी बड़ी सख्ता के—दो करोड़ से बे उच्च ही कम है—कारण विधवाओं का पुनर्विवाह भी एक बड़ी और प्रमुख सामाजिक समस्या है। जगन लड़कियों के ऊपर बलपूर्वक लादे गये वैधत्य से अनेक गम्भीर सामाजिक बुराईयाँ उत्पन्न हो गई हैं। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के दिनों से ही धार्मिक सुधारकों ने विधवाओं के पुनर्विवाह पर जोर दिया है और इस विचार का अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए अनेक संस्थाओं की सहित हुई है। यह नहीं कि कुछ प्रगति नहीं हुई लोकन वह बहुत ही कम है। कट्टरतथा सर्कारी हिन्दू पिचारधारा के लिए विधवा विवाह की बात ग्रन्थ भी धूणासद ही है।

*हालाँकि हिन्दू धर्म तथा द्वन्द्वाम दोनों ही एक से ग्रांथिक विवाह की आज्ञा देते हैं, फिर भी दोनों धर्मों के 'अनुयायियों की एक बड़ी संरक्षा एक ही विवाह करती है। ऊपर के लिए के कुछ दोनों-गिने परिवारों तथा शान-शौक्त वाले कुछ सीमित

केत्रों में ही बहु विवाह की प्रथा अब भी प्रचलित है। भारतीय जीवन में बहु-विवाह के सामाजिक प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी, यह आवश्यक है कि इस प्रथा का अन्त हो जाय। हिन्दू कोड विल में ऐसी एक धारा है।

दूसरी प्रथा, जो सौभाग्यपश्च अब समाप्त कर दी गई है तथा जिसका जिक्र किया जा सकता है, वह है मन्दिरों की सेवा के लिए लड़कियों का दान। गो उनका कार्य मन्दिरों में देवताओं के सामने तथा सामाजिक त्यौहारों तथा उत्सवों के अवसरों पर नाचना गाना था लेकिन इस प्रथा ने एक प्रकार के भयकर अभिचार को जन्म दिया है। जाँच में देवदासी के रूप जानी जाने वाली ऐसी स्त्रियों की सख्त मद्रास में दो लाख से भी अधिक आँकी गई थी। मद्रास प्रान्त की धारा-सभा में डाक्टर मुहुलदमी ने १९२८ में एक विल बढ़ी सफलता के साथ पेश किया जिसने मन्दिरों में लड़कियाँ अप्रित करने की इस प्रथा का अन्त कर दिया।

हमारे विवाहों तथा त्यौहारों की एक विशेषता है उससा अत्यधिक खर्च जिससे समाज के निम्न स्तर के लोगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। यह जात तो सभी जानते हैं कि हमारी कमाई का एक अच्छा भाग ऐसे उत्सवों में खर्च होता है। अब वह समय है कि उन्हे सरल तथा कम-खर्च बना दिया जाय। समाज के पढ़े लिखे तथा समझदार सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि वे अपनी तथा दूसरों की भनाई के लिए इस मामले में अगुआ बने।

भारतीय राष्ट्रीय कौम्रेस ने नशायनी की अपने कार्य-क्रम में प्रमुख स्थान दिया था, और यदि १९३७ म पद स्वीकार करने वाले काम्रेसी मनिमंडल कुछ और वर्षों तक बने रहते तो उन्हे अपने प्रयत्नों म उसी समय सफलता भी मिलती। शराब पीने की दुरी प्रथा के कारण देश म आहिन-नाहिन मच्ची हुई है। मौजूदा प्रान्तीय सरकारों ने एक निश्चित समय के अन्दर पूरी-पूरी नशायनी की नीति अपनाई है।

गर्भ नियन्त्रण तथा तलाक के प्रश्नों का थोड़ा बर्झन करके हम प्रमुख सामाजिक रामरस्याओं की इस छोटी विवेचना को समाप्त कर सकते हैं। गर्भ नियन्त्रण तो शायद हाल की चीज है और किसी सी रस्था ने इसे ग्रभी अपरिधित रूप से नहीं अपनाया है। देश की नदी हुई गरीबी तथा आबादी ने इस प्रश्न को विशेष महत्व प्रदान किया है। केवल आबादी रोकने के लिए ही नहीं बल्कि उन्‌ग के लिए भी यह उपयोग बताया जा रहा है जिनका स्पास्य अधिक पब्लिक पैडा के वारण गिर गया है। कुछ लोग गर्भ नियन्त्रण को आवश्यक बिना वृत्तिम उतारा उपयोग अनुचित चता सकते हैं। महात्मा जी ने एक बार इस उद्देश्य को सामने रखकर दूसरा या कुछ ऐसे ही वर्षों तक दिवाही का राक देने की यो दी था। इस प्रश्न पर फिर अधिक जोर नहीं दिया गया।

इस्लाम तथा ईसाई धर्म तलाक की आज्ञा देते हैं किन्तु हिन्दू धर्म नहीं। यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता है या उसकी उपेक्षा करता है तो हिन्दू धर्म में उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी असहाय स्थिति की सहायता करने तथा हिन्दुओं के बीच भी तलाक प्रचलित करने के उद्देश्य से कुछ उत्साही सुधारकों ने हिन्दुओं के बीच भी तलाक प्रचलित करने की राय दी है। बड़ोदा राज्य ने एक तलाक कानून भी पास किया था, किन्तु उसमा उपयाग ग्रंथिक नहीं हुआ। राष्ट्रीय सम्बद्ध के सामने यह प्रश्न है, हिन्दू काड विल की एक धारा का सम्बन्ध तलाक से है। ऐसे निर्णय के पक्ष में लागों की राय ग्रंथिक नहीं मालूम होती। जीवन के हिन्दू दृष्टिकोण तथा विवाह को एक धार्मिक वृत्त्य मानने की उसकी कल्पना से इस प्रथा को मेल नहीं आता। तलाक को प्रब्रह्म देना अपने आदर्शों तथा सत्कृति से ग्रलग जाना होगा।

सामाजिक सुधार और राज्य का कर्तव्य

पिछली लगभग एक शताब्दी से इन तथा अन्य बुराइयों को दूर करने के लिए सुधारवादी सम्प्रदायों तथा व्यक्तिगत रूप से सुधारकों ने भी अनेक प्रयत्न किये हैं। देश के धार्मिक जीवन पर विचार करते समय उनका वर्णन एक ग्रलग ही अध्याय में होगा। इन प्रयत्नों से सामाजिक सुधार का अर्थ आगे बढ़ा ग्रबश्य है किन्तु वह पढ़े-लिखे स्तर तक ही सीमित है। उसम भी कुछ द्वेषों में प्राप्त सफलता प्रशसनीय नहीं है। हालाँकि विवाह की उम्म बढ़ा दी गई है किर भी ऐसे सम्बन्धों में जाति पौत्रि का विचार किया ही जाता है और इनसे सम्बन्धित उत्सवों में खर्चता अब भी उसी दिनाशकारा रूप से चल रहा है। विधवाओं की सख्ता में भी अभी कोई यास कमी नहीं आई है, और असृश्यता का दानव भी अभी अच्छी प्रकार पराजित नहीं हुआ है। जनमत की शिक्षा के द्वारा सुधार करने में देर ग्रबश्य होती है और वह भी भारत जैसे देशों में बहुत जनता अशिक्षित और अधिविश्वासी है और उन पर धर्म का पड़ भी गढ़ी है। इस कारण कुछ एन्टिशील सुधारकों ने यह मत्त रखती है कि व्यक्तिगत रूप से सुधार करने के व्यक्तियों तथा सुधारवादी समुदायों के प्रयत्न को सरकार कानून बनाकर आगे बढ़ायें। उनका वहां है कि एक कानून पास करके बाल विवाह, अनेच्छिक वैध्यन्त, देहें प्रथा तथा द्विपत्नाकरण (bigamy) को जुर्म ठहराया जाय जैसे छूटाछूत को, दिया है। यदि सती और लड़कियों की हत्या की घृणासद प्रथा राज्य द्वारा दर्खें ना सकती है तो कोई कारण नहीं है कि वैसा ही कदम छूटाछूत तथा अनेच्छिक वैध्यन्त समाप्त करने के लिए भी क्यों न उठाया जाय। सामाजिक सुधार के मामले न तो विटिश सरकार न इधर थी न उधर। आवश्यकता तथा मिद्दान्त दोनों ही कारणों से इसने यह नी दृष्टिकोण न करने की नीति की घोषणा कर दी थी। सिद्धान्त-रूप से यह धार्मिक भावनाओं को ऐसे कार्यों से रोकना नहीं चाहती थी जिसे लोग

अपने धर्मिक ग्रंथियारों पर कुदरायघात या हत्याकान समझते हैं। अवसर के विचार से वह इन मामलों को कानून कागजों पर छढ़ाने में हिचकची थी क्योंकि वह जानती थी कि जनता का पक्षन मिलने से वह चांज ग्राहक निरर्थक पढ़ी रहेगी। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों से १८४६ में पास हुए 'ग्रंथापुनर्भिवाह ऐक्ट' से विधि में कोई सुधार नहीं हुआ क्योंकि वह जनता का इस धरण के विश्व फटा था कि मृत्यु भी वैवाहिक बन्धन का काटने में अनमय है। यही हाल उस ऐक्ट का भी हुआ जिसने १८८५ में ग्राल-विवाह की तुरहन कम करने के लिए पहले रजमन्दी की उम्र (Age of consent) दस वर्ष, फिर बारह वर्ष और अन्त में तेरह कर दी थी। यह कानून बेबन जब्ता, वकीलों तथा कुछ पड़े-लिखे लागा तक हा स मित रहा, जनता का इससे कोई सम्बन्ध न था। 'ग्राल-विवाह-नियन्त्रण ऐक्ट' तक, जिसके अनुसार १८ वर्ष से कम लड़कों तथा १४ वर्ष से कम लड़कियों का विवाह जुर्म है, निरर्थक सिद्ध हुआ जिसमा कारण कुछ यह भी हुआ है कि इससा उस चीज से मेज नहीं खाता जिसे मूर्त लोग धर्म का उच्चतर सिद्धान्त मानते हैं।

कठूर तथा संकीर्ण भारतीय विचारधारा ने कनून द्वारा सामाजिक सुधार का विरोध इसलिए भी किया है कि सामाजिक बृत्या के लिए धर्म ने अनुमति प्रदान की है और ग्रहणरेख मरकार ने धार्मिक भावनाओं का अद्वार करने की प्रतिज्ञा की थी। समाज-सुधार के विरोधियों के विकास प्रचाप को हमें कोई महत्व नहीं देना चाहिए, राज्य द्वारा बनाये के नूर्झ का हम केवल इसलिए आदर करते हैं कि धर्म के नाम पर जिन विभिन्न सामाजिक रम्म-रिवाजों के बचावे रखने की गत कही जाती है व वास्तव में धर्म द्वारा अनुमोदित नहीं है। उदाहरण के लिए, कुआदूत कभी भा धर्म की स्वीकृति नहीं पा सकती। जो धर्म इसे स्वाकार करता है वह धर्म नहीं है। उसी प्रकार जो धर्म अवस्था आने से पहले ही लड़कियों के विवाह का आज्ञा देता और उसे व्यवहार-रूप में देखना चाहता है तथा जो वाल विवाहियों के दुष्याय विवाह में रोड़ा अटकाना चाहता है वह सभ्य समाज द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता। हिन्दुत्व के नाम पर इन रीतियों की रक्षा करना सरासर अनाचार है।

यह देश में उत्तरदायितमूर्ख सरकार शासन कर रही है और इसका अवस्थापिका सभाओं में भी जनता द्वारा जुने हुए लोग, जिनका धर्म तथा सम्बृति भा वही है जो जनता की है, कर्म कर रहे हैं, इसलिए समाज-सुधार के कायों में सरकारी सहायता पर ज़िना को आज्ञेन करने की गुजायश नहीं है। सामाजिक सुधारक को जब तक सरकारी सहायता नहीं मिलता। तब तक सुधार के कार्यों में सुरक्षा रहेगी हा। लेकिन किसी बुद्धि के विनश सरकारी कानून बनवाने से पहिले समाज-सुधारक का यह कर्त्तव्य है कि वह लोक-मत को अपने पहाड़ में करे, नहीं तो उसके उद्देश्य को भा वेती दशा होगी जो अस्यानिलान में समाज-सुधार का प्रयत्न करने वाले बादशाह अमानुल्ला की हुई थी। उस सुधारवादी बादशाह को गढ़ी से हाथ धोना पड़ा था।

(स) युद्धोचर समस्याएँ— अन्त में नैतिक पतन, घूसखोरी, नफाखोरी तथा चोरबाजारी जैसी कुछ बुराइयों का ज़िक्र कर देना आवश्यक है जो द्वितीय महायुद्ध की देन हैं और सारे साथर में दैली हुई हैं। यद्यपि भारत युद्ध-स्थल नहीं बना पिर भी उसके ऊपर युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा और वह उस नैतिक पतन से न बच सका जो युद्ध में भौतिक सम्पत्ति के विनाश तथा मानव जीवन एवं मानवी मूल्यों की अत्यधिक उपेक्षा के कारण अवश्यम्भावी सा हो जाता है। युद्ध पर उत्तरांग पठ्ठ की दृष्टि में किसी प्रकार लड़ाई जीतना ही एक उद्देश्य होता है, अन्य चीजें तो इसी मुख्य उद्देश्य की अनुगमिनी हुआ करती है। ऐसी परिस्थितियों के बीच सत्य तथा नैतिकता की सम्पत्ति पहिले हत्या होती है, और इसका प्रभाव लड़ाई समाप्त होने के बहुत दिन बाद तक बना रहता है। आज हमारे देश में भी वही हो रहा है। युद्ध के समय औद्योगिकों, उत्पादकों तथा व्यापारियों ने सरकार नथा जनता को धोखा देकर वर्णनातीत लाभ उठाया है। परिस्थिति की विप्रमता रोकने के लिये सरकार ने क्रियत्रण को नीति अपनाई जिससे चोरबाजारी, घूसखोरी तथा अन्य प्रकार के नैतिक पतनों का प्रारम्भ हुआ जो अब भी है। वेवल जोरदार भाषा तथा कँची आवाज में इन चीजों की बुराई घरने से ही उनसे हुटकारा नहीं मिल सकता। नैतिक नियमों की पुनर्स्थापना ही इनसे हुटकारा दिला सकती है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में नैतिकता का उद्य नहीं होगा, इन बुराइयों की समाप्ति असम्भव है। सरकार द्वारा अपनाये गए तरीकों को तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक उसे जनता का सहृप सक्रिय सहयोग न मिल जाय। बुराइयों के लिये सरकार को कोरने से अच्छा है देश में नैतिक बातावरण की सृष्टि के लिये सचेष्ट होना। इसे यह तय कर लेना चाहिये कि हम किसी धाम के लिए न किसी सरकारी नौकर को घूस दें, न स्वयं लें, जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करें जैसा कि भगवान् ने अपने दैवी गीत— भगवद्गीता— में कहा है।

इस सम्बन्ध में उन शरणार्थियों के पुनर्वासन की दीहृ समस्या का भी नित्र आवश्यक है जिन्हें पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से अपना घर चार छोड़कर इस देश में उन परिस्थितियों में आना पड़ा जिनका वर्णन दर्द तथा कष्ट की साक्षात् मूर्ति खड़ी कर देता है। विशालता तथा जटिलता में यह समस्या अपना सानी नहीं रखती। स्वयं शरणार्थियों तथा जनता के सहयोग के बिना वोई सरकार इसे हल नहीं कर सकती। इसका विस्तृत वर्णन न यहाँ आवश्यक है न सम्भव, सनेत मात्र पर्याप्त होगा।

भारत का आर्थिक जीवन

परिचयात्मक— किसी देश में इन परिस्थितियों के अन्दर धन का उत्पादन, वितरण तथा उपभोग होता है उनका वहाँ के निवासियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और उस देश के नागरिक जीवन का कोई भी विद्यार्थी इस प्रभाव की उपेक्षा नहीं कर सकता। ये परिस्थितियाँ लोगों के चारों ओर वर्ती हैं और उनकी जीवन-पद्धति निश्चित करती हैं। इसलिए हम भारतीयों के आर्थिक जीवन पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे।

भारत में गरीबी— इस विषय में सबसे ग्राधिक ज्ञान देने की चांज यह है कि देश की आकांक्षी की एक बड़ी सख्त्या अपनी जीविता के लिये भूमि पर निर्भर है। सच्चर प्रतिशुत से भी ग्राधिक लोग खेती में लगे हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतया ग्रामीण है, शहरी नहीं। उसके ग्रामीण आर्थिक जीवन की विशेषता है लोगों की भीषण गरीबी। समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा आँखी गई फो आदमी की आमदनी से इस विषय में कोई शका नहीं रह जाती। केन्द्रीय बैंकिंग बौच कमेटी ने ४२ ह० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आँखा था। दो० रुपये ६२ ह० बताते हैं। अस्तित्व भारतीय ग्रामीणोंग सब के सेक्वेटरी श्रोफेसर जै० सी० कुमारपणा को गुजरात में मातुर तालुका के पचास गाँवों की जाँच से यह पता लगा था कि भारत में श्रौसत आमदनी बहुत ही कम है। १६३१ में विभिन्न देशों में पी आदमी आमदनी की नीचे दी हुई सख्त्याएँ अपनी कहानी स्वर्ण कहती हैं— सुयुक गाष्ठ अमेरिका १४०६ ह० ; ब्रेट ब्रिटेन ६८० ह० ; प्रान्स ६२१ ह० ; जापान २१८ ह० ; कैनाडा १६३८ ह० ; आस्ट्रेलिया ७५२ ह० ; जर्मनी ६०३ ह० , भारत ६२ ह० !

यूरोपीय शहरों में भारतीय रुजाओं तथा घनियों के पानी की तरह स्पष्ट बहाने तथा इस बात के बावजूद भी कि भारत कभी स्मृद्ध की जान था जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती थीं, भारतीय जनता की गरीबी एक मान्य तथ्य है। सभी सुशारकों को इस रिपोर्ट पर पहले ज्ञान देना चाहिए। पिछली शताब्दी में १८७० के बाद के दस वर्षों में भारतीय सरकार के जननगणना के डाक्टरेक्टर सर विलियम हन्डर ने इस कथन की पुष्टि की थी। उनके एक लिखित कथन के अनुसार भारत के २४ बरोड़ प्राणियों में ४ बरोड़ आदमी इस दृष्टीय गरीबी में बिते और मर जाते हैं कि उन्हें यह पता नहीं चलता कि भरपेट भोजन किसे बहते हैं। इसका अर्थ यह है कि देश की एक-पाँचवीं जन-सख्त्या भोजन की कमी के कारण स्थायी गरीबी की दशा में रहती थी और इस प्रकार चढ़ी मुमीनत से

अधभूती जिन्दगी विता रही थी। इनके काफी बाद भारत सरकार के एक दूसरे गणना करने वाले विशेषज्ञ सर जे ब्रिगेंटन ने यह लिया कि देश की आबादी की ४५ प्रतिशत बनता अवर्याप्त रूप से भोजन पाकर रहती है। दूसरे शब्दों में लगभग दस करोड़ व्यक्ति अत्यधिक दीनता की दशा में रहते थे। पजाच सरकार के एक सदस्य डा० मनोहरलाल ने, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे, १९१६ में लिया था कि 'गरीबी, पीस ढालने वाली गरीबी, हमारी राष्ट्रीय तथा आर्थिक दशा की भीषण विशेषता है, और मेरे विचार से यह जनता के अज्ञान तथा निरचरता से भी बढ़ कर परेशान करने वाली बात है। मानसिक तथा शारारिक भूत का यह वास्तविक चिन्ह है। सभ्य मानवता इ किसी भी अङ्ग का जीयन ऐसा न होगा' * दक्षिण में कई औसत गाँधों की जाँच पड़ताल के बाद डाक्टर मैन भी इसी नतीजे पर पहुँचे। इसिंडियन मेडिकल-सर्विस के अवक श-प्रात डाक्टरेक्टर-जनरल सर जॉन मेंगो ने यह अनुमान लगाया था कि प्रतिदिन प्रति प्रौढ़ औसतन साढ़े तीन ग्रैस या दो छूट्योंक से भी कम दूध उत्था एक तोला याना आधा ग्रैस मस्तन पाता है। उनके अनुसार इक्सट अविशेषत लोगों को बहुत बुरा पोषण मिलता है।

इस गरीबी के विभिन्न परिणाम हैं। भोजन की कमी ने लोगों की जीवन शक्ति इस हृद तक कम कर दी है कि वीमारियों को राक न सकने के कारण वे अत्यधिक सख्त्या में महामारियों के शिकार हो जाते हैं; जैसे, १९१८ की इन्सुल्यून्जा महामारी में तथा बगाल और विहार ग्रादि की १९४३ तथा १९४४ की महामारिया में लाखों आदमी मर गये। मलेरिया स भी हर साल बहुत अधिक आदमी मर जाते हैं। हर साल लगभग दस लाख आदमी मरते हैं और इससे भी अधिक आदमी चहुत दिनों के लिए बेकाम हो जाते हैं। जीमारी के कारण वे कमज़ोर, चिह्निते तथा परिश्रम के अयोग्य हो जाते हैं। इसका नेवल राष्ट्र की उत्पादन शक्ति पर ही प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि इससे लोगों का इच्छा-शक्ति का भी हास हो जाता है और लोगों का नैतिक स्तर नीचे गिर जाता है। वे विदेशी राष्ट्रों के साथ प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकते और परिणामस्वरूप समय की दौड़ में पिछड़ जाते हैं; इस तरह देश कमज़ोर तथा पिछुड़ा रहता है। सुधारकों का कार्य बटिन हो जाता है और लोग एक अनैतिक बातावरण में घिरे रहते हैं, गरीब होने के कारण वे उन्नति नहीं कर सकते और उन्नति न करने के कारण वे गरीब बने रहते हैं।

समृद्ध भारत को दीन और भुक्तव बनाने में अनेक बातों का उत्तरदायित्व है। उनमें से सबमें प्रमुख कदाचित् ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा भारतीय उद्योगों का विनाश था जिसे इगलैंड की औद्योगिक क्षमति ने प्रेरित किया था। कम्पनी ने अपनी राजनैतिक शक्ति का प्रयोग भारत में बनी चीजों का एक भाग से दूसरे भाग में जाना

* एर्ड्रूज द्वारा उद्धृत : 'दी इंडिया', पृष्ठ १५८।

चढ़ करने में किया, उधर इगलैंड में तेजी से सस्ती चीजों का बनना प्रारम्भ हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय माल की जगह भारतीय बच्चे माल की भूमूँग-चढ़ गयी, और वह भी केवल बाहर ही नहीं बल्कि अपने देश में भी। भारत के रेलवे अधिकारियों द्वारा अपनायी नीति ने इस कार्य में और भी सहायता की। भारत सरकार की व्यापार तथा अदला बदली (Tariff and exchange) की नीति ने भारतीय उद्योगों के विनाश-कार्य को पूरा कर दिया। इन सब बातों का अस्तृत वर्णन यहाँ ग्रनावश्यक है।

भारतीय उद्योगों के विनाश का एक परिणाम यह हुआ कि भूमि पर निर्भर रहने वालों की सख्त बहुत बढ़ गई। सैकड़ों हजारों आदमी जो कपड़ा बनाने सम्बन्धी वातने, बुनने, धोने, रगने, छापने, जैसे काम म, लोहा पिघलाने और लोहे तथा पौलाद के श्रौतार बनाने, कागज बनाने तथा अन्य उद्योगों म लगे हुए थे, कोई दूसरा चारा न रहने पर खेती की ओर मुड़ गये। किर, लालों आदमी जो राजाओं व यहाँ तथा अन्य बड़ी जगहों में सिपाही थे, सब बेकार होकर खेती में लग गये। रेल बन जाने से माल के लाने और ले जाने में लगे हुए हजारों आदमियों पर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। विदेशी व्यापार पर अप्रेजों का एकाधिकार हो गया। इन तमाम उत्पादन द्वेषों ने विनाश का परिणाम लोगों की गरीबी के सिवाय और क्या हा सकता था।

१९४२ में २२ बराफ़ से १९४१ में ३६ करोड़ आगामी हो जाने के कारण भी भूमि पर भार बहुत अधिक हो गया। पिछले ६० वर्षों म जीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहने वालों की सख्त कागज करीब दुगुनी हो गई है। खेती जैसे सीमित विस्तार वाले काम म जितने ही अधिक आदमी लगेंगे, सीमान्त लाभ उतना ही कम होगा। इस लिए हमारे विसान यदि गरीब हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की जात नहीं। सहायक पेशों की कमी तथा वर्दि के कुछ महीनों में बेकारी, देश के अनेक भागों म भूमि का नुटिशूर्य बढ़ावस्त, भूमि पर भारी कर, विसानों पर भारी कर्ज तथा सूट की ऊँची दर, मुकदमेचाजी तथा विवाहादि उत्सवों पर बेकार खर्च, हमारे देश की गरीबी का प्रमुख बारण हैं।

गरीबी दूर करने के लिए कुछ मलाह—भारतीय जनता की गरीबी के प्रमुख कारण ऊपर दिखाये जा चुके हैं। उनमें निम्नलिखित चीजें हैं धरेलू उद्योग-धधों का विनाश, काम तथा रोजगार के उन तमाम रास्तों का बन्द होना जो पहले लोगों के लिए खुले हुए थे, भूमि पर अत्यधिक भार (आगामी की बढ़ती, खेती का पिछ़ा तरीका और मानसून पर इसकी निर्भरता, भूमि का नुटिशूर्य बढ़ावस्त, भूमि का छाटें-छाटे दुकड़ों म धिमाजन, कर का अत्यधिक भार, मुकदमेचाजी तथा उत्सवों में बेकार खर्च, जनता का अशान तथा निरक्षरता। यदि गरीबी दूर करनी है तो गरीबी लाने वाली चीजें भी दूर होनी चाहिए, जीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहने वाली सबता के अनुपात में तो कमी आनी ही चाहिए। इसका अर्थ है नये नये पेशों तथा रोजगार के बरियों की इंशाद तथा विकास। हमें लोगों को काम म लगाने के लिए धरेलू

तथा बड़े उद्योग धन्हों का विकास करना चाहिए। स्वतन्त्रता आने के साथ-साथ पड़े लिखे नवयुवकों के लिए नये-नये काम खुल गये हैं। देश को अपनी रक्षा के लिए एक बड़ी और सुखमित सेना, वैज्ञानिकों तथा कुशल कारोगरों, अध्यापकों, डाक्टरों तथा गाँवों में काम करने के लिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। भारत-सरकार द्वाया तुच्छ समय पहिले निठाई 'वैज्ञानिक मानव-शक्ति के मेटी', ने यह दिसाव लगाया है कि आनेवाले दूसरे पाँच से दस वर्षों तक भारत को ५०,००० वैज्ञानिक तथा टेक्निकल मानव शक्ति की ग्रावश्यकता पड़ेगी। महात्मा गाँधा द्वाया रथापित किये 'अखिल भारतीय ग्रामोग्रांग' तथा 'अखिल भारतीय चर्चां सघ' मरते हुए घरेलू उद्योग धन्हों को नावित तथा स्थायी रपने में बड़ा कार्य कर रहे हैं। राज्य को भी उनकी सहायता ग्रवश्य करनी चाहिए।

जमीन की प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है। देश का उत्पादन और बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो विनाश ग्रवश्यम्भावी है। इसरे लिए मानसून की गुलामी से छुट्टी पाने के लिए सिचाई की व्यवस्था, खेती के उन्नत सरीको, जिसम अच्छे चीज़, खाद तथा खेती की उन्नति की अन्य चीज़े सम्मिलित हो, ह्यौटे-ह्यौटे भूमि के दुकड़ों की चकबन्दी तथा ग्रामीणों म पारपरिक सद्भाव की भावना के विनाश की आवश्यकता है। राज्य सरकार के निकास जोड़ों द्वाया इस दिशा में काफी काम हो रहा है। जमीन के ह्यौटे-ह्यौटे दुकड़ों की चकबन्दी बिना उपयुक्त कानून के नहीं हो सकती। किसी भी राज्य में इस दिशा में प्रयत्न नहीं हुआ है।

बाढ़, कीड़े मकोड़ों, टिहूयों आदि द्वाया खेती का सर्वनाश रोकने वा भी प्रयत्न होना चाहिए। सरकार इस दिशा में भी कुछ न तुच्छ कर रही है।

विसानों को अपनी चीजें बाजार में बेचने की सुविधाएँ मिलनी चाहिए। इसके लिए सहकारी नव-विक्रय सोसाइटियों का सगड़न होना चाहिए। वस्तुर्वा को गाँवों से शहरों में ले जाने के लिए यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए।

भूमि की इस व्यवस्था का, जिसने अनुसार जमीदार रवय नहीं पैदा करता, बहिक भूमि किसानों को लगान पर दे देता है, अन्त होना चाहिए। हर्ष का विषय है कि जमीदारी प्रधा का कई प्रान्तों में विनाश हो रहा है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि लोगों का शिल्पित होना अनिवार्य है; लोकतन्त्र का सुचारू रूप से चलाने के लिए ही केवल शिक्षा की आवश्यकता नहीं है; लोगों की आर्थिक दशा में सुधार के लिए भी यह उतनी ही आवश्यक है। इसम गाँव बालों को स्पृष्ट अपनी सहायता करने म सहायता मिलेगी, इसके ग्रभाव में वे उन चीजों से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे जो सरकार उनकी अच्छाई के लिए करना चाहती है। यह उनको मुरद-मेचाजी तथा फूलारन्ची की आदतों से हुटकाम दिलायेगी। यह भी हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार गाँववालों को साक्षर बनाने का प्रयत्न कर रही है।

खाद्यान्नों तथा खेती से उत्पन्न होने वाली अन्य चीजों की भीपण महगाई के कारण खेतिहारों को बहुत लाम पहुँचा है— उनके कपर लदा हुआ पुराना कर्ज बहुत अश तक समाप्त हो चुका है। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि यदि चीजों का दाम उस स्तर पर रोक दिया जाय जिस पर किसानों को अपनी भेदनत का अच्छा फल मिल जाय, तो यह गरीबों हथने की ओर एक अच्छा कदम होगा।

राष्ट्रीय धन के स्रोत— (१) स्रोती— भारत की भूमि उपजाऊ है, उसकी जलवायु अच्छी है, उसके निवासी सीधे, ईमानदार तथा भेदनती हैं और सींची जाने वाली भूमि संसार के किसी भी देश से अधिक है। यह सब हीने हुए भी यहाँ प्रतिष्ठान उपज अन्य देशों के मुकाबिले बहुत कम है। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, सयुक्त-राज्य तथा जापान की एक एकड़ भूमि में हमारे देश से कहीं अधिक उपज होती है। इससे भी बुरी चीज यह है कि पैदावार बढ़ाने के लिए वहाँ कोई प्रयत्न नहीं किया गया। यदि रूस ने प्रतिष्ठान भूमि की पैदावार १५ वर्षों में १०० % बढ़ा ली तो कोई कारण नहीं है कि अपने देश में भी हम उसी तरह पैदावार क्यों नहीं बढ़ा सकते, विशेषतया जब केन्द्र तथा राज्यों में हमारी राष्ट्रीय सरकार है जो लोगों की भलाई में दिलचस्पी लेती है।

भारतीय स्रोती में बहुत कमियाँ हैं जिनमें से कुछ तो आदमी की बनाई हुई है और कुछ ग्राहकिक। दूसरी ओरी में हम वर्षों की अनिश्चित अवस्था, समय तथा उसका आसमान वितरण, चाढ़ों, टिकियों तथा अन्य कीड़े-भक्षों की भयकरता तथा लगातार उपयाग के कारण भूमि की खराबी आदि को गिन सकते हैं। पहली ओरी में खेतिहार की गराबी तथा उसका अज्ञान, भूमि की शुटिपूर्ण अवस्था तथा देश के कुछ भागों में जर्मानी, भूमि का अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन, लगान तथा कर के रूप में सरकार तथा अन्य चीजों के रूप में जर्मानी तथा साहूकार द्वारा किमान के कपर लाता गया भार, ज्ञापार-मञ्चनी युविधाओं की कमी, साल के कुछ महीनों में बेकारी तथा अन्य सदायक उद्यागों का अभाव, और इन सबका सम्मिलित परिणाम किसान का पुराना चला आया हुआ कर्ज, सम्मिलित है।

इनमें से कोई भी बठिनाई ऐसी नहीं है जो दूर न की जा सके; सरकार द्वारा काम में लाई गई सिंचाई की एक सुन्दरवस्थित नीति से मानसून पर भरोसा भी छोड़ा जा सकता है; और वैज्ञानिक सादों का प्रयोग करके तथा भूमि को आगम देकर उसकी कमज़ोरी दूर की जा सकती है। उपरुक्त तरीकों का प्रयोग करके कीड़े-भक्षों तथा पौधों की बीमारियों द्वारा किया हुआ नुकसान बहुत सामा तक रोका जा सकता है। इस देश में भी वनस्पति-शास्त्र उतना ही उपयोगी हो सकता है जितना अन्य देशों में। अतीत में गरीब किसान की दशा में सुधार करने की प्रबल इच्छा नहीं थी। केन्द्रीय तथा राज्यों में लोक प्रिय सरकारों को स्थापना से यह कमी भी दूर हो गई है। केन्द्रीय

तथा राज्य सरकारों ने 'बहु-प्रयोजन-धारी-योजनाएँ' (Multipurposes River Valley Projects) प्रारम्भ की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है बाढ़ को रोकना तथा सिवाई की सुविधा पहुँचाना, खेती तथा उद्योगों के लिये जल विद्युत्-शक्ति पहुँचाना, मछुली पकड़ने में आसानी, पानी द्वारा आवागमन, जग्जों का विसाम, आदि। इनमें से कुछ प्रमुख हैं :— पश्चिमी बगाल तथा विहार में दामोदर धारी-योजना, उडीसा में हीयकुण्ड योजना उत्तर-प्रदेश में रेण्ड-योजना और मद्रास में तुगम्बद्दा-योजना। इनमें से कुछ छोटी योजनाएँ हैं जो दो या तीन वर्ष में पूरी हो सकती हैं और अन्य यहीं हैं जिन्हें पूरा करने में सात वर्ष या उससे भी अधिक समय लग सकता है। पूरा होने पर वे २५ लाख एकड़ भूमि सींचन तथा पॉच-चूँच लाख टन ग्रनाइज पैदा करके खेती में आश्चर्यजनक उन्नति कर देंगी। और साथ ही माथ लगभग एक करोड़ किलोवाट जल विद्युत् भी तैयार होगी। इस प्रकार १० अरब ८० करोड़ रुपये की लागत से १ अरब ३५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष लगान में मिलेंगे।

खेती का विसाम करने तथा खेतिहारों की दशा में सुधार करने के लिए कई राज्यों की सरकारों ने जर्मीदारा प्रथा तङ्गने का और कदम उठाया है। मद्रास, विहार तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इसके लिये कानून भी लगभग पास कर दिया है। यह बड़ा कान्तिकारी परिवर्तन है और इससे करोड़ों आदमी प्रभावित होंगे।

(२) पशु-पालन— खेती के बाद किसान की आमदनी का प्रमुख जरिया है पशु पालन। लेकिन भारत में पशुओं की सख्ता सबसे अधिक होने के बावजूद यहाँ पशु-पालन सबसे कम है। पशुओं की नस्ल, उनके द्वारा उत्पन्न चाजों, जीने या मरने पर उनके शरीर से मिलने वाली उपयोगी चीजों में अभी सुधार की बहुत गुजाइश है। पशु-पालन के अनेक उद्योगों के उपयुक्त विकास से, जो अब तक अधिकतर अविकसित हैं, काफी सम्पत्ति उत्पन्न की जा सकती है। जनता की हालत में सुधार तथा उनका जीवन स्तर कँचा करने के लिये अनेक राज्य-सरकारों ने बड़े हौसले से कार्य कर चुनाया था। इस प्रगति का निरीक्षण बाद में होगा।

(३) उद्योग धन्धे— भारत के आर्थिक जीवन में खेती तथा पशु पालन के बाद उद्योग-धन्धों का महत्व है। इसकी दो किसमें हैं, पहिली, छोटे पैमाने के या घरेलू, और दूसरी, बड़े पैमाने के या भृणोंनो द्वारा। भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगमन से पहिले छोटे पैमाने वाले या घरेलू उद्योग-धन्धों को बड़ी ख्यात मिल चुकी थी। ये उद्योग-धन्धे देश तथा देश के बाहर के लोगों की आवश्यकताएँ पूरी करते थे। जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, कम्पनी ने जान-बूझ कर उनका विनाश कर दिया। महात्मा गांधी ने उनमें से कुछ की फिर स्थापना के लिए बड़ा प्रयत्न किया। अपिल भारतीय-चर्चा-सभ तथा अपिल-भारतीय-ग्रामाद्याग-सभ इस दिशा में प्रशसनीय कार्य कर रहे हैं। लेकिन जितना अनुमान किया जाता था उससे उन्नति

कम हुई है। बड़े पैमाने वाले या मशीनों के उद्योग पश्चिम की देन हैं इसलिये इनकी उन्नति अभी हाल में हुई है। इनकी उन्नति में वर्दि कारणों से अड़चने पड़ी है जिनमें से प्रमुख थीं, औप्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े हुए गण्यों के साथ प्रतियोगिता तथा विद्युत सरकार का उनके प्रति सौतेली माँ का सा व्यवहार। इन उद्योगों में से प्रमुख रुई, जट, चाय, सिल्क और ऊन, लोटा और फौलाद, शक्कर, कागज, शीशा, लाल, चमड़ा, नील, तमाकू और कापी हैं। रुई की मिलें मुख्यतया बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, कानपुर, नागपुर तथा मद्रास में हैं। जट पर बगाल का एकाधिकार है। सिल्क मैसूर, काश्मीर, तथा बगाल में उत्पन्न किया जाता है। ऊन की मिलें किसी एक क्षेत्र में केन्द्रित या सीमित नहीं हैं। १९३७ में उनकी सख्ता ३६ थी। कानपुर की लाल इमली तथा धारीबाल मिलें देश की प्रमुख ऊनी मिलें हैं जिनमें से पहली एशिया की दूसरी सर्वसे बड़ी मिल है। ऊनी खपड़ा तथा दरियों बनाना काश्मीर, गढ़बाल तथा हिमालय के अन्य देशों का प्रमुख झुटीर-धन्धा है। चाय मुख्यतया आसाम तथा नीलगिरि पहाड़ों में पैदा होती है। भारत समार की संपत्ति की ४०% चाय पैदा करता है। कापी के पौधे मुख्यतया दक्षिण में पाये जाते हैं। शक्कर ने, जो रुई के बाद प्रमुख उद्योग बन गई है, अभी कुछ ही वर्षों में बड़ी आश्वर्यजनक उन्नति की है। १९४०-४१ में शक्कर की पैदावार में लगी हुई जमीन ४,४०२,०६६ एकड़ थी। जिनमें उत्तर प्रदेश का सर्वसे बड़ा भाग २,५१७,६५४ एकड़, दूसरे नम्बर पर पञ्चाब ५४६,१७३ एकड़ और इसके नजदीक ही विहार का ५०८,२०० एकड़ था। १९३८-४० में विहार का दूसरा और पञ्चाब का तीसरा नम्बर था। लदाई के बाद से गन्ने की सेती में कमी आ गई है, १९४६-४७ में बेवल ४,१०८ हजार एकड़ में ही गन्ने की सेती हुई।

पुराने जमाने में कागज ग्रपने देश में हाथ से ही बनता था। मशीन से बने कागज के आयात के बारण यह उद्योग समाप्तप्राप्त हो चुका है। अखिल-भारतीय ग्रामोद्योग-संघ इसे पुनर्जीवित करने का प्रयत्न कर रहा है। वर्तमान समय में १६ मिलें हैं जो लगभग ६०,००० टन कागज पैदा करती हैं। विश्वयुद्ध के समय में विदेशों से कागज मगाने की तरी के बारण इस उद्योग का काफ़ी लाभ पहुँचा था।

भारत यिश्य के प्रमुख तमाकू-उत्पादक देशों में है। बर्मां के निकल जाने के बाद उसका स्थान सयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा है। इसकी सेती का सालाना मूल्य लगभग १८ करोड़ रुपया है। मद्रास प्रमुख तमाकू-उत्पादक क्षेत्र है। कुछ वर्षों से तेल उत्पन्न वाली मिलों का भी विकास हुआ है।^१

वर्तमान समय में भारत काम्ला, लाहा, सोना, लाल और शोरा पैदा कर रहा है। लोहे तथा फौलाद का सामान जमशेदपुर के 'द्याद्य आयरन एण्ड स्टील'.

* ऊन दी हुई सख्ताएँ 'इंडियन द्यूपर बुक' से ली गई हैं।

बहुस' म तैयार किया जाता है जो इन चाँड़ों के उत्पादन का एशिया में सबसे बड़ा कारखाना है। भारत की धातुआओं के धन का क्षेत्र अभी अधिकतर उपयोग ही नहीं हो रहा है। बड़े सभा क्षेत्रों में भारतीय उद्योगों का विस्तृत वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। हम देश के औद्योगिक जीवन के कुछ पहलुओं पर ही प्रकाश डालेंगे।

औद्योगिक जीवन के कुछ पहलु— इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि विदेशियों का इसमें बड़ा हाथ था और अब भी है। भारत के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के मालिक भारतीय नहीं रहे हैं और न उनका सचालन ही भारतीयों द्वारा होता रहा है। बगाल का जूर-उद्योग मुख्यतया ग्राहकरेजों ने हाथ में है, लाभ अधिकाश विदेशियों की जेव में जाता है। यह अन्दरुनि लगाया गया है कि भारतीय मजदूर द्वारा कमाये प्रति बारह रुपयों पर लगभग सौ रुपये एक ग्राहकरेज की जेव में जाते हैं। यही हाल चाय उद्योग का भी है। देश की ग्रनेक रुई तथा ऊनी मिला में भी विदेशियों का हाथ है। कोलार की सोने की गाँवें एक विदेशी पर्म द्वारा चलाई जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे प्राकृतिक वैभवों का लाभ अधिकतर गैर भारतीय ऐजेन्सियाँ ही उठा रही हैं, राष्ट्रीय धन में उनसे कोई अधिक वृद्धि नहीं हो रही है। स्वतंत्रता मिलने से चीजें कुछ बदल अवश्य गयी हैं, अनेक ग्राहकरेजों ने अपना हिस्सा भारतीयों के हाथ बेचकर अपने देश का रास्ता लिया है।

हमारे औद्योगिक व्यवसाय की दूसरी विशेषता श्रम चलिष्टुता है। अपनी औरतों तथा बच्चों को छोड़कर हजारों आमीण बम्बई, ग्रहमदाबाद तथा कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों को दौड़े चले जाते हैं। १६४० में १०,६०० मिलों में काम करने वाले १,५४४,४०० आदमियाँ में १,५८८,००० पुरुष २४७,००० हितर्याँ तथा बाकी बच्चे थे। ऐसे शहरों के श्रम ज्ञानों में रहने वाले पुरुषों तथा स्त्रियों की सख्त्य की असमानता सामाजिक तथा नैतिक ग्रनेक समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। मिल में काम करने वाले मजदूर अपने बांडों में बड़ी ही दयनाव दशा में रहते हैं, सभी मिल मालिक अपने मजदूरों को रहने का स्थान तथा अन्य आराम नहीं देते।

तीसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में अब भी नहुत सी वस्तुएँ, जैसे भारी रासायनिक पदार्थ, मोटर, रेलवे इंजिन, जहाज, आदि नहीं बनते जिनमें विनाउने का आर्थिक दौँचा कमज़ोर तथा ढाला बना हूऱ्या है।

इस स्थल पर पश्चिमी दृग पर औद्योगिकरण चाहने वाले तथा महात्मा गांधी की राय के अनुसार कुनैर उद्योग-धर्घों की स्थापना चाहने वाले लोगों के बीच बाद विवाद का जिक कर देना भी आवश्यक है। पश्चिमी व्यवस्था से प्रभावित लोग शीघ्र औद्योगीकरण चाहते हैं, जो भारत का भी ग्रेट विटन, जरमनी, जापान तथा संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका की तरह एक विशाल औद्योगिक देश देखना चाहते हैं। दूसरी ओर, कुछ लोग महात्मा गांधी को अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं और नुपचाप

पश्चिम की नकल में वे लाभ से अधिक हानि देखते हैं, उनका कहना है कि धरेलू उद्याग-धधों की स्थापना में ही देश का कल्याण है। ऐसे लोग अपनी बात के पक्ष में अधिकतर निम्नलिखित तर्क रखते हैं— कैंचे पैमाने पर मरीन बाले उद्योगों की स्थापना से जनता की गरीबी का प्रश्न नहीं हल होता। उनकी आवश्यकता यह है कि साल के उस समय जब खेतों पर कोई काम नहीं रहता, वे अपने घर में ही कुछ उत्पादन कर सके। यह ध्यान में रखना चाहिए कि खेतों में कुछ समय तक मेहनत अधिक रहती है और पिर बाकी साल बिल्कुल काम नहीं रह जाता है। यह विवशतापूर्ण बेकारी साल के छ महीनों से लेकर ग्राउं महीनों तक देखी गई है। यदि हम विसान की दशा में सुधार करना तथा उसकी गरीबी दूर करना चाहते हैं तो इस साली समय म हमें उसे कुछ न कुछ काम अवश्य देना पड़ेगा। बातना, रसी बनाना, डिलिया बनाना, बाराज बनाना आदि धरेलू उद्योग धधे प्रत्यक्ष इलाज हैं। अधिक मिलाँ की स्थापना से उसे सहायक पेशे नहा मिल सकेंगे जैसा कि सूत-कताई आदि के द्वारा मिल सकते हैं। और दूसरे मामलों में चाहे गाधी जा के विचार भले ही गलत रहे हाँ लेकिन चार्वा चलाने की सिफारिश करते समय उन्होंने भारत की गरीबी की तह तक देर लिया था। चर्वे से चाहे कुछ ही आने प्रतिदिन मिलें तब भी कोई बात नहा।^{१०}

दूसरा तर्क यह है कि श्रीयोगीकरण से यांत्रीय धन का समान-वितरण न हो सकेगा। किसी देश के साधारण जीवन म आवश्यक तथा महत्वपूर्ण चीजें बेबल यह देखना ही नहीं है कि कितना यांत्रीय धन उत्पन्न किया जाता है बल्कि यह देखना है कि उसका उचित विभाजन भी है या नहीं। प्रोफेसर बै० टी० शाह का अनुमान है कि हमारे देश म प्रत्येक सौ रुपयों पर ३३ रुपये कुछ थोड़े से धनियों तथा जर्मीदारों को, ३३ रुपये मध्यमवर्ग को और बाकी ३४ रुपये अमियों को मिलते हैं। लेकिन इन ३४ रुपया में हिस्सा लेने वाले अमियों की सख्त बाकी दो श्रेणियाँ भी सख्त की दूनी हैं। श्रीयोगीकरण इस असमान विभाजन को और भी असमान बना देगा, इससे भारत की परिश्रम करने वाली तथा भूती जनता का पेट नहीं भरेगा। धरेलू उद्याग-धधों का सर्वंत प्रचार से ही मजबूर उत्पादन के उपायों का मालक रहेगा और अपनी मेहनत का उसे पूरा-पूरा फ्ल मिलेगा। हाथ से कताई-बुनाई का यह पहलू, जो कुट्टार उद्याग-धधों का प्रताक है, समाजवादी तथा गैर समाजवादी दोनों का ज़ंचेगा।

मरीन से श्रीयोगीकरण करने के विषद् एक दूसरा तर्क भी है। इन्हलैंड के तैयार माल के लिए भारत सभसे बड़े तथा अच्छे बाजारों म रहा है। इन्हलैंड को यह ढर था कि भारत की स्वतन्त्रता से कहीं उसने माल के लिए बाजार न बन्द

^{१०} मी. एफ. एस्ट्रूज दी ट्रू इण्डिया पृष्ठ १६०।

हो जाय। इसी कारण जापान भी चीन के ऊपर अपना पंजा करना चाहता था। औद्योगिक देशों का जीवन-स्लर इस बात पर निर्भर रहता है कि वे अपना बना हुआ माल दूसरे देशों को भेजते रहे। यदि भारत दूसरा इकलौड़ या समुक्त याएँ अमेरिका बन जाय तो अपना फालू माल बेचने के लिए उसे बाजार कहाँ मिलेगा? क्या अपने माल के लिए बाजार तैयार करने में उसे अन्य देशों से बहुती लड़ाइयों नहीं लड़नी पड़ेँगी? घरेलू बाजार पर्याप्त नहीं होगा चाहे वह कितना भी बड़ा कर्मों न हो। भारत तथा मानवता का भला चाहने वालों का प्रश्न के इस पहलू पर विशेष विचार करना चाहिए।

अन्त में, यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि छोटे पैमाने पर घरेलू उद्योग-धर्षे बड़े पैमाने पर मशानों की बुगाइयों से बरो हैं; जैसे, अम का शायद अम तथा पूँजी के बाब सधर्व, गन्दी कोठरियों का जीवन, शहरों में इकट्ठा हुए विशाल जन-समूह के जावन के लिए उपयुक्त साधनों की कमी के कारण उन्हें नैतिक पतन का ढर और इन सबके ऊरर सदैव बनी रहने वाली बेकारी से जान चच जायगी।

देश भर में हाथ की कताई और बुनाई तथा कुटीर उद्योग-धर्षों के प्रचार के पक्ष में दिये गये इस तर्क को बड़े बुनियादी तथा प्रमुख उद्योगों, जैसे भारी रसायनों, रेलवे इंजिनों, शोटों तथा जहाजों के निर्माण का विराधी नहीं समझना चाहिए। समाज-सेवा की इष्टि से ऐसे उद्योगों को सरकार चला सकती है। उन्हें व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत पूँजीपतियों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता।

औद्योगीकरण के परिणाम—घरेलू उद्योग धर्षों का जो भी लाभ तथा बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण का जो भी दुष्परिणाम हो, वही भर्तीने अपने देश में स्थान पा गई है। प्रमिंद्र औद्योगिकों ने पन्द्रह वर्षों योजना बनाई थी जिसके अनुसार निश्चित समय में प्रत्येक नागरिक की आवृत्त आमदनी बढ़ जायगी। सुदूर वे बाद औद्योगीकरण की सरकार ने अपनी योजनाएँ बनाई हैं। इन योजनाओं का विवेचन अरथवा पिछले सौ वर्षों में देश द्वारा की गई औद्योगिक उन्नति का विलूत वर्णन करना यहाँ आवश्यक नहीं है। हमारा सम्बन्ध केवल चढ़ते हुए औद्योगीकरण का नागरिक जीवन पर ग्रामाच तथा उसके द्वारा उत्पन्न हुई समस्याओं से ही है।

बम्बई, कानपुर, अहमदाबाद, शोलापुर तथा नागपुर जैसे शहरों में औद्योगी-करण के विकास का एक मुख्य परिणाम यह हुआ कि रोजी की खोज में ग्रामीण इन शहरों में आकर भर गये हैं। पिछले पचास वर्षों में औद्योगिक शहरों की आवादी बहुत बढ़ गई है। इससे कई समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं; जैसे, उन्हें रहने का प्रश्न। बहुत ही गन्दी तथा भीड़-भाड़ वाली जगहों की उत्पत्ति हो गई है। ऐसी जगहों में

पुरुषों की सख्त्या स्त्रिया से कही ग्रधिक है क्योंकि सभी मनुष्य अपना परिवार साथ नहीं लाते। इस पड़ी असमानता ने एक बहुत गम्भीर नैतिक समस्या को बना दिया है। इसका लोगों के स्वास्थ्य तथा चरित्र पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। हमने उन सामाजिक, स्वास्थ्य-सम्बन्धी तथा बेस्टरी दूर करने की योजनाओं का विकास नहीं किया है जो पश्चिम का औद्योगिक सम्पत्ता की एक ग्राम बन गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि औद्योगिक मजदूरों की दशा हमारे देश में उतनी अच्छी नहीं है जितनी पश्चिमी देशों में।

दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम हुआ है श्रम-आन्दोलन। मजदूर-सघ ऐसे मजदूरों का समुदाय है जो कार्य की अच्छी दशा तथा अपनी खरीदने की शक्ति के विकास के लिये प्रयत्न करता है। हालाँकि भारत में १८५० में स्थापित होने वाला ग्राही-मजदूर-सघ पहला मजदूर-सघ था, पर भी मजदूर-आन्दोलन प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद से ही ठाकूर तौर पर प्रारम्भ हुआ। आज भी यह आन्दोलन उतना ही शक्ति-शाली तथा सगटित नहीं है जितना इंगलैंड या संयुक्त-राष्ट्र-अमेरिका में है। मजदूरों ने अपने खो संगठित करने, कार्य के कम घन्टे तथा सुविधाओं के पाने, डाक्टरी सहायता या बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता प्राप्त करने में ग्रधिक उत्साह नहीं दिखाया है। उनमें उपयुक्त नेतृत्व की भी कमी है। पर भी, आन्दोलन प्रारम्भ होने के पॉच वर्ष के भीतर यानी १८५६ से १८२३ के बीच देश के विभिन्न भागों में अनेक मजदूर संघों की स्थापना हो गई। व्यक्तिगत संघों से उपयुक्त मेल तथा अन्तर्राष्ट्रीय अम-सम्मेजन की वार्षिक बैठकों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के समन्वय में तिपारिश करने के लिए १८२० में राष्ट्रीय आधार पर एक अंगिल-भारतीय मजदूर-सघ-फॉन्डेशन की स्थापना हुई। जब कम्यूनिस्टों ने १८२६ में इस पर अधिकार कर लिया तो मजदूर-सघ के श्री एन० एम० बोशी कैसे उत्तर सदस्यों ने इण्डियन ट्रेड यूनियन केंद्रेशन नामक एक नये संगठन की स्थापना की। १८३० में पर मतभेद हुआ जिसने परिणामस्वरूप दान स्वतन्त्र संगठन बन गये। एक मक्क्यूनिस्ट दल, दूसरे में उदार दल तथा तीसरे में वाका लोग सम्मिलित थे। इन तीनों दलों को एक मिलाने के कई बार प्रयत्न हुए, और बुद्धि सफलता भी मिली। १८४० में दाना प्रमुख संघों, ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा नेशनल ट्रेड यूनियन केंद्रेशन, ने अपने को एक मन्दिरी संघटन के रूप में मिला देने का निश्चय किया। लेकिन वास्तविक मेल होने के पहिले ही ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं में युद्ध के प्रति तटस्थना के प्रश्न का लेकर मतभेद हो गया। परिणाम यह हुआ कि इण्डियन केंद्रेशन आर्म लेवर का जाम हुआ जिसने सभापति श्री अमनादास मेद्ता और मती श्री एम० एन० राय हुए। यह संघ दूसरे महायुद्ध में भारतीय मजदूरों का पूरा सहयोग दिलाना नहीं था। भारत में ट्रेड यूनियन का अन्तिम विस्तार इण्डियन नेशनल ट्रेड

यूनियन कॉमेस की स्थापना के रूप में हुआ है। देश की कॉमेस सरकारों का इसे सक्रिय सहयोग प्राप्त है।

ओद्योगिक विकास का तीसरा परिणाम हुआ है भारतीय सरकार द्वारा मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए अनेक कानूनों का पास करना। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिक समाजों में अम का प्रतिनिधित्व भी है। उत्तर प्रदेश की विधान-सभा में तीन श्रम-निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्य श्री राजाराम शास्त्री, श्री हरिहरनाथ शास्त्री तथा श्री बी० मुकर्जी हैं।

मजदूर-संघों की माँगें— देढ़ यूनियनों के विकास से अपने देश में मजदूरों ने अनेक माँगें करनी प्रारम्भ कर दी हैं। अधिक से अधिक ४८ घटों का हफ्ता निश्चित करना, न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना, मासिक मजदूरी-प्रथा की स्थापना, साल में कुछ समय के लिये आकस्मिक तथा मैटिकल छुट्टा की व्यवस्था करना, रहने-योग्य घरों की व्यवस्था करना, बीमारी, बेकारी तथा बुढ़ापे के लिए बीमा, चोट तथा घातक घटनाओं के लिए हर्जाना पाना, बच्चा पैदा होने के सिलसिले में औरतों को तनाव्वाह के साथ दो मरीने की छुट्टी, अमिकों के बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य प्रारम्भिक तथा ओद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था तथा मजदूर छियों के लिए जच्चाखानों तथा सेवागृहों की व्यवस्था करना— ये उनकी प्रधान माँगें हैं। स्त्रियों को खानों में जमीन के अन्दर काम करने की मनाही तथा बच्चों की काम करने की उम्र १२ से १४ वर्ष कर देने की माँग भी वे करते हैं। इन्हें जैसे आगे बढ़े हुए देशों में पाई जाने वाली मजदूरों की भलाई की योजनाओं के लिए भी वे जोर देते हैं।

व्यापार— भारतीय-व्यापार के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कहना आवश्यक है। यह दो प्रकार का है, देश के भीतर का वया बाहरी देशों से। और खेतिहार देशों की तरह हमारे यहाँ भी भीतरी व्यापार बाहरी से अधिक महत्व रखता है, लेकिन दुर्भाग्यवश रेलवे की भाड़े-सम्बन्धी नीति तथा सिक्का, बैंकिंग तथा इन्ड्योरेस की व्यवस्था विदेशी व्यापार की आवश्यकताओं के ही अनुकूल रही है। भारत को एक खेतिहार देश मानकर ही उसके विदेशी व्यापार का रूप निश्चित होता रहा है हालाँकि वह विश्व में आठवें नम्बर का ओद्योगिक देश माना जाता है और १६४०-४४ की लड़ाई की माँगों के कारण उसके स्थायी उद्योगों में नवीन तथा विभिन्न कार्य क्रमों का समावेश हुआ है। भारत कच्चा माल जैसे सूई, जूट, चमड़ा, खाल, तिलहन, चाय इत्यादि बाहर भेजता है। वह पूर्वी अफ्रीका तथा अन्य देशों को कुछ सूती कपड़े भी भेजता है। वह तैयार तथा अथवनी चीजें बाहर से मैंगता है। कुछ वृगों पहिले उसके आवाहन का मुख्य अङ्ग लकाशायर की सूती चीजें थीं। सूती कपड़ों के अलावा वह मोटर, रेलवे इंजिन, मशीन, कागज, टिन में बन याना,

सूत, तेल, धातुएँ और कच्ची धातुएँ, रसायन, रगने तथा चमड़ा कमाने की चीजें, श्रौजार, इतिम सिल्क, शराब, कच्चा और तेवार ऊन, छापने की चीजें तथा अन्य कई चीजें बाहर से मगवाता हैं। अर्तीत में वह आयात से अधिक निर्यात करता था, और व्यापार का सुन्नन अधिकतर उसके पक्ष में रहता था। उसे घरेलू महसूल, विदेशी लागत पर सूद तथा बदाज का महसूल देना पड़ता था जिसे वह अधिक निर्यात करने या अधिक आयात करके तुका देता था। वने माल के आयात तथा बच्चे माल के निर्यात दोनों की दृष्टि से रिटेन उसका अरेला सबसे बड़ा गाहक था। लेकिन परिस्थितियाँ बहुत शीघ्र बदल रही हैं, इधर हमारा आयात निर्यात से कहीं अधिक रहा है जिसका प्रमुख कारण खाद्यान्नों का आयात ही है। अब यह विषय सुधर रही है।

यह भी ध्यान देने की बात है कि हमारा आयात तथा निर्यात-सम्बन्धी व्यापार अधिकतर यूरोपियों के ही हाथ में था। विदेशों में स्थित बड़े पड़े व्यापारिक पर्म ऐं बो पिभिन देशों से माल मँगाते और उन्हे स्थानीय व्यापारियों के हाथ बेच देते थे। वे भारत का कच्चा माल खरीदते और उसे बेचते थे। इन कम्पनियों द्वारा लगाई लागत इतनी अधिक रहती और उनका सगठन इतना तगड़ा पड़ता कि भारतीय पर्मों के लिए प्रतियोगिता में उनसे बढ़ जाना सिलबाड़ नहीं था। व्यापार में हमारा लगाने का काम पहिले और अधिकृतर यूरोपीय बैंक ही करते थे जो मारतीय पर्मों के मुकाबिले यूरोपीय का स्वभावत पक्षपात करते थे। लेकिन अब भारतीयों ने विदेशियों से आयात तथा निर्यात-सम्बन्धी व्यापार प्राय से लिया है।

देश के विभाजन का उमरी आर्थिक दशा पर प्रभाव—देश का भारत तथा पाकिस्तान में विभाजन हो जाने से उमरी आर्थिक व्यवस्था पर, निम्नका विकास यगरेजों ने देश को एक मानकर किया था, जहा तुग प्रभाव पड़ा। इसने दोनों राज्यों को पहिले की अपेक्षा कहीं कम आन्तर्निर्भर बना दिया है। भारतीय सब म खाद्यान्नों की कमी है, उसे मझें मुद्रा चेनों से खान-पदार्थ मँगाने में बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। यह हमारा श्रीयागिक सामानों के स्वरीदाने म व्यय किया जा सकता था। भारत म इं तथा जू की भी कमी है, उमरी रुप्ता मिलां को पाकिस्तान तथा अन्य देशों की मई पर निर्भर रहना पड़ता है और उमरी जू-मिलें अधिकतर बेनार पड़ी रह यदि बद पूर्ण पाकिस्तान से कच्चा जूट न मगाये। चट्टानी नमक भी अधिकारा उर्ध्वा चेनों से आया करता था जो अब पाकिस्तान में पड़ गये हैं। दूसरी तरफ, अविभाजित भारत में पलान, पश्चिमोत्तर प्रदेश, खिलोचिस्तान तथा पुर्वी चगाल म उपने वाले सूर्जी माल, शक्कर, कोपला, चाय इत्यादि का अधिकारा उन देशरिया तथा रानी से आया था जो अब भारतीय सब में है। यदि पाकिस्तान इन बलुओं की प्राप्ति का प्रनन्ध दूसरे देशों से कर लेता है तो भारत का अपने माल रे लिए दूसरे बाजार ढैंदने पड़े।

इस प्रकार, विभाजन ने दोनों राज्यों को कमनोर तथा आर्थिक हाँचि से पहिले की अपेक्षा कम स्वावलम्बी बना दिया है।

विभाजन ने लान्नों आदमियों को अपना घर बार भी छोड़ने के लिए विवश कर दिया जिससे वे ऐसी आधिक कठिनाइयों में फड़ रहे हैं कि तगड़ी गांव गई है। शरणार्थियों की व्यवस्था तथा उनके पुनर्वासन का प्रश्न भारत पर एक बोझ बन गया है, इसके ठीक प्रकार से हल होने में बहुत समय लगेगा। इन सब में आर्थिक हाँचि से हो रहे विनाश का अदाज लगाना कठिन है।

आवागमन— चूँकि आवागमन के साधनों की उपस्थिति तथा उनके विवरण से देश के आदर्शनों व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है इसलिए भारत में आवागमन की व्यवस्था पर भी कुछ प्रभाश ढालना आवश्यक है। अर्थात् देश में सब तथा ग्रामियों ने आवागमन का सुरक्ष साधन रेल है और इसके बाद मोरर बसों का नम्बर आता है। ट्रेलगाड़ियों, खच्चर, लैंट तथा अथवा बाह्य टने के जानवर बाद में आते हैं। पढ़ाई रास्तों पर जहाँ माटर जाने के लिए रास्ता नहीं है, खच्चर तथा ग्रामी ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाते हैं। इनके आतंकिक नाव द्वारा माल दोने तथा लोगों के अनेजाने के लिए नदियों तथा नदरें प्रयोग में आती हैं। हाल में आवाश मार्ग द्वारा भा ग्रावागमन होने लगा है। ग्रंब युद्धोत्तर काल में हवाई आवागमन में बहुत धिकास होने की सभावना है।

ग्रंविभाजित भारत में रेलवे का लम्बा चौड़ा जाल था जो देश के विभिन्न भागों को मिलाये हुए था। उत्तरो प्रान्तों में दाढ़खी प्रातों की अपेक्षा रेल का व्यवस्था अच्छी थी। १९३८, १९४६, को रेलवे की कुल लम्बाई ४०,५१८^१ मील थी, जिसमें २०,६८७ मील ब्राइ गेज, १६,००४ मील माटर तथा ३,८२७ माल नैरो गेज थी। यो १०० आर०, चगाल और आसाम रेलवे, बंगाल नागपुर रेलवे, ईस्ट इण्डियन रेलवे एन० डब्ल्यू० आर० जी० आई० पी० रेलवे, बी० बी० एस० आई० आर०, और एम० एस० एस० एम० आर० प्रमुख रेले थीं। विभाजन का रेलवे व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है। जिन रेलों पर प्रभाव पड़ा है के एन० डब्ल्यू० रेलवे और बी० ए० रेलवे हैं। पजाच, विध तथा पश्चिमोत्तर में चलने वाली एन० डब्ल्यू० रेलवे के कुछ भाग तथा पूर्व पाकिस्तान में चलने वाली बी० ए० रेलवे का कुछ भाग पाकिस्तान को दे दिया गया और शेष भारत में रहा। एन० डब्ल्यू० रेलवे के टस भाग को जो पूर्वी पजाच, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के एक भाग में आ जाता है, ई० पी० रेलवे ज्ञाना दिया गया है। ये सभी लाइन ब्रिटिश लागत तथा म्रेट ब्रिटेन की कम्पनियों द्वारा बनी थीं और उन्हें भारतीय सरकार ने पूर्व

^१ १९४३ ४४ के अन्त में कुल लम्बाई ४०,५२५ मील थी तथा १९३६-३७ के अन्त में ४३,१२८ मील थी।

निश्चित लाभ दिया था। पहुंच दिनों तक सरकार ने इन कम्पनियों को इन लाइनों वा मालिक बने रहने तथा उनका बन्दोबस्त करने दिया, लेकिन गांद में इसने उन्हें अपने स्थानित्य में ले लेने की नीति अपनाई और कुछ का बन्दोबस्त भी लेकिन बन्दोबस्त कम्पनी करती थी और कुछ की मालिक सरकार थी लेकिन बन्दोबस्त कम्पनी करती थी। लेकिन अग्र कम्पनी का बन्दोबस्त प्रायः समाप्त हो गया है और भारत की लगभग सभी रेलों के प्रबन्ध का अधिकार तथा स्थानित्य राज्य के हाथ में आ गया है। ग्रामान्बन्दगाल रेलवे, न००० रु०० एकड़ सी० ग्राह० ग्राह० तथा री० एकड़ एन० डब्ल्यू० ग्राह० का प्रभाग सरकार ने सबसे गांद में अपने हाथ में लिया। बहुत दिनों तक रेले नुकसान पर चलती रही, लेकिन १६०० के गांद के लाभ दिलाने लगी। कभी-कभी तमीं के भी अवसर आ जात थौर रिकॉर्ड पन्ड से अधिक धन निकाल लेना पड़ता। पिछले पन्द्रह वर्षों में रेलों ने नेत्रीय पट्ट में पहुंच अच्छा लाभ दिलाया है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि बड़ौदा, जोधपुर, बीकानेर तथा हैदराबाद रियासतों में वहाँ की रेलों थीं जिन्हें अधिकतर रियासतों की सरकारों ने ही बनवाया था। अब भारत भर की रेले सध-सरकार की हैं।

देश के ग्राहिक जावन पर रेलों के प्रभाव के विषय में भी कुछ चारों कही जा सकती हैं। रेलों के विकास से माल एक जगह से दूसरी जगह आयानी से आ जा सकता है और इससे आन्तरिक व्यापार का भी बड़ी सहायता मिली है लेकिन पानी के रस्ता के, जिनकी लम्बाई २६०० मील है, प्रयोग तथा विकास पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। कभी कभी किराये का प्रतियागिता चला कर रेलवे ने उन्हें जान-बूझ कर चौपट कर दिया है। दूसरे, बन्दरगाहों से लाभर तथा वहाँ माल पहुँचा कर इसने भारतीय हितों का नुकसान ही पहुँचाया है। इसका परिणाम हुआ है देश के कच्चे माल का निर्यात तथा गाहर के तैयार माल का आयात। अत में, यह कहा जा सकता है कि रेलों में भारतीय पूँजी लगाने का बहुत कम मौका था। बॉन्ड लेने वाले विदेशियों का लाभ तथा बोनस और रूप में राष्ट्र का अत्यधिक धन देना पड़ा है।

रेलों के जाल के अतिरिक्त भारत में सड़कों की भी गँड़ी लम्बी-चौड़ी व्यवस्था है। इसमें चार दृढ़ सड़कों तथा अनेक सहायक सड़कों सम्मिलित हैं जिनकी कुल लम्बाई ६४,००० मल है। द्रव्य-सड़कों की लम्बाई ५,००० मील है। ये सड़कों निम्नलिखित हैं— (i) कलकत्ता से दैवर तक ग्रैन्ड ट्रन्क रोड, (ii) कलकत्ता का मद्रास से मिलाने वाली सड़क, (iii) मद्रास को घम्बई से मिलाने वाली सड़क, (iv) चम्बई का दिल्ली से मिलाने वाली सड़क। ये सड़कें बहुत दिनों से ही और उनसे साथ भारतीय इतिहास का गहरा सम्बन्ध है। इन ट्रन्क तथा सहायक सड़कों के थलाया बहुत सी बच्ची सड़कें भी हैं। राजपूताना, सिंध, पजाब के कुछ भागों, उड़ीसा तथा बंगल में उतनी अच्छी सड़कें नहीं हैं जितनी देश के अन्य भागों में। गाँवों का

एक दूसरे से तथा निकर शहरों से मिजाने वाली पक्की सड़कों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ले आने ले जाने में बड़ी आसानी हो गई है। देश में हवाई यात्रा भी प्रारम्भ हो गई है। दिल्ली, कराची, मध्यई, कनकता और मद्रासे रे बीच बराबर हवाई यात्रा होती है। हवाई जहाज से डाक तथा आदमों दोनों आते जाते हैं। इधर हवाई यात्रा की और भी अधिक उत्तरि हुई है।

बेकारी— देश के आर्थिक जीवन का यह छोग विवेचन समाप्त करने के पहिले देश में बेकारी की समस्या तथा ग्रामोत्थान आन्दोलन पर भी प्रकाश ढालना उपयुक होगा।

ब्रेट ब्रिटेन, जमीनी तथा समुक गाझू जैसे देशों में हम अक्सर बेकारी की समस्या ग्रौदोगिक होती है, यानी सुगठित उद्योगों में ग्रौदोगिक मजदूरों की बेकारी की समस्या। इस प्रकार की बेकारी, गो किसी न किसी रूप में विद्यमान है, फिर भी यहाँ के लिए कोई गम्भीर समस्या नहीं है क्योंकि भारत अभी ग्रौदोगिक जेत्र में पर्याप्त रूप से आगे नहीं बढ़ा है। शान्ति के समय म काम करने वालों की कमी की शिकायत होती है, बेकारी की नहीं। जो बेकारी हमारे लिए समस्या बन गई, वह ग्रामीण तथा मध्यवर्गीय है। गाँवों की बेकारी के विषय म हमें अधिक नहीं कहना है, हम यह पहले ही कह चुके हैं कि किसान को साल भर पैसाये रखने के लिए खेतों पर पर्याप्त काम नहीं मिलता और परिणामस्वरूप उसे साल म छु महानों विवरा हाकर बेकार रहना पड़ता है। खेती के सहायक धन्धों के रूप म घरेलू उद्योग धन्धों की स्थापना ही इसका एकमात्र द्वारा ज है। अविल भारतीय-ग्रामोद्योग-सघ तथा ग्रामोत्थान आन्दोलन, दोनों का यही उद्देश्य है। अकाल के दिनों म समस्या और भी गम्भीर हो जाती है। खेती के काम में याने वाले ज्ञेयफल के ८४ % भाग को सीचने का काई प्रमुख नहीं है, वह बेवल मानसन पर निर्भर रहता है। इसलिए जिस वर्ग कर्पा नहीं हुई, या कम हुई या बहुत अधिक हुई, उस साल अकाल की सम्भावना बढ़ जाती है। इन चीजों से बचने के लिए बचाव के तरीके हृष्पयोग में लाये जायें। जहाँ नहर से मिचाई नहीं हो सुनी दूधबैल खोदे जायें, वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े-बड़े तालाब खोदे जायें जिनमें इकट्ठा पानी बाद में सिंचाई के काम आ सकता है तथा बाढ़ का पानी राकने के लिए नदियों में बाँध बनायें। अकाल के समय सहायता पहुँचाने का कार्य तुरन्त प्रारम्भ हो जाना चाहिए। ऐसे समय पर सबसे ग्रन्थी चीज होगी किसान को कोई ऐसा पेशा देना जिस पर वह निर्भर रह सके। इसका ग्रन्थि फिर वही घरेलू उद्योग धन्धों को प्रोत्तमाद्दन देना ही होता है। इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि भारत का कल्याण होटे पैमाने पर चलाये गये उद्योगों पर बड़ी-बड़ी ग्रौदोगिक योजनाओं की अपेक्षा अधिक निर्भर है।

मध्यवर्गीय वेकारी ने ग्रामीण वेकारी की अपेक्षा लोगों का ज्ञान अधिक आकर्षित किया है। मध्यवर्गीय वेकारी की समुचित परिभाषा आसान नहीं है। इस वेकारी का साधारणत यही अर्थ समझा जाता है कि खाते-पीते घरों के नवजागन, जो हाइ स्कूल या कॉलिज की शिक्षा प्राप्त कर सुनते हैं, जीविका ने साधन ने लिए शारीरिक श्रम के बदले कोई अन्य नौकरी दूँड़ने हैं जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती। यह सभी स्वीकार करेंगे कि मध्यवर्ग में वेकारी सर्व-व्याप्त है और यह एक गम्भीर समस्या नन गई है। कई ग्रामों में पढ़े-लिखे लोगों के बीच वेकारी की जाँच करने तथा उसका उपाय बताने के लिए कमेटियाँ चिठाई गई थीं। अपने ही प्रान्त में सरकार ने १६३५ में सर तेजबहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी चिठाई थी। इन सभी कमेटियों ने अपनी रिपोर्टों में मध्यवर्गीय वेकारी की गम्भीरता स्वीकार की थी। मद्रास कमेटी के सुझाने पर मद्रास-सरकार ने ३५.६० मर्हीने पर दो खाली की गई जगहों के लिए अर्जियाँ मोर्गी। एक जगह पी० छब्ल्य० ढी० में थी और दूसरी व्यापारिक फर्म में। पहली के लिए ६६६ तथा दूसरी के लिए ७८७ अर्जियों आई। इन सख्त्यों से वेकारी की भीषणता का अन्दाज लगाया जा सकता है।

पढ़े-लिखे लोगों की इतनी बड़ी वेकार सख्त्या एक बड़ा सामाजिक तथा राजनैतिक अभिशाप है। व्यक्तिगत रूप से लोगों की परेशानी तथा कष्ट बढ़ाने के अलावा इससे समाज का नैतिक स्तर गिर जाता है जिसका सम्मलित प्रभाव बड़ा गम्भीर हो सकता है। ज्ञोम की अग्नि में जलने वाले, असनुच्छ और वेकार जगत् सरकार के लिए भी एक घरतरा बन सकते हैं।

पढ़े-लिखे नवजवानों की इतने ऊँचे परिमाण में वेकारी के अनेक कारण हैं। उनमें से एक कारण यह भी है कि स्कूलों, कॉलिजों तथा यूनिवर्सिटियों से निकले हुए विद्यार्थियों की सख्त्या बहुत बढ़ गई है और उसी हिसाब से नौकरियों में कोई दृढ़ नहीं हुई है। पढ़े-लिखे नवजवान खपत से अधिक तैयार हो रहे हैं। माँग से अधिक पूर्ति की यह अधिकता दो परिस्थितियों के कारण है। उनमें एक है स्कूलों, कॉलिजों में दी जाने वाली शिक्षा की प्रणाली। विदेशी शासकों तथा जनता के बीच वाम करने वाले कल्की ने उत्तराधन के लिए ही ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। हमारे स्कूल तथा कॉलिजों से निकले हुए विद्यार्थी कल्की ने वाम के लिए ही उपयुक्त होते हैं। चूँकि ऐसे वाम सीमित ही है इसलिए वेकारी बढ़ने में काँड़ अशर्चर्य नहीं। इस सम्बन्ध में यह भी बता देना चाहिए कि हमारी शिक्षा प्रणाली लोगों के द्विलो में शारीरिक श्रम के प्रति एक प्रकार की प्रणा उत्तर कर देती है। सिद्धान्तों, बढ़दया तथा लोहारों के शिक्षा प्राप्त लड़के नौकरी की तलाश में मारे-मारे पिया करने हैं जब कि वे अपने माता-पिता की सहायता करके अधिक उत्तराधन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है पढ़े-लिखे लोगों में लिए कायां की कमी। 'इन्होंठ में सेना, जल सेना तथा सिद्धिल सर्विसों को छोड़कर १६,००० पेशे हैं, किन्तु भारत में

पदाचित् ४० से भी कम है। १९ उद्योगों के विक्र म से हमारे जगन्ना को काम के नये नये लेन उत्तमतर हारे। कुछ आदमियों के कुछ पेशे स्वीकार करने में जाति-गत विचार भी ग्राधक होते हैं। किंमी ब्राह्मण या लृनिय का लड़का चमड़े का काम या मुर्गी पालने का काम कभी न करेगा। जाति-ज्यवधा के बन्धनों में ढोलापन आने के कारण ऐसी अद्वचने कम होती जा रही है, लेकिन अभी वे हैं अपराध !

उपर वर्णित विभिन्न कमेटियों ने अनेक प्रांतों की सरकारों को पढ़े लिखे लोगों की बेकारी दूर बरने के लिए कुछ सुझ व बताये थे, जैसे, नौकर रखने वाले नथा नौकरी चाहने वाला को भिजाने रे लिए एन्जीनीयमट बोर्डों (Employment Boards) को स्थापना, बेकारी तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में आँकड़े तथा जनकारी प्राप्त करना और पढ़े-लिखे लोगों का ध्यान खेती की आर मोड़ना। कुछ लोगों ने ऊँची शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाओं में तथा यूनिवर्सिटी-परीक्षाओं में डैडने वाले विद्यर्थियों की सख्त्य में कमी करने की भी सलाह दी है। इन सलाहों म से अनेक तो इलाज नहीं बल्कि बद्धाना मात्रा है। नौकरी बोर्डों की स्थापना तथा बेकारी सम्बन्धी आँकड़ा का जारी से बेकारी कुछ खास सीमा तक कम नहीं होगी। सत्य यह है कि जब तक मूलभूत कारणों का नहीं हटाया जाता, बुराई टीक प्रभार से नहीं मिट ई जा सकता। जब तक वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवर्तन करके उमे लोगों की सामानिकतया व्यर्थिक आवश्यकताओं के साथ सम्बन्धित नहीं किया जाता, वर्तमान दशा म किंमी महत्वपूर्ण सुधार की आशा नहीं की जा सकती। इसके लिए आवश्यक है मजात्मा गाँधी द्वारा चलाई हुई प्रसिद्ध वर्धा शिक्षा-योजना की कार्य रूप भ परिणति। यदि पढ़े-लिखे लोगों की बेकारी कम करनी है तो वर्तमान शिक्षा का विशुद्ध साहित्यिक आधार हटाना पड़ेगा; शारीरिक-थ्रम दिमागी थ्रम से कम महत्वपूर्ण है, अथवा सरकारी नौकरी ही जीवन का सबसे ऊँचा घेय है, इन तथा ऐसी धारणाओं का ग्रन्त करना होगा। दूसरे, नए-नए पेशी तथा कार्य के विभिन्न क्षेत्रों का निर्माण करना चाहिए। इसका अर्थ है विभिन्न धरेलू तथा मशीनी उद्योगों का प्रारम्भ। हमारे हजारों आदमियों की काम देने के लिए भारत की अपनी जल सेना तथा व्यापारिक जहाजी बेड़ा होना चाहिए, सेना में देश की आगादी के सभी अशों का नौकरी मिलनी चाहिए और पुरानी ब्रिटिश सरकार के अनुसार कुछ लड़ाकू जातियों के लिए ही स्थान सुरक्षित नहीं रखना चाहिए। जिन इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बुराई का आमूल उभूलन सम्भव नहीं।

हम उस सलाह के तनिक भी पक्ष मे नहीं हैं जिसके अनुसार ऊँची शिक्षा बेपुल वही प्राप्त बर सकते हैं जो उसके लिए लच्छे बर सकते हैं या जो परीक्षाओं

में बहुत अच्छे नम्बर पाते हैं। कैँचा शिक्षा का दाप नहीं है; दाप है उसकी व्यवस्था में। उन्हीं शिक्षा प्राप्ति में अब्दचन ढालने से अच्छा है उसकी व्यवस्था में परिवर्तन करना। लेकिन लड़कों के माता पिता तथा अभिभावकों को यह समझने में कोई हर्ज नहीं है कि सरकारी तथा अन्य नौकरियाँ सीमित हैं। इसलिए उन्हें अपने लड़कों तथा बाटों को अन्य पेशा के लिए तैयार करना चाहिए। पिलहाल सम्पूर्ण मर्गी का यह सुभाव फि सरकार तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं को पढ़े लिखे लोगों की मौग मढ़ानी चाहिए, कार्य रूप में परिणत होना चाहिए। उदाहरण ने लिए पुलिस तथा फौजी विभागों की नौकरियों के लिए सरकार शिक्षा-समझी किसी कम से कम योग्यता पर बोर दे सकती है। इनी प्रकार भूमिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट गोर्ड भी मेडिकल-योग्यता से सम्बन्ध जगानों को अपनी स्वास्थ्य-समझी योननाओं में काम दे सकते हैं। नये आने वालों को भा॒श्च अवसर देने के लिए पेन्शन की उम्र घटाई जा सकती है। लेकिन ये सब नेवल हूँके उपाय हैं, इनसे समस्या के किनारे का ही सर्व होता है। समझा का बास्तविक तथा स्थायी हल तो शिक्षा-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन तथा नये नये उद्याग धधों के विनास से ही सम्भव है।

गाँवों का विनास— अप्रेजा राज का हमारे गाँवों पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। बिछुले ढेढ़ सौ या उससे भी अधिक बर्पों से उनकी बुरा तरह उपेक्षा हुई है। अपनी स्थानीय संस्थाओं तथा घरेलू-उद्याग-धधों के विनाश के द्वारा, उन्हें वष तथा अक्षम से निकालने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। महात्मा गांधी ही पहले अक्षि ये जिहे उनकी दीन दशा का जान हुआ और उनकी दशा में सुधार के लिए उन्होंने अपने मन में ठान ला। उन्होंने देश का चरों का सदेश दिया और पुराने उद्योग-धर्षा का पुनर्जीवित करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामद्योग सघ की स्थापना की। उनके प्रयत्नों ने मारतीय सरकार को अपनी आलस्य-निद्रा से बाहर आया और उसे उन ग्रामद्योगों की ओर वर्त्त्य भावना से प्रेरित किया जिनसे वह लगान का अधिक हिस्सा पाती है। १९३४-३५ में सरकार ने गाँवों के विनास के लिए एक करोड़ रुपया विभिन्न प्रान्तों में बॉट दिया और उन्हें भी अपना शक्ति अनुसार इस रुपये में अपना फन्ड शामिल करने का आदेश दिया। इस प्रभार ग्रामद्योग आनंदोलन प्रारम्भ हुआ जिसने प्रान्तों में बायेस मनिमडल के स्थापित होने तथा बार्य करने के खेड़े ही समय में प्रशसनीय प्रगति की है। यदि ये मनिमडल कुछ और समय तक अपने पदों पर आसीन रहते तो ग्रामीण बनता रहा। दशा में बहुत काफी सुधार हो गया होता। जब से ये मौजूदा मनिमडल बने हैं तब से पुण्या बार्य क्रम पिर जारी है। उत्तर प्रदेश में इस आनंदोलन के रूप का इस एक छोटा निवेचन करेंगे।

बेन्द्रीय सरकार के पन्द्रह लाख रुपयों में एक लाख रुपये प्रति वर्ष मिला कर उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाँवों ने पुनर्निर्माण की एक पचवर्षीय योजना बनाई। इस योजना के अनुसार प्रत्येक जिले में (नैनीताल, अलमोदा तथा गढ़वाल, तीन पहाड़ी जिले छोड़ कर) ७२ गाँव चुन लिये गये थ्रीर उनम् कार्य प्रारम्भ हो गया। ये गाँव छु समूहों में विभाजित कर दिये गये जिनमें से प्रत्येक समूह एक सुपरवाइजर की देख रेप में काम करता था। यह सुपरवाइजर पूरे जिले के इन्सेक्टर के आदेशानुसार कार्य करता था। पूरा स्थाप जिले के कलक्टर के कानून में था। वह स्वयं किसी एक डिप्टी कलक्टर के बरिये अपना कार्य करता। अधिकारियों को सहायता पहुँचाने के लिए कलक्टर द्वारा नियुक्त किये हुए सरकारी नौकरों तथा गैर सरकारी नौकरों की एक कमटी बिठाई गई। जब १९३७ में कांग्रेस ने कार्य भार अड़ा किया, तो यह पूरी योजना काम में लाई जाने लगी।

कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों को शीघ्र ही यह ज्ञान हो गया कि आनंदोलन का जनता पर कोई उत्साहजनक प्रभाव नहीं पड़गा क्योंकि इसम् अधिकतर सरकारी लोग थे और गैर सरकारी लोगों से सहायता लेने की बहुत कम कोशिश थी। यह तर्क भी रखा गया कि योजना का कार्य यदि सुचारू रूप से चले तो भी प्रान्त के लगभग एक लाख गाँवों ने लिये कुछ सार्थक काम करने में कई पुश्त लग जायेगे। इसलिये मंत्रि मण्डल ने पूरी योजना को एक नया ही रूप देना तय किया। इस नयी स्कीम ने जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाना तथा गाँवों की जनता का भी उत्साहपूर्ण समर्थन प्राप्त करना तय किया क्योंकि यिन्होंने इसके ग्रामोत्थान का कोई भी आनंदोलन सार्थक नहीं हो सकता।

नई योजना का मुख्य तत्व है उन्नत जीवन के लिए प्रत्येक गाँव का सहकारी-समिति के रूप में संगठन। यह समिति सहकारी समिति-ऐक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड हो जायगी और गाँव के सभी बालिग सदस्यों द्वारा शामिल होने का अधिकार रहेगा। इसमें गाँव के सभी परिवारों, जाति तथा स्तर के प्रतिनिधि रहेंगे। १९३८ के अक्टूबर का अन्त होने-हाते पूरे प्रान्त में ऐसी ४००० से अधिक समितियों की स्थापना हो गई। प्रत्येक समिति की एक निश्चित समय पर मीटिंग होती थी और अपनी कार्यसारिणी के लिए वह एक पचायत का चुनाव करती। इस पचायत में लगभग एक दर्जन सदस्य रहते थे और उसमें एक या एक से अधिक हरिजन भी सम्मिलित रहते।

प्रत्येक गाँव या कुछ गाँवों के समूह में एक पचायतघर बनाने के लिये भी आमीण उत्साहित किये गये। इसमें गाँव सभा तथा पचायत की मीटिंग होती थी और इसी में गाँव का सूल, पुस्तकालय तथा अध्ययन-शाला भी रहती। इसने एक भाग में बीज, खेती के उपयोग में आने वाली अन्य चीजें तथा गाँवों में बॉटने के लिए दवा इत्यादि भी रखती रहती। एक साल म प्रान्त भर में २०० से भी अधिक पचायतघर बन

गये और लगभग दूतने ही बन रहे थे। इन्हें बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम वासी अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग देता, कोई-कोई एक या दो दिन तक मुफ्त काम कर देते। खर्च का कुछ माम सरकार भी देती। उज्जत जीवन के रूप में गाँव की जनता का सगठन तथा पचायतधर ही ऐसे बेन्द्र थे जिनमें चारों ओर काप्रेस मनिमण्डलों द्वारा तैयार भी हुई ग्रामोत्थान की योजना काम करती।

इस योजना के प्रचार तथा उसे ग्रामे बढ़ाने के लिए एक साधन की आवश्यकता पड़ी। इसने लिए पूरे प्रान्त का एक सूखल डेवेनपर्मेन्ट अफसर नियुक्त किया गया। अनेक डिवीजनल सुपरिनेंडेन्टों तथा जिला-इन्स्पेक्टरों की भी नियुक्ति हुई। प्रत्येक जिले में पुनर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ किये जाने वाले गाँवों की सख्त बढ़ाकर ३०० कर दी गई। ये गाँव २० केन्द्रों में एकत्रित किये गये और प्रत्येक केन्द्र एक सगठन-कर्त्ता की देवभाल में रख दिया गया। इस कार्यकारिणी के अतिरिक्त एक प्रान्तीय सूखल डेवेनपर्मेन्ट-बोर्ड की भी स्थापना हुई। विभिन्न पिमागों, जैसे, श्रीयोगिक पिमाग, जन-स्पास्थ-विभाग तथा कृषि-विभाग, के प्रमुखों का ग्राम-पिकास से निष्ठ सम्बन्ध रहना और ईप-कमिश्नर इस बोर्ड के बिना पद के मेंबर रहते। प्रत्येक डिवीजन से ग्राम-विभाग में दिलचस्प रहने वाले गैर-न्यरकारी लोग भी इसमें नियुक्त किये जाने। प्रान्तीय विधान-सभा का भी इसके लिए सात सदस्य चुनने का आदेश दिया गया, जिसमें पाँच सदस्य बड़ी सभा अर्थात् एसेम्बली के तथा दो छोटी सभा अर्थात् बॉर्सिल के सम्मिलित थे। प्रत्येक जिले में गैर-सरकारी लोगों को मिला कर एक जिला ग्रामन-प्रकास संघ का नियुक्ति हुई। यह जिले के ग्रामोत्थान-कार्य की देव-रेख में रखा गया। इस प्रकार प्रान्त भर में सधों का एक जाल सा बिछू गया। ग्रामनामियों की कल्पना जाग उठी और उनका उत्साह काम में लगा दिया गया। काम काफा अच्छा हुआ तथा और हाने की ग्राशी या सिन्हु कुछ समय बाद काप्रेस मनिमण्डल अपने पदों से हट गये और यह कार्य रुक गया। इन सधों द्वारा सम्पादित कार्य का बणन नीचे दिया जा रहा है।

एक संगठनकर्त्ता की देयरेख में रहनेवाले प्रत्येक बेन्द्र में एक चीज-गोदाम रहता था। दो बगों में से ३८० चीज गोदाम स्थापित हो गये। इनमें काम ग्रामजातियों को अच्छा चीज देना था। १६३६-४० में सरकार ने चीज-गोदामों के निर्माण के लिए अपने बजट से २५ लाख रुपये देने का निश्चय किया था। दो बगों में सबाई ने आधार पर ६५ लाख मन रपी तथा एक लाख मन के लगभग सर्वांक के चीज बांटे गये। अच्छे घाज बाने, जेती के अच्छे तरीका का प्रयोग करने वाले अच्छी खादी तथा उपच बढ़ाने वाली अन्य चीजों के प्रयोग ने लिए दो लाख से भी अधिक प्रदर्शन किये गये थे। अच्छे सर्दां का बड़ीदाने तथा रखने के लिए पर्मांत दस्ता अनुग्रह रख लिया गया। पर्ला का उत्पादन तथा विकास करने के लिए

कलम भेंटा गयी। जलाने न लिए ईंधन तथा चारा बढ़ाने के लिए भा प्रयत्न किया गया। याद के लिए गोपर बचाने की हृषि से पेड़ लगाये गये। जनकी लम्फी जलाने के काम म लाई जा सकता थी।

जहाँ तक खेता के विकास का सम्बन्ध है, इस वर्णन से ग्राम विकास-विभाग के कार्यों का पता चलता है। ग्रामोदय का भी इसने 'उपेक्षा' नहीं का। उन्नाय तथा फैजाराद म उद्योगों की शक्ति व इलाज दा के द्वारा खोले गये गये जिनम कातने-खुनने, तेल निकालने, बढ़ाई गिरा तथा कागज बनाने की शिक्षा दी जाता। दूसरा इसे स्कूल खोलने के लिए कताई मध का तेहेस हजार से भा आधिक रूपये दिये गये।

ग्राम विकास क्षेत्र म ग्रामदासियों का चिकित्सा सम्बन्ध सहायता देने के लिए सरकार ने २०० आयुर्वेदाय तथा यूनानी दवायाने खोले जिनम नुस्ख वैद्य तथा हठाम रखे गये। कई जगहों पर आप चिकित्सा-नन्द भी खोले गये। जच्चान्प्रान्ती तथा बच्चों का देखभाल के लिए भा बन्द खोले गये और दार्शनी का आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली पर शिक्षा देने का भी प्रयत्न किया गया। यहाँ के विकास का भी कार्य प्रारम्भ किया गया। एक शिक्षा प्रसार अपसर एक समय ७६८ पुस्तकालयों तथा ३६०० वाचनालयों का देखभाल करता था। एक वर्ष म लूप्तमग टा लाइ अस्सी हजार व्यासियों का लग्ना-पठना सिराया गया। लड़का तथा लड़कियों दानों की शिक्षा के लिए ग्राम विकास विभाग के स्कूल अब भा चल रहे हैं। प्रोपैण्डा तथा प्रचार की दृष्टि से बाइस्कोप, ग्रामोफोन रेकार्डों तथा गोप वाला के लिए अन्य सचिकर चीजों की भी व्यवस्था की गई। लग्ननक क चारों ओर उपयुक्त स्थानों पर ५० रेडियो सेटों की स्थापना हुई, लग्ननक म प्रसारित किया हुआ ग्रामीण कार्यक्रम मनने के लिए वहाँ ग्रामीण रोज इकट्ठा होते हैं। इस विभाग ने 'रूल' नामक एक पत्रिका भी निकाली जो ग्रामीण पुस्तकालयों तथा संस्थाओं द्वारा दियादि में वर्गी जाती। ग्रामीणों के शारीरिक विकास के लिए शरीर शिक्षा कलाओं की भी स्थापना हुई। ग्राम-जीवन क सुधार के लिए इन विभिन्न प्रकारों से प्रयत्न किये गये।

ग्रामीण विकास १९४७ के याद— युद्धकाल म कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल द्वारा सोचा हुआ ग्राम विकास का कार्य और आगे न ढढ़ सका, कांग्रेस सरकार के इस्तीफा दे देने से कोई प्रेरणा तथा उत्साह ही शेष न रहा। १९४७ म जन कांग्रेस का पिर शक्ति मिली ता इस क्षेत्र म पिर से जान आई। पिछले दो वर्षों म कार्पो काम हुआ है, विकास-विभाग मे कई मूल्यपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसे ग्राजकल समिलित-विकास विभाग कहते हैं। इसका एक कार्य है जनता की दशा सुधार म लगे हुए विभिन्न विभागों— खेती-विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारी-विभाग, शिक्षा-विभाग तथा उद्योग-विभाग— के कार्यों तथा योजनाओं को

मिलाकर ले चलना। एक विकासन्कासित की भी, जो मंत्रिमंडल की कोओर्डिनेशन सब-मनेश है, स्थापना हुई है जो इसकी योजना तथा कार्य-नीति पर निर्णय करती है। प्रधान मन्त्री ही इसका चेयरमैन होता है। एक प्रान्तीय-विकास-बोर्ड भी है जिसमें इन सेम्बर है। इसके कार्य है— (i) विकास-योजनाओं का निरीक्षण तथा उन्हें अच्छी से अच्छी तरह चलाने का उपाय सुझाना, (ii) नई योजनाएँ तैयार करना, (iii) विभिन्न विकास-योजनाओं का एकीकरण करने के उपाय बताना, तथा (iv) विभिन्न योजनाओं की प्रगति के विषय में जानकारी खोना। प्रधान मन्त्री के समारपित्व में इस बोर्ड की साल में तीन मीटिंगें होती हैं।

इस विभाग तथा विकास-कासित की ग्राम-सम्बन्धी योजनाओं को चलाने वाली व्यवस्था में भी आमूल-परिवर्तन हुए हैं। जिले कई भागों में चॉट दिये गये हैं और प्रत्येक भाग का एक निरोद्धक रक्षा गया है। भौतिक निराकरण तथा अन्य कार्य-कर्ताओं के लिए दो महाने के रिफेरर क्लास की व्यवस्था की गई है, तथा ज्ञेत्रों के 'डिवेलपमेंट यूनियनों' द्वारा चुने हुए सेकेटरियों के लिए तीन महीने के रिफेरर कोर्स की। इस व्यवस्था के पाछे कल्पना यह है कि ग्राम नेता ग्रामवासियों में से ही पैदा हो। प्रयोग की दृष्टि से छु: जिनों का विकास-कार्य उन विकास-अस्सों की देख-रेख में रखा गया जिन्हे रेती, सहकारी तथा पशु-धन विभाग के कार्यों की विशेष ट्रेनिंग दी गई था। चुने हुए ज्ञेत्रों में अधिक से अधिक काम करने के लिए विशेषज्ञों का एक समिति नियुक्त की गई है। इसमें अमेरिकन प्रणाली पर ट्रेनिंग पाया हुआ एक ग्राम्य जापन-विशेषज्ञ भी सम्मिलित है जिसका काम है गाँव-नियामिति के बाने रख्य करने का उचित ढंग निशालना। ग्रामवासियों की आवश्यकताएँ जानने, उन्हें विकास की योजनाएँ समझने तथा उनका उपयुक्त सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ ज्ञेत्रों में विशेष विकास-संगठनकर्ता भी नियुक्त किये गये। उनमें से प्रायेक के जिम्मे आठ गाँवों का पक्का समूद्र है। प्रत्येक जिले का एक विकासन्यूनर है जो प्रादेशिक अधिकारियों की देख-रेख तथा सुभाव के अनुसार अपना कार्य करना है।

विकास-विभाग दे अन्तर्गत किया जाने वाला कार्य विभिन्न प्रकार का है। बीज-गोपालों का निर्माण, अच्छे बीज बॉटना, तरकारियों तथा फल वाले पेड़ों के बीज तथा फलमें बॉटना, खाद्य तथा खेती बढ़ाने वाली अन्य चीजें बॉटना, गन्ने तथा गुड़ का विकास करना, चाचों का मड़ा कर खाद्य बनाने के लिये गड्ढे बनाना, गायों तथा बैलों की नस्लों में सुधार करना, पदार्थी, ऊसर तथा अन्य प्रकार की भूमि की व्यवस्था करना : ग्राम विकास की योजना में ये तथा अन्य कई चीजें सम्मिलित हैं। प्रत्यक्ष है कि इस ज्ञेत्र में बितनी ही उन्नति होगी उसी के अनुसार ग्रामवासियों की गरीबी तथा दयनीय दशा में भी सुधार होगा।

अध्याय ४

भारत का धार्मिक जीवन

हमारे जीवन में धर्म का स्थान— हमारे देश में धर्म का अत्यधिक महत्व है, किसी भी देश में धर्म का जीवन पर इतना अधिक प्रभ व नहीं है जितना भारत में। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, धर्म मनुष्य के पूरे जागन को अनुप्राणित करता है, यहाँ तक कि इसी के अनुसार उसका खान-पान, शादी विवाह, रहन-सहन, सभी निर्धारित होता है। अपने पड़ोसिया, राज्य तथा मानवता तक स यही सम्बन्ध निश्चित करता है। इन मन्त्रका कारण यही है कि जाति-प्रथा, विवाह तथा अन्य सामाजिक राति रिवाजों के साथ धार्मिक भासना लिपनी हुई है। यह सिद्धान्त हिन्दू तथा मुसलमानों, दोनों पर लागू होता है। हिन्दुओं का सामाजिक व्यवहार शास्त्रों पर आधारित है, मुसलमानों का बुरान तथा हृदीस पर। यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे देश में सामाजिक सुधार की धारा सदैव धार्मिक सुधार से मिलकर चली है, हम रे सभसे बड़े समाज सुधारक धार्मिक सुधारक भी रहे हैं। पिछली शताब्दी के धार्मिक सुधार आनंदोलनों ने ही आज दृष्टिगत होने वाली राजनीतिक चेतना की पृष्ठभूमि तैयार की है। यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि शक्ति तथा बोश प्राप्त करने के लिए किसी आनंदोलन का आधार धार्मिक ही होना चाहिए। 'भारतीय हृदय धर्म से इस प्रकार मिला हुआ है कि धार्मिक शब्द से ही यह पूरी तरह धड़कने लगता है और वहाँ से श्रद्धापूर्ण लहरे प्रवाहित होने लगते हैं।' ^१ इसलिए इस देश में पाये जाने वाले धर्मों की कुछ विस्तृत परीक्षा तथा पिछली शताब्दी में हुए धार्मिक सुधार के आनंदोलनों का अध्ययन करना आवश्यक है।

* हिन्दूत्म

इसकी महत्ता— हिन्दू धर्म समर के प्रमुख धर्मों में से है। मनुष्य जाति का लगभग $\frac{1}{4}$ भाग इसका अनुयायी है जिसमें से अधिकाशु लोग भारत में पाये जाते हैं। हिन्दू धर्म का प्रभाव उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जो हिन्दू कहलाते हैं, वह और आगे भी जाता है। भारतवासियों के आत्मिक तथा चारित्रिक विकास में इसका प्रमुख हाथ रहा है।

इसकी परिभाषा— हिन्दू धर्म को टीक परिभाषा देना बड़ा बठिन है। इसका कारण यह है कि यह कोई विशिष्ट धार्मिक विश्वास न होकर जीवन का एक ढग है, परिणाम नहीं, बल्कि एक प्रणाली है। इस्लाम या ईसाई धर्म की भाँति यह एक सीमित धर्म नहीं है और अन्य धर्मों की भाँति इसकी उत्पत्ति विसी एक सहभागक

^१ एना बेसेंट, इंडिया— ए नेशन, पृष्ठ ७१।

द्वारा नहीं हुँदू है। इसलिए सिद्धान्तों का काँइ ऐसा समूह नहीं है जिसे मानना प्रत्येक हिन्दू के लिए आवश्यक हा। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास भी आवश्यक नहीं है; हिन्दू धर्म में अनेक नास्तिक हुए हैं। हालाँकि वेद हिन्दुओं के धार्मिक ग्रन्थ हैं, पर भी उनकी पवित्रता तथा पृष्ठता पर विश्वास करना इसी हिन्दू के लिए अनिवार्य नहीं है। ग्रन्थों को हिन्दू कहन वाले सभी लोगों का शायद ही काँइ समान धार्मिक विश्वास हो। दूसरे धर्म से हिन्दू धर्म का भिन्न करने वाला काँइ निश्चित धार्मिक विश्वास नहा है। हिन्दू धर्म के तत्त्व का कुछ वैकाश म समित कर देना असम्भव है।

हिन्दू धर्म आध्यात्मिक अनुभूति के रूप म सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है; किमी निश्चित रहस्योदयाटन ने रूप में नहीं। वर्तमान समय के सबसे बड़े समीक्षक सर रघुवर्षण के यत्न म 'नितन' ने रूप से बढ़कर यह जीवन की एक प्रणाली है। यह धार्मिक कृत्या पर नहीं, जलिक जीउन उ प्रति आध्यात्मिक तथा नैतिक दृष्टि पर अधिक जार देता है। यह उन सब लागों का माइजारा है जो सत्य के अनुयायी तथा ग्रन्थेषु हैं।^{५०} उनके अनुमार हिन्दू धर्म किमी एक विशिष्ट धर्म में नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्यों की सोज में एकता हुँद़ता है। यह सर्वाङ्गाण तथा सकलनकर्त्ता है। इसने जलपूर्वक बुद्धि का द्वार कभी भी घन्द नहीं किया है, क्योंकि आत्मा ये गत्य में यह मेरे-तेरे क भेट में विश्वास नहा करता।

यह स्पष्ट करना इस आवश्यक समझते हैं कि हिन्दू धर्म का जीवन की एक प्रणाली कहने से हमारा क्या तात्पर्य है। हिन्दू धर्म का यह विश्वास है कि मनुष्य की एक मूलभूत प्रकृति है जिसके कारण सकार की ग्रन्थ वस्तुआ से उसकी एक अलग सत्ता है। यह एक रुद्ध, सोल या आत्मा है। यह साल या आत्मा दैविक है, यह परमात्मा से, जा विश्वात्मा है, अलग या भिन्न नहीं है, उपका एक अङ्ग है। हिन्दू धर्म के अनुमार मनुष्य देवी शक्ति का ग्रन्थ है, उसे पापी कहना ठोक नहीं। लेकिन यह देवी शक्ति हमारे अन्तर में निवास करती है, यह मदैव दृष्टिगत नहीं होती। जर तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है इसी अनुभूति नहीं बर सकते। जिस क्षण मनुष्य के अन्दर से सभी गन्दगी निकल जाती है उसकी दैविकता चमकने लगती है। हमारे जीवन का उद्देश्य इस दैविकता का दमने वाली सभी श्रगुदताओं से छुटकारा पाना तथा सर्वोच्च सत्ता या परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव करना है। एक धर्म के स्पष्ट में हिन्दू धर्म इस तथ्य पर जार देता है कि श्रवण ब्रह्मास्मि (मैं ही ब्रह्म हूँ) या तत् त्वं असि (तु ही यह है) ही सबसे कँचा आध्यात्मिक सत्य है। इस सत्य की प्राप्ति दार्शनिक तकों या वेदन दिमारी क्षरत से नहीं हो सकती, उस सर्वोच्च सत्ता की अनुभूति ने ही इस सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। हिन्दू धर्म के

* मार्दन इरिडा एण्ड टी बेस्ट आमेनी द्वारा सम्पादित, पृष्ठ ३३६।

अनुमार धर्म एक अनुभूति है और स्वामी विवेकानन्द को परिभाषा के अनुमार यह उस दैविकता की अनुभूति है जो मनुष्य में पहले से ही मौजूद है। आध्यात्मिक सत्यों की अनुभूति उसी सोमा तक हा सकती है, जहाँ तक हम उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं; वे आत्मा की चीज़ हैं दिमागी कपरत की नहीं। आध्यात्मिक सत्यों पर अधिक जोर देना ही यह बताता है कि हिन्दू धर्म इस्लाम या ईसाई धर्म की तरह एक विशिष्ट धर्म क्षेत्र नहीं है।

आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति के लिए किसी व्यक्ति को अपने मन को साधना पड़ेगा। जो व्यक्ति हिन्दियों के सुधों में लाना है वह सच्चा धार्मिक नहीं हो सकता। जब तक हम भोग, लालच, कौध, घृणा, घमघड तथा स्वार्थ में पड़े रहेंगे तब तक हम किसी भी आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति नहीं कर सकते। इसी कारण सत्य की व्योज करनेवालों के लिए हिन्दू धर्म मांस, मदिरा तथा मादक द्रव्यों को वर्जित करता है। उपनिषदों ने कहा है : 'आत्मा की प्राप्ति सत्य, तपस्या, सम्यक् शान तथा आत्म-सम्यम से होती है।' आत्म-स्वयम तथा भावों की शुद्धता पर विशेष जोर है। भावों के सम्यक् परिष्कार के लिए आहिसा का पालन भी अत्यावश्यक बताया गया है। इस विषय में स्मर्गीय सी० एफ० एण्ड्रूज ने लिखा था : 'वह हिन्दू-भारत की ही विशेषता है— सदार के किसी अन्य देश की नहीं— कि छोटे जानवरों, विशेषकर चिड़ियां तथा गिलहरियां, ने मानव जाति के छर को, तथा उस छर से पैदा होने वाली अशेष प्रताङ्कना को भुला दिया है। उद्यानों तथा चागों में और वहाँ तक कि खुली सड़कों पर ये छोटे-छोटे जानवर इतने निढ़र हो गये हैं कि वे किसी किसी के पैरों तथा मिर के पास मनुष्य के दशालु स्वभाव पर पूरा विश्वास बरके पर पड़पड़ाने या घूमने लगते हैं। जब मैं यह अध्याय लिख रहा था उसी दिन सबेरे मैं बरामदे में बैठा था और एक गिलहरी आकर मेरे चारों ओर खेलने लगा। वह तनिक भी भय खाये चिना मेरे पैरों पर चढ़कर झूटने लगी। मनुष्य तथा प्रकृति के बीच यह सामज्जन्य सदियों में जाकर सम्भव हुआ है।'

जीवन की एक प्रणाली के रूप में हिन्दू-धर्म की एक और विशेषता की ओर ध्यात ग्राहित किया जा सकता है। इसके अनुसार सत्य के एक तथा अविभाजित होने पर भी अनेक रूप हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इसलिए सत्य के ऊपर एकाधिकार का इसने कभी भी दावा नहीं किया है और सदैव माना है कि दुनिया के विभिन्न धर्मों में सत्य का कोई-न कोई अश निहित अवश्य है। ऐसी भावना के कारण ही हिन्दू धर्म मदै॒३ सहिष्णु रहा है। धार्मिक अत्याचारों ने हिन्दू-इतिहास को कभी भी गन्दा नहीं किया है।

हालोंकि हिन्दू-धर्म के काँई भा ऐसे सिद्धान्त नहीं हैं जिनमा मानना प्रत्येक हिन्दू ने लिए आवश्यक है, पर भी उद्ध विश्वास हिन्दू धर्म का निशेषता है और इसलिए वे इस धर्म के मूलतत्व माने जा सकते हैं। सर्वेऽन्न आत्मा या परमात्मा पर विश्वास करने तथा मानव-आत्मा का उसका हा एक रूप मानने के अतिरिक्त हिन्दू वेदों का दौवक्ता तथा पूर्णता और उपनिषदों की पवित्रता पर विश्वास करते हैं। वे अवतारवाद तथा पुतर्बन्म म विश्वास करते हैं। कर्मवाद में भा उनका पृथा विश्वास है जिसने ग्रनुमार प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का अच्छा या बुरा फल भागना पड़ता है। हिन्दू-धर्म ने ग्रनुमार आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, यह एक शरार से दूसरा शरीर उसा प्रसार धारण कर लेता है जिस प्रकार गम्भा होने पर इस एक कपड़ा उतार कर दूसरा पहन लेते हैं। यह क्रम तब तक चलता रहता है वह तक आत्मा जन्म-मरण के बन्धन से ह्रूट कर परमात्मा के साथ मिल नहीं जाती या मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेता। हिन्दू-धर्म का यह भा विश्वास है कि इन्द्रियों द्वारा दृष्टिगत तथा ग्रनुमूल जगत् वास्तिक नहीं है आध्यात्मिक जगत् के सामने इसकी वास्तिकता धारणामात्र है और गाय के प्रति पृथ्य माव प्रत्येक प्राणा का धर्म है। यर्णवधर्म-व्यव-था या जाति-प्रथा, मनुष्य के जीवन का चार भागों में विभाजन, वैचाहिक सम्बन्ध का पवित्र रूप तथा सम्मिलित परिवार की प्रथा भी इसको ग्रन्य धर्मों से ग्रन्ति करती है। ग्रन्ति-मिति अनिवार्य वैधव्य तथा ह्रूआह्रूत की भावना इसके मूलतत्वों में नहीं है, वे तो ऐसी बुरदर्दाँ हैं जो हिन्दू धर्म के पतन के समय उसमें स्थान पा गईं।

साधारणतमा लोग हिन्दू-धर्म तथा गाय के प्रति श्रद्धा में बड़ा गहरा सम्बन्ध मानते हैं। इसलिए इस विषय पर कुछ शब्द कह देना आवश्यक है। इस विषय पर महात्मा गांधी के शब्द उद्भृत करना बहुत उपयुक्त होगा। वह लिखते हैं : 'मेरी दृष्टि में गाय की रक्षा मानने के विकास के सरसे आरन्यजनन सिद्धान्तों में से एक है, कर्तिक यह मानन का अपने वर्ण के उस पार ले जाती है। मेरे लिए गाय का अर्थ है समस्त पाशविक समार। गाय के ही द्वारा मनुष्य समस्त प्राणियों से अपनी एकता का अनुभव कर सकता है। गाय को क्यों धार्मिक महत्व मिलता है, इसका क्यरण स्पष्ट है। भारत म गाय सरसे अच्छी साधी थी, वह समृद्धि की बनी था। वह कमल दूध ही नहीं देती था, कृषि कर्म भी उसी पर अचलमित था। गाय सो करणा की एक उद्गार है। इस सौभ्य प्राणी में करणा दीप्त पड़ता है। वह लागत भारतीयों के लिए माँ के सदृश है। गाय की रक्षा का अर्थ है ईश्वर की सारी मूक सुषिठि की रक्षा ... गाय की रक्षा हिन्दूत्व का विश्व को एक देन है; और जब तक गाय की रक्षा करने वाले हिन्दू रहेंगे, हिन्दू-धर्म रहेगा।'

हिन्दू धर्म के विषय में एक गृहन धरणा का भी नियवरण आवश्यक है। लोगों को साधारणतया यह विश्वास है कि यद एक से अधिक देवताओं में विश्वास

करता है। लेकिन यह भावना सर्वोश्च सहा नहीं है। यह सत्य है कि हिन्दू-धर्म में अनेक देवी-देवता हैं और प्रत्येक हिन्दू अपनी इच्छा के अनुकूल देवता की पूजा करने के लिए स्वतन्त्र है। हिन्दू धर्म के सर्वप्रचलित देवता निम्नलिखित हैं :— रक्षा करने वाले विष्णु, विनाश के ग्रधिष्ठाता शिव, सृष्टि-कर्ता ब्रह्मा, पिता की देवी सरस्वती, सम्पत्ति की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी काली, बुद्धि के देवता गणेश, वर्षा के देवता इन्द्र, जल-देवता बृहण और प्रकाश के देवता सूर्य। पूजा के लिए प्रत्येक हिन्दू स्त्री-पुरुष इनमें से किसी को चुन लेता है। ईश्वर के दस अवतारों में से राम और कृष्ण के प्रति लोगों की सबसे अधिक अङ्गा है। लेकिन विभिन्न देवी-देवताओं का कोई अलग अस्तित्व नहीं है ; वे एक ही सर्वोच्च शक्ति के विभिन्न रूप हैं। उपनिषदों ने कहा है, 'ईश्वर केवल एक है जिसे लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं।' अशान के कारण ही हिन्दू-धर्म के बहु विश्वासी होने की भावना उठती है। मूर्ति-पूजा के विषय में भा वैसा ही गलत धारणा है। यह कहा जाता है कि हिन्दू लोग मूर्ति की ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं। यह धारणा गलत है। कोई हिन्दू मूर्ति को ईश्वर नहीं मानता, वह तो उसे पूजा में सहायक के रूप में ही मानता है। ध्यान की एकाग्रता के लिए अविकसित बुद्धि की किसी प्रत्यक्ष प्रतीक की आवश्यकता पड़ती है ; मृतियों ध्यान में ऐसी ही सहायक हैं। इन प्रकार मूर्तिपूजा मानव की कमज़ोरी के लिए एक चहाजा ही है। इसमें कोई पाप नहीं है। हिन्दू-धर्म का सौन्दर्य तो इस आत म है कि प्रत्येक व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर के लिए इसमें कोई न कोई चीज़ है। यह एक सरिता के सदरा है जिसने छिद्रों से जल में एकत्रालक भी स्नान कर सकता है और जिसकी यथाह गहराई में तैरना बड़े बड़े तैराकों के लिए भी दुरुद्दृढ़ है।

भारत के दो ग्रन्थ बड़े धर्मो—जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म—के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध धर्म तो अपने जन्म देने वाले देश में समाप्त-प्राय है ; उसके अनुयायी लक्ष, धर्मी, चीन और जापान में पाये जाते हैं। अपने देश में जैनों की पर्याप्त सख्ता है लेकिन वे भी हिन्दू ही हैं। वे हिन्दुओं के एक भाग माने जा सकते हैं। भारत के एक ग्रन्थ बड़े धर्म—इस्लाम—का विवेचन करने से पहले हिन्दू धर्म में सुधार के लिए पिछली शताब्दी में हुए आनंदोलनों का बुछ विस्तृत विवेचन आवश्यक है।

धार्मिक सुधार-आनंदोलन— ब्रह्म समाज, आर्य-समाज, थियोसॉफिकल सोसायटी तथा रामकृष्ण सेवा ग्राम्यम, हिन्दू धर्म के प्रमुख सुधार आनंदोलन हैं। ये सुधार-आनंदोलन हिन्दुओं की आध्यात्मिक तथा सास्कृतिक जागृति के प्रतीक हैं और उन्होंने राष्ट्रीय चेतना में बड़ा योग दिया है। इन सुधार-आनंदोलनों की वास्तविक महत्त्व समझने के लिए यह स्थान में रखना बहुत आवश्यक है कि १८२८ म ब्रह्म-

समाज की स्थापना से पहिले भारत के राष्ट्रीय तथा सास्कृतिक जीवन का पतन हो गया था। यह समय भारतीय इतिहास का प्रन्धनारन्धुग कहा जा सकता है जब हिन्दू धर्म की वह सजीवता सुगमग समाप्त हो गई था जिसने ग्रीति में एक शानदार तथा वैभव-पूर्ण सम्यता को जन्म दिया था। भारतवासी उपनिषदों तथा वेदान्त के पुनीत सत्य को भूल गये थे, उनकी आध्यात्मिक भावनाओं का शुरू धार्मिक शिक्षा-कलापों ने स्थान ले लिया था। एक ईश्वर की उपासना छोड़कर हिन्दू ग्रनेक देवी देवताओं की पूजा में लग गये थे और निराकार ब्रह्म के अचन्तन का स्थान निम्न कोटि की मूर्ति-नूजा ने ले लिया था। सती प्रथा, ग्रनिवार्य वैधन्य, छूग्राचूत, बाल-हस्ता, सकीर्ण जाति प्रथा जैसा ग्रनेक त्रुयाहर्ण समाज ने शरीर को खोला बना रही थी। राजनैतिक दृष्टि से भारत चालबाज प्रिण्ठा कूटनीतिशता के नीचे दबा पड़ा था। सास्कृतिक दृष्टि से भा भारत पश्चिमी विजेताग्रा की बाहर से ऊँची दिसाई पहने वाली सम्यता के सामने मूक बना रहा था। यजनैतिक शक्ति के हास के कारण भारत यासिया का मातरी सगठन तो गायब ही हो रहा था, पश्चिमी शिक्षा ने इसे और भी गड़े में टानेल दिया। पढ़े लिखे भारतीय पश्चिम के भौतिक्यावाद से प्रभावित होने लगे, भारत का सास्कृतिक परम्परा का स्थान उनके हृदय से हटने लगा। इसाई पादरी हिन्दुओं के धार्मिक विश्वासों तथा कर्म काढ़ा का यूब बुराई करके अपने धर्म की महत्त्व प्रदर्शित करते जासे भारत की भोला भाली जनता और भी घबकावे म आती चली जा रहा था। देश म ग्रनेजों क ही सर्वेसर्वी होने से उन्हें अपने कार्य म और भी सहायता मिलती। हिन्दू-धर्म के दुर्ग म बड़े ही जोर का धक्का लगा और ऐसा प्रतीत होता था कि वह गिरने ही चाला है। हिन्दुग्रा का सास्कृतिक जीवन लुप्तप्राय हो चुका था। लेकिन इसा समय एक विचित्र घटना हुई। यगाल म राजा राममोहन राय, काटिपायाङ म स्थामी दग्गनन्द सरस्वती, मद्रास म मिसेन एनी बैरेंट और यगाल म श्री रामकृष्ण परमार्थ जैसी विभूतियां ने आगे कदम नढ़ाकर डगमगाती दशा म हिन्दू-धर्म की नाव थाम ली। भारत के पैर फिर जम गये, उसकी प्रसुप्त सजीवता किर जागृत हो गई। धारे धारे किन्तु अविराम गति से वह आगे नढ़ने लगा और बहुत दिनों तक अपने ऊपर जादू करने वाले पश्चिमी जगत को यह फिर वही सदेश देने लायक हो गया है जिसकी उसे अत्यधिक आवश्यकता है। महात्मा गांधी की शिक्षाग्रा में भारतीय बुद्धि-वैभव ने मूलतत्त्व भरे पड़े हैं। पश्चिम के समझदार अङ्गि प्रकाश तथा पथ प्रदर्शन न लिए गाधा जी तथा उनके सदेश का आर देखने लगे।

महामाज़— सुधार-आनंदनों म सबसे पहला ब्रह्मसमाज या जिमनी स्थापना १८२८ म राजा राममोहनराय (१७३८-१८३३) ने की था। राजा राममोहनराय आधुनिक भारत र समाजिक तथा धार्मिक सुधारकों और देशभक्तों म न इबल प्रथम बलिक उच्च कोटि र सुधारक थ—उनका ज म एक पुराने तथा कठर नाहाण परिवार म

हुआ था। उनकी शिक्षा पट्टने में हुई जो उस समय मुमलमानी शिक्षा और सख्ति का एक बेन्द्र था। उनने तिक्कत जाने के अवयव में भी सूचना मिलनी है। भारत में कुछ समय तक दधर-उधर धूपने के चाद वे सख्त तथा हिन्दू शास्त्रों के अध्ययन रे लिए बनाग्स में रिके। इस्ट इण्डिया कम्पनी की नौकरी फरंत समय वे ईसाई पादरियों के सम्पर्क में आये। वहाँ हिन्दू परम्पराओं म प्रारम्भिक जीवन चिताने, हिन्दू शास्त्रों मुमलमानी तथा ईसाई धर्म ग्रन्थों के अध्ययन से उनका इष्टिकोण विस्तृत और आधुनिक हो गया। उन्होंने यह महसूस किया कि ईसाई पादरियों तथा अन्य बुद्धिवादी नारिकों की आलोचना का सामना करने के लिए हिन्दू-धर्म म कुछ सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार उन्हें अपने जीवन के ध्येय का चोध हुआ। उनका ध्येय अपने देशवासियों को प्राचीन हिन्दू धर्म की पवित्रता का और लौटाने के अतिरिक्त और कुछ न था। इन उहेश्वर की पूर्ति के लिए वे कलक्ष्मी म वस गये और अपने चारों ओर उन्होंने कुछ उदार विचारों के व्यक्तियों को भी एकत्रित कर लिया जो हिन्दू शास्त्रों व अध्ययन के लिए प्रति सत्ताह मिला करते। उन्होंने अपनी टिप्पणी के साथ बगला म कुछ उपनिषदों तथा वेदान्त सूत्रों का प्रकाशन भी किया। हिन्दू धर्म के मूल सत्यों तथा उसकी कभी भी समात न हो सकने वाली मास्तुतिक निधि के प्रति उनके हृदय में बड़ा आदर तथा अद्वा थी लेकिन मृत्युज्ञा तथा भद्रे राति-रियाजों, जैसे चाल-विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह तथा कुआङ्कुत दे वे कड़र विरोधी थे। उनका विश्वास था कि उस समय बगल म मात्य इन्दू धर्म पवित्र न रह कर ग्रनेक अन्ध-विश्वासों का घर बन गया था, और उन अन्धविश्वासों को मनवाल बाहर करना अत्यावश्यक था। उन्होंने अपने देशवासियों को उपनिषदों में निहित सत्य से परिचित होने का ग्रादेश दिया। वे सत्य या तो लोग भूल गये थे या वैवल कुछ ही व्यक्तियों को जात थे।

१८८८ में उन्होंने तथा उनने उन्होंने तथा उनके ब्रह्म समाज के रूप में एक ऐसे समठन की नींव डाली जो आगे चलकर बहुत प्रभावशाली हुआ। इस समठन के अनुमार ईश्वर रूपहान, अनन्त, ग्रनादि तथा शाश्वत सत्ता है और यही सत्ता सुष्ठु का निर्माण तथा विनाश करती है। इसकी पूजा तथा उपासना के लिए 'तमाज' का पूला मंदिर १८३० म खोला गया। यह ध्यान म रखने की जात है कि इस अनन्त तथा मर्वोच्च सत्ता की किसी नाम या पहचान द्वारा उपसना नहीं हाती थी। मन्दिर मा न कोई भूति-कर्त्ता जाती और न कोई भासिद्रन ही बढ़ाया जाता। भान्दिर में भर्तिर किसी भी धर्म म मानी गई पवित्र कई भी चीज़ न घूणा की दृष्टि से देखी जाती और न उसको बुराई ही की जाती। जाति पाँति वर्ण, धर्म इत्यादि किसी भी चीज़ का भेद-भाव न करते हुए मन्दिर सप्तवे लिए सप्तान रूप से खुला रहता। इससे यह प्रदर्शित होता है कि राजा राममोहन या अपने 'तमाज' को सहित बनाना चाहते थे जिससे पवित्रता, कृष्ण, उदारता आदि गुणों और सभी धर्मावलम्बियों के साथ मेल जाल की

भावना का शिक्षण हो। इससे पहले भी प्रदर्शित हाता है कि अपने धार्मिक उपदेशों में उग्निपटों ने दर्शन तथा इहलाम की ईश्वर की एकात्मवादिता का बहुत इह तक समन्वय कर सके।

राजा राममोहन यथा बबल एक धार्मिक मुधारक ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी सुधारों के लिए भी उन्होंने पहले कठिन परिश्रम किया। उनका ब्रह्म समाज स्त्रियों को सभी प्रकार की सामाजिक असमानता से ऊपर उठाने का प्रयत्न करता था तथा बाल विवाह, इच्छा विफ़द्द वैधन तथा छुआछूत के विफ़द्द था। बाद में उन्होंने जाति प्रधान के विफ़द्द भी लडाई छेड़ दी। हिन्दू-धर्म के सभी विभागों में ब्रह्मसुमाजी ही जाति का सबसे कम विचार रखने हैं। शिक्षा ने ज्ञेन्म राजा साहब पश्चिमी शिक्षा का पक्ष लेते थे। वे अपने देशवासियों को पश्चिमी विज्ञान का शिक्षा देना चाहते थे क्योंकि उनका विचार था कि यूरोपवासियों की उन्नत दशा का कारण उनकी विज्ञान में उन्नात ही है। वे उन व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने १८१६ में हिन्दू कॉलिज की स्थापना कराई। उन्होंने अग्रेज पादरी अलेक्जेन्डर डफ़ को १८३० में अपना अग्रेजी स्कूल प्रारम्भ करने में भी सहायता पहुँचाई। भारतवासियों के लिए स्वतन्त्रता तथा समानता की माँग करने में व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उन्होंने अपने बीच एक देशभक्त राजनीतिज्ञ भी प्रदर्शित किया। राजा राममोहन यथा की महानता इस बात में नहीं है कि अपने जीवनकाल में उन्हें कितनी सफलता मिली। यहाँ इस बात में है कि सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा-सम्बन्धी तथा राजनैतिक सुधारों का पारम्परिक सम्बन्ध समझने वाले वे पहले भारतीय थे।

स्थापना करने वाले राजा राममोहन यथा जैसे महान् व्यक्तित्व के होते हुए भी ब्रह्म-समाज कोई अधिक उन्नात न कर सका। बगाल के पटे-लिखे लोगों पर यह कोई बहुत गहरा प्रभाव न ढाल सका। दिल्ली के बाटशाह का सदेश लेफ़र वह इलैंड गये और वही १८३३ में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद लोगों ने ब्रह्म समाज की आर अधिक प्यान न दिया। १८४२ में खीन्दनाथ टाकुर के पिता महापि देवेन्द्रनाथ टाकुर ने अपने साधु-जीवन तथा महान् सगठन-शक्ति द्वारा इसमें पिर से सजारता ला दी। तास बरों तक, जर तक वे इस सस्था के अगुआ रहे, 'समाज' का चरावर उन्हनि हाती रही, परन्तु उनके भागों तथा जाहर भा इसकी अनेक शास्त्रांगों की स्थापना हुई। उन्होंने इसमें उच्छ कर्म-कारण का भी समावेश किया। वे इसामर्स हैं से भा इतने प्रभावित नहीं थे जिन्हे राजा राममोहन यथा।

१८४२ में एक दूसरे महान् व्यक्ति, देशवन्द्र सेन, भा ब्रह्म समाज में सम्मिलित हो गये और गोप ही वे इसके अन्यतम व्यक्तियों में ही गये। देवेन्द्रनाथ टाकुर न उन्हें अपने सहायक के रूप में रखा लिया और चौबीस वर्ष की अपरस्था में ही वे 'आचार्य' पदवी से विमूर्खिय हाकर समाज के धर्माचार्य बन गये। उन्होंने एक प्रकार का सुरक्ष-

आन्दोलन प्रारम्भ करके ब्रह्म समाज में एक नई शक्ति तथा सज्जीवता ला दी। अनेक नवजीवन तथा कौलिजों के विद्यार्थी इस आन्दोलन की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने प्रसिद्ध पत्र 'दिल्ली इंडियन मिरर' की स्थापना की जो 'दिल्ली प्रेट्रियट' के साथ देश में सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों का नड़ा शक्तिशाली समर्थक बन गया। लेकिन वे देवेन्द्रनाथ की पढ़ी, परम्परा तथा स्तर से अलग आदमी ये और उन पर ईसाई प्रभावों की अधिक छाप थी। वे सकृत नहीं जानते थे और एक अध्येत्री स्कूल में उनकी शिक्षा भी हुई थी। इसलिए वे अपने पहिले के लागों की अपेक्षा हिन्दू धर्म से कम प्रभावित हुए। 'वे ईसामसीह के सदेश से बहुत प्रभावित थे और ब्रह्म समाज तथा हिन्दुस्तान के प्रभावशाली लागों के एक समूह में उनके सदेश का फैलाना उनके जीवन का एक ध्येय बन गया था।'^१ इस कारण तथा अन्य कई वातों में प्रभावित होने से इनमें तथा देवेन्द्रनाथ में कुछ मनमुदाच हो गया जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने समाज से अलग 'होकर 'भारतीय ब्रह्म समाज' नामक एक सम्प्रदाय की नींव डाली जो 'आदि ब्रह्मसमाज' कहलाने वाली मूल संस्था से अलग थी। आपस में मन मुगाव पैदा करने वाली वेश्य ने केवल यही चीज नहीं की। आपसी विरोध की इससे भी बड़ी चीज तो १८७८ में उत्पन्न हुई जब उन्होंने अपनी लड़की का विवाह कच्छ बिहार में राजकुमार से करने की अनुमति दे दी। ब्रह्मसमाजी विवाह के कानून की दर्शन में लड़का और लड़की दोनों की उम्र कम थी। उनके समाज से कई प्रभावशाली व्यक्ति अलग हो गये और उन्होंने 'साधारण ब्रह्मसमाज' की नींव डाली। वेश्य ने अपने अनुयायियों को एक नये रूप में संगठित किया और उस संगठन का नाम 'नव विधान' रखा। १८८४ म उनकी मृत्यु हो गई।

१८७८ से ब्रह्मसमाज की तीन शाखाएँ हो गईं। 'आदि ब्रह्मसमाज', जिससे द्योर परिवार समन्वित है, सबसे द्योद्यो उसका है और इस पर ईसाइयत का भी सबसे कम प्रभाव है। 'नव विधान' ईसाइयत से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। 'साधारण समाज' री सबसे अधिक प्रभावशाली तथा नियायील शाखा है।

हालाँकि वेश्यवचन्द्र सेन की अथवाता में ब्रगाल ने बाहर भी ब्रह्मसमाज की कुछ शाखाएँ प्रारम्भ की गईं—१८६६ में उत्तर प्रदेश (सयुक्त प्रान्त) में दो तथा मद्रास तथा पञ्चाच में एक-एक र्थी—फिर भा, यह आन्दोलन कभी भी अपिल भारतीय रूप आरणा न कर सका। आज भी यह ऐकल भाग तक ही सीमित है, और वहाँ भी इसकी सदस्यता कुछ बड़ी नहीं है, पढ़े लिखे परिवारों तक ही सीमित है। आर्य समाज की तरह यह कभी भी व्यापक तथा प्रभावशाली नहीं रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि प्रारम्भ से ही इस पर ईसाइयत की कुछ अधिक छाप रही है। यहाँ राममोहन राय प्रोटेस्टेंट धर्म से बराबर मिलाले लेते थे, और, जैसा कि पहले

* रोम्या रोलों : प्राफेट ऑफ न्यू इंडिया, पृष्ठ ७६।

कहा जा चुका है, केशवचान्द्र अपने समाज में ईसामसीह को सामने लाना चाहते थे। इसके सामाजिक रीति-रिवाज पर भी पाश्चात्य तरीकों का काफी प्रभाव है। ईसाई धर्म की भावनाओं पर अधिक जोर देने के कारण यह हिन्दू परम्परा क अनुकूल न रहा। इसके अतिरिक्त इस ग्रान्दोलन में भावना के वैभव की कमी या जिसके रहने से नगाली हृदय में सहानुभूति की उत्पत्ति हो सकती थी। इसके सिद्धान्त और द्विक रूप से उत्तर ऊँचे थे कि साधारण जनता की वहाँ तक पहुँच न हो सकती थी। परिर भी, इसने हिन्दू धर्म की बड़ी सेवा की। इसने उन हजारा नवजानों को बच्चा लिया जो ईसाईयत तथा नास्तिकता के प्रभाव म आ चुके थे। इसने उन लागों के लिए भी एक स्थान खोज निकाला जो अपने तथा अन्य निन्दा भाद्र्यों के बाच एक ब्रलगाव का अनुभव करते थे। इससे भी महत्वपूर्ण कार्य इसने यह किया कि यह उन तमाम धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक ग्रान्दोलनों का प्रारम्भ विन्दु बना जि हानि पिछले सौ या उससे भा अधिक वर्षों से चारे भारत को प्रभावित किया है। इसने शिक्षा सम्बन्धी उन्नति तथा सामाजिक सुधार-आन्दोलनों को बढ़ा योग दिया है, पिशेषत नगाल में। वहाँ इसने अन्धविश्वास-पूर्ण कट्टरता के बिले को बुरी तरह हिलाया। इसकी सबसे बड़ी सफलता यह भी रही कि पठे लिखे मन्त्रमर्ग के परिवारा की स्त्रियों को इसने समाज में बढ़ा ऊँचा दर्जा दिला दिया। मूर्ती शिक्षा ने प्रचार ने लिए इसने बढ़ा काम किया है।

इस भाग को समाप्त कर देने के पहिले, यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इससे सम्बद्ध चम्पई में प्रचलित प्रार्थना-समाज का भी बुद्ध उल्लेख कर दिया जाव। केशवचान्द्र सेन के चम्पई शहर म श्रागमन के तीन वर्ष यद इसकी १८६७ म स्थापना हुई और १८६८ मे उनके पुनर्यगमन से इसको बड़ा बल मिला। इसके मूल सिद्धान्त अपने मोटे रूप में ब्रह्म समाज के सिद्धान्तों ने हा अनुरूप है। इसका एक सर्वोच्च सत्ता म विश्वास है जिसका उपासना से इस सासार तथा इसने बाट के जीवन म सुख तथा शान्ति मिलती है। मूर्तिपूजा को यह दैविक पूजा का वास्तविक रूप नहीं मानता। इस प्रकार यह ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है और हिन्दू शास्त्रों से प्रेरणा प्रदण करता है। सामाजिक सुधार में भी इसको बड़ी दिलचस्ती थी। इसने जाति प्रथा, बाल विवाह दूर, करने तथा विधवा-विवाह और स्त्रा शिक्षा की प्रगति के लिए बड़ा प्रयत्न किया था। लेकिन ब्रह्म-समाज की तरह यह मूर्तिपूजा तथा जाति प्रथा का कट्टर विरोधा नहीं रहा। स्त्रीगांर्ह महादेव गायिन्द, रानाडे, सर आर० जी० भण्डारकर तथा सर नारायण चन्द्रावरकर इसके सदस्यों मे से थे। दालाँकि इसना सदस्यता बड़ा नहीं थी, परिर भी चम्पई प्रेसिडेन्सी मे सामाजिक सुधार-आन्दोलन में इसने बड़ा काम दिया और साथ ही अपने शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य कार्यों से इसने भारतीय राष्ट्रीयता ने रूप निर्माण म भा बड़ी सहायता दी।

आर्य समाज— भारतीय जागृति में महस्वपूर्ण योग देने वाला दूसरा धार्मिक सुधार-आनंदोलन आर्य समाज है। घर्तमान हिन्दू-धर्म में यह सबसे बड़ा तथा सबसे अधिक प्रभावशाली आनंदोलन है। मनुष्यों में एक सबसे अधिक वीर तथा सौम्य व्यक्ति स्वामी दयानन्द सरस्वती इसके सम्प्रतापक थे। उनमें सिंह का साहस और क्रियाशील विचार उक्त तथा नेतृत्व की प्रतिभा का अद्भुत सम्मिश्रण था। ब्रह्मसमाज के नेताओं से वे कई जातों में भिन्न थे। ग्रार्य-समाज के रूप में यह भिन्नता है। राजा राममोहन राय तथा केशवचन्द्र दोनों पर ही पश्चिमी विचारों का प्रभाव था— एक पर अधिक और दूसरे पर कम। इस कारण ब्रह्म समाज में ईसाइयत या गई थी। स्वामी दयानन्द सरस्वती श्री प्रेजी नहीं जानते थे और ईसाइयत का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन वे सख्त के प्रकार इवान थे। पढ़े-लिखे जवानों का पश्चिमी सख्ति तथा विचारों से प्रभावित होते देख उन्हें भद्रान् दुःर होता, इस्लाम तथा ईसाई धर्म का भी हिन्दुत्व पर हाथी होना उनके लिए बड़ा कष्टदायक था। वे इन सब चीजों को एकदम रोक देना तथा हिन्दू-धर्म में भी सुधार करना चाहते थे। चूँकि स्वामी दयानन्द सरस्वती आर्य समाज के आदिप्रवर्तक हैं इसलिए उनके कार्यों तथा उपदेशों को ठाक समझने के लिए उनके जीवन का कुछ दार्दर्शन अनिवार्य है।

मूलशक्ति का— यही स्वामी दयानन्द का वास्तविक नाम था— जन्म गुजरात के भौवी राज्य के एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसी भाग में आधी शताब्दी बाद भारत के एक दूसरे महान् व्यक्ति महात्मा गांधी का जन्म हुआ। उनके पिता धार्मिक रूप से तथा वो भी जीवन में बड़े बड़े व्यक्ति थे। मूलशक्ति को उनसे अजेय इच्छाशक्ति विगसत में मिली थी। शिवरात्रि के दिन उपवास, रात्रि-जागरण, चूहे का शिवलिंग पर चढ़ाया पदार्थ खाना तथा उस पर इधर-उधर दौड़ना— इन सबकी गाथा बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, वह प्रत्येक हिन्दू-घर में प्रचलित है। महर्त्व की चीज तो यह है कि इसका मूलशक्ति के जिशासु तथा कोमल हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा। इसने उनके विचारों की धारा ही बदल दी और उन्हें मूर्ति-पूजा की वास्तविकता पर सन्देह उत्पन्न कर दिया। इसके कुछ वर्ष बाद ही उनकी बहन तथा चाचा की मृत्यु ने उन्हें जीवन की सार्थकता पर विचार करने के लिए बाध्य किया। उनके माता पिता ने सोचा कि विवाह उनके अव्यवस्थित मस्तिष्क तथा दुखित हृदय के लिए आपधि का कार्य करेगा, इसलिए उन्होंने उनका विवाह करना निश्चय किया। लेकिन विवाह से चलने के लिए मूलशक्ति ने घर छोड़ दिया और पन्द्रह वर्षों तक वे धार्मिक सत्य की खोज में अविश्वास धरिश्वम करते रहे। उन्होंने पहिले एक ब्रह्मचारा का वेप तथा जीवन अपनाया, पिर वे वेदान्त में दीक्षित हुए, योगियों की खोज में इधर-उधर घूमते रहे और अन्त में मथुरा में आकर स्वामी विरजानन्द के शिष्य के रूप में उन्होंने अध्यात्मायी, महाभाष्य

तथा वेदान्त सूत्रों का सम्बन्ध ग्रहण किया। गुरु की शिष्यता में तीन साल तक रहने के पश्चात्, सदृशारों के प्रचार तथा मिथ्या धार्मिक विचारों के विनाश की प्रतिज्ञा करके उन्होंने गुरु से विद्या ली। स्वामी दयानन्द ने अपने गुरु द्वारा दिये गये आदेश का पालन श्लाघ्य साहस तथा उत्साह के साथ किया। अपना शेष जीवन उन्होंने देश भर में घूमने, पड़ितों, मौलवियों तथा ईसाई पादरियों से व्यवहार करने में विताया। बीच बीच मध्ये सार्वजनिक जागरूकता से हटकर चिन्तन तथा चारत्र को दृढ़तर बनाने तथा लिए कहीं चले जाते। अपने उपदेशों में उनका इतनी सफलता मिला कि पाँच वर्षों में ही उत्तरी भारत की हवा बदल गई। अपने उपदेशात्मक भ्रमणे के ही सिलसिले में उनकी कलकत्ता में केशवनन्द सेन, मर्दीर्पि देवेन्द्रनाथ बुद्धुर तथा श्रीरामकृष्ण परमहस्य से भेग हुई। स्वामी जी ने इन लोगों का भी मूर्तिपूजा तथा विभिन्न देवताओं का अधिक प्रभाव पड़ा था। उनकी राष्ट्रीय तथा भारतीय ग्राहितकता वेचल येता स ही उद्भूत हुई थी, उन लोगों ने विश्वासा के साथ इसका मेल नहीं खाता था क्योंकि उन विश्वासों में वेदों की पूर्णता तथा पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर भी सदेह करने के लिए स्थान था। लेकिन ब्रह्म समाज के नेताओं से समर्पक का एक अच्छा परिणाम हुआ। स्वामी दयानन्द ने समृद्ध छोड़कर जनता के मामने हिंदा में भाषण देना प्रारम्भ कर दिया। शियाओं पिछले सासायटा का मैडम लैवरस्टी तथा कर्नल अलकाट से भी उनका समर्पक हुआ। लेकिन ईश्वर के रूप तथा विषय में उन लोगों से मतभेद ही गया। १८८३ में अजमेर में उनका मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि किमी ऐसे महायजा की वेश्या ने, जिसको उन्होंने बुरी तरह डॉया था, उन्हें विष दिलवा दिया।

स्वामी दयानन्द वेचल सत्य की खाज करने वाले हो नहीं, एक महान् देशभक्त भी थे। वे अपनी मातृभूमि के लिए ग्रनेक मुनहले समने देखते थे। उनका मस्तिष्क में एक ऐसे भारत का कल्पना थी जिसमें अधिविश्वास, इच्छा विश्वद वैधव्य तथा मूर्तिपूजा न हो, जिसके निवासी कबल एक ईश्वर की उपासना में विश्वास करते हों, जो सगठित हों, जो स्वतन्त्र हों और जो उसके प्राचान वैभव को फिर सौनां सकें। उन्होंने यह चताया कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन समाज में प्रचलित मिथ्या विश्वासा का निवारण तथा पढ़ेनिलिखे जगानों के ऊपर पश्चिम के प्रभाव का अन्त करना था। इस काम के लिए उन्होंने वेदों के प्रचार को अपना माध्यम बनाया। उन्होंने अपने देशवासियों को मानव जाति के इस सर्वप्रथम शास्त्र का अपना पथ-ग्रदर्शक बनाने का आदेश दिया और इस प्रकार इन्दू-धर्म को एक नवानता प्रदान की। उन्होंने यह शिक्षा दी कि वेद ईश्वर की वाणी है, इसलिए तुष्टियों से परे है। वे धार्मिक ने नहीं अपितु वैज्ञानिक सत्यों के भी स्रात है। उन्होंने वदों के अर्थ का एक नया ही ढग निकाला, उनका

अनुग्राट किया तथा उन पर भाष्य लिखा। उन्होंने इस बात की चेष्टा की कि वेदों का अध्ययन करने तथा उनसे लाभ उठाने का मार्ग सभी के लिए खुला रहना चाहिये। उन्होंने अछूतों आदि सभी मनुष्यों के लिए वेदाध्ययन का मार्ग खोल दिया जो ब्राह्मणों की धार्मिक कठुरता के विशद् विद्रोह था। दूसरे धर्मानुयायियों, विशेषकर मनातनी पड़ितों, के साथ अनेक शास्त्राधीनों में स्वामी जी ने यह सिद्ध किया कि मूर्ति पूजा तथा विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा जो वेदों में विधान नहीं है, वहाँ तो केवल एक ही निराकार सर्वोच्च सत्ता की उपासना का विधान है। उनका यह भी उपदेश था कि हजारों जातियों तथा उपजातियों के साथ नेवल परम्परा पर निश्चित की जाने वाली जाति-प्रथा वेदों की शिक्षा के विपरीत है। वेदों म तो केवल गुण तथा चरित्र के ग्राधार पर समाज के चार वर्णों में विमाजन की व्यवस्था है। स्त्रियों की दयनीय दशा ने भी उनकी दयालु आत्मा को स्पर्श किया। उन्होंने उनकी दशा में सुधार के लिए घड़ा प्रयत्न किया और यह प्रदर्शित किया कि बाल-विवाह, इच्छा-विशद् वैधव्य और स्त्रियों की हेय दशा वैदिक धर्म के विरुद्ध है। वेदों की कल्पना के अनुसार वयस्क स्त्री तथा पुरुष के बीच का वैवाहिक सम्बन्ध एक धर्मिक बन्धन है। वेद इन्हीं को जीवन ने प्रत्येक क्षेत्र म पुरुष की दैनिक सहायिता मानते हैं। अछूतों के सम्बन्ध में भी स्वामी जी ने कम साहस का परिचय नहीं दिया। उनके स्वतंत्रों तथा अधिकारों का उनसे गढ़न बोई समर्थक नहीं हुआ है। उन्होंने आर्य समाज का द्वार उनके लिए खोल दिया और उन्हें हिन्दू समाज का सम्मानित सदस्य बना दिया।

भारत का पुनरुद्धार करने के लिए स्वामा दयानन्द ने १९७५ में धर्मवैद्य म आर्य-समाज की स्थापना की। कुछ वर्षों बाद उन्होंने लहौर में भी इसको एक शास्त्रा साली जो उनके कार्य का कन्द बन गई। आज समाज की सारे भारत में शाखाएँ हैं। पद्मावत म सात सौ से भी अधिक, उत्तर प्रदेश म चार सौ से कुछ कम और राजस्थान में लगभग सौ आर्य समाज हैं। उर्मा, स्याम, पुर्णी अक्षीका, दक्षिणी अक्षीका, मारीशस, पीजी द्विमसूह तथा अन्य जगहों म भी 'समाज' के केन्द्र हैं। आर्य-समाज ने धर्मोपदेश का बाहर भेजने तथा गैर हिन्दूओं का भी हिन्दू-धर्म में सम्मिलित कर लेने का प्राचीन प्रयत्नीयों का पुनर्जीवित किया है। जिस यह मिथ्या समझता है उन विश्वासों दे प्रति अपने क्षट्र दृष्टिकोण तथा दूसरों को अपने धर्म में दीक्षित करने वाले अपने कायों दे कारण आर्य समाज को कभी-नभी 'Church Militant' तथा 'Aggressive Hinduism' भी कहा गया है।

अपने जीवन के सत्तर वर्षों में आर्य-समाज को अनेक मफलताएँ मिले हैं। इसने विशेषत लिंग गण के मैदान में जन-ग्रान्टोलन का रूप धारण कर लिया है। जो भी लाग इससे प्रभावित हुए हैं उनमें एक नया जोश तथा जीवन आ गया है। लाग ने अपनी अकर्मण्यता तथा जीवन के मूल्यों

की दुर्बल मान्यताग्राही का निकाल फैका है। उनका स्वयं अपने भ तथा धर्म म विश्वास दृढ़तर हो गया है। अपने विश्वास की रक्षा ने लिए एक ग्रार्य समाजी जीवन भी दे सकता है और ग्रन्थ धर्मबलभिंतों की चुनौता। स्वीकार करने ने लिए सदैव कठिनद रहता है। समाज की स्थापना के पहिले साधारण हिन्दू दूसरा द्वारा की गई अपने धर्म की निन्दा तथा बुराई को चुनौताप सह लेता था, ग्रार्य समाज ने उसको एक नवीन तेज और स्मृति दी है।

ग्रार्य-समाज के कार्यों का विभाजन चार भागों म ले सकता है धार्मिक, सामाजिक, शिक्षा-सम्बन्धी तथा राजनैतिक।

(अ) धार्मिक कार्य— धर्म ने क्षेत्र में ग्रार्य समाज की प्रमुख सफलता हिन्दू-धर्म को एक नया 'स्परूप' देने मे है। यह हिन्दुग्राही का पुराण आदि को अपने धार्मिक विश्वास की खात पुस्तक मानने के लिए मना करता तथा नेवल वेदा को ही उसको आधार-शिला बनाने का आदेश देता है। इस प्रसार इसने हिन्दू-धर्म को उन तमाम मिथ्या विश्वासों से मुक्त करने के लिए प्रशसनीय प्रबल किया है जो उसके पतन काल मे उसमें घर कर गये थे। यह अनेक देवी देवताओं में विश्वास, मूर्ति-पूजा, द्वूग्राह्यत, इच्छा विश्वद वैधाय, ग्राल-विवाह, परभरागत जाति व्यवस्था तथा उन तमाम कुरीतियों तथा विश्वासों की भर्तुना करता है जो विवृत हिन्दू धर्म म धार्मिक पुस्तकों को अपना आधार बनाकर घर कर गये थे। इस दृष्टि से यह बहु समाज से मिलता जुलता है। लेकिन ब्रह्म समाज जहाँ पुराणादि ग्रन्थों का विरोध तर्क ने आधार पर करता था, वहाँ ग्रार्यसमाज वेदों की शारण लेता है और उन ग्रन्थों का वेद म कोई वर्णन न होने की बात कहता है। सामाजिक तथा धार्मिक समस्याओं तक पहुँचने का यह दङ्ग अधिक भारतीय है और दसी लिए ग्रार्य समाज, ब्रह्म समाज की अपेक्षा जनता म अधिक प्रचलित हुआ। ग्रार्य-समाज के निम्नलिखित दस प्रमुख नियम हैं—

(१) परमात्मा ही सभी शुद्ध ज्ञान तथा इस ज्ञान द्वारा जानी जा सकने वाली सभी चीजों का प्रमुख कारण है।

(२) ईश्वर सच्चिदानन्द है— वह शाश्वत, ज्ञान-मूर्ति तथा आनन्दकारी है। वह निराकार, सर्वशक्तिमान, स्याय-रूप, दयालु, अजन्मा, अनादि अनन्त, अमर, अभृत, सम्पूर्ण रक्षक, सर्वशा स्वामा, सुष्ठि का उत्पत्ति का कारण तथा उसका पालन करने वाला है। वेवल उसी की उपासना श्रेय है।

(३) वेद ही सत्य ज्ञान का आदि स्रोत है। उन्हें पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना प्रत्येक ग्रार्य का कर्त्तव्य है।

(४) जिसका सत्य का स्वीकृति और असत्य को अस्वीकृति का लिए सदैव प्रत्युत रहना चाहिए।

(५) प्रत्येक चौज धर्मानुसार अर्थात् सही और गलत का ध्यान रखकर करनी चाहिए।

(६) 'समाज' का अमूल्य धैय मानव-जाति की शारीरिक, आधारिक तथा सामाजिक दशा में सुधार करके सासार की सेवा करना है।

(७) पारत्यरिक व्यवहार का आधार प्रेम, न्याय तथा धर्म होना चाहिए।

(८) विद्या के प्रसार तथा प्रविद्या के निवारण के लिये सभको प्रबलशील रहना चाहिए।

(९) अपनी ही भलाई से किसी को सतुर्ज नहीं रहना चाहिए, बल्कि सभकी भलाई में हा अपनी भलाई देखनी चाहिए।

(१०) पूरे समाज पर प्रभाव डालने वाली भलाई की चीज़ों में अङ्गगा नहीं डालना चाहिए, बल्कि पूर्ण रूप से व्यक्तिगत मामलों में सभको समान रूप से गवतन्त्रता मिलनी चाहिए।

इन सब बातों में पुर्वजन्म पर विश्वास, कर्मवाद का सिद्धान्त, निर्बाण अर्थात् मोक्ष की कल्पना भी जोड़ी जा सकती है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि भक्ता तथा ईश्वर के बीच आई-समाज विसी भाष्यम की आवश्यकता नहीं मानता। हिन्दू धर्म में ब्राह्मणों तथा ईसाई धर्म में पादरियों की तरह इसमें कोई पुजारी वर्ग नहीं है।

आई-समाज ने केवल हिन्दू धर्म का एक उदार तथा प्रिस्तृत अर्थ किया तथा विदेशी सभ्यताओं पर इसकी शोषणा ही नहीं सिद्ध की है बल्कि इस्लाम तथा ईसाई धर्म में जाने वाले हिन्दुओं के प्रवाह को भी राका है। इतना ही नहीं, यह और आगे भा गया है, इसने हिन्दू धर्म का दरवाजा अन्य धर्मावलम्बियों ने लिए खोल दिया है। १९६० म आई-समाज ने १९६३ गैर-हिन्दुओं को अपने धर्म में दीक्षित किया। जैसा कि उपर प्रदर्शित किया जा चुका है, आई-समाज ने बाहरी देशों का धर्म-दूत भेजने की प्राचीन-प्रणाली को पिर से प्रचालत किया। इसने लाखों अछूतों का यज्ञोपवीत किया और उन्हें हिन्दू समाज का एक अभिन्न अङ्ग बना दिया।

सचेष म, 'समाज' के धार्मिक क्षेत्र में निम्नलिखित उद्देश्य हैं : हिन्दुओं के धार्मिक विश्वास में परिवर्तन, वैदिक धर्म तथा आई सख्ति के बारे में सच्चे ज्ञान का प्रसार और हिन्दू-समाज को उन बुद्धियों से मुक्त करना जो इसकी जड़ें योसली बर रही हैं।

(८) सामाजिक कार्य— आई-समाज के कार्य-क्रम में सामाजिक सुधार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। 'समाज' ने परम्परागत जाति-अवधारणा का विरोध किया है। इसके अनुसार ब्राह्मण, लौटिय, वैश्य तथा शूद्र— इन चार बलों का विभाजन गुण तथा कर्म ने आधार पर होना चाहिए, जन्म-ने आधार पर नहीं। यह वेदों में

वर्णित वर्षे व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहता है। इस ज्ञेय में अधिक सफलता नहीं मिली है, ग्रार्थ-समाज के सदम्भा की एक बड़ी सख्ता भी जाति पाँति के बन्धनों से उत्तरी ही प्रधी है जिन्हें अन्य हिन्दू। पिर भी, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हिन्दू मत्स्तिष्ठ से जाति-व्यवस्था की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। इसमा कुछ अशों में श्रेय आर्य समाज को मिलना चाहिए। कुछ ग्रार्थ-समाजी 'जाति-पाँति-तोड़क-मण्डल' चला रहे हैं। 'समाज' चल तथा वेमेन विवाह का भी बुरा बतलाता है। इसने लड़कों के विवाह की उम्र कम से कम नाईस तथा लड़कियों की सोलह वर्ष निश्चित की है। विधवा विवाह तथा स्त्रियों की साधारण दशा में उन्नति के लिए भी काफी काम किया है। पिगाह-सम्बन्धी राति रिवाजों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के निराकरण की भी इसने उपेक्षा नहीं की है।

लेकिन आर्य समाज के सामाजिक सुधार के कार्यों में अबूतों का उदार ही प्रमुख है। इस जात की धापणा करके कि किसी वक्ति का सामाजिक स्थान उसके कर्म पर निर्भर है, जन्म पर नहीं, इसने ग्रस्तश्यता को बड़ा घड़ा पहुँचाया। १६०८ म दलित जातियों के उदार के लिए एक सक्रिय आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। वर्तमान समय म 'दयानन्द दलित-उदार मण्डल' इस दिशा म प्रशसनीय कार्य कर रहा है। दुखी मानवता की सेवा म भी 'समाज' पीछे नहीं रहा है। ईसाई मिशनों के सेवा कार्यों से प्रभावित होकर, आर्य समाज ही प्रथम शुद्ध भारतीय संस्था भी जिसने अनाधालयी तथा विधवाओं की स्थापना का। अकाल-पीड़ित ज्ञेय में सेवा-कार्य के लिए गैर सरकारी रूप से आन्दोलन प्रारम्भ करने वाली यह पहली गैर-ईसाई संस्था भी थी। आज देश भर म आर्य-समाज न सदस्या द्वारा समर्थित तथा चलाई जाने वाली सामाजिक सेवा सम्पाद्यों का एक जाल सा निर्झा हुआ है।

(स) शिक्षा सम्बन्धी कार्य— देश म ग्रार्थ-समाज प्रमुख शिक्षण संस्था है। किसी भी अन्य संगठन के हाथ म इतनी शिक्षण संस्थाएँ नहीं हैं जितनी इसके। पञ्चाच तथा उन्नर प्रदेश म ग्रनेक डी० ए० बी० कॉलिज तथा स्कूल हैं जहाँ विद्यार्थियों का ग्रामिनिक शिक्षा दी जाती है। इन शिक्षण-संस्थाओं म लाहौर की एक शिक्षण संस्था सबसे प्रमुख थी। १८८८ म महर्षि स्वामी दयानन्द के स्मारक के रूप म इसकी स्थापना हुई था। लाहौर के पाकिस्तान म चले जाने न कारण यह संस्था नन्द हो गई। इसका स्थान डा० ए० बी० कॉलिज बालन्धर, ने ले लिया है। उत्तर प्रदेश के डा० ए० बी० कॉलिजों म सबसे प्रमुख कानपुर है। इन डी० ए० बी० कॉलिजों के साथ साथ चलनेवाले ग्रनेक हाई स्कूल तथा मिडिल स्कूल हैं। दलित बगों के लिए प्रिशेय रूप से चलनेवाले दिन स्कूल तथा रात्रि-स्कूल हैं। लड़कियों की शिक्षा की आर भी समुचित ध्यान दिया गया है। लगभग सभी बड़े नगरों में कन्या पाठशालाएँ हैं जिनम जालन्धर का कन्या महाविद्यालय प्रमुख है। कागड़ी (हरिद्वार) ने प्रमिद्ध गुरुमुल का भी उल्लेख आवश्यक है जहाँ पच्चे सात वर्ष

की ग्रन्थावस्था में भर्ती होते और पच्चीस वर्ष की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इतने वर्षों तक ये लड़के अपने गुरुओं के साथ रहते और सादगी तथा ब्रह्मचर्य-पूर्ण जीवन अतीत करते हैं। अनुशासन बड़ा बड़ा रहता है। यहाँ हिन्दी के माध्यम द्वारा शिक्षा देने की एक अलग प्रणाली है, हालाँकि अब्रेजी तथा अन्य ग्राहनिक विशानों की भी शिक्षा होती है। गुरुकुल की स्थापना महात्मा मुशीयम ने की थी जो बाद में स्वामी अद्वानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए। 'समाज' ने हिन्दी के पक्ष में भी जारी व्यापार प्रचार किया है। 'समाज' द्वारा ही प्रोत्साहन दिये जाने पर हिन्दी के जानकारी की सख्त काफी बढ़ गई है।

(d) राजनीतिक कार्य— आर्य-समाज मुख्य रूप से हिन्दू सुधार-आनंदोलन ही है, राजनीतिक संगठन नहीं। लेकिन राष्ट्र की राजनीतिक चेतना में इसका बड़ा हाथ रहा है। यह मातृभूमि के प्रति गौरव भक्ति तथा अपने में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करता है और साथ ही साथ दृढ़ चरित तथा स्वतन्त्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। इसके सदस्य म किसी प्रकार की हीनता की भावना नहीं देखी जाती। इन कारणों से यह यदि विदेशी सरकार की दृष्टि में सटकता रहा तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यह भी ध्यान म रखना अत्यावश्यक है कि स्वामी दयानन्द ने ही वहले पहले स्वदेशी मन्त्र की दाढ़ा दी और परिचमी विचारों तथा आदर्शों के प्रति ग्रन्थ-विश्वास के विरुद्ध आनंदोलन प्रारम्भ किया। कामेस के राष्ट्र निर्माण के कार्य कम के बहुत से अगों को प्रस्थापित करने का श्रेय इसी को है। इसने राष्ट्र को स्वर्गीय लाला लाभपत्राय तथा स्वामी अद्वानन्द जैसे अनेक अगुआ राजनीतिशी भी प्रदान किये हैं।

'दी बहुचरल हेरिटेज ऑफ इण्डिया' नामक पुस्तक के एक लेख में स्वामी निर्वदानन्द ने आर्य-समाज का सफलताओं का निम्नलिखित शब्दों में वर्णन किया है : वेदों के प्रति एकाग्री दृष्टिकोण रे कारण आर्य-समाज में जाहे जो बुराइयों आ गई हों, फिर भी, इस आनंदोलन ने लोगों में हिन्दुत्व का एक नया मन फूँक दिया और इसी कारण हिन्दू जाति में यह इतना प्रिय बना। इसके अतिरिक्त, मूर्ति-पूजा का खड़न करके इसने ग्राहनिक बुद्धियादी लोगों के विचारों का भी सर्व किया। मूर्ति-पूजा के शप्त, परं वैतिक यज्ञादि के फ़िल्में, आर्य-समाज ख सुन्दर भूमि जूझाने जल्दी आकर्षण उत्पन्न कर दिया। अन्त में, सामाजिक रीति रिवाजों का शीघ्र परिवर्तन तो सुग की माँग थी। इन सब चीजों ने मिलकर आर्य-समाज के धर्म परिवर्तन के प्रभासों को भी सफलता प्रदान की। सारे उत्तरी भारत, विशेषतः पंजाब, में यह नया विश्वास दावागिन के सहश फैला और कुछ ही वर्षों में इसने कई लाख व्यक्तियों को अपने सिद्धान्तों में दीक्षित कर लिया। इस प्रकार आर्य-समाज ने कप्ती बहुत चेत-

से विदेशी सम्भवता के विनाश सारी प्रमाणां को समाप्त किया और देश के सास्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण सफल अध्याय जाऊ।^{१५}

थियोसॉफिकल सोसायटी— मैट्टीम ब्लैंगटस्की नामक एक सधारनत रुसी महिला तथा अमेरिकी सेना के हेनरी स्टील ग्रालकाट नामक एक कर्नल ने १८७५ में न्यूयार्क में इसकी स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसायटी का हिन्दू सुधार-आन्दोलन से काँइ सम्बन्ध न था। मुश्टि, मनुष्य तथा उसके अन्तिम लक्ष्य के विषय में कुछ तथ्यों तथा उन पर आधारित जीवन की एक विशिष्ट प्रणाली का प्रचार ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसका यहाँ वर्णन इसलिए आवश्यक है कि इसने पढ़े लिखे हिन्दुओं का अपने साहित्य तथा धर्म में विश्वास पुनर्जीवित किया और ईमाइयत तथा भौतिकता के प्रभाव तथा उनकी धारा को दक्षिण में रोकने का वही कार्य किया जो आर्य-समाज ने उत्तरी भारत में। इसके सत्यापकों को इस देश में आने के निए स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आमन्त्रित किया। वे १६ फरवरी १८७७ म चम्पई में उतरे। कर्नल ग्रालकाट ने देश के अनेक भागों में दौरा करके भाषण दिये जिनमें उन्हाने हिन्दुओं का अपनी दीन देश का और छान दिलाया और 'उन्हें गौरवपूर्ण प्राचीन हिन्दू धर्म को उन तमाम बुराइयों से ग्रलग करने का आदेश दिया जा इसकी सजोबता को नष्ट किये डाल रही थी।^{१६} हिन्दू धर्म के अध्ययन के लिए भी उन्होंने अनेक संस्थाओं की स्थापना की। हिन्दुस्तान में काम करने वें लिए सोसायटी का प्रमुख स्थान उन्होंने १८८२ में न्यूयार्क से हटाकर ग्रान्डयार्ड, मद्रास म कर दिया। उनके कार्य का प्रमुख ध्येय था भारतीयों को अपने राष्ट्रीय धर्म का ग्रादर करना निवाना। सरकारी शिक्षण संस्थाओं तथा ईसाई पादरियों द्वारा दो गई अधारिति (Non-religious) तथा राष्ट्र-विश्व शिक्षा हिन्दुओं के राष्ट्रीय धर्म का नाश कर रही थी। सर हेनरी ग्रालकाट ने इसका बड़ा विरोध किया।

ग्रायलैंगड़ की प्रतिभाशालिनी महिला एनी बेसेंट ने धार्मिक जागृति का कार्य उत्साह के साथ चालू रखा। थियोसॉफिकल सोसायटी के एक सदस्य की हैसियत में वे भारत में १८८३ में आईं और बाद म वे सोसायटी की प्रेसिडेंट बन गईं। वे प्रत्येक दृष्टि से हिन्दू बन गईं और हिन्दू तथा गैर हिन्दू, सभी प्रकार के आलोचकों द्वारा व्यर्थ बताये जाने वाले अनेक हिन्दू रीति रिवाजों के भी पक्ष में चड़े उत्साहपूर्ण तथा वैज्ञानिक तर्क रखने लगीं। उन्होंने बेटों तथा उपनिषदों म अपने विश्वास तथा हिन्दू संस्कृति की पाश्चात्य संस्कृति के मुकाबले उच्चता की सच्च घायणा कर दी। उन्होंने मूर्ति-पूजा का भी समर्थन किया जिसे ब्रह्म समाज तथा आर्य-समाज ने निकृष्ट बताया था, उन्होंने जाति-व्यवस्था का उसके मूल रूप म, पक्ष लिया और सती-प्रथा

* 'कल्चरल हैरिटेज ऑफ इण्डिया', लगड II, पृष्ठ ४४७।

† एनी बेसेंट • इण्डिया — ए नेशन, पृष्ठ ८५।

तक का भा समर्थन किया लेकिन तभी जब पिंडिया स्वयं अपनी दृच्छा से सती होना चाहती हो। यह कहा जा सकता है कि ऐसी बेसेन्ट की अध्यक्षता में भारत में धियोसॉफ्ट का हिन्दू-जागृति की प्रवृत्ति बन गई। सर वैलेन्याइन चिरोल ने अपने 'इण्डियन अनरेस्ट' में इस प्रकार लिखा है 'मदाम ब्लैबट्सी तथा बैंगल आलकॉट के नेतृत्व में धियोसॉफ्टों वे आगमन ने हिन्दू जागृति को एक नई शक्ति दी और किसी भी हिन्दू ने इस आनंदालन को समर्गित तथा व्याप्तित करने के लिए उतना कार्य नहीं किया जितना ऐसी बेसेन्ट ने। उन्होंने सेंट्रल हिन्दू कॉलेज बनारस तथा मद्रास के निकट ग्राम्यार वालों धियोसॉफ्टिक संस्था द्वारा पाश्चात्य भौतिक मध्यता के समक्ष हिन्दू धर्म की उच्चता की स्पष्ट रूप से धारणा कर दी है। हिन्दुओं का हमारी सम्बता की ओर से मुँह मोड़ लेना तक क्या आशनर्येजनक है जब एक प्रमुख बुद्धि तथा अद्वितीय वाक् शक्ति सम्पन्न यूरोपीय महिला आकर उन्हें यह बताती है कि सर्वान्वच शन की कु जी उन्हीं के पास है और सैट्रैब से रही है, उनके देवता, उनका टर्णन रेशा उनसे नैतिकता, गवचार की उससे लैंची भूमि पर है जहाँ तक पश्चिम कभी पहुँचा है।'

एनी बेसेन्ट की एक सबसे बड़ी सफलता सेंट्रल हिन्दू स्कूल तथा सेंट्रल हिन्दू कॉलेज की बनारस में स्थापना थी जो ग्रन्थ बृहद हिन्दू विश्वविद्यालय चन गया है। उन्होंने सामाजिक सुधारों की भी अवहेलना नहीं की। उनके सेंट्रल हिन्दू हाई स्कूल में विवाहित लड़कों की मरती नहीं होती थी। श्रीमती एनी बेसेन्ट ने अपने साथ काम करने वालों तथा सच्चे अनुयायियों से अपनी लड़कियों की होगी श्रवस्था में विद्यार्थ न करने की प्रतिज्ञा करा ली थी। उन्होंने द्यगलैंड तथा ग्रन्थ देशों तक सामुद्रिक यात्रा करने धारे भारतजाती हिन्दुओं का जाति भ समिलित कर लेने का प्रबन्ध भी किया। ग्रन्थ में उन्होंने 'इण्डियन होम रूल' ग्रान्दालन समर्गित किया और इस सम्बन्ध में उन्होंने सजा भा कार्य। १९१८ म वे कॉम्प्रेस अधिवेशन की अध्यक्षा भी चुनी गई। हिन्दू-शासन का अनुबाद साहत प्रभाशन करने धियोसॉफ्टिक सालायटी ने हिन्दू धर्म की बड़ी सेवा की ओर इस प्रकार पढ़े-लिखे हिन्दुओं का अपने धर्म से परिचित करने के लिए इसने बड़ा काम किया। हिन्दू समाज पर प्रभाव की दृष्टि से यह अन्य मुधार ग्रान्दोलनों से मिलता-जुनता रही। लेकिन सामाजिक रीति-रिवाजों से ग्राम्य परिवर्तन के पक्ष में बह नहीं थी। वह भा ध्यान देने की बात है कि साहार के मध्ये प्रमुख धर्मों के प्रति सहिष्णुता तथा उनके तत्वों को स्वीकार करने की अपनी नाति वे कारण भारत में प्रचलित विभिन्न धर्मों में एकता लाने के लिए धियोसॉफ्टिक सालायटी की स्थिति बहुत अच्छी है।

रामकृष्ण सेवा आश्रम— ब्रह्म-समाज तथा आर्य समाज की उत्पत्ति हिन्दू-धर्म न इतिहास की एक न उत्तर सिंगति म दुई थी। उन्होंने तथा धियोसॉफ्टिक

सोसायटी ने मिलकर घटनाओं के प्रवाह को रोका और ईसाद्यत तथा पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव को आगे न बढ़ने दिया। उन्होंने हिन्दुओं को अपने धार्मिक उपदेशों को एक नवीन प्रकाश में देखने तथा उनकी प्रशस्ता करने योग्य जनाया। इस प्रकार उन्होंने हिन्दू-धर्म पर अन्य धर्मों की सारकृतिक विजय को रोका। लेकिन उन्हें पूर्ण हिन्दू-जागृति का श्रेय नहीं मिल सकता क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने हिन्दू धर्म के दुर्लभ विशेष पद्धतियों तथा तत्वों पर जार दिया और अन्य पद्धतियों को व्यर्थ या अन्धविश्वास बताकर उनकी उपेक्षा की। उदाहरण के लिए, भाक्त या श्रद्धा को, जो हिन्दू-धर्म का एक प्रमुख ग्रन्थ है, उनकी जीवन प्रणाली में कोई स्थान नहीं मिलता। मूर्तिपूजा का प्रमुख उद्देश्य भी वे न समझ सकते। इसका परिणाम यह हुआ कि 'वे हिन्दू-महर्षियों द्वारा सैकड़ा शताब्दियों में बनाये गये ग्राटशों तथा विचारों की बृहत् तथा गौरवपूर्ण परम्परा का अनुमान तथा उसका पूर्ण ग्रन्थलोकन न कर सके।^५ यह कमी श्री रामकृष्ण परमहस्य द्वारा पूरी की गई जिनके जीवन तथा सदेश में हिन्दूत्व की पूर्ण आधारिक जागृति निहित है। वह हिन्दू समाज ने समक्ष गहन अध्यात्मपूर्ण अद्विनीय जीवन के साथ अवतीर्ण हुए, हिन्दू धर्म ने प्रति उनकी दृष्टि बड़ी ही उदात्त तथा विश्लेषणपूर्ण थी तथा हिन्दू शास्त्रों के सभी विचारों और ग्राटशों की उनकी विवेचना बड़ी ही सरल तथा प्रभावशालिनी थी। उन्होंने धर्म के सबोंच सबों का साक्षात्कार अपने जीवन ही में कर लिया था और यह प्रदर्शित भी कर दिया कि ईश्वर की प्राप्ति उन परम्परागत हिन्दू रीति-रिवाजों के अपनाने से ही सकती है जिनको ईसाई पादरियों ने अन्ध-विश्वास बता कर व्यर्थ सिद्ध करने की चेष्टा की थी। अब हिन्दू इस बात का दावा कर सकते थे कि उनका धर्म पूर्ण था और उन्हें किसी विदेशी धर्म की आवश्यकता न थी। इस प्रकार उन्होंने परम्परागत विश्वास में, उनकी तमाम मान्यताओं के साथ, एक बड़ी शक्तिपूर्ण चेतना ला दी। इस चेतना ने यह प्रदर्शित किया कि यज्ञनैतिक चैत्र में भी भारतीय स्वयं अपनी दशा की देख-भाल कर सकते हैं, विदेशियों का इसमें हाथ डालने की तनिक भी आवश्यकता नहीं।

श्री रामकृष्ण परमहस्य भी राजा राममोहन राय सथा स्वामी दयानन्द सरस्वती की माँति एक ब्राह्मण थे जिन्होंने उनमें इन लोगों की-न्सी विद्वत्ता तथा बक्तृता-शक्ति न थी। उनमें ग्रन्थ हास्तियों से भी इन लोगों से असमानता थी। वे किनी चाज में एकदम परिवर्तन के पक्ष में न थे और पुराने रीति-रिवाजों की बुराई नहीं करते थे। यद्यपि वे मुश्किल से भाक्त बहे जा सकते थे, किर मी नरेन्द्रनाथ जैसे कॉलिज के विद्यार्थी, जो बाद में स्थामी विवेकानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके पास आते और उन्हें अपना गुण स्वीकार करते। विचार-चैत्र म वेशवचन्द्र सेन तथा

* कल्चरल हेरिटेज ऑफ इण्डिया, खड़ II, पृष्ठ ४४६।

बकिमचन्द्र चटर्जी जैसे नेताओं ने भी उनकी महानता स्वीकार की। हालौंकि उन्होंने किसी संस्था तथा समाज की स्थापना नहीं की पर भी उन्होंने एक पूरी पांडी की प्रेरित किया। १८८६ में उनकी मृत्यु के बाद, स्वामी विवेकानन्द के नेतृत्व में, उनके लगभग एक दर्जन शिष्यों ने एक संस्था की स्थापना की जिसे 'रामकृष्ण सेवा-आश्रम' कहते हैं। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य तथा सादगी का ब्रत लिया और चिन्तन तथा गरीबों की सेवा के लिए अपना सारा जीवन उत्सर्ग कर दिया।

श्री रामकृष्ण ने हिन्दू धर्म में एक पूर्ण आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की, लेकिन उनका जीवन तथा उनकी अनुभूतियों इससे भी महान् सत्य की प्रत्यक्ष उदाहरण थीं। उन्होंने हिन्दू धर्म द्वारा बताये ईश्वर के साक्षात्कार के विभिन्न उपायों का अद्वितीय सफलता के साथ प्रयोग किया; जैसे, दैवी माता के रूप में काली की पूजा, निराकार तथा निरुण ब्रह्म का चिन्तन तथा निर्विकल्प समाधि। वे इसी नर्तजे पर पहुँचे थे कि ये सब यस्ते केवल एक ही गतव्य ग्रथ्यत् ईश्वर-साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। उनका यह पक्षा विश्वास था कि एक ही ईश्वर की हिन्दू ईश्वर या परमात्मा, मुसलमान अल्लाह, ईसाई गॉड तथा अन्य धर्मावलम्बी ऐसे ही दूसरे नामों से उपासना करते हैं। वह कभी कभी इस प्रकार कहा करते थे कि : मैंने हिन्दू, इस्लाम तथा ईसाई सभी धर्मों का अध्यास किया है तथा हिन्दू धर्म की विभिन्न उपशाखाओं के विभिन्न मार्गों का भी अवलम्बन किया है। मैंने यह अनुभव किया है कि एक ही स्थान की ओर लोग विभिन्न मार्गों से अपना कदम बढ़ा रहे हैं। मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ मुझे हिन्दू, मुसलमान, ब्रह्मसमाजी, वैष्णव तथा अन्य धर्मावलम्बी आपस में लड़ते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे ये नहीं सोच पाते कि जिसे वे कृष्ण कहते हैं वही शिव भी कहलाता है; उसे शक्ति, ईशा तथा अल्लाह भी कहते हैं—एक ही राम को हजारों नामों से जाना जाता है।'

जिस प्रकार स्वामी विरजानन्द ने अपने शिष्य स्वामी दयानन्द सरस्वती से ज्ञान का प्रचार करने तथा लोगों को बेदों की ओर ले आने का प्रतिज्ञा कराई थी, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य विवेकानन्द को मानवता की सेवा करने तथा सार्वभौम धर्म का प्रचार करने का भार संपा। उन्होंने विवेकानन्द को यह उपदेश दिया कि स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने मोक्ष के लिए ही प्रथलशील होना ठीक नहीं। विवेकानन्द तथा उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण सेवा-आश्रम, श्री रामकृष्ण के सदेश को भारत तथा शेष दुनिया में फैलाने के माध्यम बने। यहाँ इसका जिक निया जा सकता है कि अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहिले श्री रामकृष्ण ने केवल स्वामी विवेकानन्द के साथ रहने की इच्छा प्रकट की और उन्हें एक प्रकार की आध्यात्मिक चेतना में परिवेशित करते हुए बोले : 'आज मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया है और मैं अब केवल एक अकिञ्चन पक्षीर रह गया हूँ। इस शक्ति से

तुम सधार का बहुत भला कर सकोगे और जब तक तुम्हें अपने ये प्रकाशि न हो जायगी, तुम इस समार को नहीं छोड़ोगे।'

स्वामी विवेकानन्द के अमेरिका जाने, १८६३ में शिकागो में हुए विश्व-धर्म-सम्मेलन में उनके भाग लेने, और वहाँ पर हिन्दू-धर्म के पक्ष में लागी को चकित करने वाला भाषण देने, अमेरिका तथा इंगलैंड में अनेक वेदान्त केन्द्रों की स्थापना करने, उनकी विजयपूर्ण वापसी, उनका अमेरिका तथा इंगलैंड का दुचारा भ्रमण तथा भारत लौटने पर उनके बाट के कार्यों की दी इतिहास्य कहानी है, लेकिन उसे यहा सुनाने की आवश्यकता नहीं।^५ हमारा यहाँ सम्बन्ध वेदान्त उस व्ववहारिक वेदान्त तथा हिन्दू धर्म की उन सभी अच्छाइयों से है जिनके पुनरुद्धार तथा प्रचार के लिए उन्होंने अथवा परिअम किया। उनके अनुमार वह धर्म व्यथे हैं जो अपने, अनुयायियों को स्थिति की गम्भीरता का सामना करने के यात्रा नहीं बनाता। रुचेप में, उन्होंने हिन्दू धर्म को प्रगतिशील तथा आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने उपनिषदों के पुर्णत सत्यों तथा वेदान्त के विचारों तथा आदर्शों को नित्यप्रति के जीवन में उतारने का आदेश दिया। अपने भाषणों में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस प्रकार वेदान्ती विचार लोगों में नवीन जीवन का संचार तथा उनके विचारों को उदात्त बना सकते हैं। वेदान्ती आदर्शों के प्रचार तथा उन्हें वास्तविक जीवन में उतारने के लिए उन्होंने रामकृष्ण सेवाभ्रम की स्थापना की। यह एक स्थायी सत्था बनाई गई जिसमें दीर्घा पाये हुए। सदन्य अपने जीवन तथा उपदेशों, दोनों से, उनके ग्राव्यात्मिक ग्रादर्शों को प्रज्ञलित रखते हैं। अपनी उत्तेजक तथा प्रभावशालिनी वक्तुता द्वारा तथा अपने मुख श्री रामकृष्ण की इच्छा का स्मरण दिलाकर उन्होंने अपने शिष्य भाइयों को एकाग्री तथा केवल अपने हित के लिए की गई उपासना की निष्पत्ता बताई और उन्हें सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा के लिए सन्देश हा जाने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा : 'ईश्वर की खोज में तुम कहाँ जाते हो ? क्या पाइत, कमज़ोर और निर्धन मनुष्य स्वयं देवता नहीं है ? उनकी ही पूजा क्यों नहीं करते ? गङ्गा के किनारे कुआँ खोदने क्यों जाते हो ? इन्हीं लोगों को अपना ईश्वर मानो— उनके ही विषय में साचों, काम करो, उनकी ही अनवरत उपासना करो ; प्रभु तुम्हें मार्ग दियायेंगे।'

अपने अहंरेज तथा अमरीकी शिष्यों द्वारा एकत्रित रूपये की सहायता से स्वामी विवेकानन्द ने १८६६ में कलकत्ता के निकट बेलूर नामक स्थान

* इसमें दिलचस्पी लेने वाले विद्यार्थी को 'कल्चरल हेरीटेज ऑफ इण्डिया' खड़ २ का अन्तिम अध्याय तथा रोम्या रोला को 'दी प्रार्थेस ऑफ न्यू इण्डिया' नामक पुस्तक देखनी चाहिए।

पर एक मठ बनवाया। यहाँ यमकुण्ड सेवा आश्रम का प्रधान केन्द्र है। अलमदार निले म मायावतो नामक स्थान पर तथा दक्षिण में बगलार में भी मठ है तथा अन्य जगहों पर भी मठ की शालाएँ हैं। सेवा-आश्रम ने भारत, उर्मा, लक्ष्मी, मलाया के सघ राज्य, तथा अमेरिका और यूरोप के अनेक स्थानों पर बन सेवा संस्थाएँ खोला हैं। सेवा आश्रम शिद्धा तथा जन सेवा के काम म लगा रहता है और मुख्य काँचे स्तर की पत्रिकाएँ भी प्रकाशित करता है जिनमें 'प्रजुद्ध भारत' सबसे अधिक प्रसिद्ध है।

कुछ छोटे आन्दोलन— ऊपर वर्णित चार बड़े सुधार-आन्दोलनों ने हिन्दू-जागृति न लिए महान् कार्य किया। उन्होंने हिन्दू धर्म की शाश्वत आत्मा की पुन खोज तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की भावना रे प्रसार में बड़ा योग दिया। हिन्दू धर्म म ग्राज नवीन जीवनी-शक्ति या गई है, यह मन-मतान्तरों रे झगड़े तथा पुनरियों की शक्ति से नुक्त हो चुका है। इससे पश्चिम वे सर्वक से बहुत लाभ उठाया है, और स्फीटि विवेशन तथा स्वामी रामतीर्थ जैसे अपने सदेश वाहकों द्वारा इसने सपार को अपने अवधारिक वेदान्त का सदेश भी दिया है। हिन्दू धर्म म कुछ छोटे आन्दोलन भी हुए हैं जिनका सक्षिप्त वर्णन यहाँ ग्रावश्यक है। उनमें से एक राधास्यामी सत्सग है। यह हिन्दू सुधार आन्दोलन नहीं है जो ब्रह्म-समाज तथा आर्य समाज की भौति सामाजिक या धार्मिक बुराइयों के नियन्त्रण के लिए प्रयत्नशील हो, बल्कि अपने गुरु द्वारा बताये 'सूरत सबद योग' के ग्रनुमार चन कर जीवन तथा मरण के बन्धन से मक्त होने के लिए कुछ प्रयत्नशील लोगों का एक समुदाय है। इसका प्रधान केन्द्र दयाल बाग, आगरा में है। दयाल बाग ५०० एकड़ भूमि का एक छोटा सा उपनिवेश है जिसकी आमादी कुछ हजार है। इसमें एक अच्छा शिप्री कॉलिज, एक और्जोगिक तथा रासायनिक कारखाना तथा टूल और एक बड़ा ही मुन्दर डेयरी फार्म है। बनारस, इलाहाबाद तथा व्यास पर भी सत्सग की शाखाएँ हैं जो ग्रन्त आगरा के केन्द्र के आधीन नहीं हैं।

यह हिन्दू धर्म, इस्लाम तथा ईसाई धर्म का प्रतिद्वन्द्वी या उनका समकक्ष धर्म नहीं है। यह एक ऐसी पाठ्याला है जो 'सूरत सबद योग' की शिद्धा तथा उपदेश देती है। इस योग का अर्थ है ज्ञान की एकाभ्यास तथा कुछ ऐसे शब्दों का दोहराना जो वेदल चिज्जामु ये ही कानों में कहे जा सकते हैं। इस योग का अस्यास किसी भी जगह किया जा सकता है। भक्त लोग अपने मात्रिक सत्सग के लिए केन्द्र पर एकत्रित होते हैं। अन्य दिनों उनसे अपने ही स्थान पर ज्ञान तथा चिन्तन की आशा भी जाती है। किसी व्यक्ति के लिए यह ग्रन्त आवश्यक नहीं है कि मन पाने के बाद वह अपने पहिले के धार्मिक विश्वासी को ल्याग दे। कोई मुसलमान

या ईसाई सत्सगी बनने के बाट भी मुमलमान या ईसाई रह सकता है। इसीलिए इसकी सदस्यता आसान हो गई है। राधा-स्वामियों से अपना घर छोड़ देने तथा साधू बन जाने की आशा नहीं की जाती; यहाँ तक कि गुरुओं के भी परिवार हो सकते हैं।

इस धर्म में गुरु की पड़ी महत्ता है। वह जिजासु के ज्ञान का केवल स्रोत ही नहीं चलिक उसके मोक्ष मा ग्राधार भी है। आत्मा के अपने धेय तक पहुँचने के गत्ते में गुरु का पथ प्रदर्शन ग्रनिवार्य है। इस धर्म का मूल तत्व है गुरु म असीम अद्वा तथा भक्ति। मामादार, नशीली चीजों का सेवन तथा आत्मा की उन्नति में जाग्या बनने वाली सभी चीजें त्वाप्त नहाई गई हैं। सक्रिय राजनीति में भाग, उचित बातों में प्रमाद तथा व्यर्थ बद्धास की भी निन्दा की गई है। अहिंसा के पालन पर भी यह बड़ा जोर देता है। अपने समूह के भाँतर लोगों में यही मिस्रता की भावना है; प्रत्येक सत्सगी दूसरे सदस्य का जाति या अन्य भेदों का तनिक भी विचार स्थिर हुए, एक भाई की दृष्टि से देखता है। इन लोगों में अनन्बार्तीय विवाह भी काफी प्रचलित हो रहा है। इस प्रकार सत्सग जाति समस्या का धीरे-धीरे निरुक्तरण कर रहा है। इस की सदस्यता बहुत शीघ्रता पूर्वक बढ़ रही है। यह पजाप, यू० पी० तथा विदार में अधिक प्रचलित है। इस ओर ध्यान दिलाया जा सकता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिये सत्सग सबसे छोटा तथा आसान मार्ग बताने की हामी भरता है। उनकी सामूहिक उपासना में गुरु नानक, कर्बार तथा दादू के बचन अझपर सुनाये जाते हैं।

पठित शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा स्थापित किया हुआ देव-समाज एक दूसरा लगु-ग्रान्दोलन है। पठित अग्निहोत्री पहिले वेशन्ती दृष्टिकोण के अनुसार निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। लेकिन शीघ्र ही उनका विचार ब्रह्म-समाजी विचार धारा के साकार ईश्वर की ओर घूम गया। ब्रह्म-समाज में उनकी उन्नति शीघ्र हुई। वह साधारण ब्रह्मसमाज के सर्वप्रथम प्रचारकों में से थे, जिस कार्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सन्यास ले लिया। लेकिन उन्हें इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य करना था। वह ब्रह्मसमाज से अलग हो गये, एक नये सम्प्रदाय की स्थापना की ओर अपने को विशिष्ट गुरु तथा मनीहा यनाकर देव समाज का संगठन किया। गुरु चिदानन्दों तथा ब्रह्मसमाज में केवल इतना ही अन्तर है कि यह एक सार्वभौम सन्देश का हामी है। यह सम्प्रदाय जाति-व्यवस्था को पापपूर्ण बताता है और अपना दरवाजा सभी के लिए खुला रखता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि १९२६ में अपनी मृत्यु के पहले पठित अग्निहोत्री ने ईश्वर में विश्वास करना छोड़ दिया था और देव समाज अनीश्वरवादी बन गया था।

हिन्दू महासभा— इस स्थान पर हिन्दुओं की एक हिन्दू महासभा नामक प्रतिष्ठित संस्था के बारे में कुछ शब्द लिखने आवश्यक प्रतीत होते हैं। वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में इसकी उन्नति हुई थी, लेकिन अपने नीवन के पच्चीस वर्षों तक यह कोई अधिक क्रियाशील संस्था

नहीं रही। इस संस्था को अपनी स्थिति ने लिए बड़ा सधर्ष करना पड़ा जिसका उच्छ्वास यह था कि लोग इसने प्रति उदासीन थे। लेकिन उससे भा बड़ा कारण यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोगों के हृदय में धर कर लिया था। परन्तु जैसे जैसे समय चीरता गया, हिन्दू नेताओं तथा जनता ने साम्प्रदायिकता की भावना जड़ पकड़ती गई क्योंकि हिन्दू-मुस्लिम अनेक दर्गों में सुसलमान गाड़ी मार ले जाते थे। साथ ही साथ मुसलमानों तथा ईसाइयों का हिन्दुओं को अपने धर्म में दीक्षित कर लेना भी इस भावना ने विकास में सहायक बना। मालैं मिन्टो तथा मानग्यू चैम्सफर्ड सुधारों ने ग्रन्तर्गत मुसलमानों को अधिक सुविधाएँ मिलने के कारण भी हिन्दुओं को यह शिक्षा मिला कि भविष्य में अपनी मर्मों की पुर्ति के लिए उन्हें संगठित हो जाना चाहिए। सचेष में यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों की बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता की प्रतिक्रिया के रूप में उत्तर म हिन्दू महासभा का शक्ति तथा प्रभाव दोनों में बृद्धि हुई। फिर भी, यह हिन्दुओं म उतनी शक्ति शालिनी तथा प्रभाव शालिनी न हो सकी जितनी मुस्लिम लीग मुसलमानों में। इसका कारण यह था कि एक तो बायेस इसको प्रश्न नहीं देती थी, दूसरे १६४० तक अन्ध्रीय सरकार में प्रतिनिधित्व ने लिए अग्रेजी सरकार ने इसे एक प्रमावशाली संगठन मानना असंभीकर कर दिया था।

हिन्दू महासभा का उद्देश्य है हिन्दू-हिंदों की—रक्षा तथा उन सभी चीजों के लिए प्रयत्नशील होना जो हिन्दू जाति की महानता तथा गौरव का कारण बन सकती है। इस प्रकार यह शुद्धत धार्मिक सुधार आन्दोलन नहीं है बल्कि राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। सभा सभा बगों के हिन्दुओं को एक मच पर संगठित करती है ताकि वे साम्प्रदायिक दर्गा म या बहौं कहीं भी आवश्यकता पड़े अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। यह उन्हें भी वापस लाने का दावा करती है जिन्होंने हिन्दू धर्म हृषीक दिया है तथा अन्य धर्मों से भी अपने धर्म में आने वालों का यह स्वागत करती है। इस प्रभाव संगठन और शुद्धि हिन्दू महासभा के प्रारम्भिक उद्देश्यों म माने जा सकते हैं। यह सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों की भी अवहेलना नहीं करती। कूआळूत दूर करना चाहती है तथा दलित जातियों का दशा में सुधार के लिए प्रयत्नशील है। इसने उद्देश्यों म हिन्दू नारी आदर्शों की जागृति तथा उसका विकास, गाय की रक्षा करना, हिन्दुओं की शारीरिक दशा म सुधार तथा उनमें बीरता भर देना, अनाथ हिंस्यों के लिए अनाथाश्रमा तथा विधवा-अमों की स्थापना, हिन्दुओं के धार्मिक, शिक्षा सम्बन्धी, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकारों तथा अन्य हिंस्यों की रक्षा और साथ ही साथ हिन्दुओं तथा गैर हिन्दुओं के बीच सदूभाष उत्पन्न करना है। इसने 'हिन्दी' को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न किया है। भारत मे उत्तर सभी

धर्म के अनुयायियों को 'हिन्दू' नाम की परिभाषा के अन्दर रखकर इसने बौद्धों, सिक्खों तथा अन्य लोगों को भी अपने में सम्मिलित कर लिया है और इस प्रकार अखिल एशियाटिक आन्दोलन को जन्म दिया है। स्वर्गीय लाला लालापत राय स्वामी श्रद्धानन्द तथा स्वर्गीय पडित मदनमोहन माहात्म्य इसके प्रेरणों में से थे। स्वर्गीय भाई परमानन्द, स्वर्गीय डा० मुजे श्री सावरकर जी इसके नेताओं में से थे। डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी भी इसके नेता थे परन्तु ग्रन्थ के इससे अलग हो गये हैं।

यह भी ध्यान म रखना चाहिए कि हिन्दू महासभा ने अनेक बार राजनीतिक प्रश्नों पर भी अपनी मत प्रकट किया तथा केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका समाजों के लिए चुनाव भा लड़ा है। लेकिन अखिल भारत य कॉमिटी के सामने उसे हार खानी पड़ी है। इसने भारत तथा पाकिस्तान म देश के विभाजन का बड़ा विरोध किया और हिन्दुग्रा को १५ अगस्त १९४७ को स्वतंत्रता दिवस न मनाने की भी सलाह दी, लेकिन इस अर्पण पर लोगों ने व्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार का नीति का इसने सक्रिय विरोध प्रारम्भ किया लेकिन उसे इसमें मुँह का खानी पड़ी। ३० जनवरी १९४८ को महात्मा गांधी की हत्या के बाद, महासभा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और इसके कई नेता गिरफ्तार कर लिये गये। वे बाद में छोड़ दिये गये। 'सभा' प्रत्यक्ष साम्प्रदायिक नीतियों द्वारा जनता का मन मोहना चाहता है लेकिन उसे इसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है।

कुछ प्रमुख घटक्षिति— राजा राममोहन राय, देवनंदनाथ टैगार, केशवचन्द्र सेन, श्री रामकृष्ण परमहस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द तथा मिसेज ऐना वेसेंट के अतिरिक्त ग्रन्थ बहु ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों में बड़ा योग दिया है, यद्यपि उन्होंने किसी सम्प्रदाय या समृद्धि की स्थापना नहीं की। ऐसे लोगों में स्वामी रामतीर्थ, रानाडे, गोखले, तिलक, टैगार तथा गांधा जी के पुण्य नाम सम्मिलित हैं।

स्वामी रामतीर्थ भारत के साधु-कवि तथा हृसमुख धार्शनिक थे। वह पञ्चाब के एक गराब ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे और गणित म एम० ए० की उपाधि लेने के बाद उन्होंने लाहौर के एफ० सी० कॉलेज में प्रोफेसरी कर ली। लाहौर में स्वामी विवेकानन्द के आगमन ने उनकी जीवन दिशा बदल दी; उनके आदेश से उन्हें सन्यासी बनने तथा पश्चिम और अपने देश में व्यावहारिक वेदान्त प्रचार की प्रेरणा मिली। उन्होंने सासार छोड़ दिया और हिमालय में जाकर ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। उन्होंने जापान, अमेरिका तथा यूरोप का भ्रमण किया और व्यावहारिक वेदान्त पर मापण दिये। उन्होंने शिष्य नहीं बनाये। भारतवर्ष के प्रति उनका प्रेम था और व्यावहारिक वेदान्त की उपेक्षा को ही वह

इसके पतन का कारण मानते थे। १६०६ म ३३ वर्ष की व्रवस्था म ही शृंगिवेश क समाप्त गगा की प्रचरण धारा म वह यिलीन हो गये।

महादेव गोपिन्द रानडे, जो चाद में बम्बई हाई कार्ड के डज बने, पाश्चर्मा भारत के प्रमुख समाज-सुधारकों में थे। श्री वहराम जी मलाजारी तथा अन्य लोगों क साथ उन्होंने विधवा विवाह का पक्ष लिया और १८६१ म 'विधवा पुनविवाह सघ' की स्थापना की। एक मराठी साप्ताहिक पत्र में लेख लिय वर उन्होंने लोगों से समाज सुधार के कार्य करने की अपील की। उन्होंने समाज-सुधार सम्मेलन का आयोजन किया जिसका अधिवेशन कामेस अधिवेशन के साथ होता था और इसमें वह जब तक जोवित रहे, चराचर भाग लेते रहे। शिक्षा चैत्र में भी उनके कार्यों का अच्छा प्रभाव पड़ा। उनके ही प्रयत्नों के बारण 'टक्किण-रिक्का-सस्था' की स्थापना हुई जो आजस्त पूना के पर्यूसन कॉलिज और सामग्री के विलिंगडन कॉलिज को जो बम्बई प्रान्त के दो प्रमुख कॉलेजों में से है चला रही है।

गोपाल कृष्ण गोखले, रानडे के शिष्य थे लेकिन कुछ बातों में वह उनसे भा बढ़ गए। उनकी सभसे बड़ी देन 'सरवैश्वस श्राव इडव्या सोसायटी' है जिसकी उन्होंने १६०५ म स्थापना की। इसका उद्देश्य राष्ट्र सेवियों को देनिङ्ग देना तथा वैधानिक रूप से भारतीयों के हितों की रक्षा करना है। यद्यपि इस संस्था का प्रस्तुत उद्देश्य राजनैतिक है फिर भी, इसने सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों पर बड़ा जोर दिया है और दलित बगों की उन्नति का भा सदैव ध्यान रखता है। इसके कुछ सदस्यों ने पूना सेवा सदन, उत्तर प्रदेश सेवा समिति, भील सेश-समिति तथा बम्बई और मद्रास-सोशल-सर्विस लीगों की स्थापना की है। उन सदस्यों म से एक श्री टक्कर वापा का हरिजन सेवक सघ से घनिष्ठ सम्बन्ध है। पिछ्ले उच्च वर्यों से इसके अनेक सदस्यों ने ग्रामीण-रिक्का तथा पुनर्निर्माण की ओर ध्यान दिया है। यह सस्था तीन पत्रों का परिचालन करती है तथा सामयिक समस्याओं पर धरावर छोटी छोटी पुस्तिकाओं का प्रकाशन करती रहती है।

बाल गगाधर तिलक, जिन्हें लोग श्रद्धा के कारण लोकमान्य कहते हैं, एक सच्चे देश प्रेमी थे। महात्मा गाँधी का हृष्ट कर जिसी अन्य व्यक्ति ने राष्ट्रीय चेतना म उतना योग नहीं दिया है जितना उन्होंने। लेकिन यहाँ हमारा सम्बन्ध उनकी राजनैतिक कार्यवाहियों से नहीं है, हमारा विशेष सम्बन्ध तो उनकी हिन्दू धर्म की देन से है। वह सख्त के प्रकार विद्वान् तथा हिन्दू-साहित्य के पूर्ण ज्ञाता थे। उनका भगवद् गीता पर भाष्य ग्रन्थितीय पुस्तक है जिसके अध्ययन ने लाखों व्यक्तियों को प्रभावित किया है। सामाजिक सुधार के चत्र में वह कुछ सकीर्ण विचारों के थे।

रवींद्रनाथ ठाकुर वर्तमान पीढ़ी के एक ऐसे महान् व्यक्ति थे जिन्होंने कविताओं, गीतों, उपदेशों तथा लेखों द्वारा उपनिषद्-साहित्य का अमृतन्यान् बराया है।

उन्होंने हिन्दुत्व का उदाच्च अर्थ समझाया है। ग्रन्तर्षांगीय खगति में महात्मा गांधी के निकट वही पहुँच सकते हैं। वह एक ब्रह्मसमाजी परिवार में उत्पन्न हुए और अपने पिता देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित आदि ब्रह्मसमाज से उनका बहुत दिनों तक सम्बन्ध रहा। वह साधारण ब्रह्मसमाज के भी सम्मानित सदस्य रहे थे। लेकिन बाद में उनके विचार ब्रह्मसमाज की परिधि से आगे बढ़ गये। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने एक ऐसे उदाच्च तथा परिष्कृत हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व किया जो परम्परागत जाति व्यवस्था, लूआच्छूत, शाल-विवाह तथा आरोपित वैधन जैसी प्रक्रियाकादी तथा अन्य-विश्वासपूर्ण बुगदयों से पूर्णतरा मुक्त था। जीलपुर, बगाल के विश्वभारती विश्व-विद्यालय में उन्होंने अपने डिचारों को मूर्च्च कर दिया है।

देश के धार्मिक तथा राजनैतिक जीवन में ऊपर वर्णित सभी व्यक्तियों ने जो कुछ भी योग दिया है, महात्मा गांधी के कार्यों के समक्ष वह नगण्य प्रतीत होता है। राजनैतिक क्षेत्र में उनके कार्यों को बताने का यहाँ अवसर नहीं है। उनके विचारों तथा कार्यों द्वारा हुए लागों के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में परिवर्तन के संक्षिप्त विवरण तक ही हम अपने को सीमित रखतेंगे। वह उन्होंने ही बड़े सामाजिक तथा धार्मिक नेता भी हुए हैं जिन्होंने बड़े राजनैतिक एवं योद्धा नेता। अपने ही शब्दों के अनुमार वह सनातन धर्म या कठुर हिन्दू-धर्म के अनुयायी थे। लेकिन उन्होंने इसकी मूल रिक्षाओं का अपना स्वतन्त्र अथ निराला है। हिन्दू-धर्म में वह जो मुधार करना चाहते थे हम उनको उम परिभाषा से जान सकते हैं जोकि उन्होंने इसके मूल उद्दान्ता के बारे में की। उदाहरण के लिए चेदों, शास्त्रों तथा हिन्दू धर्म की धार्मिक पुस्तकों में विश्वास रखते हुए भी वे उनकी हरएक बात पर चलना अनिवार्य नहीं समझते थे। उनका कथन है— ‘जो नैतिकता के मूल उद्दान्तों के विपरीत है, वो सगत तर्क के विरुद्ध है, वह शास्त्रिय नहीं है, चाहे वह इस्तर्नी ही पुरानी बात क्यों न हो।’^५ यदि लूआच्छूत, आरोपित वैधन तथा शाल-विवाह नैतिकता तथा तर्क के विरुद्ध हैं तो वे ठीक नहीं हाँ सकते। इसलिए उन्होंने इन तथा अन्य बुगदयों को समाप्त करने के लिए बड़ा प्रयत्न किया है। आज कल की जाति की मंकीर्णता और बाहुल्यता तर्क के विरुद्ध हैं, इसलिए वह इसके भी विरोधी थे। लेकिन चूँकि चार मूल वशों की उत्पत्ति अनैतिक तथा गलत नहीं है, इसलिए वह इसमें विश्वास करते थे। उनके अनुमार वर्णव्यवस्था कर्तव्यों के पालन का ही आदेश देती है, अधिकार नहीं देती; इसलिए एक जाति के दूसरी जाति पर अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने अन्तर्जातियों में खान पान के प्रश्न को प्रचार का विषय नहीं मनाया, लेकिन वह यह भी नहीं स्वीकार करते थे कि इससे मनुष्य की जाति भ्रष्ट हो जाती है। वास्तव में उनके सामने मनुष्य और मनुष्य में भेद-भाव का प्रश्न ही नहीं उठता था। वह हिंद्यों को अधिक से अधिक

स्वतंत्रता देना चाहते थे तथा विसा ब्राल-विधवा की कल्पनार से ही काँप उठते थे। वह देवदासी प्रथा तथा धर्म के नाम पर जानवरों का बलि का भड़ा विराघ करते थे। उनके ऐसे विचारों का परिणाम है उटार तथा सचेत हिन्दुत्व का बनना। गांधी जी ने अनुसार कहर हिन्दू धर्म दिखाया, जीवन-शून्य तथा अगतिशील बन गया है, क्योंकि इस अब स्वयं थक गये हैं। उन्हाने इसमें पर से जीवन भर दिया और इसमें गति पैदा कर दा। उनके लिए हिन्दू धर्म सत्य की सनत नान है, वह स्वयं सत्य की लाज करते थे और उसे मानवता की सेवा के लिए प्रयाग में लाते थे। सत्य, सेवा, प्रेम या अहिंसा, यही उनका धर्म था।

राजनीति में भा धर्म का स्थान देवकर उन्होंने इसे पवित्र बनाया तथा इसे ऊँचे स्तर पर पहुँचा दिया। उनके लिए धर्म से अलग राजनीति काई अर्थ नहीं रखती थी। 'धर्म से अलग राजनीति मोत का फन्दा है क्योंकि वह ग्राम्य का हनन कर ढालती है।' यही उनका मानवता का सदेरा है। यह ध्यान में रखना चाहिये कि उनका सदेरा सार्वजीव है, भारत में तथा भारतात्मा राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिया के बीच प्रचारित होने पर भा वह सारी मानव जाति पर लागू होता है।

सिक्ख-सम्प्रदाय— राजा रामसाहन राय से तीन सौ तथा सरस्वती से साढ़े तीन सौ वर्षों से भी अधिक पहिले गुरु नानक (१४६६-१५३८) ने उस समय के हिन्दू या ग्राहण धर्म के किया कलापो, अन्धविश्वासों तथा मरणों राति रिवाजों का बड़ा विराघ किया था। वह लाहौर के निकट एक खनी परिवार में उत्तर जूए थे। ग्रामे बचपन में उन्होंने ससृत, हिन्दी तथा फारसी सारी और कवीर तथा अन्य साधुओं की शिक्षाओं से वह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दक्षिण का यात्रा की और वह वहाँ के वेदान्त दर्शन के सम्पर्क में आये। उन्होंने बगदाद, मस्का तथा मुस्लिम सभ्यता के ग्राम बेन्द्रों की भी यात्रा की और इस्लाम की रहस्य भावना से भी परिचय प्राप्त कर लिया। उनकी शिक्षाओं पर इन सब का प्रभाव दृष्टिगत होता है। उन्होंने जाति तथा ग्राहणों की अपु पदबो मानवा अस्तीकार कर दिया, मूर्ति-भूजा तथा तीथा को निन्दा की और हृदय को स्वच्छता पर अधिक जोर दिया। उन्होंने देवता रूप तथा किया-कलापों पर जार देना बन्द कर देने का प्रयत्न किया, क्योंकि इनसे लोगों में विमाजन और लड़ाई-भग़ग़ड़ा होता है। उन्होंने पुनर्जीव का सिद्धान्त स्वीकार किया, लेकिन अपतारवाद में अपना विश्वास नहीं प्रकट किया। वह एक ईश्वर में विश्वास करते थे जो हिन्दू मुसलमान, ईसाई तथा अन्य सभी का ईश्वर है। उन्होंने तस्पी की सराहना नहीं की और अपने अनुयायियों को अपने-अपने कामों में लगे रहने की सलाह दी। वह हिन्दू तथा मुसलमान दोनों में प्रसिद्ध हुए और दोनों धर्मों के लोग उनके अनुयाया बनने लगे। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ने अपने-अपने धर्म के अनुसार उनके शरार का किया-कर्म करना चाहा। लेकिन जब उनका कष्ट उठाया गया तो उसके

नाचे तेवल ऊँछ फूल मिले । कपड़ा दा भागों म विभाजित कर दिया गया , एक को हिन्दुओं ने जला दिया, दूसरे का मुमलमानों ने गाढ़ दिया । उनके अनुशासी सिक्ख कहलाने लगे । उनके बाद जौ गुरु और हुए जिनम ग्रन्थिम गुरु गोविन्दसिंह थे । उन्होंने ही इस शान्तिप्रिय जाति को लड़का जानि रना दिया । पाँचवे गुरु द्वारा सम्पादित 'आदि ग्रन्थ' म या उन्होंने ऊँछ नई चाजे जोड़ीं जिससे 'ग्रन्थ साहब' नामक मिस्त्रों की धार्मिक पुस्तक का निर्माण हुआ । गुरु गोविन्दसिंह ने किसी को अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं किया बल्कि सिक्खों से अपने बाद 'ग्रन्थ साहब' का ही गुरु मानने के लिये कहा । इसस कोई यह आसानी से समझ सकता है कि सिक्ख नम्प्राण्य म इस पुस्तक का क्या स्थान है । गुरु गोविन्दसिंह ने सिक्खों में खालमा नम्प्राण्य भा चलाया जा ईसाई धर्म की तरह ग्रन्थ धर्मों से अपने धर्म में आये लागों का स्वाकार करता है । आज सिक्ख सम्प्रदाय दूसरों को अपने धर्म म परिवर्तित करने वाला सम्प्राण्य है । पश्चिमोत्तर भारत म इसने लोगों के जीवन पर उह प्रभाव डाला है ।

उत्तर दिये हुए चिवरण से यह स्पष्ट होगा कि सिक्ख सम्प्रदाय एक हिन्दू धर्म सुधार आनंदोलन था जो ब्रह्मसमाज तथा ग्रार्य समाज की अपेक्षा बहुत पहिले प्रारम्भ हुआ । गुरु नानक ने किसा नये धर्म की शिक्षा नहीं दी , उन्होंने केवल उस समय प्रचलित धर्मों की आलाचना की और उनमें सुधार का प्रयत्न किया । 'सिक्ख-धर्म' हिन्दू धर्म से अनग कोई धर्म नहीं है, यह इस बात से भी स्पष्ट हा जाता है कि सुधार की भावना कमज़ोर पड़ने पर, सिक्ख हिन्दू धर्म के किया कलापों तथा रातिन-रिक्षों की ओर मुड़ पड़े । उनमे जाति व्यवस्था पर से चला गाई और मूर्तियों को उनके धर्म तथा मन्दिरों तक में स्थान मिल गया ।^{१५} वर्तमान समय म सिक्खों म एक ऐसा शक्तिशाली भाग है जो सिक्ख-धर्म का प्रमुख भारताय वर्मों म एक स्वतन्त्र अस्तित्व न तलाता है । सिक्ख अधिकतर पजाब तथा पुलिकिया रियासतों^{१६} म पाये जाते हैं । उनका सरया ५७ लाख से बुँद्ध कम है । उनका मुख्य बेन्द्र अमृतसर में है जहाँ उनका प्रसिद्ध सुवर्ण मन्दिर स्थित है । अपने को एक स्वतन्त्र धार्मिक जाति घासपत करके उन्होंने ग़लग साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की मौग भी है जिसने अभा छल हा म पजाप म एक काटन समस्या उपस्थित कर दी थी ।

स्वामी दयानन्द द्वारा लाहौर म ग्रार्य समाज की एक शाखा स्थापित होने से सारे पजाप म सुधारा की एक लाहौर सी आ गई , सिक्ख भी इससे अद्भुते न रहे । १९०५ में हा उन्होंने सुर्यो मन्दिर की मूर्तियाँ गाहर फेंक

* परकुहर 'मार्डन रिलायम मूवमेण्ट्स इन इंडिया, गुण्ठ ३४० ।

दी। बाद म, अपने मठों तथा गुरुद्वारों में सुधार करने की इच्छा से उन्होंने एक शक्तिशाली ग्रान्डोलन प्रारम्भ किया जिसक सिलसिले म अब्रेज सरकार से उनका झगड़ा हो गया और विवश होकर उन्हें महात्मा गांधी के अहिंसात्मक विरोध की शरण लेनी पड़ी। शिक्षा की भा उन्होंने उपेक्षा नहीं की है। उनकी सभ्यता प्रसिद्ध शिक्षण-संस्था ग्रमन्तरकर का खलसा कालेज है। पूरे पञ्चाब में उन्होंने स्कूलों का एक जाल बिछा दिया है। सामाजिक सुधार का कार्य हिन्दू समाज सुधारकों द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर हो रहा है। वे अपने अन्दर युस्तुत हुए जाति-पाति के भेद का हटाना चाहते हैं, वे विधवा-प्रिवाद एवं मदिरा-निपेद न पद्धताती तथा विवाह की उम्मीद नढाने के इच्छुक हैं।

भारत में इस्लाम

हिन्दू-धर्म के नाद इस्लाम के भारत म सब से अधिक अनुयायी हैं। इस्लाम की उत्पत्ति इस देश म नहीं हुई बल्कि मरवतग मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा यह इस देश म लाया गया। इसकी स्थापना मुहम्मद साहब ने की। इसके सिद्धान्त तथा शिक्षाएँ कुरान म संगीत हैं। मुसलमान कुरान की ईश्वर द्वारा अपने महान् पैगम्बर को दिया गया सन्देश मानते हैं। इस्लाम का एक ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। और यह मूर्तिपूजा का हर रूप म बहुर वरोध करता है। मुहम्मद साहब के अनुयायियों म पारस्परिक भ्रातृभाव और समता पर इस्लाम विशेष जोर देता है। इस्लाम जाति-भेद म विश्वास नहीं रखता और अपने सभी अनुयायियों को विश्वास तथा प्रार्थनामय जीवन का शिक्षा देता है। यह ईश्वर तथा भक्ता न बीच किसी पुजारी वर्ग की आवश्यकता नहीं समझता और यह विश्वास रखता है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर तक अपने आप पहुँच सकता है। इस्लाम के कुछ विशिष्ट सिद्धान्त तथा आचार व्यवहार के कुछ निश्चित नियम हैं जिनका पालन प्रत्येक मुसलमान के लिये अनिवार्य है। कलमे का पाठ, दिन में पाँच घार नमाज, रमजान के दिनों में उपवास, भिन्नादान तथा हज़ करना— मुसलमानों के ये कुछ आवश्यक कर्तव्यों म से हैं। इस्लाम विवार तथा आत्मा की स्वतन्त्रता को प्रश्रय नहीं देता। इस दृष्टि से वह हिन्दू-धर्म के विपरीत है। सैंकड़ों वर्षों के विकास का एक दौरे ने कारण हिन्दू धर्म को कुछ थोड़े से सिद्धान्तों या किया कलापों म नहीं बोधा जा सकता। लेकिन एक ही मस्तिष्क की उपज हाने न कारण इस्लाम एक साम्प्रदायिक धर्म है और इस लिए इसने अनुयायियों को इसके विशिष्ट धर्मिक सिद्धान्तों में विश्वास रखना अनिवार्य है। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि हिन्दू धर्म मूर्तिपूजक तथा अनेक देवी देवताओं का पूजक है, और इस्लाम मूर्ति विवरण के तथा बहुर रूप से एक ईश्वर विश्वास है। हिन्दू धर्म मूर्तिपूजक है, अवश्य है, लेकिन बरल उन्हीं के लिए जिनका मानसिक तथा बौद्धिक धरातल

कौंचा नहीं है। मूर्तिपूजा को वह न पूजा का सर्वोच्च रूप ही मानता है और न ईश्वर की प्राप्ति के लिए ग्रावश्यक ही। अपने उच्चतर रूप में हिन्दू धर्म एक ही ईश्वर में निश्वास करता है। इतना ही नहीं, इस्लाम तथा ईसाई-धर्म से वह एक कदम और आगे बढ़ जाता है क्योंकि वह किसी व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। दोनों धर्मों की पारस्परिक मित्रता के सम्बन्ध में और कठना ग्रावश्यक नहीं है। ध्यान में रखने याथ बात यह है कि भारत में इस्लाम हिन्दू-विश्वासों तथा निया-कलापा से प्रभावित हुआ है। यह सत्य है कि विजेता के रूप म आने वाले मुसलमानों ने जान बूझ कर हिन्दुत्व से काई चीज़ नहीं ली। फिर भी, यह स्वाक्षर करना पड़ेगा कि हिन्दुओं के सम्पर्क से केवल साधारण व्याहङ्क ही नहीं नलिक पिंडान मुसलमान भी बहुत सीमा तक प्रभावित हुए हैं। ‘शिया लाग मजिया कं’ त्रिनिष्ठत हिन्दुओं के अधिक निकट है। खोजा लोगों का, जिनके धार्मिक सिद्धान्त वैष्णव तथा शिया तिद्वानों के मिश्रण से बने हैं, यह विश्वास है कि श्री विष्णु के दसवें अवतार हैं। सूरी धर्म ग्रन्थ वेदान्त से मिलता जुलता है। यह ग्रन्थ पूर्ण सत्ता में विश्वास रखता है तथा बगत का प्रसाश स्वरूप ईश्वर का प्रतिविभ्र मानता है। सूरी लोग मासि भक्षण नहीं करते हैं, और पुनर्जन्म तथा अवतारवाद में विश्वास करते हैं। इस्लाम की धार्मिक कट्टता का भारत म निस्तन्देह हास हुआ है।^{१५}

इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि, जैसा कि पहिले के पृष्ठा में उनके बार कहा जा चुका है, इस्लाम म परिवर्तित हो जाने वाले हिन्दू अपने साथ हिन्दू रीति रिवाज, परम्पराएँ तथा सामाजिक व्यवस्थाएँ, जैसे सयुक्त परिवार प्रथा, ग्रारापित वेध-य, जाताय मंद और पुणर्जन्म तथा अवतारवाद में प्रकार उन्होंने दानों धर्मों का अन्तर बहुत कम कर दिया।

हिन्दुत्व तथा इस्लाम का सर्वोक्तुष्ट मिश्रण उस धर्म में पाया जाता है जिसे स्थापित करने की चेष्टा ग्रंथवर ने की। कर्म, नानक तथा दादू जैसे सत्तों की शिक्षाओं में भी दोनों के मिलन का रूप देखने को मिलता है। दोनों धर्मों में अन्तर है अवश्य, लेकिन इतना महान् नहीं जितना कभी-कभी मान लिया जाता है। दारा शिकोह ने अपने ग्रन्थ म यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि हिन्दू तथा मुसलमानों के बाच अन्तर केवल भाषा तथा अभियक्षि का है। इस वयन म बहुत कुछ सत्य है। दोनों जातियों में भगवे का मुख्य कारण धार्मिक नहीं बल्कि यज्ञनैतिक है। कुछ स्वार्थी लोग इसे धार्मिक रूप म रग देते हैं केवल अपना मतलब साधने के लिए। इसके विषय म दूसरे अध्याय म बाद में चर्चा होगी। यहाँ हमारा अधिक सम्बन्ध मुस्लिम मुधार आन्दोलनों से है।

* राधाकृष्णन : ईस्टर्न रिलीजन्स एंड बेस्टर्स ऑफ़, पृष्ठ ३३६।

मुस्लिम सुधार-आनंदोलन— उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारताय मुसलमान नीची और गिरा दशा म थे। महान मुगल साम्राज्य हिल रहा था, शक्ति घटे घटे अग्रेजों के हाथ प्राप्त बा रही थी। राजनैतिक शक्ति तथा सम्मान के हास से सर्वप्रव्यापी पतन प्रारम्भ हो गया था। शासकों द्वारा दी गई शिक्षा से लाभ न उठा सकने के कारण सुसलमानों की दशा और गिर गई। इस प्रकार शिक्षा म सुसलमान पिछड़ गये, निरक्षरता का प्रतिशत उन में अन्य जातियों की ओरेक्षा चढ़ गया। मानसिक क्षेत्र में जो उच्च स्तर वह प्राप्त कर पाये थ उसमें कमी आ गई। धार्मिक क्षेत्र में भी उन पर अन्य धर्मावलम्बियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रभाव पड़ा। धर्म परिवर्तन किये जाने वाले हिन्दुओं ने मुसलमान सन्तों की हिन्दू देवताओं के समान पूजा प्रारम्भ कर दी। इस्लाम में मूर्ति-पूजा ने भी स्थान पा लिया। मुर्हरम के छुलूस हिन्दूत्योहारों की रथ यात्रा का रूप धारण करने लगे। इस प्रकार इस्लाम में सुधार की आवश्यकता पड़ी और कुछ आनंदोलन आरम्भ भी हुए। लेकिन उनमें से अनेक उन हिन्दू आनंदोलनों से बहुत भिन्न थे जिनके विषय म हम जान नुके हैं। वे आनंदोलन उतने प्रगतिशील न थे जिनने वे थे, लेकिन इनमें से एक बहुत आगे चढ़ा जिसका मुसलमानों पर चढ़ा प्रभाव पड़ा। यह सर सैयद अहमद खा (१८१७-१८६८) के नाम से सम्बन्धित है। ये अपने समय के हक सबसे बड़े मुसलमान तथा एक महान् सामाजिक तथा धार्मिक सुधारक थे।

अलीगढ़ आनंदोलन— सर सैयद अहमद ने इस बात का बड़ा प्रयत्न किया कि अग्रेज सरकार के दिल से यह ब्रात निकल जाय कि १८५७ के सिपाहा ज़िदाह के लिये मुसलमान ही उत्तरदायी है। और इस प्रयत्न म उन्हें सफलता भी मिली। वह अपनी जाति म आत्म-विश्वास तथा सतत प्रयत्न की भावना भी भरना चाहते थे और उसे इस्लाम की प्रारम्भिक सादगी को योर ले जाना चाहते थे। अपनी जाति की सभी बुगाहों दूर करने के लिए उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का आवश्यक बताया जिसके प्रति मुलनाओं, मौलियों तथा पुरानी परम्परा में पले लोगों का बड़ा विरोध था। उन्होंने इन लोगों को धारणा का खूब डट कर सामना किया और लोगों को यह समझाया कि पश्चिमी शिक्षा से इस्लाम के सिद्धान्तों पर कुछ भा चोट न पहुँचेगी। उन्होंने लोगों का बतलाया कि पैगम्बर मुहम्मद ने स्वयं कहा था कि 'जान के लिए चीन की दीवाल तक भी ज़हे जाओ।' उनकी यह पक्की धारणा बन गई कि अग्रेजों से मेल जाऊ करने तथा शिक्षा की पश्चिमी प्रणाली अपनाने में ही उनकी जाति का भला है। उन्होंने लोगों को यह भी समझाया कि मुसलमानों का यूरोपियनों के साथ ब्रेंड कर खाने म कोई हर्ज नहीं है, बशरें भोजन त्यज्य न हो। उन्होंने स्वयं रहन सहन का पश्चिमी तरीका अपनाया, वह यूरोपियनों को अपने घर आमन्त्रित करते और स्वयं उनका आतिथ्य स्वीकार करते। अपने ऐसे

विचारों के कारण उनकी निनदा भी होती लेकिन अन्त में उनकी विजय हुई और अपने जीवन के अन्तिम बर्पों में तो वे मुस्लिम विचारधारा पर बड़ा प्रभाव रखने लगे थे। अपने ही जैसे विचारों वाले अपने कुछ मिनों के साथ उन्होंने अलीगढ़ में एम०ए०ओ० कॉलेज का स्थापना की जो अब प्रसिद्ध मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया है। भारत की यह प्रमुख मुस्लिम शिक्षण-संस्था है जिसका भारत के विभिन्न भागों से आने वाले मुस्लिम विद्यार्थियों की विचारधारा तथा चरित्र मोड़ने तथा दालने में बड़ा हाथ रहा है। सर सैयद ने एक प्रसिद्ध कार्य यह भी किया कि उन्होंने मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की बुनियाद डाली। इसका अधिवेशन प्रति वर्ष किसी बड़े शहर में होता है। मुसलमानों के बीच शिक्षा-प्रसार में इसने बड़ी सहायता पहुँचाई है।

अन्य आन्दोलन— ईसाई पादरियों तथा आर्य समाज के कार्यों में सन्निहित तुरीयी स्वीकार करवे के लिए १८८५ में लाहौर में अन्युमन ए हिमायत-ए इस्लाम यानी इस्लाम रक्षा-संस्था की स्थापना हुई। मुसलमान लड़के तथा लड़कियों की उपयुक्त शिक्षा जो उन्हें अपना धर्म छोड़ने से बचा सके, मुसलमान अनाथों की देख-रेख, तथा शिक्षा का प्रबन्ध इस्लाम के बिन्दु की गई आलोचनाओं का उत्तर देना तथा मुसलमानों की सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक उन्नति करना— ये इसके उद्देश्य थे। इस संस्था में सम्बन्धित अनेक हाई स्कूल तथा मिडिल स्कूल हैं और लाहौर में एक कालेज भी है।

श्रवी भाषा की शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षा सुधार करने, सामाजिक सुधार को गति देने तथा धार्मिक भगवानों को दराने के लिए १८८४ में लखनऊ में नदवात-उल-उलेमा नामक एक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने एक धार्मिक स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल में आधुनिक प्रणाली पर शिक्षा होती है।

कादियान के मिर्जा गुलाम अहमद (१८३६-१९०८) द्वाग चलाये आन्दोलन का भी वर्णन आवश्यक है। मिर्जा साहब अपने को एक ईसाई मसीहा, मुसलमानी महादी तथा विष्णु का अन्तिम अवतार कहते थे। उनका कहना था कि उनका जन्म बेवल इस्लाम में ही सुधार करने के लिए नहीं अपितु हिन्दू तथा ईसाई धर्मों को भी पुनर्जीवित करने के लिए हुआ। ऐनाड़ के मुसलमानों में उनके अनुयायी पाये जाते हैं। न हिन्दू ही उन्हें अपना अवतार 'मानते हैं और न ईसाई मसीहा।

ये सब मुस्लिम आन्दोलन मुख्यतः धार्मिक थे। पर भी उन्होंने सामाजिक सुधार वृ प्रश्न की उपेक्षा नहीं की है। मुस्लिम स्त्रियों में अधिक प्रचलित पर्दा प्रथा का मी उन्होंने बड़ा विरोध किया है क्योंकि यही प्रथा मुसलमान स्त्रियों की अपेक्षाकृत पिछड़ी दशा का कारण है। अनुल हलीम शरर, इलाहाबाद के खान बहादुर मैथेद अकबर हुसेन तथा सर मुहम्मद इकबाल पर्दा-प्रथा के कठूर आलोचकों में

रहे हैं। विवाह सम्बन्धी मामलों में भी पर्याप्त उच्चति हुई है। विवाह की उच्च घट गयी है, बहु-विवाह की प्रथा भी बहुत कम रह गई है। पर धनी वर्ग में जच्चेरे भाई भइनों में विवाह की प्रथा अब भी बहुत प्रचलित है। लेकिन निम्न वर्ग में खुछ महत्वपूर्ण मुझार अवश्य हुए हैं। अब दूल्हा दूल्हिन को जो खुछ भी देता है वह उसकी सम्पत्ति समझी जाती है, परिवार की नहीं। यह भी आज में रमना चाहिए कि अपने हिन्दू नाथियों की तरह पढ़े लिखे मुसलमान नौजवान का जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी कम धर्मिक हाता चला जा रहा है। देश में प्रचलित पाश्चात्य शिक्षा का यह अनिवार्य परिणाम है।

उम समय के भार्मिक-सामाजिक ग्रा दोनों का भी बर्णन यहाँ उपयुक्त होगा। ये आनंदोलन मुख्यतः मुसलमानों तक ही सीमित हैं लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव भी नगल्य नहीं रहा है। ये आनंदोलन खुदाई रिदमतगार तथा राकमार सत्यार्थी की उपज हैं।

खुदाई रिदमतगार— खुदाई रिदमतगार आनंदोलन के बहुमाता खान अब्दुल गफ्फार खाँ हैं जो अपने सरल, सच्चे तथा अत्यधिक धार्मिक स्वभाव ने कारण 'सीमाप्राप्ति के गाँवों' कहे जाते हैं। प्रारम्भ में यह आनंदोलन उन सामाजिक बुराइयों का निकाल पेंचने के लिए प्रयत्नशील रहा, जिन्होंने पश्चिमोत्तर सीमाप्राप्ति तथा कश्मीरी इलाकों के लोगों को इतना पछड़ा, गरीब तथा अगतिशील बना दिया था। पहिले उन लोगों में आपस में बड़ी फूट थी, अन्तर्जातीय स्वर्धा वै कारण कभी कभी खून खरांवी तथा तबाहा दा देने वाले भरगड़े हा जाते थे। वे आपस में लड़ते रहते और पारस्परिक उच्चति के लिए कभी भी एक सथान समर्थित होकर न रहते। परिणामस्वरूप वे गरीब, निरक्षर तथा अविविश्वासी बने रहकर कठिनतापूर्वक जीवन बिताते रहे। खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने यह सब देखा और अपने लोगों के प्रति गहरे प्रेम ने उन्हें उनकी दशा में मुझार के लिए एक आनंदोलन प्रारम्भ करने की प्रेरणा दी। उन्होंने गाँव गाँव घूमकर यह प्रचार किया कि वे सब लाग भाई भाई हैं और उनको मिल जुलकर और सेवा भाव से रहना चाहिए। उनके नेतृत्व में ही उच्चु तथा लड़ाकु पठान जाति ने पारस्परिक सहायता, सहकारिता, ज़मां तथा प्रेम का पाठ साला है। खा लाहौर ने अहिंसा का मन्त्र अपनाया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इरिडयन नैशनल कार्पोरेश्न द्वारा समर्थित अनेक सविनय अवश्य-आनंदोलनों ने अवसर पर खूँसार पठान जाति ने अहिंसा का बदा मुन्दर परिचय दिया है। खुदाई रिदमतगारों ने अपने को काग्रेस में नियमित कर लियी क्योंकि वे जानते थे कि बिना पूरे भारत की सहायता पाये उनकी समस्या नहीं हल हो सकती। उन्होंने देखा कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थतन्त्रता आवश्यक है और स्थतन्त्रता तब तक नहीं मिल सकती जब तक उसके लिए प्रयत्नशील सभी लोगों से

एका न कर लिया जाय। सीमाप्रान्त की पाकिस्तानी सरकार ने इस आनंदोलन को सख्ती से दबा दिया और आजकल खान साहब और उनके साथा जेलों में बन्द हैं।

खाकसार— खाकसार आनंदोलन कुछ दूसरी ही तरह शुरू हुआ। इसके सम्मानक इनायत उल्लाह खां जो अल्लामा मशरकी के नाम में अधिक प्रसिद्ध हुए। वह पजाप यूनिवर्सिटी के एक मेधावी एम॰ ए॰, तथा वैमिनिज के एक प्रतिभाशील छात्र रह चुके थे और कुछ समय तक रिहा विभाग में सरकारी नौकरी भी की थी। उन्होंने १९२१ के खिलाफ आनंदोलन का उत्तर-चढ़ाव देरा था तथा ग्रहिंसात्मक असद्याग आनंदोलन के तुरन्त बाद हुए हिन्दू मुसलिम दोनों का भी उनको अनुभव था। उन्होंने यह अनुभव किया कि राष्ट्रीय समाज की एक प्रमुख दुर्लक्षण थी कमज़ोर तथा प्रभावहीन भावुकता। उनके अनुसार राष्ट्र को एकता तथा कुछ ऐसे परिश्रमशील व्यक्तियों की सरपे अधिक आवश्यकता थी जो हुक्म का भली भौति तथा बिना हिचक के पालन कर सके। चूँकि जातिन्यौति इत्यादि का भेद भाव किये बिना सामाजिक सेवा व कार्यक्रम से ही सबसे अच्छी प्रकार एकता तथा अर्ध-सैनिक ढग से परेड तथा टिल से ही शारीरिक परिश्रमशीलता लाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने खाकसार आनंदोलन प्रारम्भ किया। यह आनंदोलन फौजी निझ तथा सामाजिक सेवा पर अधिक जार देता है और इसने अनेक लम्बे वैदेत्य तथा आर्कषक तौर-तरारे भी निकाल लिये। इस सगठन के सदस्य अपनी वचिन वर्दी में सद्या समय एकत्रित होते और एक घटे या ऐसे ही समय तक फौजी परेड करते। प्रत्येक खाकसार आनंदोलन के प्रतीकस्वरूप एक फ़ज़वा या रेल्वा लिये रहता। आनंदोलन का अनुशासन बड़ा ही कठिन था, इसने कुछ उच्च ग्राधिकारियां बोमा साधारण नियमों के उल्लंघन के लिए सजा भुगतनी पड़ी थीं। देश के विमानन के माध्य इस आनंदोलन का अन्त दा गया।

इस आनंदोलन का कोई निश्चित लक्ष्य न था। इसने नेता अल्लामा मशरकी ने एक बार अपने पत्र 'दी लाइट' में टस प्रकार लिया कि वह केवल, इटे, चूना तथा गारा एकत्रित करने में लगे हुए थे क्याकि पहिले से ही तैयार इमारत की बात करना असमर्त होता।^१ उन्होंने यह भी लिया कि उनके खाकसारों में 'यह ननी मालूम कि वह किस चीज़ के लिये प्रयत्नशील है। उसे तो हुक्म पर मरना है।' अपने कार्यों तथा सगठन में यह प्रमुखता मस्लिम था, हालाँकि इसने कुछ गैर-मुस्लिम सदस्य भी थे।

यह आनंदोलन १९३१ में समठित हुआ था। प्रारम्भिक एक या दो वर्षों तक यह बिना किसी से भगड़ा लक्ष्य उन्नति करता रहा। लेकिन बाद में मौलानाज़ीदों का विरोध करके इसने उनका दुश्मनी मोल ले ली। उनकी दुश्मनी का इस पर कोई सास प्रभाव न पड़ा और इसका शक्ति तथा प्रभाव बढ़ता ही रहा। बहुत लोगों का

विश्वास था कि अधेज सरकार इसका साथ देता था। १६३६ में इसका सयुक्त प्रान्त की सरकार से भगड़ा हो गया क्योंकि वह पञ्चाब से एक खेल्चा-लैम ढुकड़ी को शिया मुन्नी भगड़े में बीच बिचाव करने लगने का बाने देने से राक रही था। कुछ महीने बाद खाकसारोंने अपने ऊपर लगाये पञ्चाब सरकार के प्रतिबन्ध का विरोध किया और पुलिस से उनका भगड़ा हो गया। पुलिस ने गोली चलाई जिसमें अनेक लागंग की मृत्यु हो गई। लाहौर वाली घटना पूरे प्रान्त में किये जाने वाले घड़्यन्त्र का का हा एक ग्रण्य था जिसकी तैयारियों का सरकार के खुपिया विभाग न पकड़ लिया था।[†] इसका नेता गिरफ्तार कर लिया गया और तीन साल तक जेल में बन्द रखा गया। वह तभी छोड़ा गया जब उसने जेल से एक धोपणा प्रशश्नित करवा कर अपने अनुयायियों की अपनी चर्दा पहिनने, खेल्चा या अन्य काँई हथियार लेकर चलने, पौजी परेड तथा ड्रिल छाड़ देने के लिए कहा। वर्तमान समय में इस आनंदालन का अस्तित्व नहीं है।

हिन्दुत्व तथा इस्लाम का पारस्परिक प्रभाव

हमने कई बार इस बात पर ध्यान दिलाया है कि भारत में इस्लाम हिन्दू विनारो[‡] तथा किया कलापों से प्रभावित हुआ है। अपनी रहन सहन में एक मुसलमन का तुर्क या ग्रंथ की अपेक्षा अपने हिन्दू पढ़ीहोंने अधिक निकट है। इसरे दो कारण हैं। भारतीय मुसलमानों का एक बड़ा भाग मूलत हिन्दू है। मुसलमान बनने के लिए हिन्दुओं ने अपने पहिले ने रीत रिवाजों तथा किया कलापों को छोड़ा नहा है। कारण हिन्दुओं के जाति भेद ही की तरह मुसलमानों में भी भेद भव, सयुक्त परिचार, विधवाओं ने पुनर्विवाह की और अस्वीकृति की भावना, मूर्तिपूजा साधुओं पीरों की पूजा, रथयात्रा की तरह मुहर्रम का जलूस, सगुन तथा जादू टाने पर विश्वास पाया जाता है, जो कुरान की शिक्षाओं के विवर हैं। जन्म, मृत्यु तथा विचाहादि के अवसर पर मुस्लिम-राजपूत और मुस्लिम जाति, अपने निया कलापों की पूर्ति में हिन्दू रस्मों को भी शामिल कर लेते हैं। गांधी में मुसलमान भी विपक्ष के अवसर पर स्थानीय देवी देवताओं की श्रुष्टि करते हैं। इसका दूसरा कारण इस सिद्धान्त में निहित है कि जब एक विजित जाति गुलाम बना कर पौजी शासन में रक्खी जाता है तो उसकी सभ्यता का प्रभाव विजेता जाति पर पड़ता है। यहीं चीज़ भारत में भी हुई। यहों पर इस कार्य के ऊपर वर्णित तथ्य से और भी सहायता मिली। यहों यह बतलाना भी अनुपयुक्त न होगा कि अल्पसंखी जैसे मुसलमान यिद्वानोंने समृद्धि पर अधिकार प्राप्त करके अनेक समृद्धि ग्रन्थों का पारसी म अनुबाद किया जिससे विश्वास तथा दर्शन के चेतन में हिन्दुओं की अनेक चीजों का बाहर प्रचार हुआ।

[†] देखिये विल्फ्रेड वैन्टान सिंधु। मार्डेन इस्लाम इन इण्डिया, पृष्ठ २८१।

* ग्रो मैली मार्डेन इण्डिया एण्ड दी वेस्ट, पृष्ठ ६।

वर्ष तक हाथ न डालने की प्रतिज्ञा करवायी और अपना समय घटनाओं की धारा से परिचय प्राप्त करने में विताने का आदेश दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि गांधी जी एक वामपक्षीय नेता होने के बजाय नरम प्रकृति के व्यक्ति थे। यह भी स्मरण रखने योग्य है कि उन्हीं के प्रभाव के कारण १९१६ में होने वाले कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के प्रस्ताव में शान्ति एव समय की मावना का समावेश हुआ, गों कि अमृतसर के जलियाँवाला बाग में स्त्री-पुरुषों तथा बच्चों की निर्मम हत्या, उसी वर्ष के अप्रैल म जनरल डायर द्वारा शहर निवासियों पर की गई व्यादतियों तथा पजाब में मार्शल लॉ के विरुद्ध लोगों में बड़ा छोप एव असन्तोष व्याप्त था। मान्डेगू-चैम्सफैंड सुधार-योजनाओं के निराशाजनक और अनुपयुक्त होने पर भी उत्तरदायी सरकार की शीघ्र स्थापना के लिए कांग्रेस ने उन्हें स्वीकार कर लिया। ऐसे गम्भीर तथा उदासवादी नेता को भी असहयोग तथा सविनय अवश्य आनंदोलन चलाना पड़ा तथा औपनिवेशिक पद की मौँग के स्थान पर कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज बनाना पड़ा—यह भारत सरकार की काला करतूतों पर दुखद आलोचना ही नहीं बल्कि समय के प्रवाह में एक नये परिवर्तन का चिह्न भी है। हमारा सम्बन्ध उन घटनाओं से है जो उन परिवर्तनों का कारण बनीं जिनकी इण्डियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापकों ने कल्पना भी नहीं की थी।

पजाब में हुए अत्याचारों के प्रति भारत तथा ब्रेट ब्रिटेन की सरकार के दख तथा जनरल डायर पर हाउस ऑफ लॉड़स में हुई बहस ने महात्मा गांधी की ग्राँपैश्यल दी और उन्हें सहयोगी से असहयोगी बना दिया। १९१७ में महायुद्ध समाप्त होने से पहिले ही भारत सरकार ने रौलट कमेटी नियुक्त की जिसका कार्य देश के क्षतिकारी आनंदोलन से सम्बन्धित पद्धतियों की जांच करना और उनके अन्त करने के लिए सरकार को उपयुक्त उपाय सुझाना था। इस कमेटी ने १९१८ की जनवरी में अपना कार्य प्रारम्भ किया और उसी वर्ष के अप्रैल के मध्य में अपनी रिपोर्ट दे दी। इसने स्थिति का सामना करने के लिए दो प्रकार के कानून बनाने की सलाह दी। इस सलाह ने ग्राधार पर भारत सरकार ने दो बिल तैयार कराये और व्यापक तथा विधान सभा के गैर-सरकारी विरोध ने बावजूद भी उन्हें विधान सभा से पास करा दिया। न दोनों बिलों द्वारा ग्रातङ्कगढ़ी जन-आनंदोलनों को कुचलने के लिए दूरकार को बहुत अधिक ग्रिफ़िशर दिये गये। राइट ऑनरेविल श्री० श्रीनिवास शास्त्री जैसे उदारवादी नेता ने भी लोगों की मावनाओं के विरुद्ध ऐसे रुडे कानून के भगानक परिणामों के सम्बन्ध में सरकार का चेतावनी दी। “दाचित् किमी भी घटना ने कांग्रेस की नीति तथा दख म इतना परिवर्तन नहीं किया जितना सारे राष्ट्र के विरोध करने पर भी रौलट बिलों की सरकार द्वारा स्वीकृति ने। भारत सरकार की ऐठ से महात्मा गांधी बहुत चिन्तित हुए। वे उस समय रौलट बिलों के ऐकट बनने पर उसके विरुद्ध किमी प्रकार का सत्याग्रह ठानने की चिन्ता में थे। उनके मन में यह विचार आया कि एक निर्दिष्ट दिन को सारे देश में दृढ़ताल

मनायी जाय और वह दिन उपवास और ईश्वर-प्रार्थना में ब्रितान्या जाय। १६१६ के मार्च की तीस तारीख इस कार्य के लिये निश्चित की गयी लेकिन बाद में बदल कर छु अप्रैल कर दी गयी। तुछु शहरों में तीस मार्च को ही हड्डताल मनायी गयी। दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसी भीड़ पर गोली भी चलायी जो एकनित होकर रेलवे बलपान-गहों को बन्द करने पर बोर दे रही थी। इसप्रैल की हड्डताल के बाद महात्मा गांधी ने तुछु स्थानीय नेताओं की प्रार्थना पर दिल्ली जाना स्वीकार कर लिया लेकिन दिल्ली के राले म ही वे पलबल नाभक स्थान पर गिरफ्तार कर लिये गये और तुछु पुलिस रक्खों ने साथ बम्बई भेज दिये गये। उनकी गिरफ्तारी का समाचार दावागिन के समान फैल गया और तुछु स्थानों पर उत्पात भी मचा। लेकिन सरकार ने उन्हें छाड़ दिया और इस प्रकार शान्ति स्थापित हो गयी। सर माइकेल ओडायर द्वारा शासित पञ्च म कुछु जनप्रिय नेताओं की कैद तथा निहत्थी जनता पर गोली चलाने के कारण लाहौर तथा अमृतसर में बड़ी सनसनी फैली। अमृतसर की घटनाएँ दिल को दहला देने वाली हुईं। पुलिस द्वारा १० अप्रैल की निहत्थी भीड़ पर गोली वर्षा का विरोध करने के लिए अमृतसर के लोगों ने जलियाबाला बाग में १३ अप्रैल को एक सभा की। उन्हें जनरल डायर द्वारा शहर की सभी सभाओं पर लगाये प्रतिवन्ध का जान नहीं था। सभा जब होने जा रही थी तो जनरल डायर ने उसे रोकने का कोई भी प्रबन्ध नहीं बिया, लेकिन इसके प्रारम्भ हो जाने पर वह उम स्थान पर हथियारबन्द फौजों दुक्कियों के साथ पहुँचा और अपने सिपाहियों को तभ तक गोली चलाने का आदेश दिया जब तक कारनूस खत्म न हो जायें। पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों की यह निर्मम हत्या बैचल एंड में कर दी गयी, उसके लिए देश की जनता की ओर से काई उत्तेजना नहीं दा गयी थी। जनरल डायर ने मृतकों एवं घायलों का उसी स्थान पर पढ़ा रहने दिया जैसे उनके विषय में तनिक भी चिन्ता करना उसका कर्तव्य ही नहीं था। पञ्च में कासूर तथा गुजरानबाला म भी दुर्घटनाएँ घटी जिसके परिणामस्वरूप लाहौर, अमृतसर, गुजरानबाला जिलों म पौजी कानून लागू कर दिया गया और वह ११ जून तक जरूर रखा गया। पौजी कानून का कड़ाई की ओर सकत करना यहाँ आवश्यक नहीं है। लूट-मार, कैद, कोडेजांडों तथा ग्रत्याचार का जो हश्य उपस्थित किया गया, उसके बर्गन के लाए यहाँ स्थान नहीं है।

इन घटनाओं का पता चलने पर लोगों म बड़ा क्षोभ फैला और उन्होंने इन भयानक तथा अमानुषक कार्यों के लिए उत्तरदायी लोगों को दण्ड देने की मांग की। गवर्नरमट ने इन घटनाओं की जांच के लिये एक कमेटी बिटायी। लेकिन इस कमेटी का कार्य प्रारम्भ होने के पहले ही सरकार ने अपराधी अपसरों के बचाव के लिए एक इन्डेमिटी चिल' पास कर दिया जिससे उन्हें छूट दे दी गया। कमेटी की रिपोर्ट घटनाओं पर प्राय पर्दा डालने वाली ही रही। इसमें देश का बोध और

भी बढ़ गया। सरकार ने सर माइनेल ग्रोडायर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और नेवल जनरल डायर को 'निर्णय की भूल' के निए उत्तरदायी बताकर नौकरी से हटा दिया। ऐसे उत्तरदायित्वहीन कायों से यह स्पष्ट हो गया कि इगलैंड तथा भारत की सरकार को पजाव की भयकर भूला के लिए कोई अपसोत न हुआ। महात्मा गांधी ने यह सोचा कि ऐसी भयकर भूला का पक्ष लेने वाली सरकार अवश्य ही स्वमावत शैतानी है और इमालए उन्होंने ऐपने को इस सरकार से हर प्रकार अलग कर लेने का निश्चय किया। वह बुगाई का कभी भी पक्ष नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने सरकार से असहयोग प्रारम्भ कर दिया। एक स्कीम बनाकर उन्होंने राष्ट्र को सरकार से तब तक असहयोग करने का आदेश दिया जब तक पजाव की भूला में सुधार तथा देश में स्वराज की स्थापना न हो जाय। लाला लाजपतराय के समाप्तित मायेस का कलकत्ता-ग्रधिवेशन १६२० की सितम्बर के पहले सप्ताह में हुआ। मायेस के इसी विशेष ग्रधिवेशन के अवसर पर गांधी जी ने अपनी योजना लागों के सामने रखी। इस अधिवेशन के अवसर पर विभिन्न प्रान्तों के मुमलमान भा अधिक सख्त में एकत्रित हुए थे। उन्होंने आनंदोलन में अपना सहयोग देने का निश्चय किया क्योंकि खिलाफत के प्रश्न पर उन्हें भी सरकार के खिलाफ अनेक शक्तियाँ थीं। असहयोग के सम्बन्ध में गांधी जी ने जो प्रस्ताव रखा उसे लगभग आठ सौ र अल्पमत न वरुद्ध दा हजार क गहुमत ने स्वीकार किया। यह प्रस्ताव पूरा उद्घृत करने याय है, क्योंकि इसी से कायेस की नीति एवं कार्य-भ्रम एक नयी महिम प्रारम्भ होता है। प्रस्ताव इस प्रकार है

'खिलाफत के प्रश्न पर भारत तथा ब्रिटेन दोनों की सरकारे भारतीय मसलमानों के प्रति अपने कर्तव्य म असफल रहा है। प्रधान मंत्री ने उनसे की हुई प्रतिज्ञा को जान रूझ कर तोड़ा है। प्रत्येक गैर-मुस्लिम भारतीय का कर्तव्य है कि वह अपने मुमलमान भाई का उसके धार्मिक सकृद में हर प्रकार सदायता करे। १६२६ की अप्रैल वाली घरनाश्वी के सम्बन्ध में ऊपर पतायी गयी सरकारों ने अत्यधिक उपेक्षा प्रदर्शित का है या उन्हें घार असफलता मिली है। इन सरकारों ने पजाव के निरीह लागों की रक्षा तथा उनक प्रति अमानुषक व्यवहार करने वाले अपसरों की सजा न सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। गो अधिकतर सरकारा अपराधों का उत्तरदायित्व सर माइनेल ग्रोडायर के ऊपर है और अपने शासन में रहने वाली प्रजा न कर्त्ता न प्रात उसने घार उपेक्षा भा दियायी, लेकिन फिर भी वह साप, बरी कर दिया गया। 'हाउस आफ बॉम्बे', विशेषत 'हाउस आफ लार्ड्स' में हुई बहस म भारतार्थ के प्रात तानक भा सहानुभूति नहीं दियायी गयी, जल्टे पंजाब में पैले व्यवनियत ग्रातक तथा मयानक कल्यों का ही पक्ष लिया गया। खिलाफत तथा पजाव क मामलों क सम्बन्ध म वाइसराय का हाल की बातें इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि उन्हें तनिज भी अपसोत नहीं है। इन सब बातों को घ्यान में रखकर कायेस

की यह राय है कि इन दो भयकर अत्याचारों का जब तक नियंत्रण न हो जाय तब तक भारत के लोगों को सन्तान नहीं हो सकता। राष्ट्रीय नममान की रक्षा तथा ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति का रोकने के लिये स्वराज की स्थापना ही एक उपाय है।

‘वामेस का आगे यह विचार है कि अधिकारिक अद्वितीयक असहयोग का अपनाने और उसे कार्यान्वित करने के अतिरिक्त भारतीयों के सामने और कोई मार्ग नहीं है। यह मार्ग तब तक अपनाया जाय जब तक अत्याचार की स्थिति में सुधार तथा स्वराज की स्थापना न हो जाय।’

‘जन भ्रत को मोड़ने तथा उसका अब तक प्रतिनिधित्व करने में जिन वर्गों का हाथ रहा है उन्हीं को सब से पहिले आन्दोलन प्रारम्भ करना चाहिये। सरकार अपना प्रभाव लोगों पर खिताओं तथा अन्य प्रकार के सम्मानों, शिद्धण संस्थाओं, कच्छरियों तथा व्यवस्थापिक समाजों द्वारा स्थापित करती है। आन्दोलन की वर्तमान स्थिति में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उतना ही खतरा उठाया जाय तथा उतना ही त्याग किया जाय जितना अनिवार्य हो। इन सभी वातों को ध्यान में रखकर कामेस की निम्नलिखित निश्चित रायें हैं—

(क) उपाधियों, अवैतनिक पदों का त्याग तथा स्थानीय संस्थाओं के पदों से इस्तीफा।

(ख) सरकारी उत्सवों, दरबारों तथा सरकारी अपसरों द्वारा किये गये अर्ध-सरकारी उत्सवों में भाग न लेना। सरकारी अपसरों के आदर में किये गये उत्सवों में भी सम्मिलित न होना।

(ग) लड़कों को स्कूलों तथा कॉलेजों से धीरे-धीरे हटा लेना तथा विभिन्न प्रान्तों में राष्ट्रीय स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना।

(घ) बड़ीलों तथा मुबकिलों द्वाया अग्रेजी कच्छरियों का धीरे-धीरे परित्याग तथा भगद्दा आपस में ही तय कर लेने के लिए पचायतों की स्थापना।

(इ) मेसोपोटामिया में काम करने से बौजी आदमियों, कलंकों तथा मज़दूर वर्ग के लोगों का इन्कार।

(च) उम्मीदवारों का नहीं बौमिलों के चुनाव से अपने को हटा लेना तथा घोट देने वालों का उस व्यक्ति को घोट देने से इन्कार जो वामेस की राय न होने पर भी चुनाव के लिये रद्द होता है।

(छ) विदेशी माल का पूर्ण बहिष्कार।

‘असहयोग आन्दोलन लोगों को अनुशासन एवं आत्मत्याग की शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया जा रहा है क्योंकि जिन इन गुणों के कोई भी राष्ट्र सच्ची उम्रति नहीं कर सकता। असहयोग के पहले चरण में प्रत्येक स्त्री-पुरुष तथा बच्चे को इस प्रकार ने अनुशासन एवं आत्मत्याग का अवसर मिलना चाहिए।

जहाँ तक इन चीजों का सम्बन्ध है काग्रेस की राय है कि सूती मालों के सम्बन्ध में स्वदेशी का पूर्ण रूप से व्यवहार किया जाय। चूँकि देशी-सम्पत्ति तथा देशी प्रबन्ध घाली भारत की वर्तमान मिलें देश की आवश्यकता के लिये पूरा सूत तथा कपड़ा तैयार नहीं कर पा रही हैं और भविष्य में बहुत दिनों तक वे ऐसा नहीं कर पायेगी, इसलिए काग्रेस की यह राय है कि अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रत्येक घर में सूत काता जाय और उन जुलाहों तथा बुनकरों को फिर से काम में लगाया जाय जिन्होंने प्रेरणा के अभाव में अपने प्राचीन और गौरवपूर्ण पेशे का परित्याग कर दिया है।

आसद्योग के सम्बन्ध में इस प्रसिद्ध प्रस्ताव से राष्ट्रीय आनंदोलन के इतिहास में एक नवीन युग प्रारम्भ होता है। इस प्रस्ताव ने राजनैतिक विरोध के स्थापित तथा पुराने दंग के प्रति लोगों का हाटिकोण ही बदल दिया। १९२० की दिवमर में काग्रेस के नागपुर-अधिकेशन में यह प्रस्ताव और भी पक्का कर दिया गया। इस अधिकेशन में लगभग बीस हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देशभूत्यु चित्तरञ्जनादास तथा लाजपत राय जैसे नेताओं ने कलकत्ते में आसद्योग का विरोध किया था लेकिन नागपुर में वे उसके समर्थक बन गये। काग्रेस की आत्म-त्याग की पुकार का लोगों ने अपूर्व और शानदार ढग से उत्तर दिया। आनंदोलन में भाग लेने के कारण बीस हजार व्यक्तियों ने प्रसन्नतापूर्वक जेल-जीवन का कष्ट मैला। सैकड़ों व्यक्तियों ने अपनी उपाधियाँ और खिताब त्याग दिये और इसके कई गुना अधिक लोगों ने कच्छहरियों में अपनी बकालत छोड़ दी। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल तथा कॉलेज त्याग दिये और देशभर में अनेक राष्ट्रीय-संस्थाओं की स्थापना हो गयी। इन संस्थाओं में अलीगढ़ का राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, विहार विद्यापीठ तथा तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ के नाम उल्लेखनीय हैं। १९२१ के पूरे वर्ष तक आनंदोलन जितनी सफलता के साथ आगे बढ़ा उतनी सफलता की आशा इसके कठुर समर्थकों को भी न थी। धारदोली तालुक में महात्मा जी करवन्दी का आनंदोलन समर्पित कर रहे थे। इन सबसे त्रिपुरा-सरकार की नींव द्विल उठी; स्वराज सामने दिखाई देने लगा। लेकिन इसी मनोवैज्ञानिक अवसर पर मसाचार में मोपला टैगा प्रारम्भ हो गया जिसमें हिन्दुओं पर वर्णनातीत अत्याचार हुआ। हिन्दू-मुस्लिम एकता पर यह बहुत बड़ा आघात था। यह एकता ही तो उस वर्ष के अद्विसात्मक आसद्योग आनंदोलन का प्रमुख स्तम्भ थी। वेल्स के राजकुमार के भारत आगमन के अवसर पर बम्बई में बड़ी गड्ढडाँ पैदा हो गयी। इससे भी बुरी वात यह हुई कि उन्मत्त जनता ने नौरी-चौरा की चौकी में शाग लगा दी और वहाँ पुलीस के अनेक व्यक्तियों की हत्या हो गयी। महात्मा जी ने देखा कि आनंदोलन का अद्विसात्मक रूप समाप्त हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसे तुरन्त बन्द कर देने की आज्ञा दे दी। इस पर उनके निकट अनुयायियों को बड़ा दुःख भी हुआ। उन्होंने काग्रेस के वे सभी कार्य बन्द कर दिये जिनसे जेल जाने की आवश्यकता पड़ती। सरकार ने इस

अवसर से लाभ उठाया, उसने गांधी जी को कैद करके उन पर मुकदमा चलाया और मार्च १९३२ म उन्हें छ वर्ष की सजा दे दी।

महात्मा गांधी के नेतृत्व म चलने वाला असहयोग का पहला आन्दोलन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहा। विधिश सरकार हिल तो गई लेकिन गिरी नहीं। पिर भी आन्दोलन एकदम निप्पल नहीं रहा। इसने राजनैतिक विरोध को उस स्तर तक पहुँचा दिया जिसका पहिले किसी ने बहुपना भी न का था, इसने काफ़े स आन्दोलन को जनता का आन्दोलन बना दिया तथा स्वराज का सन्देश समाज के नम्न स्तर तक पहुँचा दिया। इसने एक और दिशा म भी अच्छा परिणाम दियाया। नौकरशाही ने पहली बार इस बात की आवश्यकता समझी। क नरम दल के राजनीतिकों की शुभेच्छाओं का वितना नूल्य है। इसने उनका सहयोग पाने के लिए अपना पूरा प्रयत्न लगा दिया और मान्फोर्ड सुधारों का इस टङ्ग से लागू किया कि जैसा बढ़ दूसरा स्थिति में कभी न करती।

अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन की बाह्य असफलता से काफ़े स कुछ अन्य देशों ने नई विधान-सभाओं के लगातार बहिष्कार की नाति का विरोध प्रारम्भ कर दिया। काफ़े से भी तर ही सी। आर० ठाम तथा मोतीलाल नेहरू ने एक कौसिल प्रवेश पार्टी की स्थापना की। हकीम यजमलराम तथा बिठुल माई पटेल ने भी इसे अपना सहयोग दिया। यह स्वराज-पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका उद्देश्य या अडगेचाजी की नीति द्वारा विधान को अन्दर ही अन्दर ताङ देना और इस प्रकार विधाय सरकार को राष्ट्रीय माँग स्वीकार करने के लिए विवश कर देना। गांधी जी के बड़ा अनुयायियों ने बौसल म घुसने का विरोध किया। ऐसे लोगों को लोग अपरिवर्तनवादी (No changers) कहते, जो असारी तथा श्री राजगोपालाचारी इनके अगुआ थे। बड़ी बाठनाइयों के बाद बौसल म घुसने की दच्छा रखने वाले दल (Council Entry Party) की विजय हुई। विधान सभाओं के चुनावों में काफ़ी डटा-डटी रही, लेकिन इण्डियन नेशनल काप्रेस की ओर से खड़ी स्वराज पार्टी की अनेक प्रान्तों म विजय हुई। बगाल तथा मध्य प्रान्त में स्वराज पार्टी के लाग काफ़ी सख्ता म सफल हुए। उनकी सख्ती थी कि सविधान का चलना असम्भव हो गया। लेकिन अडगेचाजी की चालों से नौकरशाही डिग न सकी। केंद्रीय विधान-सभा म भी स्वराज-पार्टी कुछ अधिक न कर सकी। भारत के लिए एक सविधान बनाने के उद्देश्य स इसने एक गोल मेज सम्मेलन की माँग की जिसे लॉर्ड रीडिंग की सरकार ने अस्वाकृत कर दिया। १९२० के चुनाव में स्वराज पार्टी को बड़ा धक्का सहना पड़ा जिसन कारण इसके सदस्यों की सख्ता कम हो गयी। भारत के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करने म कौसिलों म घुसने का कार्यक्रम असफल रहा और परिस्थितियों ने उहे पुराने कार्य क्रम की ओर लौग्ने

के लिए विवरण कर दिया। इस पुराने कार्य कम का उद्देश्य तैयारी करते रहना और आवश्यकता पड़ने पर खूब ग्राहिक सख्ती में सविनय अवश्य करना था। पिर भी स्वराज-पार्टी को एक सफलता मिली। नरम दल बाला तथा नौकरशाही ने नये विधान की प्रशासा का जो पुल बॉर्ड रखता था उसे इसने नष्ट कर दिया। इसने उदार-घाटियों अर्थात् नरम दल बालों को विधान-सभाओं से अलग कर दिया और नौकरशाही के इस वर्थन को अमर्त्य सिद्ध कर दिया कि वह देश पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन कर रहा था।

साइमन कमीशन— स्वराज पार्टी द्वारा तैयार किया हुआ कैमिल-मोर्चा अब पुराना पड़ चुका था और इंग्लिशन नेशनल कांग्रेस के पास ऐसा काई घेरणाशील एवं उत्साहवर्धक कार्यक्रम न था जिसे वह देश के मामले रख सकता। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने स्वयं देशव्यापी आनंदोलन के लिए राजनीतिज्ञों को एक अच्छा अवसर प्रदान किया। एक रॉयल कमीशन की, जो नये विधान ने कार्यों की जॉच करके पालियामेण्ट में रिपोर्ट पेश करता, नियुक्ति के लिए दस वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बढ़ले, इंग्लैंड की सरकार ने उसे १९२७ में ही भेजने की घोषणा कर दी। साइमन कमीशन— यही उस कमीशन का नाम था— सनमुक्त २ फरवरी १९२८ को बम्बई पहुँचा। इस कमीशन का असिल-मारताय हड्डाल द्वारा स्वागत हुआ। यह कमीशन जहाँ कहीं भी जाता वहाँ हड्डाल होती काले झड़े का प्रदर्शन होता और ‘साइमन लौर जाओ’ का नारा लगाया जाता। सभा मर्तों के लोगों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, यहाँ तक कि उन्नाय तथा प्रार्तीय विधान-सभाओं ने भी उससे सहयोग नहीं किया। वेवल मद्रास की जटिल पार्टी तथा कुछ मुस्लिम सम्प्रदायों ने इसका स्वागत किया। इस प्रतिरोध का कारण यह था कि कमीशन में वेवल अंग्रेजों की नियुक्ति की गयी थी, मारतीय कोई था ही नहीं। कमीशन की सदस्यता से भारतीयों को अलग रखने में उनकी राष्ट्रीय सम्मान की मावना को बड़ा धक्का लगा जिसे कोई भी देशभक्त भारतीय सहन नहीं कर सकता था। साइमन कमीशन के बहिष्कार से देश में बड़ी उथल-पुथल मचा दा। ब्रिटिश सरकार ने आतङ्क तथा जोर-बजरदस्ती का टग अरत्यार किया। काले झड़े ने प्रदर्शनकारियों को तितर पितर करने के लिए पुलिस अक्सर लाठी का प्रयोग करती। लालौर म लाला लालपतराय ऐसे ही एक जल्स के गगुआ थे। उनके कपर निलंजतापूर्वक लाठी तथा डडों की वर्षा की गयी। यह विश्वास किया जाता था और ब्रिटिश-सरकार पर यह आचेप भी किया गया कि इसी घातक हमले के कारण उनकी शीघ्र मृत्यु हो गया। लोकन सरकार ने इस मामले में बोई जॉच न की। लखनऊ म जवाहरलाल नेहरू तथा गोपालद्विलम पन्त जैसे मान्य नेताओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। पुलिस व इस वर्ताव से लोगों में बड़ा दोष पैला और इसी लिए कुछ आतङ्कवादी घग्नाएँ भा घटीं।

नेहरू-रिपोर्ट— लॉर्ड वर्केनहेड ने, जो उस समय भारत-मंत्री थे, रॉयल कमीशन में भारतीयों को न रखने का कारण यह बताया कि उनमें परस्पर मेल न था। उन्होंने उन्हें एक सर्वमान्य विधान बनाने तथा उसे पार्लियामेन्ट के सामने रखने की चुनौती दी। भारत के राजनैतिक नेताओं ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने एक अर्डें-पार्टीज कान्फ्रेंस बगाडित की जिसकी बैठकें उस समय हुईं जब साइमन कमीशन देश में दौरा कर रहा था। सर्वदल सम्मेलन ने विधान के निर्माण के लिए ५० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप-समिति नियुक्त की। मरीनों के परिश्रम के बाद नेहरू कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की जो इतिहास में 'नेहरू-रिपोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध है। इसने भारत के लिए औपनिवेशिक आधार पर एक विधान तैयार किया। १९२८ में कांग्रेस के कलकत्ता-अधिवेशन ने इस रिपोर्ट पर विचार किया। इस अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता चाहने वालों तथा औपनिवेशिक पद के समर्थकों के बीच खूब वाद-विवाद हुआ। पहले दल के नेता ये ५० जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र बोस तथा दूसरे दल के नेता ५० मोतीलाल नेहरू थे जो उस अधिवेशन के सभापति थे। महात्मा गांधी ने मेल के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव इस प्रकार है :

'सर्वदल समिति की रिपोर्ट द्वारा पेश किये हुए विधान पर विचार करने के पश्चात् कांग्रेस उसका स्वागत करती है क्योंकि भारत की राजनैतिक तथा साम्प्रदायिक समस्याओं के हल के लिए यह एक महान् देन है। मुझकों पर एकमत होने के लिए कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देती है। मद्रास-कायेस के अवसर पर पास किये हुए पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को ही मानने के साथ साथ कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्मित विधान को राजनैतिक प्रगति में एक महान् कदम के रूप में स्वीकार करती है; विशेषतः द्वितीय किंवद्दन की प्रमुख पार्टियों के बीच वह सबसे अधिक समझौते का प्रतिनिधित्व करता है।'

'यदि यह विधान दिसम्बर १९२८ या उससे पहले स्वीकार नहीं किया जाता तो कांग्रेस उसे मानने के लिए बाध्य नहीं रहेगी और यह भी धोरपित रिया जाता है कि यदि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट इस तारीख तक विधान को स्वीकार नहीं करती तो कांग्रेस प्रहिसात्मक असहयोग फिर प्रारम्भ कर देगी जिसके अनुसार देश सरकार को कर या अन्य किसी प्रकार का सहायता देना चाह वह देगा।'

१९३० या उसके बाद वाले वर्षों में जो घटनाएँ हुईं वे इस प्रस्ताव के अत्यधिक महत्व की प्रमाणण हैं। सरकार पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ा। मारतीय मामलों पर विचार-विमर्श करने तथा यहाँ के राजनैतिक मर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के हाईकोर्टों की अग्रेसी सरकार के सामने रखने वे लिए लॉर्ड इरविन, उस समय के गवर्नर-जनरल, जून के अन्त में इंगलैंड गये। वे अक्टूबर २४ को लौट आये और समाट की सरकार की ओर से उन्होंने ३१ अक्टूबर को एक घोषणा की। समूर्य घोषणा को यहाँ उद्धृत नहीं किया जा सकता। हम इसकी बेबल प्रमुख

विशेषनाएँ चतायेगे और इसकी प्रतिक्रिया का निरीक्षण करेंगे। इसकी समसे बड़ी विशेषता यह थी कि ब्रिटेन तथा भारत की सरकार ने भारत का औपनिवेशिक पद देने का निश्चय किया। घोषणा के अन्तिम शब्द ये थे : “सम्राट् की सरकार की ओर से मुझे यह न्यूट करने का पूरा अधिकार मिला है कि उसके निर्णय के अनुसार १६१७ की घोषणा में यह स्पष्ट है कि भारत की सविधानिक प्रगति का उद्देश्य औपनिवेशिक पद की प्राप्ति है।” इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद लग्नदन में एक गोलमेज़-कान्फ़ेस की व्यवस्था की गयी जिसमें साइमन कमीशन तथा भारत की वैधानिक समस्या के विषय में अन्य प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने के लिए सम्राट् की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साथ भारतीय प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते। घोषणा का उपयुक्त ग्रन्थ नीचे है :

रॉयल कमीशन के चेयरमैन ने यह मुझब दिया कि “आवश्यकता इस बात की है कि एक सम्मेलन बुलाया जाय जिसमें सम्राट् की सरकार ब्रिटिश-भारत तथा रियासतों, दोनों के प्रतिनिधियों से अतिम प्रस्तावों में अधिक समझौते के निमित्त मिले। सम्राट् की सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि इन प्रस्तावों को यह पारिंयामेन्ट के सामने पेश करे।” काश्रेस नेताओं ने तूरन्त ही दिल्ली में एक सभा बुलायी जिसमें उन्होंने अन्य राजनीतिक पार्टीयों के नेताओं को भी आमन्त्रित किया। इस सम्मिलित सभा ने घोषणा पर विचार किया और बहुत सोच-विचार के बाद एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें प्रस्तावों ने उस सद्भाव का प्रशासा का जिस पर घोषणा अबलम्बित थी। उन्होंने भारतीय जन-मत को सुनुप्त करके के ब्रिटिश-सरकार के उद्देश्य की बड़ी प्रशासा की और अपनी यह इच्छा भी प्रेक्ष देश के लिए औपनिवेशिक पद की स्थापना के प्रयत्न में वे सम्राट् की सरकार को पूरा, सहयोग देंगे। उन्होंने सम्भावित कान्फ़ेस की सफलता के लिए कुछ मुझब भी पेश किये जिसमें राजनीतिक बंदियों की मुक्ति भी थी। उनके विचार से कान्फ़ेस का उद्देश्य औपनिवेशिक पद के लिए समय निश्चित करना नहीं बल्कि भारत के औपनिवेशिक विधान के लिए योजना बनाना था। वक्तव्य के अन्त में निम्नलिखित शब्द ये :

‘जनता को यह अनुमत कराना हम बहुत आवश्यक समझते हैं कि आज से एक नवीन युग का प्रारम्भ हुआ है और नया विधान इस तथ्य का प्रमाण होगा। अन्त में, कान्फ़ेस की सफलता के लिए हम यह आवश्यक समझते हैं कि वह शीघ्रातिशीघ्र बुलायी जाय।’

पूर्ण स्वराज़— नेताओं की घोषणा के उत्तर में तथा रिथति की त्याजता के लिए ब्रिटिश भारत की सरकार ने बोई वक्तव्य नहीं दिया। काश्रेस के लाहौर-अधिवेशन में जाने से पहिले महात्मा गांधी तथा प० मोतीलाल नेहरू ने वाइसएय से मिल लेना उचित समझ ताकि उनकी घोषणा का वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो जाय।

लॉई इरविन उन्हें यह विश्वास नहीं दिला सके कि लन्दन में होने वाली सम्भावित काफ़ेस का उद्देश्य भारत के लिए औपनिवेशिक विधान बनाना था। 'भारत की' वैधानिक प्रगति का स्वामायिक परिणाम औपनिवेशिक पद की प्राप्ति है'— घोषणा के इस तथ्य से अधिक वे कुछ न कह सके। गोलमेज सम्मेलन में भारतीय नेताओं का औपनिवेशिक पद-प्रदान की प्रतिज्ञा वे साथ निमन्त्रित करने में उन्होंने अपने को, असमर्थ पाया। इस प्रकार ये दोनों बड़े नेता स्वाली हाथ लाहौर लौट आये। इन परिस्थितियों के बीच— पूर्ण स्वराज की अपना उद्देश्य घोषित करने तथा कलक्ष्मा-अधिकेशन के प्रस्ताव की शर्तों ने अनुसार नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करने के अलावा कांग्रेस के पास और कोई चारा ही न रह गया। स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में लाहौर में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसने निमलिखित प्रमुख वाक्य है 'स्वराज की मार्ग के सम्बन्ध में समझौते के लिए बाइसराय द्वारा किये गये प्रयत्नों की कांग्रेस प्रशंसा करता है। तब से अब तक जो कुछ हुआ है उसे तथा महात्मा गांधी, प० मोतीलाल नेहरू, अन्य नेताओं तथा बाइसराय की मुलाकात के परिणाम पर विचार करने के पश्चात् कांग्रेस की यह राय है कि वर्तमान परिस्थितियों में सम्भावित गोल मेज का फ्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजने से कांग्रेस को कोई लाभ न होगा। कांग्रेस प० यह घोषित करती है कि कांग्रेस-विधान के पहले अनुच्छेद में प्रयुक्त 'स्वराज' शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतन्त्रता होगा और यह आशा करती है कि अब से सभी कांग्रेस सभन भारत के लिए पूर्ण स्वराज की प्राप्ति पर ही अपनी पूरी शक्ति केन्द्रित है। यह कांग्रेस ग्रंथिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार देती है कि वह अपने अधिकार समझे सविनय अवज्ञा आनंदोलन प्रारम्भ कर दे जिसमें किसी प्रकार कर कर न देने का धार्य क्रम भी समिलित है। उसको यह अधिकार भी दिया गया कि इस आनंदोलन को वह निश्चित स्थानों या पूरे देश में उन सावधानियों के साथ प्रारम्भ करे जिन्हें वह आवश्यक समझे। इस प्रकार स्वराज्य-प्राप्ति के लिए दूसरे महान् राष्ट्रीय आनंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गयी। यह आनंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूर्ण अहिंसात्मक रूप से प्रारम्भ किया गया। सबसे पहले १६३० की २६ जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस मनाया जाना था जिसमें कांग्रेस की वर्किङ कमेटी द्वारा स्वीकृत प्रतिशाएँ दुहरायी गयीं। सारे देश वे विभिन्न शहरों तथा गाँवों में भी प्रतिज्ञाएँ दुहरायी गयीं। इस प्रतिज्ञा का यहाँ विस्तृत वर्णन आवश्यक नहीं है। इतना ही कह देना पर्याप्त है कि ससार के अन्य राष्ट्रों की भाँति स्वतन्त्रता के उपभोग का भारतीयों को भी अधिकार है। उन्हें भी अपने परिभ्रम का फल चरने तथा अपने सर्वोच्च विकास का अवसर मिलना चाहिए। इन सब वातों को ध्यान में रखकर इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी इस प्रतिज्ञा द्वारा लोगों को उस विदेशी शासन के ग्रन्त वा ग्रादेश दिया जो राष्ट्र को अगश्त हानियाँ पहुँचा रहा था। इसने सरकारी कर या अन्य

किसी भी प्रकार की सहायता न देने का भी आदेश दिया। १९३० से हर वर्ष की २६ जनवरी को स्वतन्त्रता-टिक्स मनाया जाता है।

सविनय अवज्ञा आनंदोलन— ३ मार्च १९३० को महात्मा गांधी ने लार्ड दरविन को अपना ऐतिहासिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सावरमर्ती आश्रम के ग्रपने कुछ साथिया के साथ नमक कानून ताड़ कर सविनय अवज्ञा आनंदोलन प्रारम्भ करने की सूचना दी। पत्र में उन्होंने ब्रिटिश राज को एक बला मानने के कारण भी बताये। पत्रवाहक महात्मा बी के एक ग्रन्त्रे जि श्री रेजीनल्ड रानाल्ड्स थे १२ मार्च को गांधी जी ढाई म नमक कानून ताड़ने के लिए अहमदाबाद से रवाना हुए। महात्मा जी के साथ ७४ आश्रमवासी थे। वे जगह जगह स्फुर कर लोगों का अपना सन्देश मुनाते। ढाई की यह यात्रा बहुत प्रसिद्ध हो गयी है और इस यात्रा के पहले, साथ तथा बाद के इश्य इतने भव्य, जोशीले एवं प्रभावशाली थे कि वे वर्णनातीत हैं। ‘मानव जाति व इतिहास म देश-प्रेम की लहर उत्तरी तीव्र कभी भी नहीं उठी थी, जितनी इस महान् अवसर पर। भारत व राष्ट्रीय आनंदोलन के इतिहास म यह घटना एक महान् आनंदोलन के प्रारम्भ के रूप म प्रसिद्ध रहेगी।’ ‘बॉम्बे क्यनिस्ट’ ने वे शुब्द ढाँड़ी मार्चे के सम्बन्ध म लिखे थे।

२४ दिन की यात्रा के बाद महात्मा गांधी पूर्वी अप्रैल को डॉडी पहुंचे और समुद्र के किनारे से कुछ नमक डक्टु बरक उन्होंने नमक कानून भग किया। बस क्या था। सारे देश म नमक कानून तोड़ने की भूम मच गयी जिसम हजारों गांवों और शहरों म रहने वाले भारतीया ने योग दिया। यहाँ हमारा उद्देश्य पाठकों का धरणारा तथा नमक के ग्रन्थ गोदामों पर अहिंसात्मक वालियाँ के धावे, उन्हें तितर-नितर करने के लिए पुलिस की ज्यादितांकों तथा अनेक नेताओं की गिरफ्तारी का इतिहास बताना नहीं है। सारा देश एक प्रकार से धधक-सा उठा और यह आनंदोलन दूर-दूर तक इस प्रकार फैल गया जैसे बृक्षाद्वय मैटान में बैचल पत्तियों की आग फैल जाती है। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद काशे स की वर्किङ्ग कमरी ने शराब की दुकानों तथा विदेशी कपड़े के विक्रय पर प्रतिवाद जगल सम्बन्धी कानूनों की अस्वीकृति तथा कर न देने की नीति अपनायी। आनंदोलन दराने के लिए लॉर्ड इरविन का सरकार ने लगभग एक दर्जन आडिनेंस पास किये। भारी नुर्माने तथा कैद की सजाएँ पिलावाड़ सी बन गयी। लगभग साठ हजार स्त्री पुरुष जेल के अन्दर बन्द कर दिये गये, अनेक स्थानों पर पुलिस की गोली चलने के कारण सैकड़ा व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और इससे बड़ी सख्ती म लोग घायल हुए। प्रश्ननाशियों सथा कानून का विरोध करने वाली जनता से निवाटने के लिए पुलिस न लाटियों का अक्तर प्रयोग किया। लेकिन पाश्चिम शक्ति के आगे राष्ट्रीय भारत भुक्त नहीं, आनंदोलन दराने के लिए पुलिस दृस्तमक उपायों का जितना ही प्रयोग करता, आनंदोलनकारियों का उतनी ही अधिक शक्ति मिलती। बैत्र मिलर, जॉर्ज

न्लोकाम्य तथा ब्रेल्सफोर्ड जैसे विदेशी संपर्क द्वातांत्रा ने अपने पत्रों को जो रिपोर्ट भेजी वे भारत के लोगों हारा प्रदर्शित आश्चर्यजनक प्रतिरोध शक्ति की ज्वलन्त प्रभावण है। उस जादूगर महान्मा गाँधी ने निर्वौन हड्डियों में भी नयी जान फूँक दी। भारतीय स्वातन्त्र्य के युद्ध में भारतीय नियंत्रा द्वारा लिये भाग पर भी कुछ कहना अत्यावश्यक है। विदेशी वपडों के विद्युतीय विविधकार में इतनी अधिक सफलता रेखा, इसी लिए मिली कि विदेशी वपडों के यरोदारों से अपाल करने का देश सेविकाओं का दृग यद्वा ही मौम्य एवं हृदय-हारी था। उन्हें वम्प भी वेसरिया रंग के होते जानसे त्वाग तथा वैराग्य का छद्देश मलता। विदेशी वपडों के व्यापारी प्रशसा के पात्र हैं क्योंकि अपनी हानि को उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक सहन किया।

गोलमेज़ कान्फ्रेंस— ऊपर यह कहा जा चुका है कि सम्भावित गोलमेज़ कान्फ्रेंस के सम्बन्ध में बादसराय ने यह विश्वास दिलाने में अपनी असमर्थता प्रकट की कि वहाँ भारत के लिए एक श्रीपनिवेशिक विधान का निर्माण होगा, कायेस ने इसलिए उसमें भाग न लेना निश्चित किया। बादसराय की घोषणा के बाद जो सामर्लित बहुत्य प्रकाशत किया गया उसकी शर्तों पर कोई आश्वासन न पाने पर भी नरम टल के नेताओं ने लन्दन जाना निश्चित किया। सरकार ने कायेस को भी समझाने का प्रयत्न किया। बग सविनय अवश्य न्यान्दोलन अपनी पूरी गति में था, नरकार ने अपने तथा कायेस के बीच समझौते का बढ़ा प्रयत्न किया लेकिन कायेस की मोर्गे स्वीकृत न हाने के कारण ये प्रयत्न असफल रहे। इस प्रकार २ नवम्बर १९३० में आरम्भ होने वाली गोलमेज़ कान्फ्रेंस में कायेस का कोई प्रतिनिधित्व न हुआ। कार्यवाही में भाग लेने वाले ८६ व्यक्तियों में १३ तो तीनों ब्रिटिश राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि, भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले १६ भारतीय राजे तथा ४७ ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे। भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल म देश के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, विभिन्न साम्प्रदायिक तथा वर्गत द्वितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसके सभी सदस्य बादसराय द्वारा नियुक्त थे। इनकी नियुक्ति में केन्द्रीय तथा प्रातीय भारासभाओं की भी राय न ली गयी थी। सेण्ट जेम्स देरे राजमहल में राजे-महाराजे, अक्षुत, हि दू, नमलमान, सिक्स, इंसाई, जर्मीनियों तथा व्यापार-सघों के प्रतिनिधि, सभी एकत्रित हुए लेकिन भागतमाता के प्रतिनिधि वहाँ न थे।^{१५} भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों को चुनने के इस दृग का काफ़ौस के कायों पर प्रभाव अवश्य पड़ता। भारतीय स्वतन्त्रता ने हितों का ध्यान रखने के बदले दूसरे विभिन्न द्वितों का ध्यान रखा गया था। भारत के भविध का प्रश्न ब्रिटिश सरकार के हाथों में छाड़ दिया गया था।

गोलमेज़ का फ्रैंस का पहला अधिवेशन १६ जनवरी १९३१ को समाप्त हुआ। इस अधिवेशन में भारत की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर

* ब्रेल्सफोर्ड, सब्जेक्ट इंडिया, पृष्ठ ३६।

सघ-शासन का सिद्धान्त सबसे ग्रधिक उपयुक्त समझा गया। प्रान्तीय चैत्र में मनित्व-सम्बन्धी उत्तरदायित्व (ministerial responsibility) तथा कुछ अभिरक्षण (reservations) तथा सरक्षण (safeguards) के साथ केन्द्र में द्वैष शासन का सिद्धान्त निश्चित किया गया। भारत के लिए सभावित विधान के सम्बन्ध में विटिश प्रधान मन्त्री ने निम्नलिखित घोषणा की :

“सम्राट् की सरकार का दृष्टिकोण यह है कि भारत की सरकार का उत्तरदायित्व प्रान्तीय तथा केन्द्रीय विधान समाजों पर होना चाहिये; साथ ही साथ अन्तरिम समय में कुछ चर्तव्यों को पूरा करने तथा कुछ विशेष परिविधियों से निवारण के लिए भी एक वैधानिक धारा होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के ग्रधिकारों तथा स्वतन्त्रता की रक्षा का भी पूरा प्रबन्ध रहना चाहिये।”

“अन्तरिम समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बनाई गयी कानूनों सांचधानियों के सम्बन्ध में सम्राट् की सरकार का यह देसना पहला चर्तव्य होगा कि सुरक्षित शक्ति (Reserved Powers) की योजना इस दृष्टि से की जाय कि नये विधान द्वारा अपनी सुरकार का भार सवय लेने की प्रगति में कोई अव्यवहार न पड़े।”

उन्होंने आगे यह भी कहा कि “वर्तमान समय में सविनय अवज्ञा आनंदोलन में लगे व्यक्तियों से वाइसराय की अपील का यदि कोई अनुकूल उत्तर मिलेगा तो उनकी सेवाओं से लाभ उठाने के लिये कार्रवाई की जायगी।”

विटिश प्रधान-मन्त्री की उपरोक्त घोषणा पर महात्मा गांधी तथा वर्किंग कमेटी के सदस्यों द्वारा अच्छी प्रमार से विचार-विनिमय करने के लिए वाइसराय ने वर्किंग कमेटी पर लगाया गया प्रतिबन्ध हटा लिया और उसके सदस्यों का मुक्ति की आज्ञा देंदी। वे १६३१ की २६ जनवरी को छोड़ दिये गये। वाइसराय से समझौता करने के लिए काप्रेस की वर्किंग कमेटी ने महात्मा गांधी को एक राजदूत के ग्रधिकार दे दिये। महात्मा जो वाइसराय के साथ समझौते के कार्य में लग गये जो काफी दिनों तक चलता रहा। अन्त में उन लोगों ने एक पैकट बनाया जिस पर पाँच मार्च को हस्ताक्षर किये गये। इसके विस्तृत वर्णन में हमें नहीं पढ़ना है। वेवल इतना चलता देना पर्याप्त है कि इस समझौते के परिणामस्वरूप काप्रेस ने सविनय अवज्ञा आनंदोलन बन्द कर दिया और उसने द्वितीय गोलमेज बाफ्फोन्स में समिलित होने का निश्चय किया। इससे काप्रेस की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में सचमुच चूदि हुई और सविनय अवज्ञा आनंदोलन की ग्रन्ति परीक्षा में उत्तर्यां होने के कारण सारे राष्ट्र का नैतिक उत्थान हुआ। दुसरे दस बात का है कि पहिले मोतीलाल नेहरू की, जिन्होंने स्वातंत्र्य संग्राम में महत्वपूर्ण भाग लिया था, समझौता होने से पहले ही मृत्यु हो गयी।

भारत के बादसराय के रूप में लार्ड इरविन के बल दूसरे वर्ष तक रह गये होते और इंडिलैंड की सरकार में यदि कोई परिवर्तन न हुआ होता तो बहुत सम्भव था कि महात्मा गांधी तथा लार्ड इरविन में हुए समझौते से भारत तथा इंगलैंड के बीच स्थायी सहानुभूति उत्पन्न हो गयी होती और भारत की वैधानिक समस्या का हल भी भारत ने ही अनुकूल हो गया हाता। लेकिन लार्ड इरविन की बगद पर लार्ड वेलिंगडन भारत के बादसराय हुए और इंगलैंड में एक अनुदार अर्थात् कजबैटिव सरकार बन गयी। मिठो वेजुड बेन की बगद सर सेमुल्गल होर भारत-मन्त्री बने। इन परिवर्तनों ने दोना देशों की परिस्थितियों में बड़ा अन्तर उपस्थित कर दिया। भारत में कांग्रेस के लोगों की यह शिकायत थी कि सरकारी अधिकारी गांधी इरविन समझौते की शर्तों का पालन नहीं करते। नये बादसराय महात्मा जी के अनुकूल न पड़े। परिस्थितियों की विप्रमता तथा सफलता की आशा न होते हुए भी दूसरी गोलमेज कान्फ्रैंस में सम्मिलित होने के लिए महात्मा जी २६ अगस्त १९३१ को इंगलैंड के लिये रवाना हुए।

द्वितीय गोलमेज कान्फ्रैंस— गोलमेज कान्फ्रैंस का दूसरा अधिवेशन १४ सितम्बर तथा पहली दिसम्बर १९३१ के बीच उस समय हुआ जो ग्रेट-ब्रिटेन के इतिहास में बड़ा ही विषय काल था। मजदूर सरकार ने इस्तीफा दे दिया था; उसकी बगद राष्ट्रीय सरकार ने ले ली थी जिसकी रक्खने टोरियों की ओर अधिक थी। अक्टूबर १९३१ के साधारण चुनाव के बारण 'हाउस ऑफ वॉमन्स' में अनुदार तत्व बड़ा प्रभावशाली बन गया। ये परिवर्तन भारतीय दृष्टि से एकदम प्रतिकूल पड़ गये, भारत से सहानुभूति रखने वाले सदस्य पांच घड़ पड़ गये और इसका विरोध करने वाले लोग प्रभावशाली बन गये। जो प्रयाह पहिले अधिवेशन में व्याप्त रहता था वह अब दूसरे में न था, त्रिटिय प्रतिनिधियों का रूप एकदम बदल गया था। इन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने कान्फ्रैंस की कार्यवाही में भाग लिया।

कान्फ्रैंस का प्रमुख उद्देश्य इंडिलैंड तथा भारत के बीच के भगडे का निपटारा और भारत की वैधानिक समस्या का एक हल निकालना था। चीजें कुछ इस प्रकार गढ़ी गयी थीं कि साम्प्रदायिक समस्या रास्ते में अवश्य आ जाय। वैधानिक समस्या का तो अलग लोक दिया गया और भारतीय पौंगों को अनुप्युक्त ठहराने के लिए एक छोटी समस्या को प्रधानता दी गयी। महात्मा गांधी साम्प्रदायिक समस्या मुलभाने पर तुले हुए थे, या फिर उसे भविष्य के लिए टाल देना चाहते थे ताकि भारतीय प्रतिनिधि-मडल अङ्ग्रेजों को हटाकर स्वराज-प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकता। लेकिन उनके प्रयत्न असफल रहे। भारतीय प्रतिनिधि-मडल का निर्वाचन ही इस प्रकार किया गया था कि साम्प्रदायिक समस्या का हल असम्भव बन गया। इसमें व्यक्ति भी सम्मिलित थे जिनका काम ही साम्प्रदायिक विरोध करना था। जो

व्यक्ति साम्राज्यिक समस्या की और तर्कसंगत रूप रूप भक्ते तथा उसके नियंत्रण के लिए जी-जान से प्रथल बर सक्ते थे, कान्फ्रैंस में उनकी कमी नियुक्ति ही नहीं हुई। डा० अन्त्सारी जैसे व्यक्तियों को इसमें समिलित करने के प्रयत्न असफल रहे। विभाजन द्वाय शासन करने की नीति रखने वाले प्रियिंश यज्ञनीतिश पीछे से अड़गा-लगा रहे थे और इसलिए साम्राज्यिक समस्या का हल और भी बढ़िए हो गया। विभिन्न बगों के प्रतिनिधियों द्वाय की गयी माँगों का आपस में मेल नहीं बैठता था। पजाब और बगाल में मुसलमान अपना बहुमत तथा उन प्रान्तों में सख्ता से अधिक स्थान (Excessive Weightage) चाहते थे जिनमें वे अल्पसख्त थे। वे केंद्र में एक-तिहाई प्रतिनिधित्व भी चाहते थे। सिक्ख पजाब में उसी प्रकार सख्ता से अधिक स्थान (Weightage) चाहते थे जिस प्रकार मुसलमानों को आसाम, गुजरात, उत्तर-प्रदेश तथा मध्यास में मिला था। 'बेटेज' के लिए तिक्का के दावे तथा हिन्दुओं के अधिकारों के साथ मुसलमानों को पजाब में बहुमत की माँग के साथ यूरोपियनों के 'बेटेज' का मेल नहीं बैठता था। दलित बगों ने भी दूसरों की देतादेती अपने लिए अलग प्रतिनिधित्व की माँग की। ऐसा बातावरण जिसमें राष्ट्रीय हितों का ध्यान न रख कर सभी अपने-अपने लिए अधिक से अधिक अधिकारों की माँग करते हो, ऐसी जटिल समस्याओं के हल के अनुकूल नहीं पड़ता। यदि महात्मा गांधी अपने प्रयत्नों में असफल रहे तो उसमें कोई आशचर्य नहीं है। मुस्लिम महसूसों की इस बिट्ठने के किना अपनी माँगों की पूर्ति के बैधानिक बाद विवाद में भाग न लेंगे, और भी अड़गा लगा दिया। मुसलमानों ने प्रतिक्रियावादी प्रियिंश हितों के साथ मेल कर लिया जिसका अत शरारतभरी अल्पसख्ती की सन्धि (Minorities Pact) में हुआ। लायलिस्टों (Loyalists) की एक गुप्त गश्ती चिन्ही से, जिसमें प्रियिंश हितों के भारतीय प्रतिनिधि मिं० बै-थल की भी राय सार्वालित थी, नीचे एक अश उद्घृत किया जा रहा है जो उस शर्मनाक तरीके पर प्रकाश डालता है जिससे गोलमेज कान्फ्रैंस में साम्राज्यिक समस्या मुलझाने के प्रयत्न में राहे अटकाये जा रहे थे, 'मुसलमानों का गुट बड़ा ही पक्का और जोशीला था'। उन्होंने अपना काम करने में बड़ी चतुरता दिखायी। उन्होंने इसे पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया और उसे अच्छी प्रसार निभाया भी। इसके बदले म उन्होंने इससे उनकी बगाल में आर्थिक दीनता न भूलने के लिए कहा और साथ ही साथ उन्होंने हमसे यूरोपियन फर्मों में भी स्थान दिलाने की ग्राह्यता की ताकि आर्थिक दशा में सुधार करके वे अपनी जाति को मध्यूत बना सकें। चुनाव के बाद सरकार के दाहिने पक्के ने कान्फ्रैंस समाप्त करके काप्रेस से लड़ने का निश्चय किया। इसलिए जो मुसलमान बैन्ड में उत्तरदायित्व नहीं चाहते थे उन्हें नहीं

प्रसन्नता हुई हमने अपने मन म सोच लिया था कि काग्रेस से युद्ध अनिवार्य है, हमने यह अनुभव किया कि सर्वपंचताना शीघ्र हो उतना ही अच्छा है लेकिन हमने यह भी सोच लिया था कि शानदार विजय के लिए हम सभी समझ मित्रों का अपनी ओर कर लेना चाहिए। मुसलमान तो हमारी ओर थे ही, इसने अतिरिक्त अल्प सख्यक सधि तथा गवर्नमेंट की सामाजिक समझ में यह आश्वासन दे ही दिया था। राजे तथा अल्पसख्यक भी हमारी ओर थे मुसलमान यूरोपियनों के पक्षे मित्र नन गये हैं। वे अपनी स्थिति से स्तुष्ट हैं और हमारे साथ काम करने के लिए प्रस्तुत। १५ यदि मुसलमान प्रतिनिधियों का दूसरा दल आमनित विद्या गया होता तो ऐसा गेंठब घन असम्भव था। इन चालाकियों का आत्म परिणाम यह हुआ कि अल्पसख्यक उपसमिति साम्राज्यिक समस्या मुलाज्ञाने में असफल रही। यह मामका प्रधान मन्त्री के हाथ म छोड़ दिया गया। गवर्नमेंट ने इस रुमस्या का नियाकरण साम्राज्यिक निर्णय (Communal Award) के रूप में किया। साम्राज्यिक निर्णय कुछ बगों के एकदम अनुकूल था और कुछ के एकदम प्रतिकूल। इसका विस्तृत विवेचन ग्रन्थ बातों के सम्बन्ध में होगा।

दिल्ली के पारस्परिक समझौते का हा स्थायी समझौते का रूप देने महात्मा जी इङ्गलैंड गये थे। वे असफल रहे। परिस्थितियाँ उनके मुकाबिले अधिक शक्ति शालिनी सिद्ध हुई। अपने स्वास्थ्य म सुधार के लिए वे इङ्गलैंड में एक महाने या उससे भी अधिक दिनों तक रुकना चाहते थे। लेकिन भारत में काम करने वाले उनके साथियों ने उन्हें शीघ्र ही खुला लिया क्योंकि यहाँ परिस्थितियाँ विषमतर होती जा रही थीं। अपनी योरपन्थाना समाप्त कर महात्मा जी शीघ्र ही खाली हाथ भारत लौट आये।

तृतीय अहिंसात्मक प्रतिरोध (Third Struggle)— महात्मा जी ने इंगलैंड में भी कुछ भी देखा और अनुभव किया उहसे उन्होंने यह धारणा बना ली एक श्रिवश्च-सरकार तथा काग्रेस के रास्ते भिन्न हैं। जब वे २८ दिसम्बर १९३१ को बम्बई में उतरे तो उन्हें लाई विलगड़न की सरकार द्वारा उपरियत की हुई एक भद्री परिस्थिति का सामना करना पड़ा। बगाल, उत्तर प्रदेश तथा पार्श्चमोत्तर सीमा-प्रान्त म दमन चल रहा था। महात्मा गांधी से मिलने बम्बई जाते समय खान अब्दुल गफ्फार खां, प० बवाहरलाल नेहरू तथा शेरधानी सहब गिरपतार कर लिये गये। नियति पर विचार करने तथा कठिनाइयों के मध्य एक रास्ता निकालने के द्वेष से महात्मा गांधी ने बादसराय से मुलाकात करना चाहा लेकिन सरकार ने तो दिल्ली के समझौते वो बेकार करने तथा काग्रेस के साथ मुलाह न करने की टान रखी था, इस

* 'नॉन-वॉयलेट नान कोअपरेशन' म सरदार शाहूलसिंह कर्बाश्वर द्वारा दृष्टि, पृष्ठ २४६।

लिए मुलाकात पर अपमानपूर्ण शब्दों लाद दी गयी। मुलाकात की सुविधा देने से पहिले सरकार ने मदात्मा जी को सहयोगियों से समर्व तोड़ देने की आशा दी। यदि मदात्मा जी इस शर्त को स्वीकार कर भी लेते तब भी, शान्ति भ्यापित करने के लिए सरकार ने जिस उपाय से काम लिया था उम पर कोई विचार विनिमय न हो सकता था। सरकार काग्रेस की एक पाठ पढ़ाने पर तुल गयी थी। ऐसे परिस्थिति में काग्रेस की बर्किङ्हॉ कमेटी ने एक लम्बा प्रस्ताव पास किया जिसमें राष्ट्र को सविनय अवज्ञा आनंदोलन तक तक जारी रखने का आदेश दिया गया जब तक उम्ही मौंगों का सरकार कोई उपयुक्त उत्तर न दे दे। इन मौंगों के उत्तर में अनेक आर्डिनेन्स जारी कर दिये गये। ये आर्डिनेन्स उसी समय से बन कर तैयार रखे थे जब लटन में गोल मेज काफ़े से ही रही थी। महात्मा गांधी, बर्किङ्हॉ कमेटी के सदस्य, तथा अन्य लोग गिरफ्तार कर लिए गये और त्रिना मुकदमा चलाये जैल में बन्द कर दिये गये। सविनय अवज्ञा आनंदोलन से निवारने ने लिए लॉर्ड विलिंगडन की सरकार ने नवी चालों का प्रयोग किया। सरकार ने पहिला घार किया और आनंदोलन के प्रारम्भ से ही इसने पड़ा कड़ा रुख धारण कर लिया। काग्रेस कमेटियाँ प्रत्येक प्रान्त में गैर कानूनों घोषित कर दी गयी और उनके नेता गिरफ्तार कर लिए गये। काग्रेस-आश्रमों तथा दूसरों पर सरकार ने अधिकार जपा किया और उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी। डाकखानाओं तथा तारधरों का प्रयोग काग्रेस वे लिए रोक दिया गया और प्रेम पर बहुत सत्त बङाई कर दी गयी। सरकार का डरादा बेबल काग्रेस-सुरक्षा की तोड़ने तथा आनंदोलन को दबाने का ही न था, वह जनता को भी आतंकित तथा पतिर कर देना चाहती थी। इस उद्देश्य से अनेक वस्तियों पर सामूहिक रूप से जुर्माना लाद दिया गया और लोगों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों सहन करने के लिए विवरण किया गया। कहा जाता है कि लॉर्ड विलिंगडन ने काग्रेस को छु: सप्ताह के भीतर ही कुचल डालने की गवोक्ति की थी। फिर भी, यह आनंदोलन डेढ़ वर्ष तक चलता रहा। भारतीयों को इस बात का अद्य है कि तमाम ज्यादतियों के बावजूद भी उन्होंने हिसात्मक उत्तरों का प्रयोग नहीं किया। समान्तर-पत्रों पर प्रतिवन्ध लग जाने के कारण काग्रेस ने कुलेटिनों तथा रोडियो का सहारा लिया और एक जगह से दूसरी जगह तथा एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में खबरें भेजने वे लिए स्वयं प्रबन्ध किया। विदेशी कपड़ों तथा ब्रिटिश माल के बहिकार पर काग्रेस ने अधिक जोर दिया और इसमें उसे महत्वपूर्ण सफलता मिली। काग्रेस का अधिकेशन अपने स्वामानिक रूप में करने की सरकार ने आशा न दी इसलिए १९३२ तथा १९३३ के काग्रेस-अधिकेशन नम से दिल्ली तथा कलकत्ता में हुए। इस तीसरे मोहर में लोगों ने जितना कष्ट तथा परेशानियाँ सहन की, वे विद्वाली रभी लडाई से बढ़ गयी। अनुमान किया जाता है कि लगभग एक लाख व्यक्तियों ने गिरफ्तारी तथा सजा काटी। लोगों पर व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अधिक जुर्माना लाद दिया गया, कभी कभी तो इन जुर्मानों की

सख्त चार या पाँच अको में होती। पाश्विक तथा आत्मिक शक्तियों के बीच की लड़ाई का विस्तृत बर्णन आवश्यक नहीं है। एक और या अत्याचार तथा पाश्विकता का व्याप्तिक कठोर अद्वाप, दूसरी और त्याग और कष्ट-सहन की चरम सीमा।

भारत में जब अहिंसात्मक प्रतिरोध चल ही रहा था, १७ अगस्त १९३२ की त्रिपुरा प्रधान मन्त्री ने सामग्रीयिक समस्या पर अपने निर्णय की घोषणा की। इस घोषणा की अनेक आपातिजनक बातों में एक ज्ञात यह भी थी कि इंगलैण्ड के अधिकारियों को महात्मा जी की चेतावनी के बाबजूद भी इसने दलित बगों के लिए अलग निर्वाचन-चेत्रों की व्यवस्था की। महात्मा जी की चेतावनी पर कोई ध्यान न दिया गया। दलित बगों को हिन्दू समाज से अलग करने के इस प्रयत्न पर महात्मा जी ने मृत्युपर्यन्त उपवास आरम्भ कर दिया। त्रिपुरा-उरकार निर्णय की शर्तों को तब तक नहीं बदल सकती थी जब तक इससे सम्बन्ध रखने वाली पाठियों में समझौता न हो जाय। उपवास के परिणामस्वरूप प्रसिद्ध 'पूना पैकट' बना जिसमें समिलित निर्वाचन-चेत्रों के साथ-साथ दलित बगों की सीटें दोहरे चुनाव की व्यवस्था के साथ सुरक्षित कर दी गयीं। समझौते के विस्तार में जाना इस अवसर पर आवश्यक नहीं है। इस बात का यहाँ इसलिए जिक कर दिया गया है कि इसी से १९३३ में गाँधी जी को २१ दिन के उपवास की प्रेरणा हुई। अपनी तथा अपने साथियों की शुद्धता और हरिजनों की भलाई के कार्य में सतत सतर्कता तथा जागरूकता के लिए ही गाँधी जी ने यह उपवास किया। उपवास मर्द को प्रारम्भ हुआ और उसी दिन महात्मा जी जिन शर्त के रिहा बर दिये गये। गाँधी जी ने उस समय के कामेस समाप्ति को सविनय अवश्य आनंदोलन छु: सप्ताह तक रोक देने की सलाह दी और सरकार से राजनैतिक बन्दियों को छोड़ देने की प्रार्थना की। आनंदोलन पहले छु: सप्ताह के लिए और इसके बाद फिर छु: सप्ताह के लिए ऐसा गया लेकिन सरकार ने राजनैतिक बन्दियों को तब तक न छोड़ने का निश्चय किया जब तक आनंदोलन पूर्ण रूप से स्थगित न कर दिया जाय। आनंदोलन को केवल कुछ दिनों के लिए रोक देने से ही सरकार को सन्तोष न हुआ। २४ जुलाई को गाँधी जी ने उस समय कार्यमार समाप्तने वाले खांपेस समाप्तिको सामूहिक के स्थान पर अवक्षिप्त सविनय अवश्य प्रारम्भ करने की सलाह दी। उन्होंने स्वयं अपना साचरमती आश्रम बन्द कर दिया और खेत जिले के रास नामक गाँव में अतिथिगत सविनय अवश्य प्रारम्भ करने का निश्चय किया। उन्होंने अन्य लोगों को भी ऐसा ही करने का आदेश दिया। वे गिरफ्तार कर लिये गये और एक साल के लिए यवदा जेल में ढाल दिये गए। लेकिन २३ अगस्त को वे स्वस्थ-सम्बन्धी करन्ती से रिहा बर दिये गए। गिरफ्तारी, उपवास, रिहाई, और फिर गिरफ्तारी के इस भ्रमणे की प्रतिष्ठा-विरुद्ध समझौते उन्होंने नैतिक कारणों से राजनैतिक कारणों से अलग रहना तथा अपनी शक्ति एवं समय को सामाजिक, विशेषतः हरिजन-कारों में लगाने का निश्चय किया।

हरिजन सेवा से प्रेरित होकर उन्होंने सारे देश का दैरा किया। निहार का भयकर भूक्षप उन्हें उस प्रान्त में खींच ले गया। वहाँ अपने सहयोगियों से उन्होंने खूब विचार-विनिमय किया। इस चातचीत, हृदय मथन तथा ईश्वर के आहान के परिणामस्वरूप वे इस नतीजे पर पहुँचे कि सर्विनय अवज्ञा की सारी जिम्मेदारी उन्हें अपने कंपर से लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने राष्ट्र को व्यक्तिगत सर्विनय अवज्ञा बढ़ करने का आदेश दिया।

इसी बीच कुछ थाएँ सजन इस विचार के हो रहे थे कि उस समय वर्तमान परिस्थितियाँ के धीर काउन्सिल-प्रवेश (Council Entry) का कार्य कम उपयुक्त पड़ता। शीघ्र ही होने वाला चुनाव लड़ने के लिए पुरानी स्वराज-पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया।

तीसरी गोलमेज़ कान्फ्रेंस— सर सैमुएल होर, उस समय के भारत मनी, गोलमेज़ कान्फ्रेंस का कोई और अधिवेशन करने के पक्ष मन थे। वे स्थान कमीशन योजना के अनुसार भारतीयों का आमन्त्रित करके उनका मामला विटिश पार्लियामेन्ट की एक कमेटी के सामने रखवाना चाहते थे। यही कमेटी भारत का भविष्य निश्चित करती। उदारवादियों का प्रसन्न करने के लिए यह विचार स्थगित कर दिया गया क्योंकि उन्हें यह प्रसन्न न था। इच्छा न होते हुए भी तीसरा अधिवेशन १७ नवम्बर से २४ दिसम्बर १९३२ तक किया गया। चूँकि कॉमिटी अहियात्मक प्रतिरोध में लगी थी इसलिए उसका प्रतिनिधित्व न हुआ। विटिश मजदूर-दल ने भी इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया क्याकि इसके द्वारा नियुक्त सदस्य—मिंट बेजबुड बेन तथा प्रोफेसर लीज स्मिथ—विटिश सरकार को इसलिये अस्वीकार थे क्याकि उसे डर था कि कहीं वे विटिश प्रतिनिधि मण्डल में फूट न पैदा कर दें। पहिले की माँति भारत से वेवल सरकार^{१४} विश्वस्त आदमी बुलाये गये। यद्यैं तक कि हिन्दू महासभा^{१५} द्वारा चुने सदस्यों तथा लिमरल फेडरेशन के प्रेसिडेन्ट को भी आमन्त्रित नहीं किया गया। कान्फ्रेंस ने तीन प्रमुख समस्याओं पर विचार किया। ये समस्याएँ थीं— सरकारण, तथा वे शर्तें जिनके अनुसार भारतीय रियासत संघ में सम्मिलित होती तथा उचित शक्तियों (Residuary Power) का बैंटवार (Allocation)। विटिश भारत के प्रतिनिधि-मण्डल ने एक अधिकार-पत्र (Bill of Rights) भी सम्मिलित करना चाहा लेकिन विटिश अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया।

अधिवेशन की समाप्ति के बाद विटिश सरकार ने एक शैत पत्र के रूप में अपनी याजनाएँ प्रकाशित कीं। ये याजनाएँ भारतीय माँगों में बहुत कम पड़ीं, यहाँ तक कि नरम दल का भी उनसे सन्तोष न हुआ। जिन अधिकारों की प्राप्ति से एक देश को स्वतन्त्र राष्ट्र कहा जा सकता है वे सभी गवर्नर जनरल

वे लिए सुनहित रखे गये, 'विदेशी सम्बन्ध तथा रक्षा-विभाग से जन प्रिय मन्त्रियों का कोई सम्बन्ध न रखा गया। सरकार की शाजमाई अस्तोपजनक तथा निराशा प्रद तो थी ही, बिल वे रूप में जब वे संयुक्त पार्लियामेंटरी कमेटी तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट वे सामने रखनी गयी तो इन सभाओं ने उनमें और भी कमी कर दी। यह सर पार्लियामेंट ने ग्रनुदार (Die Hard) दल को प्रताप करने ने लिए ही किया गया था। १९२८ म साइमन कमीशन को स्थापना से लेकर पार्लियामेंट में निल पर वाद-विवाद हाने तक चलने वाले इस लम्बे मामले का अन्त हुआ १९३५ ने गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट ने रूप म। इस ऐक्ट का विस्तृत विवेचन इस पुस्तक वे दूसरे भाग में है।

अप्रैल १९३४ में अक्तिगत सविनय अवक्षा की बढ़ी से १९४० तक का समय जब कि देश को महायुद्ध म रोचने के कारण कांग्रेस ने इसीके दिये, एक हार्डिंग से बढ़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अवधि में कांग्रेस की नाति म आमूल परिवर्तन हुआ। यह यह था कि १९३७ म उद्यायित नये विधान के अन्तर्गत उसने पद स्वीकार कर लिया। लेकिन कांग्रेस कार्यों के विकास की इस नवी महिम का वर्णन करने से पहिले पुनर्जीवित स्वराज-पार्टी के लोकन की ओर संज्ञित सकेत करना उत्तम ज़ंचता है। यह ध्यान म रखना चाहिए कि १९३३ के अप्रैल के अन्त म होने वाले केन्द्रीय विधान-सभा के चुनाव में भाग लेने के लिए गांधी जी ने कांग्रेसियों के एक ठल को अपनी शुरूच्छाएँ दी थीं। कांग्रेस ने लगभग सभी साधारण सीटों के चुनाव म भाग लिया और उसे अद्वितीय सफलता मिली। पञ्चाब की हुड़ी कर उसने लगभग सभी प्रान्तों के चुनाव में विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत में वाणिज्य की सीट के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता रही। सर पण्डित नेहरू ने चौथी बार विधान सभा परिषद के राजा—यही दो व्यक्ति उनमें चुनाव-घोषणापत्र के प्रधम समर्थकों में से थे। श्री वेंकटनालम चैट्टी के पद में कांग्रेस थी। यह प्रतियोगिता कांग्रेस तथा सरकार यानी ब्रिटेन तथा भारत के बीच थी। निर्वाचन-क्षेत्र या तो छाया ही लेकिन उसमें पढ़े हिस्से समझदार लोग अधिक थे। यह चुनाव देश म और जगहों के चुनावों से पहले रखा गया। आशा यह थी कि इसका अन्य चुनावों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अनेक हार्डिंगों से यह एक परीक्षास्तक प्रतियोगिता थी। बिस इण्डियन नेशनल कांग्रेस को लॉर्ड विलियम ने अपने दमन कारों द्वारा सदैव के लिए समाप्त कर देने की आशा की थी, यह सजीव और शक्तिशाली निकली, इसके उम्मीदवार ने सरकारी उम्मीदवार को बोटों की काफी अच्छी सख्ती से हराया।

व्यवस्थापिका समा में भी काग्रेस का काम काफी अच्छा रहा। असेम्बली के अन्य प्रगतिशील दलों की सहायता से इसने सरकार को कई बार हरया।

१९३७ का चुनाव और उसके बाद— नये विधान के अन्तर्गत प्रान्तीय विधान-सभाओं के चुनाव में भी लूट जमकर भाग लेने का काग्रेस ने निश्चय किया। देश का गतिविधि का भली प्रकार जानने वाले नेताओं का यह विश्वास था कि चुनाव में जीत काग्रेस की ही होगी गो नौकरशाही को इस पर विश्वास न था। उस वर्ष के काग्रेस-राष्ट्रपति पंडित जगाहरलाल नेहरू ने देश का तृपानी दौरा किया और शहरों, गाँवों, खुले मैदान में तथा सड़कों पर किनारे अगणित सभाओं में भाषण किये। लोगों में जोश तथा उत्साह की कमी न थी। स्वराज का सन्देश देश के कोने कोने में पहुँचाया गया। विधान-सभाओं के चुनाव में इससे पांचले इतनी दिलचस्पी कभी भी न दियायी थी। सारे भारत में काग्रेस को जो अमृतपूर्व सफलता मिली उससे उसने विरोधियों विशेषतः ब्रिटिश सरकार के आक्षेप भूठे सिद्ध हुए। ब्रिटिश भारत के ग्यारह प्रान्तों में काग्रेस का बहुमत निकला। दा प्रान्तों में काग्रेस पार्टी सबसे बड़ी अवश्य रही किन्तु उसका पूर्ण बहुमत नहीं था। केवल दग्गल तथा पजाब में काग्रेस कमज़ोर रही। यह ध्यान में रखना चाहिए कि काग्रेस का उद्देश्य नये विधान का अमल में लाना नहीं अपितु दूसरों को इसे उस टङ्ग से कार्य-रूप में परिणत करने से रोकना था जिस टङ्ग से ब्रिटिश सरकार नाहरी थी। काग्रेस का उद्देश्य था विधान की कमर तोड़ देना।

निर्वाचन की लडाई तथा जीत के बाद विधान को तोड़ने के टङ्ग पर बड़ा बाद-विचाद हुआ। कुछ लोग पद स्वीकार करने सरकार के भीतर बुसकर लडाई के पक्ष में थे और कुछ लोग काग्रेस को पद-स्वीकृति की सलाह न देकर उसे बाहर ही रखना चाहते थे ताकि वह दूसरों को विधान चलाने से रोक सके। महात्मा गांधी ने इस झगड़े में बाच-नचाव किया और काग्रेस को पद स्वीकृति की सलाह दी चशतें के दिन-प्रति दिन वे शासन में गवर्नर अपनी विशेष शक्तियों (Special powers) का प्रयोग न करें। प्रारम्भ में तो यह आश्वासन नहीं दिया गया लेकिन कई महीने की अतीक्षा के बाद गवर्नर बनरेल ने एक घोषणा की जिसमें काग्रेस की माँगे-अप्रत्यक्ष रूप से त्वाकार की गयी। ग्यारह में आठ प्रान्तों में काग्रेस ने जुलाई १९३७ में मन्त्रिमण्डल बना लिये। सिन्ध के मन्त्रिमण्डल-निर्माण में भी काग्रेस का हाथ रहा। इच्छा होने पर वह दग्गल में भी महत्वपूर्ण भाग ले सकती थी। केवल पजाब में काग्रेस की उपेक्षा अवश्य हुई। शासन चलाना काग्रेस ने लिए एक नया अनुभव था फिर भी इसने यह कार्य अच्छी प्रकार निभाया। इसने जनता को आत्म-सम्मान तथा आत्म विश्वास की एक नयी भावना दी। जब मुस्लिम लीग ने यह शिकायत की कि दो वर्षों के काग्रेसी शासन में अल्पसंख्यकों पर बड़ी व्यादियों की गयी थीं तो उनसे सम्बन्ध रखने वाले प्रान्तीय गवर्नरों ने काग्रेसी मन्त्रियों के काम करने के शानदार और कुशल तरीके की

बड़ी प्रशस्ता की। लेकिन यूरोप में द्वितीय महायुद्ध की घोषणा के साथ-साथ भारतीय नेतृत्व में चलने वाला यह प्रगतिशील शासन १९३६ के अंत में एकाएक समाप्त हो गया। लड़ाई में सहयोग के प्रश्न को लेकर कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने इस्तीफा दे दिया। इन मन्त्रिमण्डलों के इस्तीफा देने के कारणों तथा परिणाम का विवेचन विस्तृत रूप से हाना चाहिये।

यूरोपीय महायुद्ध और उसके बाद— महायुद्ध का घटका जैसे ही इन्हलैड पहुँचा, चैम्बरलेन की सरकार ने भारत के साथ बैसा ही बर्तीब किया जैसा ब्रिटिश-सरकार ने उसके साथ अतीत में अनेक बार किया था। अगस्त में भारतीय पौर्जे ईजिन, अदन तथा सिंगापुर भेज दी गयीं। चीजों को गुप्त रखने की आवश्यकता थी इसलिए बोट, बाद विवाद तथा भारतीय जनता के किसी भी प्रतिनिधि की राय लिये जिन अधिकारियों ने अपने इच्छानुसार कार्य किया। सरकार ने भारतीय सिपाहियों को समार में उसी प्रकार धुमाया जिस प्रकार शतरज के खेल में प्यादों को इधर उधर धुमाया जाता है हालांकि इस लड़ाई से भारतीयों का कोई विशेष सम्बन्ध न था। उसी प्रकार जिधान सभाओं की सलाह लिये जिन ही बाइसराय ने भारत को बिन-राष्ट्रों के पक्ष में घोषित बर दिया। इण्डियन नेशनल कांग्रेस के रूप में राष्ट्रीय भारत ने उसकी राय के जिन कार्य करने के इस दृग का चड़ा विरोध किया कर्योंकि यह चीज उसके आत्मनौरव के विषद् पड़ती थी। कांग्रेस ने यह घोषित कर दिया कि लड़ाईया शान्ति के मामले में कोई भी विदेशी सत्ता अपना निर्णय भारत पर नहीं लाद सकती। मानवता के भविष्य के लिए सप्लाइ ने भारत को महायुद्ध में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। नास्तीशीद तथा फासिस्ट-बाद का विरोध करते हुए भी भारतीय राष्ट्र ने इस निमत्रण का बहुत सकोच के साथ और कठु उत्तर दिया। देश ने ऐसे ही एक निमत्रण का १९३४ में जो उत्तर दिया था वह बड़ा ही सहानुभूति एवं सौहार्दपूर्ण था। लॉर्ड रीडिंग तथा लॉर्ड विलिंगडन ने राष्ट्रीय आनंदोलन को जिस दृग से कुचलने का प्रयत्न किया था तथा इंगलैंड की सरकार ने भारतीय समस्या को गोलमेझ काफ़ैन्स से पहिले तथा बाद में जिस रूप से सुलभने का प्रयास किया था, उसका परिणाम अब स्पष्ट हुआ। भारत ने परतन्त्र होते हुए नेशनल कांग्रेस दूसरों की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने के लिए प्रस्तुत न थी। लेकिन देश के राजनैतिक नेताओं ने ग्रेट ब्रिटेन की मुसीबत से नीचतापूर्ण लाभ न उठाने तथा लड़ाई के प्रयत्नों का विरोध करके देश में इतनी जल्दी राजनैतिक उथल-पुथल न मचाने का निश्चय किया। कांग्रेस ने अपने सदस्यों को देन्द्रीय विधान सभा से इटा लिया। बाद में इसने ब्रिटिश सरकार से युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने के लिए कहा और उसे उसके प्रयत्नों में पूरे सहयोग का आश्वासन भी दिया यदि लड़ाई का उद्देश्य लोकतन तथा लोकतन पर आधारित व्यवस्था की रक्षा करना हो। लेकिन यदि युद्ध साम्राज्यवादी उहै श्यों से प्रेरित हो तो इसने इससे

अपने हर प्रकार के सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा कर दी। भारत ही सारी समस्याओं का केन्द्र बना दिया गया। यदि ग्रेट प्रिटेन लर्मनी के साथ लोकतन के सिद्धान्तों की रक्षा के लिए लड़ रहा था तो उसे भारत में पूर्ण लोकतन की स्थापना के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिये था। इसका यह अर्थ नहीं कि कांग्रेस भारत के लिये सुदूर के दौरान में ही एक नये विधान की माग कर रही थी, हालाँकि यह चीज़ कोई ग्रामावहारिक न समझा जाती। कांग्रेस की वास्तविक इच्छा यह थी कि एक संविधान परिषद् की सहायता से अपना विधान स्वयं बनाने के भारतीय जनता के अधिकार को सरकार स्थीकार करे। लेकिन इसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार की बेबज़ प्रतिशाऊओं से ही भारत समुद्र नहीं होगा, इसकी माँग थी कि अपने बाटों की सत्यता प्रमाणित करने के लिए सरकार-निकट भविष्य में ही कोई महत्वपूर्ण कठम उठाये। भारतीय लोगों को अपनी प्रतिशाऊओं की सत्यता का विश्वास दिलाने के लिए सरकार एक चाम यह कर सकती थी कि वह केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर देती। १९३६ के छठमवार के मध्य में कांग्रेस की चर्चिङ्ग कमेटी ने अपने लम्बे, स्पष्ट तथा गौरवपूर्ण प्रस्ताव में इन माँगों को स्पष्ट किया।

विदिशा-सरकार युद्ध-सम्बन्धी अपने उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा से बचना चाहती थी। विटेन के प्रधान मन्त्री ने एक बार यह घोषणा की कि युद्ध-सम्बन्धी उनका फिलहाल उद्देश्य था अपनी रक्षा। मंत्रिमण्डल के दूसरे मन्त्री ने वह कि विटेन का उद्देश्य लड़ाई जीतना था। मिठो विस्तृत चर्चिल ने अपने एक बाट के बहुत्य में इस बात पर जोर दिया कि अतलान्तक घोषणा भारत पर लागू न होगी और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे समाज के प्रधान मन्त्री इसलिए नहीं बने थे कि सम्भाज्य का खात्मा कर दालें। इन बातों से यह स्पष्ट हो गया कि विदिशा सरकार भारत को वह स्वतन्त्रता देने वे लिए प्रस्तुत नहीं थे जो उसका जन्म सिद्ध अधिकार था तथा जिसकी प्राप्ति के लिए उसके सैकड़ों सपूता ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी तथा इजारा पुरों एवं पुत्रियों ने हर प्रकार के कष्टों तथा दुःखों का सामना किया था। वाइसराय महोदय ने एक पूर्वगामी वायसराय की घोषणा उद्धृत की जिसमें यह कहा गया था कि 'भारतीय प्रगति का मुख्य उद्देश्य था श्रौपनिवेशिक पद की प्राप्ति'। कांग्रेस की इस माग पर कि अपने लोकतन प्रेम का विटेन सक्रिय रूप में प्रमाणित करे वायसराय ने एक मन्त्रणा-महल जिससे वह समय समय पर लड़ाई के सम्बन्ध में बात कर लेते, बनाने की प्रतिशा की। १९३६ में १७ अक्टूबर को प्रकाशित एक श्वेत-न्यंत्र में सरकार ने अपनी भारत-सम्बन्धी नीति स्पष्ट की। कांग्रेस को इससे संतोष न मिल सका। यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध का उद्देश्य लोकतन की रक्षा करना विलुप्त नहीं था और विदिशा सरकार भारतीयों को शासन का अधिकार देने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस को अपने मन्त्रिमण्डलों से इसीपा देने के

लिए कहना आवश्यक हो गया। अपनी मार्गों तथा अधिकारों की उछुचिता न करके ही वह सरकार का साथ दे सकती थी। वह पदासीन भी नहीं रह सकती थी ऐसोंकि इसका अर्थ होता सरकार की उसके युद्ध-प्रयत्नों में सहायता। इसलिए काप्रेस भन्निमन्डलों ने अक्टूबर १९३६ म इस्तापा दे दिया। इस बार गवर्नरों ने अल्पसंख्यकों वाले सहायता से सरकार ननाने का प्रयत्न नहीं किया, और ऐक्ट की घारा ६३ के अनुसार विधान को स्थगित कर दिया और हाईकोर्ट ने अधिकार को छोड़ कर सारे अधिकार स्वयं ले लिये। उछुच समय बाट दो या तीन प्रान्तों में से विधान वो स्थगित करने की घोषणा उठा ली गयी और कम से कम दिखाने के लिए, विधान फिर से लागू हो गया। जाकी प्रान्तों में सलाहकारों की सहायता से गवर्नरों ने शासन स्थग लाया।

काप्रेस-मनिमन्डलों के इस्ताफे के बाद लगभग एक वर्ष अवैत्ति हो गया लेकिन कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हुआ। वर्ष ने लगभग बीच म एक महत्वपूर्ण घटना अवश्य हुई। नावें, हालैंड, वेलिंगम तथा फ्रासे ने पतन से प्रभावित हाकर पड़ित जयाहरलाल नेहरू ने काप्रेस की वर्किङ्ग कमेटी को एक प्रस्ताव पास करने के लिए प्रेरित किया जिसे अनुमार ब्रिटेन को युद्धकालीन सहायता की घोषणा की गयी। महोगी की शर्त यह थी कि भारत-सरकार को भारतवासियों के समक्ष उत्तरदायी नना दिया। जाय दूसरे शब्दों में काप्रेस ने यह भाँग की कि भारत सरकार १९१९ के ऐक्ट के अनुसार बने बेन्द्रीय विधान मठल (इसके सरकारी तथा नामजद सदस्यों को छोड़ कर) के प्रति कानून में नहीं तो व्यवहार में उत्तरदायी हो। यह स्मरण रहे कि पूना-अधिवेशन में पास किया यह प्रस्ताव काप्रेस की शान्ति तथा उसके अहिंगात्मक सिद्धान्तों के विरुद्ध पड़ता था फिर भी उसने सरकार के प्रति स्थियत की ओर प्रस्ताव का पास किया। ब्रिटेन का पक्ष करने वाले 'स्ट्रटसमैन' जैसे समाचार-पत्र ने भी इस प्रस्ताव में कोई अव्याधिकृत तथा खतरनाक चीज़ न देखी और उसने यह विचार प्रकट किये कि 'इस प्रस्ताव की अस्वीकृति से विनाशकारी राजनीतिज्ञता का परिचय मिलेगा जो समय के अनुकूल नहीं है।' सरकार ने काप्रेस की इस उदारता का उत्तर अगस्त योजना के रूप में दिया। इस योजना ने वाइसराय को अपनी कार्यपालिका में कुछ भारतीयों को आमन्त्रित करने, तथा एक युद्ध सलाहकार समिति (War Advisory Council), जिसमें भारतीय राज्यों तथा राष्ट्रीय जीवन के अन्य हितों के भी प्रतिनिधि रहते, नियुक्त करने का अधिकार दिया। इस योजना ने श्रौपनिवेशिक-पद प्रदान करने की प्रतिक्षा भी दुढ़रायी और साथ ही साथ इस बात पर भी जार दिया कि 'स्मार्ट' की सरकार की यह उत्कट इच्छा है कि युद्ध के पश्चात् राष्ट्रीय जीवन के प्रधन तत्वों के प्रतिनिधियों की एक समिति बना ली जाय जिसका कार्य होगा नये विधान की रूपरेखा का निर्माण। इसके अतिरिक्त, अपनी शक्ति के अनुमार सरकार सभी उपयुक्त मामलों के निर्णय में भी शीघ्रता करेगी।' योजना का प्रथम भाग, जिसमें भारतीयों के कार्य-

पालिका में सम्मिलित करने की बात कही गयी थी, काप्रेस को कुछ सीमा तक लाभप्रद अवश्य था, लेकिन यह शक्ति (Power) की उम वास्तविक प्राप्ति से बहुत हल्की चीज थी जिसकी काप्रेस यथार माँग करती चली गया रहे थी। उसने दूसरे भाग का अर्थ या तो विधान परिषद की स्थापना होता या एक दूसरा गोलमेज सम्मेलन। पहले अर्थ से काप्रेस को सतोप हो सकता था, दूसरे से वदाचित् नहीं। लेकिन काप्रेस ने अगस्त-योजना को इसलिए अस्वीकृत नहीं किया कि वह समय की माँग के प्रतिशूल थी प्रतिशूल इसका कारण निम्नलिखित शब्दों में छिपा कहु व्यय था

‘यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत की सुप शान्ति के लिए वह (प्रिटिश सरकार) अपने उत्तरदायित्वों को किसी ऐसी सरकार के हाथ में नहीं देना चाहती जिसे भारत के राष्ट्रीय जीवन के बड़े तथा शक्तिशाली तत्व स्वीकार न करते हों। और वह किसी तत्व को ऐसी सरकार की सत्ता मानने के लिए विवश भी करने के लिए प्रस्तुत नहीं है।’

सीधी तथा सरल भाषा में इन वाक्यों का अर्थ यह है कि मुख्लमान तथा दलित वर्ग जैसे अल्पसंख्यकों को बीटो पावर (Vetoing power) दे दिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अधिसर पर इन अल्पसंख्यकों तथा ग्रेट ब्रिटेन के बड़े मतवालों (die hards) के बीच गैंठ-बन्धन की याद आने पर इस सद्भाव का अर्थ स्पष्ट हा जाता है। सरकार की इस घोषणा ने ग्रेट ब्रिटेन के राजाओं के प्रति उत्तरदायित्व का भी ज़िक किया। १९४० म १८ से २३ अगस्त तक होने वाला वर्षिङ्ग कमेंट की वर्धा मीटिंग में अगस्त योजना पर वोचार किया गया और वह अस्तीकार कर दी गयी क्योंकि इसके तत्वों तथा विटिश सरकार की ओर से किये गये भापणों से यह स्पष्ट हो जाता था कि विटिश सरकार भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों को याजसत्ता देने के पक्ष मन थी। कमेंट ने इस बात पर अफसोस प्रकृट किया कि भारत की सविधानिक प्रगति में अल्पसंख्यकों का प्रश्न एक अत्यत बढ़िन समस्या बना दिया गया। वह समस्या एक ऐसा अजगर थी जो शेष सभी राजनीतिक समस्याओं को छुप जाती।

इस अगस्त योजना के प्रति प्रतिक्रिया के फलस्वरूप महात्मा जी को सविनय आवश्या प्रारम्भ करने का अधिकार दिया गया। धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध जीवन यथा की इस लड़ाई म गाधी जी ने ब्रिटेन को द्वेष वश परेशान न करना चाहा और साथ ही उन्होंने सरार के सामने यह घोषित भी वर दिया कि भारत स्वेच्छा से ब्रिटेन की सदायता नहीं कर रहा है बल्कि यह अपने लिए स्वतन्त्रता का इच्छुक है। उन्होंने सविनय आवश्या को अपने द्वारा तुने हुए कुछ व्यक्तियों तक ही समिति रखा। उनकी आवश्या के अनुसार काप्रेस के समा शान्तीय तथा स्थानीय नेताओं, विधान महल के सदस्यों, प्रान्तीय, जिले तथा गहर भी काप्रेस कमेंटियों के समापतियों तथा सदस्यों ने

लड़ाई के बिछड़ भाषण करने का सूचना देकर जेल जाना प्रारम्भ कर दिया। स्वतन्त्र माध्यम के अधिकार का उपरोक्त करने के कारण १२००० व्यक्ति उस लड़ाई के बीच जेल भेज दिये गये जो स्वतन्त्रता के लिए लड़ी कही जा रही थी। महात्मा जी ने सामूहिक सविनय अवश्या प्रारम्भ नहीं की क्योंकि वे सुमीदत ने समय सरकार के ऊपर कोई कदा प्रहार न करना चाहते थे।

जब यह महत्वपूर्ण सविनय अवश्या आ दोलन चल ही रहा था, तो वाइकरग ने अपनी कार्यपालिका समिति बिल्टूत कर दी और एक युद्ध-सलाइकार मडल (War Advisory Board) की भी स्थापना की। भारतीय सदस्यों ने, जिनका गढ़ कार्यपालिका में बहुमत था (यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनके हाथ में कोई महत्वपूर्ण विभाग न था) सविनय-अवश्या कैदियों का १९४१ के ददस्मर में ही छुड़ा लिया। कांग्रेस ने कुछ शर्तों के साथ भारत की रक्षा में भी भाग लेना चाहा। इस प्रकार उसने अन्य समझौतों के लिए भी रास्ता खुला रखा। लेकिन सरकार अपनी अगली-योजना के आगे न बढ़ी इसलिए उसके तथा कांग्रेस के बीच खाइ बनी ही रही।

किस मिशन और उसके बाद— तिगापुर, मलाया तथा रगून का जापानियों द्वारा पतन और बमाँ की निश्चिन्त पराजय ने सज्जाट वी सरकार को इस बात की आवश्यकता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया कि वह भारत को सत्पुष्ट करे जिससे भारतीय जीवन की सभी शक्तियों का उपरोक्त जापानी खतरे के विरुद्ध हो। इसलिए उसने इस देश में सर स्टैफर्ड किंस की भेजा क्योंकि कांग्रेस में उनके अनेक मित्र थे। सर स्टैफर्ड किंस मित्रता का एक सन्देश तथा भारत की सर्विधानिक सम्भाओं का अपनी सरकार द्वारा प्रस्तुत हल लेकर गये। उनके द्वारा सामने रखी गयी योजनाओं के दो प्रमुख भाग थे— पहला भाग भारत से सम्बंधित था और दूसरा वर्तमान से। भविष्य से सम्बन्ध रखने वाली योजनाएँ काफी लम्बी तथा स्पष्ट थीं। अतीत में सरकार ने भारत को जो कुछ भी दिया था उससे इनका रूप काफी अरेंगे बढ़ा-चढ़ा था। इन योजनाओं में वास्तव में वह सब कुछ निहित था जिसकी कांग्रेस पिछले अनेक बारों से माँग करती चली आ रही थी। लेकिन कांग्रेस को सञ्चिकट वर्तमान में अधिक दिलचस्पी थी इसलिए उसने सर स्टैफर्ड किंस के साथ उसी के सम्बन्ध में समझौता प्रारम्भ किया। योजना का यह भाग गोल मरेल था और वह कांग्रेस की माँगों के तर्जिक भी अनुकूल न था। योनना के पहले भाग की अनुपयुक्ति के कारण ही कांग्रेस ने सारी स्टैफर्ड स्कीम अस्वीकृत कर दी। अमायवश ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने योजनाओं का अपरिवर्तनशील बना दिया था और उसने यह कहा कि भारत उन्हें या तो पूरा स्वीकार करे या पूरा अस्वीकार। कुछ छोटी बातों को छोड़कर योजना म और कोई सुधार नहीं किया जा सकता था।

निष्प्रदार लायी गयी योजनाओं के अनुसार भारत पर खतरे के निवारण के तुरन्त जाद समाज की सरकार भारत में एक निर्वाचित-समिति की स्थापना कर देती जो देश के लिए एक सविधान का निर्माण करती। इस प्रकार सविधान-परिषद् की स्थापना की कांग्रेसी माँग पहली बार स्वीकृत हुई, हालाँकि जिस दृष्टि से यह परिषद् बनायी जाती वह इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कांग्रेस चाहती थी। दूसरी ओर, सरकारी घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विधान-परिषद् द्वारा निर्मित नये सविधान का ग्राम्यार्थ औपनिवेशिक तथा सघीय होता। इस प्रकार नवोन भारतीय सघ समाज के प्रति भक्ति के द्वारा प्रियेन तथा अन्य उपनिवेशों के साथ रहता, लेकिन वह हर प्रकार से उनके बराबर रहता और बाहरी या भीतरी किसी भी विषय में उनमें से किसी के भी अधीन न होता। इसमें स्वतन्त्रता के तत्व अवश्य ये जिससे महात्मा गांधी को संबोध मिल सकता था। यह सत्य है कि घोषणा में 'स्वतन्त्रता' शब्द कहीं नहीं आया है लेकिन इसकी वास्तविकता उसमें निहित है क्योंकि उपनिवेशों को सामाजिक से अलग हट जाने का किसी भी समय अधिकार है। १६३५ के ऐकट की तुलना में नये संवधान के अनुसार गवर्नर-जनरल की विशेष शक्तियाँ तथा उनके रिंजर विभाग न रहते। तीसरे, समाज की सरकार ने यह स्वीकार कर लिया था कि उसके तथा संविधान-परिषद् के बीच समझौते के अनुसार ही नये भारतीय सघ का निर्माण होता और इसी समझौते में वे सभी आवश्यक बातें ग्रा जाती जो उत्तरदायित्व के अपेक्षी हाथों से भारतीय हाथों में आने पर उत्पन्न होती।

निष्प्रयोजना में कुछ महत्वपूर्ण लाभ ये जिन्हें निसी भी जिम्मेदार संस्था द्वारा दुखाये जाने की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए, कॉम्प्रेस द्वारा उसकी अस्वीकृति के कुछ विशेष बारण होने चाहिएँ जिन्हें जान लेना आवश्यक है। सबसे पहले, कॉम्प्रेस इस सुभव को नहीं मान सकता थी कि सविधान-परिषद् में राजे स्वयं अपने प्रतिनिधि नियुक्त करें। इन प्रार्तनिधियों के राज्यों की प्रब्ला द्वारा चुनाव का कोई विधान न था। इसका अर्थ यह था कि सविधान-परिषद् की एक लिहाई सख्ता एक ऐसी अद्वचन बन जाती जा नये विधान को विटिश-हितों के अनुमार बनाने का प्रयत्न करती। समाज का सरकार से अन्य आवश्यक मामला के सम्बन्ध में समझौता करते समय अप्रेज़ा का पिटूँ यह प्रतिनिधि मण्डल गण्डाय हिंडों के अवश्य विश्वद चला जाता। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष है कि सविधान-परिषद् में राज्य-प्रतिनिधियों की नियुक्ति का अधिकार राजाओं के हाथ में दे देना इस याजना का एक बहुत बड़ा दोष है। दूसरे, प्रान्तों का भारतीय सघ से अलग रहने का अविभार देने पर नये विधान की गफलता भी आशा बहुत कम हो जाता। पान्सिसान का माँग को पहले से ही स्वाकार कर लेना तो और भी भद्दा होता, इससे आगे चलकर साम्प्रदायिक समस्या का हल और भा कठिन हो जाता। लेकिन इससे कॉम्प्रेस ने दृष्टिकोण पर काँइ विशेष प्रभाव न

पड़ा, योजना ने अलगाव के विचार को जो प्रथम दिया, कॉमिटी का उस पर अफसोस था। फिर भी, कॉमिटी ने अपने इस निश्चय का स्पष्टीकरण कर दिया था कि किसी भी ग्रामेशिक हेतु व लोगों को वह उनकी धोगित इच्छा के विषद् भारतीय संघ में रहने के लिए विवश नहीं करेगी।

अपर बताये हुए कारण तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उनकी बजह से कॉमिटी ने किस योजना को अस्वाकृत नहीं किया। यदि वर्किङ्ग कमेटी तथा सर स्टैपर्ड निपाम सन्तोषप्रद भमभीता हा गया होता तो उसने उनकी योजना को स्वीकार कर लिया होता और सर पर लटके जापानी खतरे को दूर करने के लिए उसने ब्रिटिश-सरकार के साथ पृथ्ये सहयोग किया होता। ब्रिटिश-योजना में निम्नलिखित शब्द भी सम्मिलित थे— भारत के सामने जो विषम परिस्थिति आ पड़ी है उसके नियारण के लिए तथा लघ तक नये संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तर तक भारत की रक्षा तथा उसके युद्ध-सम्बन्धी प्रथलों पर सम्बन्ध की सरकार का हा नियन्त्रण रहेगा।¹ विश्वयुद्ध की घोगणा के तुरन्त बाद कॉमिटी ने जो प्रस्ताव पास किया था उसमें उसने यह निश्चित किया था कि ब्रिटिश घोगणाओं की उपयुक्तता का समसे बड़ा मापदण्ड उनमा वर्तमान पर लागू होना है। इस मापदण्ड के अनुसार योजना एकदम अनुपयुक्त तथा स्त्रीकृति के ग्रोग्य भी। कॉमिटी की स्थिति उसके निम्नलिखित पस्ताव में स्पष्ट तथा ग्रामावशाली शब्दों के साथ समझायी गयी है—

‘भारत के भविष्य के सम्बन्ध में किसी भी योजना का अच्छी प्रकार हान त्रीन होनी चाहिए, लेकिन आज की विषम परिस्थितियों में वर्तमान पर ही और देना चाहिए और भविष्य सम्बन्धी योजनाओं की उपयुक्तता भी वर्तमान को दृष्टि में रख कर बोचनी चाहिए। इसी लिए वर्किङ्ग कमेटी ने प्रश्न के इस पहलू पर सबसे अधिक जोर दिया है और इसी पर दृष्टि रख कर ही वह उन लोगों का कोई सलाह दे सकती है जो उसका आर पथ प्रदर्शन के लिए देखते हैं। इस दृष्टि से ब्रिटिश-युद्ध मन्त्रिमंडल की योजनाएँ गोलमटोल तथा एकदम अपर्याप्य हैं और उनमें भारत के वर्तमान शासन की रूप रेखा में किसी भी परिवर्तन की कल्पना नहीं है। ब्रिटिश-सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की रक्षा प्रत्येक दशा में ब्रिटिश-नियन्त्रण के अन्दर रहेगी। देश की रक्षा तो किसी भी समय एक महत्वपूर्ण नीज है; युद्ध काल में तो इसका महत्व और भी गढ़ जाता है और शासन तथा जीवन का प्रत्येक ज्ञेय इसके प्रभाव में आ जाता है। आज की नियति में रक्षा को उत्तरदायित्व के सेव से हटा लेना उस उत्तरदायित्व को एकदम निरर्थक कर देना है तथा यह स्पष्ट कर देना है कि भारत किसी भी प्रकार स्वतन्त्र होने नहीं जा रहा है और न युद्ध काल में उसकी सरकार के स्वतन्त्र रूप में कार्य करने की ही आशा है।

‘कमेटी इस बात को निर से दुर्राजा चाहेगी कि उत्तरदायित्व का भार अद्युक्त करने से पहिले भारतीयों का इस बात का जान हो जाना चाहिए कि वे स्वतन्त्र हैं और अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखने तथा उसकी रक्षा करने का उन्हें पूरा अधिकार है। जिस चीज़ की समस्या अधिक आवश्यकता है, वह ही ननता का उत्तमाहृष्ट सहयोग जा उनमें दिना पूर्ण मिश्वास तथा उन पर रक्षा का पूरा उत्तरदायित्व डाले प्रस्तुत नहीं हो सकता।’ ऐबल इसी प्रकार आज्ञा को विषम घडी में भा भारत के लागा जा समय की माँग का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि अपनी प्रान्तीय शासनायों के साथ भारत की वर्तमान सरकार भाग्यत का रक्षा करने में एकदम अत्याधिक है। अपने जनप्रिय प्रतिनिधियों के द्वाया भारत का जनता ही रक्षा का पूरा भार ले सकती है। लेकिन यह तभा ही सकता है जब उन्ह पूरी स्वतन्त्रता हो और उन्हें उत्तरदायित्व का पूरा भार सार दिया जाय। इन कारणों से प्रियिश युद्ध-समिति की योजनायों को स्वीकार करने में कमेटी असमर्थ है।’

कांग्रेस का ऐसा कठ धारणा करना न्यायपूर्ण हा था। यदि भारत स्वतन्त्र होता तो उस स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए कांग्रेस भारतवासियों से रक्त बहाने की माग उत्तमाहृष्ट उत्तर की आशा न साथ कर सकती थी सैकिन दूसरों की स्वतन्त्रता के लिए प्राण गँड़ाने की माँग पर कोइ ध्यान कैसे देता? दूसरा की स्वतन्त्रता के लिए केवल कियाये के टड़ू ही लडाई लड़ सकते हैं। लाक्युड म भाग लेने के लिए तो केवल स्वतन्त्र देश के नागरिक ही प्रेरित किये जा सकते हैं। विदेश सरकार ने इस मनापैशानिक सत्य को सम्मतः समझने की चेष्टा ही नहीं की।

दिल्ली-वार्ता इस प्रकार असफल रही। असफलता का कारण रक्षा का प्रश्न या काई साम्राज्यायित प्रश्न नहीं था जैसा कि सर स्टैफर्ड निष्पत्ति ने गढ़ म घोषित किया। कांग्रेस ने रक्षा पर अधिकार की माँग इस तर्क पर की थी कि यत्पल ननता ने महोग से ही काई लडाई लड़ा और नीती जा सकता है। फिर भा, प्रियिश सरकार ने लोगों पर मिश्वास न किया, धार आवश्यकता क समय भी इसने उन लोगों को इधियारन्दन करना सीखत नहीं किया जिनका इसने अनेक पांडियों में हधियारन्दाज कर रखा था। इसलिए यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने रखा जा सकता है कि कांग्रेस ने काम्प-केन्द्रा इसलिये अस्वीकृत कर दी कि यह रक्षा न चल म लोगों का काई वास्तविक अधिकार नहा देना चाहती थी।

रक्षा के अतिरिक्त दूसरा प्रश्न, जिस पर दिल्ली वार्ता भग ठुड़, वाइसगव्य की कार्य-पालिका में समिलित होनेवाले भारतापनेनाग्रा का पढ़ था। प्रश्न यह था कि सदस्य के रूप में वे वाइसराय या भारत-मर्शी के प्रति उत्तरदायी होते या विधान-मंडल न लोगों के प्रतिनिधियों के प्रति। कांग्रेस की माग यह थी कि गवर्नर अनरल साय का दैधानिक प्रधान बन जाय जो अपनी कार्यपालिका समिति का साय मानने रे लिए

नाश हो तथा जो इसके निर्णयों को किसी भी प्रकार रद्द न कर सके। सचेत में, कांग्रेस यह चाहती थी कि कार्यपालिका को मणिमठल मान लिया जाय। सरकार इस मुम्भाव से सहमत न थी, इगलैंड तथा भारत के अधिकारी किसी भी राष्ट्रीय सरकार को शक्ति देने के लिए प्रसुत न थे। इसलिए धार्ती भग हो गयो और सम्राट् की सरकार ने अपनी योजना लौटा ली।

बाद का घटनालय— किस-योजना की असफलता ने परिस्थिति और भी नाजुक बना दी, सरकार तथा कांग्रेस के दोनों की राई और चौड़ी हो गयी। सरकार द्वारा कांग्रेस को माँग अस्वीकृत किया जाना महात्मा गांधी को बहुत बुझ लगा, उन्होंने एक विचारधारा का निर्माण किया जिसे बाद में 'भारत छाड़ो' माँग का रूप मिला। उन्होंने अपने जो को भास्त से बेघल भारत के हित के लिए ही नहीं बल्कि अपने हित के लिए भी हट जाने का आदेश दिया। पत्र-प्रतिनिधियों में बातचीत तथा अपने पत्र 'हरिजन' द्वारा उन्होंने अपने विचार स्वतन्त्र रूप से प्रकट किये। लेकिन उनकी विचारधारा से सरकार पर कोई प्रभाव न पड़ा, वह कांग्रेस पर आक्रमण करने तथा उसे कुचल डालने के लिए अपना समठन ढहतर बनाती रही। जुलाई के मध्य में बर्किङ्हॉ कमेटी की घर्षी बैठक में पास हुए प्रस्ताव म गोंधी जी के विचारों का स्पष्टीकरण हुआ। इसके महत्व के कारण इस प्रस्ताव को पूरा उद्धृत करना आवश्यक है। प्रस्ताव इस प्रकार है :

'दिन प्रति दिन होने वाली घटनाओं तथा भारतवासियों को बराबर हो रहे अनुभव से कांग्रेस की यह धारणा पकड़ी होती जा रही है कि भारत में आपेक्षी राज बल्द से बल्द समाप्त हो जाना चाहिए, बेबल इसी लिए नहीं कि अच्छे से अच्छा विदेशी शासन भी बुझ है और वह शासित लोगों को चराचर हानि पहुँचाता रहता है, बल्कि इसलिए भा कि बाह्यों में बड़ा भारत न स्वयं अपना रक्षा कर सकता है और न लड़ाई से बराबर हो जाने वाली मानवता की ...'

'महायुद्ध के प्रारम्भ से ही कांग्रेस ने सरकार को परेशान न करने की नीति ढहता के साथ अपनायी है। यहों तक कि अपने सन्याग्रह के प्रमावहान हो जाने का नाता उठाकर भी उसने उसे एक प्रतीकात्मक रूप दिय, बबल इस आशा से कि इसके परेशान न करने वाली नीति से सरकार उसका मतभय भली प्रकार समझ ले और जनतिय प्रतिनिधियों को शाक्त प्रदान कर दी जाय, ताकि सारा मानवता की उस स्वतंत्रता की प्राप्ति में, जिसके कुचल छाले जाने का बराबर डर बन हुआ है, भारत भी अपना सहयोग दे सके' परन्तु इन आशाओं पर पानी पिर गया है। निष्ठल किस-योजनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि ग्रिनिश सरकार के भारत सम्बन्धी दण्डनाय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बर्किङ्हॉ कमेटी की यह स्पष्ट राय है कि प्रत्येक प्रकार के दमन का विरोध किया जाय क्योंकि उसे स्वीकार कर लेने का अर्थ हागा भारतीयों का पतन

और उनकी पराधीनता का निरन्तर जारी रहना। कांग्रेस की यह इच्छा है कि देश की प्रिटेन के प्रति दुर्भावनाएँ सदूमावनाओं में परिवर्तित हो जायें और सभार के राष्ट्रों तथा जातियों की स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रयत्न में वह भारत भी एक स्वेच्छापूर्ण सहयोगी बन जाय, लेकिन यह तभी समय है जब भारतीयों को यह अनुभूति होगी कि वे स्वतन्त्र हो गये।

‘साम्प्रदायिक समस्या के हल के लिए कांग्रेस-प्रतिनिधियों ने भरसक प्रयास किया है। लेकिन इस समस्या का हल उस विदेशी सत्ता की उपस्थिति के कारण असम्भव बन गया है जिसकी नीति सदैव विभाजन द्वारा शासन करने की ही रही है। कांग्रेसी शासन के भारत से इटा लिये जाने की माँग में कांग्रेस का उद्देश्य प्रिटेन या मिन राष्ट्रों को उनके युद्ध-प्रयत्नों में हानि पहुँचाना नहीं है’ ‘इसलिए कांग्रेस जापानियों या दूसरों के दगव को रोकने तथा चीन की रक्षा तथा उसे मदद पहुँचाने के लिए मिन-पार्टी की फौजों को भारत में ठहराने की नीति से पूरी तरह सहमत है।’

‘इस ग्रीष्मील के निरर्थक हो जाने पर कांग्रेस वर्तमान परिस्थितिया में विवशता सहन नहीं कर सकती’ ‘जिस अहिंसात्मक शक्ति का सचय कांग्रेस ने १९३० से किया है उसका उपभोग करने के लिए वह विवश हो जायगी’ ‘ऐसा बड़ी लड़ाई अनिवार्यतः गांधी जी के नेतृत्व में होगा।’

१९४२ की द ग्राहक की अधिल-भारतीय-कांग्रेस कमेटी की घम्राई म पैठक हुई जिसम उसने एक लम्बा प्रस्ताव पास करके वर्किंग कमेटी के उम्रुक्त प्रस्ताव को स्वाकृत किया। अ० भा० क० ने अपना यह विचार पिर से दुहएया कि भारत म प्रिटिश राज की तुरन्त-समाप्ति अत्यावश्यक है। राष्ट्राय मोंगों के सरकार द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर उसने देशवासियों से सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ कर देने को अपील की। प्रस्ताव पर ली जाने वाली मतगणना का परिणाम सुनाये जाने के बाद गांधी जी ने उपस्थित सटस्यों के सामने लगभग ७० मिनट तक भाषण किया जिसके सिलसिले में उन्होंने लोगों का ‘करो या मरा’ संग्राम के लिए आह्वान किया।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस ने वास्तव म सविनय अवज्ञा प्रारम्भ नहीं की, इसने केवल एक प्रस्ताव पास करके लोंगों को यह आदेश दिया कि प्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय मागा के अस्वीकृत किये जाने पर के सर्वनय अवज्ञा प्रारम्भ कर दे। इस बात पर विश्वास किया जाता है कि समस्या के शान्ति पूर्ण हल के लिए गांधी जी ने गवर्नर जनरल से विचार विनियम बरना चाहा था। गांधी जी की यह इच्छा कार्य रूप में परिणत न हो सकी क्योंकि सरकार का इस स्थिति के प्रति दूसरा ही दृष्टिकोण था और यह विश्वास करके कि कांग्रेस एक सर्वन-व्यापा हिसात्मक आनंदालन की ताक में है, उसने दृढ़ तथा शीघ्रतापूर्ण कदम उठाने का निश्चय किया। इसलिए रात के

समाटे में महात्मा जी तथा वर्किंग कमेटी के अन्य सदस्य गिरफ्तार करके किसी अनिश्चित स्थान को भेज दिये गये। प्रान्तीय तथा स्थानीय नेताओं की देश भर में गिरफ्तारी प्रारम्भ हो गयी। सरकार के इस अप्रत्याशित व्यवहार से सारे देश में हिंसा की ग्रन्ति भड़क उठी। अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी पर जनता क्रोध से पागल हो उठी। उसने रेल, तार तथा सरकारी इमारतों आदि को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया, हालाँकि काग्रेस के सविनय-अवज्ञा-कार्यक्रम में ये चीजें सम्मिलित न थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि लोगों में स्वतन्त्रता के लिए एक अन्दरूनी जोश उमड़ रहा था और वे परतन्त्रता का अन्त कर देने के लिए आकुल हो उठे थे। लेकिन जनता के पास न हथियार थे और न नेताओं का पथन्प्रदर्शन। असहाय जनता सरकार का सामना न कर सकी। उन मरानक दिनों का विस्तृत वर्णन यहाँ उपयुक्त नहीं है।

इसमें शास्त्र नहीं कि सरकार की उड़ उड़ाङ फैक्ने के लिए लोगों ने काफी हिंसा दिखायी लेकिन लोगों को कुचलने के लिए सरकार ने और भी ग्रधिक हिंसा तथा बर्बरता का परिचय दिया। सरकार ने सारी हिंसा की जिम्मेदारी महात्मा जी तथा वर्किंग कमेटी के सदस्यों पर ढाल दी। उसका दाया था कि उसके पास ऐसे प्रभाग्य उपस्थित थे जिनसे यह स्पष्ट होता कि काग्रेस की वास्तविक इच्छा सरकार से मुलाई की न थी और इस बात का भी पता चल जाता कि बहाँ एक और काग्रेस शान्ति तथा अद्वितीय की डीग हाँक रही थी, दूसरी ओर वह राष्ट्रव्यापी हिंसात्मक आनंदालन की तैयारी में वस्तु थी। महात्मा जी ने इन आक्षेपों का विरोध किया, उन्हें गलत सिद्ध करने के लिए अवसर की माँग की तथा वकिल बैंटी के सभी सदस्यों के साथ पूरे प्रश्न पर विचार करने के लिए सुविधाएँ चाही। सरकार ने न तो इन प्रगतियों को कभी प्रकाशित हो किया और न गाँधी जी तथा वर्किंग कमेटी के विरुद्ध कोई मामला-मुकदमा ही चलाया जिससे उन्हें इस इल्जाम को असत्य सिद्ध करने का अवसर मिलता। गाँधी जी के विरोध-पत्रों का भी इसने टाल-मटोल के रूप में उत्तर दिया। अपनी निर्दोषता सिद्ध करने तथा हिंसात्मक नाति को प्रश्रय देने के आक्षेप का विरोध करने के लिए गाँधी जी ने २० दिन का उपवास करने वा निश्चय किया। सारे देश में एक हलचल मच गयी और हिंसा की रही सही जो कुछ भी भावना थी दब गया। उपवास के दिनों में उनकी हालत बहुत बहुत चिन्ताबन्धन क हुई लेकिन बृद्धावस्था तथा दुर्बलता के होते हुए भी वे इस कहीं परीक्षा में सफल निकले और इस प्रकार उन्होंने टाक्करों को अपश्चर्य-चकित कर दिया। इसका भी सरकार पर कोई प्रभाव न पड़ा और न उसकी ऐठ में ही कोई कभी आयी। श्री होमी मोदी, श्री अर्णोदय तथा श्री सरकार, यादवराय की कार्यपालिका के इन तीन सदस्यों ने सरकारी नाति के विरोध में अपने पदों से इसीपा दे दिया। राजनैतिक जिन दूल पकड़ती ही गयी क्योंकि उस समय के बादसराय लॉर्ड जिनलिथगो जनता था काग्रेस किसी से भी समझौता करने के 'मूड' में न थे। महात्मा जी जब जेल ही में थे उनके दो सर्वप्रिय सहयोगियों— श्री मद्दावेद-

देसाई, जो उनके प्रादेवेट सेमेटरी थे, तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पुरा गाँधी—की मृत्यु हो गयी। गाँधी जी बीमार पड़ गये और मई १९४४ में अस्त्वास्थ्य के कारण छोड़ दिये गये।

अपनी रिहाई के बाद महात्मा जी गवर्नर्मेट से समझौता बरने तथा राजनीतिक जिच को हल करने के प्रश्न में लगे रहे। लॉर्ड वेबल के नाम, जो लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर भारत के वाइसराय हुए थे, अपने एक पत्र में उन्होंने यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि वे तथा उनके साथी ब्रिटिश सरकार तथा उसके शासन का ज़िरनी भी कई ग्रालोचन करें, वे आग्रेजों के अभिन्न मित्र हैं। उन्होंने इस बात पर भी बोर दिया कि यदि सरकार उन पर तथा उनके सद्योगमित्या पर विश्वास बरे तो वह जर्मनों और बापानियों के विद्वद लङ्घाई में बड़ी सहायता कर सकेंगे। पत्र के उत्तर में गवर्नर-जनरल लॉर्ड वेबल ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव बापस लेने तथा काफ़े स द्वारा असहयोग का नीति के बहिष्कार पर जोर दिया ताकि उसके साथ समझौता बरने में आमानी हो सके। बर्किंग कमेटी के सदस्य अम्फटनगर के जिले में बन्द थे और उनमें मिलने की भी मनाही थी, इसलिए गाँधी जी के लिए इन मौगों को स्वीकार करना असम्भव था। इसना परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक जिच चनी ही रही।

इसी बाच श्री चक्रवर्ती राजगापालाचारी ने मिं. जिन्ना तथा उनकी मुस्लिम लीग से पाकिस्तान के प्रश्न पर तुल्य समझौता बरने का प्रयास किया। इस कार्य में उन्हें महात्मा जी की सहायता मिल रही थी। लेकिन दूसरा कोई परिणाम न निकला। इसी बीच इस बात का भा जिक कर देना चाहिए कि मुस्लिम लीग ने 'भारत छोड़ो' मांग में काफ़े स का साथ न दिया। काफ़े स तथा ब्रिटिश गवर्नर्मेट के बीच राजनीतिक जिच के तळ में उसने बड़ी ही उपेक्षा दियायी। देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा रोड़ बनने वाला हिन्दू-मुस्लिम समूह्या के हल के लिए १९४४ की सितम्बर में महात्मा जी ने मिं. जिन्ना से कई बार भेंट बी, लेकिन समर्पण निराकरण से उतनी ही दूर रही जितनी अर्तीत में थी।

वेबल योजना और शिमला सम्मेलन— १९४४ की गमियों में लॉर्ड वेबल सन्दर्भ गये और ब्रिटिश-मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से उन्होंने खग विचार-योग्यता किया। लौटने के बाद उन्होंने देश की राजनीतिक जिच समाप्त करने और उसे स्वगत की ओर बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय नेताओं ने सामने सप्ताह की सरकार की योजनाएँ रखी। इन योजनाओं का मुख्य तत्व था एक नयी कार्यपालिका कॉन्सिल (Executive Council) की स्थापना जो देश के समिति नियन्त्रण का अधिक प्रतिनिधित्व करे। इसके प्रधान के रूप में गवर्नर जनरल तथा युद्ध मन्त्री के रूप में कमान्डर-इन-चीफ— इन दो को छाड़ कर शेष सभी सदस्य भारतीय होते। विभिन्न

बगों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त इसमें सर्वर्ण हिन्दू तथा मुसलमान प्रतिनिधियों की चराघर सख्ता रहती। कार्यपालिका बौमिल के निर्माण के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ के नेताओं की एक बड़ी सख्ता वायसराय भवन में आमनित की गयी। कांग्रेस की बक़िङ्गम्बेटी के सदस्यों को भी विचार विभार में सम्मालित होने का अप्रत्यक्ष प्रश्न बरने के लिए सरकार ने उन्हें जेल से छाढ़ दिया। १६५० से चराघर दिग्डती जाने वाली देश की राजनीतिक समस्या में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम था।

कांग्रेस ने शिमला काफ्रेस में सम्मिलित होने का निमन्त्रण स्वीकार बर लिया, मुस्लिम लीग, सिक्खों, दलित बगों तथा वे द्वीष विधान-सभा के यूरोपियन टल भी भी स्वीकार विचार। सम्माट की सरकार की योजनाओं पर विचार-विनियम करने के लिए शिमला-सम्मेलन २५ जून १६५५ में प्रारम्भ हुआ। पहले दो दिन कार्य बरने के पश्चात् सम्मेलन दा दिन के लिए स्थगित हो गया और उसके काट एक पश्चिमारे से भी प्रधिक दिनों के लिए स्थगित हुआ। जब कांग्रेस १४ जुलाई का प्रारम्भ हुई तो लॉर्ड वेबल न यह ध्यानित कर दिया। क नवा कार्यपालिका बौमिल ने निर्माण के प्रश्न पर कोई समझौता न हाने के कारण सम्मेलन भग हो गया। सम्मेलन के सामने अन्तिम दिन भाषण करते हुए उन्होंने कहा— मेरा सर्वप्रथम लक्ष्य था कि सम्मेलन नवी बनने वाली कार्यपालिका बौमिल की सख्ता तथा उसने निर्माण का दग निश्चित करे और इसके बाद पार्टियों हमारे पास नामों की सूची भेजे। इन सूचियों में यदि आवश्यकता होती तो मैं भी अपनी इच्छानुसार कुछ नाम जोड़ देता और इस प्रकार कागज पर एक ऐसी कार्यपालिका बौमिल का निर्माण हो जाता जो सम्माट की सरकार को, सुनक तथा सम्मेलन को रखीहृत होती। मने अपने द्वारा जुने नामों की सूची को नेताओं के सामने विचार-विनियम करने, और अन्त में उसे सम्मेलन के समक्ष रखने की इच्छा की थी। अभाव यश, कार्यपालिका बौमिल के सदस्यों की सख्ता और उसके निर्माण के दग पर सम्मेलन एकमत न हो सका। इसलिए २६ जून को सम्मेलन की अनुमति से मैंने समस्या का एक ऐसा हल सामने रखने का प्रयास किया जो पहले से ही मान लिये गये किसी 'पारमूले' पर आधारित न हो। मैंने पार्टियों से नामों की सूची मांगी और उनमें यह भी कहा कि उपायक्रिया में एक ऐसा हल रखने का प्रयत्न करूँगा जो नेताओं तथा सम्मेलन दोनों को मान्य हो। यूरोपियनों या मुस्लिम लाग को छोड़कर वहाँ सम्मिलित होने वाली सभी पार्टियाँ ने सूचियाँ भेज दीं। मैंने यह पूरा निश्चय कर लिया था कि सम्मेलन अमरक्ष न हाने पर्योग और इसीलिए मैंने कुछ नाम भी जुने ये जिनमें मुस्लिम लीग के भी कुछ नाम सम्मिलित थे।

‘किसी भी पार्टी ने अधिकारों की माग दो पूर्ण रूप से स्वीकृत करना भेरे लिए अमरम्भव था। उन्होंने समस्या का हल मिं० जिन्होंने सामने रखा तो उन्होंने मुक्त बताया कि वह मुस्लिम लीग का सर्वानुचित न था। उनके निश्चय से मुक्त यह अनुभव हो गया कि इस विषय पर और बातचात वर्धते हैं।’

शिमला-मम्मेलन के अमफल होने के कारण— शिमला-सम्मेलन की अमफलता ने कारणों का विवेचन यहाँ अनुरुक्त न होग। यह ध्यान में रखने योग्य है कि सम्मेलन इमलिए अप्रकल्प नहीं रहा कि समाज की सरकार बनता है प्रतिनिधियों को पर्याप्त शक्ति नहीं दे रही थी या उसको वर्म से कम माँगें स्वीकृत नहीं कर रहा थी। इस प्रश्न पर विचार करने वालों की आजाज प्रभावदीन रही। इसने अमफल रहने का कारण यह था कि मिं० जिन्होंने माँगें काग्रेस तथा अन्य पार्टियों को स्वीकार न थीं और मुस्लिम लीग की यथा तथा उसने सहयोग के बिना गवर्नर जनरल कार्ड व्यातिरिक्त हल करना नहीं चाहते थे। वाइसराय का दब मुस्लिम लीग के हाथ में ‘वाटा’ देने का था और मिं० जिन्होंने इस शक्ति का पूरा उपयोग किया। अनेक व्यक्तियों का विश्वास था कि मिं० जिन्होंने ही ग्राढ़ में सरकार अपनी शक्ति बनाये रखना चाहती थी नहीं तो मिं० जिन्होंने मुस्लिम लीग की माँगों की अनुरुक्तता पर विचार करने उन्हें होड़ा जा सकता था। द्वितीय गोलमेन सभा के समय यूरापियनों तथा मुस्लिम लीग के बीच की मैरी इस समय तक समाप्त न हुई, यह अब भा लारी थी।

मिं० जिन्होंने माँगों को स्वीकार न करने का कारण काग्रेस-प्रेसिडेन्ट मौलाना अबुनुज कलाम आजाद ने सम्मेलन ने सामने दिए गये अपने बहतन में स्पष्ट किया। उन्होंने यह बताया कि मुस्लिम लीग नवीं कार्यपालिका कॉसिल में सभी मुसलमान सदस्यों की नियुक्ति केवल अपना ही अधिकार समझती थी और इस मामले में किसी दूसरे का हिस्सा नहीं चाहती थी। मुस्लिम लीग का यह दावा तर्कीबीन तथा निरर्थक था, कॉग्रेस यह स्थिति स्वीकार नहीं कर सकती थी। कॉग्रेस कार्ड हिन्दुआ की सेवा नहीं थी। यह अपने पञ्चास वर्षों का इतिहास कैसे भूल सकती थी। एक मुस्लिम की हैसियत से मौलाना आजाद कॉग्रेस को केवल हिन्दू समर्थन मानते वे लिए प्रत्युत न थे। कॉग्रेस को मुसलमानों की भलाई तथा उनके उत्तरदायित्वा में भाग लेने का पूरा अधिकार था। पञ्चास के प्रधान मन्त्री मलिक खिज्ज इसात घों तिवाना मौलाना साहू के विचारों से सहमत थे और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि कार्यपालिका कॉसिल के सभी मुसलमान सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार मुस्लिम लीग को कदापि नहीं मिल सकता। लीग की माँग को स्वीकार करने का अर्थ होता गैर-लीगी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ही न हो पाना। इस समन्वय में इस तथ्य पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हिन्दू मुस्लिम

समस्या के निराकरण का काँग्रेस ने पहले जितना भी प्रयत्न किया उसकी असफलता का एक बड़ा कारण यह था कि मुस्लिम लीग को ही भारत के मुमलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि सम्प्युता मानने की मिं। जिन्होंने मौंग का बह स्वीकार न कर सकी। इस मौंग को मानने का ग्रन्थ था भारत की एकता का दिनाश और साथ ही साथ काँग्रेस के राष्ट्रीय रूप का भा। लेकिन मुस्लिम लाग भी भुक्तने को तैयार न थी क्योंकि यही मौंग तो पाकिस्तान का आधार थी। शिमला सम्मेलन के असफल रहने का स्पष्ट कारण पाकिस्तान के लिए मुस्लिम मौंग तथा वायेस की अवश्य भारत की भावना म विरोध था।

गो शिमला-सम्मेलन असफल रहा फिर भी उसका कुछ न कुछ परिणाम तो हुआ ही। एक ओर तो इसने यह स्पष्ट कर दिया कि शक्ति का चारतचिक परिवर्तन होने पर काँग्रेस शासन में भाग लेने के लिए प्रस्तुत थी और दूसरी ओर यह कि भारताय समस्या के हल के लिए सरकार तैयार थी, तैयारा चाहे दिखा बटी ही क्यों न रही हो। सम्मेलन म भाग लेने के लिए सरकार ने विक्रिक बमेटी के सभी सदस्यों को कैट से रिहा कर दिया था। देश की राजनैतिक जिन्च के सुलभाव ने लिए यह अनिवार्य था भी। इस सम्मेलन का एक दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम भी हुआ जिसे चान म रखना आवश्यक है। १९४२ का आनंदलाल कुचल दिये जाने के बारण देश म बड़ी निराशा फैली थी और उसकी हिम्मत परत हो गयी थी। शिमला-सम्मेलन के बाद प० बबाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल के भाग्यों तथा काँग्रेस पर प्रतिबन्ध उठा लिये जाने से देश में फैली निराशा म बापा कमी हुई।^४ इन नेताओं ने लोगों को बतलाया कि द्रोघ के क्षणों म पथरीन जनता ने बो कुछ भी किया उसमें लिए शर्मिन्दा होने की बाई बात नहीं है। हालांकि अहिंसा के पूरण पालन म कभी कभी भूल अवश्य हुई फिर भी, स्वतन्त्रता की भावना से प्रेरित होकर लोगों ने जो बास्ता प्रदर्शित की वह प्रशसनीय है। लेकिन ऐसी बातों का गलत अर्थ लगाकर लाग वही यह न समझने लगे कि काँग्रेस अहिंसा के उस सिद्धान्त से हट गयी जो १९२० से ही उसका आधार-शुला रही कामेस की कार्य समिति ने १९४५ के दिसम्बर म एक प्रस्ताव पास किया जिसमें निम्नलिखित शब्द भी थे। ‘देशवासियों ने बीरता तथा त्यागपूर्ण अनेक कार्य किये, फिर भी कुछ ऐसे कार्य हुए जिन्हे अहिंसा में स्थान नहीं मिल सकता।’ लोगों के पथ प्रदर्शन के लिए काँग्रेस का कार्यकारिणी ने यह निर्शक्त कर दिया कि अहिंसा में सम्पाद्त जलाने, तार काटने, रेल की पटारवाँ उत्काहने तथा लोगों पर ग्रातङ्क जमाने का स्थान नहीं है।

शिमला-सम्मेलन के बाद— देश की स्थिति समझने तथा जिच हटाकर देश में साधारण राजनीतिक जीवन की स्थापना के लिए पहली तथा दूसरी अग्रत

^४ नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा संगठित आजाद हिन्द पौज और उसमें कुछ अपसरों के लाल किला, दिल्ली, में मुकदमे ने देश में एवं नया जोश उत्पन्न कर दिया था।

१९४५ में लॉर्ड वेबल ने प्रान्तीय गवर्नरों की एक सभा बुलायी। ऐसा निश्चाम किया जाता था कि उस सभा में धारा ६३ के अनुसार शासित प्रान्तों में गवर्नरों का अधिकार तोड़ने तथा साधारण चुनाव करने का निश्चय हुआ था। वादप्रबन्ध ने साधारण चुनाव करना चाहा था। इसी बीच ब्रेट विटेन में परिनिधियों बटल गयीं। (बर्मनी) के बिना शर्त आत्ममर्पण के बाद हुए साधारण चुनाव में मजदूर-दल विजयी हुआ। मिं० चचिल तथा मिं० एमरी, भारतीय स्वतन्त्रता के इन चिर विरोधियों के स्थान पर मिं० एटली तथा लॉर्ड बेबल को इगलेंड ग्रामनित किया। नयी मजदूर-सरकार ने नये सिरे से बातचीत करने तथा भारत-सम्बन्धी सभी समस्ताओं पर सम्बन्धित चरने के लिए लॉर्ड वेबल को इगलेंड ग्रामनित किया। लन्दन से लौटने के बाद लॉर्ड वेबल ने एक सन्देश प्रसारित किया जिसमें उन्होंने कहा : 'भारतीय जन-मत के नेताओं की राय से सगाट् की सरकार स्वराज की शीघ्र से शीघ्र स्थापना के लिए प्रभुतुत है। अपनी लन्दन-यात्रा के सिलसिले में हमने उन सभी चीजों पर विचार-विनियम किया है जो देश में लागू की जायेंगी। इस प्रिय में घोषणा की जा चुकी है कि लड्डाई के कारण अब तक बन्द रहने वाले केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान-सभाओं के चुनाव आने वाले जाएँ में किये जायेंगे। इसलिए सगाट् की सरकार की यह उत्कट इच्छा है कि सभी प्रान्तों के राजनैतिक नेता मनित्य का भार स्वीकार करें। सगाट् की सरकार की यह इच्छा भी है कि जितने शीघ्र सम्भव हो एक सविधान-परिषद् बिटायी जाय और इसी लिए, प्रारम्भिक कदम उठाने के सम्बन्ध में उसने मुझे चुनाव के तुरन्त बाद प्रान्तों के विधान-मण्डलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का अधिकार दिया है ताकि यह निश्चित हो जाय कि १९४२ की घोषणा की योजना उन्हें स्वीकार है या इसके बढ़ते में किसी परिवर्धित योजना की आवश्यकता है। भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों से भी यह निश्चित करने के लिए विचार-विनियम हागा कि सविधान-परिषद् में वे अपना पार्टी किस प्रकार अदा कर सकते हैं।' विटिंश प्रधान मन्त्री श्री एश्ली ने भी इसी ग्राशय की एक घोषणा इसी तिथि को लन्दन से की।

अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक सितम्बर के अन्त में हुई और उसने गवर्नर-बनरल द्वारा रक्ती गयी योजनाओं पर अनन्दी प्रकार विचार किया। ये योजनाएँ उसे 'गोलमर्टेल, अनिश्चित तथा असन्तोषप्रद' प्रतीत हुईं और उसने इस तथ्य पर जोर दिया कि 'कांग्रेस तथा देश को स्वतन्त्रता से कम कोई भी चीज स्वीकृत न होगी।' मताधिकार के सुरक्षित तथा रास्ते की अनेक अड़चनों के होते हुए भी कांग्रेस ने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान मण्डलों के चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया।

कांग्रेस मैनिफेस्टो— कांग्रेस ने एक लम्बा चुनाव-घोषणापत्र प्रकाशित किया जिसमें उसने अपने पुराने इतिहास, अपनी सफलताओं तथा भविष्य के कार्य कम

की सहित चर्चा की और देश के सभी मतदाताओं से आनेवाले चुनाव में हर प्रकार से समव सहायता की माँग की। इन चुनावों में जाति की छोटी छोटी चीजों व्यक्तिगत स्वाभावों तथा वर्गगत लाभों को भ्यान न था। महत्व बेबल एक चीज का था : मानवभूमि की स्वतन्त्रता, जिससे सभी प्रकार का स्वतन्त्रताएँ घपने ग्राप मिल जाती है। अगस्त ८, १९४२, का प्रमिद्र प्रस्ताव, धोपणापन का इन शब्दों में केन्द्र विदु भना दिया गया 'अपनी ८ अगस्त, १९४२, की माँग पर कामेस आज भी आरूढ़ है। इसी माँग तथा युद्ध-धारा के आधार पर कामेस चुनाव का समना कर रही है।'

धोपणापन इतना लम्बा है कि समूर्ख उद्धृत नहीं किया जा सकता लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी उपेक्षा भी ठीक नहीं। इसलिए बुद्ध महत्वपूर्ण अशा नीचे दिये जा रहे हैं

'पिछले साठ वर्षों से कामेस राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्नशील रही है अपनी छारी सां शुरूआत से यह धारे धारे विकसित होता गयी और इसने देश के कोने कोने में स्वतन्त्रता का सन्देश पहुँचाया। देश की जनता से शक्ति तथा चल पाकर यह एक विशाल सगड़न के रूप में विकसित हो गयी है। देश की स्वतन्त्र भावना की यह जावित प्रताक है।

'कामेस का अब तक का सारा जीवन जनता की भलाई तथा स्वतन्त्रता के लिए अनवरत युद्ध में बीता है। पिछले तीन वर्षों के अद्वितीय जनान्धान तथा उसके निर्दयतापूर्ण दमन के बाद कामेस की शक्ति में बढ़ि ही हुई है और यह उन लोगों की और भी पिय भन गया है जिनकी इसने निराशा तथा अवसादपूर्ण दृष्टि में सेवा की है।

'कामेस भारत के प्रत्येक नागरिक के समान अधिकारों के लिए, . . . सभा जातियों तथा धार्मिक वर्गों की एकता तथा उनके बीच सौदार्द एवं सहिष्णुता के लिए . . . राष्ट्र के भ तर प्रत्येक इसाई तथा प्रादेशिक ज्ञेय की स्वतन्त्रता के लिए, . . . तथा सामाजिक अन्याय तथा उससे पीड़ित सभी के अधिकारों के लिए चराचर प्रयत्नशील रह है।

'कामेस ने एक स्वतन्त्र तथा लोकतन्त्रात्मक रुज्य की कृत्यना की है जिसमें सभी नागरिकों के आधारभूल अधिनारी तथा सत्त्वों की रक्षा हो। देश का विधान सधीय होना चाहिए जिसमें इसकी वैधानिक इकाइयों को स्वायत्त शासन प्राप्त हो तथा इसके विधान-भड़ला का चुनाव चालिग मताधिकार द्वारा हो। . . .

'रुज्य पिछड़े तथा दलित वर्गों के उत्थान की अवश्यकताओं की पूर्ति करेगा . . . कवायली इलाकों के विकास के लिए सरकार पूरी सहायता देगी . . .

विदेशा शासन ने ऐसी अनेक समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं जिनका शीघ्र से शीघ्र निराकरण आवश्यक है... स्वतन्त्रता के लियाय इन समस्याओं के सुलभाव का और वाई उपाय नहीं है। राजनीतिक स्वतन्त्रता म आर्थिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रताओं का भी स्थान है।

'भारत की सभ्से महत्वपूर्ण तथा आवश्यक समस्या है दरिद्रता का अभिशाप दूर करके जनता का जाधन स्तर ऊपर उठाना'... '... हमारी समस्या मूलरूप में गौचों का है...' यह आवश्यक है कि भूमि की समस्या का सुलभाव उसके सभी पहलुओं के साथ हो... '... इस समस्या के सुलभाव में किसान तथा सरकार ने गीचबाला का रटाया जाना आवश्यक है। भूमि तथा उद्योगों के विकास में ग्रामीण तथा शहरी ग्रर्थ-नीति में सतुलन होना चाहिए।

'मानसिक, आर्थिक, सास्कृतक तथा नैतिक रूप से ऊपर उठने तथा नये प्रभार वे कायों को सम्बन्ध रूप से सम्पादित करने के लिए लोगों की उपयुक्त शिक्षा का प्रबन्ध आवश्यक है...'

'जहाँ तक शारीरिक अम का सम्बन्ध है, सरकार औद्योगिक शामका के वित्तों की रक्खा करेगी, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तथा रहन सहन का ग्रच्छा प्रबन्ध करेगी। उनके लिए मकान, काम करने के घटों तथा अम की अन्य शर्तों की व्यवस्था होगी...'

'अन्तर्राष्ट्रीय मामलों म काग्रेस स्वतन्त्र राष्ट्रों के विश्वव्यापा-संघ के निर्माण का पक्ष लेती है...' भारत को सभी राष्ट्रों से, विशेषकर अपने पड़ासिया के साथ, मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखना चाहए। स्वतन्त्रता की आहिसात्मक लडाई लड़ने वाला भारत विश्वशान्ति तथा सहयोग का सदैव पक्ष लेगा।'

निर्वाचन परिणाम— जैसी कि आशा थी काग्रेस ने साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों में पूरी विजय पायी। के द्वीप तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं में भी इसके अनेक उम्मीदवारों का नोई पिरोध नहीं हुआ और जहाँ कहीं भी हिन्दू महासभा के, नरम दल अर्थात् लिमरल या स्वतन्त्र उम्मीदवारों ने विरोध करने की हिमत की वहीं उन्हें मुँह की खानी पड़ी, अनेक जगहों म तो उनकी जमानत भी जब्त हो गयी। हालाँकि पजान के सिवर निर्वाचन-क्षेत्रों में काग्रेस को कुल बोटों की सख्ता के आधे बोट मिले, पर भी वह सिवल सारा की कबल एकत्रित हाई सारे पा सकी। लेकिन मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों में दूसरी ही दशा रही। हिन्दुओं की आधक सख्ता बाले प्रान्तों म उत्तर प्रदेश तथा कुछ सीमा तक ग्रामाम को छोड़कर काग्रेस द्वारा रुढ़े किये हुए सभी मुस्लिमान-उम्मीदवार हार गये। मुस्लिमानों की अधिक सख्ता बाले चार प्रान्तों में से दो ग्रान्ता— पजाब तथा प्रगल्ल— में मुस्लिम लीग को महत्वपूर्ण विजय मिली। सिंध म लाग की मुस्लिमानी सीटों म अधिकतर सारे मिली और काग्रेस का पक्ष लेने

बाले दलों का वहाँ अल्पमत रहा। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में काश्मेर को बहुसख्यक सीटें मिलीं हालाँकि १९३७ के चुनाव के मुकाबिले लीग का इस बार अधिक सफलता मिली। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि चुनाव में काश्मेर स तथा लीग दोनों ही देश की मजबूत राजनीतिक पार्टियाँ सिद्ध हुईं। काश्मेर इस भारत का दाया कर सकती थी कि १९४२ के उसके 'भारत छाड़ो' आनंदालन को जनता का सहयोग था क्योंकि उसे एक करोड़ नव्ये लाख वोट मिले। उसी तरह मुस्लिम लीग भी यह कह सकती थी कि भारतीय मुसलमानों के बहुसख्यक भाग का उसमें विश्वास या क्याकि उसे १५ लाख वोट मिले जो बीटी की पूरी संख्या के ७५% थे। राष्ट्रीय तथा अन्य गैर लागी मुसलमानों को ५ लाख या कुल बीटों के २५% से बहु अधिक वोट मिले, परं भी उन्हें मुसलमान सीटों की आनुपातिक संख्या न मिली। अप्रैल १९४६ में जब मन्त्रिमण्डल बने तो हिन्दूओं की बहुसंख्या वाले सभी प्रान्तों तथा पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में काश्मेर को शक्ति मिली और मुस्लिम लाभ ने बगाल तथा सिन्ध में सरकार बनायी। पञ्चाप में काश्मेर, अकालियों तथा यूनियनिटों ने सयुक्त मण्डल बना लिया और इस प्रकार अवैले सबसे बड़ी पार्टी वाली मुस्लिम लीग से इनकी सम्मिलित संख्या बहुत बढ़ गयी।

ऐटली की घोषणा— काश्मेर स्थिति में परिवर्तन की प्रतीक्षा में थी, समाज् वी सरकार से उसे यह आशा थी कि यह १९४५ की वाइसराय की सितम्बर-घोषणा के अनुसार कोई निश्चित कदम उठायेगी। इसी दीन १५ मार्च को ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मिं० ऐटली ने हाउस ऑफ़ फॉरेंस में एक महत्वपूर्ण घोषणा की जिसमें उन्होंने भारत के स्वातन्त्र्य-अधिकार को स्वीकृत किया और अपनी सरकार का यह निश्चय भी स्पष्ट किया कि वह भारतीयों का स्वतन्त्रा प्राप्ति में पूर्ण सहायता होगी और बहुसख्यक लाभों का उत्थान रखकर वह अल्पसख्यक लोगों को 'बीटी पावर' (Veto power) न देगी, उन्हें तथा उनकी सरकार का अल्पसख्यका का पूरा ध्यान था। इन शब्दों ने भारतीयों के हृदय में उन्होंने अपनी आशाएँ उत्पन्न कर दी और वे यह सोचने लगे कि चर्चिल-सरकार ने मुसलमानों के हाथ में जो 'बीटी' रख छोड़ा था वह अप लौटा लिया गया है। ये आशाएँ अपुर्ण रहीं। पानिस्तान की मार श्वीकृत हुए मिना लीग भारतीय समस्या के हल में अप भी ग्रांडगा लगा सकती थी।

कैविनेट मिशन— प्रधानमन्त्री ने यह भी घोषणा की कि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने तोन उच्च पश्चासीन सदस्यों—भारत-मन्त्री लॉर्ड पेथिक लॉरेस, व्यापार लॉर्ड के प्रेसिडेन्ट सर स्टैफर्ड क्रिप्स तथा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ़ दि ऐडमिरेलिटी मिं० ए० वी० अलेंजाटर—का एक दल भारतीय जनमत के नेताओं से भारत के विधान के निर्माण के विषय में विचार विमर्श करने हिन्दुस्तान जा रहा है। प्रधानमन्त्री ने आगे कहा : 'मेरे सहयोगी भारत इस उद्देश्य से जा रहे हैं कि वे वहाँ के

देशवालों की शीमा और शीमा भ्रष्टाचार-व्याप्ति में गहायता करे। भरतीयान गणकार ने बहुती भारत में बौद्धी सरकार बनाई, यह विश्वनाथ कर्मा भारतीयों पर पालै है तो विनाशकी दलदू उड़ाई दिल विश्वनाथ कर्मा में गुरी-गुरी गहायता देना है।

विनोद मिशन परानी में १० भाजे, १६४६, पंच काहाँ जगज से उत्तर ओर दूसरे ही दिन दिल्ली पहुँच गया। परानी में इन यताये के अन्वार पर लौटे प्रेषिक लांगों ने कहा, 'विनिधि जनता तथा गणकार की ओर से हम आपके देश-वालों के लिए मिशन सामा लोड़े थे एवं गम्भीर ताएँ हैं। तो विश्वनाथ के गारी भारत भविष्य से छार पर रहा है।'

विनोद मिशन ने देश की स्थाना १५८ लूप म हठ वर्षी जाही उपरा गहरी विनोद विनेना आवश्यक नहीं है। तो, इसा धान म आवश्यकता नहीं है। लौटे तो विनोद मिशन के लालों ने यह भाषण सर दी भी तो वे इस देश में तुमे दिल्ली तथा विश्वनाथ दूधये में गाम आ रहे हैं। विनोद दिल वरना बहुत लड़िया था। विनिधि सरकार के लिखे लालों ने तुम्हें तुम्हें अमर्शय देंसे थे। यह भी धान म राना जाहिर कि उनका उद्देश्य एक नींव विभानिक स्परेसा तेगार सरना तथा विनोद में एक धानाकी प्रतिनिधित्व-सम्पादक प्रीरापना था, विभान पा निर्माण नहीं। इस तारीखे लिए देश की विनिधि राजनीतिक परियोग, यांत्र तथा हितों का हार्दिकोण गाराना इन लालों के लिए आत्मानश्यक था। इसलिए उन्होंने भारतीय नेताओं में विनार-विनिधि वरना तथा उनकी गलाह देना ग्राम्या लिया। वरसे पहिले उन्होंने एक धानेलन लिया जिसमें गन्नार जनरल तथा ग्राम्यीय गन्नार गम्भीर लिया गया। बाद में उन्होंने नालीं, लींग तथा शान्त दलों के प्रतिनिधियों को, जिनमें तुम्हें राजे तथा लंडे राजीं के प्रधान मन्त्री भी समितिलता थी, आमंत्रित किया। मुख मिला पर १८७ बेटके हुई जिनमें ४७२ नेताओं से विनार विनिधि दुर्घाता। इस संख्या में यह जात छोटा है कि विनिधि हितों का प्रतिनिधित्व वर्ते वाले दलों की संख्या देश में विनोदी धारियां भी। लेकिन विनोद मिशन ने लालों का ग्राम्या गम्भीर विनार-विनिधि के बाद उन्हें जात दुर्घात विनानिक प्रश्न (Constitutional machinery), विभान परिवार तथा अन्तरिम सरकार ने गम्भीर महान लोगों का भत्ता एकत्र लिया था। मिशन ने इन ग्राम्या लोगों में गम्भीरा नगरों का गम्भीर ग्राम्या लिया। उससे शिमला में तीन दलों के प्रतिनिधियों का एक धानेलन भी लिया जिसमें तीन बड़ी ए ने प्रतिनिधि, तीन लींग ने प्रतिनिधि, वाइद्याय तथा विश्वनाथ के तीनों धानेलन गम्भीर लिया था। गम्भीरों ने लिए मिशन के लालों के एक योजना ग्राम्य की जो नींवे दिये हुए विद्यालों पर आधारित थी। भारत में ग्राम-शासन की आपना हो जो विदेशी गार्डों, रक्षा तथा

यातायात की व्यवस्था करे ; प्रान्तों को दो भागों में श्रेणीबद्ध किए जाय , पहली श्रेणी में हिन्दुओं की बहु सख्ता याले तथा दूसरी में मुसलमानों की बहु-सख्ता याले प्रान्त रहें । प्रत्येक भाग शेष बचे ऐसे विषया (Subjects) की देतभाल करे जिन्हें उसमें रहने वाले प्रान्त समिलित रूप से चाहें । प्रान्तों सरकारों को अन्य सभी विषयों की देतभाल करने का अधिकार हो और उन्हें अवशिष्ट शक्तियों मिलें ।

इस निदल सम्मेलन की बैठक एक साताह— ५ से ११ मई— तक रही । खूब अच्छी प्रकार विचार विनिमय हुआ , काप्रे स तथा लाग दोनों ही एक दूसरे के साथ रियायत के लिए प्रस्तुत थे लेकिन अन्त में दोनों के बीच खाइ न भर सकी और इस लिए कोई समझौता न हो सका । काप्रे स सूवे के बर्गीकरण के सिद्धान्त के पक्ष में न थी । सम्मेलन की असफलता १२ मई का घोषित कर दी गयी । कैविनेट मिशन तथा वाइसराय दिल्ली चले आये और १६ मई को उन्होंने एक घोषणा प्रकाशित की जिसमें समझौते के लिए कुछ योजनाएँ दी गयी थीं । सद्ग्राद् की सरकार ने इन योजनाओं को अपनी पूरी स्वाकृति दी थी ।

मुसलमानों की इस व्यग्रता से कि कही ऐसा न हो कि उन्हें बहु-सख्तक हिन्दुओं के बड़ों शासन में रहना पड़े, कैविनेट मिशन के सदस्य बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुसलमानों की पाकिस्तान के स्वतन्त्र सत्त्वप्राप्त राज्य की माँग को अच्छी तरह सोचा समझा । अन्त में वे इस निश्चय पर पहुँचे कि मुसलमानों द्वारा निर्धारित की हुई रूपरेखा के अनुसार पाकिस्तान के निर्माण से साम्राज्यिक समस्या का नियकरण न होगा , और न उन्हे इसमें ही कोई संगत तर्क दियायी पड़ा कि पञ्चाब, बंगाल तथा आसाम के अधिकाशत गैर-मुस्लिम जन सख्ता याले जिलों की पाकिस्तान के अन्दर समिलित कर लिया जाय । उनकी इष्टि से पाकिस्तान के पक्ष में जो तर्क प्रयुक्त हो सकते थे वही गैर मुस्लिम जिलों के उसम न रखने के पक्ष म भा लागू थे । पश्चिमोत्तर भाग म, जिसमें पञ्चाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिन्ध तथा ग्राइटश बलूचिस्तान समिलित था, गैर-मुसलमानों की सख्ता कुल जन सख्ता की ३८ % थी तथा बंगाल तथा आसाम याले उत्तर-पूर्वी भाग म कुल जन सख्ता की ४८ % । उन्होंने इस पर भी विचार किया कि मुसलमानों की अधिक सख्ता है या नहीं, लेकिन यह विचार अव्यवहार्य निकला । इस विचार को व्यवहार रूप म परिणत किये जाने पर पञ्चाब तथा बंगाल का शीघ्र विभाजन हो जाता और यह इन प्रान्तों की एक बड़ी सख्ता की इच्छाओं तथा दिलों के विरुद्ध पड़ता । जहाँ तक मूल्यवान द्वे नों के पाकिस्तान से निकल जाने का प्रश्न था, मुस्लिम लीग ने भी उस विचार को स्वीकार नहीं किया ।

इसके अतिरिक्त शासन समन्वयी, आधिक तथा फौजी कुछ और भी महत्वपूर्ण कारण थे जो देश के विभाजन के प्रतिकूल पड़ने थे । पाकिस्तान के निर्माण से अखंड

भारत के आधार पर स्थापित यातायात तथा डाक-तार का सारा प्रबन्ध छिन्न-भिन्न हो जाता ; देश की सेना का भी विभाजन आवश्यक हो जाता जिससे पौज की प्रतिष्ठा तथा उसकी परम्परा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता । इन कारणों तथा अन्य कई बातों को ध्यान में रखकर मिशन ने प्रिटिश सरकार का दा स्वतन्त्र राज्यों को सत्ता हस्तान्तरित करने की सलाह देने में अपने के ग्रस्तर्थ पाया ।

इसी प्रकार सध-राज्य की कामेसी योजना पर भी मिशन ने विचार किया । “इस योजना के अनुसार विदेशी मामलों, रक्षा तथा यातायात— इन केन्द्राय विषयों को छोड़कर प्राप्त अपने पूरे शासन में स्वतन्त्र रहते । शासन-सम्बन्धी तथा आधिक योजनाओं में कैचे परिमाण पर भाग लेने की इच्छा हाने पर प्रातों को इन तीन आवश्यक विषयों के अतिरिक्त कुछ और वैकल्पिक विषय भी देने पड़ते । मिशन वे सदस्यों के अनुसार यह योजना ऐसी कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न करती जो वैधानिक रूप से ग्रसगत पड़ती । इसलिए मिशन ने इस योजना को भी अस्वीकृत कर दिया ।

कैविनेट-मिशन ने प्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के सम्बन्ध पर भी विचार किया और यह मत प्रकट किया कि नवाँ परिस्थितियों के अनुसार प्रिटिश काउन को सार्व सत्ता (Paramountcy) अपने हाथ में रखना या उसे प्रिटिश भारत की सरकार को दे देना असम्भव हो जाता । यह अच्छा हुआ कि भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्वों ने भारत के नये विकास में पूरे सहयोग की इच्छा प्रकट की । वैधानिक दोनों के निर्माण के समय उनके इस सहयोग का क्या रूप होता इसे निश्चित करना प्रिटिश भारत तथा राज्यों के प्रतिनिधियों का काम था ।

कैविनेट-मिशन-योजना— मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग को अत्यवहार्य तथा काप्रेस की सध-राज्य का योजना जो वैधानिक रूप से अनुपयुक्त बताकर कैविनेट-मिशन ने एक ऐसी योजना रखने का प्रयत्न किया जो सभी दलों की साथ माँगों की पूर्ति तथा समूचे भारत के लिए एक स्थायी तथा व्यवहार्य विधान का निर्माण करती । विधान का रूप निम्नलिखित होता :

(i) प्रिटिश भारत तथा राज्यों को मिलाकर एक मारतीय सध होता जो विदेशी मामलों, रक्षा तथा यातायात की देखभाल करता और जो इन विषयों के लिए आवश्यक वित्त (Finance) एकत्रित करने की शक्ति भी रखता ।

(ii) सध की एक कार्य-कारिणी तथा व्यवस्थापिका होती जिसमें प्रिटिश भारत तथा राज्यों के प्रतिनिधि रहते । व्यवस्थापिका में उत्पन्न होने वाले निती रडे साम्यदायिक प्रश्न के इल के लिए दोनों बड़े दलों के ग्रलग-ग्रलग प्रतिनिधियों के बहुमत और साथ ही सभी सदस्यों की पूरी सहयोग का बहुमत आवश्यक था ।

(iii) संघीय विधयों को छोड़कर अन्य सभी विषय तथा सभी अधिशिष्ठ शक्तियाँ प्रान्तों को मिलतीं।

(iv) संघ को दी हुई शक्तियों तथा विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय तथा शक्तियों रियासतों वे पास रहतीं।

(v) प्रान्तों का इस बात का अधिकार था कि वे अलग-अलग भूपृष्ठ बनायें और प्रत्येक भूपृष्ठ की अलग-अलग कार्य-पालिका तथा विधान-मण्डल होता।

(vi) संघ तथा इन समुदायों के विधान में एक धारा रहती जिसके अनुसार अपने विधान-मण्डल के बहुसंख्यक बोट द्वारा किसी भी प्रान्त की विधान की धाराओं पर पुनर्विचार करने का अधिकार रहता। यह अधिकार परिलेप-पदल दस बयों बाद और फिर प्रत्येक दस बयों बाद लागू हो सकता।

कैबिनेट मिशन को देश के लिए भविष्य में बनने वाले विधान के सम्बन्ध में उपरोक्त धाराएँ बनानी पड़ीं क्योंकि समझौते की बातचीत के दौरान में उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि इस प्रकार की योजनाओं के बिना इस बात की कोई आशा नहीं की जा सकती थी कि दोनों प्रमुख दल विधान बनाने वाली मर्शीन का अपना सहयोग देते।

इसके बाद मिशन ने विधान निर्मित करने वाली संस्था का प्रश्न हाथ में लिया। देश में बालिग मताधिकार न होने, विभिन्न प्रान्तों के विधान मण्डल के सदस्यों की सख्त उन प्रान्तों की सम्पूर्ण जन-सख्ता के अनुसार आनुपातिक न होने तथा प्रत्येक प्रान्त के विधान मण्डल की सदस्यता का वहाँ के विभिन्न बगों की सम्पूर्ण सख्ता से मेल न बैठने के कारण विधान परिषद् की स्थापना एक कठिन कार्य बन गयी। विभिन्न तरीकों के सतर्कतापूर्वक निरीक्षण के बाद कैबिनेट मिशन ने यह निश्चित किया कि सबसे अधिक उपयुक्त योजना यह होगी जिसमें (अ) अपनी जन-सख्ता के अनुसार प्रत्येक प्रान्त की सीटें निश्चित कर दी जायें, जैसे प्रत्येक दस लाख के लिए एक सीट, बालिग मताधिकार के स्थान पर यही सबसे उपयुक्त चीज़ थी, (ब) प्रत्येक प्रान्त की सीटें उस प्रान्त के बड़े बगों में, उनकी जन-सख्ता के अनुसार विभाजित कर दी जायें, और (स) यह निश्चित कर दिया जाय कि प्रान्त के प्रत्येक बगों के प्रतिनिधियों का जुनाव विधान-सभा में उसके सदस्यों द्वारा होगा। इन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर मिशन ने साधारण, मुख्लिम तथा सिक्ख—के बल इन तीनों का ही वर्ग माना।

ऊपर दिये हुए आधार के अनुमार सविधान परिषद् को टोटल सख्ता ३८५+४=३८९ रक्खी गयी। ब्रिटिश भारत में २६२ सदस्य गवर्नरों के प्रान्तों से तथा ४ सदस्य चीफ कमिशनरों के प्रान्तों से होते। भारतीय राज्यों के अधिक से अधिक ही प्रतिनिधि रहते। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का विभिन्न प्रान्तों तथा बगों में विभाजन निम्नलिखित रूप से करने का प्रत्याय था :

भाग (अ)

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	टोटल
मद्रास	४५	४	४६
बम्बई	१६	२	२१
उत्तर प्रदेश	४७	८	५५
विहार	३१	५	३६
मध्यप्रान्त	१६	१	१७
उड़ीसा	६	०	६
टोटल	१६७	२०	१८७

भाग (ब)

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	सिन्ध	टोटल
पश्चिम	८	१६	४	२८
पश्चिमोत्तर प्रान्त	०	३	०	३
सिन्ध	१	३	०	४
टोटल	८	२२	४	३४

भाग (स)

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	टोटल
नगाल	२७	३३	६०
आसाम	७	३	१०
टोटल	३४	३६	७०

चौथे कमिश्नरों वे प्रान्तों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाग (अ) में तीन सदस्य—दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा और कुर्ग, इन तीनों से एक एक—जोड़ दिये जाते। विशिष्ट बलूचिस्तान को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सदस्य भाग (ब) में जोड़ा जाता। भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों की सख्ती ६३ से अधिक न होती। इनके चुनाव की निश्चित प्रणाली विचार विनियम के पश्चात् तय होती। प्रारम्भिक दृष्टि में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समझौता बोर्डी (Negotiating Committee) करती।

१६ मई की घोषणा ने संविधान-परिषद् की पहली मीटिंग का कार्य भी निश्चित किया। इस कार्य में चेत्रमैन तथा अन्य पदाधिकारियों का चुनाव, नागरिकों, अल्पसंख्यकों, कच्चायली तथा पृथक् ज़ोनों (Excluded areas) के अधिकारों

के अनुसार परामर्शी समिति (Advisory Committee) का चुनाव तथा ऊपर दिये हुए नवशे के अनुसार प्रान्तीय प्रतिनिधियों का तीन भागों— थ, न, स— में विभाजन सम्मिलित था । ये भाग अपने में सम्मिलित प्रान्तों का विधान निश्चित करते थे और यह भी तय करते कि कोई वर्गीय विधान (Group Constitution) उन्होंना या नहीं, यदि हों, तो सम्मिलित विधान के जिसे बैन-बैनसे प्रान्तीय विधान रहते । प्रान्तों को अपने वर्ग से नक्ल जाने का अधिकार भी दिया गया ।

धारणा में आयी हुई अन्य चीजों में से केवल दो और का हम यहाँ महिमा परिचय दे रहे हैं । सत्ता हस्तान्तरण के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई कुछ परिस्थितियाँ से निवाटने के लिए धोपणा में सधीय विधान परिपद् तथा ब्रिटेन में एक सन्धि कराने की व्यवस्था थी । प्रमुख राजनीतिक दलों के सहयोग से एक अन्तर्रिम सरकार की शीघ्र स्थापना पर तबसे अधिक जार दिया गया । अन्तर्रिम सरकार में युद्ध-विभाग तथा सभी विभाग उत्तर राजनीतिक नेताओं के हाथ में रखकर जाते जिन पर जनता का पूरा विश्वास रहता । इस प्रकार बनी सरकार को ब्रिटिश सरकार का पूरा सहयोग रहता, शीघ्र से शीघ्र अपने ऊपर सारा उच्चराजित्य ले लेने की शक्ति प्राप्त करने के लिए वह हर प्रकार की सहायता देती ।

कैबिनेट-मिशन-योजना का मूल्यांकन— कैबिनेट मिशन योजना के ठीक-ठीक मूल्यांकन के लिए हमें उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए जिनमें इसकी व्यवस्था तथा धोपणा हुई थी । हम यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि देश में उत्पन्न हुई राजनीतिक बच्चे के हलों के लिए ब्रिटिश सरकार पूर्ण रूप से उत्सुक थी क्योंकि वारप में महायुद्ध की समाप्ति हो गयी थी और वज्र भित्र गढ़ों के हाथ लगी थी । भारत के एक नये विधान के निर्माण के उद्देश्य से समाज का सरकार तो एक विधान परिपद् की स्थापना के लिए भी प्रस्तुत थी । लेकिन नये विधान के निर्माण के तरांग पर बायोस तथा मर्लिम लीग के बीच मतभेद ने एक विषम स्थिति उत्पन्न कर दी थी । ये दोनों प्रमुख दल आपस में समझौता नहीं कर सके क्योंकि उनके उद्देश्य तथा लक्ष्य ही भिन्न थे । मुस्लिम लीग की मौंग भी भारत का दो स्वतन्त्र राज्यों में विभाजन और जब तक वह मौंग स्वीकृत न होती वह विधान के निर्माण में भाग लेने के लिए तैयार न थी । कायोस सम्पूर्ण तथा अविभाजित भारत के पक्ष में तथा पाकिस्तान बनाये जाने के विरुद्ध थी लेकिन साथ ही साथ वह प्रान्तों को अधिक से अधिक सत्ता प्रदान करने के लिए भी प्रस्तुत थी ताकि अपनी अधिक सदृश्य बाले प्रान्तों में सुलभान अपनी सभ्यता, सहृदात तथा जीवन प्रणाली की रक्षा कर सकें । मिशन ने इन दोनों प्रमुख दलों में समझौते का बड़ा प्रयत्न किया लेकिन वह असफल रहा । दोनों दलों के हितों को ध्यान में रखकर एक विधान बनाने वाली सत्ता के शीघ्र से शीघ्र निर्माण के अतिरिक्त अब और कोई चारा न था । सबकी बातें सुनकर तथा सब सोच विचार के बाद ही उसने अपनी योजनाएँ लोगों के सामने रखी । योजनाओं की प्रकृति

समझौता करने वाली थी इसलिए उनसे किसी भी दल को पूरा सम्मोहन नहीं मिला। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि कांग्रेस तथा लीग में समझौता करने के लिए इस योजना द्वारा सच्चा और अच्छा प्रयत्न किया गया था।

प्रान्तों तथा भारतीय राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण तथा विदेशीय नीति, रक्षा, यातायात और इन विभागों के लिए आवश्यक वित्त का प्रबन्ध कार्यपालिका तथा विधान मण्डल के हाथ में देकर और पाकिस्तान की मौंग अस्वीकृत करके मिशन-योजना ने कॉंग्रेस की मौंगों की कुछ सीमा तक स्वीकार कर लिया।

वैदेशिक सम्बन्ध, रक्षा तथा यातायात— इन तीन विषयों को संघ के हाथ में देकर शेष सभी विषयों में प्रान्तों को पूरी स्वतन्त्रता प्रदान करके, प्रान्तों को अनेक गुटों में समर्टित होने का अधिकार देकर तथा उन गुटों की अपनी स्वर्य की कार्यपालिका तथा विधान-मण्डल की व्यवस्था करके कैबिनेट मिशन ने, देश के विभाजन से उत्पन्न खतरों को बिना आमन्दित किये हुए, मुसलमानों को पाकिस्तान के सभी लाभों को देने का प्रयत्न किया। बगाल तथा आसाम का एक वर्ग (Group) बनता; पजाब, पश्चिमोत्तर प्रान्त, सिन्ध तथा ब्रिटिश चिलूचिस्तान का दूसरा। इन वर्गों का ज्ञेन ठीक उतना ही होता जितना लीग पाकिस्तान में रखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, योजना ने यह व्यवस्था की थी कि विधान परिषद् में उत्पन्न हुए किसी बड़े साम्प्रदायिक प्रश्न के हल के लिए प्रत्येक वर्ग वे प्रतिनिधियों तथा विधान परिषद् के सभी सदस्यों की सख्ता के अधिकाश के निर्णय की आवश्यकता पड़ती। यह व्यवस्था लीग की विचारधारा के अनुकूल बनायी गई थी। लीग की राय तथा उसके सहयोग के लिए ही उसे ये छोड़ दी गयी बर्ना इनके बगैर वह आगे बढ़ने के लिए प्रस्तुत न थी। कैबिनेट मिशन की योजनाओं में लीग की अपनी मौंगों का तत्व दिखाई पड़ा; इसका प्रमाण यह है कि प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मौंग अस्वीकार करने के कारण योजनाओं की आलोचना करते हुए भी लीग ने बन ६, १६४५ को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें उसने योजनाओं को अपनी पूरी स्वीकृति दी।

कैबिनेट-मिशन योजना की और भी अच्छाइयों थीं। विधान-परिषद् का निर्माण लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्तों पर होता; प्रतिनिधियों की सख्ता जन-सख्ता के अनुपात से रक्खी लाती। अल्पसख्यकों को जन-सख्ता के अनुपात से अधिक स्थान देने का पुराना सिद्धान्त एकदम समाप्त कर दिया गया। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के बल मुसलमानों तथा सिक्खों के लिए सुरक्षित सख्ता गया, १६३५ के ऐक्ट के अनुसार आगल मारतीयों, भारतीय ईसाईयों तथा अन्य छोड़े छोटे वर्गों के लिए ऐसी जो सुविधा मिली थी वह समाप्त करदी गयी। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त पूर्ण रूप से

समाप्त तो नहीं हुआ, हाँ, उसका चेन समित अवश्य कर दिया गया और यह कोई मामूली लाभ न था। इस सम्बन्ध में यह बता देना उपयुक्त होगा कि आज्ञ-भारतीयों, भारतीय ईसाइयों तथा गैर काशी से हिन्दुओं को मिशन-योजना के अनुसार बनाया सविधान सभा में कुछ 'जनरल' सार्टे देकर काशी से ने वही बुद्धिमत्ता तथा उदारता का परिचय दिया।

कैचिनेट-मिशन-योजना का यह भी एक बड़ा गुण था कि सविधान-सभा के सारे सदस्य मारंतीय ही रहते। कैचिनेट-मिशन का आन इस ओर आकर्षित किये जाने पर कि उनकी योजना के अनुसार चाल तथा कुछ अन्य प्रान्तों के विधान मढ़लों के यूरोपियन सदस्य सविधान सभा में कुछ यूरोपियन सदस्यों को निर्वाचन द्वारा भेज सकते थे, उसने तथा गवर्नर-जनरल ने इस बात पर पूरा ध्यान रखता कि सविधान-परिषद् के सदस्यों के चुनाव में यूरोपियन सदस्य भाग न लें। उत्तर प्रदेश के विधान-मढ़ल के यूरोपियन सदस्य ही इस नियम के अपवाद रहे। मिशन ने यह भी व्यवस्था की कि सविधान सभा के कार्य में विटिश सरकार तथा सरकारी ग्राफ्सर किसी प्रकार का हस्तदेप न कर सके। योजना के टॉचे के भीतर सविधान-सभा को पूर्ण सत्ता प्राप्त थी।

१७ मई को लाई वेवला ने अपने एक रेहिंगों में कैचिनेट-मिशन योजना की अच्छाइयाँ बड़े अच्छे ढंग से प्रदर्शित की थीं। भाषण में कुछ उत्तुका अश नीचे दिये जा रहे हैं-

'मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि इन सुधारों के निर्माण में हम लोगों की शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक अध्ययन, सोच विचार, नेक-नीयती तथा सचाई का उपयोग हुआ है। हम लोग तो यही अच्छा समझते थे कि भारताय नेता आपस में ही समझौता कर लेने और इसके लिए हमने पूरा प्रयत्न भी किया, लेकिन यह चीज समझन न हुई हालांकि दोनों ओर के नेता एक दूसरे के प्रति पर्याप्त रियायत के लिए प्रस्तुत थे।

'आपके सामने जो योजनाएँ रखी गयी हैं वे ऐसी नहीं हैं जिन्हें कोई अकेली पार्टी पसाद करती। लेकिन मेरा यह विश्वास है कि इन योजनाओं को ही आधार बनाकर भारत के सुव्यवस्थित तथा सगठित सविधान का निर्माण सम्भव है। इनसे भारत की उस मूलभूत एकता की रक्षा सम्भव है जिसे दो बड़े बगों के बीच वैमनस्य से बराबर खतरा बना हुआ है, और ये विशेष रूप से भारतीय-सैनिक-शक्ति को छिप भिन्न होने से बचा लेंगी और इसी शक्ति के समर्थन पर भारत की भावध रक्षा सम्भव है।'

'मुसलमानों को अपने धर्म, अपनी शिक्षा, सत्कृति, अपने आर्थिक तथा अन्य हितों की रक्षा का पूरा अधिकार मिलेगा' "सिक्खों के लिए उनका पजाह

अधिभाजित रखा न यगा , अन्तर्राष्ट्रीय संघों को अपनी आवश्यकताओं को समने रखने तथा अपने हितों का रक्षा का पूर्ण अप्रसर मिलेगा ” ” ” ” इन योजनाओं से भारत म पूर्ण शानि स्थित होने की आशा है ; यह शानि वर्गणत विदेश से परे रहेगी ।

काम्रेस दृष्टिकोण योजना के प्रति— याजना पर विचार विनिमय करने के लिए काम्रेस-प्रेसिडेन्ट ने १७ मई को कार्य-समिति की एक बैठक बुलायी । समिति ने कुछ चातों को और सप्त रुप से समझना चाहा क्योंकि या तो वे काम्रेस-दृष्टिकोण र निष्ठ वडती थीं या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाती थीं । वे चातें निम्नलिखित थीं (१) प्रन्तों को ग्रन्ति-ग्रन्ति समूहों में शेषीबद्ध करने का सिद्धान्त, (२) विधान सभा का स्वतन्त्र सत्त्वप्राप्त रूप, और (३) सम्भाजित अन्तर्रिम सरकार की रूप रेखा तथा उसक ग्रांथार । प्रान्तों को अनेक समूहों में शेषीबद्ध करने का प्रश्न बड़ा हो महत्वपूर्ण या और कार्य समिति ने कैबिनेट मिशन का ध्यान योजनाओं में दो अचंग अचंग जगहों पर कही गयों दा भिन्न धारों की ओर ठिलाया । १५वें पैराग्राफ के पाँचवें भगव अनुभार ‘प्रान्तों को कार्य-पालिका तथा विधान मंडल क साथ वर्ग बनाने या न बनाने का स्वतन्त्रता थी, और १६वें पैराग्राफ की पाँचवीं धारा के अनुभार प्रान्तों र निए वर्ग म सम्मिलित होना अनिवार्य था । यदि सम्मिलित होना या न होना प्रान्तों की इच्छा पर होइ दिया जाता तो काम्रेस का वर्ग बनाने पर कोई अपरिचि न थी लेकिन वर्ग बनाने के अनिवार्य सिद्धान्त पर उसे आचेन अपश्य था । काम्रेस की कार्य-समिति ने धारणा का अपने निम्नलिखित उद्देश्य का ध्यान म रखते हुए मूल्याकन किया (१) भारत के लिए स्वतन्त्रता, (२) शक्तिपूर्ण मिन्तु सामिन बन्दोष सरकार, (३) प्रान्तों के लिए स्वायत्त शासन (Autonomy), (४) बन्द्र तथा इकाइयों म लोकतात्मक व्यवस्था की स्थापना, (५) प्रत्येक ग्रांति के मूल अधिकारों की रक्षा द्विसे वह अपना पूरा विकास कर सक, और (६) एक बहतर दाँचे र भीतर प्रत्येक वर्ग को अपनी इच्छानुसार जावन चिनाने का अप्रसर तथा अधिकार । चौंकि मिशन ने अपनी धारणा म भर्त्यता का कोई पूरा चिन नहीं दीचा, विशेषतया इन म स्थापित होने वाली राष्ट्रीय सरकार के सम्बन्ध म, इसलिए कार्य-समिति ने धारणा पर उस समय कोई निश्चित मत प्रकट करने म अपनी असमर्थता प्रकट की ।

लीगी दृष्टिकोण— मुख्यमंत्री लीग की कॉमिटी २२ मई को बैठा । इस बैठक म योजनाओं पर अनेक आचेन किये गए और उनक अनेक ग्रांतों के स्पष्टीकरण की माँग की गया । लीग ने भी इसे दोकार या अस्वीकार करने के सम्बन्ध म कोई विचार प्रकर नहीं किये ।

कैबिनेट मिशन का स्पष्टीकरण— २५ मई को कैबिनेट मिशन ने एक शोधणा प्रक शित की जिसम इस जात पर जार दिया गया कि याजना एक अविभाज्य

इकाई है और आपमें सहयोग के साथ कार्यान्वयित करने में ही वह पूर्ण रूप से सफल हो सकती है। ओपरणा में यह भी स्पष्ट किया गया कि सविधान सभा ने एक बार समर्गित होने और कार्य प्रारम्भ करने पर उसके निर्णयों में कोई हस्तांकेप न होगा। कांग्रेस द्वारा उठाये गये 'बर्ग बनाने' के प्रश्न पर मिशन ने यह विचार ग्रहण किया कि कांग्रेस का यह अर्थ कि प्रान्त चर्ग बनाने या न बनाने में स्वतन्त्र हैं, मिशन के विचारों से मेल नहीं रहता।

अन्तरिम सरकार के विषय में बाद-विवाद— देश की प्रमुख पार्टियों के सहयोग से एक अन्तरिम सरकार की स्थापना कैविनेट-मिशन-योजना का प्रसुत ग्रहण था। यह कार्य बाइसराय ने ऊपर होड़ा गया और उन्होंने इस सम्बन्ध में भारतीय नेताओं से पत्र व्यवहार प्रारम्भ किया। अन्तरिम सरकार स्थ पित करने की व्यवस्था भी तात्कालिक योजना कहा गया क्योंकि यह सविधान बनाने की व्यवस्था से, जिसे लम्बी योजना कहा गया, भिन्न थी। लॉर्ड वेबल और कांग्रेस तथा लीग के प्रेसिडेन्टों में इस विषय पर काफी पत्र व्यवहार हुआ। कांग्रेस यह चाहती थी कि अन्तरिम-सरकार शैयितनेशिक मन्त्रिमण्डल के रूप में कार्य करने के साथ साथ केन्द्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तर-दायी रहती और गवर्नर-जनरल ने उपर सविधानिक प्रधान होता। इसके उत्तर में गवर्नर-जनरल ने कहा कि सभ्याट की सरकार की यह इच्छा भी कि देश के दिन-प्रति दिन के शासन में भारतीय सरकार को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाती और उनकी अपनी यह इच्छा थी कि सभ्याट की सरकार के इस बादे को पूरा किया जाय। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि नयी सरकार में उसके तथा कांग्रेस के प्रतिनिधियों की सख्त समान हो। लेकिन कांग्रेस इस व्यवस्था के एकदम विरुद्ध थी। कांग्रेस प्रेसिडेन्ट के पास बाइसराय ने जो सुझाव भेजे उसमें बराबरी के इस सिद्धान्त को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया। कांग्रेस-प्रेसिडेन्ट ने इस सम्बन्ध में बाइसराय को एक लम्बा पत्र लिखा जिसका उपयुक्त अर्थ नीचे लिया है— 'कैविनेट के निर्माण में आपने जो सुझाव रखकर हैं उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों की सख्त दलित बगों तथा हिन्दुओं की समिलित सख्ता के बराबर है, सबर्ण हिन्दुओं की सख्त तो सचमुच लीगियों से कम है। १९४४ के जून म शिमला में जो स्थिति थीं आज वह उससे भी असतोप-जनक है क्योंकि आपकी उस समय की ओपरणा के अनुसार सबर्ण हिन्दुओं तथा लीगियों की सख्ताएँ समान रहती और दलित बगों के हिन्दुओं को अलग संटो मिलती। मुस्लिम सीटों वेबल मुस्लिम लीग के लिए सुरक्षित न थीं, उसमें तौर लीगियों को भी स्थान मिल सकता था। आज की स्थिति तो हिन्दुओं के प्रति न्यायपूर्ण नहीं है और उसमें गैर लीगियों को कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है। मेरी कार्यसमिति ऐसा कोई भी सुझाव स्वीकार नहीं कर सकती हम लोग समानता को किसी भी रूप में स्वीकार करने के लिए प्राप्त नहीं हैं।' और भी कई ऐसे हाइटोल

ये जिन्होंने कामेस को गवर्नर जनरल के सुभाव अख्याइत करने के लिए बाध्य कर दिया।

१६ जून की घोषणा— कामेस वा सद्योग प्राप्त करने के लिए बाइसराय ने समय समय पर जो सुभाव रखते उन्हें कामेस-कार्य समिति न स्वीकार कर सकी। कारण सच्च था : वे कामेस तथा छोटे-छोटे अन्य बगों के प्रति अनुचित तथा अन्यायपूर्ण थे। इसलिए कैबिनेट मिशन तथा बाइसराय को अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में इन्हे सुभाव रखने पड़े। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर १६४६ की १६ जून को एक सरकारी बक्तव्य प्रकाशित किया गया जिसका उपयुक्त अंश नीचे है :

‘बाइसराय तथा कैबिनेट मिशन के सदस्यों की कुछ समय से यह इच्छा रही है कि देश की दो प्रमुख तथा अल्पसंखक पार्टियों के सहयोग से एक सम्मिलित सरकार बनायी जाय। विचार-विनियम से यह सच्च हो चुका है कि ऐसा कोई उभयनिष्ठ आधार नहीं है जिसे मान कर दोनों पार्टियों कोई ऐसी सरकार बना सकें।

‘बाइसराय तथा कैबिनेट मिशन के सदस्य कामेस तथा लीग की कठिनाइयों से भली भौत परिचित हैं...’ इसलिए बाद-विवाद को और अधिक बढ़ाना ठीक नहीं है। इस प्रकार अपने दोनों एक मार्ग शेष है और वह है सभी बगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अन्तरिम सरकार की स्थापना.....

‘इसलिए बाइसराय कुछ प्रतिष्ठापात्र व्यक्तियों को इस बात का निमन्त्रण दे रहे हैं कि वे अन्तरिम सरकार में रहकर सेवा-कार्य करें और साथ ही साथ १६ मई की घोषणा के अनुसार सचिवान बनाने में सहायक बनें। ये व्यक्ति हैं : सरदार बलदेव तिंह, सर एन० पी० एजीनियर, श्री बगजीवनगम, पडित जवाहरलाल नेहरू, मि० एम० ए० जिन्ना, नवाजजादा लियाकत अली खाँ, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री० एच० के० मेहताब, डॉ० जॉन मथाई, नवाब मोहम्मद इस्माइल खाँ, रवाजा सर नाजिमुद्दीन, सरदार अर्द्धरुब निश्तर, सरदार बत्सुमभाई पटेल, और डॉ० राजेन्द्रप्रसाद। इन आमन्त्रित व्यक्तियों में से यदि कोई किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं आ सकता तो विचार के बाद बाइसराय उनकी जगह पर (किसी) अन्य व्यक्ति को आमन्त्रित करेंगे।

‘विभागों का विभाजन बाइसराय दोनों प्रमुख दलों के नेताओं की सलाह से करेंगे।

‘अन्तरिम सरकार में देश के दोनों प्रमुख दलों का रहना आवश्यक है। यदि वे दोनों या उनमें से कोई एक सम्मिलित रहने में अपनी असमर्थता प्रकट करेगा तो बाइसराय एक ऐसी अन्तरिम सरकार की स्थापना करेंगे जो १६ मई की घोषणा स्वीकार करने वाली का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व कर सके।’

बाइसराय ने इस घोषणा की एक एक प्रति कांग्रेस तथा लीग के प्रेसिडेन्टों के पास मेजदी और यह आशा प्रकट की कि देश के शासन में दोनों प्रमुख दलों का भाग रहे। उन्होंने दोनों दलों से योजना को समझौते की दृष्टि से देखने तथा देश की बड़ी समस्याओं तथा अनिवार्य आवश्यकताओं को व्यान में रखने की अपील की।

कांग्रेस को जून १६-योजना अस्वीकृत— कांग्रेस-कार्थ-समिति की बैठक दिल्ली में १८ जून से २५ जून तक हुई और पर्याप्त विचार-विनियम द्वाद उसने अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने में अपनी असमर्थता प्रकट की। २५ जून को उसने बाइसराय के नाम एक लग्ना पत्र लिया जिसमें उसने अपनी इस असमर्थता के कारण स्पष्ट किये। इन सभी कारणों को यहाँ व्यक्त करना आवश्यक नहीं है; हाँ, कुछ महत्वपूर्ण कारण स्पष्ट किये जा सकते हैं। बाप्रेस एक राष्ट्राय सम्मान जिसमें मुसलमान सदस्य भी थे, इस लिए यह अन्तरिम सरकार के बायेस सदस्यों में एक राष्ट्रीय मुसलमान भी सम्मिलित करना चाहती थी और इसे वह अपना अधिकार भी समझती थी। बाइसराय तथा कैबिनेट मिशन के सदस्यों को कांग्रेस की यह माँग स्वीकृत न हो सकी बगेकि मिठू मुहम्मदअली जिन्ना इसका सख्त विरोध करते थे। मिठू मुहम्मदअली जिन्ना के नाम एक पत्र में लॉर्ड वेल ने दलित धर्मों की अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखना स्वीकार कर लिया और उन्होंने उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि इन धर्मों के लिए निश्चित सीटों को भरने के लिए किसी सदस्य की भविष्य म आवश्यकता पड़ने पर वह मुस्लिम लीग के नेता की राय लेते। बाइसराय ने मिठू जिन्ना को कुछ ऐसे और भा आश्वासन दिये थे जिनके कारण अन्तरिम सरकार मुच्चारू रूप से न चल पाती और राजनीतिक जिंदों की उत्पत्ति अनिवार्य हो जाती। यदि जून १६ की घोषणा के अनुसार सरकार-निर्माण में कांग्रेस कार्थ-समिति बाइसराय की सहायता न कर सकी तो इसमें आश्चर्य ही ब्या है। परी भी, उसने बैंगिनेट मिशन की १६ मई की योजना स्वीकार कर ली और संविधान-सभा में सम्मिलित होना भी निश्चित किया। हाँ, घोषणा के कुछ अशो का उसने अपने अनुकूल अर्थ अवश्य किया। जून २६, १९४६, का पास किए हुए कांग्रेस-प्रस्ताव के सिम्बोलिक उद्घाटन से लम्बी तथा तात्कालिक योजनाओं में सम्बन्ध में कांग्रेस की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है: ‘एक स्थायी या विसी अन्य सरकार के निर्माण में कांग्रेस-जन कांग्रेस के राष्ट्रीय रूप का त्याग नहीं कर सकते, वे किसी प्रकार का अन्यायपूर्ण समझौता नहीं स्वीकार कर सकते और किसी साम्राज्यिक वर्ग की ‘बीटो’ की शक्ति प्रदान करने के सिद्धान्त से भी वे सहमत नहीं हैं। जून २६ की घोषणा के अनुसार एक अन्तरिम सरकार की स्थापना का कांग्रेस पूरा विरोध करती है। लेकिन संभावित संविधान सभा में सम्मिलित होने का उसने निश्चय किया है ताकि स्वतन्त्र, संघटित और लोकतंत्रक भारत के लिए एक संविधान का निर्माण हो सके।’

जैसा कि पहले प्रदर्शित किया जा चुका है, मुस्लिम लीग ने जून ६, १९४६, को एक प्रस्ताव पास करके योजनाओं को अपनी स्वीकृति दे दी और सविधान परियोग में भी समिलित होने की अपनी इच्छा प्रकट की हालतोंकि उसकी हाइ प्रान्तीप वर्ग के सध से अलग हो जाने के उस अधिकार पर परावर बनो रही जो कैपिनेट मिशन की योजना में निहित है। अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में प्रेसिडेन्ट ने बाइसराय से सूप पत्र व्यबहार किया और वह प्रन्तरिम सरकार बनाने की प्रतीक्षा ही में थे। चूँकि कांग्रेस ने १६ मई की योजना को तो स्वीकार किया था और १६ जून की घोषणा को ग्रस्तीकार, इसलिये सौंड वेबेन कुछ उलझन में पढ़ गये और उन्होंने अन्तरिम सरकार बनाने का निश्चय कुछ दिनों के लिए स्थगित करका। अन्तरिम सरकार की स्थापना स्थगित हो जाने से मोहम्मद अली जिना का दबी निराशा हुई। कैपिनेट मिशन के सदस्यों ने जून २६ को एक बहुत्य प्रश्नाशित किया जिसमें उन लोगों ने कांग्रेस तथा लीग के बक़रओं का स्वागत किया जिन्होंने इस बात पर सेद प्रकर किया कि इन बक़रों में अन्तरिम सरकार की स्थापना के लिए कोई निश्चित तथा सम्भव याधार नहीं रखता गया था। उन्होंने यह इच्छा भी प्रकट की कि उनकी १६ जून की घोषणा ने पैरा द की शर्तों क प्रत्युत्तर प्रयत्नों को पिर से प्रारम्भ किया जाता। इस बाच शासन तथा सविधान सभा के उन्नाव का कायै चलाने के लिए एक काम-चलाऊ सरकार बना ली गया। २६ जून का कैपिनेट-मिशन के सदस्य इङ्लैंड के लिए रवाना हुए और उसी दिन काम-चलाऊ सरकार के सात सदस्यों के नाम प्रकाशित किये गये।

मिस्ट्री तथा अन्य वर्गों का मिशन के प्रति हाइकोण—कैपिनेट मिशन तथा उसकी योजनाओं के उपर दिये वर्णन में सिक्खों, हिन्दू महासभा, भारतीय रियासतों, उनकी जनता तथा देश के अन्य लोगों के दाष्ठुकोण का जिक नहीं हुआ; सारा ध्यान कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर ही रहा। इन सभी हाइकाणों के सम्बन्ध में कुछ शब्द जाइ देना अनुपयुक्त न होगा।

सिक्ख प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान का बड़ा जात्यार विराध किया और कैपिनेट मिशन के सदस्यों को उन्होंने यह बता भी दिया कि पाकिस्तान की माँग से वे किसी भी प्रकार उहमत न थे। यदि उनकी इच्छा के विन्दु पाकिस्तान का त्यापना हो जाती तो वे अपने लिए सिक्खिस्तान की माँग भरते। सिक्ख-सगठन ने १६ मई की योजना को अत्याकार किया और आगे आने वाली सङ्हाइ ने लिए सिक्खों का आहान किया। इसमें कोई शक नहीं कि १६ मई की योजना सिक्खों के प्रति अनेक दाष्ठों से अन्यायपूर्ण थी। यद्यपि उन्हें महज़पूर्ण अल्पसंख्यकों की श्रेणी म रखता गया—इस हाइ से देश में उनका तंत्रिका नम्बर रहा— और सविधान परियोग म उन्हें अलग प्रतिनिधित्व भी दिया गया, लेकिन काई ऐसा सरकार न मिला जैसा

मुसलमानों को मिला था। निकटों का प्रमुख विरोध इस बात पर था कि योजना ने उन्हें पूर्ण रूप से मुसलमानों की दस पर छोड़ दिया। उनकी एक किकायत यह भी थी कि उन्हें वे आधिकार न दिये गये जो मुसलमानों तथा हिन्दूओं के योजना के भाग १५ (१) तथा १६ (७) के अन्दर मिले थे। यिर भी, संविधान-सभा में प्रतिनिधि भेजने के लिए कांग्रेस ने उन्हें राही कर लिया लेकिन इस शर्त पर कि वह उनके अधिकारी तथा हितों की गता करेगी।

हिन्दू महासभा की काये-समिति ने भी योजनाओं—विशेषतः पाकिस्तान, प्रतिनिधित्व की समानता, बगाल आसाम की संविधान-सभा यानी संविधान परिषद् के भाग 'स' म गूरीपीय हस्तक्षेप—का पूर्ण विरोध किया। इस सम्भा की अधिल-भारतीय समिति ने यह आक्षेप भी किया कि महासभा के आधारमूल सिद्धान्त अथवा भारत की एकता तथा उसके रुगड़न को कैबिनेट मिशन ने देखल सिद्धान्त रूप में माना था, अबहर में नहीं। उसके अनुसार कैबिनेट मिशन का प्रमुख दोष अन्य अल्पसंख्यकों का ध्यान न रखते हुए वे वह मुस्लिम-लीग को प्रहर बरना था। वह 'तीन साँड़ों वाले संविधान' का विरोध बरती रही क्योंकि उसके अनुसार पञ्चाब, बगाल, आसाम, किंच, पर्शियन्मोहन-प्रदेश तथा पूरी सिक्क्ष जाति पाकिस्तानियों की दस पर आधिक हो जाती। प्रान्तों की गुटों में विभाजित करने तथा अर्ध-समूदीकरण के सिद्धान्त का भी उसने विरोध किया।

मिशन-योजनाओं के प्रति देशी राजाओं का हाइबोर्ग स्पष्ट करने के लिए दूसरा बता देना पर्याप्त है कि ७ जून १९५६ वो नवाब भोपाल की शापद्धता में 'चेम्बर ऑफ प्रिसेज' की बाबूई में हुई एक सभा में योजनाओं की पूरी स्वीकृति प्रदान की गयी।

ऑल इण्डिया स्टेट्स पीपुल कांग्रेस ने एक प्रताव लाउ किया जिसमें इस भाग पर अत्यर्थ्य तथा दुर अवृट विवाद यापा कि कैबिनेट मिशन की योजनाओं में देशी रियासतों के जन प्रतिनिधियों का कोई ध्यान न रखवा गया था। संविधान परिषद् ने लिए रियासतों के प्रतिनिधियों के जुनाव में यहाँ की चनवा का हाथ देने तथा मई १६ की घोषणा के अनुसार परामर्श-समिति में अपने प्रतिनिधियों को रखने की भी उठाने फाँस की।

मिशन-योजना के सम्बन्ध में गाँधी जी के विचार—कांग्रेस, मुस्लिम लीग, चिकित्सागठन, हिन्दू-महासभा तथा जन-समत का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की अन्य संस्थाओं ने कैबिनेट-मिशन-योजना को विभिन्न हाइकोर्टों से देखा और भेल न खाने वाले विभिन्न हाइकोर्टों से इन सबने इसके ऊपर आक्षेप किये। महात्मा गाँधी ने इन योजनाओं को एक दूसरी ही हाइ से देखा और वे इस बात से अच्छी प्रकार सत्तुएँ भी हो गये कि घरेमान परिस्थितियों के कीच बिध्या सरकार अच्छी से

अच्छी यही योजना दे सकती थी। महात्मा जी के अनुसार योजना ने हमारी अपूर्णताओं को स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस तथा लीग एकमत न हो सकी, वे एकमत नहीं हो सकती थीं— योजना के विधाताओं को यह अच्छा प्रकार जात हो गया। उन्होंने उन कम से कम शर्तों को लोगों के सामने रखा जिन पर दोनों प्रमुख पाठियों के बीच भारत की स्वतन्त्रता का संविधान बनाने के सम्बन्ध में समझौता हो जाता। कैविनेट-मिशन-योजना के निर्माताओं का प्रमुख मतव्य यह भारत में नियंत्रण-राज का शीघ्र से शीघ्र अन्त है। यदि सम्भव होता होता कैविनेट मिशन के सदस्यों की इच्छा भारत को ऐसी समर्टित दशा में छोड़ जाने की थी जिसमें भीतरी झगड़े, विराघ तथा मनमुद्दव गृह्यमुद्दव का रूप न ले सकते। योजनाओं में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो यह भूल जाने वाले जल्दबाज पाठक को परेशानी में डाल देंगी कि योजना यहू के प्रति एक अपील यी तथा उसे नेक सलाह के रूप में दी गयी थी जिससे यह प्रदर्शित होता था कि थोड़े से थोड़े समय में भारतीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति कैसे सम्भव थी। यह जात नहीं है कि महात्मा जी योजना के प्रमुख दोषों से अपरिचित थे, जून २ १९४६ के 'इरिजन' में उन्होंने इन दोषों की ओर सरेत किया था। इन दोषों का विवेचन यहाँ आधारक नहीं है, हमारा उद्देश्य तो वेबल यह प्रदर्शित करना था कि योजना के बहिकार तथा उसकी आलोचना के बीच भी गाढ़ी जी उसके पक्ष में कहाँ तक थे।

राष्ट्रीय सरकार की स्थापना— जैसा कि पहले बहा जा चुका है, लगभग चार महीने के प्रयत्न के पश्चात् कैविनेट मिशन २६ जून को इगलैंड के लिए रवाना हो गया। कैविनेट मिशन को अपने प्रयत्नों में कोई महत्वपूर्ण सफलता न मिल सकी। कांग्रेस ने मई १६ की लम्बी योजना स्वीकार की लेकिन जून १६ की तात्कालिक योजना अस्वीकार कर दी, संविधान-परिषद् में सम्मिलित होने के लिए वह प्रसुत हुई किन्तु अन्तरिम सम्मिलित सरकार में सम्मिलित होना उसे स्वीकार न हुआ क्योंकि लॉर्ड वेबल की शर्तें इसकी राय के अनुसार हिन्दुओं तथा अल्पसंख्यकों के प्रति अन्यायपूर्ण थीं। मुस्लिम लीग ने इस बात का बड़ा प्रयत्न किया कि कांग्रेस की अनुपस्थिति में ही सरकार की स्थापना हो जाती किन्तु गवर्नर-जनरल ने इसकी अनुमति न दी। लॉर्ड वेबल सम्मिलित सरकार बनाने के प्रयत्न में बाबर लगे रहे। और २२ जुलाई को उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के प्रेसिडेन्टों के पास निम्न लिखित योजनाएँ भेजी और उन पर उनकी राय मार्गी। (i) अन्तरिम सरकार में १४ सदस्य रहते जिसमें छु सदस्य कांग्रेस नियुक्त करती (दलित दर्ग का एक सदस्य मिला कर), पाँच सदस्य मुस्लिम लीग नियुक्त करती और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि वे रूप में तीन सदस्य बादसराय स्थिर नियुक्त करते। इन अन्तिम तीन सदस्यों में एक सदस्य सिक्कत होता। (ii) कांग्रेस तथा लीग को

एक दूसरे के टिये नामों पर आच्छेप करने का अधिकार न रहता प्रश्नों वे नाम गोदसराय का एवं कृत होते। (iii) इन दों प्रमुख दलों के सम्मिलित सरकार में भाग लेने का निश्चय कर लेने तथा ग्रावशक नाम पेश कर देने पर ही विभागों का विभाजन होता। महत्वपूर्ण विभागों का विभाजन कांग्रेस तथा मुस्लिम-लीग के बीच बराबर बिभाजन हो जाता। (iv) पदि कांग्रेस स्वीकार करे तो मैं इस नियम का स्वारात करूँगा कि वहे साधारणिक प्रश्न वेवल दोनों बडे दलों की राय से ही निवाटाये जा सकते हैं। कोई सम्मिलित सरकार इसके अतिरिक्त ग्रन्थ वस्ती आधार पर कार्य नहीं कर सकती।

लोग ने दा बारगो से सम्मिलित सरकार में भाग लेना ग्रहीकार कर दिया। योजनाएँ काग्रेस-लोग समानता के मिठान्त के प्रतिकूल पड़ती थीं और इसी समानता पर जुलाई १९४५ म हुई शमला-का फैन्स के समय से हा लाग जोर-देती चली आ रही था। इसके अतिरिक्त अपने सदस्यों म बाग्रेस को एक गैर लीगी मुस्लिम भी सम्मिलित करने का आधिकार मिल गया था। दूसरी ओर बाग्रेस ने योजनाएँ स्वीकार कर ली और अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने का निश्चय किया। अन्तरिम सरकार की स्थापना के लिए बाइसराय ने पटित बगाटरलाल नेहरू को आमन्त्रित किया। अगस्त २४, १९४६, का बाइसराय ने निम्नलिखित चलाय प्रकाशित किया : 'समाज ने गवर्नर-उनरल वा बार्डपालिका समिति के बर्तमान सदस्यों के इस्तेमाल स्वीकार कर लिये हैं। समाज ने निम्नलिखित व्यक्तियों को सर्वे नियुक्त किया है : पटित बगाटरलाल नेहरू, सरठार बहलभमाई पटेल, टा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री असफ अली, श्री सी० रघुरामलालचारी, श्री शशतचन्द्र चोप, डा० जॉन मथुरा, सरठार चलदेवसिंह, सर शपात अद्धम राय, श्री रघुरामलनगरम, मैदट शही झांहर और श्री सी० एन० भाभा। दो अन्य मुस्लिम सदस्यों की भी नियुक्ति होगी। अन्तरिम सरकार दो सितम्बर वो भार्यमार ग्रहण करेगी।

इस प्रकार अन्तरिम सरकार की रथापना का कार्य सम्पन्न हुआ। हों, इस कार्य को मुस्लिम लीग वा सहयोग ने मिला सका और दूसरी एवं वह नव निर्मित सरकार से बाहर रही। अन्तरिम सरकार ने रूप पर कोई निर्णय देने के पहले उसकी स्थापना के के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भली भाँति समझ लेना चाहिए। प्रमुख कठिनाई यह थी कि कांग्रेस तथा लीग ने उद्देश्य भिन्न थे, दृष्टिकोण भिन्न थे। त्रिटिया भारत की सभूर्य जनसंख्या वा २५% होते हुए भी बादसराय की कार्य-पालिका के निर्माण में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ समन्वय चाहती थी। कांग्रेस इस निर्धक मार्ग को स्वीकार भी कैसे करती? दूसरे, मुस्लिम लीग गैर-लीगी मुसलमान की नियुक्ति कैसे सहन करती? इसी बात पर गिरिला समेलन अमफल रहा और कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की १६ जल वाली तात्कालिक योजना को अस्वीकृत कर दिया। अन्त में बादसराय तथा त्रिटिया सरकार ने कांग्रेस दृष्टिकोण को तर्कपूर्य समझा

और अन्तरिम सरकार की स्थापना के लिए २२ जुलाई की याजना को सबसे अधिक उपयुक्त समझा ।

लेकिन, वाइसराय के दस निश्चय से लीग ने मिशन के प्रति असहयोग की नीति अपना ली । जुलाई २६ के अपने प्रस्ताव द्वारा लीग ने कैविनेट मिशन की लम्बी तथा तात्कालिक योजनाओं के प्रति अपने सहयोग की समाप्ति कर दी और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई का निश्चय किया । मिं जिन्ना ने कैविनेट मिशन पर क्यों बार्डों को तोड़ने का आक्षेप लगाया । उनके बोध-पूर्ण उद्गारों का वर्णन यहाँ ग्रावश्यक नहीं है ।

मुस्लिम लीग ने अगस्त १६ को 'प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस' मनाना निश्चित किया । उसकी प्रत्यक्ष कार्रवाई काग्रेस के आन्दोलन की तरह विदेशी सरकार के विरुद्ध नहीं थी ; उसका उद्देश्य एक विरोधी सरकार के हाथों से पाकिस्तान छीन लेना भी नहीं था । यह प्रत्यक्ष कार्रवाई हिन्दुओं के विरुद्ध समर्थन की गयी थी । उसने हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच खुल्लमखुल्ला लड़ाई प्रारम्भ कर दी । अगस्त, १६४६, में कलकत्ते में चार दिन तक होनेवाले भयभर रक्तपात, उसी वर्ष के अक्टूबर में नोआखाली के हिन्दुओं पर होनेवाले असाधारण अमानुषिक कार्यों, बिहार के हिन्दुओं द्वारा मुसलमानों से भयभर बटला लेने तथा यजाब में देश के विभाजन के पहिले और बाद होने वाले ग्रत्याचारों के लिए, यही प्रत्यक्ष कार्रवाई उत्तरदायी है । इस भयावह अतीत की दुर्घटनाएँ दुहराने से कोई लाभ न होगा । इसलिए १६ अगस्त, १६४६, के बाद देश में पूरे एक वर्ष तक होनेवाली भयकर घटनाओं के वर्णन को यहाँ प्रथम नहीं दिया जा रहा है । किर मी इतना तो बतला ही देना चाहिये कि जब कलकत्ते में हिन्दू धन-जन का भयकर विनाश हो रहा था, तो शान्ति तथा न्याय के संरक्षक निष्ठिय तथा निश्चित पड़े थे । पहले दो या तीन दिनों तक सरकार कलकत्ते के विनाश को रोकने में एकदम असफल रही । १६४२ के आन्दोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो कुछ किया उससे यह अवस्था एकदम विपरीत रही । इस अन्तर का कारण स्पष्ट था । बगाल में लांगी मन्त्रिमण्डल का आधिकारी था ; मन्त्रिमण्डल के प्रधान श्री एच० एस० मुहरवर्दी हिन्दुओं तथा काग्रेस पर अपना प्रभाव लमाना चाहते थे । केन्द्रीय सरकार के किसी भी जड़े अधिकारी ने कलकत्ते तथा नोआखाली का दौरा नहीं किया और न लांगी नेताओं ने अपने अनुयायियों के अमानुषिक कार्यों की निन्दा ही की ।

अन्तरिम सरकार में लीग का पदार्पण— कैविनेट मिशन की लम्बी तथा तात्कालिक योजनाओं को असमीकृत करने के लिए प्रत्याव तथा उसकी प्रत्यक्ष कार्रवाई के निश्चय ने लॉर्ड वेवल को निराश नहीं किया । उसके विपरीत उन्होंने लीग को उसका प्रस्ताव लौटा लेने, अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने तथा संविधान-सभा के कार्यों में पूरा भाग लेने के लिए प्रयत्न जारी रखा । उन्हें आशिक सफलता

भी मिली। लीग ने कार्यपालिका में सम्मिलित होने का निश्चय तो किया लेकिन ग्रपने उस ग्रस्ताव को न लौटाया जिसमें भिशन क, लाम्बी योजना अस्थीकृत की गयी थी। दूसरे शब्दों में, वाइसराय ने ग्रपनी कार्यपालिका में मुस्लिम लीग को पॉच सीटें दीं किंतु उससे वह सविधान निर्माण में सहयोग देने का वादा न कर सके। यह एक बहुत बड़ी भूल थी जैसा कि बाट की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया। दूसरे, यह ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्लिम लाग अन्तरिम सरकार में दूसरे दलों से सहयोग करके स्वतंत्रता निकट लाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं हुई थी, न यह उस एक आपनिवेशिक मनिमरणदल का रूप ही देना चाहती थी। अन्तरिम सरकार में भाग लेकर वह अपनी स्थिति मजबूत बनाना चाहती थी ताकि पाकिस्तान तथा अन्य लीगी हितों के लिए यह अपनी इच्छानुसार प्रयत्न कर सकती। ऐसी ठशा में ‘सम्मिलित उत्तरदायित्व’ रह ही वैसे सकता था, कार्यपालिका का कैबिनेट के रूप में कार्य करना असम्भव था। लोगों का पहिले यह विचार था कि घटनाओं के दबाव से कार्यपालिका का काम सम्मिलित रूप से चलने लगता थिन्हु यह विचार कार्य रूप में परिणाम न हुआ। वैबल एक सप्ताह के अनुभव से ही पहिले नेहरू ने यह विचार प्रकट किया कि २६ अक्टूबर को लीग प्रतिनिधियों के आगे से लोड वैबल वैबिनेट की गाड़ी के पहियों को एक एक करके हटाने वा बराबर प्रयत्न करते रहे, उनकी यह इच्छा होने लगी थी। एक सब कार्य ठप पड़ जाय और देश की प्रगति उस रास्ते पर न हो जिस पर काफ़े सी नेता चाहते थे। काफ़े से के मेरठ अधिवेशन में पहिले नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुस्लिम लीग ‘सम्प्रट् की पार्टी’ के रूप में कार्य कर रही थी। भारतीय सरकार प्रशासी (Administrative) विभागों का एक समूह उन गपों थी, एक सम्मिलित शक्ति नहीं जैसा कि काफ़े से उसे बनाना चाहती थी।

अन्तरिम सरकार मुस्लिम लीग के पॉच सदस्यों के था जाने से उसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ गयी। २६ अक्टूबर १९४६ की नवने वाली नवा अन्तरिम सरकार में निम्नलिखित व्यक्ति थे पांडत बगाहरलाल नेहरू (वैदेशिक मामले तथा कामनवैल्य सम्बन्ध), सरदार बलभाई पटेल (गृहविभाग, सूचना तथा समाचार प्रसार), श्री लियाकत अली खँ (अर्थ), श्री आर० ग्राह० नुद्रीगर (वाणिज्य, व्यवसाय), डा० राजेन्द्र प्रसाद (वृष्टि और साय), श्री आसफ अली (रेलवे और यातायात), सरदार बलदेवसिंह (रक्षा), श्री अब्दुर्रब निशतर (डाक और तारे), श्री लगजीबनराम (अमे), श्री गजनपत्र अली खँ (स्वास्थ्य), श्री योगेन्द्रनाथ मण्डल (कानून), डा० जॉन मथाई (उद्योग और पूर्ति), श्री चन्द्रबर्ती राजगोपालाचारी (शिक्षा), और श्री सी० एच० भाभा (शक्ति, खान तथा वर्क्स)। चौदह सदस्यों के मनिमरणदल में बायेस की छ सीटें मिलीं, मुस्लिम लीग जो पॉच तथा अन्य अल्पसंख्यकों को तीन। २४ अगस्त १९४६ को मनिमरणदल निर्माण के समय मुस्लिम लीग के लिए दो साँटे खाली रखती

गयी थीं लेकिन लींग-सदस्यों का स्थान देने के लिए कांग्रेस ने तीन सदस्यों को निकलना पड़ा। कांग्रेस के निकलने वाले सदस्यों में श्री शरतचन्द्र बोस भी थे।

लींग और विधान परिषद्— यह पहले ही बहा जा सका है कि लींग ने एक प्रस्ताव पास करके बैविनेट मिशन की १६ मई की याजना अस्वीकृत कर दी। जब लॉर्ड बेवल लींग सदस्यों को अन्तरिम सरकार में लाने के लिए प्रस्तुत हुए तो पदित नेहरू लींग से यह आश्वासन चाहते थे कि वह सरकार तथा संविधान सभा के कार्यों में पूरा सहयोग देगी। इसके उत्तर में बाइसराय ने पड़ित नेहरू के पास निम्नलिखित आशय का पत्र भेजा : ‘श्री जिन्ना ने मुझे यह आश्वासन दिया है कि मुस्लिम लींग अन्तरिम सरकार तथा संविधान-सभा में सहयोग के उद्देश्य से ही सम्मिलित होना चाहती है। लेकिन बैविनेट मिशन की याजना का कार्यान्वित करने के लिए जब संविधान-परिषद् के सदस्यों को नयी दिल्ली में ह दिसम्बर का एकक्रित होने की सूचना दी गयी तो श्री जिन्ना ने यह घोषणा की : ‘इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि मुस्लिम लींग का कोई भी सदस्य संविधान-सभा में भाग नहीं लेगा और २६ जुलाई को लींग का बम्बई में पास किया हुआ प्रस्ताव ही उसे मान्य है।’

६ दिसम्बर को जब संविधान-परिषद् की नयी दिल्ली में बैठक हुई तो मुस्लिम लींग के सदस्य अपने पूर्व निश्चय के अनुसार उससे अलग रहे। यह स्पष्ट करना कठिन है कि इन परिस्थितियों के बाच भी लींग-सदस्यों को अन्तरिम सरकार में रहने के से दिया गया। यहाँ यह बतला देना भी आवश्यक है कि एक पत्रकार सम्मेलन में श्री जिन्ना से यह पूछने पर कि उन्होंने लॉर्ड बेवल को लींग की बैठक बुलाकर २६ जुलाई के प्रस्ताव पर विचार करने तथा उसे अपनाने का बायदा किया था, उन्होंने यह साफ कह दिया कि उन्होंने इस प्रकार का कोई बायदा नहीं किया था।

जुलाई १९४६ में बैविनेट मिशन के बिटा होने के पश्चात् देश की राजनीतिक प्रगति का प्रदर्शन इस प्रकार किया जा सकता है। कांग्रेस ने मिशन की लम्बी योजना स्वीकृत कर ली और वह अन्तरिम सरकार में भी सम्मिलित हो गयी। लींग ने पहले तो लम्बी तथा तात्कालिक दोनों योजनाएँ स्वीकृत की बिना बाद में दोनों को अस्वीकृत कर दिया। इस अस्वीकृति के बावजूद भी लॉर्ड बेवल ने लींग से पाँच सदस्य लिए और उन्होंने लींग के २६ जुलाई वाले प्रस्ताव को भी लौटवा लेने की चेष्टा नहीं की। अन्तरिम सरकार में यह शर्म हा स्पष्ट हो गया कि लींग का उद्देश्य सम्मिलित उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने का नहीं था, वह बैवल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में लगी थी। अन्तरिम सरकार इस प्रकार ढोली पड़ती जा रही थी। बाइसराय ने संविधान सभा के सदस्यों को नयी दिल्ली में ह दिसम्बर को एकक्रित होने का निमन्त्रण दिया। मुस्लिम-लंग ने इसमें सम्मिलित

होना अस्वीकार कर दिया। सचेप में यह कहा जा सकता है कि कैविनेट मिशन योजनाओं का काई परिणाम न निकला, काग्रेस तथा मुस्लिम-लीग—देश के दो बड़े राजनीतिक दल—१९४६ के अन्त में भी एक दूसरे से ठतनी ही दूर रहे जितनी उस वर्ष के प्रारम्भ में थे।

लन्दन-सम्मेलन— इन परिस्थितियों में लॉर्ड वेबल ने विट्शा कैविनेट से विचार-विमर्श प्रारम्भ किया जिसके पलस्तरूप विट्शा प्रधान मन्त्री ने बाइसराय, पडित नेहरू, सरदार पटेल, श्री जिन्ना तथा श्री लियाकत अली को लन्दन में एक सम्मेलन के लिए आमनित किया। काग्रेस नेता लन्दन जाने के लिए प्रस्तुत न थे क्योंकि वे यह जानते थे कि सम्मेलन में उन्हीं वातों पर फिर विचार होगा जिन पर परिवर्तन करने का अर्थ होता लीग की बहुरता, उसकी ऐंट तथा हिसात्मक प्रवाचन के समक्ष सिर मुकाना। श्री एटली ने पडित नेहरू के पास यह सामुद्रक तार भेजा कि संविधान परिषद् की बैठक का दिन टालने थीर कैविनेट मिशन योजनाओं में सशोधन या उहे रद कर देने का उनका उद्देश्य न था, स्मार्ट की सरकार की यह इच्छा थी कि योजनाओं को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाय। इसलिए पडित नेहरू तथा सरदार बलदेवसिंह सम्मेलन में भाग लेने के लिए लन्दन रवाना हुए। यह अनुमान किया जाता है कि प्रान्तों का समूहों में शेरीचंड करने का प्रश्न ही लन्दन-सम्मेलन का प्रमुख विषय रहा। काग्रेस की बराबर यह राय रही कि विसी समूह में समिलित होना प्रान्तों की इच्छा पर निर्भर था, प्रातों के स्वायत्त शासन का यही प्रमुख अर्थ था जिस पर कैविनेट-योजना ने जोर दिया था। लीग का कहना यह था कि प्रत्येक विभाग के लिए निश्चित किये हुए सदस्यों के बहुसंख्यक बोटों से ही इस प्रश्न का निवारण होता, इस मामले में अपनी इच्छा पर निर्भर रहने का प्रान्तों का अधिकार न था। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि आसाम तथा पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत ने प्रारम्भ से उस वर्ग में रहना अस्वीकार किया था जिसमें कैविनेट-मिशन याजना ने उन्हें डाल रखा था। लन्दन का यह सम्मेलन अपने उद्देश्य में असफल रहा इसलिए संविधान सभा में सभी टल समिलित न हो सके। सम्मेलन के सम्बन्ध में स्मार्ट की सरकार द्वारा प्रकाशित वक्तव्य में प्रमुख समस्याओं के सम्बन्ध में कैविनेट मिशन के विचारों को प्रकट किया गया था। इस वक्तव्य को पूरा उद्धृत कर देना उपयुक्त होगा।

‘सबसे बड़ी कठिनाई वगों के बनाने के सम्बन्ध में कैविनेट मिशन की १६ मई की घोषणा के पैराग्राफ् १६ (५) तथा (८) के अर्थ लगाने में हुई है।’
 ‘कैविनेट मिशन ने प्रारम्भ से ही इस बात पर जोर दिया है कि वगों के बनाने के सम्बन्ध में वगों के प्रतिनिधियों के बहुसंख्यक बाट द्वारा निश्चय किया

जायगा। यह विचार मुस्लिम लीग का मात्र है किन्तु कांग्रेस का विचार उसके विपरीत है। उसके अनुसार प्रान्तों को अपने विधान तथा वर्ग बनाने का पूरा अधिकार है।

'समादृ' की सरकार ने जो कानूनी सलाह ली है उससे यहा निश्चित हुआ है कि १६ मई की घोषणा का वही अर्थ है जिस पर कैनिनेट मिशन ने बगबर जार दिया है। घोषणा के इस माग को १६ मई की घोषणा का अनिवार्य अग समझना चाहिए ताकि भारतीय जनता को सविधान-निर्माण में सहायता मिल सके। समादृ की सरकार इस सविधान का पार्लियामेन्ट वे सामने रखने के लिए प्रस्तुत होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि सविधान परिषद् के सभी दलों को स्वीकृत हो।

*** *** **

'सविधान परिषद्' की मफलता की तब तक काई ग्राशा नहीं है जब तक उसकी कार्य-प्रणाली पर समझौता न हो जाय। यदि कोई ऐसा सविधान तैयार होता है जिसमें भारतीय जनसत्त्व के किसी बड़े भाग का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो समादृ की सरकार उसे देरा के किसी ग्रनिच्छुक भाग पर लाद नहीं सकती।'

लन्दन सम्मेलन कांग्रेस तथा लीग में समझौता न करा सका, पर भी उसने श्री जिन्ना का पर्याप्त पक्ष किया। प्रान्तों के वर्ग निर्माण के सम्बन्ध में विटिश सरकार का रुप लीग के अनुकूल हो गया। उसके अतिरिक्त मुस्लिम लीग को यह आश्वासन भी मिला कि मुस्लिम जाति पर कोई ऐसा सविधान नहीं लादा जायगा जिसका निर्माण करने वाली सविधान-परिषद् में लीग का प्रतिनिधित्व न हो। विटिश सरकार वे इस वक्तव्य तथा श्री ऐटली की पहले की हुई उस घोषणा में बड़ा अन्तर था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि बहु-संख्यकों की राजनैतिक प्रगति में अडचन ढालने का अल्पसंख्यकों का कोई अधिकार नहीं है। इन सबके अतिरिक्त १६ मई की घोषणा अस्वीकृत कर देने के जावजूद भी अन्तरिम सरकार में अपने सदस्य बनाये रखने के लीगों कार्य को प्रश्न दिया गया। विटिश सरकार ने यह तर्क भी रखा कि १६ मई की यानना कांग्रेस को भी तब तक स्वीकृत नहीं मानी जा सकती जब तक वह वर्ग निर्माण के सिद्धान्त का वही अर्थ नहीं लगाती जो मिशन ने लगाया था।

लन्दन-सम्मेलन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया— कांग्रेस कार्य समिति तथा अतिला-भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ६ दिसम्बर की घोषणा पर विचार किया और यह निश्चय किया कि '... विभिन्न अर्थ लगाने के कारण जो कठिनाई उत्पन्न हो गयी है उसे दूर करने के उद्देश्य से कांग्रेस विटिश सरकार के वर्गों के सम्बंध में लगाये गए अर्थ के अनुसार कार्य बरते की राय देती है। लेकिन यह जात सदैव ख्यान म

रहनी चाहिए कि किसी प्रान्त के साथ जपरदस्ती न होगी और न पजाप में सिवस्य हितों की ही उपेक्षा की जायगी।'

विधान परिपद्—जैसा कि पहले निश्चित हुआ था, सविधान परिपद् की पहली बैठक ८ दिसम्बर १९४६ को हुई। क्षेत्र सेताओं ने श्री जिना की बैठक टाल देने की दलील स्वीकारन की क्योंकि अपना भवलय साधने के लिए लीग का यह बहाना मात्र था।

पहले दिन ब्रिटिश भारत के २८६ सदस्यों में बैयल २०७ ने अधिवेशन में भाग लिया। लीग ने कुल ७४ सदस्य अनुपस्थित ये। बैयल चार राष्ट्रीय मुख्यमान उपस्थित थे। स्थायी प्रेसिडेन्ट का चुनाव होने तक डॉ० सचिवदानन्द सिनहा परिपद् के चेपरमैन नुने गये। अपने सर्वप्रथम सन्देश में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद में विधान-परिपद् के इस अधिकार पर जार दिया कि यह 'एक स्वतन्त्र सत्ता है जिसकी प्रगति म कोई आहरी शक्ति इस्तेह़ाज नहीं कर सकती और जिसका निर्णय बदलने, सुधारने तथा फेरफार करने का किसी भी आहरी व्यक्ति को अधिकार नहीं है।' चार दिन बाद पडित नेहरू ने एक प्रत्याव रखता जिसम विधान-परिपद् का उद्देश्य एक समर्पण-प्रभुत्व सम्बन्ध लोकतनामक गणराज्य का निर्माण बताया गया। परिपद् की कार्रवाई तथा उसके द्वारा निर्मित विधान का संहिता से संहिता वर्णन भी इस अध्याय के चौक म सम्मिलित नहीं है, पहाँ इम बैयल दत्तना कहेरो कि मुस्लिम लीग का ट्रिटिकोण अनिश्चित रहने के कारण पहले दो अधिवेशनों का बातावरण निराशा एवं अन्यमनस्त्वा से परिपूर्ण रहा। यहाँ यह बतला देना अनुप-युक्त न होगा कि देश का पिछले पचास वर्षों से मार्ग प्रदर्शन करने वाले नेता—पडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, श्री राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी तथा पंडित योगिन्द्रवल्लभ पन्त—भा सविधान निर्माण के कार्य में सहाय थे, गृष्म-पिता महात्मा गांधी ही ऐसे एक व्यक्ति थे जो सविधान परिपद् के सदस्य नहीं थे। शान्ति का यह अप्रदूत उत्त समय नोआखाली तथा निहार म साम्प्रदायिक एकता तथा मानवता के प्रसार में सहाय था।

कर्तवरी २० की घापणा— १९४६ के अंतिम छु महीनों म बदलने वाली देश की परिस्थितिया ने ब्रिटिश सरकार के खम्भ यह स्पष्ट कर दिया कि १९४६ के बाद देश के ऊपर आधिकार रखना असम्भव हो आयगा। आजाद हिन्द पौज व अफसरो—सुहगल, टिल्लन, शाहनवाज—व सम्बन्ध में होने वाले प्रदर्शनों ने ब्रिटिश सरकार को उसकी ज़ह क लोखेपन का पता दे दिया। उसने यह भा अनुभव किया कि आजाद हिन्द पौज ने इन सेनानियों के सुकदमे ने भारतीय पौजों के नैतक स्तर म बड़ा परिवर्तन कर दिया था। भारतीय जल सेना का बिद्रोह यतरे का एक दूसरा सिगनल था। अगस्त १९४६ में कलकत्ते म हुई हत्याएँ, पूर्वी बंगाल के

नोआखाली तथा इपरा जिलों में साम्राज्यिक विदेश की विषम ज्वाला, इन घटनाओं की प्रतिक्रिया वे स्वरूप चिह्नार तथा उत्तर प्रदेश में होने वाली मारकाट और लाहौर, रावलपिंडी तथा मुलतान में होने वाला पाशविक्ता का ताडव नृत्य— ये सभा घटनाएँ इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण थीं कि भारत का शासन शिथिल हो रहा था। अन्तरिम सरकार की दशा भी कुछ प्रच्छीन थी। यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है कि इतिहास में कामे से तथा मुस्लिम लीग के समान दो विरोधी दलों का उदाहरण नहीं मिलता। कांग्रेस की इच्छा थी कि मुस्लिम लीग अन्तरिम सरकार से निकल जाय क्योंकि सविधान-परिपद के कार्य म वह कोई सहयोग नहीं दे रही थी, लीग चाहता थी कि कामे से ही अन्तरिम सरकार से निकल जाय क्योंकि १६ मई की योजना उसे पूर्णरूप से स्वाकृत न थी। परिस्थितियाँ प्रतिक्षण विषमतर होती जा रही थीं। देश की इस अव्याप्तिक दशा के साथ एक यह सत्य भी सामने आया कि द्वितीय महायुद्ध ने ब्रिटेन को विश्व शक्ति के स्तर से बहुत नीचे गिरा दिया था। वहाँ के राजनीतिज्ञों ने यह सघ अनुभव कर लिया कि वे पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का भार सभालने में समर्थ नहीं थे। दुनिया की निरन्तर बदलने वाली स्थिति से ब्रिटेन की मजदूर-सरकार इस नर्ताजे पर पहुँची कि एक निश्चित समय पर भारत पर से आधिपत्य हटा लेना उसके हित में हाता। यह सत्य है कि भारत पर कुछ और वर्षों तक अपना आधिपत्य बनाये रखने के लिए ब्रिटिश-सरकार शक्ति का प्रयोग कर सकती थी। अन्तु इससे उसे कोई स्थायी लाभ न होता। उसने यह सच्चार बड़ी ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया कि सम्मान एवं सौजन्य के साथ आधिपत्य हटा लेने में उसकी भलाई थी, इस प्रकार उसने आर्थिक हितों की रक्षा बहुत साल के लिए निश्चित हो जाती। इन सभी बातों पर सर्वाङ्गीण दृष्टि से विचार करके ब्रिटेन की मजदूर-सरकार ने प्रधान मन्त्री मिठो क्लीमेन्ट ऐटली ने २० फरवरी १९४७ को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की जिसमें भारतीय जनता को शक्ति हस्तान्तरित करने का निश्चय किया गया। शक्ति हस्तान्तरित करने का अन्तिम तिथि ३० जून १९४८ निश्चित की गयी। उस घोषणा के तुक्त अश नीचे दिया जा रहा है :—

‘समाटू की सरकार की यह इच्छा है कि उत्तराधिल का मार उन लोगों के हाथ में दे दिया जाय जिन्हे भारत के सभी दलों द्वारा बनाया गया सविधान स्वीकृत हो। सच्च हस्तान्तरित करने का यह कार्य कैबिनेट मिशन-योजना के अनुसार हो रहा है, उसी के अनुसार होनी भा चाहिए। लेकिन अभाग्यवश अभी ऐसा कोई समावना हास्तिगत नहीं हो रही है कि भारत में ऐसा कोई विधान बनेगा। भारत की वर्तमान अव्यवस्था से अनेक खुतरे उत्पन्न हो सकते हैं इसलिए, उसे अधिक समय तक नहीं बने रहने दिया जा सकता। समाटू की सरकार इसे स्पष्ट कर देना चाहती है कि वह उत्तराधिलपूर्ण भारतीय हाथों में सच्च हस्तान्तरित करने के लिए प्रस्तुत है और सच्च हस्तान्तरण का अन्तिम समय जून १९४८ ही है।’

इस घोषणा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधान भी था : 'यदि यह प्रतीत होगा कि पैराग्राफ ७ में दिये गए समय से पहले भारत के सभी प्रमुख दलों की स्थीकृति प्राप्त करने वाले सरिधान का निर्माण न हो सक्ता तो सम्मान की सरकार को यह निश्चित करना पड़ेगा कि निश्चित समय पर सक्ता किसे हस्तान्तरित की जाए— ब्रिटिश भारत की किसी बन्द्रीय सरकार को, वर्तमान प्रान्तीय सरकारों को, अथवा किसी अन्य राति से जो भारतीयों के हित में सरके उपयुक्त हो।'

घोषणा के पहले भाग का पाड़त जेपारलाल ने ही भारत की वर्तमान आव्यवस्था के लिए घास्तावक्ता तथा अभिनन अन्धाइयों के लाने वाले के रूप में स्वागत किया। उन्होंने इसे आवश्यक तथा गलतफहमी दूर करने वाला बताया। घोषणा के दूसरे भाग को श्री मोहम्मद अली जिबा ने पाकस्तान का सदेशबाहक बताया। इस बात में काई सदैह नहीं कि घोषणा ने मुस्लिम लीग की अलगाव की भावना को कुछ न कुछ बल अवश्य दिया। वारेस कार्यसमाज ने भी २० परवरी की घोषणा पर वचार किया और सम्मान की सरकार के उस निश्चित उद्देश्य का स्वागत किया जिसमें भारतीय लोगों को सक्ता हस्तान्तरित करने का आश्वासन दिया गया था। इसने १६ मई १९४६ का योजना का स्वीकृति पर से दुहराई और ६ दिसम्बर की अपनी घोषणा में याजना का ब्राटश सरकार द्वारा लगाया अर्थ भी स्वाकार कर लिया और मुस्लिम लीग को यह निम्नगण दिया कि वह अपने कुछ प्रतिनिधि भेजे जो कार्यसे के प्रातनिधियों से मिलकर देश की अवस्था के बारे में वचार विमर्श करें। किन्तु लीग ने इस निम्नगण की ओर व्याप न दिया।

लॉड चेवल को बुलाधा जून ३ की घोषणा— यह अहने की आवश्यकता नहीं है। के ब्राटश प्रधान मंत्री श्री कर्लीमेंट ऐटली की घोषणा से मुस्लिम लीग को बड़ा उत्साह मिला। घोषणा यह था कि भारतीय लोगों को सक्ता हस्ता तारत करने का समय आने पर सम्मान की सरकार यह निश्चय करती कि सक्ता किसी बन्द्रीय सरकार को दी जाती या देश के कुछ भागों में प्रातीय सरकारों को दी। इस घोषणा से मुस्लिम लीग को अपने तरीके पर ढह रहने का और भी उत्साह मिला, वह खोजने लगी के सक्ता हस्तान्तरण के समय जिनके हाथ में शक्ति होगी वही शक्ति प्राप्ति रे सब्दे अधिकारी बनेंगे। इसी भावना से ब्रेरित होकर मुस्लिम लोग पजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा आसाम में शक्ति प्राप्ति के लिए अन्धाधुन्ध रूप से प्रयत्न करने लगी। इन आनंदों में लीग ने किन तिन हथकंडों का प्रयोग किया इसके बर्णन की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इतना जान लेना पर्याप्त होगा कि पजाब तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश के अनेक भागों में साम्राज्यिक विद्वेष की भवकर ज्वाला धघक उठी और आसाम में एक ऐसा सघर्ष प्रस्तुत हो गया जिसे 'नागरिक अधिकार ग्रान्डोलन' का नाम दिया जाता है। लोगों का यह विश्वास था कि पजाब का गार्नर लीग के पद

मेरा ; फिर भी, वहाँ लीग मनिमाण्डल स्थापित न किया जा सका। सम्मिलित सरकार के पदत्वाग के कारण यहाँ हृषि धारा लागू करनी पड़ी।

परिनियतियों के इसी अज्ञवरिधन विकास ने कदाचित् ब्रिटिश सरकार को लॉर्ड बैवल को छोड़ कर उनके स्थान पर लॉर्ड लुई माउन्टबैटन को पदाधीन करने के लिए प्रेरित किया। श्री ऐश्वरी ने इस सम्बन्ध में २० फरवरी १९४७ को एक घोषणा की। लॉर्ड लुई माउन्टबैटन ने २३ मार्च को वादसंघ के पद की शपथ ली।

भारत में पढ़ार्पण के तुरन्त बाद लॉर्ड माउन्टबैटन ने अपने को उस कार्य में जो बान से लगा दिया जिसके लिए उनकी नियुक्ति हुई थी। यह महावपूर्ण कार्य था भारत के जिम्मेदार नेताओं के हाथ में बड़ी ही शीघ्रता व सरलतापूर्वक सचाप्रदान। लॉर्ड माउन्टबैटन ने भारतीय समस्याओं पर जाजे मस्तिष्क तथा नवीन दृष्टिकोण से विचार प्रारम्भ किया। उन्होंने अधिक से अधिक चरों तथा हितों के नेताओं तथा प्रतिनिधियों से विचारनविमर्श प्रारम्भ किया। महात्मा गांधी और श्री जिन्ना से उनकी अनेक बार बातें हुईं। इन नेताओं के साथ बातचीत में उन्होंने अपने को उनके विचारों तथा दृष्टिकोणों से अवगत करने का प्रयत्न किया और उन लोगों से कैविनेट मिशन की १६ मई की योजना स्वीकार कर लेने की माँग की। किन्तु यह उन्हें शीघ्र ही विदित हो गया कि उन लोगों में न तो कैविनेट मिशन-योजना पर ही समझौता हो सकता था और न भारत की एकता तथा सुदृढता की रक्षा करने वाली किसी शम्भु योजना पर। बहुसंस्कृत हिन्दूओं के शासन में रहने के लिए मुसलमानों को विवश करने का चूँकि प्रश्न ही नहीं उठ सकता था इसलिए देश के विभाजन को होड़ कर अन्य चौड़ी मार्ग ही न था। लेकिन कैविनेट-मिशन-योजना के अनुसार यह बात भी सम्भव हो गयी कि पाकिस्तान के स्वतन्त्र राज्य में पजाह, बगाल तथा ग्रासाम के बे प्रदेश न सम्मिलित होते जहाँ गैर-मुस्लिम जन सख्ता का बाहुल्य था। काम्रों से तथा सिक्खों की पजाह को विभाजित करने की माँग और बगाल के विभाजन की हिन्दू महासभा की तथा काम्रों की माँग की उपेक्षा भी ग्रसम्भव थी। पाकिस्तान की माँग के लिए जो तर्क प्रस्तुत किए जा सकते थे वही पजाह तथा बगाल के गैर-मुस्लिम ज़ेत्रों को पाकिस्तान से अलग रखने के लिए भी रखते जा सकते थे। पडित जवाहरलाल नेहरू ने यह विचार भी प्रकट किया था । एक मुस्लिम लींग को पाकिस्तान दिया जाय पर इस शर्त पर कि उन्हें चौड़े ऐसे प्रदेश न मिलें जिनमें मुसलमानों का बहुमत न हो। सविधान-परिषद् के प्रेमिडेन्ट डॉकर राजेन्द्र प्रसाद ने एक मुलाकात के सिलसिले में इस बात की घोषणा की कि यदि भारत का विभाजन ग्रनिचार्य हो तो उसे अधिक से अधिक पूर्ण तथा तर्कसंगत होना चाहिये ताकि भविष्य में फिर किसी भगव्वे की गुवायश न रह जाय और यदि इस कार्य के लिए मेना के विभाजन की आवश्यकता पड़ती तो वह भी हो सकता था और यह जिन्ना शीघ्र होता उतना ही अच्छा था।

लॉर्ड लुई माउन्टबेटन को यह विचारधारा तक्षणगत व असम्भव लगी। श्री जिन्ना का अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, उन्हें अपनी भावना के अनुकूल पूर्ण पाकिस्तान न मिल सका; और उन्होंने बगाल तथा पजाह के विभाजन का नहा विरोध किया। ऐसा प्रतीत होता है कि माउन्टबेटन की मध्यस्थता में ही लीग तथा काप्रेस ने पाकिस्तान के विषय में अन्य बातों का भी निवारा किया। १८ मई का लॉर्ड माउन्टबेटन सम्मान की सरकार से विचार-विमर्श करने के लिए इङ्गलैण्ड रवाना हो गये। वे २ जून का इङ्गलैण्ड से लौटे और ३ जून को उन्होंने एक घोषणा प्रकाशित की जिसमें एक या दो सरकारों को सत्ता हस्तान्तरित करने का निश्चय किया गया।

जून ३, १९४७ की घोषणा बड़ी ही महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसका थोड़ा विस्तृत विवेचन आवश्यक है। हम यहाँ उसने महत्वपूर्ण ग्रंथों पर ही प्रकाश ढालेंगे।

घोषणा में इस बात की चर्चा की गई थी कि सम्मान की सरकार को यह आशा थी कि भारत के दानों प्रमुख दल वैभिन्न मिशन की १६ मई १९४६ की याजना कार्यान्वयन करने में पूरा सहयोग देते। यह आशा पूरी न हो सकी क्योंकि पजाह, बगाल, सिन्ध, इत्यादि से चुने मुस्लिम लीगी सदस्यों ने सविधान-परिषद् की कार्यवाही में कोई भाग नहीं लिया था। सम्मान की सरकार की इच्छा सविधान-परिषद् के कार्यों में बाधा ढालने की न थी किन्तु वह विधान-परिषद् द्वारा निर्मित विधान देश के उन भागों पर लागू भी नहीं कर सकती थी जो उसके स्वागत के लिए प्रस्तुत न थे। देश के ऐसे भागों की इच्छा जानने के लिए घोषणा ने व्यवस्था भी की। यह व्यवस्था घोषणा के ५ से १३ तक पैराग्रफों में लिखी हुई है। इसका सक्षिप्त बर्णन नीचे है।

बगाल तथा पजाह की विधान सभाओं को (यूरोपीय सदस्यों को छाड़कर) दो भागों में बेठना था। एक भाग मुसलमानों की अधिक सख्त बाले जिलों का प्रतिनिधित्व करता और दूसरा शेष प्रान्त का। दोनों प्रान्तों के मुसलमानों की अधिक सख्त बाले जिले घोषणा में ही गिना दिये गये थे। प्रत्येक भाग बहुसंख्यक बाटों द्वारा यह निश्चित करता कि प्रान्त का विभाजन हो या नहीं। दोनों भागों में से यदि कोई भी विभाजन के पक्ष में होता तो उसी के अनुसार विभाजन कर दिया जाता। प्रान्त के विभाजन का निश्चय हो जाने पर व्यवस्थापिका के प्रत्येक भाग को यह निश्चित करना पड़ता कि दिल्ली में काम करने वाली सविधान-परिषद् में भाग लेने का इच्छुक था जो उन भागों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होती जो वर्तमान परिषद् में भाग नहीं लेना चाहते थे। इस सम्बन्ध में यह बता देना आवश्यक है कि बगाल विधान सभा के सदस्यों ने २० जून को प्रान्त के विभाजन के पक्ष में वोट दिया और तीन दिन पश्चात् पजाह व्यवस्थापिका के सदस्यों ने भी उसी प्रकार

बोट दिया। यह कहा जा सकता है कि देश के प्रमुख अल्पसंख्यकों ने यदि देश के विभाजन का निश्चय किया तो ग्रान्तीय अल्पसंख्यकों ने ग्रान्तों के विभाजन का।

मिन्ध की विधान-सभा अपनी एक विशेष बैठक करके यह निश्चित करती कि पूरा मिन्ध दिल्ली की सविधान-परिषद् में भाग लेने का इच्छुक या या इस परिषद् में भाग न लेने वाले देश के अन्य भागों की सविधान परिषद् में। जून २६ का इसने पाकिस्तान के पक्ष में बोट दिया।

आसाम गैर मुस्लिम ग्रान्त है जिन्होंने इसका एक जिला—सिलहट—पूर्वी बगाल से मिला हुआ है और वहाँ मुसलमानों की सख्ता अधिक है। लोगों ने यह माँग की कि यदि बगाल का विभाजन हो तो सिलहट के लोगों से राय ली जाय कि आया वह आसाम का एक भाग बना रहेगा या पूर्वी बगाल के रूप में बनने वाले नये ग्रान्त में मिल जाना चाहेगा। सिलहट के लोगों ने पूर्वी बगाल नाम के नये ग्रान्त में सम्मिलित होने का निश्चय किया।

पश्चिमोत्तर सीमाग्रान्त के लिए घोषणा ने एक अलग प्रबन्ध किया। ग्रान्तीय विधान-सभा के सदस्यों के बीच यह जानने के लिये बोट लिया जाता कि वह पाकिस्तान में सम्मिलित रहना चाहते थे या भारतीय संघ में। यह बोट ग्रान्तीय सरकार की सलाह तथा गवर्नर-जनरल के निरीक्षण में हाता। पञ्चाब, बगाल तथा सिन्ध की भौति इस ग्रान्त की विधान-सभा को ग्रान्तीय का अधिकार नहीं दिया गया। ६ और १७ जुलाई के बीच बोट का कार्य सम्पन्न हुआ। काप्रेस ने बोट का बहिष्कार किया। बोटरों ने पाकिस्तान के पक्ष में बाट किया। २६ जून को ब्रिटिश बिलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान के पक्ष में निश्चय किया।

जून ३ की घोषणा की एक विशेषता यह भी कि इसने २० परवरी की घोषणाद्वारा निश्चित की हुई सन्तान्तरण की तारीख को और भी निकट ला दिया। पैराग्राफ २० का निम्नलिखित अंश महत्वपूर्ण है : ‘देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी इस इच्छा पर बार-बार जोर दिया है कि सन्तान्तरण शीघ्र से शीघ्र हो। समाट की सरकार को इस इच्छा से पूरी सहानुभूति है……… इस इच्छा की सबसे अच्छी तरह तथा व्यावहारिक रूप से पूर्ति के लिए समाट की सरकार औपनिवेशिक आधार पर एक या दो सरकारों की सन्तान्तरण के लिए इसी प्रचलित वर्ष में कानून बनाना चाहती है………।’

भारतीय स्वातन्त्र्य-बिल ब्रिटिश पालियामेन्ट ने सर्वसम्मति तथा बड़ी ही शीघ्रता से पास कर दिया। यह शीघ्रता सारे अग्रेजी इतिहास में बेमिसाल है। इसी ऐक्ट के अनुमार १५ अगस्त १९४७ को रात के १२ बजे भारत तथा पाकिस्तान—दो द्वन्द्व उपनिवेशों—का निर्माण हुआ।

जून ३-योजना पर विचार-विमर्श करने के लिए अटिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी की १८ तथा १९ जून को दिल्ली में बैठक हुई। बाप्पेस ने सदैव से अखण्ड भारत का पक्ष लिया था, पर भी उसे विवश होकर घोषणा में दी हुई योजनाएँ स्वीकृत करनी पड़ीं। जिन कारणों से कांग्रेस को देश का विभाजन स्वीकृत करना पड़ा उनका विवेचन यहाँ अनुपयुक्त न होगा।

देश का विभाजन अनिवार्य— भारत का दो टुकड़ा में विभाजन अनिवार्य बन गया। भारतीय शासन में अंग्रेजों ने हमेशा से विभाजन द्वारा शासन करने की नीति से काम लिया है। १८५७ में भारतीय स्वतंत्रता के असफल प्रयास से निरन्तर चलने याते हुए क्रम की इन प्रकार आकर इतिहासी हुई। इस शातान्दी के प्रारम्भिक वर्षों से मुस्लिम लोग द्वारा मुसलमानों में निरन्तर भरी जाने वाली साम्प्रदायिक विद्रोह की भावना भी विभाजन के लिए उत्तरदायी है। कांग्रेस की यह घोषणा भी कि देश के किसी भी भाग के लोगों का उनकी इच्छा वे विश्व भारतीय संघ मरहने के लिए मात्र नहीं किया जा सकता विभाजन के लिए कुछ हड तक उत्तरदायी है। ब्रिटिश सरकार ने अपनी अनेक प्रतिज्ञाओं तथा वक्तव्यों द्वारा इस घोषणा का समर्थन किया। २० फरवरी की घोषणा लीग के प्रति की हुई पाकिस्तान देने की प्रतिज्ञा थी। अनिवार्य को स्वीकृत करने के अतिरिक्त कांग्रेस के लिए अन्य कोई मार्ग न रह गया। लेकिन, कांग्रेस-नेताओं द्वारा विभाजन स्पीकार कर लेने का वास्तविक कारण यह था कि अन्तर्रिम सरकार के कांग्रेस सदस्यों को यह भली भाँति ज्ञात हो गया कि ग्राम्ल-मुस्लिम गैंठबन्धन अनेक प्रकार से हानिकारक बन रहा था और राज्य के प्रत्येक विभाग में ब्रिटिश कूदनीतियों द्वारा भारतीय हितों के प्रति विश्वासघात हो रहा था। राजनीतिक विभाग की कार्य प्रणाली पर सरदार खल्लभभाई पटेल ने निम्नलिखित शब्दों द्वारा प्रकाश डाला। ‘मैंने तब यह जाना कि राजनीतिक विभाग की चालचालियों द्वारा हमारे हितों की हर प्रकार से कितनी अवैलना हो रही थी और मैं इसे निश्चय पर पहुंचा कि जितना ही शीघ्र इनसे हमारा पीछा छूटे उतना ही अच्छा।’ ‘धारेन्धारे मैं इसी परिणाम पर पहुंचा कि देश के विभाजन तक से भी यदि हमारा विदेशियों के चगुल से हुटकारा मिल जाय तो अच्छा है। और तभी मैंने यह अनुभव भी किया कि देश को शक्तिशाली तथा सुरक्षित बनाने का एक ही तरीका था और यह था शप भारत का सगठन।’ काशी विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षात-समाराह के अवसर पर उन्होंने इस सम्बन्ध में निम्नालेखित शब्द कहे: ‘मैंने यह अनुभव किया कि देश का विभाजन स्वीकार न करने पर देश अनेक टुकड़ों में बैटकर पूर्ण रूप से बरबाद हो जाता। एक वर्ष तक सरकारी पद पर असीन रहने से हमें यह विश्वास हो गया कि हमारे आगे बढ़ने का टग हमें विनाश की ओर लिये जा रहा था। इस प्रकार एक नहीं अनेक पाकिस्तान बन जाने की आशा का थी। एक एक दृग्गर में पाकिस्तानी कीटाणु घर कर जाते।’

इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि अन्तरिम सरकार ने लीगी सदस्य अपने विभाग के प्रमुख पदों से हिन्दुओं तथा सिक्खों का निकाल कर उनके स्थान पर मुसलमानों को रखते जा रहे थे ताकि पाकिस्तानी हितों की रक्षा के लिए उनसे सहायता मिल सकती। मई १९४७ के दूसरे सप्ताह म 'अमृत चाजार परिस' के पश्च प्रतिनिधि ने अपने पत्र का यह समाचार भेजा कि उसे प्राप्त भीतरी सूचना से यह प्रतीत होता था कि पजाह तथा पश्चिमाचार सीमाप्रान्त की भौति दिल्ली भी शीघ्र ही प्रत्यक्ष कार्रवाई (Direct Action) का अपाङ्ग बन जायगी। ऐसी प्रतिमूल परिस्थितियों के बीच कामेस नेताओं के समक्ष देश का विभाजन स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता न था, विदेशियों को देश से बाहर करने और आगे आने वाले धिनाश से बचने के लिए यह ग्रावश्यक था। जो देश के विभाजन का रोना रोते हैं भावना के प्रगाढ़ में आकर 'ग्रापएड भारत' की बात करते हैं, कामेस-निर्णय का विरोध करने के पहले उन्हें सरकार पटेल जैसे व्यक्तियों के प्रमाणा पर विचार कर लेना चाहिए। प्रारम्भ से प्रियाध करने पर भी परिस्थितियों के प्रभाव ने महात्मा गांधी तक को विभाजन स्वीकार कर लेने के लिए चिंता कर दिया।

विभाजन के कारण देश के लाखों नर नारियों को अपने पैतृक घर-बाहर से अलग होकर कष्ट तथा दुखों की असीम जाला से निकलना पड़ा, फिर भी, यह विभाजन एक प्रकार से आवरण म हिंपा बरदान सिद्ध हुआ। देश से वह सभी दूड़ा कचरा साफ हो गया जो हमारी राजनैतिक प्रगति में चाधक बन रहा था। जिस प्रकार कोई समझदार व्यक्ति शरीर के किसी निकृष्ट तथा सहते भाग के काट दिये जाने पर हु स्ती नहीं होता, उसी प्रकार अपने ऊँछे देशवासियों से अलग हो जाने पर इस अफसोस न होना चाहिए, देश के विभाजन को एक प्रकार का डाकटरी आपरेशन समझना चाहिए जो देश का आगे आने वाले रक्षात तथा अव्यवस्था से बचाने के लिए आवश्यक था।

संविधान सभा ने अब साम्प्रदायिक निर्वाचन छेत्रों को बिल्मुल हटा दिया है, दस वर्षों के लिए दलित वर्गों की सीटें सुरक्षित छाड़ कर इसने सीटें सुरक्षित रखने की प्रथा को भी अनितम नमस्तार किया है, देवनागरी लिपि में इसने हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा स्थान्ति किया है और नेन्द्रीय सरकार का शक्तिपूर्ण चनाने के लिए इसने अन्य प्रबन्ध भी किये हैं। विधान सभा में भाग लेकर थांडी मुस्लिम लीग ने संविधान निर्माण में सहाय दिया हाता तो क्या ये निर्णय कभी हो सकते थे ? कैविनेट मिशन की १६ मई की योजना का यह अश नदी भूलना चाहिए कि प्रत्येक धर्म के नहुसंख्यक थोट के द्वारा किसी भी साम्प्रदायिक समस्या पर निर्णय नहीं दिया जा सकता। योजना का यह विधान हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने तथा साम्प्रदायिक निर्वाचन छेत्रों के तोहने के मार्ग में शाधक

मनता। हमें यह किसा भी प्रकार भूलना न चाहिए कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा विभाजन हम पर लादा नहीं गया, लोगों का भलाई तथा शीघ्र स्वतन्त्रता-प्राप्ति की इच्छा से हमारे मात्य नेताओं ने इसे स्वयं स्वीकार कर लिया। स्वतन्त्रता का इतना मूल्य चुसना अनिवार्य था। सरदार पटेल के ऊपर उद्धृत शब्दों का सदैव ध्यान में रखना चाहिए।

ब्रिटिश पालियामेट में १९४७ की जुलाई में भारतीय स्वतन्त्रता ऐकट पास होने और १५ अगस्त को भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतन्त्र राज्य-निर्माण से राष्ट्रीय आनंदोत्तम की हमारी कहानी अपने आप समाप्त हो जाती है। भारत को दासता वे बन्धन से मुक्त करने में इण्डियन नेशनल कांग्रेस को सफलता प्राप्त हुई, गो उसे स्वतन्त्र करनु समर्पित एवं अखड़ा भारत की प्राप्ति न हो सका। देश की जनता का दिस्तिर एवं निरदरता के अभिशाप से मुक्त करने के लिए यह अब भी प्रयत्नशील है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से अब तक इस क्षेत्र में प्राप्ति सफलता बहुत कम है, इस शाड़ी सफलता के कारणों तथा राष्ट्रीय सरकार के मार्ग में आई बाधाओं के विवेचन का यह उपयुक्त स्थल नहीं है। हम अपना विवेचन भारतीय स्वतन्त्रता ऐकट के साक्षात् विवरण तथा महात्मा गांधी के बलिदान वर्णन से समाप्त करेंगे।

भारतीय स्वतन्त्रता ऐकट के अनुसार १५ अगस्त, १९४७, को भारत तथा पाकिस्तान—दो स्वतन्त्र राज्यों का निर्माण हुआ और उनकी सीमायें भी निश्चित कर दी गयीं। प्रत्येक उपनिवेश की व्यवस्थापिका दो अपने लिये सविधान बनाने तथा उस सविधान से सम्बन्धित ब्रिटिश पालियामेट के किसी ऐक, ऑर्डर या रूल को मुद्दारने या हटाने का अधिकार दिया गया। ऐकट द्वारा वह घोषणा भी कर दी गयी एक भारत के गवर्नर-जनरल तथा प्राताय गवर्नरों को दिया हुआ आदेश पर १५ अगस्त से रद्द कर दिया गया। दूसरे शब्दों में, इस दिन से गवर्नर जनरल तथा प्रान्तों के गवर्नर अपने मन्त्रिमण्डलों की राय पर कार्य करने वाले वैधानिक प्रधान मात्र रह गये। भारतीय राज्यों पर भी सग्राम की सत्ता समाप्त हो गई, लेकिन यह भारत-सरकार को हस्तान्तरित नहीं की गई।

१५ अगस्त को सारे देश में बढ़ा ही उत्ताह तथा प्रसन्नता प्रदर्शित की गई। राष्ट्रपता महात्मा गांधी ही वेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपने को इस आनन्दोत्सव से अलग रखता। इस समय वे ग्रगाल तथा भिंहार की दुखी मानवता को अपनी शिक्षाओं की अमृत धूँट पिला रहे थे। दुख है एक इस महान् आत्मा का पार्थिव जावन ठदला में ३० जनवरी १९४८ को एक प्रार्थना सभा में भाषण करने जाते समय एक पागल हत्यारे द्वारा गोलियों द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत ही नहीं आपनु सारे जगत् के नरनारियों के हृदय को प्रकाशित करने वाली ज्योति इस प्रकार बुझा दा गई।

कांग्रेस के भीतरी दल— राजनीति के मियार्थी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि १९४७ के पहिले कांग्रेस के सभी सदस्य वित्तमुल एक ही विचारधारा को मानने वाले न थे; इसके अन्दर ऐसे व्यक्ति तथा छोटे-छोटे दल थे जिनकी देश की भविष्य में होने वाली व्यवस्था के विषय में भिन्न-भिन्न राये थी। एक तरफ तो महात्मा जी तथा उनके सरदार चल्लभ-भाई पटेल और राजेन्द्रवाडू जैसे अनुयायियों को लेपर चलने वाला प्रमुख दल था जो अहिंसा पर आधारित समाज पर विश्वास करता है। दूसरी ओर, अपने भिन्न जीवन-दर्शन से प्रेरणा लेने तथा वर्ग रुपर्य (Class war) में विश्वास करने वाला कम्युनिस्ट दल अपनी सख्त जड़ा रहा था। इन दोनों दलों के बीच पड़ित नेहरू तथा श्री जयप्रकाश नारायण को अप्रणीत बनाकर चलने वाले कांग्रेस-समाजवादी थे जो अहिंसा में विश्वास रखते हुए भा देश में समाजवाद की स्थापना चाहते थे। एक समय सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में चलने वाला फॉरवर्ड ब्लॉक भी शक्तिशाली था जो देश में और शीघ्र परिवर्तन का पक्षपाती था। कुछ अन्य छोटे-छोटे दल भी ये जिन्हें छाँझा जा सकता है।

पिछले दो वर्षों से कांग्रेस के म्बरुप में बड़ा परिवर्तन हुआ है। १९४२ के आनंदोलन के समय विश्वासघात तथा देशविस्फुल कार्यों के लिए कम्युनिस्ट दल कांग्रेस से निकाल दिया गया। समाजवादियों ने भी अपना अलग सगठन बना लिया। श्री जयप्रकाश नारायण, डॉ० रामपनोहर लोहिया तथा आचार्य नरेन्द्रदेव जैसे अनेक पुराने तथा विश्वस्त कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं के साथ समाजवादी दल आज कांग्रेस का प्रतिस्पर्धी है। इन परिवर्तनों के बाद कांग्रेस का पड़ित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद नेतृत्व कर रहे हैं।

भारतीय राष्ट्रीयता : स्वरूप और उद्देश्य— इरिडयन नेशनल कांग्रेस ही, जिसके आधी शताब्दी या उससे भी अधिक वर्षों के महत्वपूर्ण इतिहास का हमने सक्षिप्त वर्णन करने का प्रयास किया है, भारतीय राष्ट्रीयता की जननी और उसका विकास करने वाली प्रमुख सत्त्वा है। इरिडयन नेशनल कांग्रेस ने ही भारतीय राष्ट्रीयता को वह रूप-रंग दिया है जो अन्य देशों की राष्ट्रीयताओं से तुच्छ अशों में भिन्न है। यहाँ उन भिन्नताओं में से तुच्छ पर प्रकाश ढालना अनुपयुक्त न होगा।

आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता की प्रशंसा तथा उसमा मूल्यांकन करते समय यह सदैव ध्यान में रखना चाहिये कि पिछले तीस वर्षों से महात्मा गांधी ने ही उसका पथ-प्रदर्शन किया था। प्रमुखतः उन्हीं के कारण इसने भारत की अधभूती तथा मूक जनता की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को महत्व दिया। आज भा यह उसी पथ पर चल रही है; देश के थोड़े से पड़े लिखे तथा सम्बन्ध लोगों के हितों पर वह अपना समय नहीं देती। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीयता के इस पहलू पर

उस समय प्रसार डाला जब द्वितीय गोलमेड सम्मेलन के अवसर पर कांग्रेस की ओर से उन्होंने यह घोषित किया कि भारत में बसने वाली मूँक जनता के हितों के लिए वह अपने सभी हितों की आहुति दे सकती थी। कांग्रेस धनिक लोगों का सगठन नहीं है, यह देश के कुछ पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती। भारतीय राष्ट्रीयता की ओर पर इसने ट्रिन्ड्र-नारायण की मूर्ति स्थापित कर रखी है।

दूसरे, भारतीय राष्ट्रीयता ने अपने ध्येय की प्राप्ति शान्तिपूर्ण तथा अद्वितीय ढंग से की है। इसमा तरीका मत्वाग्रह था, पाश्चायिक शक्ति नहीं; इसने मानव के मर्वोच्च तथा सर्वोच्च रूप को प्रभावित किया, निकृष्ट रूप को नहीं। कांग्रेस का सत्याग्रह के तरीके पर बोर देना बहुत महस्तपूर्ण है। इसमा ग्रर्थ यह है कि कि नव-निर्मित भारत याप्त साम्राज्यवादी महशराकादाओं से दूर रहेगा। भारत की पददालित मानवता की यह सेवा करेगा, उस पर शासन नहीं। यह एक लोकतन्त्रात्मक राज्य है और लोक-तन्त्रात्मक आदर्शों की प्राप्ति के लिए यह नराचर प्रयत्नशील रहेगा।

साम्प्रदायिक एकता तथा समानता कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य रहा है। विदेशी शासन में इसकी सफलता-प्राप्ति कठिन थी, ब्रिटिश सरकार ने हम लोगों के मतभेद का अपने लाभ के लिए ही प्रयोग किया। स्वतन्त्रता-पाप्ति से अब स्थिति बहुत बदल गयी है। साम्प्रदायिक दोगे अब अधिकतर निश्चेप हा गये हैं; हिन्दू तथा मुसलमान अपने पुरुने भेद भूल गये से प्रतीत होते हैं। यह ग्राश्चार की जाती है साम्प्रदायिक सद्भावना तथा शान्ति निकट भविष्य में पूर्णरूप से स्थापित हो जायगी।

दी इंडियन लिबरल फेडरेशन तथा अन्य दल—इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, जो दूसरी प्रमुख सम्प्रथा मानी जाती थी, के अतिरिक्त देश में अन्य राजनैतिक दल भी हैं जिनमा वर्णन आवश्यक है। नेशनल लिबरल फेडरेशन इनमें से एक है जो कांग्रेस की ही तरह एक राष्ट्रीय सम्प्रथा है, लोग की तरह साम्प्रदायिक, वर्गगत तथा सर्वीर्ण नहीं। देश में कांग्रेस का अत्यधिक प्रभाव छढ़ जाने वे बारण लिबरल फेडरेशन के कायों में जनता थोड़ा या निकूल ही ध्यान नहीं देती थी और राजनैतिक शक्ति के रूप में लिपरलिज्म लगभग मर जुका है, पर भी, इस सम्प्रथा की उत्पत्ति तथा उसके कांग्रेस से भेद के विषय में कुछ शब्द कह देना आवश्यक है।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रारम्भ मारत-सरकार के आलोचक के रूप में हुआ था और अपने व्येष की प्राप्ति के लिए इसने केवल वैधानिक उपायों के प्रयोग की प्रतिक्षा की थी। वर्तमान शाताव्दी के प्रारम्भिक वर्षों में बाल गगाधर तिलक, लाला लाजपतराय तथा विपिनचंद्र पाल के नेतृत्व में एक नये दल के प्रारुद्धार्य के पहले कांग्रेस के उदारवादियों तथा उपवादियों में कोई अन्तर न था; अब्रेबी न्यायप्रियता तथा कर्तव्य निष्ठा पर पूर्ण विश्वास रखने वाले

व्यक्ति ही इसके मर्वेसर्वा थे । लेकिन लॉर्ड कर्जन के शामन को बदनाम करने वाली भूलों ने भारतीय नवजवानों को यह प्रश्न पूछने के लिए बाध्य किया : 'बैधानिक माँगों से क्या लाभ, यदि इसका अर्थ वेवल अपमान तथा बगाल का विभाजन ही है?' देश में उप्रवादिता के जन्म के कारणों का विवेचन हम पहले ही कर चुके हैं । इसलिए उन्हें क्योंकि फिर दुहराने की आवश्यकता नहीं । सूखे में होने वाले मतभेद के बाट उप्रवादी दल के निष्कामन तथा इसके नेताओं की गिरफ्तारी और उन्हें देश से दूर भेज देने के कारण काप्रेस १९१५ तक उदार (moderate) तथा बैधानिक बनी रही । दोनों दलों के लखनऊ मिन्नन के बाट कुछ परिवर्तन अवश्य हुए । काप्रेस के प्रस्तावों में नयी रुद्ध दृष्टिगत होने लगी । लेकिन, मान्टफोर्ड-सुधार-योग्यना पर दोनों दलों में फिर मतभेद हो गया । उदारवादी (नरम दल) योजना को स्वीकार करके उसे कार्यान्वित करना चाहते थे; तिलक तथा एनी बेसेंट के नेतृत्व में उपरादी उसे अनुपयुक्त तथा असन्तोषजनक बता कर अन्वेषक बना देना चाहते थे । उदारवादी काप्रेस से अलग हो गये और नेशनल लिबरल फेडरेशन के नाम से उन्होंने अपना एक नया संगठन बना लिया । इसका पहला अधिकारी नरम सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के ममापतित्व में बम्बई में १९१८ में हुआ । समय के साथ-साथ नेशनल काप्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में समियं विरोध अपनाया और बाट में चल कर अपना उद्देश्य पूर्ण स्वराज बना लिया । इस कारण नये तथा पुराने संगठन का मतभेद स्पष्टतर हो गया । यह कहा जा सकता है कि नेशनल फेडरेशन तथा काप्रेस में साथ और साधन— दोनों का भेद हो गया । प्रिंशिप साम्राज्य के भीतर रहकर स्वराज-प्राप्ति और आवश्यकता पड़ने पर उससे जाहर होकर अन्त में पूर्ण स्वराज प्राप्त करना काप्रेस का उद्देश्य था ; लेकिन नेशनल फेडरेशन ने श्रीयनिवेशिक पट या साम्राज्य में रहकर उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार-प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बनाये रखा । दूसरे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में काप्रेस ने सत्याग्रह या सविनय अवश्या का अपनी एक विशेषता बना ली, किन्तु नेशनल फेडरेशन सदा दैधानिक तथा शान्तिपूर्ण साधनों का पक्षपाती रहा । सविनय अवश्या आन्दोलनों में न इसने कभी भाग लिया न उनका समर्थन किया । स्वतंत्रता-प्राप्ति के साथ इन संगठनों के ये अन्तर समाप्त हो चुके हैं, फिर भी, उनकी स्वतंत्र सत्ता गेप है । काप्रेस की आन्दोलनात्मक प्रवृत्ति तथा फेडरेशन की अपेक्षा उदारता के मिद्दान्तों में आम्घा— इन दोनों संगठनों को एक दूसरे से अलग करती है ।

लिबरल फेडरेशन काप्रेस की भाँति सर्वप्रिय न बन सका और इसकी मदम्भता भी सीमित ही रही । फिर भी, देश के राजनीतिक क्षेत्र में इसने बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया और उस पर बड़ा लाभदायक प्रभाय डाला है, विशेषकर अपने प्रादुर्भाव के प्रारम्भिक पाँच या छः वर्षों में । ज्य तक मि० माटेग्यू भारत-सेक्टरी रहे और कौसिनों का काप्रेस-निवारण पूरे जोर पर रहा तब तक उदारवादियों ने मान्टफोर्ड-सुधारों का कार्यान्वित किया और कुछ लाभदायक कार्य भी किया ।

मि० माटेग्यू का इण्डिया ऑफिस से निकल जाना उनके लिए प्रतिकूल सिद्ध हुआ और जनता पर उनका प्रभाव तभी से धीरे धीरे घटने लगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर वे फिर प्रभाव में आये लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। ऐसा प्रतीत होता था कि कांग्रेस की बढ़ती शक्ति के कारण इस सम्मेलन के लिए देश में कोई स्थान ही नहीं था। इसके सदस्यों वो निर्वाचन चैथों में कांग्रेस के स्काचले कभी भी सफलता न मिली। कौंसिलों तथा व्यवस्थापिकाओं में भी वे तभी जा सकते जब कांग्रेस उनमें स्थान प्रदान करने के लिए प्रस्तुत न रहती।

लिबरल फेडरेशन के अनुयायियों की सख्ता कभी भी अधिक न रही, पर भी, इसमें खुद्द-वैभव की कभी कभी न रही। इसके जावन काल में अनेक राजनैतिक नेताओं का इससे साथ रहा। इनमें से प्रमुख व्यक्ति सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सर सी० वार्ड० चिन्तार्मानि, सर शिवस्वामी ऐयर, सर बी० एन० बसु, आनंदेन्द्र श्रीनिवास शास्त्री, सर चिमनलाल सेटलबाड़ तथा सर तेजबहादुर सप्तर्णे। इसके बर्तमान नेताओं में हम पड़ित हृदयनाथ कुल्लू, डा० परजाये तथा श्री चन्द्रावरकर का नाम ले सकते हैं। फेडरेशन ने अपनी स्थिति अनेक रूपों से प्रकट की है। इसके नेताओं ने सामाजिक प्रश्नों पर समय समय पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं और आवश्यकता पड़ने पर कांग्रेस तथा सरकार द्वारा की उन्होंने उपयुक्त तथा रचनात्मक आलोचना की है। उदारवादी नेताओं ने अनेक बार कांग्रेस तथा सरकार के बीच जित्र हाने का प्रयत्न किया है। १९३०-३१ में प्रथम संघिनय अवश्य आनंदोलन के अवसर पर सर तेजबहादुर सप्तर्ण तथा डा० अष्टकर ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। उदारवादी नेताओं ने कई बार नॉन पार्टी लीडर्स कान्फेन्स सम्मिलित करने में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया। पड़ित मोहिलाल नेहरू वे सभापतित्व में हाने तथा प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली आ०ल-पार्टीज कांग्रेस में भी उन्होंने भाग लिया। साइमन कमीशन का बहिकार करने में उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। द्वितीय महायुद्ध के अवसर पर उन्होंने सुदूर का पक्षपात करने तथा कांग्रेस से मिलती जुलती मौगे सामने रखने की दोहरी नीति का प्रयोग किया।

कांग्रेस के समान लिबरल फेडरेशन भी अपने वार्षिक अधिवेशन करता है; लेकिन बड़े शहरों में, गाँधों में नहीं। इन अधिवेशनों में प्रमुख राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार-विमर्श होता और उनका उदारवादी समाधान लोगों के सामने खड़ा आता है।

अन्य दल— कांग्रेस तथा लिबरल फेडरेशन के अतिरिक्त देश में अन्य राजनैतिक सम्मेलन भी हैं जिनके कार्यों का देश के राजनैतिक जीवन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इन दलों में मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, जमायत उल उलेमा आदि-

हिन्दू, अकाली दल, तथा कम्यूनिस्ट पार्टी का प्रमुख स्थान है। कम्यूनिस्ट पार्टी को छोड़ कर इसमें सभी साम्प्रदायिक तथा सकीर्ण दृष्टिकोण के हैं। राष्ट्रीय न होने के कारण उनका यहाँ विवेचन नहीं किया जा रहा है, उसके लिए अगले अध्याय में स्थान सुरक्षित है। यहाँ कम्यूनिस्ट पार्टी के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहे जा सकते हैं।

कम्यूनिस्ट पार्टी— अपनी उत्तरि तथा उद्देश्य में कम्यूनिस्ट पार्टी काग्रेस तथा लिप्रल फेडरेशन से भिन्न है। इसका विकास देश में ट्रोड यूनियन आनंदोलन से सबद्ध है। कम्यूनिस्ट नेताओं ने प्रारम्भ से ही अम-संस्थाओं पर अधिकार स्थापित करने की ओर ध्यान दिया और १९२८ तक कम्यूनिस्टों ने अहमदाबाद के टेक्सटाइल यूनियन को छोड़कर सभी प्रमुख सगठनों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उनके कन्ट्रोल में चलनेवाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुगठन बम्बई का गिरनी कामगार यूनियन था। पूँजीपतियों के विश्वद मोर्चा बनाने के लिए वे शोषित सर्वद्वारा वर्ग का सगठन बनाते और इस प्रभार देश में सामवाद की पूर्ण स्थापना के लिए वे बराबर प्रयत्नशील हाते। इस आनंदोलन के ३० नेता गिरफ्तार कर लिये गये और पद्ध्यनन्द का अभियोग लगाकर उन पर मेरठ में मुकदमा चलाया गया। बाद में चलकर कम्यूनिस्टों ने काग्रेस में सम्मिलित होकर स्थानीय काग्रेस कमेटीयों पर अधिकार करना चाहा। द्वितीय महायुद्ध में रुस के सम्मिलित होने के बाद उन्होंने 'पीपुल्स बार' (जन-युद्ध) का नाम बुलन्द करना चाहा। १९४२ में काग्रेस-नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मिल मजदूरों के कापर अपने प्रभाव का सरकार की सहायता के लिए उपयाग किया और सरकार को उसके युद्ध-प्रयत्नों में अपनी पूरी शक्ति से सहयोग दिया। अपनी इस नीति के कारण वे काग्रेस से अलग कर दिये गये हैं और आज वे अपनी खिचड़ी अलग पक्का रहे हैं। उनका एक केन्द्रीय सगठन है जिसकी शाखाएँ देश भर में पैसी हुई हैं। सनियता तथा अविश्वास परिश्रम उनके कार्यकर्त्ताओं का एक विशेष गुण है। उनका आर्थिक समाजता का सिद्धान्त नवजाताओं को अक्सर बहुत प्रिय लगता है। हाल ही में उन्होंने पश्चिमी बगाल तथा हैदराबाद में बड़ी अव्यवस्था मचानी चाहीं और अनेक हत्याओं तथा लूटपाट के लिए भी वहाँ उत्तरदायी माने जाते हैं।

भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी रुस की गाड़ी के पाईये से बँधी हुई है और भारतीय राष्ट्रीयता की ओर शत्रु है। देश में शीघ्र परिवर्तन के उद्देश्य से व्यवस्थित जीवन में उलट केर के लिए यह दरदम प्रयत्नशील रहती है। अपने घेय की प्राप्ति में यह किसी भी तरीके को प्रशंसनीय मानती है; इसलिए कुछ प्रान्तीय सरकारों ने इसको अवैध घोषित कर दिया है और केन्द्रीय सरकार इस पर सरकारी दृष्टि रखती है।

अध्याय ५ का पूरक

कांग्रेस का गैर-राजनीतिक कार्य

परिचय— इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्यतः एक राजनीतिक समूह है और देश के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति है। इसका प्रमुख ध्येय था, पर भी इसने कठल. राजनीतिक छोप तक हा अपने को सामत नहीं रखता है, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में भा इसने बहुत कार्य किये हैं। इसका ध्येय भी यह ध्यान म रखने योग्य है कि कांग्रेस के जामदाताओं का उद्देश्य था 'भारत का आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, औद्योगिक तथा राजनीतिक, सभी क्षेत्रों म पुनरोढार', हालाँक अपने प्रारम्भिक विधा म इसके शक्ति राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्ति म ही अधिक सच्च होती रहा। दादाभाई नौरोजी न सबसे पहले कांग्रेस का ध्यान देश की भयकर गरीबा का आर दिलाया देकिन शताब्दा दे दा दहाई बाले बर्पा क ग्राने तक कांग्रेस ने जनता को दशा-सुधार के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। यह जो कुछ भा कर सकती थी वह या स्वदेशी पर जोर देकर भारतीय उद्योग धनधों को प्रोत्साहन देना। महात्मा गांधी न प्रादुर्भाव ने सारी स्थिति म महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उनक रचनात्मक कार्य क्रम म हाथ स बातने, असृष्ट्यता निवारण तथा साम्प्रदायक सद्भाव का विशेष महत्व दिया गया और कांग्रेस कार्यों को दिशा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों म माझ दा गयी। यह कहा जा सकता है राजनीतिक छोप में हमारा सफलता बहुत कुछ आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों म सफलता पर निर्भर रही है। इस पूरक आध्याय में हम कांग्रेस के गैर राजनीतिक कार्य का संक्षिप्त विवरण देगे।

(1) **आर्थिक—** कांग्रेस ने देश के उद्योग धनधों को बड़ी सहायता दी है। नगल वे विभाजन क समय स ही इसने स्वदेशी को प्राप्तसाहन दिया है और समाज-प्राय उद्योग धर्षों को फिर से जावन दिया है। सविनय आवश्य आन्दोलन क विदेशी कपड़ों तथा अंग्रेजी माल क बहिभार ने भी भारतीय उद्योगों को बड़ा सहायता दी है। पिछले पचास वर्षों म इसने पुराने तथा मृतग्राम दुटार उद्योग-धर्षा—विशेषत कातने हुनने— को पुनर्जीवित किया है। मनामर जी क नेतृत्व में ही ग्रनिल भारतीय कताई सघ तथा असिल-भारतीय आमोद्योग सघ की स्थापना हुइ थी। आज वे कांग्रेस में ग्रलग रहकर कार्य कर रहे हैं। धान बूटना, आटा पीसना, तेल निकालना, गुड बनाना, मधुमक्खी पालना, कामज तथा साबुन बनाना, चमड़े का काम, कातना बुनना, 'भस्वे' बयाइ बनाना, सोंगों से सामान बनाना, बटन तथा स्लैर पेसिलों बनाना, आदि कुछ कांग्रेस कार्य है जिहे आमोद्योग सघ ने उपयुक्त नेट्रों पर प्रारम्भ किया है। १९३५ के ऐकट के अनुसार पद ग्रहण के पश्चात् पहित जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षता म कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय-योजना बमिति (National Planning

Committee) चिठायी। इस सम्बन्ध में ज्ञान में रखने वोग्य सबसे महत्त्वपूर्ण चीज़ यह है कि काग्रेसियों ने अब जनता ने लिए सोचना और अनुभव करना प्रारम्भ कर दिया है, उसकी आर्थिक-दृश्य सुधार का वे अपना कर्तव्य समझने लगे हैं।

(ii) सामाजिक— जबसे गौर्धी जी ने काग्रेस का नेतृत्व धरण किया, साम्प्रदायिक सद्भावना, नशाबन्दी तथा असृश्यता-निवारण को काग्रेस कार्यक्रम में प्रमुख स्थान मिला है। साम्प्रदायिक विद्वेष ने जब भयकर रूप धारण कर लिया और निर्दोष जनता के रक्तपात से पृथ्वी रगी जाने लगी, महात्मा जी ने दिल्ली में २१ दिन के उपचास का निश्चय किया। यह तु ख र साथ कहना पड़ता है कि राजनीतिक दौव-पेंच के कारण साम्प्रदायिक स्थिति विषमतर होती गयी, काग्रेस प्रयत्नों का कोई विशेष परिणाम न निकला। शराब की दुकानें बन्द करने के प्रयत्न में हजारों स्त्री पुरुषों ने जेल-आतनाएँ सहीं और पुलिस के हाथों लाठियों की बोल्हारे भी सहीं सहन का। काग्रेस ने जब कई प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल बनाये, इसने तुछ जुने ज्ञेना में अनिवार्य नशाबन्दी प्रारम्भ की और इस प्रकार तीन बर्पों में वह पूरी नशाबन्दी करना चाहती था। काग्रेस का यह प्रयोग सफल हो गया हाता यदि वह तुछ बर्पों तक और पदासीन रहती। काग्रेस मन्त्रिमण्डलों के पदत्याग के पश्चात् यह कार्यक्रम धारा ६३ के अनुसार लौटा लिया गया। असृश्यता-निवारण में काग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। श्री ठक्कर चापा के उत्ताहपूर्ण मन्त्रित्व में अविल भारताय हरिजन सेनक सघ का निर्माण गौर्धी जी ने किया था। राष्ट्रीय चेतना के नारी-समुदाय पर प्रभाव या भी बर्णन आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के युद्ध में भाग लेने के लिए हजारों स्त्रियों पर्दे का बन्धन तोड़ कर बाहर निकल आयीं। स्त्रियों की चेतना यब स्थायी बन गया है, काग्रेस की यह एक प्रमुख गैर राजनीतिक सफलता है।

यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि काग्रेसी हिन्दुओं तथा मुसलमानों में गैर काग्रेसी हिन्दुओं तथा मुसलमानों की बनिस्वत अधिक भारुमाय है। लेखक कई ऐसे काग्रेसी हिन्दुओं तथा मुसलमानों को जानता है जो एक दूसरे से सूख अच्छी प्रकार मिलते-जुलते तथा एक दूसरे के सुख-नुख में पूरा भाग लेते हैं।

(iii) शिक्षा सम्बन्धी— ग्रमी कुछ थोड़े ही वर्षा से काग्रेस ने राष्ट्र के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में कुछ सहयोग दिया है। महात्मा गौर्धी ने अपनी शिक्षा याजना देश के सामने रखी जिसे वर्धा योजना कहते हैं। इस योजनाने लोगों को बहुत प्रभावित किया है और यह वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर सकता है। आगे आने वाले अध्याय म हम इसका विस्तृत विवेचन करेंगे।

वर्तमान शताब्दी के दा दहाई वाले प्रारम्भिक वर्षों में जब काग्रेस ने देश-वासियों से सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कॉलेजों का विहिकार करने की

अपील की, देश में अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ जिनमें से कुछ अब भी शेष हैं। देश के लिए एक राष्ट्रभाषा की, जिसका परिचयमेत्तर सीमाप्रान्त का रहने वाला व्यक्ति भी बगाल, मद्रास या महाराष्ट्र पहुँचने पर प्रयोग कर सकता, आवश्यकता का अनुभव करने काग्रेस ने हिन्दुस्तानी का देश की राष्ट्रभाषा बनाना चाहा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, देवनागरी लिपि में हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा स्वीकृत हो चुकी है।

(iv) राष्ट्रीय एकता— राष्ट्रीय एकता के विकास में भी काग्रेस ने बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। हाँलांकि देश का एकता म सहायक तत्व सदैव से रहे हैं, पिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय एकता की भावना की उत्पत्ति अपरीहाल में हुई है और इसको विकसित करने का श्रेय काग्रेस को है। प्रान्तीयता की भावना धरे-धरे लुट होती जा रही है और देश का प्रत्येक भाग अब अपने को एक दूसरे से अभिन्न समझता है। बगाल के विभाजन का सारे देश में विरोध किया गया और जलियोंवाला बाग के हत्याकाड ने सारे देशवासियों के हृदय में बोध की ज्वाला धधका दी। बिहार तथा कर्वा के भयकर भूकम्प सारे देश की विपत्ति समझे गये। महात्मा जी, खान अब्दुल गफ्फार खाँ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जयादरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा डा० राजेन्द्रप्रसाद जैसे राष्ट्रीय नेताओं का प्रत्येक प्रान्त में स्वागत हुआ है। देश के विभाजन से उसकी राष्ट्रीय एकता को बहुत बड़ा धक्का आवश्यक लगा है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में वह आवश्यक था।

राष्ट्रीय आत्मा : विशेषताएँ— राष्ट्रनिर्माण के कार्य में काग्रेस की सबसे बड़ी देन यह है कि इसने सर्वसाधारण के चरित्र तथा दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन कर दिया है। काग्रेस द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले सविनय अवश्य आन्दोहन का चाहे जो गुण दोष देखा जाय, इतना तो स्पष्ट होता है कि इन्होंने लोगों में निर्भयता की भावना भर दी। 'राष्ट्रीय चेतना ने मानसिक दासता के बन्धन तोड़ दाते हैं। नरनारियों तथा बच्चों ने सर ऊँचा करने चलना सीख लिया है। कैद का भय अब भाग गया है; गोलियों तथा लाठियों का भय भी जा रहा है'— १९३२ में एक पत्रकार ने इस प्रकार लिखा। १५ अगस्त १९४७ के पहले भी एक हिन्दुस्तानी किसी अंग्रेज के सामने पढ़ते की अपेक्षा अधिक निर्भयता से खड़ा होता; उसके हृदय से सरकारी अपसरों तथा पुलिस का भय समाप्त हो गया। सरकार की आलोचना में भी अब वह आधक निर्भय हो गया है। सत्य तथा न्याय के प्रति अब आस्था अधिक हो गयी है। १९३१ में लॉडे इविन से समझौते में सप्तल होने के बाद महात्मा गांधी ने दिल्ली की एक विराट् सभा में कहा था कि कष्टसहन तथा त्याग की अग्नि-परीक्षा से निकलने के बाद देश की नैतिक उच्चता आधा इन्च बढ़ गयी थी।

भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता

साम्प्रदायिकता : भारतीय राजनीति की एक विशेषता— ब्रिटिश प्रेस तथा राजनीतिज्ञों का चरम सीमा तक ध्यान आकर्षित करने वाली भारत की स्वतन्त्रता की कभी न बुझने वाली थास नहीं बल्कि उसकी साम्प्रदायिकता थी। स्वराज के मार्ग में साम्प्रदायिकता ने सबसे बड़ा रोड़ा ग्रटकाया है। स्वराज प्राप्ति के पहले तो भारत साम्प्रदायिकता का घर ही था ; साम्प्रदायिक हिन्दू, मुसलमान, तिक्ख, ईसाइ, सभी अपनी-अपनी स्थाओं की सहायता करते। ऐसे बातावरण में राष्ट्रीयता का विकास कैसे सम्भव था ? लोगों की जो शक्ति राष्ट्रीयता तथा राष्ट्र-हित के अन्य कार्यों में ऊर्जा होती वह सर्कारी साम्प्रदायिकता की ओर मुड़ गयी। आखिर वह साम्प्रदायिकता है कौन बला ? इसके विकास में किन चीजों ने सहायता पहुँचायी ? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें मार्त्ताय राजनीति का विद्यार्थी अब भी दिलचस्पी रखता है। आगे आने वाले पृष्ठों में इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया जायगा।

साम्प्रदायिक समस्या को कभी-कभी हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न या हिन्दू-मुस्लिम-सिङ्घ प्रश्न कहा जाता था। समस्या को यह नाम देना बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। इस नाम-ब्रह्मण से तो यह प्रत्यात होता है कि समस्या पूर्णतः या मुख्यतः धार्मिक थी। इसका यह अर्थ भी होता है कि बेबल हिन्दू मुस्लिम तथा तिक्ख ही इससे सम्बद्ध थे। लेकिन ये दोनों विचार त्रुटिपूर्ण हैं। साम्प्रदायिक समस्या धार्मिक होने की बनिस्वत राजनैतिक अधिक थी, यह मुख्यतः राजनैतिक थी। इसके स्वरूप-निर्माण तथा विकास में ब्रिटिश साम्राज्यवादिता का भी उतना ही दाय रहा है जितना हिन्दूओं तथा मुसलमानों के बीच राजनैतिक हिलों के सघर्ष का। समस्या को जो बेबल हिन्दूओं मुसलमानों के बीच का धार्मिक सघर्ष समझते हैं और उसकी तह में छिपी अग्रेजी चालों को नहीं देखते, वे उसका सर्वांगीण अवलोकन नहीं कर सकते। वास्तविक रूप में समस्या यह थी कि देश में बसने वाले विभिन्न धर्मों— हिन्दू, मुसलमान, तिक्ख, ईसाइ, आग्ल-भारतीय, यूरोपियन, जर्मनीदार, उद्योगपति, अमिक तथा बण्डिज व्यवसाय में लगे रहने वालों— की गजनैतिक शक्ति में हिस्सा लेने की माँग को कैसे संतुलित किया जाता। अग्रेजी सरकार द्वारा अपनायी नीति ने कुछ वर्गों के अपनी माँग सर्वोपरि रखने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं किया बल्कि वर्गों के आपसी समझौते द्वारा समस्या के इल को असम्भव बना दिया। भारत में चलने वाली स्वर्धा राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व करने वाली कायेस, सर्कारी साम्प्रदायिकतापूर्ण मुस्लिम-लीग, हिन्दू महासभा तथा प्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों के बीच थी। इस प्रकार अपने देश में एक साम्प्रदायिक त्रिभुज निर्मित हुआ, जिसकी ब्रिटिश साम्राज्यवादिता एक

महत्त्वपूर्ण भुजा थी। श्री अशोक मेहता की पुस्तक 'दी कम्यूनल ट्रैगिल इन इंडिया' में यह चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से समझाई गयी है।

साम्राज्यविकास की उत्पत्ति— देश की राजनीति के दो तर्कों— उदाम (insurgent) भारतीय राष्ट्रीयता का विदेशी शासन को फैक देने का प्रयत्न तथा विटिश साम्राज्यवादिता का इस उठती शक्ति को कुचल देने का प्रयत्न— के आपसी सघर्ष के कारण ही साम्राज्यविकास की उत्पत्ति हुई। इन दो तर्कों में से किसी की भी अनुपस्थिति में साम्राज्यविकास की उत्पत्ति असम्भव थी। इन दोनों तर्कों में विटिश साम्राज्यवादिता पुरानी तथा अधिक शक्तिशाली थी। भारतीय राष्ट्रीयता को पुनर्जीवित तथा शक्तिपूर्ण बने अभी बहुत समय नहीं हुआ। जब यह सर उटाकर ठुँछ-ठुँछ शक्तिपूर्ण बनने लगी, विटिश साम्राज्यवाद ने उसे साम्राज्यिक विदेश पैलाकर कुचल देना चाहा। यह तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि विटिश सरकार ने हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच पढ़ते से चले आते मनमताव को और बढ़ाकर उससे लाभ उठाया। हिन्दू मुस्लिम विदेश को उसने शन्य में से उत्तम नहीं किया। यपने दुर्भाग्य के लिए हमारा भी उत्तरायित्व है।

विटिश राजनीतिओं ने बहुत पहले यह अनुभव कर लिया था कि भारत में अग्रेजी राज्य की रक्षा ने लिए वहाँ के चिभित्र वर्गों को सदैव एक दूसरे के विपद्ध रखने की आवश्यकता थी। विभाजन द्वारा शासन बरने की नीति ही विटेन क भारतीय साम्राज्य की आधार रही है। इस्ट इंडिया कम्पनी के शासन में चम्चड़े के गवर्नर माउन्टस्टुग्रैंट एलफिन्स्टन ने एक बार लिखा था ‘विभाजन द्वारा शासन बरना रोम का पुरानी कहानी है और हमें भा उसी का अनुसरण करना चाहिये।’ अग्रेज इस नीति में निपुण तो थे ही, भारत में आते ही उन्होंने उसे देश की चर्तमान स्थिति पर लागू करना प्रारम्भ कर दिया।

द्वापनी इस नीति का मध्यसे पहला प्रयोग अग्रेजों ने १८५७ के विद्रोह के पश्चात् भारतीय सेना के सगठन में किया। इस समय से पहले सभी भारतीय सेना में साथ-साथ रहते। जाति या सम्राज्य के कारण कोई विभाजन या भेद न था। हिन्दू, मुसलमान, जाट, मिहन्त तैभा शक्तिशाली मेंद्रमाव भूलकर साथ साथ रहते और इसी एकता की प्राप्ति ने १८५७ के विद्रोह को सम्भव पकाया। लेकिन अब अब्रों द्वारा किये पुनर्सगठन ने इस एकता का विनाश कर दिया। रेजिमेन्ट, नैटिलियनों तथा कम्पनियों का निर्माण जाति, वर्ग तथा साम्राज्यिक भेदों के आधार पर हुआ। सिक्ख रेजिमेन्ट, डागग रेजिमेन्ट, जाट रेजिमेन्ट तथा अन्य अनेक रेजिमेन्ट बन गये। इस नये आधार ने चर्ग विदेश की नीव डाली और साम्राज्य भावना के विभाजन में इससे पड़ा अहंकर पड़ी।

सेना के बाहर इस नीति का प्रयोग एक सम्प्रदाय को प्रशंसा देकर दूसरे को दग्धने के लिए किया गया। अब्रेजों ने मुसलमानों को दबाने का निश्चय किया क्योंकि उनका विश्वास था कि सन् ५७ के विद्रोह के लिए यही लोग उत्तरदायी थे। सेना तथा सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को जानबूझकर जगह न दी जाती और हिन्दुओं के प्रति सूख रियायत की जाती। १८७१ में बगाल सरकार के २१४१ सरकारी नौकरों में बेबल ७२ मुस्लिम, ७११ हिन्दू तथा १३३८ यूरायियन थे। मुसलमानों को आर्थिक तथा शिक्षणात्मक, दोनों रूपों से नष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि बगाल का स्थायी बन्दोबस्त इसी उद्देश्य से किया गया था। इसने मुसलमानों को निर्धन बनाकर हिन्दुओं को सम्पन्न बना दिया। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियों कार्य कर रही थीं जिन्होंने अब्रेजों ने मुसलमानों के प्रति इष्टिकोण को बदल दिया। सर सैयद अहमद राम ने यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया कि सरकार का ग्रविश्वास निरधार था, उन्होंने मुसलमानों तथा सरकार के बीच सद्भाव की उत्पत्ति के लिए बड़ा प्रयत्न किया। अपने इस प्रयत्न में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली। देश की राजनीतिक स्थिति बहुत कुछ उनक ग्रन्तकूल बन गयी। देश में राजनीतिक चेतना का भी पर्याप्त विकास हो गया। इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गयी थी और उसने सरकारी नीतियों की आलोचना भी प्रारम्भ कर दी थी। अल्लामा शिवली नूमानी, मौलाना रशाद अहमद गगाहा तथा अलीगढ़ के मौलवी लुत्फुल्लाह जैसे नेता हिन्दुओं के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ते। १८८८ में गुरुदासपुर की अपनी एक बक्तुता में सर सैयद अहमद राम ने निम्नलिखित शब्द कहे 'हम लागे—हिन्दुओं तथा मुसलमानों—का एक हृदय तथा आत्मा बन कर एकतापूर्वक कार्य करना चाहिये। एक बन कर हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, लेकिन भिजता तथा विरोध में दोनों का विनाश है।' एक दूसरे अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई तथा भारत में रहने वाले ग्रन्थ लोगों का एक ही राष्ट्र था और जनता को उन्होंने यह धान में रखने की अपाल भी की कि हिन्दुओं तथा मुसलमानों में लो बेबल थाही धार्मिक भिजता था लेकिन इसका यह अर्थ न था कि देश में रहने वाले सभा लोगों का राष्ट्र एक न था। अवधीरी सरकार को ऐसी भावनाओं का विकास कैसे प्रिय लगता, उसने अपनी सुदृढता के लिए मुसलमानों को राष्ट्रीय आनंदेलन में भाग न लेने देना चाहा। उठने मुसलमानों के प्रात अपना दृष्टिकोण बदल कर उनका पहले लैने तथा हिन्दुओं का दग्धन का निश्चय किया। उत्तरी भारत के मुसलमानों को इण्डियन नेशनल कांग्रेस से अलग रखने में नये प्रारम्भ हुए एम० ए० श्रा० बॉलिज ने प्रिंसिपल मि० वेक ने बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया। मि० वेक ने सर सैयद अहमद राम को बहुत प्रभावित किया और उन्हें उनकी बृद्धावस्था में उन चीजों का विरोध करने के लिए प्रस्तुत कर लिया जिनका वह जीवन भर पक्ष करते रहे थे। मि० वेक एक बहुत बड़े साम्राज्य-निर्माता थे, उन्होंने

मुसलमानों का राष्ट्रीय ग्रान्डोलन से अलग रख कर सामाज्य-निर्माण में घड़ी सहायता देनुचाही।

मुस्लिम लीग की स्थापना तथा अलग निर्वाचन-क्षेत्र की माग— हाँलांकि उत्तरी भारत के मुसलमानों ने काप्रेस में हिस्सा न लिया, फिर भी अभी तक उनका कोई अलग सगठन न था जिसका ब्रिटिश सरकार काप्रेस के विरोध के लिए उपयोग कर सकती। मुस्लिम लीग तथा अलग निर्वाचन-क्षेत्रों की स्थापना से यह पना चलता है कि एक वर्ग को दूसरे के बिकद रखा बरने का अपने उद्देश्य में सरकार कितनी सफल हुई। अब हम इसका अध्ययन प्रारम्भ करते हैं।

लॉर्ड कर्जन के शासन से उत्पन्न हुए असन्तोष को दर्जने के लिए उस समय के भारत मन्त्री लॉर्ड मालै ने भारत-सरकार को यह सुझाव दिया कि जन-प्रिय दिशा में सुधार करने का यहा उपयुक्त समरथा। इस विचार को कार्यान्वित करने के लिये प्रयत्न किया गया। यह घटना १९०६ की है। मिं मौरीसन के बाद एम० ए० ओ० कॉलिन के नये प्रिसिपल मिं आर्चेल्ड ने सर सैयद अमद वे गढ़ मुसलमानों के नेता तथा कॉलिन के प्रेसिडेंट नवाब मुहसिन-उल मुल्क का एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लॉर्ड मिन्टो के पास मुसलमानों का एक प्रतिनिधि-मण्डल भेजने की सलाह दी। उन्होंने नवाब साहब को यह सूचना दी कि बाइसराय मुसलमानों के प्रतिनिधि मण्डल से मिलने के लिए प्रस्तुत ये लेकिन इस मण्डल में देश के विभिन्न भागों के प्रतिनिधियों का रहना आवश्यक था। उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि प्रतिनिधि मण्डल का समाट के प्रति स्वाभिभक्ति प्रदर्शित करना तथा सरकार द्वारा किये जाने वाले सुधारों के प्रति आदर-भाव दियाना मुसलमानों के अनुकूल पड़ता। उन्होंने प्रतिनिधि-मण्डल को यह विचार प्रदर्शित करने की भी राय दी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन-क्षेत्र के निर्माण के बिना चुनाव का मिदान्त मुस्लिम हितों के लिए हानिकारक हित होता। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि साम्राज्यिक प्रतिनिधित्व का विचार मुसलमानों की सुषिट नहीं है, इसकी प्रेरणा उन्हें किसी अन्य जगह से मिलती। ग्रेट ब्रिटेन न मूलपूर्व प्रधान मन्त्री मिं रैमसे मेकडोनल्ड ने ग्रेपनी पुस्तक 'अवेक्षिंग ऑफ इरिडिया' में यह विचार प्रदर्शित किया है कि अलग साम्राज्यिक क्षेत्र की माँग तथा उसकी स्थापना का उत्तरदायित्व ब्रिटिश नौकरशाही पर है। स्वर्गीय मौलाना मोहम्मद अली के शुद्धों में लॉर्ड मिन्टो से मिलने वाला प्रतिनिधि मण्डल 'निर्दोशत प्रदर्शन' का था। इसका सगठन शिमले से हुआ था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि लॉर्ड मिन्टो को दिये जाने वाले सम्मान-पत्र की रचना स्वयं मिं आर्चेल्ड ने ही की थी। इस सम्मान-पत्र का विस्तृत वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। इतना बतला देना पर्याप्त है कि इसने मुसलमानों के लिए निम्नलिखित

* कुछ लेखकों की राय है कि सुधार योजनाएँ लॉर्ड मिन्टो ने बनाई थीं।

मौंगों की : अलग निर्वाचन-क्षेत्र, reformed legislature में weightage, सरकारी नौकरियों में और अधिक प्रतिनिधित्व, मुस्लिम यूनीवर्सिटी की स्थापना में सहायता, तथा गवर्नर जनरल की कार्य-कारिणी में किसी मारतीय की नियुक्ति होने पर उनके हितों की रक्षा। इसके उत्तर में लॉर्ड मिन्टो ने कहा था कि प्रतिनिधि मण्डल के विचारों से वह सहमत थे और उन्होंने उसे वह आश्वासन भी दिया कि उनके शासन में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों तथा हितों की पूरी रक्षा होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि साम्राज्यिक प्रतिनिवित्व का निष्ठा सिद्धान्त लॉर्ड मिन्टो ने ही ग्राह्य किया। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र की मौंग का स्वयं लॉर्ड मालें ने, जिन्होंने विभिन्न बगों के प्रतिनिधियों के जुनाव के लिए संयुक्त निर्वाचक बॉलिजों की स्थापना की राय दी थी, विरोध किया था। सरकार का हमेशा पक्ष करने वाले कलकत्ते के 'स्ट्रेट्समैन' ने भी इसका विरोध किया था। देश की गांधीय विचार-धारा इसके सख्त विरुद्ध थी क्योंकि हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच की याई इससे और बढ़ती और राष्ट्रीय भावना के विकास में इससे बड़ा खङ्गा पहुँचता। लेकिन भारतीय नौसरकाही तथा इगलैंड में इसके समर्थक अधिक शक्ति-शाली सिद्ध हुए और इस सिद्धान्त को मालें मिन्टो-सुधार-योजना में स्थान दिया गया। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि द्विष्ट्रू-सिद्धान्त तथा पाकिस्तान के जन्मदाता माहमद यानी निजा अलग निर्वाचन-क्षेत्र के विरुद्ध थे। १९१० में काशेत के द्वारा भाद्र-अधिवेशन में उन्होंने इस वृग्नित सिद्धान्त के विरुद्ध प्रत्यावर्पण किया था। इस प्रत्यावर्पण का विचार के प्रसिद्ध मौलिक मजहब उल्हक ने अनुमोदन किया था।

मुस्लिम लीग— शिमला-डेपुटेशन का सफलता से मुसलमानों का अलग समठन बनाने वाले लोगों का नड़ी प्रेरणा मिली। १९०६ के दिसम्बर मास में दाका में हाने वाले एक सम्मेलन के लिए लोगों को आमन्त्रित किया गया और वहीं पर अस्तित्व भारतीय मुस्लिम लाग का स्थापना हुई। स्थापना करने वाले कई घर के कुछ सम्भान्त मुस्लिम व्यक्ति थे। उनका उद्देश्य था, 'मुसलमानों के पांडे लिखे तथा मर्याद बर्ग को उस भवित्वर राजनीति में सम्मिलित होने से रोकना जिसे इंग्लिशन नेशनल कांग्रेस अपना रखी था।'^{१०} मुस्लिम लीग न सविधान ने अपने उद्देश्य तथा लक्ष्य का इस प्रभार व्यक्त किया :

'(१) मारतीय मुसलमानों में विद्युत सरकार के प्रति स्वामिभक्ति' उत्तर करना तथा सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति के विषय में उनकी गलतपद्धति दूर करना, (२) मारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा तथा उनकी मौंगों को प्रियित सरकार ने समझ सकत तथा शिष्ट भाषा में प्रकाशन, (३) जहाँ

* हुमायूँ करीर, मुस्लिम पालिटिक्स, पृष्ठ २

तक समझ हो सते (१) और (२) में व्यक्त किये हुए उद्देश्यों के प्रति विचार न जाते हुए मुसलमानों तथा भारत के अन्य वर्गों के बीच सद्भाव प्रसार ।

लीग-प्रारम्भ से ही एक साम्राज्यिक संस्था रही है और वह विशेषता इसने जीवनसे सदा सम्बद्ध रही । लीग ने सदैव एक विशेष वर्ग के राजनीतिक अधिकारों तथा हितों की आर धान दिया है, पूरे भारत के हित की ओर नहीं, यह अब्देली राज की पिट्ठू रही है, भारतीय राष्ट्रीयता को पोषक नहीं । मुस्लिम लीग की इन विशेषताओं से सष्टु पता चलता है कि हिन्दुओं तथा मुसलमानों को एक दूसरे से अलग रखने के लिये अग्रेज-बटनी॥ तब जितने प्रयत्नशील थे ।

यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि अपना वह रूप रखते हुए भी लीग को सभी पढ़े लिखे मुसलमानों का समर्थन प्राप्त न हा सका । श्री मुहम्मद अली जिन्ना इसरे साम्राज्यिक रूप के कड़र विरोधी थे । नवाब सैयद मोहम्मद ने इससे किसी भी प्रकार का सम्बन्ध बनाये रखना उचित न समझा । मौलाना शिवली नौमनी इसकी नीति की चराचर आलोचना करते । मौलाना मुहम्मद अली ने दिल्ली से अब्देली तथा उर्दू में 'कामरेड' तथा 'हमर्दै' नामक दो पत्र निकाले जिनमें लोग की साम्राज्यिकता तथा खामियां भक्ति पर खूब आकर्षण होता था । मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कलकत्ते से 'गल हिलाल' नामक अपना एक पत्र निकाला जिसका उद्देश्य था भारतीयों में एक नवीन भावना तथा उत्साह का विकास । इन शक्तियों के प्रभाव, तुर्किस्तान तथा अन्य मुसलमानी देशों में घटने वाली घटनाओं तथा विटेन के उनके प्रति रुख तथा, अन्त में, ग्रलीगढ़ के एम० ए० ग्रा० कॉलिज के अग्रेज मिसिपलों के प्रभाव की समाप्ति के कारण मुस्लिम राजनीति में उड़ा परिवर्तन आ उपरिथित हुआ । मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजहबर उल-हक, मैयद, बज़ीर हसन, हसन इमाम तथा मुहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रगतिशील नेताओं ने मुस्लिम लीग को काशेस के साथ लाने के लिए उसने सविधान को प्रगतिशील तथा राष्ट्रीय आवार पर बदलने की इच्छा प्रकट की । इसी इच्छा के प्रनुसार इसके सविधान में १६१३ में कुछ सुधार हुए । मुसलमानों तथा अन्य भारतीय वर्गों के बाच अधिक से अधिक सद्भाव और मैयदी तथा विटिश राज की सरकार में भारतीय आवश्यकता आ के अनुकूल स्वराज अधिक ही लीग के उद्देश्यों में सम्प्रतिकृत किये गए । इस परिवर्तन ने काशेस के साथ सहनाम का मार्ग खोल दिया । बम्बई में हाने वाले काझे स-अधिवेशन के अवसर पर लीग-अधिवेशन भी आमनित करके मुहम्मद अली जिन्ना ने दूसरा महत्वपूर्ण कदम उठाया । इसने पश्चात् आने वाले अनेक वर्षों तक दानों सगठनों के अधिवेशन एक ही स्थान पर होते रहे । इसका परिणाम यह हुआ कि टोनों सम्पत्तियों ने युद्धोत्तर मुघार याजनाएँ एक साथ मिल कर गयीं । काशेस तथा लीग ने १६१६ में लग्जर

में होने वाले अपने अधिवेशनों में काप्रेसलीग-भोजना स्वीकृत की। श्री जिन्दा द्वारा उठाये गये कठम के परिणामस्वरूप ही मदात्म गांधी, श्रीनर्ती सरोजिनी नायडू तथा पहिले मठमोहन मालेकीर जैसे काप्रेस-नेतृत्वों ने १६१५, १६१६ तथा १६१७ में होने वाले लीग अधिवेशनों में भाग लिया और कई प्रनालों के पक्ष में मापण किये। लीग के कलकत्ता-अधिवेशन के समापनि राजा महेन्द्राचार्य ने अपने समापत्तिन्पद से भागण में निम्ननिमित्त शब्द कहे : 'देश का हित ही सरोंपरि है। इमें यह सोचने में शक्ति ही है नहीं करनी चाहिये कि हम पहले मुमलमान हैं या भारतीय। बास्तविकता यह है कि हम दोनों हैं और दोनों हिस्सों को भी पहले महत्व देने का प्रयत्न ही नहीं उठता। लीग ने मुमलमानों में देश तथा धर्म के लिए त्याग की भावना भर दी है।'

प्रियंशु साम्राज्य के प्रति स्वामिभक्ति में राष्ट्रीयता की ओर यह परिवर्तन बढ़ा महत्वपूर्ण था। इसी के कारण पजाप तथा बिलापत भी गनतियों को दूर करने के लिए काफ्रेस द्वारा १६२० में चलाये गये अमहयंग आनंदालन में लीग का भी सहयोग मिल सका। लेकिन भारतीय मुमलमानों की ओर से चलायी गयी लडाई का सगड़न बिलापत-कमेटी ने किया, लीग ने नहीं। इस अवसर पर इस ओर भी धान आकर्षित किया जा सकता है कि मुनिलम राजनीति से लीग की वर्तमान सत्ता के प्रति चानन्दमी तथा न्यामिभक्ति प्रदर्शन की नीति के कारण अस्तग रहने वाले उच्चमात्रों ने भी आनंदालन में पूरा सहयोग किया। उन्हाने जमायत उल-उलेमाए-दिन्द नामक प्रसिद्ध सम्प्रदाय का सगड़न किया। यह संस्था बराबर एक राष्ट्रीय सम्प्रदाय ही और विवेशी सना दे मिस्टर मुनिलम विचारों को सष्ठात्र बमाने में इसने बड़ा योगदाना है। प्रियेन पिरोधी कायों ने लिए मालिय म नजरबन्द रहने वाले मौनाना सुन्दर उल्लास द्वारा इसके सम्बोधन में। उनकी खून्नु के बाद इसके नेतृत्व वा पार मुनीरी जिन्नात उल्लास के क्षेत्रों पर आ पड़ा। जमायत ने सदैव दिन्द-मुनिलम एकता का पक्ष किया है और इण्डियन नेशनल काप्रेस के प्रियंशु-साम्राज्यवाद के विकास होने वाले युद्ध में इसने सदैव सहयोग किया है।

निजादन-कमेटी तथा बमायत की प्रसिद्धि तथा मुलिम जनता पर उनके प्रभाव के कारण १६२० के पश्चात् मुनिलम लंग कुछ समय तक प्रभावीन होकर लोगों की दृष्टि से छिपा रहा। इनके बानेक रुद्रांगों ने सरकारी हृषा दृष्टि प्राप्त करके सप्तर राजनीति से दूर रखा जिया।

महत्वा गाधा द्वारा प्रथम अमुहयोग आनंदालन उठा लिये जाने के पश्चात् देश में दैलने वाले हिन्दू मुलिम दगा, शुद्धि तथा सगड़न के कार्यक्रम के साथ हिन्दू महात्मा के ग्रन्थांश तथा काप्रेस द्वारा वैधानिक कार्यक्रम अपना लिये जाने से मुन्द्रम अर्नी जिन्ना को लीग को पुनर्जीवित करने का अवसर मिल गया। यह घटना

में रखना चाहिये कि श्री जिन्ना एक समय कठूर कायेमी थे ; उन्होंने इण्डियन नेशनल कांग्रेस से उस समय सम्पन्ध-विव्हेद कर लिया जब उसने राजनीतिक भीस मानने के रास्ते को (Mendicancy) छोड़ कर Direct Action अपना लिया । लीग मुनज्जीनित तो हुई किन्तु श्री जिन्ना इसके जीवन-शून्य अधिकारियों को अनुप्राणित न कर सके । ऑल-हार्ट साइमन कमीशन की स्थापना से लीग दो भागों में विभाजित हो गयी । श्री जिन्ना के नेतृत्व में एक भाग कमीशन का विविधकार करता किन्तु सर मुहम्मद शफी के नेतृत्व में दूसरा भाग कमीशन के साथ सहयोग करने के पक्ष मथा । इन दोनों लीगों में से एक ने अपना अधिकार बलवत्ते में किया, दूसरी ने लाहौर में । जिन्ना के नेतृत्व में चलने वाले भाग ने प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट के अनुसार एक निश्चित सविधान निर्माण के लिए काफ़ी स तथा अन्य राजनीतिक दलों से सहयोग किया । शपी-लीग की राय ने अनुसार नेहरू-रिपोर्ट द्वारा दिये साम्यदायिक समत्वा के हन पर विचार विमर्श करने के लिए एक 'मुस्लिम ऑक्यूनीट सम्मेलन' का समाप्ति हुआ । नेहरू रिपोर्ट ने अल्पसंख्यकों के लिये सॉर्टें रिजर्व रखने के साथ समिनित निर्वाचन-क्षेत्रों का अनुमोदन किया था । राष्ट्रीय मुसलमानों द्वारा इसका पक्ष निए जाने पर भी सम्मेलन ने सम्मिलित निर्वाचन-क्षेत्रों का विचार त्याग दिया । इस कारण प्रभावशाली मुसलमानों में भत्तेद उत्पन्न हो गया । राष्ट्रीय मुसलमानों ने अपना एक ग्रलम दल संगठित कर लिया । हकीम अब्दुल खान, डॉ० एम० ए० अन्सारी, सर अली इमाम, सर बजौर इसन, डॉ० सैयद महमूद, मिं० आसफ अली, डॉ० आलम, डॉ० किच्लू और मौलाना अबुलकलाम आजाद प्रारुद्ध राष्ट्रीय मुसलमान थे ।

उपर बयां विकास का परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम राजनीतिश दो दलों में विभाजित हो गये । ये दोनों दल मुस्लिम वर्ग का भवन दिशाओं में प्रेरित करते । एक ओर कुछ सम्पन्न लोगों का एक दल जो सरकारी नौकरियों तथा रियायतों के लिए, हमेशा की तरह, विट्रिया सरकार की ओर देखता । सरकार इस दल के सदस्यों की ओर अनुदार न थी, उसने उन्हें देश के शासन में प्रभावशाली बनाएं पर नियुक्त कर दिया जाता से वे अपने मित्रों तथा सरो-ममन्त्रियों का कुछ भला कर सकते थे । सर पञ्चली हुसैन और सर मोहम्मद शाही इस दल के नेता थे । ये लोग मुस्लिम लीग को अपने कन्ट्रोल में रखते । दूसरा दल इण्डियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय मुसलमानों द्वारा निर्मित था । इसका नेतृत्व हकीम अजमल खान, डॉक्टर अन्सारी और मौलाना अबुल कलाम आजाद के हाथों में था । इस दल के हाथ में शक्ति नहीं थी इसलिये पहले दल के मुकाबले मण्डलीय मुसलमानों पर इसका प्रभाव कमज़ोर था, यद्यपि बुद्धि वैभव सम्पन्न तथा चरित्रपूर्ण व्यक्तियों की इसमें कमी न थी । एक तीसरे तत्व का भी जिस ग्रावश्यक है । इसका निर्माण प्रभाव के शक्तिपूर्ण अहरार तथा बगाल के कृषक ग्रोंजा दलों से हुआ था ।

इस तीसरे दल के सदस्य अधिकतर कांग्रेस की राजनैतिक आवाजाओं का पढ़ लेते, किन्तु उनकी हाइ में उसकी आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त न थे। इस तरह लीग को उनका सहयोग प्राप्त न था।

इस ग्रंथमें पर श्री मुहम्मद ग्रली जिन्ना अनेकों पढ़ गये। नरम दल मुसलमानों के बीच वे पिट न बैठते क्योंकि राजनैतिक हाइ से वे कांग्रेस विचारधारा से अधिक प्रभावित थे। वे प्रगतिशील मुसलमानों में भी मन्मिलित न हो सकते क्योंकि अपने बद्र तथा सकोर्णे ग्राहिक हाइकोणों ने कारण वे उन्हें कोरा कान्तिकारी समझते। वे कांग्रेस में भी नहीं आ सकते थे क्योंकि इसने Direct Action का निश्चय कर लिया था और इससे उन्होंने बहुत पहले अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था। इसमें बोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने भारतीय राजनीति में दिसा न लेने और विलायत बाकर कानूनी प्रैक्टिस बनने का निश्चय किया। किन्तु नियन्ति ने उनकी सहायता की। कुछ ही चरणों के बीच मृत्यु ने असिल-भारतीय रूपातिप्राप्ति कुछ प्रसिद्ध मुसलमान राजनीतिकों का कार्य-क्षेत्र से हटा दिया। हीम ग्रजमल खाँ, मौलाना मुहम्मद शाली, डॉक्टर अम्नसारी, सर फजली हुसैन तथा सर मुहम्मद शफा की मृत्यु ने श्री जिन्ना के लिए रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने इंगलैंड से लौट कर लीग का नेतृत्व अपने हाथ में लिया और वह उसे शक्तिपूर्ण बनाने के प्रयत्न में जी जान से लग गये। १९३७ के चुनाव ने उन्हें बड़ा सुनहरा अवसर दिया। उनके नेतृत्व में लीग ने विभिन्न प्रान्तों के विधान-परिषद्दों के चुनाव में भाग लिया किन्तु उसे बहुत घोषी सफलता मिली। मुसलमानों की अधिक सख्त वाले प्रान्तों—पञ्चाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, बगाल तथा सिन्ध—में लीग को प्रतिस्पर्द्धी मुस्लिम-पार्टियों के मुकाबले हार खानी पड़ी। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में इसे कांग्रेस ने हराया, सिन्ध में मिठाल्लाहबद्दखशा की आजाद मुस्लिम पार्टी विजयिनी रही, पञ्चाब म सर सिक्किंठ द्वारा द्वयात लौं के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ने इसे उल्लाघ दिया; बगाल में कृपक प्रोजा पार्टी सबसे अधिक शक्तिशालिनी रहा। उत्तर प्रदेश तथा निहार जैसे मुसलमानों की अत्पसख्त वाले प्रान्तों में ही लीगी डम्मीदबारों को गैर लीगी प्रतिस्पर्द्धियों के मुकाबले सफलता मिली। लीग को सभी प्रान्तों की मुस्लिम संटों की २५ % से भी कम सीटें मिलीं। कुल ४८८ (कुछ के अनुसार ४८७) मुस्लिम-संटों में से लीग को बैंबल ११० सीटें मिलीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम लीग का मुस्लिम जनता का प्रतिनिधित्व प्राप्त न था।

लेकिन विधान मंडल में अपनी बहुसख्त वाले प्रान्तों में कांग्रेस द्वारा पद-ग्रहण अस्तीकार बरने तथा समिलित मन्त्रिमण्डल बनाने के कांग्रेस-लीग समझौता हो सकने के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसमें लीग को अपना खोदा पढ़ मिल गया और उसे कुछ ऐसी सफलताएँ मिलीं जो उसे कभी न मिली थीं। इसने मुसलमानों का वाम्पत्तिक विश्वास प्राप्त कर लिया। बगाल में प्राजा पार्टी तथा लीग

श्री फजलुल हक की अध्यक्षता में सम्मिलित हो गयी। श्री फजलुल हक ने लीग की खोई प्रतिष्ठा-प्राप्ति तथा उसके लिये देश की जनता का सहयोग प्राप्त करने में बहुत बुद्धि किया। पंजाब में सर सिकन्दर हथात खौं ने लीग में सम्मिलित होकर उसकी शक्ति में बड़ा योग दिया। मुस्लिम दलों के इस जोड़न्तोड़ के कारण १९३७ तथा १९४२ के बीच लीग की प्रतिष्ठा और प्रभाव में बड़ी बृद्धि हुई। अब यह भारत की सारी मुस्लिम आबादी के प्रतिनिधित्व का दावा करने लगा। मुस्लिम लीग का यह दावा न गट्टौय मुस्लिमानों को स्वीकृत था न कांग्रेस को; पिछे भी, इसमें सन्देह नहीं कि लीग एक बड़ी ही शक्तिपूर्ण संस्था बन गई; श्री मुहम्मद अली जिन्होंने नेतृत्व में उसकी शक्ति बराबर बढ़ती गई। यह सत्य है कि पंजाब में सर सिकन्दर हथात खौं की मृत्यु तथा बगाल में मिं फजलुल हक के पतन के पश्चात् मुस्लिम लीग की शक्ति को काफी घटका लगा, लेकिन युद्ध काल में, जब कांग्रेस सरकार से लड़ाई लड़ रही थी और लीग का कोई प्रभावपूर्ण विरोध न था, इसने अपनी शक्ति फिर बढ़ा ली। इसकी बढ़ती शक्ति १९४० तथा बाद में आने वाले वर्षों के इसके प्रस्तावों में स्पष्ट दर्शायत होती है। १९४० में अपने लाहौर अधिवेशन में इसने हिन्दू तथा मुस्लिम भारत के रूप में देश के विभाजन की मांग की और एक वर्ष बाद इसने एकदम अलग हावर पाकिस्तान के स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण के अधिकार की मांग की। १९४६ के साधारण निर्वाचनों में प्राप्त सफलता से भी मुस्लिम जनता के ऊपर लीग के प्रभाव का पता चलता है। इसे अन्त में अपने उद्देश्य में सफलता मिली और १५ अगस्त १९४७ को पाकिस्तान की स्थापना हो गई।

लीग का निरन्तर शक्ति-बृद्धि में अनेक बातों से सहायता मिली है। इनमें सबमें महत्वपूर्ण थी प्रतिक्रियात्मक ब्रिटिश दल से प्राप्त सहायता जो उसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर इस दल से गुप्त मैत्री द्वारा मिली थी। सर सिकन्दर हथात खौं के लीग से इन्होंने गहरे सम्बन्ध का भी यही कारण बताया जा सकता है। १९३६ में कांग्रेस-मंत्रिमण्डलों के इस्तीफे से भी लीग को पर्याप्त शक्ति मिली, पदच्युत होने से पद के साथ लीगी शक्ति भी कांग्रेस के हाथ में निकल गई और प्रभाव की दृष्टि से वह लीगी की बराचरी में आ गई। स्व शासन के लिये उत्पात (Agitation) से दूर रह कर तथा उसका विरोध करके लीग ने देशी रजवाओं का भी शुभेच्छा तथा मैत्री प्राप्त करली। अन्त में, कांग्रेस ने जर्हों ब्रिटिश सरकार के सुदूर-प्रश्यलों में सम्मिलित होने से इन्कार करके सविनय अवश्य प्रारम्भ कर दी, लीग के अधिकार तद्देशों ने युद्ध-प्रश्यलों में जी-जान से सहायता की। लीग की कौंसिल ने निम्नलिखित घोषणा की: 'धर्दि ब्रिटिश-सरकार इस विषय में सुखलमानों का पूरा सहयोग चाहती है तो उसे मुस्लिमानों में पूरी रक्षा तथा सन्तोष की मांगना उत्तम करके मुस्लिम लीग ने अपना विश्वासपात्र बनाना चाहिये क्योंकि इसी एक संस्था को भारत के सभी मुस्लिमानों के प्रतिनिधित्व का अधिकार है।'

वेस्ट वोजना, कैविलेट-मिशन-व्याजना तथा ग्रन्तरित सरकार की स्थापना ने विषय में लीगी हाईट्रोल ना हम पहले विवेचन कर चुके हैं, इसरे विषय में यहाँ उच्च कहने की आवश्यकता नहीं है।

पाकिस्तान— चूँकि मुस्लिम लीग की राजनीति व ऊपर पाकिस्तान ने विचार का दड़ा प्रभाव था और चूँकि दसों का आधार मानकर लीग प्रत्येक राजनीतिक विकास का मूल्यांकन करती थी, इसलिये उसके सम्बन्ध में यहाँ भी उच्च कह देना आवश्यक प्रतीत होता है। पाकिस्तान की कल्पना सबसे पहले मर मुद्दमद द्विग्राल ने १९३० में मुस्लिम लाग के ग्राम्य पद से भाषण करने समय लोगों के सामने रखती थी। लन्दन में रहकर वहाँ से पाकिस्तान के लिये आनंदानन चलाने वाले चौपरी रहस्त ग्रन्तों भी इसका दड़ा पक्ष कर रहे थे। पर भी, इस विचार ने बहुत जार न पड़ा, मुस्लिम लाग ने इसका वैधानिक रूप से १९४० में ही अपनाया। १९४० में ग्रन्तने लाहौर-आधिकारेण भी लीग ने एक प्रभाव प्रमाणित किया जिसमें यह निश्चय किया कि उसे ऐसी कोई भी वैधानिक पाज़ना स्वीकृत न होगी जो निम्नलिखित एिडान्टों पर आधारित न होगी। ‘भौगोलिक दृष्टि से आपस में सम्बन्धित इकाईयों को निश्चित विभाग में बाँट देना चाहिये और आवश्यक भूमि सम्बन्धी संगठन से दून विभागों का निर्माण इस प्रशार हाना चाहिये कि मुसलमानों की सर्वाधिक सख्त्या वाले क्षेत्र—भारत ने परिचमोत्तर तथा पूर्वा भरग— आपस में एकनित होकर स्वतन्त्र राज्य बन जायें।’ पाकिस्तान का विचार मुस्लिम मन्त्रिक पर एकदम हावी हा गया और मुस्लिम लीग को इसने एक नया लक्ष्य दिया। लाय ने Weightages, Percentages तथा सरकारी नीतियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) का ध्यान छोड़ दिया और मुसलमानों के समक्ष एक मुस्लिम राज्य की ऐसा वल्पना सखी जिसम उन्हें हिन्दू-शासन से मुक्ति न साध-साध प्रभाव तथा शक्ति की प्राप्ति होता। १९४१ में लीग के मद्रास-आधिकारेण में इस माँग को पिर दुहराया गया। इसी समय से श्री जिला की पाकिस्तान माँग कभी गिरिया न पड़ी और धन्त में उन्हें ग्रन्तने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई।

अपिभाजित भारत में हिन्दू प्रभुत्व के ढर ने ही पाकिस्तान की माँग को वन्ध दिया। लोकतन्त्र तथा अलग साम्यादायिक नवाचन सेत्र पर आधारित एक अपिल भारतीय शासन में एक अत्यस्तुतक जाति हाने के नात मुसलमान वह कभी आशा नहीं कर सकते थे कि वे कभी हिन्दुओं के प्रहर शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। चूँकि वे उथक् साम्यादायिक निर्वाचन को हांडना नहीं चाहते थे इसलिए हिन्दू प्रभुत्व से बचने का उनके सामने देवल यदी उपर्य था कि भारत दो स्वतन्त्र देशों में विभाजित हो जाय। उनकी माँग का सैद्धान्तिक आधार यह था कि भारत दो स्वतन्त्र देशों में विभाजित हो जाय। उनकी माँग का सैद्धान्तिक आधार यह था कि हिन्दू तथा मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्रों में विभाजित हो, इसलिए उनकी अन्य-अन्य जन्म-भूमि भी हाना

चाहिए। यदि हिन्दू तथा मुसलमान दो अलग-अलग जातियाँ हैं और उनमें उभयनिष्ठ कोई चीज़ नहीं है तो अलग जन्म-भूमि के लिए मुसलमानी माँग का विरोध नहीं हो सकता; यह तो आत्म-निर्णय (Self determination) ने सिद्धान्त के अनुकूल ही है। यदि हिन्दू तथा मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं तो उन्हें एक उभयनिष्ठ शासन में रखना मूर्खतापूर्ण तथा व्यर्थ होगा, यह बहुत उपयुक्त नीति है कि उन्हें एक दूसरे से आपसी सद्भाव तथा शान्ति के साथ अलग हो जाना चाहिये। लेकिन इस द्वि-राष्ट्र मिद्दान्त के त्रुटि-पूर्ण तथा मनगढ़न्त होते हुए भी भारत का विभाजन रुक न सका। इसलिए इस सिद्धान्त का संगोपाग निरीक्षण तथा उसकी अनुपयुक्तता सिद्ध करना अनावश्यक है। हमें याकिस्तान के स्वतन्त्र मुसलमानी राष्ट्र का ऐतिहासिक सत्यता स्वीकार कर लेनी चाहिये और उसे अपनी चिंता स्वयं कर लेने के लिए छोड़ देना चाहिये। भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता के और धर्मिक सम्प्रकृति-विवेचन के लिए हमें कामेस-लीग तथा लीग सरकार के सम्बन्ध पर भी मुद्दा शब्द कहना आवश्यक है।

लीग और कामेस— देश की इन दोनों प्रतिनिधि संस्थाओं के आपसी सम्बन्धों में समय के साथ-साथ परिवर्तन होते रहे हैं, यह स्थान में रखना चाहिये कि कामेस का विरोध करने तथा पछे लिखे मुत्तिम बर्ग को उससे प्रभाव से अलग रखने के उद्देश्य से ही लीग की स्थापना हुई थी। लेकिन यह स्थिति बहुत दिनों तक न जली। १९१३ में लीग के विधान में कुछ परिवर्तन हुए जिनके कारण लीग तथा कामेस में आपसी सद्भाव उत्पन्न हो गया। लेकिन प्रथम असद्योग-आनंदोलन तथा खिलाफत कमेटी के उठा लिये जाने के पश्चात्, दोनों सम्प्राणे^{१५} किर एक दूसरे से अलग हो गयीं। लेकिन अभी तक दोनों के बीच कोई विद्यमता न ग्राही थी। कामेस यैधानिकता की ओर लौट आयी और लीग में बहुत थोड़ा जीवन शेष रह गया। शाफी तभा जिन्हा विभागों में मतभेद तभा राष्ट्रीय मुसलमानों के लीग से निकल जाने के कारण लीग उदारवादियों तथा प्रतिनियावादियों के हाथों पड़ गयी और वह १९१० के पहले की स्थिति में लौट गया। जब इगलैंड में भारतीय संविधानिक समस्या पर विचार तथा १९३४ की सुधार-योजनाओं का निर्माण हो रहा था, श्री जिन्हा के प्रतिनिधित्व में लीग सक्रिय हो उठा और उसने कामेस से सहयोग की इच्छा प्रकट की। १९३४ में इसने एक प्रस्ताव पास करके भारत के अन्य बर्गों से सहयोग करने का निश्चय ग्रहण किया ताकि भारत के सभी बर्गों का मान्य एक संविधान का निर्माण हो सकता। १९३५ में इसने भारत-सरकार के १९३५ एकट की सध योजना को इस आधार पर असंकृत कर दिया कि इससे भारत की स्वराज प्राप्ति में अनिश्चित देर होती या उसकी सम्भावना ही समाप्त हो जाती। १९३६ में इसके प्रेसिडेन्ट सर चबीर हसन ने भारत के सभी बर्गों के बीच एकता की आपील की। लेकिन १९३७ में सद चीजों का पूरा यात्रा ही बदल गया। १९३३ की तरह यह वर्ष भी लीग की नीति-परिवर्तन के

लिए प्रसिद्ध है यद्यपि इस परिवर्तन की दिशा भिज थी। कांग्रेस से सहयोग करने के बदले उसके नेतृत्व पर विष उगला जाने लगा और उसे एकमात्र हिन्दुओं का ही हितैषी बताया जाने लगा। यह सिद्ध बरना एक प्रकार का फैशन बन गया कि कांग्रेस के हाथों मुसलमानों की भलाई असम्भव थी। १९३८ के लीग-अधिबेशन में दी गयी घट्टताएँ कांग्रेस-विरोध से परिपूर्ण थीं। कांग्रेस का नेतृत्व करने वालों को फासिस्ट तथा Totalitarian तथा कांग्रेस को सभी छाटे वर्गों, विशेषतः मुसलमानों, को कुचलने के लिये संजड़ एक हिन्दू-संस्था बताया गया। कांग्रेस द्वारा शासित प्रान्तों में मुसलमानों के ऊपर मनमाहन्त अत्याचारों के प्रदर्शन के लिए बड़ी ही रोपपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया। इन आज्ञेयों को निर्मूल किया करना हमारा यहाँ काम जहाँ है। इतना कह देना पर्याप्त है कि कांग्रेस प्रेसिडेन्ट ने लीग को अत्याचार का कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण खोजने के लिये आमन्त्रित किया, लेकिन लीग ने उसे अस्वीकृत कर दिया। इस पर भी विचार करना बड़ा दिलचस्प है कि कांग्रेस के केवल दो वर्गों के शासन में लीग को दुनिया के सामने रखने के लिए अनेक अत्याचार मिले, किन्तु लगभग सौ वर्गों तक ब्रिटिश सरकार ने सारे भारत के मुसलमानों को जिस संगठित स्व से सताया था उसके विषय में लीग ने एक शब्द भी न कहा। मुसलमानों के प्रति अपनी नीति का ब्रिटिश सरकार ने पिछली शताब्दी के आठ दहाई बाले वर्गों में ही बदला। बगाल के लीगी मन्त्रिमण्डल में मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं पर अत्याचार की भी इसने कोई चर्चा न की।

कांग्रेस के विरद्ध इस रोपपूर्ण ग्रावेग के कारण म्याट तो है किन्तु उपर्युक्त नहीं। '१९३७ में उत्तर प्रदेश के नुनाय के अवसर पर एक प्रसिद्ध मुस्लिम राजनीतिक ने, जो तब तक कांग्रेस में सम्मिलित थे, कांग्रेस की आशाका से उससे अपना सम्बन्ध-पिछ्छेद कर लिया और अपने अनुयायियों के साथ जाकर मुस्लिम लीग का दामन पकड़ा। लेकिन उनका यह विचार गलत निकला। कांग्रेस विजयिनी हुई और उसने अपना मन्त्रिमण्डल बना लिया। इस व्यक्ति ने कांग्रेस में फिर से स्वीकृत होने तथा मन्त्रिमण्डल में जगह पाने की मौसिं की। स्वभावतः, लेकिन कदाचित् चुटिपूर्ण दग से, कांग्रेस ने यह मौसिं अस्वीकृत कर दी— जैसा कि इस दशा में कोई भी ब्रिटिश पार्टी करती। इसका परिणाम तुरा और अझरेजी मस्तिष्क के लिए तो आश्चर्यजनक हुआ। लीग ने कांग्रेस का और जोरा से विरोध प्रारम्भ कर दिया और इस तथा इसी प्रकार के अन्य मामलों के आधार पर कांग्रेस को शक्ति संगठित करने वाली एक Totalitarian Party कहा।^{१५} यहाँ इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं कि अपने बहुमत वाले प्रातीं में केवल कांग्रेसी-मन्त्रिमण्डलों की स्थापना से कांग्रेस ने गलती की या नहीं। इसमें आवश्यक

जात यह है। क अपने ग्राहिक तथा राजनैतिक कार्यक्रमों के ग्राधार पर कामें लींग न साथ सहयोग करने के १६६४ अस्तुत थी। पाछत उपाहरलाल नेहरू ने इस सम्बन्ध में ग्रा-नि-जा को लिखा था और लींग से समझौता करने के लिए उन्होंने प्रबल मीठिए। विं तु लींग अपने तथा कामेसे के कार्यक्रमों के अतर पर ही जार देता रही। उसने इस अतर का अभी स्पष्ट न किया और कामेसे का मैरीपूर्ण हाथ पकड़ने से इकार कर दिया। इस प्रकार समिक्षित भवित्वमठल न जन सङ्गने का उत्तरदायित्व लींग पर है, कामेसे पर नहीं।

लींग और सरकार— मस्लिम लींग की प्रातशील विचारधारा का राष्ट्रीयता का आर विकास, १६१३ म उसको नात में पारवर्तन तथा कामेसे न साथ उसक सद्भावपूर्ण सम्बन्ध की कहानों बतायी जा चुका। इन दानों सम्भाला न पारस्पारक सहयोग से सुधारा का कामेसे-लींग वाजना का निर्माण हुआ। इस बाजना। म देश न विभिन्न विधानमण्डलों म मस्लिम प्रातनिधित्व का समस्या ना हल भी था। ब्रिटिश सरकर ने, देश की सभा पाठिया की स्वीकृत मिलन पर भी, वाजना के सविधानिक तथा शासन-सम्बन्ध मुख्यारों का असम्भृत कर दिया, लेकिन माप्रदायिक समस्या के हल को उसने स्वीकृत कर लिया और उसे १६१६ के ऐक्य न अनुसार लान् किये जान वाले मुख्यारों का आधर बना दिया। उसने हिन्दुओं तथा मुसलमानों को प्राचल मदा हुई सीरों के अनुपात की आलोचना की ओर यह मुख्य सामने रखा कि मुसलमानों को दिया हुआ प्रातनिधित्व अपर्याप्त था। लग्ननक पैकर के अनुकार मुसलमानों को दी हुई ३४ सारों के प्रजाय ४४ सारों मिलना चाहिये था। इन सब जातों का यह अर्थ स्पष्ट था क विधान मण्डलों म प्रतिनिधित्व द्वयाद घटलों म मुसलमानों के कामेसे की नियन्त्रित सरकार से आधक उत्तरस्तापूर्ण व्यवहार प्राप्त हो सकता था। लोकन मुसलमानों को आधक सीरों का लाभ देने का दूसरकारी नाति स लखनऊ-पैकर पर बहुत धक्का पहुँचा।

राजनैतिक मामलों म कामेसे तथा लींग के बाब बढ़ते सद्भाव के कारण सरकार में प्राताक्षया उपन हुई और इस प्रतिनिधि के पलस्त्रूप उसने राजनैतिक मुख्यारों का और आधक उपयुक्त समय के लिए दाल कर अपना ध्यान ग्राहिक ममस्याओं पर पा द्रवत कर लिया। मुसलमानों का अपने पक्ष म बरने के १६६४ उसने पटानों तथा पजाता मुसलमानों की सेना म नियुक्त रहा दी। यह ध्यान म रखना चाहिये कि पजाता मुसलमान सरकार के बराबर स्वामिभक्त रहे हैं। मुसलमानों का पक्ष लेने तथा उसक माथ उदारतापूर्ण व्यवहार करने की यह नाति गोलमेन सम्मलन के समय अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गयी। Communal Award न निष्क्रिय निरीक्षण से यह श्याट ही जायगा कि राष्ट्रीयता का दबा कर साप्रदायिकता न प्रश्रय देना ही सरकारी नाति का प्रमुख उद्देश्य था।

प्रभी थोड़े समय पहले की राजनैतिक प्रगति के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार की सहायता ने विना मुस्लिम लीग को इतना महान् कभी भी न मिलता । १९३७ के निर्वाचन में काग्रेस द्वारा प्राप्त अद्वितीय सफलता ने सरकार को चौराजा कर दिया और उम्मे काग्रेस का घटती शक्ति को कुचल देने का निश्चय कर लिया । आजिंहा नथा उन्हीं लीग काकाग्रेस ने विरुद्ध प्रयोग करने के अतिरिक्त उसने लिए कुछ और स्वाभाविक न था । चुनाव में लीग का हराकर भी सर सिकन्दर हात गाँवे ते उसने प्रति आत्ममर्पण को इसी आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि सरकार ने श्री जिना ने प्रति अपने हाइकोर्ट का बदल दिया और वह उन्हें अपना मित्र बनाना चाहती थी । मगतमा गोंधा तथा काग्रेस कार्य समिति के मदस्यों की मुक्ति तथा देश की राजनैतिक जिन की समाति के सम्बन्ध म श्री जिना के हाइकोर्ट से यह शमा और पक्की हा जाता है । श्री पञ्चलुल हक को पदच्युत करने पर गाल ने गवर्नर द्वारा लीगी-मत्रिमडल निर्माण के भद्रे तरीके, लीग के लिए राज्या भाष करने के उद्देश्य से सिव्य ने गवर्नर द्वारा श्री अल्लाहबाद की पदच्युति तथा आसाम तथा पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में लागी मत्रिमडल निर्माण के तरीके को बेबल इसी आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि सरकार तथा लीग ने धीन एक गुप्त समझौता हो गया था ॥७

इस सम्बन्ध में यह ध्यान म रखना चाहिए कि ब्रिटिश अनुदार दल (British Conservative Party) तथा उसने प्रेस ने लीगी स्वत्वों का सदैव समर्थन किया है । वादमय भी यदि विचार विमर्श करते तो बेबल मुस्लिम लीग से ; राष्ट्रीय मुस्लिम पार्टीयों का दे सदैव अस्वीकृत कर देते । किसी महत्वपूर्ण नियुक्ति के लिए भी बेबल मुस्लिम लीग चुनी जाती । इन सबके बदले म मुस्लिम लोग सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर सरकार से सहयोग करती ।

हिन्दू महासभा तथा अन्य साम्प्रदायिक सम्प्राणे— देश के एक विशेष धार्मिक वर्ग के राजनैतिक द्वितों के लिए सभ्ये पहले मुस्लिम लाग की स्थापना हुई, लेकिन अपने दंग की वह अकेली सम्प्राणा न थी । हिन्दुआ ने भी कुछ बाद में चलकर अपने हितों की रक्षा के लिए इसी दे समझौते एक सम्प्राणा समर्थन कर ली । जैसा कि अथवा ४ में प्रदर्शित किया जा चुका है हिन्दू महासभा की स्थापना हिन्दुओं का समर्थन करते उन्हीं सम्प्राणा तथा सम्झौते की रक्षा के तथा विनास दे स्वेच्छा से हुई थी । यह उन गैर राजनैतिक तथा सामाजिक समस्याओं को अपने हाथ प लेती जिनका सभी हिन्दुओं से सम्बन्ध रहता । लेकिन इसने शीघ्र ही राजनैतिक वार्षक्यम भी देना

* देखिये हुमायूँ कवीर : op. ct , postscript पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में काग्रेस मत्रिमडल किर बन गया था ।

लिए और इस सम्बन्ध में यह हिन्दू विचारधारा का भी प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न करने लगी। १९३० से इसने काग्रेस पर हिन्दू-अधिकारों की अवहेलना का आकेप लगाना तथा उसे मुमलमानों का हितैषी बताना प्रारम्भ कर दिया। Communal Award के विरोध के आधार पर इसने केन्द्रीय विधान-सभा के चुनाव में भी भाग लिया। सभी रेस साथ-साथ इसने अपने सातकृतिक उद्देश्य भुला दिये और मुस्लिम लीग के प्रतिउत्तर-व्यरुत्त यह हिन्दुओं की एक साम्राज्यिक राजनैतिक सत्था बन गयी। लेकिन एक राजनैतिक सत्था के रूप में यह काग्रेस या मुस्लिम लीग की बराबरी न कर सकी। शिंशु नगरकार ने इसे कभी भी हिन्दुओं की प्रतिनिधि-सत्था न माना। १९४६ म इसने काग्रेस के विरुद्ध चुनाव में भी हिस्सा लिया लेकिन उसे बड़ी बुरी हार खानी पड़ी, इसके अधिकतर उम्मीदवारों की बमानते जबू कर ला गयी।

राजनैतिक क्षेत्र में इसने काग्रेस के पूर्ण स्वराज रेस्ट्रेय का अपनाया किन्तु औपनिवेशिक पड़ का तुरन्त स्वीकृति के लिए भी वह प्रस्तुत थी। अहिंसा क प्रश्न पर इसका काग्रेस से मतभेद है, यह हिन्दुओं में सैनिक वीरता भरना चाहती है। यह प्राचीन हिन्दुओं की सैनिक वीरता लौटाना चाहती है और कुछ सदत्य तो 'हिन्दू राज' स्थापित करना चाहते हैं। यह भारत को Secular State बनाने के काग्रेसी ध्येय का निश्चित रूप में विरोध करती है, और यदि इसमें शक्ति होती तो यह पाकिस्तान के मुस्लिम राज के विरुद्ध भारत को हिन्दू राज बना देता। यह पाकिस्तान का एक स्वतन्त्र राज के रूप में स्थापना का सदैव विरोध करती रही और आज भी इसका अखड़ हिन्दुस्तान में विश्वास है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, १९२० महासभा ने हिन्दुओं को १५ अगस्त १९४७ को खुशियों न मनाने का आदेश दिया क्योंकि देश का दो दुकङ्गों में विभाजन हो गया था। आद में चलकर उत्तर प्रदेश की नगरकार द्वारा अपना साम्राज्यिक माँगे अस्वीकृत करने पर इसने Direct Action प्रारम्भ कर दिया लेकिन थोड़े दिनों पश्चात् यह आनंदोलन ढटा लिया गया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुद्ध रूप से एक राजनैतिक संगठन नहीं है और हिन्दू महासभा से इसका कोई वैधानिक सम्बन्ध नहीं है, पर भी दोनों म बड़ी समानता है। इन दोनों का अव्यरह भारत म विश्वास है और दोनों हिन्दू राज की स्थापना के इच्छुक हैं। ३० जनवरी १९४८ की महात्मा गांधी की हत्या के बाद दोनों संस्थाएँ ग्रथैय घोषित कर दी गयी थीं।

सिन्हों, दलित बगां, यूरापियनों तथा आग्ल भारतीयों की भी अपनी-अपनी राजनैतिक संस्थाएँ थीं। किंतु भी नये संविधान म उनम से ग्रत्येक राजनैतिक शक्ति में कुछ न कुछ हिस्से की दृच्छुक रहती। विधान सभाया तथा सरकारी नौकरियों में

आधिक से आधिक प्रतिनिधित्व की उनकी माँगों ने बड़ी विप्रम साम्प्रदायिक समस्या उत्पन्न कर दी थी जिसने सम्बन्ध म पहले प्रकाश ढाला जा चुका है। इस प्रश्न पर अनेक वर्गों ने आपसी नमझौते के अभाव के कारण देश की स्वतंत्रता की योजना र विकास में बड़ी अड़चन पढ़ी है। ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक समस्या के हल को वैधानिक प्रश्न पर विचार-विमर्श के लिए एक ग्रावश्यक शर्त बनाये रखा। गोलमेज सम्मेलन की श्रृंखलायक सहायक समिति (Minorities Sub Committee) इस गम्भीर प्रश्न का कोई हल न दे सकी, परिणाम-स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इस मामले म इसक्षेप करना पड़ा और उन्होंने एक ऐसा Award दिया जिसने पूना पैकट द्वारा सशोधित होकर १६३५ क ऐक्ट म देश की विधान सभाओं में विभिन्न वर्गों की सीटें निश्चित कीं।

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार— १६०६ के मालै मिन्डा सुधारों के अनुसार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के निर्माण की बहानी पहले कही जा चुकी है। हालांकि लॉर्ड मालै इस सिद्धान्त के एकदम विरुद्ध थ लेकिन भारत सरकार के आगे उनका एक न चली, वह मुसलमानों के साथ पिशेप व्यवहार करना चाहती थी इसलिए मुसलमानों के लिए अलग साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व व सिद्धान्त की स्वीकृति तथा उसके संविधान म सम्मिलित हुए बिना वह किसी भी वैधानिक सुधार योजना को स्वीकृत करने के लिए प्रस्तुत न थी। भारत सरकार का इस निश्चित माँग की लॉर्ड मालै किसी भी प्रकार उपेक्षा न कर सकते थे क्योंकि ब्रिटिश वैचिनेट ने उन पर यह शर्त लाद दी थी कि अपना किसी भी सुधार-योजना म उन्हे भारत-सरकार को ग्रपने साथ ले चलना था। राष्ट्रीयता तथा लाकतन्य, दोनों के प्रतिमूल होने के कारण काग्रे से भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के इस सिद्धान्त से सहमत नहीं थी, फिर भी उसे मुस्लिम लीग के आगे फुकना पड़ा और १६१६ का काग्रे से लीग-योजना म इस सिद्धान्त को भी स्थान दिया गया। बाद म चलकर यह सिद्धान्त अन्य वर्गों— सिक्यर, ईसाई, यूरोपियन, आगल भारतीय, अमिक, उद्याग तथा वाणिज्य-व्यवसाय, जमीदार तथा देशी राजों तक— के लिए भी स्वीकृत कर लिया गया। बाद म आने वाली प्रत्येक सुधार योजना से इस सिद्धान्त की व्याप्ति (Scope) बढ़ती गयी। भारत सरकार व १६१६ के ऐक्ट के अनुसार उन नियमों ने अन्तर्गत मुसलमानों, सिक्या तथा यूरोपियन वाणिज्य व्यवसाय (Commerce) को केंद्रीय विधानमंडल तथा उनके साथ जमीदारों को प्रान्तीय विधान सभाओं म साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। भारतीय ईसाई, आगल भारतीयों, अम तथा दलित वर्गों को यह सुविधा नहीं दी गयी, धारा-सभाओं म उनके प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता था। इस दिशा में Communal Award और भी आगे बढ़ा, इसने भारतीय ईसाईयों, आगल-भारतीयों, अम, उच्चोग तथा वाणिज्य

व्यवसाय तथा स्थिरों तक के लिए पुरुष प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त स्वीकृत कर लिया, भा. वे इसका सात विरोध कर रही थीं। Communal Award ने दलित वर्ग के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व की योजना बनाई। लेकिन १९३२ म यरवदा जेल में गांधी जी के ऐतिहासिक उपचास के कारण सर्वर्ण हिंदुओं तथा दलित वर्गों में समझौता हो गया और यह योजना हटा लेनी पड़ी।

साम्राज्यिक प्रतिनिधित्व के दोप—साम्राज्यिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को स्वतन्त्र भारत ने त्याग दिया है, पर भा. उसके दोषों के सम्बन्ध में पर्दे चुद्ध शब्द कह देना उपयुक्त होगा। धर्म तथा जाति के आधार पर चोट देने वाला का विभाजन और अपने प्रतिनिधि चुनन का उन्हें अधिकार भारत के लिए ये नई चीज़ें था, लका और बेनया को छाड़ कर वह प्रथा सासार म ओर कही नहीं पाई जाती। अन्य देशों म निर्वाचन-न्यैन चेपफल के आधार पर बैठ रहे, धार्मिक या जातीय आधार पर नहीं। देशी की राष्ट्रीय विचारधारा ने इसे कभी भी उपयुक्त और लाभप्रद नहीं माना, इसने इसे सदैव राष्ट्र विरुद्ध, लोकतन्त्र विरुद्ध तथा इतिहास की शिक्षाओं के विरुद्ध माना है। इस प्रणाली से देश अनेक धार्मिक तथा जातीय दुर्भागों में घट जाता है और प्रत्येक एक दूसरे का ध्यान न रख कर अपने मनमानी हितों की रक्षा के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। कोई भी साम्राज्यिक प्रतिनिधि दूसरे वर्ग के सदस्यों को अपना प्रतिद्वादा मानता है, ऐसा नागरिक नहीं जिसकी सद्भावना और संयोग दोनों का भलाई प लिए आवश्यक है। साम्राज्यिक निर्वाचन-न्यैना ने इस प्रशार दिशा की नागरिकता के विकास म बड़ा धक्का पहुँचाया है। इस प्रणाली का राष्ट्र-विरोधी रूप समसे अच्छी प्रकार इस बात द्वारा स्पष्ट होता है कि मुत्तिम लींग के सिद्धान्त के अनुसार इह दू तथा मुसलमान ऐसे दो राष्ट्रों के नागरिक हैं जिनमें कोई भी चाज उभयनिष्ठ नहीं। पाकिस्तान की मांग भा. इसी गर्हित प्रणाली का परिणाम थी।

साम्राज्यिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त लाभतन्त्र विरुद्ध है— इसके अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं है। इस सत्य को प्रतिश राजनातिशालॉर्ट माल और मार्टिन्गू से लेकर १९२८ म भारत म आने वाले वैधानिक कमीशन क अध्यक्ष सर जान साइमन तक ने स्वीकृत किया है। यह पारस्परिक नागरिकता तथा सद्भाव की उन भावनाओं को नष्ट कर देता है जिनके अभाव मे वास्तविक लाभतन्त्र की वज्यना असम्भव है। लोकतन्त्र का भूल इस बात में संबंधित है कि राजनैतिक दृष्टि से जो अत्यस्तु वे भी कल नहुसख्यक बनकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन साम्राज्यिक ज़ोनों के निर्माण से जन तक कोई अनशेषी घटना न हो जाय यह चीज असम्भव है। इस प्रणाली के अनुसार मुसलमान न तो के द्वीय रारकार म राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित कर सकते थे न उन प्रान्तों म जहाँ वे अत्यस्तु ख्यक थे।

उसी प्रकार हिन्दू भी प्रगाल तथा पजाव जैसे प्रान्तों के शासन में भाग नहीं ले सकते थे। इसी वास्तविकता से श्री मुहम्मद ग्रली जिन्हा तथा मुस्लिम लीग ने यह अर्थ निभाल लिया था कि लाकतन्व का भारत म सफलता नहीं मिल सकती। यह सत्य है कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अब तक किसी देश के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को दूषित करती रहेगी, वास्तविक लालतन्व की उसम स्थापना असम्भव है।

लोकतन्त्रात्मक सम्प्रदायों को चलाने के लिए राजनीतिक पार्टियां की आवश्यकता पड़ती है। आर्थिक तथा राजनीतिक आधारों पर राजनीतिक पार्टियां का निर्माण सबसे ग्रच्छा होता है। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में उनका निर्माण धार्मिक आधार पर होता है। प्रतिनिधियों का चुनाव धार्मिक आधारों पर होने लगता है जिसमें धार्मिक कट्टरता तथा विदेष को अपना प्रभाव डिपलाने का पूरा प्रबसर मिलता है। अनेक लोगों की यह धारणा है कि साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के ऊपर हिन्दू मुस्लिम विदेष का महत्व कुछ उत्तरदायित्व है। यह भी कहा जाता है कि यह सिद्धान्त शासन सम्बन्धी उत्तरता ने लिए भी हानिप्रद है। अपने धर्मानुयायियों की इच्छा पर निर्भर रहने वाले मन्त्रियों से पद्धनियुक्त या शासन र ग्रन्थ कार्यों में साम्प्रदायिक विचारों की उपेक्षा की ग्राशा कैसे की जा सकती है।

साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के दापा ने ऊपर दिए हुए विवेचन से यह स्पष्ट हो जायगा कि अत्यस्त्वता के हितों की रक्षा के लिए सबसे अधिक लाभप्रद तथा सर्वप्रद व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था से न तो अत्यस्त्वता का हित होता है न राष्ट्र का। अपने देश म हुए अनुभवों से इस कथन की सत्यता ग्रच्छी प्रकार सिद्ध हो जाती है। हानिप्रद होते हुए भी त्रिटिश सरकार ने इसे हटाया नहीं। त्रिटिश सरकार का इस व्यवस्था को सुरक्षित रखने तथा कुछ अत्यस्त्वताओं को इसके चिपके रहने के कारणों का विवेचन यहाँ अनुपयुक्त न होगा।

त्रिटिश सरकार द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों को प्रश्न देने तथा उन्हें निष्ठृत करने के कारणों का विवेचन हो चुका है। यह व्यवस्था सरकार के 'विभाजन द्वारा शासन' करने की नाति के एकदम अनुकूल पड़ती थी। इसी

* १९०६ में जिस दिन गवर्नर-जनरल ने मुस्लिम डेपुटेशन से मुलाकात की तुरंत दिन एक रुक़ौचे सरकारा पद्धतिकारी द्वारा लेडी मिन्टो के पास लिखे पत्र से इस विषय पर बहा प्रस्ताव पढ़ता है। पत्र म निम्नलिखित शब्द भी थे : -

"मुझे आपके पास यह बतलाने के लिए एक पक्का अवश्य लियरनी चाहिये कि आज एक चहन बड़ी घटना हुई है। यह घटना भारत तथा भारतीय द्विदास पर बहुत समर तक प्रभाव रखेगा। यह घटना ६ बराह २ लाख व्यक्तियों को राजनीतिक निराह में भाग लेने से राह लेगी।"

लेडी मिन्टो ने अपनी दायरा में यह लिख लिया था कि भारतीय द्विदास में यह अभूतपूर्व घटना थी।

व्यवस्था द्वारा वह एक वर्ग को दूसरे वे विस्तृत सङ्ग करके अपने शासन को स्थायी बनाए रखना चाहती थी। विद्युत साम्प्रदायिक तथा भारतीय राष्ट्रीयता के बीच लड़ाई में अड्डन ढालने के लिए यह नीति अपनायी गयी थी। इस उद्देश्य से भारतीय समाज के कुछ राष्ट्रीयों द्वारा विरोधी सत्त्वों ने भी इस गहित नीति को अपना लिया था। ऐसा करके वे ऊँचे ऊँचे पद तथा नौकरियों प्राप्त करना चाहते थे। अल्प-सख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ही साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की माँग की गयी थी। लेकिन इन अधिकारों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि वेकारी दूर करने तथा नौकरियों ने आश्वासन के अतिरिक्त वे अन्य उद्ध नहीं हैं। नेता बनने का इच्छुक व्यक्ति ही साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का पक्ष करेगा क्योंकि वह जनता है कि इसी की शरण लेने से वह ऊँचा पद प्राप्त कर सकेगा। अन्य वर्गों के बाय व्यक्तियों के मुकाबले उसका कुछ भी मूल्य न रहेगा। इब्द बी० कृष्ण ने इस सत्य को इन शब्दों में यहूत अच्छी प्रकार व्यक्त किया है। ‘भारत में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का इतिहास पढ़े लिखे पिछुड़े मध्यम वर्ग तथा राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नौकरी-पेशावालों के बीच वर्ग संघर्ष का इतिहास है।’^{१०}

इस प्रकार हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि साम्प्रदायिक समस्या का धार्मिक मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं था। इसका मुख्य सम्बन्ध फौ सदी साठी तथा सरकारी नौकरियों से था। इसके अतिरिक्त इसका देश का साधारण जनता से भी काई सम्बन्ध नहीं था, यह विभिन्न वर्गों के कुछ थोड़े लोगों तक ही सीमित था। कांग्रेस व Election Manifesto ने निम्नलिखित शब्दों से इस कथन की पुष्ट होता है।

‘यह भान म रखना आवश्यक है कि सारा साम्प्रदायिक समस्या का, चाहे वह कितनी भी महत्वपूर्ण क्षयों न हो, देश की प्रसुत समस्याओं—भवकर गरीबी तथा वेकारी—से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह कोई धार्मिक समस्या नहीं है और इससे कुछ दूने गिने लागों पर ही प्रभाव पड़ता है। किसानों, मनदूरों, व्यापारियों, सौदागरों तथा सभी वर्गों के निचले मध्यम स्तर के लोगों से इस समस्या का कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्ने ऊपर लदा बाहु डरों का त्यों है।’^{११}

साम्प्रदायिक समस्या का प्रानुर्भाव भारतीय स्थिति के प्रति विद्युत सरकार द्वारा अपनायी नीति के प्रत्यक्षरूप ही हुआ था—इस कथन की पुष्टि इस सत्य से हाती है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद अब ऐसी कोई समस्या नहीं रह गयी है। आज सभी धर्मनुयायी पारस्परिक सद्भाव तथा शान्ति से रह रहे हैं। साम्प्रदायिक झगड़े तथा वैषम्य गतीत की वस्तु बन गये हैं।

साम्प्रदायिक निर्णय— जिन परिस्थितियों में विद्युत सरकार की साम्प्रदायिक समस्या में हस्तक्षेप करना तथा उस पर अपना निर्णय देना पक्ष, उनका विवेचन ही

* दी प्रौद्योगिक माइनरिज, पृष्ठ २०८।

चुका है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में साम्प्रदायिक समस्या का कोई हल न हो सका। पहले तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बीच भारत में भी इसे मुलभाने का प्रयत्न असफल रहा। अल्पसंख्यक समिति (The Minorities Committee), जिसमें महात्मा गांधी भी सम्मिलित थे, भी इस समस्या पर कोई समझौता करा सकने में असफल रही। इस समस्या का बिना निवारा हुए फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी भी अपना कार्य प्रारम्भ नहीं कर सकती थी। मुस्लिम लाला ने अपनी मागें स्वीकृत हुए बिना इसकी कार्रवाई में भाग लेने से इन्कार कर दिया। इसलिये विनिश्चित उरकार के लिए इस मामले में हस्तक्षेप बरना तथा प्रतिनिधित्व की अपनी योजना की धारणा करना आवश्यक हो गया। यह योजना १६ अगस्त १९३२ को लन्दन तथा शिमल से साथ साथ प्रकाशित हाने वाले Communal Award में दी हुई है।

Award विधान महालों में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों की संख्या तथा चुनाव के तरीका—बचल इन दो आधारमूल प्रश्नों तक ह। सीमित है। अलग निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा ही रही महान् ज्ञाति का ध्यान करके भारत की राष्ट्रीय विचारधारा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सार्वे मुरक्कित रखने तथा अतिरिक्त (Additional) सीमा के लिए चुनाव लड़ने के उनक अधिकार क साथ सम्मिलित निर्वाचनक्षेत्रों के पक्ष में थी। लेकिन चूँकि मुस्लिम लीग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के त्वाग के लिए प्रस्तुत नहीं था, इसलिए Award ने अलग निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त मुरक्कित रखा और इसे १९१६ के एकट के नियमों के अनुसार गैर-मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में सम्मिलित वर्गों पर भी लागू कर दिया। दलित वर्गों के लिए भा अलग निर्वाचनक्षेत्रों का नियमण इस Award का निहितनम विशेषता था और इसी ने महात्मा बी को यशवदा जेल म अपना ऐतिहासिक उत्तरास प्रारम्भ करने के लिए विवश किया। बदू में चलकर सवर्ण हिन्दुओं तथा दलित वर्गों में 'पूना पैक' के अनुसार समझौता हो गया और परिणाम-स्वरूप याज्ञा का यह विधान नष्ट कर देना पड़ा।

Award ने मुस्लमानों, खिजाओं, भारतीय ईसाईयों, आग्ल-भारतीयों, यूरोपियनों, अम, उदाग तथा बाणिज्य व्यवसाय, बमीदारों, वृक्षविद्यालयों तथा औरतों के लिए प्रान्तीय विधान महालों में सीटें निश्चित कर दीं और चुनाव के लिए विशेष प्रधान भी किया। नर्मदा में महाठों तथा पिंडिडे क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के लिए सारे मुरक्कित रखा गयी।

ऐसे मैक्नोनहृ के अनुसार Award में दो गधी प्रतिनिधित्व की योजना 'विराधी तथा प्रतिसदी' अधिकार के बीच सनुनन का सच्चा प्रयत्न था, पर भी यह सुरक्षा पूर्वक प्रभर्णित किया जा सकता है कि कुछ वर्गों का तो अत्यधिक पक्ष लिया गया था

और कुछ की उपेक्षा की गयी थी। यह योजना यूरोपियनों तथा आग्ले भारतीयों के प्रति सबसे अधिक उदाहरण थी। मुख्लमानों की भी अधिकृतर माँग स्वाकृत कर ली गयी थी। किन्तु हिन्दुओं के प्रति सबसे अधिक अन्याय हुआ था।

ग्रामल के हिन्दुओं के प्रति सर्वसर अन्याय तथा उस प्रान्त के यूरोपियनों तथा आग्ले भारतीयों का अत्यधिक पक्ष इस तथ्य से प्रकट होता है कि पूरी जनसंख्या के ४८ = % हिन्दुओं को प्रान्तीय विधान सभा का सीटों का ३२ % दिया गया था किन्तु यूरोपियनों को, जो पूरी जनसंख्या के एक प्रतिशत के एक दमर्वे से भी कम अर्थात् ०१ % थे, सीटों का २५ % दिया गया। आग्ले भारतीयों की संख्या कुल जनसंख्या की एक प्रति हजार थी, पर भी उन्हें सारों का १६ % दिया गया। दूसरे शब्दों में, हिन्दुओं को जहाँ जनसंख्या के अनुप्राप्त से कम सीर्वें दी गई, यूरोपियनों को २५००० % तथा आग्ले-भारतीयों को ३००० % weightage दिया गया।^१ यहाँ विभिन्न वर्गों के जीव सीटों का यह विभाजन उपयुक्त तथा अन्यायपूर्ण है तो समझ में नहीं आता अनुपयुक्त तथा अन्यायपूर्ण विभाजन क्या होगा। पञ्चाच में हिन्दू अल्पसंख्यक थे, पर भा जनसंख्या के ग्राधार पर उन्हें जितनी सीर्वें मिलनी चाहिये थीं, उससे बहुत कम दी गई। पञ्चाच में सिक्खों को, जो कुल जनसंख्या के लगभग १३ % थे, सीटों का १८ ३ % दिया गया। लेकिन अन्य प्रान्तों में इसी प्रकार के मुख्लिय अल्पसंख्यकों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, उदाहरण-स्वरूप उत्तर प्रदेश में, जहाँ वे कुन जनसंख्या के १५ % थे, उन्हें सारों का ३० % दिया गया। यहीं दशा बम्बई, मध्य-प्रदेश, मद्रास, बिहार तथा आसाम की भी थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुख्लमानों के मुकाबिले सिक्खों का ध्यान कम रखा गया। Award द्वारा विभिन्न वर्गों को दी गयी सीटों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जायगा कि किसी वर्ग की स्थिति उससे गाढ़ायता के विरोध तथा शासनों के लिए उसके महत्व से जर्जी गया थी।

यह ध्यान म रखना चाहिए कि साम्राज्यिक निर्वाचन-चेतों का निर्माण अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षा के उद्देश्य से हुआ था। लेकिन Award ने पञ्चाच, सिन्ध, पाश्चमीत्तर सीमाप्रान्त तथा ब्रगाला के बहुमतों को अलग साम्राज्यिक निर्वाचन-चेत्र दे दिये। इन प्रान्तों के अल्पमतों ने अपने लिए अलग निर्वाचन-चेतों की कभी भी माँग न की, लेकिन उनके ऊपर वे जबरदस्ती लाद दिये गए। Award ने काव्यों तथा लीग वे बीच हुए लखनऊ समझौते को अत्याकृत कर दिया किन्तु मुख्लमानों को इसमें Weightage को नुसाकृत रखा। Award का यह कार्य एकदम अन्यायपूर्ण तथा तर्कहीन था। लखनऊ-पैकट या तो

^१ दी कम्पूनल ट्रैगिल, पृष्ठ ७४।

पूर्ण रूप से स्वीकृत होता या एकदम से अस्वीकृत , इसके एक भाग को स्वीकृत तथा दूसरे को अस्वीकृत करने में कोई तर्क नहीं ।

ग्रिटिंश सरकार का कहना यह था कि यह Award अस्थायी था । जिसका अर्थ यह था कि इससे अच्छी बह ऐसी कोई भी योजना स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत थी जिस पर सभी वर्गों में समझौता हो गया होता । यह समझौता 'मुधार बिल' के कानून बन जाने के पूर्व ही हो जाना चाहिए था ।

निर्णय के प्रति देश के व्यापक असन्तोष, तथा पूना पैकट द्वारा दलित वर्गों की समस्या के नियकरण ने मौलाना अब्दुलकलाम आजाद, डा० सैयद महमूद, प० मदनमोहन मालवीय तथा मौलाना शौकतअली को नए मिरे से प्रयत्न करने के लिए प्रेरित किया जिससे न केवल Award को हटा कर एक दूसरी योजना का निर्माण होता बल्कि साम्प्रदायिक समस्या का भी हमेशा के लिए एक प्रतिष्ठापूर्ण हल हो जाता । मौलाना शौकतअली ने सरकार से महात्मा गांधी को इस कार्य में सहायता देने के लिए छोड़ देने या जैल में ही उनसे मिलने-जुलने की अनुमति देने की अपील की । सरकार ने मौलाना साहब की विनय अस्वीकृत कर दी और साम्प्रदायिक समझौते का कार्य महात्मा गांधी की सहायता या उनके पथ-प्रदर्शन के बिना ही प्रारम्भ किया गया । हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान तथा ईसाई प्रतिनिधियों की सहायता से १६३२ की नवम्बर में इलाहाबाद में एक ऐक्य-सम्मेलन (Unity Conference) किया गया । इस सम्मेलन ने विभिन्न वर्गों में समझौता करने के उद्देश्य से योजनाओं पर विचार विमर्श के लिये एक कमेटी नियुक्त की । इसके सदस्यों में रामानन्द चट्टी, अब्दुलकलाम आजाद, शौकतअली, चम्बर्ती राजगोपालाचारी तथा प० मालवीय भी सम्मिलित थे । इस कमेटी की बैठक ३ नवम्बर से १७ नवम्बर तक हुई और उसमें दुक्ष निषेध भी किये गये । इन निर्णयों को विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने वर्ग के समक्ष रखा । इन योजनाओं पर विभिन्न वर्गों के विचारों तथा उनके द्वारा सुनाये सुधारों पर ऐक्य सम्मेलन ने २३ दिसम्बर १६३२ से इलाहाबाद में हुये अपने तीसरे अधिवेशन में विचार-विमर्श किया । इस सम्मेलन में सभी प्रमुख समस्याओं पर पूर्ण समझौता हुआ । यह समझौता काफी लम्घा है जिसमें केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान-मंडलों में विभिन्न वर्गों की सीटों तथा चुनाव के तरीके के अतिरिक्त अन्य श्रेनेक विषयों— नागरिकों के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों के धार्मिक तथा साकृतिक अधिकारों तथा व्यक्तिगत कानूनों की रक्षा, कैबिनेटों के निर्माण— का भी विवेचन है । पारस्परिक सद्भाव द्वारा साम्प्रदायिक समस्या के हल में यह समझौता अद्वितीय है ।

लगभग सभी विचारास्पद विषयों पर समझौता प्राप्त करके उगाल विधान मण्डल में यूरोपियन-वर्ग के प्रतिनिधित्व की समस्या मुनाफाने के लिये

ऐक्य सम्मेलन की सहायक-समिति (Sub-committee) ने कलकत्ता जाने का निश्चय किया। यगाल में यूरोपियनों की सख्ता कुल जनसख्ता की ००१% थी, किर मी उन्हें सीरों का २५% दिया गया था। उसे दूतना अधिक Weightage देना सम्भव नहीं था। इस महत्वपूर्ण अवसर पर त्रिटिश सरकार ने अप्रत्याशित रूप में हस्तक्षेप कर दिया, गान्धेज सम्मेलन के तीव्रे अधिवेशन के अवसर पर भारत-मन्त्री ने यह घोषणा कर दी कि ऐक्य सम्मेलन में मुसलमानों द्वारा स्वीकृत सीरों का ३३½% के बजाय वे उन्हें केन्द्रीय व्यवस्थापिका समा की त्रिटिश भारत की सीरों का ३३½% देने के लिए प्रस्तुत थे। उन्होंने उपयुक्त आर्थिक सहायता के साथ सिंघ की वम्बई से अलग करके उसे एक नया सूवा बना देने के ग्रपने निश्चय की मी घोषणा की। इस नए प्रान्त में हिन्दू अल्यसख्तकों के हितों की रक्षा के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया। ऐक्य-सम्मेलन भी सिन्ध का एक अलग प्रान्त बना देने के लिए प्रस्तुत या किन्तु हिन्दू-अल्यसख्तकों के हितों की रक्षा तथा केन्द्रीय सरकार से विना किसी प्रकार की सहायता लिए हुए। इन घोषणाओं ने ऐक्य-सम्मेलन का कार्य व्यर्थ कर दिया। त्रिटिश चालचाढ़ी को धन्यवाद है जिसने सम्मेलन का सार पारश्रम व्यर्थ कर दिया और साम्रदायिक समस्या वहाँ रह गई जहाँ Award ने उसे छाला ॥

भारत में शिक्षा

परिचय— शिक्षा को अच्छे नागरिक जीवन का आधार ठीक ही कहा है। शिक्षा की अच्छाई तथा शिक्षित लोगों की सख्ती पर ही किसी समाज की भलाई बहुत सीमा तक निर्भर है। जो वक्ति रिहाई-प्रणाली तथा उसके सिद्धान्तों में परिवर्तन करता है वही लोगों की आदतों तथा जीवन के प्रति उनके हाफिकोण में भी परिवर्तन करता है। इसलिए भारतीय नागरिक जीवन के विद्यार्थी के लिए यह जानना आवश्यक है कि यहाँ के नागरिकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है और उस शिक्षा का उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या है।

अपने देश में प्रचलित आज की शिक्षा-प्रणाली ब्रिटिश शासकों द्वाया समय-समय पर अपनायी गयी नीति वा परिणाम है। कुछ गुच्छुलों, खीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा प्रारम्भ किए हुए शान्तिनिकेतन, ग्रसहयाग आन्दालन के अवसर पर प्रारम्भ हुई कुछ सम्पाद्यों, कुछ मुस्लिम मदरसों तथा परम्परागत प्रणाली पर चलाई जाने वाली अनेक पाठशालाओं का छोड़ कर, शिक्षा की सारी प्रणाली विदेशों की नकल है। यह राष्ट्रीय नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति का ओर उन्मुख नहीं है। यह राष्ट्रीय नहीं है क्योंकि इसकी उत्तरात्त इस देश से नहीं हुई है। यह हमारे अतीत, हमारे बातावस्था तथा हमारी आवश्यकताओं से सम्बन्धित नहीं है। इसलिए इसका स्वरूप समझने और इसके गुण-शारीरी की विवेचना के लिए अतीत की ओर मुड़ने और अपने इतिहास के हिन्दू तथा मुसलमान-युगों में प्रचलित शिक्षा प्रणाली के विवेचन वी आवश्यकता नहीं है। हम वर्तन दृतना ही करना उपयुक्त समझेंगे कि अपेक्षा य आने से पहले देश निरक्षर नहीं था। शिक्षा की दृष्टि से वह अपने समय के किसी भी यूरोपियन देश से फ़र्ज़ी गया था। मिल्टर कर हाड़ा का रचना के निम्नलिखित घरां से इस कथन का पुष्टि होती है ‘सरकारों का गजों तथा मिशन सम्बन्धी रिपार्टों के आधार पर अग्रेजों व आने से पहले बगाल की शिक्षा हितनि के विषय में मैसेस मूलर का कहना है कि बगाल में २०,००० स्कूल या कुल जन-सख्ता के प्रत्येक ४०० व्यक्तियों के पांच एक स्कूल था।’ अग्रने ब्रिटिश भारत के इतिहास में लड़लाऊ कहने हैं, “मुझे विश्वास है कि अगरना पुगना परम्परा बनाये रखने वाले प्रत्येक हिन्दू भाषा के अधिकतर बच्चों को लिपने, पढ़ने तथा कुछ गणित का ज्ञान अवश्य है। लेकिन बगाल की तरह जहाँ हमने ग्राम-प्रणाली का विनाश कर दिया है, ग्राम स्कूल भी लुप्त हो गया है।”^{१५} यह ज्ञान में रखना चाहिये कि अग्रेजी शासन के पहले व मारत में

* मेजर चौ० डॉ० यमु द्वारा उद्धृत एन्सेन इन इंडिया एंड इस्ट इंडिया कम्पनी, पृष्ठ १६।

शिद्धा का भार राज्य के ऊपर नहीं रहता था। जो धन शिद्धा पर व्यय किया जाता था वह जनता से कर के रूप में बस्तु नहीं किया जाता था। उच्च शिद्धा न अनेक विद्यालय धनी व्यक्तियों तथा शासकों की उदारता पर निर्भर रहते थे। स्कूलों तथा विद्यार्थियों की प्रमुख सहायता लोगों के स्वेच्छापूर्वक दान द्वारा होती थी। प्राचीन तथा मध्य-कालीन शिद्धा-प्रणाली पर इन थोड़े शब्द से हम दसक विटिश युग म विकास की ओर बढ़ते हैं।

विटिश सरकार के शिद्धा-सम्बन्धी उद्देश्य— शिद्धा ने उद्देश्य से ही शिद्धा के वास्तविक रूप तथा सगठन का पता चलता है। इसलिए हम यह जानना आवश्यक हो जata है कि भारतीय नवजनानों के लिए वर्तमान शिद्धा प्रणाली निश्चित करने में विटिश शासकों का उद्देश्य क्या था। यदि शिद्धा-प्रणाली भिन्न हुई होती तो अब्रोजी को भारत म वह स्थान न मिलता जा उनको मिला। जापान की शिद्धा-प्रणाली हमारी शिद्धा-प्रणाली से एकदम भिन्न है और इसी लिए उसे परिणाम भी एकदम भिन्न है। इस भिन्नता का कारण यह है कि द्वितीय महायुद्ध के पहले जापानी सरकार के उद्देश्य विलुप्त भिन्न थे।

इतिहास के एक नाड़ुक समय पर जिन लोगों ने हमारी शिद्धा प्रणाली का रूप निश्चित किया उनके उद्देश्यों का पता लगाना कठिन नहीं है। वारेन हेस्टिंग्ज ने सबसे पहले १७८१ म कलकत्ता मदरसा की स्थापना की और १८१३ के चार्टर ने भारतीयों की बौद्धिक उन्नति के लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी को एक लायर सम्पाद्य अलग रख लेने का अधिकार भी दिया, १८८ भी भारत की शिद्धा-सम्बन्धी नाति वे यास्तविक जन्मग्राता लॉर्ड मैकाले थे। उनके हाँ शक्तिपूर्ण पक्ष के कारण प्राच्य (Oriental) विद्याओं को प्रश्न देने की पुरानी नीति को छोड़कर पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के प्रसार की नीति अपनायी गयी। इसी समय से पांश्चमी ज्ञान विज्ञान की रक्षा तथा प्रसार भारत सरकार की निश्चित नीति बन गयी। भारतीय दर्शन, साहित्य तथा धर्म की उपेक्षा और भारतीयों को अब्रोजी—एक विदेशी भाषा—द्वारा शिद्धा प्रदान इस नीति के परिणाम हुए।

हमारा सम्बन्ध अभी भारतीय शिद्धा प्रणाली के द्वायों से उतना नहीं है जितना लॉर्ड मैकाले को इसे १८१५ म अब्रोजिपत वे रग में रँग देने के लिए प्रेरित करने वाले उद्देश्यों से। इन उद्देश्यों का सर्वोत्तम समर्पण उनके प्रयत्ने ही शब्दों द्वारा किया जा सकता है। १८१६ म उन्होंने अपने एक भिन्न को इस प्रकार लिया ‘अब्रोजी शिद्धा-प्राप्त कोई भी हिन्दू अपने धर्म के प्रति सच्चा नहीं रह पाता। मेरा यह पक्ष विश्वास है कि यदि हम लोगों की शिद्धा-योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो गई तो आज से तीस वर्ष बाद नगाल के प्रतिष्ठित वगा में कोई भी मूर्तिपूजक न रहेगा। और यह सब उनकी धार्मिक स्वतन्त्रता में भिना कोई अङ्गचन पहुँचाये, वैपल

पश्चिमी ज्ञान के प्रमार से अपने आप हो जायगा ।' मैकाले वे इस पत्र से कुछ लोग यह अर्थ निकालेंगे कि उनका उद्देश्य मारतीयों को उनके परम्परागत धर्म से अलग हट्यकर ईसाई बना लेना था । ऐसा होना सम्भव हो सकता है किन्तु उनका आन्तरिक उद्देश्य कुछ और था । पाश्चात्य शिक्षा ने उनकी ही तरह कहर पोषक तथा उनके अपने बहोई सरचात्सु ट्रेवेलियन ने इसे बड़ी अच्छी प्रकार व्यक्त किया है । १८५३ में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बमेटी के सामने अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि ग्रामने धार्मिक दृष्टिकोण के कारण हिन्दू ग्रन्डों को खेलना या अपवित्र मानते थे और इसी लिए उनके साथ वे कोई सम्बन्ध रखना धर्मविस्तर समझते थे । मुसलमानों के विचार में इसी प्रकार के थे, वे उन्हें कापिर या अपवित्र लुटेरे समझते थे । इस प्रकार मारत की इन दो प्रमुख जानियाँ वो अंग्रेजों से स्वभावतः घृणा थी । सर ट्रेवेलियन के अनुमार पाश्चात्य शिक्षा के प्रमाण से भारतीयों के स्वभाव में आवश्यक परिवर्तन निया जा सकता था । अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्ति सुनक से यह आशा थी कि वह स्वनन्त्रता-प्राप्ति के लिए प्रबल द्वेष देता और अंग्रेजों को अपना रक्षक तथा मित्र मानने लगता । ऐसी ही कोई चाज लॉर्ड मैकाले के मन्त्रिक में भी रही होगी— यह इस चात से सिद्ध होता है कि वह अपनी शिक्षा-योजना से भारतीयों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहते थे जो 'रक्त तथा रग से तो भारतीय होता किन्तु सचि, विचार, शब्द तथा मन्त्रिक से अंग्रेज' । इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा प्रसार का प्रमुख उद्देश्य पड़े-लिखे वर्ग की विदिशा सरकार के प्रति स्वाभिभक्ति का सर्वभागी में प्रमार तथा अन्त में भारत की सान्तुतिक विजय था ।

इसके अतिरिक्त एक और उद्देश्य भी था । देश के शासन के लिए सरकार वो अंग्रेजी पड़े लिखे ऐसे भारतीयों की आवश्यकता थी जो इगलैड से आये सिगिल सर्वेन्टों की बनियत बहुत कम वेतन पर कार्य करने के लिए प्रमुख रहते । स्वयं लॉर्ड मैकाले के अनुमार अंग्रेजों पड़े लिखे ऐसे भारतीयों की आवश्यकता थी जो 'हमारे तथा हमसे ग्रामित साक्षात् व्यक्तियों के बीच दुमाणिये का काम कर सकें' । कलकत्ते के न्यायालय में योग्य हिन्दुओं तथा मुसलमानों की सेवाएँ प्राप्त करने के उद्देश्य से ही वारेन हेल्पिंग ने कलकत्ते में मुसलमानों के लिए एक मदरसा तथा हिन्दुओं के लिए बनारस में इससे बहुत पहले एक समृद्ध कॉलेज खोला था । इस प्रकार विदिशा शासकों का शिक्षा-सम्बन्धी नीति का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक था । भारतीयों की दशा में उन्नति, उनके नीच जान के प्रमार, या राष्ट्रीय उद्योग धंधों के विकास या अच्छी नागरिकता या नागरिक उत्तरदायित्व की स्थिरी भी भावना को प्रभय देने के लिए से पाश्चात्य शिक्षा का प्रारम्भ नहीं हुआ था । प्रारम्भ में तथा बहुत काल तक सरकार की आवश्यकताओं द्वारा ही शिक्षा का मुख्याकन होता रहा ।

पाश्चात्य शिक्षा के अन्य उद्देश्य तथा परिणाम— सरकारा नीति का एक विनाशकारी प्रभाव यह हुआ कि उसा वर्ग की शिक्षा पर अधिक जार दिया जाने लगा जिससे सरकारी नौकरियों के लिए रागड़ लिए जाते। सार्वजनिक शिक्षा की उपेक्षा की जाने लगी क्योंकि सरकारी ध्येय की प्राप्ति के लिए वह आवश्यक नहीं थी। बहुत समय पश्चात् इसने लोगों को शिक्षित करने के अपने कर्त्ता तथा उच्चरायित्व की ओर ध्यान दिया। आज दिन भी तुछ वर्गों की उच्च शिक्षा से इनता की प्रारम्भिक शिक्षा बहुत पिछड़ा हुई है।

दूसरा परिणाम यह हुआ कि शिक्षा का बेमल शान्तिक तथा माहित्यिक ज्ञान पर आधारित किया गया, औद्योगिक शिक्षा का एकदम उपेक्षा की गयी। विद्यार्थियों के पाठ्य नमूने में कपल उहीं विषयों का समावेश किया गया जिनसे शासकों तथा शासितों के बीच दुष्प्रियता का कार्य सम्पन्न हो सकता। ब्रिटिश युग में औद्योगिक तथा हस्तकला सम्बन्धी शिक्षा न प्रति सौतैली माँ का गर्ताचि होता रहा।

तीसरे, निश्चित विषयों की पाठ्य पुस्तकों का पढ़ने तथा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने उपाधियों लेने का और ही विद्यार्थियों का सारी शक्ति बेन्द्रित कर दी गया। परीक्षा में सफलता प्राप्त करना ही शिक्षा का ग्रर्थ समझ लिया गया, समृद्धि तथा ज्ञान की उच्चरोक्तर उच्चति की ओर कोई ध्यान न दिया गया। ज्ञान की प्राप्ति वेचल भौतिक उच्चति के ध्येय से का जाने लगी गुण सम्पन्न तथा सुप्राप्त जीवन की प्राप्ति के लिए नहीं। आज दिन भी यहीं क्रम चल रहा है।

अन्त में, इस प्रणाली में शिक्षा राज्य के अन्तर्गत रख दी गयी। १८५४ से लेकर आज तक हमारे देश की शिक्षा राज्य के अन्तर्गत स्कूलों, कॉलेजों तथा प्रिवेट विद्यालयों की प्रणाली पर निर्भर रही है। १९२० में मान्ट फोर्ड सुधारों के कार्यान्वयन किये जाने तक शिक्षा विभाग का शासन प्रान्तीय सरकार ने अन्तर्गत रहा किंतु उसने पश्चात् यनेक कानूनों तथा धाराओं की सहायता से बन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत वर दिया गया। जन-प्रिय मन्त्रिमण्डलों ने अन्तर्गत जब शिक्षा को Transferred Subject का रूप दे दिया गया तेन्द्रीय सरकार ने उस पर प्रभाव में कमों आगयी। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत नये विश्वविद्यालयों को स्वायत्त शासन (Autonomy) का आणिक अधिकार मालवा गया। लेकिन इन परिवर्तनों से शिक्षा की प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन न आया। शिक्षा पर सरकारी शासन आवश्यक है या नहीं— इस प्रश्न से हमारा यहाँ सम्बन्ध नहीं है। हमें तो इसके परिणामों पर ही अधिक ध्यान देना है। सभसे पहले, इसने शिक्षा के राष्ट्रीय विकास को रोक दिया है। शासकों ने इस ओर बड़ी सतर्कता रखती है कि लागों में राष्ट्रीय तथा देशभक्ति की भावनाओं का विकास न होने पाये। दूसरे, उसने लोगों का ध्यान वेचल नियमों-उपनियमों की पाबन्दी की ओर मोड़ा है जिससे उनके स्वतन्त्र चिन्तन तथा नैसर्गिक विकास को

बड़ा धक्का पहुँचा है। इसके अतिरिक्त शिक्षा तथा धर्म का पारस्परिक सम्बन्ध समाप्त कर दिया गया। सरकारी नियमों-उपनियमों के हेर-फेर मध्यमिक महत्व का ध्यान बिसडों रहता? भारत जैसे धर्म प्रधान देश में धर्म को शिक्षा से अलग करना शिक्षा ॥ निराधार तथा विश्वास से परे बन देना है। अन्त में, यह कहा जा सकता है कि शिक्षा वीं इतनी धीर्घी गति का भी बहुत कुछ उत्तरदायित्व इसी नीते पर है। अभी कुछ समय पहले तक पढ़े-लिये लागों की सख्ता चुल जन-सख्ता की १३ % थी २० % पुढ़ों में तथा ३ % दिव्यों में। जनता की शिक्षा का सरकार की नीति से समझत्सु न रैठा। निरनुश तथा अनुत्तरदाया होने के कारण जनता की निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की माग की सरकार आसानी से उपेक्षा कर सकती थी और करता रही। सार्वजनीन शिक्षा का प्रश्न आने पर सदैव स्पष्टी की कमी का बहाना कर दिया जाता। इस सम्बन्ध में पाठकों को यह याद दिला देना अनुपसुक्त न होगा कि एज्यू के अन्तर्गत न होने हुए भा अतीत में शिक्षा सार्वभौम थी। लेकिन शिक्षा के राज्य के अन्तर्गत होने का कठाचिन् जो सबसे बड़ा दुपरिणाम हुआ है, वह यह है कि शिक्षा के प्राचान आदर्शों तथा गुरु-शिष्य के बीच के सम्बन्ध का समाप्ति हो गयी। शिक्षा का प्राचान आदर्श निदार्थी को एहस्थ-जीवन के व्यावहारिक उत्तरदायित्वा के लिए प्रस्तुत करना था। जीवन की अनिम दा अवस्थाओं में व्यक्ति की आध्यात्मिक भलाई का भी शिक्षा में ध्यान रखा जाता था। व्रद्धचारी गुरु के शाश्वत में गड़ा छोटा ही ग्रन्थस्था में चला जाता और लगभग दीस वर्ष की आयु तक उसके अनुशासन में रहता। इस समय तक गुरु तथा शिष्य के बीच व्यक्तिगत समर्पक रहता और गुरु का सारा व्यक्तित्व शिष्य की शिक्षा में सहायक बनता। गुरु वात्सव में अपने शिष्यों का आध्यात्मिक पिता होता और समाज में उसे बहुत ऊँचा स्थान दिया जाता। वह शिक्षण-कार्य का जाविकोपार्वन के उद्देश्य से नहीं धर्मिक लोक-कल्याण, आत्म-साक्षात्कार तथा धर्म पालन के उद्देश्य से अपनाता। उसे तथा उसके आधम को समाज के धनिक वर्गों तथा राजाओं महाराजाओं के स्वेच्छापूर्वक दान से आर्थिक सहायता मिलती। उसी आर्थिक सहायता करने वाले लोग उस पर शिष्यों की शिक्षा-दीक्षा के सम्बन्ध में बोई बन्धन न लगाते। शिक्षा का रूप गुरु निश्चित करता, राजा नहीं। लेकिन नई शिक्षा-पद्धति में इन सरकार बदल दिया गया। जीवन के उत्तरदायित्वों के लिए प्रस्तुत करने वाला शिक्षा का प्राचीन आदर्श अब नहीं रहा; हमारी शिक्षण-संस्थाएँ सरकारी नौकरियों के लिए कर्लर्स पैदा करने वाली मशीनों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिष्यों की शिक्षा पर गुरु के व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता; गुरु तथा शिष्य के बीच का सम्बन्ध दिलावटी है, व्यक्तिगत तथा वात्सविक नहीं। 'किसी भारतीय सून की बद्धा में वात्सविक जीवित मनुष्य बहुत ही कम

दृष्टिगत होते हैं । ०० जिन चीजों से मनुष्य के आन्तरिक जीवन का निर्माण होता है वे सूल के बाहर ही लोड दी जाती हैं ।*

शिष्यों की शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा-क्रम का निश्चय भी अब गुरु की इच्छा पर निर्भर नहीं है । 'भारतीय प्रणाली' के अन्तर्गत शिक्षक के बल नियमों-उपनियमों का पाबन्द रहता है । उसके लिए कोई लिखा हुआ कानून या परम्परा नहीं है । उसे एक निश्चित समय पर अपने काम का घौरा देना है, नियमों का पालन रखना है, परीक्षा में परीक्षार्थियों को निश्चित समय में सफल बनाना है और दरपेक्षटर को, जो अकाल या लोग से भी अधिक अपने निश्चित समय पर अता है, के बल कुछ दी मिनटों के समय म यह विश्वास दिला देना है कि कोई भी नियम भग नहीं हुआ है और कुछ रचनात्मक कार्य भी हुए हैं । कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी अवस्था में यिग, आनोल्ड या सैन्डर्सन जैसे व्यक्ति पैदा नहीं हो सकते । यह व्यवस्था भारत में किसी शकर, कवार या टैगोर को ज म नहीं दे सकती ।'

स्वामी शद्गानन्द तथा कवि रवीन्द्रनाथ टाकुर ने गुश्कुल कागड़ी, हरिद्वार तथा कलकत्ते के समीप बोलपुर में शान्तिनिवेदन की स्थापना करके प्राचान ग्रादशा तथा परम्पराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया । इस सम्बन्ध में अभी हाल हो में प्रारम्भ हुए उदयपुर के विद्याभवन का भी जिक्र किया जा सकता है ।

मैकाले के उद्देश्यों के पाठ्य क्रम पर प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन करके हम शपनी शिक्षापद्धति की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन समाप्त करेंगे । प्राच्य विद्याओं र सम्बन्ध में मैकाले की बड़ी ही नुटिपूर्ण धारणा थी किन्तु पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के प्रति अटूट विश्वास । इसी लिये उमने भारतीय नवयुवकों का पढ़ाये जाने वाले विषयों से भारतीय दर्शन साहित्य तथा धर्म को एकदम निकाल कर अप्रेजी इतिहास, दर्शन तथा साहित्य को समिलित करने का निश्चय किया । लेकिन यह नीति बड़ी ही नुटिपूर्ण निकली क्योंकि यह इस धारणा पर आधारित था कि मानव मस्तिष्क एक श्वेत पट्टी के सटरा है जिस पर उसकी प्रकृति या पूर्व इतिहास का चिना काई ध्यान रखके शिक्षक जो निशान चाहे बना सकता है । प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्याओं का तर्कसंगत तथा उपयुक्त समिक्षण भारतीयों की शिक्षा सम्बन्ध अवश्यकताओं के बड़ी अनुकूल हुआ होता । भारतीय दर्शन तथा साहित्य की इतनी उपेक्षा ठोक न हुई । पाश्चात्य साहित्य तथा दर्शन की चनिस्त वहाँ के विशेष का समावेश अधिक उपयुक्त होता । इस तरह प्राच्य विद्याओं की कमी पाश्चात्य विज्ञान ने समावेश से पूरी हो जाती । लेकिन पाश्चात्य विज्ञान की चनिस्त वहाँ के साहित्य

* मेहूँ . दी एजुकेशन ऑफ इंडिया, पृष्ठ ७३ ।

तथा दर्शन को ग्रंथिक प्रश्न दिया गया। विषयों वे ऐसे चुनाव का प्रभाव बढ़ा ही विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस व्यवस्था ने पठें-लिखे भारतीयों की जड़ें उनकी प्राचीन परम्पराओं से अलग हटाकर विदेशी भूमि में लगानी प्रारम्भ की। पठें-लिखे भारतीयों का पाश्चात्य लेखकों तथा विचारकों विषयक ज्ञान अपने देश की महान् साहित्यक विमूर्तियों तथा दार्शनिकों से कहीं ग्रंथिक होता था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पठें लिखे वर्ग तथा निरक्षर किसानों तथा श्रमिकों के जात्य का अन्तर निरन्तर बढ़ता गया। काफी बाद में चलकर हमारे विश्वविद्यालयों ने भारत व साहित्य तथा दर्शन की महत्त्व भी स्वीकार की और शिक्षा-क्रम में अन्य मुधार भी किये।

शिक्षा-सम्बन्धी विकास की मीडियर्स— ब्रिटिश राज्य में शिक्षा सम्बन्धी इतिहास को हम तीन युगों में विभाजित कर सकते हैं। १७८१ में बारेन हेस्टिंग्ज द्वारा क्लॅक्टन मदरसा को स्थापना से प्रारम्भ हाने वाला युग १८३५ तक चला। इस युग को हम 'पूर्वीकरण' समय (Orientalising period) कह सकते हैं क्योंकि इस समय कुछ ऐसी स्थानों की स्थापना हुई जिनके दोहरे उद्देश्य— प्राच्य विद्याओं का प्रश्न और कम्पनी द्वारा बगाल में स्थापित न्यायालयों के लिए हिन्दू तथा मुसलमान कर्मचारियों की प्राप्ति— थे। कम्पनी की सरकार ने १८१३ तक भारतीयों की शिक्षा का काई सोधा उत्तरादायित्व नदीं लिया किन्तु पार्सियामेट द्वारा कम्पनी को इस समय दिये चार्टर की एक धारा (Clause) में गवर्नर-जनरल को साहित्य के पुनरुद्धार, विकास, भारतीय विद्यानों के प्रश्न तथा पाश्चात्य विज्ञान के अध्ययन की प्रारंभिक के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपया अलग रख लेने का ग्रंथिकार दिया गया। यह रुपया कुछ वर्षों तक केवल प्राच्य विद्याओं के अध्ययन पर व्यय किया जाता रहा किन्तु १८२५ में राजा राममोहन राय ने गवर्नर-जनरल के समझौते इस व्यवस्था का नक्षा विरोध किया। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह धन केवल कुछ वर्गों की शिक्षा पर ही व्यय किया जा रहा था, जनता की शिक्षा का उस समय कोई ध्यान न था। कुछ वर्गों की शिक्षा तक में भी भारतीयों ने ही प्रेरणा दी। राजा राममोहन राय ने ही सबसे पहले अपने देशवासियों का स्तर ऊँचा करने के लिए पाश्चात्य शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व स्वीकार किया। १८१६ में कलकत्ता के हिन्दू कॉलिज की स्थापना में उनका प्रमुख हाथ था। नमई के एलफिस्टन कॉलिज की स्थापना भी इसी वरह गैर-सरकारी प्रयत्नों द्वारा ही हुई। देश में कार्य कर रहे इंसाई मिशनों ने भी पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को बड़ा प्रोत्साहन दिया। १८१८ में सेतुभुर में पहला मिशनरी कॉलिज खोला गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में सरकार की बनिस्तत अन्य व्यक्तियों तथा सम्पाद्यों का ग्रंथिक हाथ रहा।

दूसरा युग १८३५ में मैकाले की अंग्रेजी भाषा के माध्यम के द्वारा पाश्चात्य ज्ञान के प्रसार की नीति से प्रारम्भ हुआ जो १८५४ में सर चार्ल्स बुड़ की शिक्षासम्बन्धी प्रसिद्ध योजना तक रहा। इसे 'पार्सिचमीकरण' का काल कहा जा सकता है। प्राच्य

विद्यायों के ग्रन्थ तक प्रश्रय के स्थान पर अगरेजी भाषा के माध्यम द्वारा पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के प्रसार को प्रमुख उद्देश्य बनाया गया। लोगों की मातृभाषाओं को कहीं भी स्थान न दिया गया। मैसाले ने उन पर ध्यान देना उचित न समझा। पहले की तरह अब भी केवल कुछ उच्च वर्गों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया, अन्तर केवल इतना था कि प्राच्य शिक्षा के बदले अगरेजी शिक्षा को स्थान मिला। जनता की शिक्षा अब भी गैर सरकारी उपाया पर निर्भर थी। सरकार ने जो कुछ भी किया वह केवल इतना कि तानों प्रेसिडेंसियों के प्राम स्कूलों का निरीक्षण कर डाला गया। बगाल तथा पिहार के कुछ तुने चेहों का निरीक्षण करके रेवरेन्ट विलियम ऐडम ने प्राम स्कूलों का राष्ट्रीय तथा सार्वजनान शिक्षा का आधार प्रताया और उनके सुधार को एक योजना भी सख्ती किन्तु उस पर कई ध्यान न दिया गया। अग्रेजी स्कूलों की स्थापना ने सरकार को पर्याप्त काम दे दिया और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उसके पास पर्याप्त धन शेष न रहा।

सासारा युग, जिसे हम ऐश्लो-वर्नाक्यूलर युग कह सकते हैं, १८५४ में सर चाल्स बुड की शिक्षा सम्बन्धी प्रसिद्ध योजना से प्रारम्भ होता है। भारत के शिक्षा-सम्बन्धी इतिहास में यह एक नवीन युग है। प्राच्य विद्यायों के स्थान पर पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के प्रसार का उद्देश्य रखते हुए भी मैसाले की १८३४ की शिक्षा-सम्बन्धी नीति से यह अनेक अर्थों में भिन्न है। सबसे पहले, इसने इस पुरानी नीति का निश्चित रूप से परिवर्त्याग कर दिया कि समाज के उच्च वर्गों के दी गयी शिक्षा निम्न वर्गों तक अपने आप उत्तर आयेगी और जनता का प्रारम्भिक शिक्षा के सरकारी उत्तरदायित्व को इसने पहले पहल स्वीकृत किया। इस प्रकार इसने प्रारम्भिक शिक्षा पर बहुत ज्योर दिया क्योंकि लोगों के ग्रन्थान का भवकर आर्मिशाप इसी तरह दूर किया जा सकता था। इससे एक नयी चाल उत्पन्न हुई। अग्रेजी भाषा को प्रारम्भिक शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता था; इसके लिए तो जिले या प्रान्त में बाली जाने वाली भाषा ही सबसे उपयुक्त होती। योजना ने इसलिए अग्रेजी के साथ साथ मातृभाषाओं के अध्ययन पर भी जार देना प्रारम्भ किया। मारतीय विद्यार्थियों को दो भाषाएँ—अग्रेजी तथा अपनी मातृभाषा—सीखनी पड़ती। इसी लिए इस नवीन प्रथा को ऐश्लो-वर्नाक्यूलर नाम दिया गया। अशान के अन्धकार को दूर करने के लिए योजना (Despatch) ने प्रत्येक प्रान्त में एक शिक्षा विभाग की स्थापना बा विधान किया। सरकार ने यह विधान स्वीकृत कर लिया और आजमल के रिहाई-विभागों से मिलते-जुलते शिक्षा-विभागों की प्रत्येक प्रान्त में स्थापना हुई। सरकार ने एक दूसरी दिशा में भी निश्चित कदम उठाया। १८३४ से आगे सरकार शिक्षा-सम्बन्धी सारा रूपदा कुछ थोड़े से सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों पर व्यवहार कर देती। किन्तु १८५४ के पश्चात् इसने गैर सरकारी स्थानों को भी ग्रामीण सम्प्रयता देना प्रारम्भ किया और इस प्रकार व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयत्नों के भी प्रश्रय मिलने लगा।

योजना ने विश्वविद्यालयों की शिक्षा यात्रा की भी रूपरेता निर्मित की। विश्वविद्यालयों की इसी शिक्षा योजना के अनुसार, तीन वर्ष पश्चात् कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई।

१८५७ में स्थापित होने वाले ये विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाला संस्थाएँ न थे। वे ऐसे लोगों के संगठन-व्यरूप थे जो उनसे सम्बन्धित कौलिनों के विद्यार्थियों की परीक्षा लेते और सफलता-प्राप्त विद्यार्थियों को उपाधियों प्रदान करते। वे पाठ्य क्रम मा निश्चित करते। कन्तु अपने से सम्बन्धित कालिङ्गों में शिक्षा कैसे दा जाती, इसके ऊपर उनका आधिकार न था। कौलिङ्गों की सख्ता बृद्धि के साथ ऐसे दा अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता पड़ी, और फलम्बन पर १८८२ में पजाब तथा १८८७ में प्रयाग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। १८०४ के विश्वविद्यालय ऐक्ट द्वारा मुधार बिधे जाने तक वे पाँच विश्वविद्यालय द्वे प्रल पराक्रम-संस्थाएँ बने रहे। तिनु अब उन्ह पढ़ाई का कार्य संगठित करने तथा इसने लिए उपयुक्त व्यवस्था करने वा अधिकार दिया गया। इस अधिकार का उपयोग करने हुए उन्होंने एम० ए० ५० शिक्षा तथा अनुसन्धान का कार्य अपने हाथ में लिया। इसके पहिले का सारी शिक्षा विभिन्न होलजा के ऊपर निर्भर रही। ऐक्ट ने विश्वविद्यालय के ऊपर सरकारी तथा कालजा के ऊपर विश्वविद्यालयों के अधिकारों को और क्स दिया। लेकिन १८५४ से अपनायी नातियों में इसने कोई मूल परिवर्तन नहीं किया। आधुनिक विकास के विपेचन से पहिले १८८२ के हट्ट कमीशन का भी जिक्र किया जा सकता है। इस कमाशन ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र से सरकारी इस्तेवेष की धरि घोरे कमी और उम क्षेत्र को ग्रन्थ सरकारी तथा गैर-सरकारी सम्पाद्रों ने ऊपर छोड़ देने का राय दी।

आधुनिक विकास— शिक्षा सम्बन्धी नीति पर भारत सरकार द्वारा १८१३ में पास किये प्रस्ताव में एक नया सिद्धान्त प्रचलित किया। उस समय की Affiliating Universities का प्रभाव-क्षेत्र कम करने के लिए इसने प्रत्येक बड़े प्रान्त में एक अन्य विश्वविद्यालय के निर्माण का विभान किया। इन नये विश्वविद्यालयों का निर्माण विद्यार्थियों को पढ़ाने तथा उन्हें रहने का स्थान देने के द्वारा पर हुआ। इस प्रभार एक-एक करके कई विश्वविद्यालयों का बड़ी शौध स्थापना हो गयी। उनाइटेड तथा सैक्युल विश्वविद्यालयों की स्थापना १८१६ से प्रत्या विश्वविद्यालय की १८१७ में, योग्यानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, की १८१८ म, ग्लागड तथा लपुनक विश्वविद्यालयों की १८२८ म, दाका विश्वविद्यालय की १८२१ म, दिल्ली विश्वविद्यालय की १८२२ में, नागपुर विश्वविद्यालय की १८२३ म, आग्रा विश्वविद्यालय का १८२६ में, आगरा विश्वविद्यालय की १८२७ में, अन्नामलाई विश्वविद्यालय का १८२६ म और झावनकोर विश्वविद्यालय की १८३७ में हुई। १८४० के समाप्त

होते होते भारत में १८ विश्वविद्यालय—१५ त्रिभिंश भारत में तथा ३ भारतीय राज्यों में—जन गये। उत्तल, सागर तथा राजस्थाना विश्वविद्यालयों की भी क्रम से १६४३, १६४६ और १६४७ में स्थापना हो गयी। देश के विभाजन से टाका तथा पंजाब विश्वविद्यालय पाकिस्ताने रे अन्तर्गत आ गये। पूर्वी पंजाब के नये प्रान्त की सेवा के लिये पूर्वी पंजाब विश्वविद्यालय की दिसम्बर १६४७ में स्थापना हो गयी। इसके प्रकार भारतीय सध में आज २६ विश्वविद्यालय हैं। इसके अनन्तर पूना में महाराष्ट्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और प्रा० कावेर के महिला विश्वविद्यालय भी भी सरकार तथा दूसरे विश्वविद्यालयों ने स्थाकार कर लिया है। ग्रन्ड के विभान-मङ्डल ने ग्रहमदाचाद म गुजरात विश्वविद्यालय और धारवार में कर्नाटक विश्वविद्यालय विषयक चिल पास कर दिये हैं। हाल ही म गोरखपुर विश्वविद्यालय की भी गणिला माननीय परिषद पन्त जी के करकम्नों द्वारा रखी गई। ग्रन्डी कुछ और विश्वविद्यालय बनने की आशा है। अलीगढ़, इलाहाबाद, अन्नामलाई, चनारख, दिल्ली और लखनऊ जैसे कुछ वर्तमान विश्वविद्यालय एकाकी (Unitary) हैं, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, याप्र और नागपुर जैसे विश्वविद्यालय शिक्षात्मक तथा Affiliating दोनों हैं। गनास तथा अलागढ़ विश्वविद्यालय साम्प्रदायिक है और उनका रूप अस्तिल-भारतीय है। भारत-सरकार इन विश्वविद्यालयों को उदार आधिक सहायता देती है। इन दोनों विश्वविद्यालयों के नामों से हिन्दू तथा मस्लिम शब्दों को हटाने का भी विचार हो रहा है जिससे इनका नामप्रदायिक रूप परिवर्तित हो जाय। मैसूर, द्रावनकोर और हैदराबाद विश्वविद्यालय भी शिक्षात्मक हैं। इस सम्बन्ध में इरिडियन इन्सीट्यूट ग्रॉस साइन्स, नगलोर, का भी चिक जिया जा सकता है। भारत-सरकार द्वारा स्वीकृत न होने पर भा ये सम्भा किया विश्वविद्यालय न सदृश ही कार्य कर रही हैं।

‘युनिटरी’ तथा ‘एफिलिएटिंग’ विश्वविद्यालयों का अन्तर स्पष्ट कर लेना चाहिए। एकाकी विश्वविद्यालय के बीच परीक्षात्मक ही न हो अपितु शिक्षात्मक कार्य भी सम्भादित करता है। यह अपने श्रधापदों की स्वयं नियुक्त करता तथा द्वार पर आये प्रत्येक जिज्ञासु को ज्ञान-दान देता है। इस प्रकार यह ज्ञान की यारीधना का एक केन्द्र है। एक केन्द्र में समिन होने के कारण इसका बाहरी कॉलिजों से कार्ड सम्बन्ध नहीं। १६४३ या उसके बाद स्थापित होने वाले विश्वविद्यालयों में अधिकतर ऐसे हैं जो अपने विद्यार्थियों की छात्रावासों द्वारा रहने की व्यवस्था भी करते हैं। अधिकारियों की चिना अनुमति के विद्यर्थियों का नागरिक घरों में रहने की अनुमति नहीं दी जाती। लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के रहने की भी व्यवस्था करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय अभा ऐसा नहीं करता।

कलकत्ता विश्वविद्यालय का दशा तथा उसके भविष्य के सम्बन्ध में जॉन-पड्टाल के लिए नियुक्त हुए सैडलर कमीशन ने टाका में एक ‘युनिटर’ तथा

Residential विश्वविद्यालय की स्थापना की राय दी। कमीशन का उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की अत्यधिक भीड़ को कम करना था। कमीशन की यह राय अन्य क्लैबों पर भी लागू की गई और अन्य प्रान्तों में शिक्षात्मक विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई। सैइलर कमीशन ने हाइ स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कदाचिं बी० ए० ए० तथा ऐम० ए० की शिक्षा से अलग करने और उनके लिए एक अलग सेक्वेण्डरी तथा इन्टरमीडिएट एज्यूकेशन बोर्ड भी स्थापना की राय दी। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इस राय को कार्यान्वित नहीं किया किन्तु उच्चर-प्रदेश की सरकार ने इसे स्वाकृत कर लिया और हाइ स्कूल तथा इन्टरमीडिएट की शिक्षा के लिए उसने दलाहाबाद में एक बोर्ड भी स्थापित किया। वर्तमान समय में देश में छु: 'हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट ऐज्यूकेशन बोर्ड' है।

भारत-सरकार ने १९१६ के ऐक्ट व १९२१ में लागू होने पर शिक्षा को प्रान्तीय विधान-मण्डल के प्रति उच्चराजी शिक्षा-मन्त्री के जिम्मे एक हस्तान्तरित प्रान्तीय विषय बना दिया गया। इस प्रकार प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-सम्बन्धी नीति तथा शासन को जनता के प्रति उच्चराजी बना दिया गया। ऊपर दिये नये विश्वविद्यालयों के निर्माण तथा प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बना देने के सिद्धान्त को लागू करने के अतिरिक्त शिक्षा-नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नवीं परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत्र केंद्रीय अधिकार में कमी हो गई। १९३५ के ऐक्ट के अनुसार विभिन्न प्रान्तों में काग्रे-समन्वितमण्डलों की स्थापना के पश्चात् कुछ प्रान्तों में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा में प्रारम्भ से उलट फेर करने तथा वेसिक शिक्षा पर जाकिर हुसैन कमेटी के सुझावों के अनुसार उसे ग्रामीण रूप देने का बड़ा प्रयत्न हुआ। किन्तु कोई महत्वपूर्ण परिणाम हाने के पहले ही काग्रे से ने पद खाली कर दिया और अनेक प्रान्तों में जन-प्रिय मरमारों की समाप्ति हो गयी।

बुड डेस्ट्रेच ने अनुसार प्रत्येक बड़े प्रान्त में जन शिक्षा-विभाग की स्थापना हो गयी थी, पर भी भारत सरकार का कोई अपना शिक्षा-विभाग न था। यह कमी १९१० म पूरी की गयी और शिक्षा-विभाग को स्थापना करके उसे गवर्नर-जनरल की कार्य-कारिणी के एक सदस्य के हाथ म कर दिया गया। १९२३ में शिक्षा-विभाग को और विस्तृत करके उसे 'शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भूमि विभाग' नाम दिया गया। १५ अगस्त १९४७ से केन्द्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रधानता में एक अलग शिक्षा-विभाग की स्थापना हो गयी है। वर्तमान समय में भारत-सरकार का एक और शिक्षा अपसर है जिसे ऐज्यूकेशनल एडवाइजर या शिक्षा परामर्शदाता कहते हैं। इस विभाग का सेकेन्डरी भी बही होता है। १९२० में एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई थी जिसका चेयरमैन एक शिक्षाभ्यमिश्नर (अब शिक्षा परामर्शदाता) होता है। १९२३ में यह व्यवस्था तोड़ दी गयी, किन्तु १९३५ में पिर प्रारम्भ हुई।

शिक्षा सम्बन्धी उन्नति— शिक्षा की दृष्टि से हम सकार के सबसे पिछड़े हुए राष्ट्रों में से एक है। निम्नलिखित अॉर्क्डों से, जो इंडियन इंयर बुक भ उद्धृत हैं, सहज होता है कि हमारी शिक्षा सम्बन्धी उन्नति की गति धीमी रही है।

वर्ष	पुरुष-विद्यार्थी	स्त्री विद्यार्थी	योग
१९३३-३४	१०,४१७,८३६	२,७५५,०५७	१३,१७२,८३०
१९३५-३६	१०,८०२,७०६	३,०१३,४४०	१३,८१६,१४६
१९३७-३८	१०,८३६,४४२	३,०१२,२६८	१३,८३१,८६०
१९३८-४०	११,८४७,४६२	३,४२१,६०७	१५,२६६,३६६
१९४१-४२	१२,२६६,३११	३,७२६,८७६	१५,६६३,१८७
१९४५-४६	१२,७६१,८२५	४,०२८,१२६	१६,८१६,८४१

दूसरे शब्दों में, उपरोक्त जारह वर्षों में पुरुष विद्यार्थियों की सख्त्या में २,३७३ है८६ का वृद्धि हुई और स्त्री-विद्यार्थियों का सरया में १,८७३,०७५ की। इस प्रकार, सभी प्रकार की शिक्षण-संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की सख्त्या में ३,६४७,०६९ की वृद्धि हुई। ये सरया एँ बड़ी उत्ताहप्रद प्रतीत हो सकती है किन्तु देश की निरन्तर घटता जन-सख्त्या का ध्यान करने और स्कूल जाने योग्य उम्र के बच्चों में से शिक्षा प्राप्त कर रहे तथा शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे बच्चों की सख्त्या की तुलना करने पर हमारा उत्साह ठड़ा हो जाता है। १९३६ से १९४१ तक पॉच वर्षों में ब्रिटिश भारत की जन-सख्त्या के हिसाब में सरकार द्वारा स्वीकृत शिक्षण संस्थाओं में पुरुष विद्यार्थियों का प्रतिशत ७४५ से बढ़ कर ७७४ हो गया और स्त्री विद्यार्थियों का २८८ से २५१। सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं—सरकार द्वारा स्वीकृत तथा अस्वीकृत—में पुरुष विद्यार्थियों का प्रतिशत ७८८ से घटकर ८०९ हा गया, स्त्री विद्यार्थियों का २८८ से २६१ और पूरी जन सख्त्या के हिसाब से पुरुष तथा स्त्री बन्दूर्धियों का प्रतिशत ५२० से ५४० हो गया। इस गति से तो सारे देश को शिक्षित करने में शतांक्षियाँ लग जायेंगी। यह जानना दिलचस्प होगा कि १९४१-४२ में ब्रिटिश भारत में शिक्षा पर २६,७६५,१८८ दर्ये खर्च हुए जिसमें जनता ने १८,०४,५४,५१२ रुपयों से सहयोग दिया। १९३३-३४ में इस प्रकार की सख्त्याये २६,१७,६५,१८६ तथा १५,३६,३६,४६१ रुपये थीं। १९४५-४६ में यह खर्च ४६,००,३७,१६१ रुपये हो गया। पूरे खर्च का सरकार लगभग ४३ % और भूनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लगभग १५.५ % देते हैं। लगभग २७.५ % फैस से और १३.८ % लोगों के दान से मिलता है। बुद्ध तुलनाओं से चीज स्पष्टतर हो जायगी। भारतीय राजस्व का लगभग ८ % प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय होता है। मेट्रो ब्रिटेन ४ करोड़ की जन-सख्त्या के लिए ८६ करोड़ व्यय करता है, १३ करोड़ की जन-सख्त्या के लिए अमेरिका ३३४७ करोड़। भारत ४० करोड़ की

बन-संरक्षण के लिए लगभग १८ करोड़ व्यव करता है। सेना तथा शासन द्वारा पूरे लगान का ५० % से अधिक बीच लिये जाने के कारण ही यह दुर्गमवश्या है।

सन् १९४७ के अन्त में सूलों और कॉलिजों में शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़कों की सख्ता १०,२८९,२३३, लड़कियों की सख्ता ३,२४७,८०३ थी जो क्रमशः बन-सख्ता की ७७ % और २६ % होती है। इस वर्ष शिक्षा प्राप्त कर रहे लड़के और लड़कियों की समस्त अधिक प्रतिशत कुर्ग, अमेर व मारवाड़ और बम्बई प्रान्त में थी। जब से भारत में गण्डीय सरकार स्थापित हुई है, इसने शिक्षा की आर अत्यधिक ध्यान दिया है और सूल जाने वाले लड़के व लड़कियों की सख्ता में बहुत बृद्धि हुई है।

भारतीय शिक्षा-प्रणाली— अपने देश में पहुँच जाने वाली विभिन्न शिक्षण-संस्थाओं को इम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं : सरकार द्वारा स्वीकृत तथा अस्वीकृत (Recognised and unrecognised) ; विभिन्न विश्वविद्यालय तथा उनसे सुमन्धित कॉलेज, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा स्वीकृत परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने वाले हाई, मिडिल तथा प्राइमरी सूलों को पढ़ाने भाग में खड़ा जा सकता है और गुरुकुलों, पाठशालाओं तथा मस्जिदों से समन्धित मदरसों, बोलपुर बगाल में रवीन्द्रनाथ टाकुर के शान्तिनिरेतनक तथा इस प्रसार की अन्य संस्थाओं को दूसरे भाग में। दूसरे भाग की संस्थाओं की सख्ता काफी अधिक है और वे अपने देश के पॉच लाय राष्ट्रीय-पुरुषों की शिक्षा देती है। लेकिन अब ऐसी संस्थाओं तथा उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सख्ता घट रही है।

अब इम सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थाओं के प्रमुख रूपों तथा गैर-स्वीकृत संस्थाओं का बुद्ध संक्षिप्त वर्णन करेंगे।

(अ) सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थायें— अपने देश की सरकार द्वारा स्वीकृत शिक्षा-प्रणाली के तीन रूप निश्चित किये जा सकते हैं : प्राइमरी, सेकेन्डरी और यूनिवर्सिटी। इनमें से प्रत्येक का अपना अलग सगठन है और प्रत्येक की अपनी-अपनी समस्याएँ।

प्राइमरी शिक्षा— प्राइमरी शिक्षा की सरकार तथा जनता— दोनों ने बहुत काल तक उपेक्षा की है। सरकार ने इसकी उपेक्षा इसलिए की कि उसे अपने दफ्तरों के लिए पर्याप्त कक्षों की आवश्यकता थी ; जान का प्रसार तथा नागरिकों की उत्तरोत्तर मानविक उन्नति इसके उद्देश्य नहीं थे। जनता अन्यमनस्क इसलिए था कि उनके बच्चों का इतना सम्पर्क नहीं था कि खेतों के काम से लूटी पाकर वे पढ़ाइं के काम में लगते। माँ-बाप बच्चों की शिक्षा-सम्बन्धी उन्नति को अधिक महस्त भी नहीं देते थे। उनकी भीषण गरीबी भी इस मार्ग में बाधक बनती। लेकिन १९२१ में लागू किये गए सुधारों के अनुपार शिक्षा के अधिकार मन्त्रियों के हाथ में

* अब यह संस्था स्वीकृत हो गई है।

चले जाने के पश्चात् राज्य से शिक्षा प्रमाण को पहले भी अपेक्षा अधिक सहायता मिलनी शुरू हो गई। उसी समय से जनता के दृष्टिकोण में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। प्रान्तों की काम्रेस-सरकारों ने प्रारम्भिक शिक्षा को बड़ा प्रश्न दिया। लेकिन यह अभी सेवेन्डरी तथा यूनिवर्सिटी-शिक्षा से बहुत पांछे है।

प्राइमरी शिक्षा मुख्यतः स्थानीय संस्थाओं की चीज है— शहरी क्षेत्रों में नगर-पालिकाओं की तथा देहाती क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की। स्कूलों तथा पुस्तकालयों का निर्माण, रक्षा तथा प्रबन्ध उनके प्रमुख कार्यों में से है। उत्तर-प्रदेश में प्रत्येक नगर-पालिका तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक-एक शिक्षा-समिति है जो अपने प्रभाव-क्षेत्र के नागरिकों की प्रारम्भिक शिक्षा की देखभाल करती है। जनशिक्षा-विभाग के अपसर प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। यही विभाग उनके पाठ्यक्रम तथा उनकी पाठ्य-पुस्तकों का निश्चय भी करता है। अपने धनाभाव और लोगों की उपेक्षा तथा गरीबी के कारण इन प्राइमरी स्कूलों की उच्छित गड़ी मन्द गति से हुई है। प्राइमरी स्कूलों की सख्ती में धीरे-धीरे कमी होती गयी है। अनेक प्राइमरी स्कूलों का माफिल स्कूलों में परिवर्तित हो जाना भी इसका कारण हो सकता है।

जनता की उपेक्षा समाप्त करने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना पड़ा। लगभग पिछले ३० वर्षों में अनेक प्रान्तों में प्रारम्भिक-शिक्षा-ऐक्ट पास हुए हैं, जिनके अनुसार स्थानीय संस्थाओं को अपने प्रभाव-क्षेत्रों के भीतर अनिवार्य प्रारम्भिक-शिक्षा चलाने का अधिकार दिया गया है। सबसे पिछले चम्बई ने १९१८ में प्रारम्भिक-शिक्षा-ऐक्ट पास किया। बिहार और उडीसा, पञ्चान, उगाल तथा उत्तर-प्रदेश ने भी १९१६ में ऐसे ऐक्ट बनाये। मध्य-प्रदेश तथा मद्रास ने १९२० में और आसाम ने १९२५ में इन प्रान्तों का अनुकरण किया। अनेक प्रान्तों में इन ऐक्टों के स्थान पर अन्य ऐक्ट भी पास हुए हैं लेकिन उनको रूपरेखा वही है। यदि कोई स्थानीय संस्था अपने प्रभाव-क्षेत्र के किसी भी भाग में प्रारम्भिक शिक्षा प्रचलित करना चाहती है तो उसे इस उद्देश्य से बैठायी गयी समा में दो तिहाई बहुसंख्यकों द्वारा एक प्रस्ताव पास करना चाहिये और अपनी योजना को स्वीकृति के लिए सरकार को देना चाहिये। अनिवार्य शिक्षा के लिए अवस्था-बन्धन (age-limit) छँ और घारह वर्ष है; वैसे, विशेष मामलों में यह अवस्था बढ़ाई जा सकती है। यह नियम लड़के-लड़कियों द्वारा पर लागू हो सकता है। इस नियम के अन्तर्गत सभी यंग आ जाते हैं, परन्तु विशेष वर्गों और जातियों को मुक्त भी किया जा सकता है। बहाँ-बहाँ अनिवार्य शिक्षा है, स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चों को नौकर रखना अवैध है। बच्चों को स्कूल न मेजने के लिए थोड़ा जुर्माना होता है। यह ध्यान में रखना चाहिये कि भारत जैसे गरीब देश में अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क हीनी चाहिये। प्रान्तीय विधान-मण्डलों द्वारा पास किये ऐक्टों में इस तरह की अक्सर एक धारा होती है।

प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए स्थानीय संस्थाओं को सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है चूंकि सरकार ही आवश्यक धन का एक भाग इस कार्य के लिए देती है। व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल कमीन्कमी इस धारा से चरी रखले जाते हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए आवश्यक कानून बना देने से ही स्थिति में कोई विशेष मुद्दार न हुआ। उच्चति की गति मन्द की मन्द ही रही। जिन द्वेत्री में अनिवार्य शिक्षा प्रचलित की गयी उनकी सख्त बड़ी ही कम रही। अनिवार्य शिक्षा की विधि से पजात सबसे आगे बढ़ा हुआ प्राप्त था। १९४० ४१ में अनिवार्य शिक्षा ६६ शहरी तथा २,६०८ देहाती द्वेत्री या कुल मिलाकर १०,५२२ गाँवों में प्रचलित थी। ३६ शहरी तथा ३५७ देहाती द्वेत्री के साथ उत्तर प्रदेश का नम्बर दूसरा था, २४ शहरी तथा ७ देहाती द्वेत्री के साथ मद्रास का तीसरा। मध्य-प्राप्त और बहर में ३३ और ८ और निहार में १६ और १ द्वेत्री थे। इन ऑक्टोबर से यह पता चलता है कि स्थानीय संस्थाओं ने प्रारम्भिक शिक्षा-ऐकट के निर्माण से लाभ उठाने के लिए कोई अधिक उत्साह न दिखाया। उनकी उपेक्षा के कारण प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य कर देने का सम्भावित तथा आशाप्रद परिणाम न हुआ। यह की कमी तथा लोगों का असहयोग भी इस निराशापूर्ण परिणाम के लिए उत्तरदायी है। पूरे विद्युत शासन में जनता की भवित्व का निरक्षरता एक अभिशाप बनी रही।

कुछ प्रान्तों में प्रारम्भिक शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं ने हाथ से हगवर स्थानीय सरकार के हाथ में दे देने की आवाज भी उठाई गयी। मद्रास-सरकार ने १९३५-३६ में प्रारम्भिक शिक्षा ऐकट में प्रारम्भिक शिक्षा पर और अधिक प्रभाव जमाने के उद्देश्य से कुछ परिवर्तन किये। बम्बई सरकार ने भी इसी प्रभाव के कानून बनाये। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा १९३८ में पैठायी गयी प्रारम्भिक और सेनेन्ड्री शिक्षा पुनर्निर्माण-कमेटी ने यह सलाह दी कि प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा को एक कन्द्रीय शक्ति ने हाथ में रखना चाहिये स्थानीय संस्थाओं के हाथ में नहीं।

प्रारम्भिक शिक्षा के दापों के विवेचन से पहले देशी भाषाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कह देना उपयुक्त होगा। यह स्थान में रखना चाहिये कि देशी भाषाओं के अध्ययन का मैकाले कहर विरोधी या और सरमे पहले बुड़े हेसैन ने ही प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम ने लिए उनकी आवश्यकता स्वीकार की। उसी समय से देशी भाषाओं के अध्ययन को भी बराबर स्थान मिलता रहा है। वर्तमान समय में स्थानीय संस्थाएँ ऐसे अनेक वर्णाक्यूलर स्कूल चलाती हैं जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। अब वर्णाक्यूलर और अगरेजी स्कूलों का भेड़ मियकर सभी प्राथमिक पाठशालाओं को समकक्ष बना दिया गया है।

इस प्रणाली के दोष— शिक्षा प्रणाली में देश में प्रचलित प्रारम्भिक तथा धर्माक्यूलर शिक्षा प्रणाली में अनेक दोष थे। इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि गाँवों के वास्तविक जीवन से असम्बद्ध होने के कारण यह लोक-प्रिय न बन सकी। शिक्षा के लिए निश्चित पाठ्य-क्रम बड़ा ही असन्तोषप्रद था, गाँवों की जेती या बड़ों के उद्याग-धन्धों से कोई सम्बन्ध न रखता गया। शिक्षा सम्बन्धी वेवल तीन आवश्यकताओं— लिखना, पढ़ना और घोड़ी गणित जानना— तथा मरणीनवत् रहने पर ही विशेष जार दिया जाता। यह च ज भा थोड़ा बहुत यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा को आशातीत सफलता को नहीं मिला। दूसरे, यह प्रणाली पहले भी बहुत खर्चीली थी और अब भी है। प्राइमरी स्कूलों म जाने वाले विद्यार्थियों की सख्ता से सिफ्टिंग का वास्तविक पता नहीं चलता। प्राइमरी स्कूलों म जाने वाले सभी विद्यार्थी पूरा कोर्स नहीं पूरा कर पाते। यह अनुमान लगाया गया है कि ८५ % बच्चे प्राइमरी स्कूल से जिन पास हुए ही पढ़ाई छाड़ जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि थाउं दिनों बाद वे फिर ज्यों न त्यों बन जाते हैं। साइमन कमीशन को शिक्षा सम्बन्धी पटल पर परामर्श देने के लिए पैठाया गयी हारटोग कमेटी ने १९२६ म यह रिपोर्ट दी थी कि ग्राम-स्कूलों पर दिया गया परिश्रम अकारथ था। ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पर खर्च हुए समय, शक्ति, धन तथा प्राप्त परिणामों के बीच कोई अनुगत न था। ऊछ फट लिपि सम्ने योग्य बनने के लिए अधिकाश बच्चे स्कूलों म अधिक समय तक न रहते।

वगाल के प्राइमरी स्कूलों म प्रत्येक कक्षा म बच्चों का हुई भर्ती की नींवें दी हुई सरषाओं से यह स्पष्ट हो जायगा कि प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय किया धन कितना अकारथ है —

छोटे बच्चों की कक्षा पहला कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा चौथी कक्षा

२० ६५ ४५ २० १५

श्री नै० जी० सैयदैन ने इन सख्ताओं के वास्तविक महत्व को निम्नलिखित शब्दों म व्यक्त किया है —

‘इसका ग्रन्थ यह है कि कक्षा चार तक में वेवल ७ प्रतिशत बच्चे जा सके और शेष बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया। शिक्षा मरान सौ घोड़ों की शक्ति वाले एक ऐसे इंजिन के सदृश है जो ७ प्रतिशत कुशलता से कार्य करता है। इस प्रकार शिक्षा-सम्बन्धी खर्च लाभहीन, शिक्षा-सम्बन्धी प्रयत्न प्रभावहीन और स्कूल निधयोजन बन जाते हैं।’*

अन्त में, शिक्षकों को पहले मी बहुत कम बेतन मिलता था और अब भी बहुत कम मिलता है। वास्तविक रूप से योग्य व्यक्ति इस पेशे की ओर नहीं अकर्तित

* ऑफिसफोर्ड पैम्पलेट्स न० १५, दी एज्युकेशनल सिस्टम्स, पृष्ठ ११।

होते हैं। जब तक अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होती, परिणाम निगशापूर्ण ही होते रहेंगे।

प्रारम्भिक शिक्षा ने मार्ग में सबसे पड़ी अद्वचन है देश की विशाल जन सम्या। ३० करोड़ लोगों की जन-सम्या बाले देश के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था रिपलबाड़ नहा है। अभी हम लोग समस्या का एक अरा भी हल कर सकने में समर्थ नहीं हो सते हैं, स्कूल जाने की उम्र गले नेपल १४ प्रतिशत लड़के लड़ियाँ को शिक्षा ढी जा रही हैं। इसे अनिवार्य तथा सार्वजनीन बनाने में लगनेवाला सचें एक दूसरी पड़ी यद्वचन है। प्रारम्भिक शिक्षा का सारे गाप्रू के लिए अनिवार्य बनाने में लगभग तीस करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होंगे, जहाँ वर्तमान समय में हम नारों ग्रोर से इस पर १८ करोड़ से अधिक खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यह बाकी खर्च कहाँ ने आयेगा? जहाँ तक शिक्षा को आत्मानर्भ बनाने का समर्थ है, वेवल महात्मा जी की योजना ही एक व्यावहारिक योजना है। उनसे शिक्षा-योजना का निर्माण ही नए आधार पर हुआ है। इसी अन्य में दूसरी जगह हम उसका विवेचन करेंगे।

सेक्युन्डरी या माध्यमिक शिक्षा— प्रारम्भिक शिक्षा ने बाद माध्यमिक शिक्षा आती है। यह शिक्षा सभी प्रान्तों में एक-सी नहीं है। प्रमुख अन्तर इण्टरमीजियेट कक्षाओं से नियति में है। उत्तर-प्रदेश जैसे प्रान्तों में, जहाँ सैडलर कमीशन द्वे मुझावाँ को कार्यान्वित किया गया, इण्टरमीजिएट कक्षाओं की शिक्षा को विश्वविद्यालय से अचल कर दिया गया और उसे हाई स्कूल के साथ मिलाकर हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीजियेट नामक एक नई दकाई का निर्माण कर दिया गया। ऐसे प्रान्तों में माध्यमिक शिक्षा दो भागों— मिडिल स्कूल और हाई स्कूल तथा इण्टरमीजिएट— में प्रैट जाती है। अन्य प्रान्तों में इसमें वेवल मिडिल स्कूल तथा हाई स्कूल तक की शिक्षा सम्मालत रहती है, इण्टरमीजिएट की शिक्षा विश्व विद्यालय की शिक्षा का अङ्ग बन जाती है। दिल्ली प्रान्त में अभी हाल ही में एक नयी योजना कार्यान्वित की गई है। इण्टरमीजिएट कक्षाएँ, जिसमें दो वर्ष लगते थे, तोहँ दो गयी हैं। एक वर्ष डिग्री कोर्स में बोड दिया गया है और दूसरा हाई स्कूल में। यीँ १० कोर्स इस प्रकार तीन वर्षों का हो जाता है और वही स्थिति हाई स्कूल पर भी लागू होती है। अब इसे हायर सेक्युन्डरी कोर्स कहा जाने लगा है। बुद्ध प्रान्तों में हाई स्कूल परीक्षा का मैट्रिकुलेशन कहते हैं और बुद्ध में स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट पराक्षा। यह परीक्षा पश्चिमी बगाल, पूर्वी पञ्जाब तथा अन्य प्रान्तों में विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत है और उत्तर-प्रदेश में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीजिएट एजुकेशन के।

नागरिकों की माध्यमिक शिक्षा में लगी सस्थाएँ दो प्रकार की हैं। कुछ सस्थाएँ पूर्ण रूप में सरकार पर निर्भर हैं। दूसरे सूला तथा कॉलिजों के सामने उदाहरण रखने के लिए साधारणता प्रत्येक जिले के हेड-क्रांटर पर एक गवर्नर्मेंट हाई स्कूल है और सभी प्रमुख स्टेशनों पर एक इंस्ट्रमेंजिएट कॉलिज। इन सम्याचों का पूरा खर्च सरकार उठाती है। दूसरे प्रकार की सस्थायां में अधिकतर गैर-सरकारी हाई स्कूल और इंस्ट्रमेंजिएट कॉलिज हैं। इन सम्याचों की आर्थिक सहायता के रूप में सरकार इन्हें आनंद देती है और अपने इस्पेक्टरों तथा स्वीकृति समिलित आदि करने के नियम द्वारा इन पर अपना प्रभाव भी रखती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हमारे प्रान्त में बाई औफ हाई स्कूल एड इंस्ट्रमेंजिएट एजुकेशन है। अबेजी के, जो अनिवार्य है, अतिरिक्त मैथेमेटिक्स, माइस, क्लासिकल भाषाएँ, इतिहास और भूगोल, झाडग तथा अन्य विषय पढ़ाये जाते हैं। कुछ कक्षाओं में ग्रन्त अग्रेजी अनिवार्य नहीं रही। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे सभी लड़के-लड़कियों की सख्ता लगभग दो तीन वर्ष पूर्व त्रिस लाख थी।

अपने देश की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष यह रहा है कि यह मटैव विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं से प्रभावित रही है। पाठ्य क्रम तथा परीक्षाओं का स्तर विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में भेजने और वहाँ की परीक्षाएँ पास करने के विचार से ही निश्चित किया जाता है। हमारे हाई स्कूल और इंस्ट्रमेंजिएट कॉलिज इस प्रकार केवल विश्वविद्यालयों में भेजे जाने याय विद्यार्थी तैयार करते हैं। विद्यार्थियों के रूपरेव की लाँच और उसने विकास के लिए वे बहुत कम प्रयत्न करते हैं। उनमें दी गई शिक्षा का भी हमारे वातावरण तथा हमारी सामाजिक आवश्यकताओं से बहुत कम सम्बन्ध रहता है। विद्यार्थियों को कुछ दस्तकारी का काम भी उत्तराना चाहिये बससे थे अपनी जीविका उत्पन्न करने के साथ-साथ शारीरिक श्रम का भी आदर करना सीखें। हाई स्कूलों तथा इंस्ट्रमेंजिएट कॉलिजों से निकले विद्यार्थियों को शारीरिक श्रम से एक प्रकार की शूणा सी ही जाती है जिससे वे कल्की छोड़ अन्य किसी कार्य के उपयुक्त नहीं रहते। नये प्रकार के सेकेन्टरी स्कूलों में इस दायर को कुछ सामा तक दूर करने का प्रयत्न हो रहा है।

विश्वविद्यालय-शिक्षा— हमारी शिक्षा-प्रणाली के सबसे ऊँचे सिरे पर विश्वविद्यालय है जिनकी सख्ता अब छब्बास है। १९४१-४२ में इन विश्वविद्यालयों के पास ७६ अपने कॉलिज तथा ३४३ समन्वित कॉलिज थे और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सख्ता १७ लाख से कुछ ही कम थी। पिछले आठ वर्षों में विश्वविद्यालयों से समन्वित कॉलिजों की सख्ता में पर्याप्त बुद्धि हुई है। केवल उत्तर-प्रदेश में आगरा विश्वविद्यालय से समन्वित कॉलिजों की संख्या में १९४५ में २४ तथा १९४८ में ३३ से बढ़कर ५० से ऊपर हो गयी है। पिर भी, जहाँ तक

प्रश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय है, हमारा देश सबसे पिछड़े देशों में से एक है, हालोंकि हमारे देश में प्रत्येक चार विद्यार्थियों में से एक लड़का विश्वविद्यालय में जाता है और पश्चिम में सात में से एक। भारत में लगभग २२५६ की जन-सख्त्या के पांछे एक प्रश्वविद्यालय-विद्यार्थी है; ग्रेट विटेन में ८३७ के पांछे एक, युद्ध पूर्व जमीनी में ६६० के पांछे एक, रूस में ३०० के पांछे एक और सयुक्त राष्ट्र अमेरिका में २२५ व्यक्तियों के पांछे एक। पिछले चार वर्षों में इन आर्कडो में परिवर्तन हुआ है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सभी विश्वविद्यालय एक ही प्रकार के नहीं हैं। आगरा विश्वविद्यालय की तरह कुछ केवल परीक्षात्मक स्थाप्त हैं, वे न्यय शिक्षा नहीं देते किन्तु अपने से सम्बन्धित कॉलेजों के विद्यार्थियों की परीक्षा लेते हैं। कुछ विश्वविद्यालय शिक्षात्मक भी हैं और सम्बन्धात्मक (Affiliating) भी। वे अपने से सम्बन्धित कॉलेजों ने पाठ्य-नम का निश्चय करते, परीक्षाएँ लेते और उपाधियाँ प्रदान करते और ग्रेजुएशन के पश्चात् शिक्षण तथा अनुसधान-वाय की व्यवस्था भी करते हैं। केवल कुछ विश्वविद्यालय ही एकाका तथा शिक्षात्मक हैं। ये सभी विश्वविद्यालय स्वशासी सत्याएँ हैं। जिस विधि द्वारा उनकी स्थापना हुई उसकी परिधि में रहकर हर एक प्रश्वविद्यालय को पाठ्य नम तथा शिक्षा समन्वयी समर्थन और स्तर के निश्चय का पूरा अधिकार है। सरकार उन्हें अधिक महायता अवश्य देती है किन्तु उनके आन्तरिक शासन में हस्तचेप नहीं बरती। परन्तु यह हर विश्वविद्यालय का सिनेट या कोर्ट म जो कि इसकी सबसे बड़ा देसभाल बरने वाली सत्या है, कुछ सदस्य मनोनीत करती है। प्रान्तका गवर्नर ही उस प्रान्त में स्थितविश्वविद्यालय का ऊलपति (Cahancellof) हाता है। बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालयों को अपने चान्सलरों को स्वयं चुनने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश का गवर्नर इन दोनों विश्वविद्यालयों का 'विजर' है।

भारतीय विश्वविद्यालय अनेक विषयों की शिक्षा देते हैं। ये विषय ग्रांट्स, साइन्स, कॉमर्स, एग्रिकल्चर, एजुकेशन एंजीनियरिंग, मर्डिसिन, लॉ, अरियन्टल जनिङ्स, टेक्नोलॉजी, घिरोलॉजी और फारेस्टी फैक्लिटियों में विस्तृत हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय नीं फैक्लिटियों में डिप्रियों देता है, बनारस भी नीं में और बम्बई थाट में, पर भी, वे घिल्कुल एक ही प्रकार के नहीं हैं। आगरा विश्वविद्यालय में १६४०-४१ म ग्रांट्स, साइन्स, लॉ कॉमर्स और एग्रिकल्चर—ये पाँच हाँ फैक्लिटियों थीं जिनमें मोडसिन, और एजुकेशन फैक्लिटियों अभी हाल ही में जाहीं गयी हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि सभी विश्वविद्यालयों की स्थापना विटेश सरकार द्वारा के शासन य सहायता देने वाले अप्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों के निर्माण के उद्देश्य से हुई थी—वे सरकारी दफ्तरों में खप सकने वाले ग्रेजुएटों की सख्त्या से कही अधिक ग्रेजुएट हर ग्रां उत्तम कर रहे हैं और इस प्रकार

पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की बेकारी एक भीषण समस्या बन गयी है— पिर भी, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शिक्षा का अब भी प्रमुख उद्देश्य भौतिक उन्नति है। मध्यम वर्ग के नवजावान विश्वविद्यालय में जीवन के संघर्ष में सफल होने के उद्देश्य से नाम लिपाते हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा अब भी अच्छी नौकरी दिलाने वाली समझी जाता है। भौतिक जीवन की साधना ही आज ज्ञान की आराधना का प्रमुख उद्देश्य है। सांस्कृतिक मूल्यों के लिए विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों की सख्त्या बहुत बड़ी है।

भारत में विश्वविद्यालय— शिक्षा को एक दूसरी विशेषता भी ध्यान देने योग्य है। एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग लेने या हाई-स्कूल शिक्षा की समाप्ति के तुरन्त बाद किसी पेशे में लग जाने के बदले भारतीय नवजावान किसी विश्वविद्यालय में किसी नौकरी के लिए तैयार होने के उद्देश्य से नाम लिपाता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे विद्यार्थियों की एक बड़ी सख्त्या को विश्वविद्यालयों में जगह मिल जाती है जिनका बौद्धिक स्तर वहाँ की शिक्षा के उपयुक्त नहीं होता। इण्टरमीजिएट शिक्षा को विश्वविद्यालयों से ग्रलग करने का उद्देश्य यही था कि माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद ऐसे विद्यार्थी अपने लिए उपयुक्त पेशे या नौकरी की तलाश कर ले। दिल्ली प्रान्त की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन का भी यही उद्देश्य है और यह व्यवस्था अन्य प्रान्तों तक भी विकसित की जा सकती है। इस व्यवस्था के अनुसार इण्टरमीजिएट बच्चों ताह दी गयी है और हाई स्कूल का समय एक वर्ष और बढ़ा दिया गया है। वर्तमान समय में ऊँची सरकारी नौकरियों तथा कानून, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग जैसे बौद्धिक पेशी के लिए विश्वविद्यालय येजेन्ट ही लिये जा रहे हैं। यहाँ यह कह देना भी उपयुक्त है कि खर्चोंली होने के कारण विश्वविद्यालयों की शिक्षा बहुत से प्रतिभावान नेतृयुद्धों की पहुँच के बाहर है। शिक्षा की इस प्रणाली में परीक्षा का भूत हरदम सिर पर सवार रहता है।

यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि माध्यमिक शिक्षा की माँति विश्वविद्यालय। शिक्षा भी देश की आर्थिक तथा व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। यह शिक्षा अधिक तर साहित्यक होती है, पेशें-सम्बन्धी नहीं। विश्वविद्यालय-येजेन्टों के आज बेकार मारे-मारे फिरने का एक यह भी कारण है। यह अनुमान लगाया गया है कि १०० येजेन्टों में २० बेकार रहते हैं और वेबल ३० को ऐसे कार्य मिलते हैं जिनका उनकी योग्यताओं और उनकी शिक्षा पर व्यवहार किये समय सथा धन से ठीक सामज्ज्ञस्य बेटता है। यह अच्छा होता यदि विश्वविद्यालय पेशे सम्बन्धी और नक्निकल शिक्षा पर अधिक ध्यान देते।

अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड (Inter-University Board)— अपने देश के २६ विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक अपनी अपनी व्यवस्था में स्वतन्त्र है। १९२५

के पहले उनके कायों को एक दूसरे से सम्बन्धित करने वाला कोई और संगठन न था। इसी वर्ष अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना इस उद्देश्य से हुई। उसके कार्य निम्नलिखित हैं—

- (i) एक अन्तर-विश्वविद्यालय संगठन तथा सूचना के एक अूरो (Bureau) के रूप में कार्य करना।
- (ii) प्रोफेसरों की अटला-ब्रदली में सदायता पहुँचाना।
- (iii) विश्वविद्यालयों के पारस्परिक समर्क का मायम बनाना और उनके कायों को एक दूसरे से सम्बन्धित करना।
- (iv) उच्च शिक्षा पर विद्यित साम्राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने वे लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना या नियुक्ति के सम्बन्ध में सलाह देना।
- (v) भारतीय विश्वविद्यालयों में हाने वाली नियुक्तियाँ के लिए एक अूरो के रूप में कार्य करना।

इस बोर्ड की सलाहा वैटक विभिन्न विश्वविद्यालयों में हुआ करती है जहाँ विश्वविद्यालय-शिक्षा तथा अन्य विषयों पर विचार-विमर्श होता है। उदाहरण के लिए, कुछ वयों पहले भर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सभापतित्व में हैदराबाद में हुई वैटक में सौबैन्ट-सीम नाम से जाने वाली युद्धोत्तर-शिक्षा विकास-योजना पर विचार-विमर्श हुआ। इसने योजना के सम्बन्ध में सरकार को अपनी रायें दीं। इस वैटक ने पौंच वर्ष की उम्र वाले प्रत्येक लड़के या लड़की के लिए आठ वर्षों तक अनिवार्य शिक्षा की सलाह दी और इया कोर्स को कम से कम तीन वर्षों का निश्चित किया।

शिक्षा-प्रणाली के दोप— मारतीय शिक्षा-प्रणाली के प्रचलित करने के रूपों और उसे विभाजित करने वाली सीधियों का विवेचन करते समय उसके अधिकाश दोपों का वर्णन हो चुका है; परं माँ, यह विषय दत्तना महत्वपूर्ण है कि उस पर अलग विमर्श आवश्यक है—ऐसा करने में चाहे थोड़ी पुनरावृत्ति ही क्यों न हो। वर्धा-शिक्षा-योजना की पूरी प्रशसा तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके द्वारा हाथ जाने वाले दोपों का पूर्ण ज्ञान न हो जाय।

इसमा एक सबसे बड़ा दोप यह है कि इसका विकास लोगों की प्रवृत्ति एवं आवश्यकताओं के प्रतिकूल हुआ है। इसी प्रणाली के जन्मदाता मैक्स्ले ने पाठ्य-विषयों के निर्धारण और उन विषयों की शिक्षा देने वाली व्यवस्था (Machinery) का निश्चय करते समय भारतीय मस्तिष्क और उससे जन्म पाने वाली सम्भता पर कोई ध्यान न दिया; पाठ्य-क्रम से भारतीय साहित्य एवं दर्शन को अलग रखने और

भारतीय मस्तिष्क के विकास को केवल अंग्रेजी तथा श्रद्धारेजियत के आधार पर ले चलने के उसके निश्चय ने बड़ी हानि पहुँचायी। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भारतीय मस्तिष्क के लिए शिक्षा असत्य एवं असन्तोषप्रद बन गयी। भारतीय जीवन के लिए यह इस अर्थ में अनुपयुक्त है कि जीवन की जटिल एवं व्यावहारिक समस्याओं के हल में यह लोगों की कोई सहायता नहीं करती। किसी भारतीय किसान का कोई लड़का भारतीय खेती, भारतीय पेड़ पौधों, भूमि तथा झूतुओं के समन्ध में बिना कोई ज्ञान प्राप्त किये बी० ए०, एम० ए० की उपाधियाँ ले सकता है। किसी भारतीय विश्वविद्यालय का एक ग्रेजुएट शेवमपियर, मिल्टन, मिल तथा स्पेन्सर के विषय में कालिदास, तुलसीदास या रामानुज तथा शुक्रर्चार्य की अपेक्षा अधिक जानता है।

राष्ट्रीय जीवन के प्रमुख केन्द्र से भी इस शिक्षा-प्रणाली का कोई समर्क नहीं है। वास्तविक भारत जहाँ बसता है उन गाँवों का छाइ कर इसने उन्हें नष्ट करने तथा चूसने वाले शहरों पर अपना ध्यान देन्द्रित किया है। भारत बो आज ग्राम्य-शिक्षा द्वारा गाँवों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

इसका दूसरा बड़ा दोप यह है कि इसने थोड़े से पढ़ें-लिखे लोगों तथा गाँवों के अधिकाश निरक्षर व्यक्तियों के बीच बहुत बड़ा अन्तर उत्पन्न कर दिया है। सूट-बूट से लैस और शारीरिक श्रम के प्रति धृणा से भरा हुआ नवजान ग्रामीण वागवरण में उद्दिष्ट हो उठता है। मैकाले का यह स्वप्न कि उसकी योजना से रक्त तथा वर्षा से भारतीय किन्तु रुचि, व्यवहार तथा नैतिक दृष्टि से अद्वेजों का निर्माण होगा, बहुत अरणों में सन्य हुआ।

इसका तीसरा बड़ा दोप इसके अर्थात् साहित्यिक तथा अपर्याप्त रूप से पेशा-सम्बन्धी होने में है। यह पर्याप्त रूप से व्यावहारिक नहीं है। पाठ्य-क्रम इतना सधीर होता है यह किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरियों और कानून तथा डॉक्टरी जैसे कुछ चौदिक पेशा को होकर अन्य किसी इमानदार पेशे या कला-कौशल के योग्य नहीं बनाता। चौदिक पेशों में जगह न रहने तथा यूनिवर्सिटियों द्वारा प्रतिवर्ध उत्पन्न किये ग्रेजुएटों के उपयुक्त पर्याप्त काम न होने के कारण पढ़े लिखे बेकार लोगों की समस्या विप्रमतर होती जा गही है।

शिक्षा प्रणाली का चौथा बड़ा दोप यह है कि इसमें केवल विश्वविद्यालय-शिक्षा की आवश्यकताओं को ही प्रधानता दी जाती है। प्राइमरी स्कूल विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार भरते हैं और हाई स्कूल लड़कों को इसी तरह विश्वविद्यालय-शिक्षा के लिये। यह कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जिसमें प्रत्येक स्तर का अपना अलग महत्व हो। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी शिक्षा के लिये मध्यम वर्गों द्वारा मन्चार्या गयी चिल्लाइट से प्रभावित होनी है जो उन्हें अच्छी नौकरियों

दिलवा सके और लोगों में उनके प्रति आदर का भाव उत्पन्न कर सके। जनता के प्रारम्भिक शिक्षा के अधिकारों पर सम्बन्धित नहीं दिया गया। इसका यह परिणाम हुआ कि अप्रेजों के लगभग दो सौ वर्षों के शासन में देश की बहुत बड़ी जन-सख्त्या निरचर रही।

पॉचर्डे, इस व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि इण्टरमीजियेट तथा विश्वविद्यालय कदाचिं में शिक्षा का माध्यम अङ्गरेजी है। पाठ्य पुस्तकों अङ्गरेजों में लिखी रहती हैं, कहाँग्रों में लेकचर भी अङ्गरेजी में होता है और प्रश्न-पत्रों का उत्तर भी विद्यार्थियों को अङ्गरेजी में ही लिखना पड़ता है। अब यह ब्रात धीरे-धीरे कम हो रही है। इस भाषा के सम्बन्धित के लिये विद्यार्थियों के मत्तिष्ठ पर अत्यधिक जार पड़ता है और इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह भी अक्सर पूर्ण नहीं होता। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना बहुत हानिकर है— यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि चर्तमान भारत द्वारा मनुष्य के वैज्ञानिक, साहित्यिक तथा दार्शनिक ज्ञान में दिया हुआ योग उससे बहुत छोटे राष्ट्रों द्वारा दिये योग से भी बहुत कम है। अप्रेजों भाषा पर अत्यधिक जोर देने के कारण देशी भाषाओं की उपेक्षा हुई और देशी भाषाओं की उपेक्षा से प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार नहीं बुरा प्रभाव पड़ा। इस तर्क से कि अप्रेजी सारे सासार की भाषा है और पश्चिम के साथ सम्बन्ध बनाये रखने तथा वहाँ के विज्ञान, औपचारिक आदि के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्त्तियों को अप्रेजी जानना आवश्यक है, एक शताब्दि से भी पहले मैकाले द्वारा अपनायी नीति के दोष कम नहीं हो जाते।

इसके अतिरिक्त यह कहा जा सकता है कि इस प्रणाली में शिक्षा पर जो धन व शक्ति खर्च होती है उससे देश और जाति को पूरा लाभ नहीं पहुँचता। और परीक्षाओं को इसमें इतना प्रमुख स्थान दिया जाता है कि अन्य सभी विचार परीक्षा पास करने के अन्तर्गत रख दिये जाते हैं।

अन्त में कुछ ऐसे लोग भी हैं— और उनकी सख्त्य कम नहीं है— जो इस प्रथा की इसका धर्म-सम्बन्धी उपेक्षा के कारण आलोचना करते हैं। भारतीयों के जीवन में धर्म का नहीं महत्व है, इसलिए यह प्रणाली उनकी माध्यनाओं के अनुकूल न पड़ने के कारण उनके लिए एकदम विदेशी है। बृद्धों के प्रति नवजागरणों में आदर की कमी, शास्त्रिय ज्ञान का प्राप्तजिक हृत्यों के सार्वसैष्प्र त्रिस्त्रकर ज्ञानों के नैतिक पतन का उत्तरदायित्व भी इसी प्रणाली पर रखा जाता है। इसाई मिशनों तथा कुछ साम्राज्यिक या वर्गगत सम्प्राप्ति को छाप वर अधिकतर सूलों तथा कॉलिजों में दो गई शिक्षा धर्म से सम्बन्धित नहीं रहती। पुराने श्रन्धविश्वासों तथा श्रुटिपूर्ण धारणाओं को उखाड़ पैकरने में अप्रेजी शिक्षा ने रहायता अवश्य दी है। अपने देश में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिन्हे परम्परागत विश्वासों के पतन

भारतीय मस्तिष्क के विकास को बेबल अग्रेजी तथा अङ्गरेजियत के आधार पर से चलने के उसरे निश्चय ने बही हानि पहुँचायी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारतीय मस्तिष्क के लिए शिक्षा असत्य एवं असन्तोषप्रद बन गयी। भारतीय जीवन के लिए यह इस अर्थ में अनुभयक है कि जीवन की अग्नि एवं व्यावहारिक समस्याओं के हल में यह लागों की कोई सहायता नहीं करती। किसी भारतीय किसान का कोई लड़का भारतीय खेती, भारतीय पेड़ पौधों, भूमि तथा मृतुओं के सम्बन्ध में जिन कोई शान प्राप्त किये जी० ए०, एम० ए० का उपाध्यायौं ले सकता है। किसी भारतीय विश्वविद्यालय का एक ग्रेजुएट शोकसप्तिर, मिल्टन, मिल तथा स्पेन्सर के विषय में कालिदास, तुलसीदास या रामानुज तथा शक्तराचार्य की अपेक्षा अधिक जानता है।

राष्ट्रीय जीवन के प्रमुख बन्द्र से भी इस शक्ता-प्रणाली का कोई सम्पर्क नहीं है। वास्तविक भारत जहाँ बसता है उन गाँवों का छाड़ कर इसने उन्हें नष्ट करने तथा चूसने वाले शहरों पर अपना ध्यान बेन्द्रित किया है। भारत को आज ग्राम्य शिक्षा द्वारा गाँवों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

इसका दूसरा बड़ा दोष यह है कि इसने घोड़े से पढ़े लिखे लागों तथा गाँवों के अधिकाश निरक्षर व्यक्तियों ने जीव बहुत बड़ा अन्तर उत्पन्न कर दिया है। सूट-बूट से लैस और शारीरक श्रम के प्रति धृणा से भय हुआ नवजनान ग्रामीण वातावरण में उद्दिग्न हो उठता है। मैकाले का भय स्वप्न कि उसकी योजना से रक्त तथा बर्ण से भारताय बित्तु रुचि, व्यवहार तथा नैतिक दृष्टि से अग्रेजों का निर्माण होगा, बहुत शर्शों में सत्य हुआ।

इसका तीसरा बड़ा दोष इसक ग्रन्तिक साहित्यिक तथा अपर्याप्त रूप से पेशा सम्बन्धी होने में है। यह पर्याप्त रूप से व्यावहारिक नहीं है। पाट्य-क्रम इतना सकीर्ष होता है यह किसी व्यक्ति को सरकारा नौकरियों और कानून तथा डॉक्टरी डैसे कुछ वौद्धिक पेशों का छोड़ अन्य किसी ईमानदार पेशे या कला कौशल में योग्य नहीं बनाता। वौद्धिक पेशों में जगह न रहने तथा शूनिवर्सिटियों द्वारा प्रतिवर्ष उत्पन्न किये ग्रेजुएटों के उपयुक्त पर्याप्त काम न होने के कारण पढ़े लिखे बेकार लोगों की समस्या विप्रस्तर होनी जा रही है।

शक्ता प्रणाली का चौथा बड़ा दोष यह है कि इसमें बेबल विश्वविद्यालय शिक्षा का आवश्यकतात्री का ही प्रधानता दी जाती है। प्राइमरी स्कूल विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार करते हैं और हाई स्कूल लड़कों को इसी तरह विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये। यह कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जिसमें प्रत्येक स्तर का अपना अलग महत्व हो। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी शिक्षा के लिये मध्यम वर्गों द्वारा मचाया गयी चिल्लाहर से प्रभावित होती है जो उन्हें अच्छी नौकरियों

दिलवा सके और लोगों में उनके प्रति आदर का भाव उत्पन्न कर सके। जनता के प्रारम्भिक शिक्षा के अधिकारों पर सम्पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया। इसका यह परिणाम हुआ कि अब्बेजों के लगभग दो सौ वर्षों के शासन में देश की बहुत बड़ी जन-सख्ती निरक्षर रही।

पॉचवे. इस व्यवस्था में एक बहुत चड़ी कमी यह है कि इण्टरमीजियेट तथा विश्वविद्यालय-कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम अङ्गरेजी है। पाठ्य पुस्तकें अङ्गरेजी में लिखी रहती हैं, कक्षाओं में लेक्चर भी अङ्गरेजी में होता है और प्रश्न-पत्रों का उत्तर भी विद्यार्थियों को अङ्गरेजी में ही लिखना पड़ता है। अब यह बात धीरे-धीरे कम हो रही है। इस भाषा के सम्पूर्ण ज्ञान के लिये विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर अत्यधिक जार पड़ता है और इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह भी अक्सर पूर्ण नहीं होता। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना बहुत हानिकर है— यह इस रथ्य से सिद्ध होता है कि वर्तमान भारत द्वारा मनुष्य के वैज्ञानिक, साहित्यिक तथा धार्शनिक ज्ञान में दिया हुआ योग उससे बहुत छोटे राष्ट्रों द्वारा दिये योग से भी बहुत कम है। अब्बेजों भाषा पर अत्यधिक जोर देने के कारण देशी भाषाओं की उपेक्षा हुई और देशी भाषाओं की उपेक्षा से ग्रामियक शिक्षा के प्रसार पड़ा दुरा प्रमाव पड़ा। इस तर्क से कि अब्बेजी सारे सासार की भाषा है और पश्चिम के साथ समर्पक बनाये रखने तथा वहाँ के विज्ञान, औपर्युक्त आदि के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारतीयों को अब्बेजी जानना आवश्यक है, एक शताब्दा से भी पहले मैक्स्ले द्वारा अपनायी नीति के टोप कम नहीं हो जाते।

इसके अतिरिक्त यह कहा जा सकता है कि इस प्रणाली में शिक्षा पर जो धन व शक्ति उच्च होता है उससे देश और जाति का पूरा लाभ नहीं पहुँचता। और परीक्षाओं को इसमें इतना प्रमुख स्थान दिया जाता है कि अन्य सभी विचार परीक्षा पास करने के अन्तर्गत रख दिये जाते हैं।

अन्त मुक्त ऐसे लोग भी हैं— और उनकी सख्ती कम नहीं है— जो इस प्रथा की इसका धर्म सम्बन्धी उपेक्षा के कारण आलाचना करते हैं। भारतीयों के जीवन में धर्म का बड़ा महत्व है, इसलिए यह प्रणाली उनकी भावनाओं के अनुकूल न पड़ने के कारण उनके लिए एकदम विदेशी है। वृद्धों के प्रति नवजावानों में आदर की कमी, धार्मिक तथा सामाजिक कृत्यों के सार्वभौम तिरस्कार तथा लोगों के नैतिक पतन का उत्तरदायित्व भी इसी प्रणाली पर रखता जाता है। ईसाई मिशनों तथा कुछ साम्राज्यिक या वर्गेगत सम्प्रत्याओं को छाड़ कर अधिकतर सूलों तथा कॉलजों में टा गई शिक्षा धर्म से सम्बन्धित नहीं रहती। पुराने अन्य विश्वासों तथा अन्यूर्ध्व धारणाओं का उत्पाद फेंकने में अब्बेजी शिक्षा ने सहायता अवश्य दी है। अपने देश में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिन्हें परम्परागत विश्वासों के पतन

से कोई दुःख न होता हो। लेकिन परिवर्तन का उत्तरदायित्व स्कूलों तथा कॉलिजों में दो गई शिक्षा पर ही नहीं होती आज भी अपना काम बराबर करते रहे हैं। आज नारों और हर चीज के प्रति आलोचनात्मक तथा तकनीकी विश्वासीण का प्रसार है। चीजों के पुराने मूलयों में परिवर्तन होता जा रहा है और परम्परागत विश्वासों के ब्यान पर नई मान्यताओं को स्थान मिलता जा रहा है। कटूरता के दुर्ग पर चारों ओर से आकर्षण हो रहा है और वह अब टूट रहा है। पश्चिमी शिक्षा ने परिवर्तन की गति तीव्रतर कर दी है; हमें इस पर आँखें नहीं बहाना चाहिये।

शासकों ने यदि पाश्चात्य विज्ञानों के अध्ययन को क्लासिकल साहित्य तथा आचार-शास्त्र के अध्ययन के साथ मिला दिया होता तो लोगों की आज धर्म के प्रति अधिकार न रहती। इस अवस्था से आवश्यक धार्मिक शिक्षा की परीक्षा रूप से रहा होती। लोगों द्वारा अपनाये गये धर्म के विभिन्न रूपों के कारण धर्म की प्रत्यक्ष शिक्षा सदैव सरल नहीं है। सरकार द्वारा धार्मिक अन्यमनस्तता की बहुत पहले अपनाई नीति से यह कार्य कठिन हो गया है। लोगों का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिये कि कुछ सत्याग्रहों में दी गयी धार्मिक शिक्षा का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। लड़के या लड़की को धार्मिक शिक्षा देने की सबसे उपयुक्त जगह घर है, स्कूल या कॉलेज नहीं। इसलिए धर्म की उपेक्षा का आक्षेप कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

महात्मा गांधी इस प्रणाली, विशेषकर प्रारम्भिक शिक्षा की प्रणाली, के कटूर आलोचकों में से ये। प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणाली को केवल अत्यधिक रम्नीली ही नहीं, प्रत्युत् हानिकर भी समझते थे। राष्ट्रीय जीवन में उनके अद्वितीय स्थान के कारण उनके इससे सम्बन्धित विचारों की ओर सवेत उपयुक्त ही होगा। इन विचारों को उनके ही शब्दों में देना सबसे अच्छा होगा। २-१०-१६३७ के 'हरिजन' में उन्होंने इस प्रकार लिखा :

'शिक्षा की वर्तमान प्रणाली देश की आवश्यकताओं की किसी भी रूप में पूर्ति नहीं करती। विद्या के सभी ऊँचे विभागों में अध्येत्री भाषा की शिक्षा का माध्यम बना दिए जाने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त कुछ थोड़े से व्यक्तियों और अधिकारियों, अमुश व्यापकों, नेतृत्व एवं रक्षार्थी अन्तर उत्पन्न हो गया है जिसके परिणामस्वरूप ज्ञान का जनता के बीच प्रसार रुक गया। अध्येत्री की अत्यधिक महत्व दिये जाने के कारण पढ़े-लिखे वर्ग पर एक ऐसा बोझ पड़ा है जिसने उन्हें मानसिक रूप से अपग्र तथा अपने ही देश में अनजान बना दिया है। पेशें-सम्बन्धी द्रेनेज की अनुपस्थिति ने शिक्षित वर्ग को उत्तादन कार्य के लगभग एकदम अर्थोद्य बना दिया है और उसके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बहुत हानि पहुँचायी है। प्रारम्भिक

शिक्षा पर किया गया व्यय व्यर्थ होता है क्योंकि जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वह शीघ्र भूल जाता है और गाँवों या नगरों के लिए उसकी कोई भी उपयागिता नहीं रहती। शिक्षा की वर्तमान प्रणाली से जो कुछ भी लाभ हो रहा है वह उसमें कर देने वाले प्रमुख व्यक्ति और उसके बच्चा को न के बगाबर पहुँच रहा है।

प्रारम्भिक शिक्षा पर एक दूसरे अधिसर पर बोलते समय उन्होंने कहा था कि इस व्यवस्था द्वारा अधिकतर लड़के अपने मौनाप तथा अपने पैतृक पेशे के काम के नहीं रहते। वे दुरी आदतें प्रदृष्ट करते और शहरी तौर तरीकों का अपनाते और कुछ चीजों के विषय में इधर उधर से जान लेते हैं जिसे शिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी कहा जा सकता है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर एक प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार उद्धृत करना अनुपयुक्त न होगा। ग्रालन्डगाल कॉलिज एण्ड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसियेशन के समाप्ति क पद स भाषण करते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा—

‘सरकार की शिक्षा-सम्बन्धी नीति लोगों को केवल विदेशी सत्ता के उपयुक्त ग्रोबार बना देती है, यह उन्हें एक स्वतन्त्र राष्ट्र के आत्मभिमानी नागरिक नहीं बनाती। अपना मातृभूमि के प्रति प्रेम ही सभी उन्नतियों का आधार है। इस सिद्धान्त को सभी देशों ने स्वीकार किया है। लेकिन अपने अमान्यशाली देश में ऐसा नहीं है। किसां विजित राष्ट्र की सारी चेतना लुप्त हो जाती है, वह आशा, साहस, अत्मविश्वास सभी खो बैठता है। हमारी राजनैतिक परतन्त्रता का अर्थ यही है कि हम अपने के स्वतन्त्र राष्ट्रों की बगाबरी में नहीं रख सकते। भारतीय इतिहास हम यही सिखाने के लिए पढ़ाया जाता है कि हम असफल रहे। परतन्त्रता का सबसे विनाशकारी प्रभाव यह होता है कि निराशा एवं चेष्टानीना राजनीति लोगों को छा लेती है और उनका अपने ऊपर से विश्वास उठ जाता है। वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव तथा आत्मभिमान की चिनगारी को प्रज्वलित रखना है। यदि हमारा धन या उसका उत्पादन करने वाली शक्तियाँ अपहृत हो जाती हैं तो हम उन्हें यदि आज नहीं तो कल अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारी राष्ट्रीय-चेतना ही लुप्त हो जाती है तो हमारे लिए कोई आशा नहीं है।’

इस सारी शिक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है : ‘यदि हमें वास्तविक चीजों के बदले केवल कुछ पुस्तकों तथा प्रताक्ष देती है।’ महात्मा जी ने शिक्षा का वास्तविकता पर आधारित करके शिक्षा और जीवन के बीच की लाइंग को पाढ़ने की चेष्टा की।

इस शिक्षा-प्रणाली के गुण—पाश्चात्य शिक्षा में सभी दोष ही नहीं हैं, इससे अनेक लाभ भी हुए हैं। सभा चाजों पर सम्बन्धित विचार करने पर इसकी अच्छाइयों

इसकी बुराइयों से बढ़ जा सकती है। प्रथमतः, इसने पाश्चात्य सम्बद्धा की सबसे बड़ी प्राप्तियों अर्थात् विज्ञानों को भारत के लिए सुगम बना दिया। हम अपनी सम्भता को चाहे जितना महत्व ढें और उसे पाश्चात्य सम्भता ते मुकाबले चाहे जितना अच्छा समझें, पर मी, यह तो स्वीकृत ही करना पड़ेगा कि इसमें अनेक कमियाँ हैं; जैसे प्रवृत्ति की शक्तियों पर अनुशासन। अङ्गरेजी तथा पाश्चात्य विज्ञानों (जो अङ्गरेजी द्वारा सरलता से सुलभ है) के सम्यक् अध्ययन द्वारा ही हमारी शिक्षा प्रणाली की यह बड़ी कमी पूरी हो सकती है। इसने हमारे दृष्टिकोण तथा मानसिक स्तर को और विस्तृत किया है और हमें यह चतुराया है कि जगत् म हमारे दर्शनों तथा प्राचीन शिक्षा-प्रणालियों द्वारा बतायी गयी चीजों से कहीं अधिक चांगे हैं। आज के भारतीय जीवन की एक प्रमुख विशेषता—राष्ट्रीय भावना का विकास—के निर्माण में भी पाश्चात्य शिक्षा ने बड़ी सहायता पहुँचायी है। शिक्षा-अधिकारियों के विदेशी होने हुए भी हमारे स्कूल तथा कॉलेज राष्ट्रीयता की निर्माणशाला बने। मिल तथा वर्क जैसे लेखकों और शोली तथा मिल्टन जैसे कवियों के अध्ययन ने भारतीय विद्वार्थियों के मरित्यक में व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य की जीवन प्रदायिनी भावनाएँ भर दीं और उन्हें त्याग तथा राष्ट्र-सेवा का पाठ पढ़ा दिया। इस सम्बन्ध में यह बनाना अनुपयुक्त न होगा कि राष्ट्रीय चेतना में योग देने वाले अधिकतर नेताओं ने अङ्गरेजी शिक्षा ही पायी थी। यह कहना ज्यादती होगी कि अङ्गरेजी शिक्षा के द्वारा मेरी राष्ट्रीय चेतना न इतनी शीघ्र फैलती न इतने व्यापक रूप से। इस समय की सरकार द्वारा प्राच्य विद्याओं के अध्ययन को प्रश्न देने की नीति का विरोध करके राजा रामसोहनराव ने बड़ी दूरदृशिता की। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव राष्ट्रीय चेतना के चेतन म ही नहीं प्रत्युत अन्य चेतनों में भी दृष्टिगत हाता है, कला-कौशल, उद्योग-धन्धों तथा वाणिज्य व्यवसाय के चेतन मे यह विशेष रूप से दृष्टिगत है। बड़े पैमाने पर उद्योग-धन्धों तथा ट्रेड यूनियनिंग्स को हमने परिचय से ही लिया है। परिचय के समर्क से ही हमारी सामाजिक चेतना जागत हुई है और हम अपनी सामाजिक बुराइयों को धीरे-धीरे हटाते जा रहे हैं। इस प्रकार विचार तथा कार्य का मुश्किल से ही ऐसा कोई चेतन होगा जिसमें पाश्चात्य शिक्षा का जीवनदायक प्रभाव न महसूस हुआ हो।

लेकिन उन उद्देश्यों का क्या हुआ जिन्होंने लॉर्ड मैकाले बो १८३५ में पाश्चात्य-शिक्षा के प्रसार के लिए प्रोत्तंत किया था। क्या उन्होंने भारतीयों का विद्यान-सरकार के प्रति स्वामिभक्त बनाया। क्या उन्होंने देश मे कोई धार्मिक आनंदोलन प्रारम्भ किया और हिन्दुत्व ने क्या उसके सामने घुटने टेक दिये? इन प्रश्नों का उत्तर और मैली के अपने ही शब्दों मे देना अत्युत्तम होगा। वह इस प्रकार लिखता है: 'अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोगों में अपने शासकों के प्रति संघारणतः कोई प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है और सरकार के प्रति उनका जो कुछ भी

लगाव है वह स्वार्थ की भवना से । हितों में सामज्ज्ञस ग्रवश्य हुआ है किन्तु हृदयों में नहीं । अन्य आशावें या तो केवल कल्पनात्मक बनी रहीं या ऐवल कुछ अर्शा म पूरी हुईं । लोगों में नवीन सान्ति के चेतना आगयी है, साहित्य ने विभिन्न रूप धारण कर लिए हैं और उसमें अभिव्यक्ति भी नवीन तथा पूर्ण होने लगा है । जन-मत के ऊपर ग्राधिपत्य एक दूसरे वर्ग के हाथ महस्तान्तरित हो गया है । अब्रेजा शिक्षा-प्राप्त व्याकुलों को अपने बुद्ध वैभव, समन्वयता तथा शक्ति के कारण प्रधानता प्राप्त हो गया है । सामाजिक सुधार के प्रयत्न भी हुए हैं, किन्तु सामाजिक व्यवस्था में बहुत कम परिवर्तन हुए हैं, जाति-वर्गधन तथा ग्रस्तान्तरित हो गया है । धार्मिक सुधार के भी प्रयत्न हुए हैं, लेकिन हिन्दू धर्म ने भीतर ही, बाहर नहीं, और वह भी केवल उसमें शुद्धि के लिए, बिना शोषण के लिए नहीं । जनता के बीच धार्मिक मामलों में ब्राह्मण अब भी प्रभावशाली हैं और धार्मिक जीवन का सामाजिक जीवन से बहुत गहरा सम्बन्ध है ।*

प्रमुख समस्याएँ— भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के सामने विभिन्न प्रकार की तथा उड़ी जटिल समस्याएँ हैं । इन समस्याओं के ठीक और समय पर किये गये हल पर ही देश की उन्नति निर्भर है । इन सभी समस्याओं का यहाँ विवेचन सम्भव नहीं, उनमें से केवल प्रमुख की ओर सकेत किया जा सकता है ।

(अ) **स्त्री-शिक्षा—** यह एक प्रमुख समस्या है । स्त्री शिक्षा ही वह कुंजी है जिससे देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति का द्वार खुलता है । जातिगत भिन्नताएँ, अस्तुश्यता, बाल-विवाह, इच्छा विरुद्ध वैधव्य, पर्दा तथा अन्य सामाजिक लुराइया का तब तक समूल नाश नहीं हो सकता जब तक हमारी स्त्रियों शिक्षिता नहीं हो जाती । स्त्रियों के अशिक्षिता रहते हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य में भी बुद्धि नहीं हो सकती । छाटे बच्चों का मृत्यु का उत्तरदायित्व मी स्त्रियों के अशिक्षित के कारण है । धार्मिक मामलों में उनकी सकीर्णता अधिक्तर आर्थिक वरचादियों के लिए उत्तरदायी है । शिक्षा की कमी के कारण ही वे राजनीति में भी अपना पूरा पार्ट अद्दा न कर सकती । अशिक्षिता स्त्रियों अपने बच्चों का भी सम्बूलान-पालन नहीं कर सकतीं । इस प्रकार अपनी स्त्रियों की शिक्षा के बिना हम देश की स्थायी प्रगति की आशा नहीं रख सकते ।

स्त्री-शिक्षा, के. अन्तर्राष्ट्रीय, प्रहृत्यापूर्ण देशे, हुए, भी, प्रत्येक ऐ शिक्षा-सम्बन्धी, नीति तथा तरीकों का निश्चय करने वाले लॉई विलियम बेलिट्टन, मैकाले जैसे व्यक्तियों ने इसकी आरोहि ध्यान न दिया । भारतीय स्त्रियों में शान का प्रकाश विकीर्ण करने के लिए बोर्ड घन ध्यय नहीं हुआ । इस सम्बन्ध म पहले पहल ईसाई पादरियों ने कदम कढ़ाया । ब्रह्म-समाज, आर्य-समाज, रामकृष्ण मिशन तथा यिथोसापिकल

* माइन इंडिया एण्ड दी वेस्ट ।

सोसायटी के प्रभाव क्षेत्र में आने से पहले अपने देश की स्त्रियों की शिक्षा में भिन्ननरी स्थिती हो सलग्न थी। आज दिन भी स्त्रियों की पूरी जन-सख्त्य की ३ % से भी कम स्त्रियों को अक्षर ज्ञान है। १९४५-४६ म सरकार द्वारा स्त्रीकृत तथा अस्त्रीकृत संस्थाओं में स्त्री विद्यार्थियों की कुल सख्त्य ४,०२८,१२६ थी। १९४१-४२ की संख्या में यह सख्त्य तीन लाख अधिक है। लेकिन मिसेज कजिन्स द्वारा नाचे दी हई सख्त्यों स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी कहानी स्वयं कहती है 'प्रत्येक सौ लड़कियों में से केवल एक की प्रारम्भिक शिक्षा मिलती है, प्रत्येक १००० लड़कियों में से केवल एक को माध्यमिक शिक्षा मिलती है। २० वर्षों में भारतीय स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत २ से ३ % नहीं हुआ।' लड़कियों के छु गुने लड़कों को शिक्षा मिलती है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की शिक्षा पर जौदाहरुना अधिक रूपया व्यय होता है। अपने देश में लगभग ४० लाख स्त्रियों ही साक्षर हैं।

त्रिंशिंशाने शहरों म ही आधक उन्नति की है। ग्राम्य क्षेत्रों म लड़कियों के लिये कॉलिजों का तो कहना ही क्या, उनके स्कूल भी नगण्य हैं। ग्रामाण स्त्रियों की जनरक्षरता के अनेक कारण हैं। उन्होंने अभी तक शिक्षा के महत्व तथा उसकी आधशयवत्ता पर बहुत कम ध्यान दिया है। शहरी स्त्रियों की अपेक्षा वे आधक सकीर्ण तथा कठुर हैं वयोंकि आधुनिक आनंदोलनों तथा विचारों से वे बहुत कम प्रभावित हुई हैं। स्त्रियों की शिक्षा म लगा सस्थाएँ गॉड्स की अपेक्षा शहरों म अपना वार्ष सरलना से कर पाती हैं। गॉड्स म स्थापित लड़कियों के स्कूलों के लिए शिक्षिकाओं का मिलना बहुत कठिन है। कस्तूरबा द्वारक निधि द्वारा बनायी गया स्त्री शिक्षा-योजना से इस क्षेत्र में आनंदोलन कारी परिवर्तन का आशा है।

लड़कों की भाँति लड़कियों की प्रारम्भिक शिक्षा भी माध्यमिक तथा विश्व विद्यालय शिक्षा के बहुत पछें है। उच्च शिक्षा ने प्रारम्भिक शिक्षा की अपेक्षा अधिक उन्नति की है। १९४५-४६ म प्राइमरी स्कूलों की एक बड़ी सख्त्य के अतिरिक्त लड़कियों के लिए ६४ आर्ट्स, १६ प्रोफेशनल, टेक्निकल तथा ट्रेनिंग कॉलेज तथा ६८५ हाई तथा १,५४६ मिडिल स्कूल थे। इन सब संस्थाओं म कुल मिलाकर ३,८४१,२६७ छात्राएँ शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। शिक्षा म डॉक्टरी की आर अधिक लड़कियां आकर्षित होती हैं हालांकि अब वे कानून और इन्हानियरिंग की आर भी आकर्षित होने लगी हैं। १९४१-४२ म ७७८ स्त्री विद्यार्थी मेडिकल कॉलेजों म तथा ८४६ ट्रेनिंग कॉलेजों में थीं, कानून और इन्हानियरिंग में क्रम से १२३ और एक।

प्रोफेसर कावे द्वारा १९१६ म पूना में स्थापित किया हुआ किन्तु अब प्रबंध म स्थित श्रीमती नाथीबाड़ दामोदर शैकरसे भारतीय स्त्री विश्वविद्यालय स्थित।

की शिक्षा की एक प्रमुख संस्था है। यह सम्पूर्ण अन्य शिक्षण-संस्थाओं से इस अर्थ में भिन्न है कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों से भिन्न होनी चाहिये क्योंकि यह इस बात पर जोर देती है कि जीवन में उन्हें भिन्न कार्य करने हैं। विद्यार्थी की मातृभाषा ही वहाँ शिक्षा का माध्यम है। वर्तमान समय में इससे सम्बन्धित चार कॉलेज तथा दो कॉलेजिएट कक्षाएँ हैं जिनमें लगभग ३०० विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। टिल्ली का लेडी इरविन कॉलिज भी स्त्री-शिक्षा को भारतीय जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाता है। १६३० में अखिल भारतीय स्त्री-शिक्षा-सम्मेलन द्वारा बैठाई गई कमेटी के प्रयत्नों द्वारा ही इस संस्था की स्थापना हुई। ज्ञालन्धर का कन्या-महाविद्यालय तथा बड़ौदा का कन्या-गुरुकुल स्त्री-शिक्षा के दो प्रसिद्ध केन्द्र हैं।

भारत के सभी प्रान्तों में लड़कियों की शिक्षा डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन या डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वेषाधिकार में है। कुछ प्रान्तों में उसकी सहायता के लिए एक डिप्टी डाइरेक्टर या स्त्री-शिक्षा की चाफ इन्स्पेक्ट्रर रहती है। स्त्री-शिक्षिकाओं की ट्रेनिंग के लिए सरकार ने वर्नाकूलर तथा अंग्रेजी स्कूलों में व्यवस्था कर दी है। यहाँ इस और सकेत किया जा सकता है कि पारसियों तथा ईसाइयों में स्त्री-शिक्षा का प्रतिशत बहुत ऊँचा है और मुसलमानों में बहुत कम है।

यह ध्यान में रखना चाहिये कि लड़कियों अपने लिए बनी संस्थाओं में ही नहीं प्रत्युत लड़कों के कॉलेज में भी शिक्षा प्राप्त करती है। इस व्यवस्था को सह-शिक्षा बढ़ाते हैं। सह-शिक्षा की आपूर्ति प्रत्येक प्रान्त में भिन्न है। यह सबमें अधिक मद्रास में प्रचलित है और सब से कम कदाचित् गिरावर में।

(ब) सार्वजनीन शिक्षा (Mass Education)— पहले यह कहा जा चुका है कि जनता की प्रारम्भिक शिक्षा उच्च और मध्यम वर्गों की उच्च शिक्षा से बहुत फिल्हा है। सर चालस बुड के शिक्षा-सम्बन्धी डेस्पैच के पहले जनता को शिक्षा के लाभों से निश्चित रूप से बच्चित रखना गया। सरकार द्वारा जनता की शिक्षा का उत्तरदायित्व सर्वकार वर लिए जाने पर भी ग्रनेक परिस्थितियों ने इसके प्रसार को मन्द बना दिया। अनिवार्य शिक्षा के सिद्धान्त की स्वीकृति का भी सन्तोषप्रद परिणाम न हुआ। कार्य की विशालता, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की किसी भी योजना को कार्यान्वित करने में लगने वाले अपार धन तथा लोगों की दिक्षिता तथा उपेक्षा के कारण सार्वजनीन शिक्षा के प्रसार में बही झटिनाईयाँ पड़ी हैं। स्त्री शिक्षा की भाँति यह प्रश्न भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसकी तरह इसके सुलभत्व में भी देर नहीं होनी चाहिये। आश्चर्य है कि राष्ट्रन नेताओं तथा देश के प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियों ने जन-शिक्षा की ऐसी कोई सम्पर्क योजना नहीं बनायी जो वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के

दोषों से मुक्त होती और उसके स्थान पर व्यार्थान्वित की जा सकती। महात्मा गांधी ने इस समस्या की ओर अपना ध्यान आवृत्ति किया और उन्होंने वर्षा में डॉक्टर जैकिर हुसेन की अव्यक्तता में देश के प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियों की एक बैठक बुलायी। इस बैठक के परिणाम-स्वरूप प्रसिद्ध वर्धा-शिक्षा-योजना भी जिसे वेसिक-शिक्षा-योजना भी कहते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के राष्ट्रीय इष्टिकोण से पुनर्निर्माण के लिए यह सबसे अधिक प्रभावशाली है।

वर्धा शिक्षा-योजना— इस योजना के विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भान, जिसके बिना इसका सञ्चार मूल्यकन नहीं हो सकता, यह है कि वास्तविक भारत गाँवों में वसता है, शहरों में नहीं, और इसी लिए यह ग्रामीण निरन्तरता का समस्या दल करने के लिए अधिक प्रयत्नशील है। गाँवों को निरन्तर हो रही बरबादी रोकना, ग्रामवासियों को अधिक सख्ता में शहरों में आने से रोकना तथा ग्राम तथा नगर के बीच अधिक स्वत्थ तथा व्यायपूर्ण सम्बन्धों की वृद्धि भी इसके उद्देश्यों में से है। दूसरे शब्दों में, यह योजना प्रारम्भिक रूप से गाँवों की शिक्षा तथा उनके पुनर्निर्माण के लिए है। इसका यह ग्रन्थ नहीं है कि यह नगरों के लिये नहीं बनी है या वहाँ यह लागू नहीं हो सकती।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बच्चे की शिक्षा किसी दस्तकारी या उत्पादन कार्य द्वारा चलाने का प्रयत्न किया जाता है। कातना-बुनना, खेती करना या घाग-घागचे लगाना, बढ़ौंगिरी या लोहागिरी, तेल निकालना, गुड़ बनाना या ऐसा ही कोई उत्पादन कार्य इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयुक्त हो सकता है। चुनी हुई दस्तकारी या पेशा ही ऐसा देन्द्र है जिसके चारों ओर बच्चे की शिक्षा घूमती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि दस्तकारी का रिक्ता को भी प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले विषयों में सम्मिलित कर लिया जाता है। यह कहने से भी पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होता कि उन विषयों की शिक्षा को दस्तकारी की शिक्षा के साथ-साथ चलाना चाहिये। जिस चीज पर योजना का ध्यान है वह यह है कि बच्चों को काम में लगाने वाली दस्तकारी या उत्पादन-कार्य ही उनके मानविक विकास तथा बौद्धिक ट्रेनिंग का प्रथम माध्यन होना चाहिये। दस्तकारी का काम चलाते समय योग्य शिक्षक बड़ी ही सरलता से इसके 'क्षेत्र' और 'किस प्रकार' समझायेगा और बच्चे के मस्तिष्क में आने वाली अनेक समस्याओं के हल में उसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित तथा नागरिक शास्त्र का पर्याप्त ज्ञान मिल जायगा। वर्धा के अखिल-भारतीय शिक्षा सम्मेलन में अव्यक्त-पद से भागण करते हुए महात्मा जी ने कहा था कि 'उदाहरण के लिए तबली कातने को ही लीजिये। तबली कातना सिखाने का अर्थ है रुई की विभिन्न किसी के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना, भारत के विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न प्रकार की पायी जाने वाली मिट्टी के सम्बन्ध में ज्ञानकारी करना, दस्तकारियों के विनाश

का इतिहास सिखाना, इसके गाड़नैतिक कारण बताना जिसमें भारत के विनिश्चय शासन का इतिहास आ जायगा, और गणित का ज्ञान करना। यहा प्रयोग में अपने नाती पर भी कर रहा हूँ जिसे यह महसूस ही नहीं होता कि वह पढ़ रहा है क्योंकि वह दरदम खेलता, हँसता तथा गाता रहता है।'

योजना की दूसरी विशेषता यह है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्थायी रूप से साक्षर हो जायेंगे और उनके पिर से निरक्षर हो जाने का काँइ डर न रहेगा। इसके साथ-साथ वे सामाजिक समस्याओं को भी समझने लगेंगे और उनमें सामाजिक आदतों का विकास होगा। इन सबको ज्ञान में रख कर प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सात वर्षों का रखता गया है, सात वर्ष की उम्र से लेकर चौड़ा हवर्ड की उम्र तक। इस प्रकार बर्तमान शिक्षा-प्रणाली ने चार या पाँच वर्षों के पाठ्यक्रम द्वारा हो रही बरबादी हट जायगी।

योजना की तीसरी विशेषता यह है कि यह सभी लड़के-लड़कियों के लिए अनिवार्य तथा नि शुल्क शिक्षा लागू करना चाहता है— बेबल बुद्ध चुने जेतों में ही नहीं, प्रत्युत सारे देश म। यह आशा की जा सकती है कि इस योजना द्वारा निरक्षरता बीस वर्षों में समाप्त हो जायेगी। अत्यधिक लर्च के कारण प्रारम्भिक शिक्षा अतात में नि शुल्क, सार्वभौम तथा अनिवार्य न बनायी जा सकी क्योंकि इसके लिए नहुत ज्यादा धन की आवश्यकता थी। महात्मा गांधी ने इस योजना का लगभग स्वादलभी धनावर इस कठिनाई का दूर करने का प्रयत्न किया है।

वर्धा-शिक्षा-योजना से, कम या ज्यादा, अपने पैरों पर रहे होने का आशा की जाता है। महात्मा जी के अनुसार अपना खर्च चला लेना ही इसकी वास्तविकता की सबसे बड़ा पहचान है। उनका विचार यह प्रतीत होता है कि बच्चों द्वारा तैयार हुई वस्तुओं के विक्रय स उनकी शिक्षा पर हुए व्यय का अधिकाश पूरा हा जायगा। हाँ, इन संस्थाओं के तैयार माल को सरकार का अवश्य खरीदना पड़ेगा। ही सकता है कि प०ले एक या दो वर्षों तक विद्यार्थी अपनी शिक्षा का खर्च न उठा सके, लेकिन सात वर्षों के पूरे समय को ज्ञान म रखने पर यह आशा की जाती है कि अपनी शिक्षा पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए विद्यार्थी पर्याप्त उत्पादन कर लेगा।

अन्त में, इस और ज्ञान आकर्षित किया जा सकता है कि विद्यार्थी की सारी शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा रहेगी। इस प्रकार एक विदेशी भाषा में कुशलता प्राप्त करने में बोझ से वह बच जायगा।

किसी प्रकार के उत्पादन कार्य द्वारा शिक्षा, सात वर्षों का पाठ्यक्रम, सभी लड़के लड़कियों के लिए अनिवार्य, नि शुल्क शिक्षा, आत्म निर्भर होने की योग्यता तथा मातृभाषा द्वारा शिक्षा - वर्धा-शिक्षा योजना इन्हीं आधारभूत विचारों तथा

सिद्धान्तों पर निर्भर है। इस प्रकार शिक्षा के लिए दस्तकारी के रूप में चर्चा प्रचलित करने से इसका अर्थ कहीं अधिक है।

यह योजना अनेक गुणों से सम्बन्ध है। यह इस मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित है कि बच्चे की प्रशंसा खेल द्वारा होनी चाहिए और ऐसा करने में उसकी सारी भावनाओं तथा उसक सारे मस्तिष्क का सहयोग मिलना चाहिए। इसके अनुसार बच्चे का मस्तिष्क सदैव सक्रिय तथा सामाजिक बातावरण के सदैव समर्क में रहता है। शिक्षा को व्यावहारिक तथा सामाजिक बातावरण तथा आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल बना कर वह वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के कुछ बड़े टापों का दूर करती है। यह शिक्षिता तथा अशिक्षितों के बीच की खाई को भी दूर करती और ग्रामों तथा नगरों के बीच स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित करती है। इसका सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा को सबसे बड़ा समस्या का यह व्यावहारिक हल देती है। इस योजना द्वारा जनता पर बिना कोई असहनीय अर्थात् भार डाले उसकी प्रशंसा का आशा की जाता है। बच्चों के मस्तिष्क पर इसके प्रभाव के सम्बन्ध में अपने राज्य में चलायी गयी वैसिक शिक्षा पर कश्मार उत्तरार के निम्नलिखित निरीक्षणों को उद्धृत कर देना सबसे अच्छा होगा : ‘वैसिक स्कूलों में आने वाले अनेक प्रविद शिक्षा शास्त्रियों तथा सम्मानी व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि इस योजना द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों ने अन्य साधारण स्कूलों के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक मानसिक सजगता तथा प्रशंसनीय सम्बन्धी चेतना प्रदर्शित की है। गणत तथा आत्माभवति (Self-expression) में ये बच्चे अन्य स्कूलों के बच्चों से कहीं तेज हैं। दस्तकारी ने उनकी दिलचस्पी बनाये रखने तथा उसे बढ़ाने में जिस सीमा तक सफलता प्राप्त की है वह केवल किताबी प्रशंसा के बातावरण में असम्भव थी।’ यह कहना अत्युक्ति न होगा कि भारतीय आमों तथा जन-साकृतयों की कुली इसी योजना में है। इसकी अच्छाइया के सम्बन्ध में हम स्वयं महात्मा बा॒ के शब्द उद्धृत कर सकते हैं। अन्त्यर द, १६२७, के ‘हरिजन’ में उन्होंने इस प्रकार लिखा : ‘कातने बुनने जैसी ग्रामीण दस्तकारियों द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा देने की, हमारी योजना से एक ऐसी क्रान्ति का शीरणेश होता है जो बड़े ही महावपूर्ण परिणामों से भरी हुई है। शहरों तथा गाँवों के बीच के सम्बन्ध के लिए यह एक स्वस्थ तथा नैतिक आधार तैयार करेगी और इसके द्वारा वर्तमान सामाजिक अस्त्रा (insecurity) तथा बगों के आपसी बहरीले सम्बन्धों की कुछ भयकरतम बुराइयोंको उतारा हैंकने में सहायता प्रिलेगों द्वारे हमारे गाँवों का निरन्तर धन देना ग्रामीण एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी जिसमें सभन्नों तथा दरिद्रों (haves and have nots) के बीच का अप्रावृत्तिक निभाजन न होगा। और यह सब बग-सघर्ष की किसी खुनी लड़ाई या

भारत जैसे मद्दादेश ने मर्शीनीकरण में लगाने वाले अपार धन के बिना ही हो जायगा। मर्शीनों के लिए विदेशों पर निर्भर रहने या उनकी टेक्निकल कुशलता की भी इसमें कोई आवश्यकता न पड़ेगी।

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए १९३८ में प्रयत्न किया गया। महात्मा जी द्वारा प्रेरणा दिये जाने के कारण इसकी प्रारंभिक अच्छी हुई। अनेक प्रान्तों तथा कुछ भारतीय राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया। काश्मीर तथा बिहार में इसे सबसे अधिक सफलता मिली। कुछ ही वर्षों में काश्मीर में १२०, बिहार में २७, गढ़वाल में ५२, मध्य-प्रान्त में ४६ और उत्तर प्रदेश में लगभग ४००० बेसिक स्कूलों की स्थापना हो गयी। उत्तर-प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के स्कूल शत प्रतिशत बेसिक नहीं थे, पुराने स्कूलों ने ही वैदिक शिक्षा कमेटी का पाठ्य क्रम स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जायगा कि इस योजना को लोगों का पर्याप्त पक्ष मिला। प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियों की दृष्टि में इसकी आधारभूत चीजें सही उत्तरी हैं और इसका भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है। भविष्य में इसमें अनेक सुधारों का समावेश सम्भव है। यहाँ यह बतलाया जा सकता है कि योजना की अनेक विशेषताएँ मिस्टर जॉन सॉर्जेन्ट की युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना द्वारा उद्धृत कर सी गई हैं। अब हम इस योजना का अध्ययन प्रारम्भ करेंगे।

युद्धोत्तर शिक्षा विकास का सॉर्जेन्ट योजना— देश की जनता द्वारा वर्धा-शिक्षा-योजना को १८वें शताब्दी के सहयोग ने बढ़ाचित् भारतीय सरकार को भी युद्धोत्तर काल में शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में सोचने के लिए प्रेरित किया। फ्लस्वरूप शिक्षा की वैदिक सलाहकार समिति ने शिक्षा विकास योजना के निर्माण के लिए एक कमेटी बैठाई। इस कमेटी की रिपोर्ट, जो सॉर्जेन्ट रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, १९४४ में प्रकाशित की गई। सरकार द्वारा इसके मुझावों को स्वीकृत करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने पर देश की शिक्षा-प्रणाली में एक क्रन्ति उपस्थित हो जाती। वर्धा शिक्षा योजना की इसने अनेक विशेषताएँ उद्धृत की हैं और कुछ दृष्टियों से तो यह पहले का परिष्कृत रूप है। वर्धा शिक्षा-योजना की भौति यह वैवल प्रारम्भिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं, प्रत्युत इसका प्रसार माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा तक भी है।

वर्धा-योजना की भौति सॉर्जेन्ट योजना ने भी देश के छु. तथा चौदह वर्ष के बीच के सभा बच्चों के लिए निशुल्क, सार्वभौम तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का विधान किया। डेनिंग पाये हुए शिक्षकों की कमी के कारण सम्भव हो सकता है कि देश की निरक्षरता दूर करने में चालीस वर्षों से कम न लगें। इन दोनों शिक्षा योजनाओं को डेनिंग प्राप्त पर्याप्त शिक्षकों की प्राप्ति में बढ़िनाई होगी।

सार्जेन्ट योजना ने शिक्षकों की भर्ती, ट्रैनिंग तथा उनकी सेवाओं की शर्तों की विस्तृत विवेचना की है। इन सब के हाते हुए भी सार्जेन्ट-योजना वर्धा-योजना की भर्ती, दस्तकारी के महत्व पर आर नहीं देती।

प्रारम्भिक पाठ्य-क्रम दा भागों में विभाजित है। वेसिक स्कूलों के दो प्रोड होगे— जूनियर और सीनियर। आधिकारिक विद्यार्थियों की शिक्षा जूनियर से सानियर वेसिक स्कूलों में जाने पर समाप्त हो सकती है। योग्य विद्यार्थी सानियर वासक स्कूलों (ये आजकल के मिडिल स्कूलों के समकक्ष हो रहे) से हाई स्कूलों में भेजे जा सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सीनियर वेसिक स्कूलों के प्रत्येक पाँच विद्यार्थियों में एक हाई स्कूल में जा सकता। इसके पाछे कार्य करने वाला विचार यह है कि बोमक शिक्षा के सार्वभौम बना दिये जाने पर हाई स्कूलों की भर्ती चुनाव के आधार पर हानी चाहिये। वेसिक स्टेज में काई परीक्षा न होगी, कक्षा के प्रतिदिन के रेकर्ड के आधार पर ही शिक्षक लड़कों का प्रमोशन निश्चित करेगा।

सार्जेन्ट योजना नई स्कूलों के रूप में प्राइमरी स्टेज से पहले का शिक्षा की भी व्यवस्था करती है। इन नई स्कूलों में ट्रैनिंग प्राप्त शिक्षिताएँ रखती जायेंगी। इन स्कूलों की शिक्षा नि शुल्क होगा। किन्तु उसका अनिवार्य हाना आवश्यक नहीं। यह प्रत्यन्त किया जायगा कि भर्ती नाप्राप्त वर्चों को इन स्कूलों में स्वयं मेज़दे। इन स्कूलों का प्रमुख उद्देश्य होटें नच्चों की शिक्षा से अधिक सामाजिक अनुभव कराना है। वर्धा-योजना में ऐसे स्कूलों की ओर कोई सनेत नहीं है।

सारे ब्रिटिश भारत में इन तीनों प्रकार के स्कूलों— प्राइमरी, जूनियर तथा सीनियर— की स्थापना तथा उन्हें चलाने में २०० करोड़ रुपये सालाना से भी अधिक खर्च होगे। वर्धा-योजना में इतने अधिक खर्च का गु जायश नहीं है।

हाई स्कूल शिक्षा में छु वर्ष लगेंगे। भर्ती होने की साधारणतः उम्र ११ वर्ष है, अर्थात् विद्यार्थी की जूनियर वेसिक शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद। जैसा कि पहले कहा गया है सीनियर वेसिक स्कूलों के बीच योग्य विद्यार्थी ही हाई स्कूल में जा सकेंगे। हाई स्कूल दा प्रकार के होंगे— एकेडेमिक तथा टेक्निकल। इन दोनों प्रकार के स्कूलों का उद्देश्य सर्वांगीण शिक्षा के साथ बाद में चलकर पेशे सम्बन्धी तैयारी करना भी है। पाठ्य-क्रम अधिक से अधिक विस्तृत होगा और आज की विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं से प्रभावित नहीं रहेगा। इस प्रकार के हाई स्कूलों की स्थापना म लगभग चाल करोड़ रुपये लगेंगे।

विश्वविद्यालय शिक्षा— शिक्षा स्तर को ऊँचा करने के उद्देश से योजना विश्वविद्यालय-शिक्षा का भी विभान करती है। योजना द्वारा दिये गये सुझावों में से निम्नलिखित प्रमुख हैं — (१) विश्वविद्यालय पाठ्य स्तर का बोक्स समाल सकने वाले बीच योग्य विद्यार्थियों की भर्ती के उद्देश से भर्ती की शर्तों पर पुनः

विचार। (ii) चर्तमान इण्टरसीनिएट कक्षाओं को हटाकर पिलहाल उनका प्रथम वर्ष हाई स्कूल तथा दूसरा वर्ष टिग्री-बोर्स में जोड़ देना। (iii) विश्वविद्यालय की उपाधि का पाठ्य-क्रम कम से कम तीन वर्षों का हो। (iv) शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के बीच पारम्परिक सम्पर्क के लिए ट्यूटोरियल-प्रणाली का विभास। विश्वविद्यालयों के बेतन का स्टेल और आकर्षक बना दिया जायगा। अनुमान किया जाता है कि इन सुझावों को कार्यान्वित करने में ६ करोड़ ७२ लाख रुपये प्रतिवर्ष लगेंगे।

सार्जेन्ट रिपोर्ट टेक्निकल तथा कॉमरशियल शिक्षा, एडल्ट शिक्षा, अपग्रव्यक्तियों की शिक्षा तथा शिक्षकों की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करती है। सारी याज्ञना का कुल एवं ३०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष से भी अधिक होगा। अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने इस रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया और उसके प्रसुत सुझावों को स्वीकृत कर लिया।

(स) टेक्निकल तथा पेशे सम्बन्धी शिक्षा— जनता की निरक्षरता दूर करने तथा उच्च शिक्षा में सुधार करने के पश्चात् टेक्निकल तथा पेशे-सम्बन्धी शिक्षा के प्रबन्ध की आवश्यकता पड़ती है। देशवासियों का साधारणतः यह विचार है कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में दी गयी शिक्षा साहित्यिक अधिक है और हमारे स्कूलों तथा कॉलेजों ने पेशे-सम्बन्धी शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया है, औद्योगिक तथा टेक्निकल शिक्षा पर तो और भी कम। विद्यार्थियों को शिक्षण, मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा ऐसे ही अन्य औद्योगिक पेशों की शिक्षा देने वाली संस्थाओं की सख्त पर्याप्त नहीं है। १६४२ में सारे देश में एग्रिकल्चर की शिक्षा देने वाले ८, फॉरेस्ट्री की ८, बैटरिनरी की चार तथा टेक्नोलॉजी की छिक्षा देने वाले दो कॉलेज थे। ग्रॉक्सफार्ड पेम्पलेट न० १२ में टेक्निकल शिक्षा पर एक रोचक लेख लिखने वाला लेखक भारत की शिक्षा प्रणाली का विवेचन करते समय यह चतुराता है कि पर्याप्त औद्योगीकरण करने वाले बम्बई जैसे प्रान्त में कुल ५००० ग्रेजुएटों में से टेक्नोलॉजी की एकल्टी में केवल २६४, इंजीनियरिंग में १६२, बेमिकल टेक्नोलॉजी में २० तथा एग्रिकल्चर में ५२ ग्रेजुएट थे। लेखक इस बात पर दुःख प्रकट करता है कि टेक्निकल मैन्युफैक्चर प्रान्त का एक प्रमुख उद्योग होते हुए भी बम्बई विश्वविद्यालय उसके लिए कोई टिग्री-बोर्स नहीं देता। देश की राजनैतिक स्थिति ही औद्योगिक तथा टेक्निकल शिक्षा में हमारे पिछड़े रहने का कारण बनी हुई थी।

अभी कुछ समय से ही टेक्निकल शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाने लगा है। १६३६ में भारत-सरकार ने देश की टेक्निकल शिक्षा के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बैठायी जिसके चेयरमैन मिस्टर एव्हरट थे। कमेटी ने पेशे सम्बन्धी शिक्षा के लिए प्रत्येक प्रान्त में एक सरकारी सलाहकार-समिति बनाने तथा

विद्यार्थियों को श्रीद्योगिक जगहों में नियुक्ति से पहले की डेनिङ्ग देने के लिए कुछ चुनी जगहों में जूनियर तथा सीनियर वारेशनल स्कूल खोलने की सलाह दी। ऐबट बुड कमेटी के सुभरवा के अनुसार १९४१ में खुलने वाली दिल्ली पॉली-टेक्नीक अपने टङ्ग की पढ़ाई सत्या थी। महायुद्ध की भयकरता के कारण शिक्षा के सेन्ट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड ने भारत-सरकार के शिक्षा सम्बन्धी परामर्शदाता, मिस्टर जॉन सार्जेट, को चेयरमैन चनाकर देश की टेक्निकल शिक्षा के सम्बन्ध में बॉन्च पड़ाताल करने के लिए एक कमेटी बैठायी। इस कमेटी ने नीचे दिये तीन प्रकार की टेक्निकल सत्याश्च के निर्माण की सलाह दी— (i) १४ वर्ष वाए सीधी ही उम्र में सीनियर वेसिक स्कूल पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए पूरे दो वर्षों के पाठ्य क्रम के साथ जूनियर टेक्निकल या इन्डस्ट्रियल या ड्रेड न्यूल। (ii) पूरे छ' वर्षों के पाठ्य-क्रम चाले टेक्निकल हाई स्कूल जिसमें लगभग ११ वर्ष की उम्र में जूनियर वेसिक स्कूल पास करने वाले चुने हुए विद्यार्थी भर्ती हों। (iii) दो या तीन वर्षों के टिप्पोमा कोर्स वाले या नौकरी में लगे लोगों के लिए तीन वर्षों के पार्ट टाइम पाठ्य क्रम वाले सीनियर टेक्निकल इन्स्टीट्यूशन।

टेक्निकल शिक्षा की घरेलान सुविधाओं का वर्णन करके इम इस विषय के विवेचन को समाप्त करते हैं। देश के स्थानीय विश्वविद्यालयों में से केवल चार— चनारस, बम्बई, मैसूर तथा द्रावनकोर— में टेक्नोलॉजी का पाठ्य क्रम है। उनमें ऐस्लाइड बेमिल्डी या केमिकल टेक्नोलॉजी, एलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के विभाग तथा 'इन्टरमीडिएट्स एण्ड डाइज़', 'पैण्स एण्ड वारनिशेज़', 'ग्रॉपल्स, पैट्र एण्ड साप्स', इत्यादि छोटे द्वाटे विभाग भी हैं। ऐस्लाइड बेमिल्डी, बायो-बेमिल्डी तथा एलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में प्रेमुण्डशन के बाद को शिक्षा तथा अनुसन्धान-कार्य देने वाला इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस भी है। कानपुर के हारकोट बट्टलर टेक्नो-लॉजिकल इन्स्टीट्यूट तथा इम्प्रीरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, बम्बई के विक्टोरिया जुबिली टेक्निकल इन्स्टीट्यूट तथा बड़ौदा के बलाभवन टेक्निकल इन्स्टीट्यूट का भी ज़िक्र किया जा सकता है। विभिन्न जगहों पर सरकारी टेक्निकल स्कूल भी हैं— कानपुर का लेदर वर्किंग स्कूल तथा चरेली का सेस्ट्रल नुडवर्क इन्स्टीट्यूट।

प्रमुख उद्योगपतियों ने टेक्निकल शिक्षा के लिए बहुत कम उत्साह दिखाया है। यादा, जिनकी उदारता से इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस बना है इस सत्य के अपवाद है। शार्थिक सहायता प्रदान करने उद्योगपति जब तक विश्वविद्यालयों में टेक्नोलॉजी की चेयर्स नहीं राल देते, टेक्निकल शिक्षा के विकास में शीघ्रता न होगी। देश के श्रीद्योगिक विकास के साथ टेक्नीशियनों की माँग भी बढ़ती जायगी। एक नये टेक्नोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट की स्थापना यहाँ के लिए बहुत आवश्यक है।

युद्धोन्तर चिक्कास की विभिन्न योजनाओं वे सम्बन्ध में उपयुक्त ट्रेनिंग-प्राप्त टेक्नीशियनों की आवश्यकता-पूर्ति के लिए भारत सरकार ने सरकारी खर्च पर लगभग एक हजार विद्यार्थियों को टेक्निकल तथा वैज्ञानिक विषयों की ढँची शिक्षा दिलाने के लिए ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भेजने की व्यवस्था की है।

(d) विशेष बगों की शिक्षा— दलित बगों तथा मुसलमानों जैसे शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े बगों की स्थिति ने अड़ी घटिन समस्या उत्पन्न कर दी है। इनके बीच शिक्षा-प्रमाणार वे लिए विशेष प्रबल हो रहे हैं। असृश्यता की स्थिति वे कारण अछूतों के बच्चों की शिक्षा और भी कठिन बन गयी है। कुछ लोग दलित बगों के लिए अलग शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना की राय देते हैं। लेकिन यह सलाह ठीक नहीं है क्योंकि इससे अलगाव की भावना को प्रश्न्य मिलता है, उसना विनाश नहीं होता। अछूत बच्चों को सर्वर्ण हिन्दू बच्चों के साथ पढ़ाने का प्रबल होना चाहिये। सर्वर्ण हिन्दुओं का इस सम्बन्ध में विरोध कम हो रहा है। अछूत लड़कों के लिए विशेष छात्रवृत्तियों, फीस में स्कूट, पुस्तकों द्वारा मदद तथा अन्य प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए; यह अच्छा लक्षण है कि उनके बीच शिक्षा शोषणा से फैल रही है।

शिक्षा की दृष्टि से मुसलमानों ने भी पर्याप्त उन्नति की है। पर्दा-प्रथा के कारण मुसलमान लड़कियों की शिक्षा अब भी नुटिगूर्ण है। यूरोपियनों तथा ऐंग्लो-इंडियनों के लिए विशेष स्कूल हैं। मान्ट-फोर्ड सुधारों के अन्तर्गत उनकी शिक्षा एक सुरक्षित विषय (Reserved subject) थी और १६३५ के संविधान में यह गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्वों में से एक थी। शिक्षा की दृष्टि से पारसी सबसे आगे बढ़े हुए हैं।

अस्थीकृत संस्थाएँ— आर्ट् स कॉलेजों, पेशे-सम्बन्धी कॉलेजों, हाई स्कूलों, मिडिल, प्राइमरी और विशेष स्कूलों, जो विभिन्न प्रान्तों के विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा-प्रिभागों द्वारा निश्चित पाठ्य-पत्र अपनाते हैं, के अतिरिक्त देश के नागरिकों को शिक्षा देने वाली अस्थीकृत संस्थाएँ भी हैं। १६४० ४९ में ऐसी संस्थाओं की संख्या १८,१३६ थी और इनमें शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ५५२,०१० थी। १६४५-४६ में यह संख्या गिरकर ४६७,२५३ विद्यार्थियों के साथ १३,५६४ रह गयी। इन संस्थाओं में से अधिकतर परम्परा के अनुसार भाषा की शिक्षा देने वाले स्कूल हैं और उनमें से कुछ उच्चकार्यों की ट्रेनिंग भी देती हैं। वे संस्थाएँ शिक्षा विभाग द्वारा निश्चित किया हुआ पाठ्य क्रम नहीं अपनाती और सरकार द्वारा भी किसी प्रकार अनुशासित नहीं होती। इसी लिए इन्हें अस्थीकृत संस्थाएँ कहा जाता है। इन संस्थाओं की परिदृश्य भी सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है। इनमें से कुछ की स्थापना महान् राजनीतिक नेताओं द्वारा हुई है और अपने मौलिक आधारों पर चलने के कारण इन्होंने सारे संसार का भान आकर्षित किया है। ऐसी संस्थाओं में गुरुकुल कागड़ी

हरिद्वार, शान्तिनिकेतन का विश्वभारती विश्वविद्यालय और स्कूल (अब कनकचा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित), जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली और दार-उल-उलूम देवबन्द अधिक महत्वपूर्ण हैं।

गुरुकुल कागड़ी की स्थापना १८०२ में महात्मा मुन्हीराम जी, जो जाद मस्यामी अद्वानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए, ने की थी। इसकी स्थापना के दृष्ट का इसके आदर्शों तथा उद्देश्यों पर बड़ा प्रभाव पहुंचा है इसलिए उसका वर्णन करने योग्य है। महात्मा मुन्हीराम जी महापि दयानन्द के बड़े अनुयायी थे और पजाव मआई-समाज के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों से उनका गहरा सम्बन्ध था। प्रसिद्ध ढो० ए० बी० कॉलिज लाहौर की व्यवस्थापिक कमेटी में थे। अपने कुछ ग्रन्थ महायागिया के साथ उन्होंने यह अनुभव किया कि पजाव विश्वविद्यालय से सम्बन्धित होने के बारें कॉलिज के कार्यों में यह वाधा पढ़ रही थी और यह विश्वविद्यालय परीक्षाओं पर ही आधिक लाभ दे रहा था, राष्ट्रीय स्पर्शेन्द्र पर दी जाने वाली शिक्षा पर नहुत कम। उन्होंने इसका अनुभव किया कि इस व्यवस्था से देश के नवमुभार्ती की शिक्षा पर किनारा बुग प्रभाव पढ़ रहा था और इसी लिए उन्होंने इसे नये आधार पर संगठित करने का निश्चय किया। महात्मा मुन्हीराम ने हरिद्वार से कुछ दूर गगा तट पर कागड़ी नामक प्राम में गुरुकुल की स्थापना की।

इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली का दूर हटाने तथा प्राचीन आदर्शों तथा पूर्णपराणों का पुनर्जीवित करने के लिए मुरुकुल एक प्रयत्न है। प्राचीन आश्रमों का भौति यह भी लन-रव तथा नगरों के बनाशकारी प्रभाव से दूर मिथ्यत है। ऐसे बातावरण तथा प्रवृत्ति के प्रागण में ब्रह्मचारियों का परिश्रमपूर्ण जीवन की शिक्षा दी जाती है। वे गुरुकुल में पाँच या छँ वर्षों की प्रारम्भिक अवस्था में जाते और अपना अध्ययन समाप्त करने तक वहाँ रहते हैं। इस समय में बीच उन्हें घर जाने की आशा नहीं मिलती, हमारे कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की प्रथा की तरह बड़ी-बड़ी हृषिक्षा में भी नहीं। उनके माँ-बाप गुरुकुल के वार्षिक उत्सव के ग्रबसर पर वर्ष में एक बार आते और अपने ब्रह्मचारियों से मिलते हैं।

हिन्दी तथा ग्रेजुएशन के बाद तक की शिक्षा देने वाला तथा अपना पाठ्य कम स्वयं निश्चित करने वाला गुरुकुल ही पहला भारतीय विश्वविद्यालय है जिसने किमी आई-वनीक्यूलर को शिक्षा का माध्यम स्वीकृत किया है। इसकी परीक्षाएँ अपनी होती हैं। थोड़ी अ ग्रेज़ा तथा पाश्चात्य विज्ञानों के साथ भारतीय साहित्य, दर्शन तथा संस्कृत की शिक्षा होती है। धार्मिक शिक्षा इस सम्बन्ध की प्रमुख विशेषता है। स्नतन्त्रता की भावना के विकास तथा पक्षे चरित्र के निर्माण पर विशेष जार दिया जाता है। अद्वैत तथा नैतिक अनुशासन पर भी यहाँ जोर दिया जाता है। बहुत काल तक यह सम्भा सरकार की ओर से में संदिग्ध बनी रही किंतु १८१३

में उत्तर-प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स मेन्टन के आगमन ने अविश्वास के बादल हटा दिये। देश में अनेक गुरुकुल हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ समय पहले बनारस में हुए अर्पिल-एशिया शिक्षा-सम्मेलन ने यह प्रस्ताव पास किया कि लड़कों की नैतिक शिक्षा पर बोर देने के लिए गुरुकुल-योजना को सारी शिक्षा-संस्थाओं में कार्यान्वित बरना चाहिए।

बोलपुर बंगाल के शान्तिनिकेतन स्कूल तथा विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्थापना रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने दूसरे आदशों तथा उहेश्वों से की थी। मूल में अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ट्रैगोर ने यह निश्चय कि शिक्षा की वर्तमान प्रणाली छीवन से दूर है और बच्चे स्कूलों में प्रमन्त्रता का अनुभव नहीं करते। बहाँ वे जो कुछ मालते हैं उसका उस संसार से कोई सम्बन्ध नहीं जहाँ वे रहते हैं। उनका व्यक्तित्व विसर्जित होने के बदले और दब जाता है। स्वयं ट्रैगोर स्कूल से भाग गये और उसमें फिर कभी न लौटे। इसलिए उन्होंने एक नए स्कूल स्थापना का निश्चय किया—
 (i) जहाँ जाने में बच्चों का प्रसन्नता का अनुभव होता क्योंकि उन्हें अधिक स्वतन्त्रता दा जाती और इच्छा के विरुद्ध उन पर कोई चाँच लादा न जाती ;
 (ii) ग्राम्यम के बातावरण में जहाँ उन्हें अपनी प्राकृतिक शक्तियों को विकसित करने का पूरा अवसर मिलता ; (iii) जहाँ केवल प्रकृति ही प्रभुप शिक्षिता रहता—दूसरे केवल पथ प्रदर्शकों के रूप में कार्य करते, दाम लेने वाले शिक्षकों के रूप में नहीं ;
 (iv) जहाँ अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच की खाई मिलता तथा आत्माव की भावना से पठ जाती ; (v) जहाँ बच्चे के व्यक्तित्व का आदर होता, तिरस्तर नहीं ; (vi) ग्राम्यम के बातावरण में, जहाँ, विद्यार्थियों को अपनी शारारिक, नैतिक, मानसिक तथा ग्राम्यात्मिक पूरी उत्तरति का अवसर मिलता , (vii) जहाँ, स्कूल-समाज के मदस्य के नाते, वे बड़े समाज का नागरिकता का पाठ पढ़ते और जहाँ स्कूल तथा समाज के कार्यों में गहरा सम्बन्ध रहता ; (viii) जहाँ विद्यार्थियों को अपने ही जन सहित तथा प्रनिदेश परम्पराओं से प्रेरणा मिलती और उन्हें शिक्षा भी अपनी ही मातृभाषा द्वारा मिलती ।*

विश्वभारती की स्थापना पूर्व की विभिन्न सम्भालों, विशेषतः उन्हें जो भारत में उत्तम हुई है या जिन्हें यहाँ ग्राम्यम भिला है, के केन्द्रीकरण ; शान्तिनिकेतन में, ग्राम-पुनर्निर्माण इस्टोट्रूट की महायता से, गाँवों के प्रसन्न, सतुष्ट तथा पारत्परिक सौदार्दपूर्ख मानव-जाति की स्थापना ; तथा अन्त में, अन्तर साकृतिक तथा अन्तर-जातीय मिलना एव सद्भाव तथा आधुनिक युग के सबसे बड़े सन्देश—मानव जाति का एकता—की पूर्ति के लिए पूर्व तथा पश्चिम में जीवित सम्बन्ध स्थापित

* प्रेमचन्द लाल, रिकॉर्ड्स्कृष्ण एसड एजुकेशन इन स्कूल इस्टिया, पृष्ठ ४१।

करना— इन तीन उद्देश्यों से हुई थी। गुरुकुल के विपरीत विश्वभारती पूर्व तथा पश्चिम की सल्लूतियों के ग्रीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है। पाश्चात्य सभ्यताओं की मूल्यवान चीजों को यह स्वीकृत करना चाहती है, अस्थीकृत नहीं। इस पुण्य उद्देश्य की पूनि वे लिए महाकवि ने विदेशी विद्वानों को भाषण करने तथा शान्तिनिवेतन में ठहरने के लिए आमन्त्रित किया। महाकवि का निमन्दण स्वीकार करने वाले अन्य व्यक्तियों में पेरिस के प्रोफेसर तिलबन लेबी, प्राग के प्रोफेसर विन्टरनिल्व तथा प्रोफेसर लेसनी, रोम के प्रोफेसर कारलो पॉर्टमिची तथा प्रोफेसर तुसाइ, नावें के प्रोफेसर स्टेन फोनाऊ और हालैड वे डॉ० वेक प्रमुख थे।

१९४५ के पश्चात् शिक्षा-प्रगति— १९४६ म ग्रान्तों म जन-प्रिय मन्त्रिमण्डलों द्वारा पद अहण करने तथा एक वर्ष पश्चात् वेन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बाद जो शिक्षा-सम्बन्धी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उनके सम्बन्ध म कुछ कहना आवश्यक है।

वेन्द्रीय सरकार ने १९४६ के प्रारम्भ ही म ग्रान्तीय सरकारी सार्जन्ट रिपोर्ट के आधार पर पच वर्षीय शिक्षा विभास योजना बनाने तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा तथा शिक्षकों की ट्रेनिंग जैसे कुछ प्रमुख कार्यक्रमों को चुनकर उन्हें स्वीकृति मिलने पर कार्यान्वित करने का आदेश दिया। लगभग प्रत्येक ग्रान्त ने अपनी पच वर्षीय योजना कार्यान्वित कर दी। विभिन्न ग्रान्तों में कार्यान्वित होने वाली योजनाओं का विस्तृत वर्णन यहाँ सम्मेलन नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो कुछ ही रहा है उसके सम्बन्ध म कुछ शब्द लिखे जा सकते हैं।

उत्तर-प्रदेश की सरकार के शिक्षा-विभाग ने कार्य की एक व्यापक योजना बनाई। इस योजना के तीन मार्ग किये प्रसार, पुनर्स्थगठन एवं अध्यापकों का प्रशिक्षण। शिक्षा-विभाग ने जो नई योजनाएँ आरम्भ की उनमें से मुख्य भूख्य अग्रलिखित हैं— नगर-न्हों म अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा और आमीण-न्हों म इसका विस्तार, प्रैट शिक्षा का प्रचार, माध्यमिक शिक्षा का पुनर्स्थगठन, सैनिक शिक्षा का प्रबन्ध, ग्रेजुएट सुविधाएं तथा लिए सामाजिक सेवा-प्रशिक्षण, मनोविज्ञान और शिक्षाविज्ञान के लिए एक अन्वेषणालय, तथा नई प्रणाली से शिक्षकों को परिचित कराना। यहाँ हम इनमें से कुछ पर संक्षिप्त घटिप्राप्त करेंगे।

(१) **अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा—** छ से आठवटे वर्ष तक की आयु वाले बालकों के लिए सार्विक अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा को शिक्षा प्रसार की योजना म सर्वोच्च स्थान दिया गया। यह एक महत्वार्थ था। अब से पहिले पृष्ठ लाख पढ़ने लायक बालकों में से केवल १५ लाख ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, ४३ लाख बालकों के लिए और प्रबन्ध करना था। एक पचवर्षीय योजना बनाई गई और इसे कार्यान्वित करने के लिए एक विशेष अनुभवी अधिकारी को नियुक्त किया गया।

विचार यह था कि पाँच वर्ष में २२,००० प्राथमिक पाठशालाएँ, दूसरे शब्दों में, ५ वर्ष तक प्रति वर्ष ४४,००० स्कूल खोले जायें। १६४८ ई० थे अन्त तक लगभग ७,००० नये सरकारी प्राथमिक स्कूल खोले गये जिनमें लगभग टाई लाख बच्चे शिक्षण ग्रहण कर रहे थे। १६४९ ई० में ४,२१८ और नये शिक्षालय बढ़ाये गये जिससे इस राज्य में प्राथमिक पाठशालाओं की कुल सख्ता ११,१४० हो गई और इनमें ७,६५,६४० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ६१,२०,५६०) स्पष्ट व्यव स्वीकार किया।

इस विषय में सबसे बड़ी कठिनाई थी नये स्कूलों के लिए प्रशिक्षित शिक्षापकों का प्रबन्ध। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'सचल शिक्षक-दल' बनाये गये। इन्होंने अनेक प्राइमरी स्कूलों में जाकर शिक्षापकों को गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण देना शुरू किया। १६४८-४९ में इस प्रकार के २६ दल थे। १६४९ की जुलाई में उनकी सख्ता ४६ कर दी गई। सब मिलाकर १६४९ ५० के बीच २,३४० शिक्षापक प्रशिक्षित किये गये और लगभग १५,००० देनिम पा रहे थे। इस प्रकार ने प्रशिक्षित शिक्षापकों को हिन्दुस्तानी टीचर्स सटिक्वेट दिये गये। सचल दलों ने ग्राम्य जनता में एक नई सूत्रता और चेतन पैदा की।

इसके अतिरिक्त ८६ नगरपालिकाओं में भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की गई। उनमें लगभग १,६०८ प्राथमिक पाठशालाएँ हैं जिनमें तीन लाख से अधिक शालक शिक्षा पा रहे हैं और इनमें ७,७०३ शिक्षक काम कर रहे हैं। इन स्कूलों के प्रबन्ध के लिए सरकार ने ५५,००,०००) का अनुदान दिया।

(२) प्रौढ़ शिक्षा— प्रौढ़ों की निरक्षरता दूर करने के लिए सरकार की ओर से प्रौढ़ पाठशालाओं और पुस्तकालयों का जाल-सा बिछा दिया गया। १६४९-५० के अन्त तक इस प्रकार की ४,२४७ पाठशालाएँ थीं। इस उद्देश्य के लिए 'प्रोजेक्टर', 'जेनरेटर' (जनित्र) और लाउडस्पीकर (घनि प्रसारक) लगी हुई मोटर गाड़ियों का भी उपयोग किया गया। यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले तान वर्षों में २० लाख अनपढ़ व्यक्तियों को साक्षर बना दिया गया है।

(३) सामाजिक सेवा प्रशिक्षण— जनवरी १६४८ ई० में प्रान्तीय सरकार ने फैजाबाद में ग्रेजुएट विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए एक सामाजिक-सेवा प्रशिक्षण शिविर खोला जिसमें नियात्मक और दौदिक दोनों प्रकार की शिक्षा देकर मुवक्का को समाज सेवा के यात्रा बनाया जाता था। अब इस शिविर को तोड़कर दस बज्लों ने ५० स्कूलों में प्रधानतया ११वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक सेवा-प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया गया है। प्रत्येक जिले में सरकार की ओर से एक 'डिस्ट्रिक्ट साशल सर्विस ऑर्गनाइजर' रखा गया है जिसका कर्त्तव्य विद्यार्थियों को सामाजिक सेवा

और ग्रामीणतान के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इस योजना में व्यावहारिक कार्य की ओर अधिक जोर दिया जायेगा।

(४) हायर सेकंडरी शिक्षा।— हाई स्कूल शिक्षा का पुनर्संगठन हो रहा है। आगग-विश्वविद्यालय से सम्बन्धित डिग्री कक्षाओं से इण्टरमीजिएट कक्षाओं को हटाकर उन्हें हाई स्कूल में जाड़ देने का निश्चय हुआ है। यह नया संगठन हायर सेकंडरी स्कूल बहलाता है और इसम इण्टरमीजिएट स्तर तक शिक्षा दी जाती है। पाठ्य क्रम में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं। चार प्रकार के स्कूलों— साहित्यिक, आर्ट, रचनात्मक तथा वैज्ञानिक— का निर्माण किया गया है जिनमें क्रम से लड़कों की मानसिक, कलात्मक, व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक उन्नति घर जार दिया जाता है। इस प्रकार के ७० स्कूलों के प्रारम्भ का निश्चय हुआ था। हाई स्कूल तथा इण्टरमीजिएट के सभी बच्चों के लाए हिन्दी अनिवार्य कर दी गई है लोकन परीक्षा में उन्हें हिन्दी, उर्दू या अंग्रेजी में उत्तर देने की स्वतन्त्रता दी गई है। अनेक जगहों पर हिन्दी के माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती है। अपना स्तर ऊँचा करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा बॉलबों को वापिक तथा दूसरी प्रकार की सहायता के रूप में रकम दी गई है। शिक्षा की ट्रेनिंग तथा एडलट शिक्षा के प्रसार के लिए भी कदम उठाये गये हैं।

यूनिवर्सिटी कमीशन— भारत-सरकार ने सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अधिकारी में एक यूनिवर्सिटी-कमीशन नियुक्त किया था जिसमें अमेरिका और इंग्लैण्ड के भी प्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ सम्मिलित थे। इस कमाशन ने देश भर के विश्वविद्यालयों और प्रमुख बॉलबों के निरीक्षण के पश्चात् एक रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसकी बुल्ले सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार डिग्री कोर्स और हायर सेकंडरी कोर्स तीन तान वर्ष के होने चाहिये और इण्टरमीजिएट कक्षा हटाई जानी चाहिये। इसने पाठ्य-क्रम में और शिक्षकों के बेतन इत्यादि बढ़ाने के विषय में सारगमित सुझाव दिये हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं।

**द्वितीय भाग
प्रशासन**

अध्याय ८

शासन पद्धति का विकास

प्रवेशक—भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन और यहा की शिक्षा प्रणाली का साधारण अध्ययन करने के पश्चात् अब हमें यह देखना है कि इस विशाल देश के शासन और प्रशासन इस प्रकार चलाएं जाते हैं। आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और हमारा अपना ही बनाया हुआ एक संविधान है जिस के अनुरूप राज्य की सभी कार्यवाही हो रही है।

जो संविधान भारतीय संविधान सभा ने इस देश के लिए बनाया है वह सर्वथा नवीन नहीं है। बहुत कुछ अश में यह आचीन शासन प्रणाली का ही स्पान्तर है। यद्यपि राष्ट्र की नवीन जागृति और प्रगति के अनुकूल नए संविधान में पर्याप्त परिवर्तन और परिमार्जन किये गए हैं फिर भी इस में १९३५ ई० के गवर्मेन्ट आफ इंडिया एकट के बहुत बड़े भाग का समानेश है। इसी प्रकार शासन प्रणाली में भी आवश्यक संशोधनों के साथ हम ने पुरानी पद्धति को ही अपनाया है। अतएव नवीन प्रणाली को अच्छी तरह समझने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि १९३५ ई० के गवर्मेन्ट आफ इंडिया एकट और इस के पूर्व गांधी उन सभी अधिनियमों (Acts) का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया जाय जो समय समय पर वृत्रिश संसद् (Parliament) द्वारा स्वीकृत किये गए और जिन्होंने इस देश की शासन प्रणाली को सुनिश्चित किया है।

१९३५ ई० में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने देश के एक बहुत बड़े भूभाग (जिस में लगभग विभाजन के पूर्व का व गाल, और उड़ीसा सम्मलित हैं) के ऊपर शासन सत्ता सभाली। तभी से आज तक के विकास क्रम में एक शृखला सभी प्रतीत होती है। इस स्थान पर विस्तार पूर्वक यह वर्णन करना आवश्यक नहीं कि किस प्रकार १९०० ई० में पूर्व के प्रदेशों से व्यापार करने के लिए इंग्लैन्ड में ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना हुई, किस प्रकार इस व्यापारी संघ ने अपने ग्रतिद्वन्दी फ्रास के सौदागरों को परास्त करके पीहे भद्रास भ्रान्त पर अधिकार किया और १९२५ किस प्रकार १९३७ ई० के प्लासी युद्ध और १९३५ ई० की प्रयाग-सन्धि के पश्चात् कलाद्व ने कम्पनी के लिए व गाल, विहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार प्राप्त किये। तभी से कम्पनी का राजनीतिक ग्रामाव और प्रभुत्व क्रमशः बढ़ते रहे, यहा तक कि एक दिन वह देश की सर्वोन्नत सत्ता

बन जैठी। १८५७ ई० के सिपाही विद्रोह में एक बार विदेशी सत्ता को हटा कर देशी राज को पुन जीवित करने का असफल प्रयास किया गया जिस के उपरान्त बृहिंश ममाटू ने स्वयं देश के प्रशासन की बागड़ोर सभाली। तत्पश्चात् बृहिंश ममाटू ही यहाँ के सर्वधेष्ठ और अधिपति माने जाने लगे। आगामी पृष्ठों में हम भारत के वैधानिक विकास पर साधारण दृष्टिपात करेंगे।

वैधानिक विकास-मृहला की कहियाँ

१८५८ ई० का ऐकट—वह प्रथम अधिनियम जिसने सन् १७७३ ई० में भारत वीर्तमान शासन पद्धति का शिलान्यास किया रेप्यूलेरिंग ऐकट के नाम में प्रतिष्ठा है। वैधानिक दृष्टि से इस ऐकट का विशेष महत्व है। इस के द्वारा ही बृहिंश संसद ने कम्पनी का यज्ञनीतिक कृत्य(Function) स्वीकार किया। साथ ही इस के द्वारा पार्लिमेंट ने भारत में कम्पनी के अधिकृत प्रदेश पर प्रशासनीय व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करने का अधिकार स्वयं से लिया। तीसर, यह ऐकट भारत के एकीकरण की ओर पहला ही कदम था। इस से पूर्व कम्पनी का अधिकार क्षेत्र तीन प्रिंसेप्स खण्डों (Presidencies) बगाल, मद्रास और बम्बई में बढ़ा हुआ था जिन का शासन प्रबन्ध अलग अलग किया जाता था। इन प्रान्तों के गव्यपाल (Governor) द्वारा गलैंड सिफ्न सचालक मण्डल (Court of Directors) से सीधा सम्बन्ध और लिखत-पढ़त रखते थे। रेप्यूलेरिंग ऐकट ने पहिली बार बगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया। अब से बगाल के दीवानी और सैनिक उत्तर दायित्व के साथ साथ गवर्नर जनरल और उनकी कार्य कारिणी को बम्बई और मद्रास की सरकारों के ऊपर सुदूर घोषणा और शान्ति स्थापन के विषय में नियन्त्रण के अधिकार भी संगम दिए गए। इस ऐकट के अनुसार बम्बई और मद्रास की सरकारों का यह कर्तव्य ही गया कि वे गवर्नर जनरल के आदेशों का पालन करें और शासन प्रबन्ध तथा राजस्व (Revenue) के सम्बन्ध में समय समय पर उन्हें आवश्यक सूचना देती रहें। स-कौसिल गवर्नर जनरल की आशा न मानने के अपराध में गवर्नर और उस की कार्य कारिणी के सदस्यों को कुछ समय के लिए पद से हटाया जा सकता था।

रेप्यूलेरिंग ऐकट के द्वारा बारेन हस्टिंग्स की प्रथम गवर्नर जनरल बना कर उसकी सहायता के लिए चार अन्य कार्य कारिणी के सदस्यों की नियुक्ति की गई। ये सब लोग पांच वर्ष तक के लिए इस पद पर रहे जाते थे और इस अद्यति में सचालक मण्डल की सिफारिश पर बेबल बृहिंश ममाट द्वारा इन्हें पदन्युत किया जा सकता था। गवर्नर जनरल और उनकी कार्य कारिणी को यह अधिकार भी मिल गया कि कम्पनी के अधिकार क्षेत्र की शान्ति और सुव्यवस्था के लिए नियम, उपनियम और आधारेश (Ordinances) बनायें। परन्तु इस अधिकार के साथ यह प्रतिबन्ध था कि इस प्रबार

बनाए गए नियम अथवा अध्यादेश इंगलैन्ड की प्रचलित विधियों (Laws) के प्रतिकूल नहीं हैं। ऐसे नियम उपनियम तभी मान्य समझे जाते थे जब कि फोर्ट विलियम में स्थित सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of Judicature) द्वारा उन्हें स्वीकृति मिल जाय।

इस अधिनियम की अन्य वारीकियों में जाने की आवश्यकता नहीं चूंकि उन का वैधानिक दृष्टि से विशेष महत्व नहीं हैं। तथापि इस के एक बहुत बड़े दोष का उल्लेख चाहिये हैं। इसने गवर्नर जनरल का अपनी कार्य कारिणी के सम्मुख ही शक्तिहीन बना दिया चूंकि सभी निर्णय कार्य कारिणी के ग्रहण पर निर्भर हो गए और गवर्नर जनरल को उन्ह अस्वीकार करने का अधिकार न था। इस के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च गवर्नर जनरल के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया जब कि उस के ऊपर देश की शान्ति और सुव्यवस्था का सेश मात्र भी उत्तर दायित्व नहीं था।

रेयूलेरिंग ऐकट के उपरन्त आने वाले १७८१ई० के ऐकट में उपरोक्त दोषों के नियासण का प्रयत्न किया गया। अन्य बातों के साथ साथ इस नवीन अधिनियम के द्वारा इस प्रतिभन्ध से मुक्ति मिल गई कि नियम उपनियम और अध्यादेशों की मान्यता की अन्तिम स्वीकृति सर्वोच्च न्यायालय से ली जाय। इस प्रकार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी और न्यायालय के बीच से सर्वप का कारण दूर हो गया। इस के अतिरिक्त नए ऐकट का अधिक वैधानिक महत्व नहीं है।

१७८४ ई० का पिटस इंडिया ऐकट—इस शुखला की दूसरी कड़ी पिट्स इंडिया ऐकट है जो बृटिश सरकार ने १७८१ ई० में स्वीकार किया। मारत की ओर यह बृटिश सरकार की नवीन नीति का सूचक है। इस ऐकट के अनुसार कम्नी को बृटिश सरकार वीरजनीतिक आधीनता में आना पड़ा। इसके पूर्व सचालक मण्डल ही कम्नी के मामलों में सर्वोच्च सत्ता समझा जाता था परन्तु नए अधिनियम के अनुसार सचालक मण्डल के ऊपर देल भाल करने के लिए छ. सदस्यों का एक नियन्त्रण सघ (Board of control) बना दिया गया। इस नियन्त्रण सघ को कम्नी के अधिकार क्षेत्र में सर्वजनिक और आर्थिक प्रबन्ध के नियीकण का पूर्ण अधिकार मिल गया। इस प्रकार यह सघ बृटिश सरकार का प्रतिनिधि स्वरूप था और उसकी ओर से कम्नी के शासन का नियंत्रण अर नियीकण करता था। यद्यपि सचालक मण्डल के शासन सम्बन्धी प्राय सभी अधिकार बने रहे किन्तु अर यह नियन्त्रण सघ के आधीन था और इसकी आज्ञा व ग्रान्टों का पालन उसके लिये अनिवार्य था। या कहा जाता है कि पिट्स इंडिया ऐकट ने इंगलैंड में भारतीय प्रशासन के ऊपर नियन्त्रण के लिए एक दो स्थान पर दो सत्ताओं को थोड़ा दिया।

इसके अतिरिक्त संविधान सम्बन्धी होटे मोटे अन्य परिवर्तन भी नए ऐकट के द्वारा किये गए। गवर्नर जनरल की कार्य कारिणी के सदस्यों की सख्त चार से घट कर तीन कर दी गई और गवर्नर जनरल को एक निर्णयित्वमत (casting vote) का अधिकार मिल गया। इसी प्रकार मद्रास और बम्बई की कार्यकारिणियों में भी बुद्धि परिवर्तन किये गये। गवर्नर-जनरल और उस की कार्य कारिणी को प्रान्तीय सरकारों के ऊपर बुद्धि अधिक अधिकार दे कर भारत के एकी करण की ओर इस के द्वारा एक कदम और बढ़ावा गया। यह सब बुद्धि होते हुए भी पिछ्से हाइकोर्ट ने रेप्यूलेटिंग ऐकट के मुख्य दोष को दूर नहीं किया। इस दोष से १७८६ है० में मुक्ति मिली जर्फ़ि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी कार्यकारिणी के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हो गया।

१८१३ है० का ऐकट—इस अधिनियम के द्वारा कम्पनी के चार्टर की बीस वर्ष^१ के लिए अधिक बढ़ा दी गई। वर्तमान वैधानिक प्रवार में इससे बोर्ड विशेष अन्तर नहीं आया परन्तु इस से भारतीय शासन में बृद्धिश सम्बद्ध का और भी अधिक इस्तेव्वप बढ़ गया। अब से कम्पनी का नाय के व्यापार पर अधिकार भी ढीला पड़ गया। इस ऐकट ने बृद्धिश सम्बद्ध की प्रभुता (Sovereignty) पर वल दे कर इस बात को अधिक स्पष्ट कर दिया कि सम्ब्राट की सरकार को कम्पनी दे अधिकारों में परिवर्तन और भारत सम्बन्धी प्रशसनीय सशोधनों का पूर्णाधिकार हैं। इस ऐकट के एक खंड (clause) के अनुसार कम्पनी को भारत में राज्यांके प्रवार के लिये प्रत्येक वर्ष^१ एक लाल रुपये खर्च करने का आदेश दिया गया।

१८३३ है० का ऐकट—१८१३ है० के ऐकट से अधिक महत्व पूर्ण १८३३ है० का ऐकट है जिसने फिर से कम्पनी के चार्टर को बीस वर्ष^१ के लिये बढ़ा दिया। इसने कम्पनी के व्यापार सम्बन्धी कृत्य को पूर्णतया समाप्त कर दिया। वह कम्पनी जो १६०० है० से एक व्यापार संग्रहालय की भाँति कार्य कर रही थी। अब से केवल प्रशासन यन्त्र बन कर रह गई। दूसरी बात यह कि इस ऐकट के द्वारा प्रान्तीय सरकार का कानून बनाने का अधिकार हीन बर संकीर्ण गवर्नर जनरल को संपूर्ण दिया गया। इससे पर्याप्त लाभ हुआ चूंकि इसके बाद देश की सरकार का पहले से अधिक केन्द्रीयकरण हो गया। तीसरी बात यह कि अब से गवर्नर जनरल की कार्य कारिणी के सदस्यों का सख्त तीन से चार कर दी गई और नया सदस्य लॉ मेम्बर के बदलाया। इस अधिनियम के दूसरे उपचर्य (Provisions) वैधानिक हाइकोर्ट से अधिक महत्व नहीं रखते। फिर भी एक खंड इस ऐकट में विशेष ध्यान देने के योग्य है। अब से योग्यता ही किसी पद को प्राप्त करने का माप दरड माना गया। धर्म,

* लाउं मेकारले पहले कानूनी सदस्य थे।

जन्म स्थान अथवा रोग के आधार पर किसी भी भारतवासी को सरकारी पद के अध्योग्य न समझा जायगा। परन्तु यह तो सभी भली भाविं जानते हैं कि इस दिरावर्णी नियम का वहां तक पालन किया गया।

१८५३ ई० का ऐक्ट—१८५३ ई० के अधिनियम पर भी योड़ा विचार करना असगत न होगा। इस ऐक्ट ने दोबारा कम्नी के अधिकार और शक्ति में बद्दि की। कम्नी को भारत में अपना अधिकार बनाये रखने की आज्ञा मिल गई परन्तु पर अधिकार महारानी विक्रोरिया और उनके उत्तराधिकारियों के न्यास (Trust) के समान था। इससे भी अधिक महत्व पूर्ण यह गत थी कि इस ऐक्ट के द्वारा पहली बार भारतवर्ष में एक व्यवस्थापक सभा (Legislative-Council) बनाई गई। इस सभा के मुदस्य दस प्रकार थे —गवर्नर जनरल और उसकी कार्य कारिणी के सभ सदस्य, प्रधान सेनासति और छ अन्य सदस्य निम्नमें दो ब्रिटिश न्यायाधीश और शेष चार मंत्रालय, वर्मन्ड, बगाल और आगरा की सरकारें द्वारा नियुक्त किये गए मदस्य। इस प्रकार १८५३ ई० के ऐक्ट से शासन के एक नये अग्र अर्थात् व्यवस्थापक सभा का जन्म हुआ।

१८५८ ई० का ऐक्ट—प्रभाव की हाँट से १८५८ ई० का ऐक्ट अपेक्षाकृत अधिक व्यानिकारी सिद्ध हुआ। इसके द्वारा कम्नी का राजनीतिक कृत्य मिलकुल समाप्त बर दिया गया और शासन की बागदोर पूर्णतया ब्रिटिश स्प्राइट की सौंप दी गई। इससे इगलैशड में भारत मंत्री और उनके परिषद (Council) का जन्म हुआ। अब से भारत मंत्री और उनके परिषद को सचालक मठल और नियन्त्रण सघ के समूर्ण अधिकार और कर्तव्य दे दिये गए। भारत मंत्री के परिषद का कर्तव्य सभ्य समय पर भारत मंत्री को परामर्श देना था। स्वयं भारत मंत्री ब्रिटिश सचिव के समक्ष भारत के सुप्रबंध के लिए उत्तरदायी थे। प्रत्येक वर्ष पालिंयामेण्ट के सामने उन्हें इस देश की सरकार की वार्षिक आय व्यय का लेखा और गत वर्ष की भौतिक तथा सद सदाचार सम्बन्धी प्रगति का प्रतिवेदन रखना पड़ता था। भारत मंत्री और उनके परिषद के सदस्यों का वेतन भारतीय कोप से दिया जाता था।

१८५८ ई० का ऐक्ट एक युग के अन्त और दूसरे के आरम्भ का योतक है। अपसे कम्नी के शासन का अन्त हुआ और स्प्राइट द्वारा शासन की नींव पड़ी। वैति युग में भारतीय जनता को यह के प्रशासन में किसी प्रकार का उत्तरदायित्व देने की कल्पना भी नहीं की गई। परन्तु नये युग में एक नई लहर आई। शनै शनैः जनता में राजनीतिक चेतना पैलने लगी। जिसके पलत्वरूप घार दीर नद नद मर्गें हम लोग ब्रिटिश-सरकार के सामने रखने लगे।

१८६१ ई० का इण्डियन कौन्सिल ऐक्ट—कुछ लोगों का विचार है कि शासक और शासित जनता में गहन सम्बन्ध का अमाव और व्यवस्थापक मण्डलों में भारतीय

प्रतिनिधियों का न होना ही सिपाही विद्रोह के प्रधान कारणों में से थे। १८५८ के ऐक्ट के पारण वे समय मी ब्रिटिश सदस्य में यह प्रश्न उठा था कि भारतीय प्रशासन में यहां की जनता का सहयोग प्राप्त किया जाय, परन्तु उस समय यह प्रश्न हो नियधार और व्यर्थ समझा गया। जो बात १८५८ ई० में असगत और अव्यावहारिक प्रतीन होती थी वही १८६१ ई० में आवश्यक और अनिवार्य ठहराई गई। १८६१ ई० के ऐक्ट के अनुस्तुप कानून बनाने में पहली बार भारतवासियों का सहयोग लेकर प्रतिनिधि सम्पाद्यों का बीजा रोपण किया गया। परन्तु यह ध्यान रहे कि उस समय व्यवस्थापक मण्डलों में ये भारतीय सदस्य जनता के वास्तविक प्रतिनिधि न होते थे, ये क्योंकि इनका नाम नियंत्रण (Nomination) गवर्नर जनरल के हाथ में था। इस प्रकार के सदस्यों की सख्ती कम से कम छु और अधिक से अधिक बाहर थी और इनकी नियुक्ति केवल दो कार्य के लिये की जाती थी। उन परिस्थितियों में यह छोटा सा अधिकार ही काफी समझा गया चूंकि इस के द्वारा सरकार जनता के समर्क में आई। यहां यह भी समझ रखने योग्य है कि व्यवस्थापक समाजों का कार्य केवल कानून बनाना था और उन्हें प्रश्न पूछने अथवा सरकार की नीति निर्धारित करने से कोई सरोकार नहीं था।

इस ऐक्ट के द्वारा दूसरा मुख्य परिवर्तन यह किया गया कि प्रान्तीय सरकारों के कानून सम्बन्धी वे अधिकार जो १८३३ ई० में उनसे छिन गए थे फिर से उन्हें ही दे दिये गए। दूसरे शब्दों में कानून बनाने का अधिकार केन्द्र में ही सीमित न रह कर अब से प्रान्तीय सरकारों को भी सौंप दिया गया। बन्वई और बगाल प्रान्तों में तुरन्त धारा समाए बनाई गई और गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिल गया कि आवश्यकता समझते पर वह पजाब और सीमा प्रान्त के लिये भी इसी प्रकार की सम्पाद्यों की घोषणा कर सकते हैं। इस प्रकार जो व्यवस्थापक समाए कानून बनाने के लिए स्थापित की गई उनके अधिकारों पर कुछ विशेष प्रतिक्रिया भी लगाये गए। सभी कानूनों पर गवर्नर जनरल की अन्तिम स्वीकृति आवश्यक थी और कुछ विशेष कानूनों को समाजों में रखने से पूर्व ही उनकी अनुमति लेना अनिवार्य था। गवर्नर जनरल की कार्य-कारिणी में अब से एक साधारण सदस्य और बढ़ गया। यह न भूलना चाहिए कि केन्द्र और प्रान्तों में जो व्यवस्थापक मण्डल बनाये गए वे क्रमशः गवर्नर जनरल, और गवर्नरों की कार्य-कारिणीयों के ही स्पान्तर मात्र थे। जिनमें कुछ थोड़े से भारतीय मनोनीत सदस्य सम्मिलित कर लिये जाते थे।

इस अधिनियम के अन्य उपबन्ध विशेष महत्व नहीं रखते। इसलिए उनमें हमारी अभिरुच नहीं है।

१८६२ ई० का इरिडियन कॉसिल ऐक्ट—यद्यपि आगामी बीस पच्चीस वर्षों में बहुत सी महत्व पूर्ण घटनाएँ घटिन हुईं। (जिनमें १८६५ ई० में भारतीय शर्ट्रीय

काप्रेस का जन्म सबसे मुख्य घटना है) परन्तु इस बीच में व्यवस्थापक समाजों की रचना या शक्ति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया । १८६२ ई० के इण्डियन-कॉमिल एकट ने इस कमी की पूर्ति की । इसीलिए इसका भारत की वैधानिक प्रगति में मुख्य स्थान है ।

१८६२ ई० और १८६३ ई० के बीच भी कई अधिनियम लिटिश ससद् ने भारत के लिये बनाकर भेजे परन्तु वे इतने महत्व पूर्ण नहीं जिनका विवेचन आवश्यकीय हो । १८६४ ई० के एकट की ही व्यवस्थापक मण्डलों की रचना और अधिकारों में विशेष परिवर्तन करने का श्रेय है । इसीलिए इसे समझने में हमारी अभिमुखी है । इस एकट ने निम्नलिखित परिवर्तन किये ।

केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थाएँ के समाजों की सख्ता बढ़ा दी गई । केन्द्रीय कॉमिल में कम से कम दस और अधिक से अधिक सौलह मनोनीत सदस्य होने आवश्यक किये गए । मनोनीत सदस्यों में से कम से कम दस सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य था जब कि पुराने ऐकट में उनका अनुपात आधा-आधा था । प्रान्तीय धारा समाजों में भी मनोनीत और गैर सरकारी सदस्यों की सख्ता बढ़ा दी गई । इस ऐकट के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिल गया कि वह पांच सदस्य कलकत्ता चैम्बर आफ कामसं की सिफारिश पर और पांच अन्य सदस्यों को मद्रास, बम्बई, बगल और सीमा प्रान्तों की व्यवस्थापक समाजों के गैर सरकारी सदस्यों वी सिफारिश पर नियुक्त करें । इस प्रकार प्रान्तीय निर्वाचित सदस्यों की सिफारिश पर केन्द्र के लिए मनोनीत सदस्यों के नाम निर्देशन का यह नया दण अपनाया गया । इसी प्रकार प्रान्तीय धारा समाजों के लिये सदस्यों की सिफारिश स्थानीय संस्थाओं—नगरपालिका (Municipalities) व्यापार सह इत्यादि—द्वारा को जाने लगी । इस नई व्यवस्था के पीछे यह विचार निहित था कि जनता से सम्पर्क रखने वाले सदस्यों का व्यवस्थापक मण्डलों में समावेश हो ।

सदस्यों की सख्ता में कुद्दि करने के साथ साथ इन व्यवस्थापक मण्डलों के अधिकार भी बढ़ा दिये गए । अब वे वार्षिक आय व्ययक (Budget) पर वाद-विवाद कर सकते थे, परन्तु उन्हें इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार न था । सदस्यों को प्रश्न पूछने की तो आज्ञा थी, परन्तु उन्हें अनुपूरक प्रश्न (Supplementary Questions) पूछने का अधिकार न था । नवीन प्रस्ताव रखने अथवा बजट पर मन गणना करने का कोई अधिकार सदस्यों को प्राप्त नहीं था ।

इस समय चुनाव के कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिनके कारण स्वतन्त्र विचार रखने वाले साधारण व्यक्तियों को व्यवस्थापक मण्डलों तक पहुँच नहीं पाती थी ; और विशेष प्रकार के लोग ही नवीन अधिकारों का उपयोग कर सकते थे ।

“१९०६ ई० का इरिडियन कॉसिल ऐकट—जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्त्वालीन प्रस्तावों से विदित है, जागृत लोक मत १८८२ ई० के ऐकट के द्वारा किये गए सुधारों से असन्तुष्ट था। कांग्रेस ने व्यवस्थापक समाजों में वृद्धि और जनता के अधिकाधिक प्रतिनिधित्व की अपनी पुरानी माओं को जारी रखा। लाई चौंकने की सामाजिक नीति से राष्ट्रीय चेतना और भी अधिक बढ़ने लगी। साथ ही इस नीति की प्रतीक्या में बहुत से उग्रदल और कालिनारी सत्याग्रहों का सगड़न किया जाने लगा। इस प्रगति को देखकर भारत और ह गलैरण दोनों देशों में छिट्ठा सरकार की यद अनुभव होने लगा कि इस देश के नरम दल का सहयोग लेकर भारतीय जनता को शान्ति करने के लिये कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। इस समय नरम दल के नेता श्री गालोले भी सरकार के ऊपर अपना पूर्ण प्रभाव डाल रहे थे कि वह कांग्रेस के साथ समझौता करे। लाई माले जो उस समय भारत मन्त्री के पद पर विराजमान थे, परिस्थिति की गम्भीरता का समझ गये। लाई मिल्टो भारत में गवर्नर जनरल थे। नवीन परिस्थिति के विविचन में वे भारत मन्त्री से सहमत थे। इसलिए मिल्टो माले योजना के अनुरूप देश के लिये कुछ नये सुधारों की ओर कदम उठाया गया। वैधानिक प्रगति में १९०६ ई० के ऐकट का बास्तव में पर्याप्त महत्व है।

नये अधिनियम ने व्यवस्थापक मण्डलों को और भी अधिक विशाल बना दिया। केन्द्रीय सभा के सदस्यों की सख्त सोलह से बढ़ा कर साड़ कर दी गई जिनमें गवर्नर जनरल और उसकी कार्य-कारिश्मी के सदस्यों की गिनती न होती थी। कार्य कारिश्मी के सदस्यों को मिलाकर केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल के कुल सदस्यों का योग आड़सठ हो गया। प्रान्तीय थारा समाजों में भी नए ऐक्ट के अनुकूल अभिवृद्धि की गई। भारतीय गैर सरकारी सदस्यों के नाम निर्देशन वा पुराना ढग बदल गया और पहली बार सीधे चुनाव का सिद्धान्त अपनाया गया। कुछ प्रान्तों में निर्वाचित सदस्यों वा बहुमत था परन्तु केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल में सरकारी सदस्या वा बहुमत ही रखा गया। इसके दूसरे सदस्यों में से ३६ सरकारी पदाधिकारी, २५ निर्वाचित गैर सरकारी और ७ मनोनीत गैर सरकारी सदस्य होते थे।

१९०६ ई० ऐकट वे द्वारा व्यवस्थापक मण्डलों का कार्य क्षेत्र और अधिकार भी बढ़ गये। सदस्य वार्षिक आय-व्ययक पर बाद विवाद कर सकते थे और नए प्रस्ताव रख सकते थे। उत्तर की कुछ भव्यों पर मत गणना भी कराई जा सकती थी। परन्तु यह कहना ही पड़ेगा कि लो कुछ अधिकार मिले वे बहुत कुछ सीमित थे। कुछ विषयों पर तो बाद विवाद भी नहीं हो सकता था। यह स्मरण रखने योग्य बात है कि इन समाजों के प्रस्ताव केवल सिभारिशी समझे जाते थे और सरकार को मानने या न मानने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी।

यथोपर्यं ये सुधार महत्व पूर्ण थे और इनके द्वारा देश एक कदम और आगे बढ़ा परन्तु इन्होंने किसी नई नीति को जन्म नहीं दिया। विदेशी सरकार और जनता के सदस्यों में समर्पक तो अवश्य बढ़ गया किन्तु उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की ओर एक बदल भी नहीं बढ़ाया गया। इस ऐकट का नेवल यही उद्देश्य था कि व्यवस्थापक समाजों में भारतवासियों को पहिले से अधिक जगह मिल सके और नाय कारणी के साथ धारा-समाजों का अधिकाधिक समर्पक बढ़े।

लाईं माले ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया जो १९०६ ई० के ऐकट का एक अंश तो नहा है जिस भी उसी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। पहली बार भारत मत्री ने इन्डिया कॉर्सिल में श्री के० जी० गुप्ता और श्री सैयद हुसैन गिलग्रामी—दो भारत वासियों को स्थान दिया। यह कार्य १९०७ ई० में किया गया। इसी के द्वारा १९०६ के ऐकट के स्वीकृत होने के कुछ दिन पश्चात् गवर्नर जनरल की कार्य कारिग्री में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का—द्वारा—खुला। श्री एस० बी० सिन्हा, जो बाद में लाईं सिन्हा के नाम से प्रसिद्ध हुए, गवर्नर जनरल की कार्य कारिग्री में पहले भारतीय सदस्य थे। इन सभी सुधारों का कांग्रेस के नरमदल ने महर्यं स्वागत किया।

परन्तु साम्राज्यवाद कभी सीधे हाथों अपनी सत्ता का परित्याग नहीं किया करता। बृहिंश सरकार ने मिन्टो माले सुधारा द्वारा भारत वासियों को यदि एक हाथ से कुछ अधिकार दिये तो उन्हें दूसरे हाथ से समेट लिया। इस ऐकट के अन्तर्गत बनाये गए नियम और उपनियम सुधारों के आधारभूत सिद्धान्तों के सर्वेषा विरोधी थे और वे इतने बड़ोर थे कि उनके कारण नए सुधार विलुप्त बोरार हो गए। कांग्रेस ने इन नियमों का धोर घरेटन किया। इन नियमों का सर से बड़ा यह दोष था कि इनके द्वारा एक सम्प्रदाय को दूसरे सम्प्रदायों के विरुद्ध प्रोत्साहन मिला। अल्पमत के ग्रातनियित्व और और और उनके विशेषाधिकारों की रक्षा की एक नई समस्या लड़ी बर दी गई जिस का अन्त तक कोई निराकरण न हो सका। अन्ततोगता देश को १९०७ ई० में आकर भारत और पाकिस्तान के दो पृथक भूभागों में विभाजित होना पड़ा। इन नियमों के द्वारा सुखलमानों की अन्य सम्प्रदायों की अपेक्षा विशेषाधिकार मिल गए और उनके लिये पृथक निर्बाचन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया।

१९०६ ई० के मिन्टो माले सुधारों के दोष इसके व्यावहारिक स्वल्प देखने पर भली मात्रि प्रकट हो गए। इसने भारत वासियों का देश के प्रशासन से समर्पक तो अवश्य बढ़ा दिया परन्तु उस के सचालन का लेण मात्र भी उत्तरदायित्व नहीं दिया। इसके विरुद्ध श्री गोखले जैसे नरमदल के नेता को मी यह कहना पड़ा कि व्यवस्थापक मण्डलों के गैर सरकारी सदस्य सरकार की नीति में किसी प्रकार का भी गरिवर्तन करने के असमर्पय

है। भारत के सभी राजनीतिज्ञ इस बात से अमन्तुष्ट थे कि कोरे वादविवाद के अनिरिक्त कोई भी अधिकार व्यवस्थापक समाच्छ्रो को नहीं दिया गया। अब यह स्पष्ट हो गया कि समर्क गटने नीति पुणी नीति से अब समन न चलेगा और उसके स्थान पर कोई नई नीति बृद्धिश सरकार को भारत के लिये अपनानो पड़गी।

१९१६ ई० का गवर्मेंट ऑफ इण्डिया एक्ट—१९१४ १६ के प्रथम महा युद्ध ने बृद्धिश सरकार को भारत के विषय में अपनी नई नीति निर्धारित करने का जहांदी ही अवसर दे दिया। १९१७ ई० में भारत मंत्री, श्री मार्गेश्वर ने हाउस ऑफ कामन्त्र के समन्वय पर के ऐतिहासिक घोषणा की। इस घोषणा के बीच उन्होंने निम्नलिखित मुख्य बातें कहीं —

“संग्राम की सरकार की यही नीति है और भारत सरकार भी इससे पूर्णरूप से सहमत है कि शासक के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का अधिकारिक सहयोग प्राप्त करके साम्राज्य के अन्तर्गत, भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिये स्वशासन समर्थी संस्थाएँ क्रमशः उन्नत बनाई जाय। इस नीति की प्रसति धीरे धीरे होगी और भारत की बृद्धिश सरकार ही यह निश्चित करेगी कि कब और कितना कदम आगे बढ़ाना चाहिये।”

The policy of His Majesty's Government, with which the Government of India are in full accord, is that of increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of the British Empire. The progress in this policy can only be achieved by successive stages. The British government of India must be the judges of the time and measure of each advance.

इस ऐतिहासिक घोषणा से यह भली भांति प्रकर हो जाता है कि भारत के विषय में समयानुकूल बृद्धिश सरकार ने अपनी नीति को बदल दिया। १९१६ ई० से भारत में स्वशासन को प्रोत्साहन देकर उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। १९१६ ई० के ऐक्ट के निम्नलिखित मुख्य मुख्य पहलू हैं —

(१) अब से केन्द्रीय और प्रातीय विषयों को प्रथम पृथक कर दिया गया और प्रातों को

अपने प्रशासनीय ज़ोड़ में अधिक स्वाधीनता दे दी गई। (दुसरे, नवीन ऐकट के द्वारा प्रातीय कार्यकारिणी में द्वैध शासन प्रणाली (Dyarchy) के सिद्धान्त को अपना कर प्रातीय विधयों को—सरकारी और हस्तान्तरित—दो भागों में बांट दिया गया। 'तीसरे, केन्द्रीय सरकार में किसी प्रकार का उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया गया; परन्तु इस बात की अवश्य चेष्टा की गई कि शाननकारों में जनता का अधिक सहयोग प्राप्त किया जाय।

दूसरे परिच्छेद में १९१६ ई० के ऐकट के सुधारों का विवेचन किया जायगा चूंकि इसके द्वारा देश में उत्तरदायी शासन की नींव डाली गई।

१९३५ई० का गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया ऐकट—१९१६ ई० में भारत के लिए उत्तरोत्तर उत्तरदायी शासन का जो वायदा किया गया उसकी अगली किस्त १९३५ई० का गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया ऐकट था। इसके निर्माण में राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव ने भी कार्य किया। यह अपने ढंग का निराला ही अधिनियम था। इसमें भारत के लिये सधात्मक शासन की कल्पना की गई और देशी रियासतों को भी इस प्रकार बनाये गए सभ में सम्मिलित होने का अवसर दे दिया गया। इसके द्वारा प्रातीय स्वाधीनता (Provincial autonomy) को स्वीकार किया गया। इसने केन्द्रीय शासन में भारतीय जनता को कुछ सत्त प्रदान करना भी स्वीकार कर लिया।

अनेक कारणों से इस ऐकट के सधात्मक शासन से सम्बन्धित बहुत से उपचान्हों (Provisions) को कार्यान्वित नहीं किया जा सका! फिर भी इस ऐकट के अनुसार प्रातीय में कुछ समय तक सुचारू रूप से कार्य बाहन होता रहा जब तक कि बृंदिश सरकार की युद्ध नीति के विरोध में १९३६ ई० में कांग्रेस सरकार ने बहुत सी ग्रान्तीय धारा सभाओं से त्याग पत्र न दे दिये।

१९४७ ई० का इंडिपैन्डेंस ऐकट—वह अन्तिम अधिनियम जो भारत के विषय में बृंदिश ससद द्वारा स्वीकार किया गया इंडिपैन्डेंस ऑफ इण्डिया ऐकट के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार इस विशाल देश को भारत और पाकिस्तान नामक दो पृथक उपनिवेशों में विभाजित कर दिया गया। तत्पश्चात् भारत मन्त्री का पद समाप्त कर दिया गया। अब से पहले बृंदिश पार्लियेंट को अधिकार समूर्ण भारतवर्ष के ऊपर प्राप्त थे वह नए ऐकट के पश्चात् भारत और पाकिस्तान की संविधान सभाओं को संौंप दिये गए। इन संविधान सभाओं को अपने देश के लिये नया संविधान बनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई।

नवीन संविधान—लागभग तीन वर्ष के कठिन परिश्रम के पश्चात् भारतीय संविधान सभा ने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया। इस सभा ने २४ जनवरी १९५० ई०

को ३० राजेन्द्रप्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया और २६ जनवरी १९५० ई० को इसने भारतीय जनता की ओर से भारत को एक समूर्ख प्रमुख सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गण राज्य (Sovereign Democratic Republic) घोषित किया जिसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पाने का समान अधिकार प्रदान किया जायगा।

आगामी परिच्छेदों में हम १९१९ ई० और १९३५ ई० के गवर्नर-जनरल और इंडिया एकट का संक्षिप्त विवेचन देकर नए संविधान का विस्तृत वर्णन करेंगे।

अन्याय ६

मान्टेग्यूचेमरफोर्ड सुधार और उनका कार्यान्वित रूप

एकट का महत्व— १९१६ ई० के गवर्नर आफ ह डिया ऐकट का कुछ अधिक विस्तार-पूर्वक विवेचन करने की इस लिये आवश्यकता है कि वास्तव में इस के द्वारा ही उत्तरदायी शासन का शिलान्यास हुआ है। श्री माटेग्यू की १९१७ ई० की ऐतिहासिक घोषणा ने इस नई नीति को भली भांति स्थाप्त कर दिया एक अब से भारत में उत्तरोत्तर उत्तरदायी शासन उन्नत किया जायगा। यथापि १९३५ ई० और १९४७ के अधिनियमों के पश्चात् १९१६ ई० के ऐकट का केवल ऐतिहासिक महत्व ही रह जाता है परं भी उसकी मोटी भोटी बातों को समझना आवश्यक है।

इस ऐकट में खुले शब्दों में यह उल्लेख मिलता है कि वृटिश साम्राज्य के अन्तर्गत वृटिश संसद् की प्रभुता के आधीन, शनैः शनैः भारत को स्वशासन का भार सौंपा जायेगा। इस प्रकार यहा पूर्ण स्वशासन स्थापित करना वृटिश सरकार का अन्तिम ध्येय था जिसके लिये १९१६ ई० का ऐकट केवल पहली सीढ़ी थी। इस ऐकट के द्वारा पहले पहले प्रान्तों में कुछ विषयों में स्वाधीनता देकर स्वायत्त शासन का प्रयोग किया गया। इस प्रयोग की सफलता के लिये भी यह आवश्यक समझा गया कि प्रशासन, कानून और वित्त-सम्बन्धी विषयों में प्रान्तों को पहले से कही अधिक स्वतन्त्रता मिल जानी चाहिए और उनके ऊपर केन्द्र का हस्तदेह कम कर दिया जाय। अनेक अर में खुले रूप में विकेन्द्रीकरण (Devolution) का सिद्धान्त स्वीकार किया गया।

विकेन्द्री करण की नीति का महत्व समझने के लिये यह समरण रहे कि सन् १९७३ ई० से लगातार वृटिश सरकार की यह धारणा बनी रही कि वृटिश राज्याधीन समस्त भारतीय लोगों के ऊपर एक शुद्ध और सबल केन्द्रीय सरकार हो। बहुत दिनों तक प्रान्तीय वित्त (Provincial Finances) पर केन्द्रीय सरकार का कड़ा नियन्त्रण रहा। उस समय विना केन्द्र की अनुमति के प्रान्तों को किसी भ्रकार का कर लगाने और खर्च करने के अधिकार नहीं थे। १९७० ई० के लग भग ही इस प्रभार के विकेन्द्री करण के कोपों का अनुभव होने लग गया जब कि पहले पहले वित्त सम्बन्धी विकेन्द्रीकरण की ओर कदम बढ़ाया गया। धीरे धीरे प्रान्तों को अधिकाधिक स्वतन्त्रता दी जाने लगी १९१६ ई० के ऐकट ने विकेन्द्री करण के इसी क्रम में एक महत्व पूर्ण अध्याय जोड़ दिया।

माट पोर्ट सुधारें ने प्रान्तों को एजनेतिक स्वशासन (Political autonomy) नहीं दिया (यह कार्य तो पहली बार १९१६ ई० के ऐकट के द्वाय हुआ) परन्तु शासन के सुरक्षित के लिये प्रशासन सम्बन्धी विषयों को दो प्रथक समूहों में विभक्त कर दिया। ऐसे विषय जिन का सम्बन्ध समस्त भारत वर्ष से था जैसे सेना, परण्टनीति रेल, डाक खाना, तारधर, चलार्थ और ट्रक्यु (currency and coinage) एप्लूस्य देशी रुप्य इत्यादि—केन्द्रीय विषय कहलायें। शेष विषयों में से कुछ ऐसे विषय जिन का केवल प्रान्तों से ही सम्बन्ध था—जैसे स्थानीय स्वराज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, हिपि उद्योग घन्थे, पुलिस, जेल आदि—प्रान्तीय विषय कहलाये। इसी प्रकार राजत्व की मर्दों को केन्द्र और प्रान्तों के बीच बाट दिया गया। जैसा कि ऊपर भी सक्रिय दिया जा सकता है इस का यह अभिप्राय नहीं है कि विकेन्द्री वर्ष के साथ प्रान्तों को स्वायत्त शासन मिल गया। जब तक भारतीय शासन पहिले वी तरह ही एकात्मक शासन विधान बना रहा तब तक यह बात सम्भव नहीं थी। इस दृष्टि से १९१६ ई० के ऐकट ने भारतीय शासन के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। भारतीय शासन विधान पहले के समान ही एकात्मक बना रहा। उसमें किसी भी रूप में समात्मक शासन वी कल्पना नहीं की गई।

१९१६ के ऐकट के मुख्य उपबन्ध—यद्यपि इस ऐकट का मुख्य उद्देश्य प्रान्तों में आशिक उत्तर दायित्व की स्थापना करना या तथापि इस के द्वाय केन्द्रीय शासन और होम गवर्मेन्ट में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए। पहिले इस ऐकट के अनुसार केन्द्रीय व्यवस्था पर प्रशाश ढाला जायगा और तत्प्रचात् क्रमशः प्रान्तीय सरकार और होम गवर्मेन्ट के सम्बन्ध में इसके मुख्य उप बन्धों का विश्लेषण किया जायगा।

भारत सरकार—भारत सरकार के केन्द्रीय व्यवस्थापक भरहल और गवर्नर जनरल की कार्य कारिणी ये दो प्रधान अग्र है। १९१६ के ऐकट ने व्यवस्थापक सभा की रचना शक्ति और कृत्यों में तो कई महत्व पूर्ण परिवर्तन किए परन्तु इसके साथ कार्य कारिणी के सम्बन्ध को पहले जैसा ही रहने दिया है दूसरे शब्दों में भारत सरकार पहले की माति भारत मन्त्री के आधीन रही और किसी प्रकार भी व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी न बनाई गई। कार्य कारिणी की रचना और स्वरूप में कुछ संशोधन किये गए परन्तु वे विशेष महत्व नहीं रखते।

कार्य कारिणी—१९१६ ई० के ऐकट में पश्चात् भी पहले वी तरह ही गवर्नर जनरल कार्य कारिणी के अधिक रहे और उनको वायसराय की उपाधि और विशेष आधिकार प्राप्त थे। आवश्यकता नुसार गवर्नरजनरल कार्य कारिणी के बहुमत के विद्वद् भी कार्य कर सकते थे। कार्य कारिणी वे किसी उद्दस्य को उनका विशेष करने वा साहस न था

कार्य कारिणी से सम्बन्धित अधिकारों के अतिरिक्त गवर्नर जनरल के प्रशासन सम्बन्धी वित्त सम्बन्धी कानून सम्बन्धी आदि और भी बहुत से अधिकार थे। देश के प्रशासन के सबोच्च अधिकारी होने के साथ साथ उन्हें मारत सरकार का सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार का प्रबन्ध करना पड़ता था। उनके ऊपर देश की शान्ति और सुव्यवस्था का भार था। कार्य कारिणी के अन्य सदस्यों में वे कार्य वाईते थे और उनके विमांगों के लिए नियम बनाते थे। कुछ विशेष जैसे चीज़ कमिशनर की। नयुक्त वे स्थिर करते थे और गवर्नर तथा अन्य उच्च सरकारी पदों के लिए उनकी सिपारिश विशेष महत्व रखती थी। व्यवस्थापक सभाओं के अधिवेशनों का कराना, उनका भग करना और उनका कार्य काल बढ़ाना या घटाना उनके हाथ में था। बीच में ही किसी भी समा की कार्य वाही रोक देने का उन्हें पूर्ण अधिकार था। विशेष प्रकार के प्रश्नों को भी वे रोक सकते थे। वित्त सम्बन्धी गवर्नर जनरल के निम्न लिखित विशेष अधिकार थे—
उच्च करने या बर लगाने वा कोई प्रत्याव उनकी धूर्वानुमात्र के बिना नहीं रखा जा सकता था। यदि असेमली दिसी मद में कभी करती अथवा उसे अस्वीकार करती तो गवर्नर जनरल को अधिकार था कि पहली मास की ही दियों का स्वीकार कर दें उन्हें प्रमाणन (Certification) और अध्यादेश जारी करने के भी अधिकार प्राप्त थे। इन अनेक सुदृढ़ अधिकारों के कारण गवर्नर जनरल इस देश के शासन के ऊपर कई सर्वों के समान थे। किसी भी प्रजातन्त्रात्मक रूप के अध्यक्ष को उनके जैसे अधिकार नहीं थे।

१६२६ के ऐकट ने कौंसिल की रचना में भी कुछ परिवर्तन किये। अब से इस के सदस्यों की सरया आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती थी। इस में भारतीय सदस्यों की सरया भी निर्धारित नहा की गई थी। बिन्तु १६२१ ई० से १६४१ ई० तक इसमें तीन भारतीय रहे जिनमें से एक सदस्य ला मेम्बर का पद ग्रहण करता था।

१६४७ ई० तक की स्थिति—१६३५ ई० के ऐकट के द्वारा गवर्नर जनरल की कौंसिल की रचना और शक्ति में मूल भूत सशोधन करने का विचार या परन्तु स्वातंत्र्य के शासन का प्रस्थापन न होने के कारण गवर्नर जनरल और उसकी कार्य कारिणी द्वयों के त्वयों यने रहे यद्यपि प्रान्तों के ऊपर से उनका नियन्त्रण कम कर दिया गया। १६३७ ई० में प्रातीय स्वायत्तशासन स्थापित होने के पश्चात् प्रान्तीय सूची के विभिन्नों के ऊपर से गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल का अधिकार समाप्त हो गया।

१६४१ ई० में कौंसिल के सदस्यों की सरया बढ़ाई गई। सुदूर में भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए बृद्धिश सरकार ने गवर्नर की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों का बहुमत कर दिया। इस से पूर्व कुल आठ सदस्यों में से केवल तीन भारतीय सदस्य होते थे। नई कार्यकारिणी के सदस्यों की सरया १३ कर दी गई।

जिन में से एसदस्य भारतीय थे। नए सदस्यों को स्थान देने के लिए कुछ नए विभाग खोले गए और कुछ पुराने विभागों के कार्य को बाट दिया गया। १९४५ ई० में कार्य-कारिणी की ओर भी बढ़ाया गया और उसके सदस्यों की सख्त्या १६ कर दी गई। परन्तु अब भी मुख्य मुख्य विभाग जैसे विदेशी राज्यों से सम्बन्ध, देश की रक्षा, वित्त और यातायात आगेरी सदस्यों के ही आधीन रखे गये।

यह यह बता देना आवश्यक है कि गवर्नर जनरल की कार्य-कारिणी को मन्त्र मण्डल (Cabinet) जैसा अधैर प्राप्त नहीं था। यह आवश्यक नहीं था कि सभी विषयों पर इसके सदस्यों की सहमति हो। इसके सदस्य एक साथ नियुक्त नहीं किये जाते थे न वे एक साथ पद त्याग करते थे। प्रत्येक सदस्य पाव वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था और जैसे ही एक सदस्य अलग होता था उसकी जगह दूसरा नियुक्त कर दिया जाता था। गवर्नर जनरल की कार्य-कारिणी को मन्त्र मण्डल के रूप में बदलने का कार्य सबसे पहिले ५० जवाहर लाल ने १९४६ ई० में किया। पन्द्रह अगस्त १९४७ ई० के बाद से १९५० तक इसने वास्तविक मन्त्र-मण्डल का कार्य किया जिससे गवर्नर जनरल स्वेच्छा को न बरत कर मन्त्र-मण्डल की सलाह से कार्य करते रहे।

भारत मन्त्री का निरीक्षण—यहा गवर्नर जनरल और भारत मन्त्री के पारस्परिक सम्बन्ध पर भी धोड़ा प्रकाश ढालना आवश्यक है। वैधानिक दृष्टि से गवर्नर जनरल भारत मन्त्र के आधीन थे। और इस प्रकार इन की सभी आशाएं उन्हे माननी पड़ती थीं। १९४८ ई० को महारानी विकटोरिया की राजन्य उद्घोषणा (Royal Proclamation) में ही इस मन्त्रव्य को स्पष्ट कर दिया गया था। १९४९ ई० के एकट के अनुसार भी भारत मन्त्री को अधिकार था कि भारत के शासन और वित्त सम्बन्धी कार्यों पर वह नियन्त्रण और निरीक्षण रखे। इसका यह अभिप्राय है कि विधेय की अवस्था में भारत मन्त्री की बात ही गवर्नर जनरल और उसकी कार्य-कारिणी के लिए मान्य थी। परन्तु व्यवहार में इनका आपस का सम्बन्ध दोनों के व्यक्तित्व पर निर्भर था। यदि गवर्नर जनरल प्रभावशाली होता था तो भारत मन्त्री वृद्धिश सदस भै उनके दृष्टिकोण का ही समर्थन करते थे और यदि भारत मन्त्री एक जारदार व्यक्ति होता तो भारत सरकार को उसकी इच्छानुकूल कार्य करना पड़ता था। व्यक्तित्व को दूर रख कर यदि देता जाय तो भारत मन्त्री का सकौत्सिल गवर्नर जनरल के ऊपर वास्तविक नियन्त्रण था। दृश्य और अदृश्य (Direct and Indirect) दोनों ही प्रकार से इस नियन्त्रण का उपयोग होता था। अदृश्य रूप में भारत मन्त्री बहुत से गुप्त सदेश गवर्नर जनरल को भेजता था जिन्हे कार्य-कारिणी के सदस्यों पर भी नहीं प्रकट किया जाता था। दृश्य रूप में कानून-सम्बन्धी सभी प्रत्यायों पर भारत मन्त्री ची पूर्वानुमति लेना आवश्यक था।

इस प्रभार ने जाहीर नियन्त्रण से विधान मण्डल के सामने मारत सरकार की स्थिति अनोखी हो गई। प्राय दून दोनों के बीच गतिरोध रहने लगा चूँकि गैर सरकारी निर्वाचित सदस्य जो कि उन्मत में थे, सरकार ने बहुत सी गतों का विरोध करते थे। इसमा यह परिणाम हुआ कि वित्तीय विधेयन (Finance Bill) जैसे महत्वपूर्ण विषयों में भी प्राय मतभेद हो जाता था।

वैनिकीय व्यवस्थापक मण्डल—१९१६ ई० ने ऐकट के द्वारा व्यवस्थापक मण्डल में कई परिवर्तन किये गए। हम केवल वैनिकीय व्यवस्थापक मण्डल के सशोधनों का उल्लेख करेंगे।

अब से पहले केन्द्र में व्यवस्थापक मण्डल का मैबल एक ही आगार (Chamber) था अब उसे राज्यरिप्ट (Council of state) और विधान सभा (Legislative Assembly) नाम से आगारों में वापर दिया गया। इस प्रभार व्यवस्थापक मण्डल को द्विआगारीय (Bicameral) बनाना एक मूलभूत परिवर्तन था।

राज्य परिषद् जो कि धनाद्य लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, इस लिए स्थापित किया गया था कि यह असेम्बली के लिए (जिसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते थे) एक प्रकार का अवरोध पन जाय।

दूसरी विशेष गत जो इस ऐकट के द्वारा की गई वह थी—सभाओं के सदस्यों की सख्ती में बढ़ि। असेम्बली के सदस्यों की सख्ती १४० थी परन्तु नियमों के द्वारा इसे नाया जा सकता था। राज्य परिषद् में ६० से अधिक सुदस्य न हो सकते थे। दोनों सभाओं में गैर सरकारी सदस्यों का उन्मत था।

तीसरी गत यह थी कि गवर्नर जनरल अब से विधान मण्डल के सभापति न रहे वैसे ही इसके अब भी अभिन्न अब थे। सरकार के ऊपर जनमत ना प्रभाव पड़ाने के लिए व्यवस्थापक मण्डल के तरफ और पितृ सम्बन्धी याधिकार भी बड़ा दिये गए। परन्तु अब भी केन्द्रीय सरकार को उत्तरदायी नहीं बनाया गया।

व्यवस्थापक मण्डल के दोनों आगारों वी रचना का अधिक विस्तृत विवरण देने की हमें आवश्यकता नहा। इतना कहना पर्याप्त होगा कि इनके लिए प्रन्थेन प्रान्त में जातियों वे विचार से सीधे ना नवारा बर दिया गया।

इन सभाओं में नियर, मुसलमान और थोरोरीय जातिया का पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाता था। जमादार और भारतीय ईसार्द्या के लिए विशेष निवार्चन द्वेरा बनाये जाते थे और एसोइटियन, भारतीय ईसार्द्य तथा दलित जातियों को नाम निर्देशन द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जाता था। दोनों सभाओं के सदस्यों वे लिये विभिन्न सामर्त्तिक योग्यताएं (Property qualifications) निश्चित थीं। किसी दिसी प्रान्त

में तो केन्द्रीय असेम्बली के सदस्यों की योग्यता का माप-दण्ड एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही बदल जाता था। विधान सभा का कार्य काल तीन वर्ष था परन्तु गवर्नर जनरल द्स अधिकार का घटा बढ़ा भी सकते थे। गवर्नर जनरल की स्वीकृति से असेम्बली किसी भी व्यापक को अपना सभापति चुन सकती थी। बहुत दिना तक राष्ट्र परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल द्स ही नियुक्त किया जाता रहा, परन्तु बाद में इसका चुनाव पारदर्शक के सदस्य ही स्वयं करने लगे। विधान सभा की अपेक्षा राष्ट्र परिषद् कम प्रजातन्त्रामुक्त था और इस में धनपतियों का आधक प्रभाव था। अनुपान में असेम्बली में नवाचत सदस्यों का अपदानुकूल आधक बाहुल्य होने ने कारण यह सभा जनना की आधक प्रतानाथ समझी जाती थी।

अब हम १९१६ ई० के एकट के अन्तर्गत व्यवस्थापक सभाओं के अधिकारों पर सक्षिप्त विचार करें।

व्यवस्थापक मण्डल के अधिकार—केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा के सामत अधिकार थे। न यह १९१६ ई० के आधानयमें कार्ड पारदर्शक, सशोधन अधिकार प्रयोगतन, कर सकता था, न भारत मंत्री के भारत के लाए मृश्ण लेने वे अधिकारों के विषय में कार्ड बदल पास कर सकती थी और न हाईकोर्ट के अतिरिक्त किसी दूसर न्यायालय का, सम्माट ने अधीन रहते हुए किसी योराधिकार को प्राणदण्ड देने का अधिकार दे सकते थे। और भी बहुत से विषय थे जैन के ऊपर द्से बानून बनाने का आधिकार न था। वित्तीय विषयों का छोड़कर सभी वाता में दोनों आगामी द्से बानून बनाने का समानाधिकार था। कार्ड भी विषेश जप तक १५ एक ही रूप में दोनों आगामी द्से बानून खीभार न कर लेया जाता गवर्नर जनरल के सामने न रखा जा सकता था। व्याप कार्मिक आय व्यवक एवं साथ दोनों सभाग्रा के सामने तक के लाय रखा जाता था परन्तु क्षेत्र असेम्बली का ही उसकी मागा के ऊपर मतदान का आधिकार था। यह स्मरण रखने योग्य थात ह क लेगा भग ८०% जट के ऊपर असेम्बली की भी राय न ली जाती थी यहाँ तक के मतदान व्यव (Votable Expenditure) के ऊपर भी पूरण अधिकार न था। गवर्नर जनरल का यह अधिकार प्राप्त था कि जो माम असेम्बली ने कम कर दी हो या रद कर दी हो उस व यद आवश्यक समझ, बहाल कर द। स लेप में यह कहा जा सकता है। इ १९१६ क आधानयम न कायकारणी के ऊपर असेम्बली का वास्तविक नियन्त्रण नहा दिया। जो कुछ इस मिला वह क्षेत्र कायकारणी को प्रभावत करने के कुछ अवधार थ। व्याप असेम्बली के सदस्यों का प्रश्न पूछने, प्रस्ताव रखने, स्थगन प्रस्ताव (adjournment motion) प्रस्तुत करने आदि के अधिकार थ परन्तु इनके द्वारा व कायकारणी को नियन्त्रण नहीं कर सकते थे। कार्यकारणी तो अभी तक भी भारत मंत्री के प्रति ही उत्तरदायी थी। स्थगन प्रस्ताव की सफलता पर कार्य-कारिणी के सदस्य अपना पद छोड़ने को बाध्य न थ। असेम्बली के प्रस्ताव क्षेत्र

सिसारिशी ममभे जाते थे और नार्यकारिणी को उन्हे मानने या न मानने का अधिकार था। दोनों आगारों के पारस्परिक मतभेद आदि ग्रबोध स युक्त वैठक, स युक्त कमेटी और स युक्त अधिनेशनों द्वारा नियमाएँ जाते थे। यह भी स्मरणीय है कि गवर्नर-जनरल ने 'प्रस्थापन मण्डल' की पिला सलाह देने ही ग्रामादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ जो कि विधियों के समनि ही मान्य थे। उन्हे ऐसे विधेयों को भी प्रमाणित करने का अधिकार था जिसे एक आगार ने स्वीकार और दूसरे ने अस्वीकार किया हो।

प्रान्तीय सरकार

परिचयात्मक—चूंकि मान्डेस्यु भी घोषणा के अनुमार पहिले पहिले प्रान्तों में उत्तरदायी शामन के प्रयोग का प्रारम्भ करना था इसलिये १९१६ ई० के एकट के द्वारा कन्ठ की अपनी प्रान्तीय सरकारों की रचना में अधिक महत्वपूर्ण पारबनन किय गए, परन्तु तुश्न ही प्रान्ता को पूर्ण स्व. से स्थापन देने का विचार नहा था वहक शर्नै शर्नै उने स्थापत इनका जाना था। दूसरे शब्दों से वहा की जनता का अधिक स्वरांप प्रदान करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति पर द्वैध शामन प्रणाली को स्थापत करने की गई। १९२५ ई० के एकट ने इस प्रणाली का अन्त करके प्रान्तों में पूर्ण स्वा यत्त शामन की स्थापना कर दी यथापन इस के ऊपर भी गवर्नर के विशेषाभिन्नता की द्याया थी।

² द्वैध शासन का अर्थ—द्वैध शामन प्रणाली का अर्थ शासन को दो पृथक् विभागों में बाट दिना है—इस प्रणाली के अनुमार प्रान्तीय विधायकों दो भागों में बाट दिया गया। स्थानीय शामन, शिक्षा, सरकार, सावर्जनिक स्वास्थ्य, ओप्पालालय, शरणालय, साप्तजनिक मार्ग, धन्या का उन्नानि, कृषि, नशीने बलुया पर कर इत्यादि विषय इस्तान्नरित विषयों में रखे गए। इनके ऊपर गवर्नर उत्तरदायी मंत्रियों की नियुक्ति धारासमा वे निर्वाचित सदस्यों में ने ही नर दी जाती थी और वे अपने कार्य तथा नीति के लिये सभा के प्रति उन्नतदारी थे। भूगोलस्व, अनाल रक्षा, मिन्चार्ड, जलशक्ति, बन, नाव प्रशासन पुर्तिलम प्रार नायागार, फैक्री आर मन्दूर मन्धनी समन्वय इत्यादि सरकारित विषय वहलाए। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर कार्यमारिणी के सदस्यों वी सहायता से करते थे जो कि क्षेत्र भारत मन्त्री के प्रति उत्तरदायी थे और उन्ह द्वारा समाचार के सामने उपग्रह न होते थे। इस प्रशासन के चार सदस्य प्रिंटरा मप्राइट द्वारा (बालघ से भारत मन्त्री द्वारा) नियुक्त किये जाते थे जिनम से आधे भारतमासी और कम से कम एक मन्त्री ऐसा होता था जिसने मप्राइट के आधीन भारत में कम से कम १२ वर-

की सेवा की हो। दूसरे शब्दों में कार्यकारिणी का एक सदस्य पुराना आई० सी० ऐस० हाना आवश्यक थी।

इस प्रमाण प्रान्तीय कार्यकारिणी के दो स्पष्ट विभाग हो गए—

हेक में गवर्नर और उसके मन्त्री और दूसरे में गवर्नर और उसकी नायनारणी के अन्य सदस्य। मन्त्री लोग धारा सभा ने समझ उत्तरदायी थे और उसक द्वारा हटाये जा सकते थे जब कि दूसरे सदस्य न धारा सभा के प्रति उत्तरदायी थे न उसकी बोट पर हटाये जा सकते थे। पहले विभाग के व्यक्त जनप्रिय और दूसरे के नोबर शाही के प्रतिनिधि थे। दोनों श्रेणी के सदस्यों से यह आशा की जाती थी कि एक दूसरे का परामर्श लेंगे परन्तु सरकृत और हस्तान्तरित विषय में दोना दा पूर्व प्रधन अधिकार हेतु था।

मन्त्री प्रान्तों वे मन्त्रियों की सरकार समान नहीं थी किसी प्रात में दो और दिसी में तीन मन्त्री थे। पाश्चमात्तर सीमा प्रात में तो १६३२ ई० में केवल एक ही मन्त्री रखा गया था। मन्त्रियों का सामूहिक उत्तरदायिल नहा था। यह आवश्यक नहा था कि वे एक साथ पदप्रदण्य या पदल्याग करें। कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों नी भी सभी प्रान्तों में समान सरकार न थी। गवर्नर की अपनी कार्यकारिणी ने साथ उसी प्रधार का सम्बन्ध था जैसा गवर्नर जनरल का अपनी केन्द्रीय कार्यकारिणी के साथ। प्रान्तीय क्षेत्र में गवर्नर के बही अधिकार थे जो गवर्नर जनरल के भारत सरकार के सम्बन्ध में अपनी कार्यकारिणी में उठी दा पूर्ण प्रभुत्व था। चूंकि १६३५ ई० से प्रानीय कार्य कारिणी में मूल भूत परिवर्तन हो गया इसलिये द्वैध शासन प्रणाली ना अधिक विस्तार पूरक विवेचन करने की हमें आवश्यकता नहा।

प्रान्तीय धारा सभाएँ—१६०६ ई० के एकट ने प्रान्तीय धारा सभाओं की रचना और इत्यों में कई परिवर्तन बताये। सदस्यों वी सरकार पर्याप्त पदार्द्ध गई। मताधिकार का विस्तार करके उन्हे अधिक लाभतात्मक तरा दिया और इन्हे बासी अधिकार दफर सरकार का एक स्वतंत्र अग बना दिया। गवर्नर ने प्रथेक प्रान्त में एकाग्री (Unicameral) धारा, सभा बनाई गई जिसका नाम लेजिस्लेटिव कौसिल अर्थात् विधान परिषद रखा गया। प्रथेक प्रान्त में सदस्यों नी सख्त पृथक पृथक थी। प्रथेक प्रान्त में तीन प्रकार के सदस्य होने थे—निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य जो कि तुल थोग में ७० से कम न होते थे। मनोनीत पदाधिकारी जिनकी संख्या २०% से अधर न हा सरकी थी और कुछ दलिन जातियों मजदूर वर्ग इत्यादि से लिये गए मनोनीत साधारण मदस्य जिन्हे चुनाव में सीधे भाग न मिल पाता था। जातीय प्रतिनिधित्व के मिलान वो अपनाया ही नहा गया व०५ उसका विलार सिप, भारतीय, ईमार्ट, एम्लो इडयन और थोरेपीय जातियों न कर दिया। जमीदार व्यापारी और विश्वविद्यालयों को विशेष सीटें दी गई। इस प्रधार उत्तरदायी शासन वी बुनियाद

दालने ने माथ नाथ जातीय मन्देह के एक ऐसे जहरीले दृश्य को भी विसासिन किया गया जिने सभी उत्तरदायी शासन के लिये हानिप्रद स्वीकार करने हैं।

२० दी० से लेजिस्लेटिव कॉर्मिल में १०० निर्याचन मदस्य, १७ मनोनीत पदाधिकारी और ६ मनोनीत साधारण मदस्य थे।

इन धारा समाजों के अधिकार वदा दिये गए। प्रान्त नी शासि ग्रांर सुप्रबन्ध नी शास्त्र और सुप्रबन्ध के लिए वे जानून बना सकती थी। परन्तु उन अधिकारों की कुछ साम्न निश्चित थी। इन समाजों को प्रश्न, स्थगन प्रलाप (Motion of adjournment) इन सम्बन्धां मौजा पर मत दने के अधिकार दिये गये, जिनसे नारण प्रशासन पर धारामभा को कुछ निश्चय मिला। प्रान्तीय वज्रट रेन्ड्रीब बनट से प्रथम रूप दिया गया था और धारामभा में इसके ऊपर बाद विवाद हा सत्ता था। उन दी मठों को मतदेव मद और ग्रमतदय मद (Votable & non votable items) म श्रेणी बद्द दर दिया गया। अमतदय मद कुल भा लगभग ७५ प्रतिशत होता था। बद थाने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिये आदेशक ममकों तो गवर्नर का राज्य द्वारा शप्रद गई भड़ों को भी बहाल करने वा अधिकार था।

गवर्नर ने ऐसे विधेयकों को प्रमाणित नहने ना भी अवशार था जो विधान मण्डल ग्रन्तीकार नह दे। इस प्रकार प्रमाणित विधेयक सरकार नियोजन प्रशासन के लिये ग्रामशक्ति समझ जाते थे औंर उन्हें कॉर्मिल द्वारा पारित नहारे गये विधेयकों की अत्या न दूर रखा जाना था। थान देने योग्य बात है कि प्रान्तीय विधेयकों के ऊपर गवर्नर त्रार गवर्नर जनरल दोनों का निश्चापन स्वीकृति लेनी पड़ती थी। कुछ विषयों पर तो धारामभाजों को जानून दनाने का आधकार ही न था और कुछ के ऊपर प्रनाय रासने से पूर्ण गवर्नर जनरल की अनुमति लेना पड़ती थी। इस प्रकार प्रान्त द धारामभाजों दे जानून बनाने के अधिकार समित थ। उन्हें उत्तरदायी मन्त्री ने उपर अधिक नियन्त्रण था, जायसा रण्णा के अन्य सदस्य पर तो वे केवल प्रभाव हा राज सर्वां थीं।

होम गवर्नमेंट

परिचयामृ—उद्दिले अध्याय म हम यह उल्लेख नह कुहे हैं कि इस प्रस्तर नियश सक्त रूप इंडिया कम्पनी मे भारत नी शासन पता और किन प्रशार १८५८ ई० मे पहले दर्दने भारतमन्त्री भी नियुक्त किया गया। तर ने भारत मन्त्री हा सचालन-मरण (Court of Directors) और नियन्त्रण सर (Board of control) के मध्यन द्वा भारतीय सरकार के ऊपर देशरेप करने लगे। उन्हीं महाभाता के लिये इंडिया कॉर्मिल नाम द्वी पक्ष सधा नियन भी गई। इस प्रशार मे कॉर्मिल मे भारत

मन्त्री (Secretary of State for India-in Council) द्वालैंड ने भारत के शासन का नियन्त्रण करनेले थे और उसी का हाम गवर्नरेट नाम पढ़ गया।

१९१६ ईस्टी के ऐक्ट से भारत मन्त्री के अधिकारों पर मैडालिन टाष्ट से छोड़ प्रभाव नहीं पड़ा। इसके द्वारा फिर से यह स्पष्ट किया गया कि भारत मन्त्री भारत सरकार के रुचर्य से सम्बन्ध रखने वाले सभी नामों की देश-रम्य आव नियन्त्रण उन्हें के अधिकारी हैं। परन्तु चूंकि १९१६ के ऐक्ट के द्वारा पाला मे ग्रामशक्ति स्वशासन का प्रयोग किया गया और चूंकि इसके लिये प्रानीप धाराम्भायी ने प्रधान स्वाधीनना देने की आवश्यकता थी, इन कारणों से वह निर्देश कर दिया गया। इस भारत मन्त्री अरने वाले हुए नियमों के द्वारा ही प्रसन्न नियन्त्रण तुल्य ढीला कर ल था और मुख्यतया दलालतरित विपक्षा ने ग्रान्ता के ऊपर ही छोड़ दे। इस विश तक गवर्नर ग्रान्ते मन्त्रियों के परामर्श में जाय रहते थे उस विश तक उनके ऊपर भारत मन्त्री ना नियन्त्रण न रहा। यह भी ध्यान स्पन्दन योग्य है कि नवीपि इस ऐक्ट के द्वारा देन्द्र में उत्तरायी शासन गिलकुल भी स्थापित न हुआ और भारतीय सरकार ने पूर्णतृही भारत मन्त्री और पालमट के आधीन रहने दिया गया, फिर भी इसमें वह इच्छा प्रकट की गई कि जहाँ तक सम्भव हा सबके भारत सरकार का देन्द्रीप, वदरस्थायक मण्डल की महमत और विशेषतया वजट के मनरैय मनों पर उसी स्थान्ति में काय रहना चाहिये। इस भीमा तक भारत मन्त्री ना भारत गवर्नर ऊपर से विभाग समां के पक्ष में नियन्त्रण हट गया।

ऐक्ट ने हाम ऐडमिनिस्ट्रेशन में तुङ्ग और भी पारवर्तन किये, नियन्त्रण से एक भारत मन्त्री के बेतन से सम्बन्ध रखता है। अब भारत मन्त्री और उनके कायालय का बेतन भारतीय कोप से न दिया जान्ते द्वालैंड के कोप से दिया जाने लगा। इस परिवर्तन के कारण भारत मन्त्री के ऊपर पालमट का निरीक्षण पहले की अपेक्षा व्याधिक हा गया। चूंकि वार्मिंग वजट रखने के ममय उनके काय पर अधिक रोचालूर्ण वाद नियाद होने लगा। दूसरे, इस ऐक्ट के अनुसार भारतीय हाई कमिशनर का एक नया पद बनाया गया। हाई कमिशनर इलैंड में भारत मन्त्री के एजेंट की हैसियत से काम करते थे। तीसरे, भारत मन्त्री की कैरियर के मदस्थों की सरक्या भग ठी गई। भारत मन्त्री की इच्छा के अनुसार आठ से बारह तक सदस्य उनके परिपद में रहे जा सकते थे। उनका कार्यकाल मात्र चर्च से धगमर पाँच वर्ष कर दिया गया और उनका वेतन १२००० पाँच वार्सिंग नर दिया और उन मदस्थों को ६०० पाँड और अधिक भना दिया जाने लगा जो नियुक्त के समय भारत में बास करते हों। कामिन ने भारतीय सदस्यों की सख्ती दो से तीन नर दी गई।

१९१६ हॉर्टे सुधारों का कार्यान्वित रूप—जैसा कि बायोम नाम की सुन्न

शोकना से प्रकट है १९१६ ईस्टी ने ऐकट ने राष्ट्रीय महिलों का निरापरण नहा दिया। भारत के नेता भी इस अधिनियम के द्वारा निये गये सुधारों से मनुष्ट नहा थे, फिर भी उन्होंने उसी दशा में इसको कार्यान्वयन करना स्वीकार किया। परन्तु, दुर्भाग्यवश, ये सुधार बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रारम्भ किये गये। उन दिनों भारतवर्ष में बंगिया भरकार के प्रतिकूल अमनोप का दीरदीरा था। प्रथम महायुद्ध में की गई महायात्रा के पहले रौलट ऐकटों ने भारत में लादा जाना, पनाम का मैनिस शामन, जलियान चाले थाग जौ तुरंगा, रिकाफत जा प्रश्न, इन सबके पलटवरूप सद्भावना और मैत्री के न्याय पर जो कि ऐकट की महलता ने लिये आमश्वर था, सभी और कड़ता, वीथ और अप्रियता का जोर बढ़ गया। परिणाम-न्यून इस ऐकट की ग्रस्तावता निश्चिन ही थी। देश ने सुधारा के माथ किसी प्रकार ना जाता रहने ने इन्कार कर दिया और तुरन्त माझी जी के नेतृत्व में अमंथाग आनंदोलन शुरू कर दिया। राष्ट्रीय-कांग्रेस ने व्यवस्थापन सभाग्रा जा गढ़पार किया। नरम दल के नेताओं ने जो इस रात पर कांग्रेस से अलग हो गये थे, फैसिला में नारा मन्त्रिया का पदप्रवृत्ति उन्होंने स्वीकार किया और लगभग तीन बाय तक अपने पद पर बैलोग सफलता से काय करते रहे। परन्तु उसी बीच में द्वराज्य पात्रा जा जम हो गया तिसने दूसर आम नुनावा में इस शर्त पर भाग लिया कि वे कामला में नारा सुधारों का ध्यास करेंगे। यह दल नुनाव में सफल हो गया और इसके महस्य पड़ी सरकार में कई प्रान्तीय धारा सभायों में पहुँच गये। यद्यपि स्वयं दल सुधारा जा दिया तो नहा नर सदा परन्तु उसने इसके कार्यान्वयन हीने में अटगा लगा दिया।

दैर्य शामन प्रणाली को अक्षय ग्रनाने का इस ने भी अधिक बड़ा कारण गमनरा का अपने मन्त्रियों के प्रति अप्रीत था। उदि जनप्रिय मन्त्रियों को मत्ता हस्तात्मिन रहने का जोई अर्थ था तो यह अनिवार्य था कि गमनर को उनके ऊपर रेपल मणिधानी प्रभुत (Constitutional Head) जा दिया जाय। और प्राय वे मन्त्रिया के परामर्श से काय करे। ऐकट में गमनरा को केपल विशेष दशायों में ही मन्त्रियों की मलाई न मानने का आदेश था। पहिले दो बायों में लज कि गमनर नरम दल का सद्योग लेफर भारतीय स्वतन्त्रतारे पहले अहिंसा-सम्बद्ध आनंदोलन को दगाना चाहते थे मन्त्रियों को आदर दिया जाना रहा और उनके विचारों जा मान किया गया। परन्तु जाद म जरु कि मार्टिनो ने भारत मन्त्री के पद को होड़ दिया और उनके स्थान पर एक अनुदार भारत मन्त्री की नियुक्ति हुई तो एकदम यह धारणा गदल गई। गवर्नर यह भूल गये कि हन्मानरित विधायों के ऊपर उन्ह सविधानिस प्रमुख की हैमियत से ही काय करना है और वे ही द्वारा योगी यानों म भा मन्त्रियों के कायों म दृष्टक्षेप करने लगे।

मुंबारों की असफलता का दृसरा कारण मन्त्री और कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों का पारस्परिक सम्बन्ध है। सबुत पार्लमेंटरी कमेटी और श्री माटेम्यू दोनों की ही यह दब्ज़ा भी कि ये लोग आपस में परामर्श के पश्चात् कार्य करें फरन्हु इसनो प्रत्याहन न मिल सका। कुछ ग्रान्त में तो मन्त्रियोंकी सलाह सरकार विभाग सम्बन्ध रखने वाले मुख्य वार्तों पर लिये भी नहा ली गई। मिर, प्रान्तीय विषय को सरकार विभागों में इस प्रकार बाटा गया कि एक मन्त्रा के अधिकार में एक सम्पूर्ण विभाग भी न आता था। मद्रास के एक मन्त्री ने 'मुर्डी में नमी' न सामने इस विषय का शिकायत भा की कि वे हृषि मन्त्री होते हुए ना निचाई, हृषि कृष्ण और हृषि की भूमि के विकास से कोइ सम्बन्ध नहीं रखते थे। उद्याग के विभाग के मन्त्रा का पैकड़ा, जल शक्ति, जल-बद्धत आदि पर दो नवनिरण नहा था। पूरे विभाग पर मन्त्रा का आधिकार न होने के कारण यह सम्बन्ध नहा था तब प्रशासन में ईसाई साथक उन्नात हा सके। जल प्रकार से प्रान्तीय विषयों को सरकार विभागों में बाटा गया उससे उत्तान्तरित भागों में बाटा गया।

मन्त्रियों वे उत्तरदायित्व नी और दूसरी शर्तें भी विद्यमान नहा था। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने नी चाहत, जिस पर इन सुधारों के निर्माताओं ने पर्याप्त जोर दिया था, उनके ऊपर भी गवर्नर ने काई ध्यान नहा दिया। उन्होंने कार्यवाही के नियम भी इस विचार से बनाये माना उन्हें प्रत्यक्ष मन्त्री के साथ पृथक् पृथक् व्यवहार करना हा। यह प्रत्यक्ष सुधारों के कार्यान्वयत हान के दो वर्षे परें पश्चात् ही प्रकट हो गई समय में उनके साथ साथ मानवियों को कुछ विशेष कारणों से जनमे हमें जाने की आवश्यकता नहा, मन्दाचित सदस्यों का आश्रय छोड़ कर धारा सभावियों के मनोनात आर उन दूसर सदस्यों का जो सदैव सरकार के पक्ष में रहते थे, सहारा लेना पड़ा। इस बजह से त्वायत्त शासन देखल नाम मात्र के लिए रह गया।

दूध शासन की असफलता के दो अन्य कारणों ना भी इस स्थान पर सहेता खाल वर्गमें आना जा सकता है। एक कारण वित्त विभाग से भगवन्ध रखता है जो एक सरकार विषय था और—जिसके ऊपर कार्यकारिणी के अभारतीय सदस्य का नियन्त्रण था। वित्त विभाग का सभी नये वय पर कड़ा नियन्त्रण था आर मन्त्रियों द्वारा प्रस्तावित सभी नये राज्यों को यह अस्वीकार कर देता था। इसलिये मन्त्री लोग उन योजनाओं को पूरा करने में असमर्थ था जिन का वे जनन से बाहर करते थे। दूसरा कारण सरकारी नाकरियों से सम्बन्ध रखता है। साझार के नीचरों के ऊपर मन्त्रियों की इसी प्रशासन का दराव न था, ये लोग उनकी बदली या पदवृद्धि कर सकते थे। सरकारी नीकरा की स्थिति पहिली जैसी ही बनी रही आर उनके ऊपर मन्त्री सभा के सदस्यों को कोइ अधिकार न था।

यश्चिंडिड उमोक ग्रनेज़ फारणो से १६२६ ई० ने ऐकट के द्वारा बनाई गई नीसिले मन्दिरों को उत्तरदायी बनाने में अमफल रहा निन्तु उन्होंने अपनी शर्चि का दूसरी तर उपयोग किया। माना जि उनके अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ निराइन थीं और गवर्नर दो प्रमाणन द्वारा उनके ऊपर पासन्दी लगाने का अधिकार था फिर भी वर्ष के ऊपर अधिकार होने, राज्य की मुख्य नीनियों पर प्रभाव रखने, बाद विवाद करने, अधिन प्रभाव रखने ग्रोग प्रश्न पूछने के नाते धारा सभाएँ कायदारणी के ऊपर अनन्त अमर ढाल सकती थीं। उन्होंने कुछ नगरपालिक वार जिला सर्मित (Municipal & district boards) के पुनर्स्थापन और सुधार के विषय में कुछ आपश्शर प्रधिनियम भी इन के द्वारा गये गए। शिक्षा की ग्राम माल्यान दिया गया। कुछ प्रान्तों में विशेष प्रभाव के नमाज सुधार समन्वय नियम उदाहरणार्थ मद्रास ना हिन्दू धर्म ना ऐन्टार्मेन्ट ऐकट ग्राम बगाल का शिशु समन्वय अधिनियम (Children's Act) पास किये गए।

यही जल नेट्रोप व्यवस्थापन सभा के विषयों में भी रही जा सकती है। यश्चिंडिड कायदारणी इसके प्रति उत्तरदायी न थी परन्तु उमरे ऊपर इसका कुछ प्रभाव अवश्य था। इसने सरकार के दूर पर बाद पिनाद मिये और नई अपराध पर इसने राननैनिक प्रदर्शन का जारी किया। “इसका बानून बनाने का जारी राका बिन्दुत और सासाभन रहा है। मामाजिस सुधार के लिये ग्राम नामारण जो मारतामरण करने तथा गण्डन्दा ने भारतगणियों का सहयोग बढ़ाने के लिये इसका लगातार ग्राम समाजीय प्रयत्न रहा है। प्रशासन में मित्रशियना बरतने के लिये इन सभाओं ने सरकार पर पर्यान प्रशासन दाला है।” ८८

अध्याय १०

१९३५ ई० का गवर्मेन्ट ऑफ इंडिया ऐक्ट

जैसा कि पहिले भी सरेत किया जा चुका है १९१६ ई० का गवर्मेन्ट आक्ट द्वितीय ऐक्ट पूर्ण उत्तरदायी शासन के लक्ष्य की ओर ले जाने वाली पहली मिलियत थी। इसमें पहले कि ब्रिटिश समद सुधारों की दूसरी मिल के बारे में कुछ निर्णय नहीं यह आवश्यक था कि वह तलालीन सुधारों के कार्यान्वयित रूप की जाँच नहीं। १९१६ ई० के ऐक्ट में वह उल्लेख था कि दस वर्षों के पश्चात् ब्रिटिश भारत की शासन प्रणाली, शिक्षा आ उन्नति और उत्तरदायी सम्प्रभावों के विनाम की जांच करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाय। साथ ही इस कमीशन का यह कर्तव्य होगा कि भारत में शासन स्थापित करने की सीमा, उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की सफलता और द्विआगारित समाचार के प्रश्नों के ऊपर अपना डत्त लेन (Report) प्रस्तुत करे। इसी उल्लेख के प्रत्युत्तर दस वर्ष से पहिले ही इ गलैंड की दोरी सरकार ने १९३७ ई० के नवम्बर के मास में भारत के लिये उपरोक्त उद्देश्यों के लिये एक रायत कमीशन भेजने की घोषणा की। यह कमीशन सामन रामाशन ने नाम से प्रभिद्ध है। शासन कमीशन ने दो गार भारत का भ्रमण किया और ऐसे भारतीय समुदायों के परामर्श से लो कि कमीशन के साथ सहयोग करने के पक्ष में थे १९३० ई० में सप्राइट की सरकार के समक्ष अपने सुभाव रखे यथापि सारे भारतवर्द्ध ने कमीशन का नहिं कार किया और इसों सुभावा का धोर खटन किया। दोरी सरकार की उत्तराधिकारी मजदूर सरकार ने भारत में अमरोप दूर करने के द्वारा इ गलैंड में रियासतों के राजाओं तथा भारत सरकार आर ब्रिटिश भारत के भ्रतिनिधियों की एक गालमेज कान्क्षे सुनाई लाइ वे भारत ने भावी विधान पर विचार कर सके। १९३०—३२ के शीब गालमेज कान्क्षे न्स की तीन बैठकों में से दो दूसरी बैठक में महामा गाँधी न विस के तुमाइदै की हेमियन से सम्मिलित हुए। इन अधिवेशनों के निर्णयों के आधार पर इ गलैंड की सरकार ने १९३३ ई० के श्वेत पन म भारत के भावी संविधान के विषय में अपने सुभाव रखे। साथ, इन सुभावों पर विचार करने और आवश्यक सशोधन प्रस्तुत करने के लिये ब्रिटिश समद के दोनों आगारा की एक संयुक्त समिति बनाई गई। इस समिति में बहुत से भारतीय भी सम्मिलित थे। इस समिति ने पूर्व भिड़ान्हों को कायम रखते हुए ही सरकार ने सुभावा में कॉट्ट्वाड की और अपने वृत्तलेख को

इन पत्र की अंद्रा उच्छ्र शब्दों में अधिक अनुदार और प्रतिनियात्मक बना दिया। वर्षमेंटी की रिपोर्ट पर फिर से सफद्र में विचार किया गया और इस अवसर पर फिर भारतगणियों की आशाओं पर कुछ अधिक ध्यान दिया गया। १६२७ ई० से १६३५ ई० तक के ग्राह वर्ष के इंडियन परिश्रम के फलन्वर्ष १६३५ ई० का गवर्नेन्ट ग्राफ इंडिया ऐक्ट तैयार हुआ जिसकी रचना और मुख्य उपग्रहों पर हम प्रभुतुन और आगामी अव्यायों में विचार करेंगे।

१६३५ ई० के ऐक्ट की कुछ विशेषताएँ—इन अधिनियम की मरमें मुख्य यह विशेषता है कि इसके द्वारा एक ऐसी सधात्मक व्यवस्था की कल्पना की गई जिसमें प्रियंश प्राप्ति और देश राज्य एक साथ भाग ले सकें। यथापि भारत ममार में एक वहुत पवी भागोलिक इकाइ है आर मानसिक और मानविक हाइ से भी उसमें पर्याप्त प्रकारमिता है पर भी विधान के आगम में पहिले राजनीतिक हाइ से यह प्रियंश भारत आर देशी रायसतों में विभाजित था। दोना हिम्मे गजनैतिक सरकार और उत्तरि में एक दूसरे में समाधा भिन्न रह। प्रियंश भाल में वे उभी एक ही प्रग नहीं थे। १६३५ ई० + ऐक्ट की यही विशेषता थी कि इसने एक ऐसी वो जना ग्रस्तुत की निम्ने अनुमार एक सधात्मक शामने वे अन्तर्गत भमल भारत एक साथ निया जा सकता था। यथापि ऐक्ट में जिस योजना की न्यू राजा नियोरित की गई थी वह नामदायन न हो सकी, परन्तु इसका यह ग्रथ न समझना चाहिये कि भारत में सधात्मक शामन का मिठान्त ही अस्तीकार कर दिया गया है। दमारा नवा साधान इसी मिठान्त के ऊपर ग्राहित है के गल इतना अनन्त है कि यह इसने १६३५ ई० के ऐक्ट के दोष को दूर कर दिया है।

चूंकि एक नवामन यमध्य के लिये यह अनियाप है कि कुछ स्वशानी प्रदर्श एक शामन द अन्तर्गत ग्राजाये इसलिये यह आपश्वर हो गया कि प्रियंश भारत जो १७०३ ई० के रेग्यूलेशन ऐक्ट के समय में ही लगातार एक एकात्मक राज्य रहा है उसे स्वात नेशनी दुकड़ा म रॉट दिया जाय। इसलिये १६३५ ई० के ऐक्ट ने इस मिठान्त के अनुमार प्रियंश भारत के प्रान्तों मो स्वातंत्रशामी दकाइयों म बदल दिया जो कि मी. + सप्ताम् से आधिकार ग्रदण्ड रहती था आर भारत सरकार जी भाँत आधीन न था। इस प्रकार प्रान्तीय स्वशामन का प्रक्षापन इस ऐक्ट की दूसरी विशेषता मानी जा सकती है।

भारताय लोकमत लगातार इस जात पर जार द रहा था कि केन्द्रीय शामन में उत्तरदायित्व का समावेश हा। मार्फोर्ट मुशारा के प्रति अमनोप का एक नह मुख्य कारण था कि उसने उत्तरान मार्ग को दिसी भा न्य मर्वानार नहीं किया। वहुत कुछ अश म १६३५ ई० के ऐक्ट ने इस दसी को दूर बरने की चक्रा की। इसम

प्रस्तावित था कि विदेशी राज्यों से सम्बन्ध, दशा की रक्षा, धार्मिक विषय, और जनजाति क्षेत्र (Tribal areas) इन चार सरकृत विषयों को लोडलर सभी टेन्ड्रीव विषय कार्य नारिखी के उन मणियों वे हाथों में संग दिये जाय जो व्यवस्थाएँ सभा के प्रति उत्तरदायी हो। रल, साच्चत आधिकोष (Reserve Bank) मुद्रण और विनियम पर भी प्रति मरण वा विशेषाधिकार नहीं था। इस प्रकार नए अधिनियम ने केन्द्र में दौध शासन प्रणाली को जम दिया यद्यपि वहां भी इस शब्द का ऐक म उल्लेख नहीं किलता। उपरान्त चार विषयों का प्रशासन तो गवर्नर जनरल वा उत्तरदायित्व था आगे शेष के लिये उन्हें मन्त्रिमंडल ना परामर्श लेना पड़ता था। इस तरह केन्द्र में आशक उत्तरदायित्व भी स्थापिता इस ऐक भी तीसरी विशेषता है।

ना गननैतिक सत्ता प्राप्त वा र रेन्डर म जनता के प्रतिनिधियों को सारी गई वह चारों ओर में आरक्षण (Reservation) और अभिरक्षण (Safeguards) से विचार हुए थी यारक्षण वा अभिरक्षण भी इस ऐक भी उतनी ही सुधर विशेषता थी जिन्हीं ने प्रा तो में पूर्ण तौर सेन्डर में अधूरे उत्तरदायित्व की स्थापना। इनका वाद म विवेचन करें। सदैप में साधारण शासन विशान, प्रातीय स्पशासन, न्य आशिक उत्तरदायित्व आर अभिरक्षण आद इस ऐक के मूलभूत सिद्धान्त आर मुख्य विशेषताएँ में विने जा सकते हैं।

इह भी स्मरण्यील है कि १६२५ ई० के का ने जिसी भी प्रकार विभिन्न समूद्र की प्रसुता वा मारन सरकार के ऊपर से रम न दोने दिया। इस ऐक दे वायरलेन, उचोवन और लकड़न फसे वा अधिकार चेक्स अलियमेन्ट को ही प्राप्त था। इस अवधानम के द्वारा बहा दो भारत से और अदन को वर्वाई से प्रथन कर दिया आर मिथ आग उड़ीसा के दो नवे प्राप्त तना दिये। अधिकार प्रतरण—सधारण मावधान वा वा आमभूत सिद्धान्त है कि राज नीतक न्य ने स्वातंत्र्यामी राज्य मेंक्षु स एक राष्ट्रीय सरकार के आधीन इस प्रकार सम्मलित हो जाए कि राष्ट्रीय सरकार और राज्यों वा आपसी कार्य हेत्र पूर्णतया वट जाय आर अपने अपने रन म दोना ही स्वतन्त्र हो। इस प्रकार ना सवि गन नरकार भी शान्त वा वा सधीय आर राज्यों की सरकारों से इस प्रकार विभक्त कर देता है कि प्रत्येक सरकार अपने अपने छन मे पूरा अधिकार रखती है कुछ विषय सध को दे दिये जाते हैं। जिन पर सधीय विभान नड़ल को कानन तनाते वी पूर्ण रम रहता होती है। और कुछ दूसरे विषय सध म सामलित होने वाले राज्यों को दे दिये जाते हैं जिनपर इसी इस्तेहप ने उन्हों वी धारा सभाए विशिष्यों बनानी है। इस प्रकार का विषय विभान सधारण शासन मे लिये अत्यावश्यक है दो तरीका ने मध और राज्यों के बीच शासन शक्ति वा वितरण किया जाता है। कहीं वहां सधीय क्षेत्र के अधिकारों को स्थानया निर्धारित कर दिया जाता है और शेष सभी

अधिकार रखने वे ग्रामीन भर दिये जाते हैं। ग्रमरीता में यही पद्धति अपनाई गई है। दूसरा ढग यह है कि सब में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के अधिकारों को निश्चित कर दिया जाता है और वचे खुने सभी ग्रामरार सघीय शासन के लिये छोड़ दिये जाते हैं। यह तरीका कनाटा में केन्द्रीय सरकार ने मुद्द बनाने के लिये करना गया। भारत में इन दोनों में से कोई ढग भी नहीं स्थीर किया गया। कांग्रेस केन्द्र को प्रश्न उठाने में लिये अवशिष्ट अधिकार (residuary powers) सघीय शासन को देना चाहती थी। मुस्लिम लीग केन्द्र को शनिर्वाहन उनाहर प्रान्तों को प्रमुखता देना चाहती थी। ग्रोर दस्ती लिये लगातार इस गत पर जोर द रही थी कि केन्द्र की शक्ति निर्दिष्ट रूपी जाय ग्रोर अवशिष्ट अधिकार प्रान्तों को साप दिने जाय। दोनों ही पक्षों को प्रसन्न भरने के लिये नियंत्रण सामाजिक शाहा ने एक नई योजना उठाई। १६३५ ई० के अधिनियम में केन्द्रीय विधयों की एक सघीन सची ग्रोर प्रान्तीय विधयों की दूसरी प्रान्तीय सूची उनाहर विधयों को अलग अलग बोर्ड दिया। इसमें साथ एक तीसरी सघीन सूची उठाई गई। इस सूची के विधयों पर प्रान्त और केन्द्र दोनों की ही व्यवस्थाएँ समाएं समान रूप से कानून उठा सकता थी। प्रायः सभी विधयों को इन तीन प्रशार की सूचियों में रखने का प्रथन किया गया परन्तु यदि कभी कोई नया विधय नियुक्त आये तो उसमें किसी भी सूची में सम्मिलित करने का गमनर जनरल को पूर्ण अधिकार था। इस अनोखे ढग से अवशिष्ट अधिकारों की समस्या को सुलझा दिया गया।

उपरोक्त प्रशार की तीन सूचियों का विचार हमारे वर्तमान साम्बन्ध में भी अपना लिया गया है। इस स्थान पर हमें १६३५ ई० के ऐक्ट की सूची का पूर्ण व्योग देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ परिपतना के साथ यह सूचिया हमारे संविधान में पार्द जाती है जिनसा आगे चल कर हम विस्तृत उल्लेख करें।

१६३५ ई० के ऐक्ट के द्वारा निर्धारित सभ योजना और भी अनेक विशेषताओं से ओत प्रोत हैं परन्तु उन सब का विवेचन हम इसलिए नहीं उठा चाहते चूंकि यह योजना कार्योन्नित ही न हो सकती।

संघ शासन की स्थापना—१६३५ ई० के अधिनियम ने सब शासन को स्थापित नहीं किया। उसमें तो केवल इमकी योजना ही थी। सघीय राज्य की स्थापना की कुछ शर्तें थीं जो पूरी न हो सका। इन शर्तों में से एक सब से मुख्य शर्त यह भी थी कि कुल रियासतों की जन सख्ती की दम से दम ५० प्रतिशत जन-सख्ती वाली रियासतें सभ में सम्मिलित होने की स्पीष्टि दें।

यह भी कहा जा सकता है कि कदाचित् नियंत्रण सरकार ही सधार्मक शासन स्थापित करने के लिये सक्त न थी। केन्द्र ने जनता के प्रतिनिधियों को सत्ता

हस्तान्वर्त करने से पहले वे प्रान्त में स्पशासन भी प्रयोग देखना चाहते थे। इसी बाच प्रोल्यूम में दूसरा महायुद्ध छिड़ गया और एकट के सघ सम्बन्धी भी उपचन्द्र रखाई भ पड़ गये। उस समय भारत भी बैन्ड्रीय सरकार एकट के अस्थायी उपचन्द्र (Transitional Provisions) द्वारा चलाई गई। अब हम १९३५ ई० के अधिनियम के अनुसार सम्बन्ध कार्य कारिणी व्यवस्थापन मठल और न्यायालय से समन्वित उपचन्द्र पर एक विह गम हांषि टालगे।

गवर्नर-जनरल—१९३५ ०० के एकट ने सघ की कार्यकारिणी से सम्बन्ध सुनने वाला भी शाहवा का गवर्नर जनरल का खोना दिया। उन्ह नहुत से अधिनियम और उत्तरदायित्व दकर सघ न प्राकार का शिलाधार बना दिया गया। अमी शक्ति का उपयोग वस्त्र करते अधिग्राम अपने आधिन व्यात्तियों से फराते। अपने विवेत (discretion) से किये गये काया में आतरन प्राय सभी नायों म गवर्नर जनरल का परामर्श देने र लिये एकट म एस भाय मठल बनाने भी याजना थी। इस भी प्रदल ने सदस्या भीसरा १० से अधिक नहोनो। अदेशा राजा र मम्बन्ध, देश भी रक्षा, भागिक विषय और जन जाति ज्ञेत्रा (Tribal areas) र सरकात विषय पर वे अपने विवेत से शामन करते। इन विषयों न चल म अपने मनवा का परामर्श लेने के लिये गाध न थ। और नहुत से फाय न। उनके विवेत पर छाड़ दिये गये जेसे नेप रामिशनरा-उनरे मलाइकारा (Councillors) आधिक परामर्शदाता ग्राम कुछ और पदाधिकरियों भी नियुक्त, सरकार राय वाही में लिय न गमा का बनाना अन्या दशा का जारी करना तथा व्यवस्थापन मण्डल स सम्बन्ध रखने वाले कुछ अधिकारा भा प्रयोग।

स्व वोर शक्ति (Discretionary powers) के आतिरक गवर्नर जनरल के वहुत ने विशेष उत्तरदायित्व (Special responsibilities) भी थे। जिनमें से देश भा शान्ति और सु यवस्था, आधिक स्थिरता, तथा अत्यस्तवक जातियों और सिंचिल सवित्र के लिया भा रक्षा सुरक्षा है। जय कभी इन विशेष उत्तरदायित्वों से समन्वयन नाई विषय सामने आना ता गवर्नर जनरल भा मनियों के माध परामर्श करना आवश्यक वा परनु उन्ह यह आधिकार था। उनकी सलाह का माने था न माने। दूसरे शब्दा भ वह कहा जा सकता है कि तीन तरीकों से गवर्नर जनरल कार्यकारिणी से सम्बन्ध रखने वाले आधिकारा का प्रयोग कर सकते थे। कुछ विषयों में वे स्वविवेक से कार्य करते थे। कुछ म उनका विशेष उत्तरदायित्व भा और कुछ में उनका वैयक्तिक निर्णय (Individual judgment) का उपयोग करके भी मठल के परामर्श वा उल्लंघन कर सकते थे। शेष विषयों में उन्हे मनीमठल की सलाह से कार्य करना होता अर वह कहा जा सकता है कि इसी अन्त में यताये गये क्षेत्र में १९३५ ई० के एकट के द्वारा स्वायत्त शामन भी गई। जिन बातों में गवर्नर जनरल स्वविवेक

और ऐश्वर्यिक निर्णय को प्रयाग करने उनमें लिये वे भारत मन्त्री के प्रति उत्तरदायी होने। इस नेत्र म, जो कि काफी विशाल था, दश को जनता न कारबाह नहीं सौंपी गई।

सन्तुष्ट महम यह रह सकते हैं कि १६३५ के अधिनियम ने रेड में उस प्रभार का दैध शासन प्रणाली—की नाव ढालनी चाही जिसका १६१६ ई० में ऐकर के अनुसार प्राप्ता म प्रयाग असफल हा रहा था। संघीय कार्य कारणी ना भाग एक जन प्रिय मन्त्रिया न बनाया जाना था जिनको काथ हस्तान्तर विषया में ऊपर दग्ध रेख खरना था आर जो अध्यक्षाधारक सभा के प्रति उत्तरदायी होते। दूसरे भाग में गवर्नर जनरल की सहायता के लिये ऐन मदस्य रख जाते जा सकते विषयों का कायवाहन भर। हम गवर्नर जनरल की अनेक प्रशासन, कानून आर वित्त सम्बन्धीशासनों का वस्तुत विवेचन करने का आवश्यकता नहा। बदल यह कहना ही पर्याप्त होगा। इन केवा में ग्राम नियम न गवर्नर जनरल का उहुत आधार साप दिये।

उन्ह द प्रभार के अध्यादेश प्रचालन करन का हक था और व 'गवर्नर जनरल' के एक यजस्तथापक सभा के नाम परामर्श लिये अधिकावाधक होते हुए भावना सकते थ। इन मान शासनों के कारण ही गवर्नर जनरल का समाय भवन ना आधार प्राप्ता माना जाता है।

एक न विशेष पारास्थितया में गवर्नर जनरल का विशेषाधिकार दिय। याद इस समझ उठा यह आभास हा। इस पारास्थितयों उत्तर न हा गढ ह। जनमें ऐक व उपरामा के अनुसार कारबर करना सम्भव नहीं है ता उन्हे ऐसी अवस्था म यह धारणा करने का है। इनमा भी संघात स्थान के काव का स्वय सम्भाल सकते थ। इस प्रभार की धारणा के गार म उह भारते मन्त्री का सूचित करना पडता। याद पालमन्त्र उमड़ जारी रखने का त्वंइन दद ता द्य मान के परचात् यह लागू न रहता।

संघाय विस्थापक मण्डल—१६३५ ई० के आधानयम न संघीय विवरण पर मर्टल रा नावर आर आधारार में कद सारांभित पारवतन कर्ये। यह सम्भार के प्रतिनिधि र रूप म गवर्नर जनरल और राज्यपारपद (Council of states) तथा विधान सभा (House of assembly) नाम के दो आगारा म मिलकर बनता। यह परपद म सभ की इकाई का प्रतानाधिक होना था। इन्ह समानता के आधार पर नहा। प्रयान सभा म सभ के नामारका के प्रतानाधिक जाते।

दाना आगारा का आकार काफी बड़ा दिया गया। राज्य परिषद म विद्युत भारा के सदस्यों का संख्या ५६ और सभ म सामृहित होने वाली रियासतों के सदस्यों की संख्या ०४ स आधार न हो सकता थी। यह एक निर्मायी सदस्यों होनी जिस के

एक लिहाई सदस्यों को प्रयोक्ता तीन वर्ष के पश्चात निर्वाति (retire) कर दिया जाता। इमके सदस्यों का ह वर्ष की अवधि में लिये निर्वाचन हाता। ब्रिटिश भारत के अतिनिधियों को प्रान्ती में से जातियों की निर्धारित संख्या वे अनुसार लिया जाता। अधिकतर सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (territorial constituencies) से चुने जाते और कुछ थोड़े से सदस्य व्यवहित निर्वाचन (indirect election) द्वारा आते। रियासतों के प्रतिनिधि रियासतों के राजाओं द्वारा ही मनोनीत होने थे। ये साग, यदि चुने लिये जाते तो उन मनोनीत अधिकारी वर्ग और गैर सरकारी सदस्यों की जगह वार्ष बरते जो १८१८५० के ऐकट के अन्तर्गत राज्य परिषद के मुख्य आग थे। रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया।

विधान सभा के लिये ब्रिटिश भारत के २५० और रियासतों के अधिक से अधिक १२५ सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। ब्रिटिश भारत के लिये सदस्यों की संख्या पृथक पृथक प्रान्तों, जातियों और हितों में विभाजित हो गई। पृथक निर्वाचन के सिद्धान्त का विस्तृत यास्तीय लोगों, ऐसोलान्डियन, भारतीय, ईसाई, और हिन्दू और मुस्लिम खियों तक फर दिया गया। असेम्बली की रचना में दूसरी राष्ट्र पूर्ण वात व्यवहित निर्वाचन (indirect election) के सिद्धान्त को अपनाया जाना था। हिन्दू (साधारण) मुसलमान और सिखों की जगहों के लिये प्रान्तीय असेम्बली के सदस्य चुनाव करते। स्त्री सदस्यों का निर्वाचन वे सभी स्त्रियाँ एक साथ मिलकर करती थीं जो भिन्न भिन्न प्रान्तों के खियों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनी जाता। दलित जातियों के लिये पृथक संघ नियत कर दी गई और पूनापैकट के अनुसार उनके चुनाव का एक सजटिल (complicated) ढंग निकाला गया। असेम्बली का वार्षिक काल ५ वर्ष था। निश्चित अवधि के समाप्त होने से पहले भी यह गवर्नर जनरल द्वारा विसंनित की जा सकती थी।

यह स्मरण रखने योग्य था कि १८३५ है० के अधिनियम ना एक यह उद्देश्य था कि केन्द्र में आशिक उत्तरदायित्व स्थापित किया जाना। इसलिये सधीय व्यवस्थापक मण्डल को यह अधिकार दिया गया कि हस्तान्तरित विषयों के बारे में वह वार्षिकारिणी के ऊपर नियन्त्रित रखे। इसलिये इस अधिकार में भी गवर्नर जनरल के विशेषाधिकारों का अतिमध्य था। जिस सीमा तक गवर्नर जनरल मन्त्रियों की सुलाह से वार्ष बरते वहाँ तक वे व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी होते। गवर्नर के ऊपर भी सभा को कुछ अधिकार दिये गये परन्तु बुल व्यय का लगभग ७५% अमलदेय मद में शामिल था और राष्ट्र रक्षा, परराष्ट्र इत्यादि विभागों री मामों पर सभा में वादविश्याद तो हो सकता था परन्तु उन पर मतगणना न हो सकती थी। जिन मदों दे नर्च पर सभा का मत लिया जाना आवश्यक था। उन में भी गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह अपने किसी विशेष उत्तरदायित्व के पूरा करने के लिए यह आवश्यक समझे तो

असम्बली द्वारा घटार्द हुई या रहती हुई माग को बहाल कर दे। इस तरह से यह ज्ञात होता है कि गवर्नर जनरल के स्विवेक विशेष उत्तरदायित्व और इसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों (Limitations) के कारण व्यवस्थापक समाज की शक्ति और अधिकार बहुत सीमित थे। इस अधिकारियम की प्रतिक्रियाशीलता एक और बात से भी प्रकट होती है। व्यवस्थापक मण्डल की दोनों सभाओं का इसने वित्त के सन्वन्ध में प्रायः समानाधि कार दे दिये। राज्य भारपद अधिकारी पर केवल एक यह प्रतिश्वास था कि कोई भी आधिक विधेयक उसमें आरम्भ न किया जायगा वैसे मतदान इत्यादि के उसे बराबर हूँ थे। अन्य सभी विषयों में दोनों आगामी को समर्पता अधिकार थे।

गवर्नर जनरल के भारातभाषी के ऊपर विशेषाधिकार थे। वह व्यवस्थापक मण्डल की पैटक तुला मरते थे उसकी वैटन का समावसान (Prorogue) कर सकते थे और असम्बला नो भाग बर सनते थे। इसरे अतिरिक्त वे स्विवेक से किसी विषय पर पर्यालाचन (Discussion) नहीं कर सकते थे प्रश्न पूछना रोक सकते थे और पारण (Pass) निये गये विधेयकों पर अपनी स्वीकृति दने से इन्कार कर सकते थे। बहुत थोड़े शासन के अध्यक्षों द्वारा इस प्रकार के अधिकार मिलते हैं। गवर्नर जनरल के अध्यादेश सम्बन्धी और गवर्नर जनरल का एक बनाने के अधिकार का पहले ही उल्लेख किया जा सकता है।

संघीय न्यायालय

चूंकि संघीय संविधान का निर्णयन (Interpretation) करने और सभी तथा इकाइयों के पारस्परिक झगड़ों को नियन्त्रण के लिये एक संघीय न्यायालय का दाना अति आवश्यक था इसलिये १६३५ ई० के एक्ट में इस प्रकार के न्यायालय को स्थान मिला। पहिली अवनुभाव १६३७ ई० से इस मधीय न्यायालय का कार्य प्रारम्भ हो गया। प्रारम्भ में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) और दो अन्य न्यायाधीश थे परन्तु ऐक्ट के अनुसार उनकी संख्या छँ तक बढ़ाई जा सकती थी। इसका अधिकार क्षेत्र तीन प्रसार का था—विशेष दर्शा में आधिकार मुकदमे सुनना, उच्च न्यायालय के निर्णयों के विवर अतीत मुननी और सरकार को बानूनी वातों में सनाद देनी। चूंकि वर्तमान संविधान के अनुसार इसकी जगह संघीय न्यायालय (Supreme Court) ने ले ली है इसलिये इस के विषय में और अधिक विवेचन करने की जरूरत नहीं।

संघीय रेलवे अधिकार (Federal Railway Authority)

भारतर्द में रेलमार्ग संघीय सूची में सम्मिलित था। यद्यपि यह कोई सरकारी विद्युत न पर भी इसका प्रतापा संघीय मन्त्रिमण्डल द्वारा भी न होता। इसका

प्रशासन एक परिनियत वर्ग (Statutory body) को सौंपा गया जिसका नाम सधीय रेलवे अधिनार था। चूंकि अधिनियम के सब सम्बन्धी उपचार कार्यान्वित ही न किये जा सके इसलिये यह अधिनार स्थापित ही न हुआ।

भारतीय संचित अधिकोष

वित्त एक हस्तान्तरित विषय होने के नाते एक लोकप्रिय मन्त्र के आधीन रखा जाना था परन्तु इसके माध्यम गवर्नर जनरल के आर्थिक स्थिरता और ऋण सम्बन्धी विशेष उत्तरदायिन्द्र का दुमक्कला लगा हुआ था। एक देश की वित्तीय व्यवस्था उसके मुद्रण और विनामय से गहरा सम्बन्ध रखती है। और इस व्यवस्था को स्थिरता के लिये दूसरे विषयों पर नियन्त्रण रखना जरूरी है। इन कारणों के स्वेत पत्र (White paper) में यह सुझाव रखा गया। क सब राज्य की स्थापना से पूछ एक संचित अधिकोष का बनाना आवश्यक है जिसे मुद्रण और ऋण को नियन्त्रित करने, नोट छापने और सचय करने का काम मिल जाय। भारतीय व्यवस्थापद मण्डल ने १९३४ ई० में संचित अधिकाय सम्बन्धी तक अधिनियम बनाया और तदनुपार १९३५ में कार्यान्वय हो गया।

इस अधिकोष का प्रबन्ध एक केन्द्रीय दिग्दर्शक मण्डली (Control Board of Directors) का सौंपा गया जिसमें सकैसिल गवर्नर जनरल द्वारा युक्त एक गवर्नर और दो डिप्टी गवर्नर, उन्होंने के द्वारा मनोनीत चार दिग्दर्शक, हिस्तेवारों द्वारा निर्धारित आठ दिग्दर्शक और भारत सरकार द्वारा मनोनीत एक सरकारी पदाधिकारी सम्मिलित थे। गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के बिना कोई विधेयक भारत के संचित अधिकाय मुद्रण अथवा टक्कण के विषय में व्यवस्थापक सभा में नहीं रखा जा सकता था।

गवर्नर, डिप्टी गवर्नर को नियुक्त करने, पद से हटाने, उनके वेतन नियन्त्रण करने दिग्दर्शक मण्डली के ऊपर अधिकार रखने, अधिकोष ने भग करने और दिग्दर्शकों का काम नियंत्रण करने अथवा उन्हें पहले अलग बरने से गवर्नर जनरल का स्वविवेक (Discretion) कार्य करता था।

उधार इत्यादि का लेना

उधार लेने के सम्बन्ध में भी इस ऐकड़ में बहुत से उपचार है, जिनमें जाने की आवश्यकता नहीं। इसमें आईटी जनरल की नियुक्त का भा उल्लेख था जिसका कार्य सधीय और प्रान्ताय व्यव सम्बन्धी हिसाब की जाँच करना था। समाट्‌री उन्हे नियुक्त कर सकते था हज़ार सकते थे। उनका और उनके कर्मचार वग का वैतन, भत्ता और उत्तरवेतन (Pension) सधीय कोप से ही दिया जाता था।

१९३५ के ऐक्ट के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकार

परिचयात्मक— १९३२ ईस्वी के अधिनियम द्वारा केन्द्रीय सरकार की अपेक्षा प्रान्तीय सरकारों में अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। गवर्नरों के प्रति पूर्ण स्वशाली राजनीतिश इकाइयाँ बन गईं। प्रत्येक प्रात में कार्यकारिणी और व्यवस्थापक सभायें बना दी गईं जिनका अपने अपने कार्यदेन में अनन्य [Exclusive) अधिकार था। यह कार्यदेन सुनिश्चित और पूर्णतया प्रान्तीय विषयों से सम्बन्धित या जिसके ऊपर केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल या नियन्त्रण साधारणतया नहीं था। तब से प्रात प्रत्यायुक्त अधिकार (delegated authority) याले को रेप्राइवेट विभाग ही न रहे, बल्कि उन्हें एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व और सम्मान प्राप्त हो गया। आज भी उनमा वही दर्जा है जो १९३५ के ऐक्ट से उन्हें प्राप्त था। इसमें प्रान्तीय स्वशासन कहा जाता है। पहले हमें स्वशासन का भावार्थ उभय लेना चाहिये।

प्रान्तीय स्वशासन— प्रान्तीय स्वशासन की स्थापना पहली अप्रैल १९३७ ई० को हुई। इसके निम्नलिखित दोनों में से एक या दोनों अर्थ हो सकते हैं—(i) प्रान्तीय सरकार के बाल नियन्त्रण से मुक्ति (ii) प्रातों में उत्तरदायी शासन की स्थापना। ज्यादात पार्लमेंटी कमेटी ने इसकी पहली विभाग को अपनाया, जिसके अनुसार प्रान्तीय कार्यकारिणी के धारासभा के प्रति उत्तरदायित्व पर कोई प्रकाश नहीं ढाला गया। इस कमेटी ने केवल यह तथ्य स्वीकार किया कि प्रान्तीय सरकार को केन्द्रीय सरकार से करीब-करीब पूरी स्वतन्त्रता मिल जाय। परन्तु साधारणतया इस परिमाण को नहीं माना जाता। चूंकि इसके अनुसार तो देशी रियासतें और ६३ सेक्षण क्षेत्र से प्रशासन प्रात भी स्वशाली कहलाये जा सकते थे। इष्ट सुनिश्चित अर्थ में प्रान्तीय स्वायत्त गालन का स्थापित करना ऐक्ट का अभिप्राय न था। १९३५ ई० के ऐक्ट में केवल केन्द्रीय नियन्त्रण से ही प्रातों को मुक्ति नहीं मिली, बल्कि उनमें कार्यकारिणी को प्रातात्य प्रशासन से सम्बन्धित सभी मामलों में प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के प्रति उत्तरदायी बना दिया। परन्तु यह भी ध्यान रखने योग्य है कि ऐक्ट में प्रातों को पूर्ण-स्वेच्छा स्वशासन और उत्तरदायित्व देने का विचार नहीं था। यह बात गवर्नरों द्वारा दिये गए विशेषाधिकार और विशेष उत्तरदायित्वों से सदृ प्रकट है जिनके पालन करने में वे गवर्नर जनरल थे। अंत उनके द्वारा भारत भवी के प्रति उत्तरदायी थे। अधिकार्य के प्रभाग करने के सम्बन्ध में गवर्नर जनरल दियायत दे सकते थे। गवर्नर के

* १९३५ के 'रानीर' आह इन्डिया ऐक्ट के ६३ सेक्षण के अनुसार गवर्नर प्रान्तीय प्रशासन भी भौतिक जनरल को विनियित करके स्वयं भरे प्रशासन की वर्गीय संभाव स्वता था।

विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व का प्रयोग वास्तविक और पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ बेमेल था। उसने जनता के प्रतिनिधियों के अधिकारों को बुरी तरह सीमित कर दिया।

प्रान्तीय कार्यकारिणी (१) गवर्नर- सभ्राट् के प्रतिनिधि की हसियत से गवर्नर को प्रातीय कार्यकारिणी के सभी अधिकार प्राप्त थे। इस प्रकार उनका सम्बन्ध सीधा ब्रिटिश सभ्राट् से हो गया और अब वे पहली तरह मार्टिं सरकार के आधीन नहीं रहे। गवर्नर के ये अधिकार केवल प्रान्तीय विषयों तक ही सीमित थे; सधीय सूची से इन्हें मतलब न था। ये अधिकार या तो गवर्नर महोदय स्वयं प्रयोग करते या अपने आधीन कर्मचारी वर्ग से कराते थे।

केन्द्रीय शासन में गवर्नर जनरल की माँति प्रातीय सरकार में गवर्नर अपने अधिकार तीन प्रकार से उपयोग में ला सकते थे। बुद्धि विषयों में वे विवेक से कार्य करते थे। अर्थात् उन विषयों में वह मन्त्रिमण्डल का परामर्श लेने के लिये वाय्य नहीं थे। कुछ दूसरे विषयों में वे वैयक्तिक निर्णय (individual judgment) से कार्य करते थे अर्थात् इनमें वैधानिक दृष्टि से उन्हें मन्त्रियों की सलाह लेना तो आवश्यक था, परन्तु इसे मानने न मानने की उन्हें पूर्ण स्वाधीनता थी। तीसरी तरह के मामलों में उन्हें मन्त्रियों की सलाह से कार्य करना पड़ता था। केवल इस तीसरे क्षेत्र में ही, यह कहा जा सकता है, कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। जिन विषयों को ऐकट के द्वाय मर्वर के विवेक और वैयक्तिक निर्णय पर छोड़ दिया गया, वे बहुत थे। उन्होंने मन्त्रियों के उत्तरदायित्व के कार्यक्षेत्र को बहुत ही सीमित कर दिया।

आगे उन मुद्दा-मुख्य विषयों का उल्लेख है, जिनमें गवर्नर को स्वविवेक प्रयोग करने का अधिकार था। (१) अपने मन्त्रिमण्डल की बैठकों में समावित करना। (ii) विद्रोह के अपराधियों का दमन। (iii) कान्तिकारियों की कार्यवाही के विषय में पुलिस द्वारा सोज किये हुए मेडों को गुप्त रखने के बारे में नियमों का बनाना (iv) सचिव और मन्त्रियों से सूचना ग्रहण करने के विषय में नियमों का बनाना (v) व्यवस्थापक समाजों में मिसी विधेयक अधिकार उसके नडों पर वाद विवाद रोकना, (vi) अन्य आदेशों का जारी करना, (vii) गवर्नर के ऐकट का बनाना अथवा (viii) धारासभायों द्वारा पास किये गये विधेयकों को अस्वीकार करना। अपने विशेष उत्तरदायित्व का पूरा करने के लिये उन्हें वैयक्तिक निर्णय के अधिकार मिले हुए थे। इनमें निम्नलिखित हैं—(१) प्राप्त के अधिकार उसके किसी माग में शाति और सुवरपत्था के भग बरने वाले सतरा का दूर करना। (ii) अल्पसंख्यक जाति और सरकारी नोकरों के उचित हितों की रक्षा करना, (iii) अवर्वाजन क्षेत्र (Partially excluded

areas) में शांति और सुप्रभाव की व्यवस्था करना, (iv) और देशी रियासतों और उनके राजाओं के अधिकारों और मर्यादा की रक्षा करना। और भी कुछ विधियों में वे मंत्रियों वी सलाह को दुक्य सकते थे। उदाहरणार्थ—महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति, व्यवस्थापक मण्डल की वैठाओं के बीच वी अवधि में अध्यादेशों का प्रबन्धन और पुलिस के नियमों में परिवर्तन।

गवर्नर संविधान के स्थगित करने की घोषणा कर सकते थे। ऐसे अवसरों पर उच्च न्यायालय (High Courts) के अतिरिक्त सम्मत प्रशासन वे स्वयं ही नलाते थे। इस सभसे यह स्पष्ट है कि गवर्नर बेवल वैधानिक प्रभुत्व ही न थे, प्रात का प्रशासन उनका बहुत ही गौरवमय स्थान था।

प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल—१६३५ के शासन विधान के अनुसार प्रत्येक प्रात के प्रशासन में गवर्नर की सहायता करने और उनसे परामर्श देने के लिये एक मन्त्रिमण्डल होता था। गवर्नर अपने विशेष के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करने के अधिकारी थे, परन्तु व्यवहार में वे प्रान्तीय असेम्बली में बहुमत प्राप्त दल के नेताओं का मुरार भवी चुनकर उन्होंके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। मंत्रियों का कार्यसाल गवर्नर की इच्छा पर निर्भर था, परन्तु वास्तव में उन्हें तर तरु आसीन रक्षा जाता था, जब तक व्यवस्थापक सभा में उन्हें बहुमत का विश्वास (Confidence) प्राप्त हो। बेवल एक या दो अवसरों पर ही गवर्नर ने मंत्रियों को, बहुमत का विश्वास मिलने पर भी, पदच्युत कर दिया। मन्त्रिमण्डल के प्रत्येक जाति के आधीन एक या अधिक विभाग रख दिये जाते थे और उनके प्रशासन के लिये वे व्यवस्थापक मण्डल के प्रति उत्तरदायी थे। प्रत्येक मन्त्री की सहायता के लिये एक या अधिक सचिव अर्थात् पालमेंटी सेक्रेटरी रखे गये। प्रत्येक विभाग का कार्य चलाने के लिये बहुत बड़ा स्थानी कमंचारी वर्ग था, मन्त्रिमण्डल सार्वृद्धक रूप से असेम्बली के प्रति उत्तरदायी था।

प्रातीय व्यवस्थापक मण्डल—१६३५ ई० के ऐक्ट ने प्रातीय व्यवस्थापक मण्डलों की रक्षा में एक नवीनता ला दी। कुछ प्रान्तों में इन मण्डलों को पहली बार द्विआगारिक बना दिया था। हु प्रान्तों (आगाम, मद्रास, चम्बई, चगाल, रिहार और यू० पी०) के लिए दो सभाओं के व्यवस्थापक मण्डल की व्यवस्था की गई और ये पाँच प्रान्तों (उडीमा, भिघ, पजाव, सी० पी०, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त) के लिए एक की। द्विआगारिक मण्डलों के स्थापित करने के बाया कारण ये उनमें हमें जाने की आवश्यकता नहीं। यह भ्यान देने का बात है कि इमारे नवे संविधान ने भी कई राज्यों में द्विआगारिक विधान मण्डल रप्रित किये हैं। प्रत्येक प्रान्त में निचले आगार की विधान सभा अर्थात्

असेम्बली नाम या और दूसरे (अपर) आगार को विधान परिषद् (Legislative council) कहते थे। असेम्बली में सभी निर्वाचित सदस्य होते थे, इनमें मनोनीत सदस्य नहीं थे। परिषद् के अधिकार सदस्य भी चुने ही जाते थे, कुछ थोड़े से सदस्यों का नाम निर्देशन गवर्नर करता था। इन सभाओं के सदस्यों की सख्ता प्रत्येक प्रान्त में भिन्न भिन्न थी। असेम्बली का कार्यकाल पौच हर्दि निर्धारित था। गवर्नर को निश्चित अवधि के पहिले भी उसे भग बरने का अधिकार था। प्रत्येक असेम्बली और कैसिल की रचना का बौग देने की आवश्यकता नहीं है। बबल यह भाद रखने के योग्य है कि इनके लिये साम्प्रदायिक आधार पर चुनाव लक्या जाता था। लगभग छेड़दज्जन जातियों और हिंदा को पृथक निर्वाचन के अधिकार दिये गये थे। इत्यापि १९१६ ई० के ऐकट की अपेक्षा १९३५ के संविधान में चुनाव नी योग्यताओं को ध्य कर निर्वाचकों की सख्ता बढ़ा दी गई परन्तु अब भी लगभग दद प्रातरात ऐसे ०.५% रह गये जिन्हें निर्वाचन का अधिकार तथा निर्वाचन के अधिकार सी योग्यता का मापदण्ड सम्पन्नि, कर देने की ज़मता, और साहित्यिक शान पर आधारित था।

विच सम्बन्धी कानून विधान परिषद् में आरम्भ नहीं हो, सकते थे। न इसके सदस्यों को सरकारी मामा पर स्वीकृति देने का अधिकार था। इन प्रतिनिधि के साथ दोनों आगारों को समानाधिकार थे। आर्थिक विधेयक के अनिरित कोई भी विल दोनों में से किसी भी आगार में रखा जा सकता था। दोनों आगारों की समवत्तु स्वीकृति के लिए गवर्नर के निश्चायक इलाज्जर के लिये कोई भी विल नहीं रखा जाता था।

प्रान्तों में पूर्ण उत्तरदायित्व स्थापित करने का यह फल हुआ कि प्रान्तीय विधान सभाओं ने वित्तीय विधयों में पहिले से कहीं अधिक नियन्त्रण प्राप्त हो गया। परन्तु व्यय की कुछ भद्र अमतदेय बना दी गई। अमतदेय व्यय के निम्न पद हैं—गवर्नर का वेतन, भत्ता और उनके कार्योलय से सम्बन्धित अन्य व्यय, महाभिन्ना, भत्ती, उच्च न्यायालय के नायाधीशों का वेतन और अधिदेय। अमतजित हेत्वा के प्रशासन पर व्यय, अर्थ और—ट्रिव्यूनल कोई के निर्णय के सम्बन्ध में सर्व की हुई रकम। इन मदों में से गवर्नर के वेतन और भत्ते के ऊपर तो सभाओं में बहस भी न की जा सकती थी, शेष के ऊपर याद विवाद तो हो सकता था परन्तु उस पर भत्तगणना न कराई जा सकती थी। भत्तदेय व्यय की भागे असेम्बली की स्वीकृति के लिये रखी जाती थी। असेम्बली मांगों को कम कर सकती, स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती थी। मांगों को बढ़ाने या उनमें परिवर्तन करने का उसे अधिकार न था। परन्तु यदि गवर्नर अपने विशेष उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये आवश्यक समझें तो वे कम की हुई अथवा अस्वीकार की हुई मांगों को बहाल कर सकते थे। इस प्रकार असेम्बली के वित सम्बन्धी अधिकार परिभित थे।

प्रातीय व्यवस्थापक मण्डल को प्रशासन के नियंत्रण करने का अधिकार था। इस अधिकार का कोई प्रकार प्रतिक्रिया किया जाता था। व्यवस्थापक मण्डल का कोई सदस्य भविमण्डल से प्रशासन सम्बन्धी प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता था, तबना माँग सकता था और उसकी नीति वा विरोध करने के लिये अधिनियम को स्थगित करा सकता था। विरोधात्मक प्रलाप यास नरके व्यवस्थापक मण्डल मन्त्रिमण्डल के किसी प्रमाणव का विरोध वर सकता था और अर्थविद्याम के प्रस्ताव का पास नहके उसे पदच्युत कर सकता था। प्रशासन पर नियंत्रण नहने के ये कुछ तरीके हैं। जनरा उपयोग धारा सभाएँ किनी भी समय कर सकती थीं। परन्तु जिन विषयों पर गवर्नर स्वीकार्यक से प्रशासन करते थे ऐनियम निर्णय का उपयोग करते, उनपर धारा सभाओं का कोई नियंत्रण न था। वेवन मन्त्रिमण्डल के उत्तरदायित्वे के कानपर ही उन्हें अधिकार प्राप्त थे। कूपि उत्तरुष मखारी नीकरियाँ मन्त्रिमण्डल के अधिकार कानपर में नहीं आती थीं इसलिए इस तथ्य के कारण भी व्यवस्थापक मण्डल का शासन के ऊपर से नियंत्रणाधिकार कम था।

प्रान्तीय धारा सभाओं को विचार विमर्श (deliberation) के भी अधिकार थे। नीनि सम्बन्धी महावशाली प्रश्नों पर ये प्रस्ताव रख सकती थीं परन्तु इन प्रस्तावों अधिकार इनमें समन्वित प्रश्नों पर अवशेष लगा सकते थे।

गवर्नर भी प्रान्तीय धारा सभाओं से सम्बन्ध रखने वाले कुछ अधिकार थे। वे एक या दोनों आगामी वैटक बुला सकते थे और उनका समावानन् (Prorogue) कर सकते थे। निश्चित अवधि में पूर्ण ये असेमली को भग वर सकते थे। वे एक अधिकार दोनों सभाओं को एक माथ सम्बोधित (address) कर सकते थे और ऐसे अवसरों पर सदस्यों की अनिवार्य उपस्थित कर सकते थे। व्यवस्थापक मण्डल में ऐसा इत्येहुए विषयों के विषय में भी उन्हें अधिभाषण भेजने का हक था। आगमी दिवाख को दूर करने के लिए ये दो सभाओं का मुकुल अधिकार स्वीकृति के निम परिनियत पुस्तक (statute Book) में नहीं चढ़ाया जा सकता था।

इसके प्रत्यार्पित राजन्त्र की कानून सम्बन्धी प्रायः प्रायः कानूनी की। के अधिनियमों के बीच बीच में अधिकार उनके कार्यकाल में अध्यादेश प्रबलित कर सकते हैं। यदि ये अपने बार्य के सवाल वे लिये आवश्यक समझे तो स्वयं ही कोई अधिनियम बनाकर पारानयत पुस्तक में चढ़ा सकते थे जोहे धारा सभाएँ ऐसे अधिनियम पर विचार करने से इन्कार ही करें न करें। इस प्रकार का अधिनियम गवर्नर का एक कदानाम था और उसके अनुमार उसी प्रधार

व्यवहार होता था जैसे सभाओं द्वारा पारण बिये हुए अधिनियमों में। एक प्रकार के अध्यादेश वह अपने विवेक के अनुसार जारी कर सकते थे जो विवेक के बल द्वारा मात्र तक प्रभावी होते थे। ऐसे अध्यादेश विसी आवृत्तिस्ट्रेंजर्स (Emergency) में गवर्नर जनरल की पूर्वानुमति से प्रचलित रिये जाते थे। दूसरे किस के अध्यादेश अधिवेशनों के अभाव में मन्त्रियों वी मलाह से जारी बिये जाते थे और ऐडक वे समय उरहें सभाओं के सामने रखना आवश्यक था। सभाओं की ऐडक प्रारम्भ होने के ६ सनाह के पश्चात् ऐसे अध्यादेश प्रभाव शून्य हो जाते थे।

प्रान्तीय शासन का कार्यान्वित रूप—यद्यपि १९४६ ई० के ऐडक की अपेक्षा १९३५ के ऐडक ने प्रान्तों को स्वशासन सम्बन्धी अधिकार दिये परन्तु देश का प्रगतिशील लोकमत इन सुधारों से पूर्णतया असनुष्ट था जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन के प्रत्यावों और इसके विश्वस्त नेताओं की वक्तुवाओं से प्रगट होता है। इस असतोष के कारणों में से कुछ कारण गवर्नर जनरल और प्रान्तीय गवर्नरों के विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व हैं जिनका इस अधिनियम में प्रमुख स्थान था और जो कि उतने ही विशेष हैं जिनने कि जनता को सच्चा हस्तान्तरित करने के प्रत्याव। यह सब कुछ होते हुए भी १९३७ ई० के चुनावों में कांग्रेस ने भाग लिया और इह से प्रान्तों में बहुमत प्राप्त कर लिया। भारह में से कुछ प्रान्तों का निचली सभा में इसे बहुमत भिला और दो प्रान्तों में जहा इसे बहुमत प्राप्त न हुआ यह सबसे बड़ा दल था। अब कांग्रेसी नेताओं ने समुर्त इस बहुमत का उचित उपयोग करने की समस्या आई। इसका एक वर्ण जिसका नेतृत्व श्री राजगोपलाचार्य कर रहे थे पद अहंक वर्क के कांग्रेस की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के पक्ष में था। दूसरे समूह के नेता तत्कालीन राष्ट्रपाल प० जवाहरलाल नेहरू थे जो विशेषाधिकारों का प्रयोग न करेगे, और मन्त्रिमंडल की कार्यवाही में हस्तान्त्रेष न करेंगे तो पद अद्वैत करने में कोई हानि नहा। दूसरे शब्दों में कांग्रेस की यह मान थी कि गवर्नर अपने विशेषाधिकार और शक्ति का परिवार करके एक वैधानिक प्रमुख के रूप में काम करें। इस प्रकार से वचनवद्ध होना गवर्नरों ने स्वीकार नहीं किया चूंकि वैधानिक दृष्टि से वे ऐडक द्वारा दी गई शक्तियों के हिन जाने के लिये प्रस्तुत न थे। इस बड़े से कांग्रेस ने पद स्वीकार नहीं किये। ऐसी परिस्थिति में जनकि बहुमतवाले दल ने उत्तरदायित्व प्रदण करना अस्वीकार कर दिया गवर्नरों ने मध्यवर्ती (Interim) मन्त्रिमंडलों का निर्माण किया। इस अपकार में विद्युत सरकार और कांग्रेस ने अपनी अपनी नीतियों को प्रतिभादित किया। दोनों पक्षों के ग्रवकारों के वक्तव्यों ने स्थिति को और अधिक सष्ट कर दिया। २१ जून १९३७ ई० को वायसराय (लाईलिनलिंगामी)

की वकृता के प्रसारित होने के पश्चात् काप्रेस ने यह अनुभव किया कि अब गवर्नर को अपने विरोधाधिकारों का प्रतीक करना आसान नहीं रहा। इस लिये काप्रेस की कार्य कार्रवी ने काप्रेस के सदस्यों को, जहाँ वहाँ भी सम्मत हो, पद ग्रहण करने का आदर्श दिया। काप्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच इस समझौते द्वारा एक प्रकार से १६३५ के विधान की रूप रूपया ही बदल गई और इसके शुष्क पिङ्गर में नई जान पड़ गई। उसने उत्तरदायी शासन को बहुत कुछ वास्तविक बना दिया। इस सर का श्रेय गाधोड़ी भी अद्भुत राजनीतिक समझ और वुद्धिमत्ता को है।

जुलाई १६३७ में काप्रेस ने पद ग्रहण किये और वह १६३८ के अक्टूबर के अन्त तक पदासीन रही जबकि आठ प्रातों से काप्रेस मन्त्रिमंडल ने ब्रिटिश सरकार की सुदूर नीति के विरोध में अपने स्थाग पत्र दे दिये। दो वर्ष^१ से कुछ अधिक की इस अवधि में इन्होंने बहुत सी बातें सीरीसी।

नवे प्रधान ने पोष के निम्नांकित कथन की पुष्टि की।

“शासन प्रणालियों के बारे तो मैं वुद्धिमत्ता मनुष्य ही भगवान्ते हैं, वही सरकार सभसे अच्छी है जिसका सर्वश्रेष्ठ प्रशासन हो।” ८८

सन् १६३८ के संविधान के कार्यान्वयन किये जाने से पहले बहुत कम लाग इस विवरण का अनुमान लगा पाये थे कि एक्ट के द्वारा इतने बड़े अधिकारों का इस्तान्तरण हा सकेगा। जो लोग सरक्षित अधिकार और विशेष उत्तरदायित्वों पर अधिक बल देते थे उन्हें कभी स्वयं में भी यह विचार नहीं आता था कि उन सप्रतिज्ञाओं के द्वारा भी कार्य संचालन हो सकता है जो नारों और से आक्रमण और अभिरक्षणों की मुट्ठ दीवारों से घिरी थी परन्तु, वाल्टर में, जिन्होंने संविधान के निर्णीक से ढाँचे में स्वाधीनता की रूप फूँकी। यह तो मानना ही पड़ेगा कि इस अवकाश में प्रान्तों में बहुत बड़ी हद तक स्वशासन का प्रस्थान हुआ।

इस समलूपा का आधार ब्रिटिश सरकार और काप्रेस के बीच का समझौता था जिसके अनुनार गवर्नर मन्त्रिमंडल के कायों में बहुत कम हस्तक्षेप करते थे और इसी कारण मैत्रियों को अधिक अवमर थे कि वे जनना को दिए हुए वायदों को पूरा कर सकें। यह कहा जा सकता है कि नवीन व्यवस्था में गवर्नर प्रायः संविधान प्रमुख हो गये और प्रशासन का वाल्टरिक अधिकार मन्त्रियों के हाथ में आ गया। परन्तु कुछ

*For forms of Government let fools contest.

What ever is best administered is best.

लोग ऐसे भी विचार समझते हैं कि दस अधिनियम के कार्यान्वित होने की सफलता का कारण कांग्रेस मन्त्रियों की नीति थी जिसके अनुसार इन लोगों ने ऐसे विधयों को लूँया ही नहीं जिनसे प्रियंका अधिकारियों के साथ भगड़े के अवसर आते। सच्च तो यह जान पड़ता है कि यदि एक और कांग्रेस मन्त्रियों ने ऐसे भगड़े नहीं उठाये जिनके बारण गतिशीलताएँ हो सकता तो दूसरी ओर वह अबनी उन नीतियों का पालन करने में उन्होंने इस भय की हृदय से निकाल दिया कि गवर्नर उनके मार्ग में रोड़े छटकाएंगे। एक या दो अवसरों पर राजनीतिक कैदेंगों की मुनिके के प्रिय में प्रियर और यू० पी० में गवर्नर के माध्यम से उनका मतभेद हो गया जिम्मेदार कारण उन्हें त्यागव्रत देने पड़े। मतभेद के दूर होते ही उन्होंने पिर से आसन प्रदण कर लिये।

नई व्यवस्था में समझौते की बिना किन कानून मुख्य बातों में योग दिया गया इनका उल्लेख शिक्षाप्रद हामा। पहली बात यह थी कि गवर्नर मन्त्रियों की नियुक्ति बहुमत के नेता के परामर्श से करते थे न कि स्विवेक से। प्रमुख मन्त्री अन्य मन्त्रियों की जो सूची तैयार करते थे उसमें गवर्नर कोई परिवर्तन न करते थे। दूसरे व्यवहार में प्रमुख मन्त्री का पद स्वीकार कर लिया गया जिसके ऐकट में इसका कोई ज़िक्र न था। तीसरे कांग्रेस ने सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना की ओर प्रोत्साहन दिया। कांग्रेस ने किसी भी प्रान्त में समुक्त मन्त्रिमण्डल (Coalition ministry) बनाना स्वीकार नहीं बिला। अन्तिम बात यह थी कि मन्त्रियों का गवर्नरों की स्वेच्छा से नहीं बल्कि विधान-मण्डल के विराध से पदभूत किया जा सकता था। जब तक इन लोगों को बहुमत प्राप्त था तब तक वे लगानार कार्य सचालन कर सकते थे।

इसका यह अभिभाव नहीं कि मन्त्रियों का पूर्ण अधिकार थे। बहुत सी सीमाओं के बीच उन्हें अपना काम चलाना पड़ता था। वे इस वास्तविक तथ्य की नहीं भूल सकते थे कि अधिनियम के अनुसार गवर्नर के महान् अधिकार हैं, और ये मन्त्रियों की सलाह दो अस्वीकार कर सकते थे। कदाचित इसी प्रतीक्षा के कारण मनी लाग ब्रानिंघारी नीति और योजनाओं का प्रचार करने से हिचकते थे पिर आर्थिक बढ़िनाई भी यी प्रान्तीय खरकारों को आमदनी के अपन्यास्य साधन (inelastic resources) दिये गये। आर्थिक तरीके के कारण वे नई योजनाएँ कार्यान्वित नहीं कर पाते थे। कुछ बाधाएँ उन उपबन्धों के कारण भी उपस्थित हो जाती थीं जो केन्द्र और प्रांत के पारस्परिक सम्बन्ध से ताल्लुक रखती थीं।

परन्तु यह भाग्य में नहीं लिखा था कि कांग्रेस अधिक समय तक पदारूढ़ रहकर जनता की सेवा कर सके। १९३८ हूँ में दूसरे महायुद्ध के छिपड़ते ही इसके मन्त्रिमण्डलों

* जो पाठ्य इस विषय में अधिक विस्तारपूर्वक अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें मतानी और किंवद्यमयी द्वारा लिखित India Constitution at Work नामक पुस्तक का Subsequent Working शीर्षक का परिच्छेद पढ़ लेना चाहिए।

से पद त्याग करना । जिस घटार केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल और प्रांतीय सरकारों की मलाई लिये गिना गवर्नर जनरल ने भारत का प्रिंटेन और मिन राष्ट्रों का साथी बनातर इसे एक युद्धकारों (belligerant) देश घोषित कर दिया उस दृग के पिस्तू काप्रेस मन्त्रमण्डल ने आपत्ति प्रकट करने के लिए अवतूर में त्यागत्र दे दिये । ८

उनसा स्थानापन्न करने के लिये गवर्नर और मन्त्रमण्डल न थना सके । इस-लिए ऐसे आठ प्रान्तों में जहा कि शाप्रेसी मन्त्रमण्डल ने इस्तीफा दिया, मंबधान का त्थगित कर दिया गया । ६३ सेवान के ग्रनुमार उद्देशे प्रशासन भवने आर कानून का ममी भार अद्दने कन्हों पर समाल लिया । इस तरह उन प्रान्तों में उत्तरदायी शासन का अन्न हा गया और उसके स्थान पर स्वेच्छावारिता दो प्रथय मिला । इसके पश्चात वहुत दिनों तक इमी प्रभार की धावली चलता रही । १६४६ ई० लार्ड पैजल ड्वारा आयोजित बी हुई रिमला कान्क्षेस ने देश-वासियों के हृदय में सिर कुछ आशाए पैदा का परन्तु वह नार्में स अमल हा गई । नये तुनाओं के पश्चात् ही बालव में उत्तरदायी-शासन किर से सभी प्रान्तों में चलाया जा सका ।

यह उत्तेजन भी अभिरचिपूर्ण है कि काप्रेस मन्त्रमण्डल के त्याग का उन प्रान्तों के भी स्वशासन पर प्रभाव पड़ा जहा कि काप्रेस का मन्त्र मण्डल नहीं था और जहा कि शासन विधान बाह्य रूप से ज्यों का ल्यों रखा गया । काप्रेस मन्त्रमण्डल के दो वर्ष के बार्य काल में जिस उत्साह से बाय किया गया यह बाद में लुप्तप्रायः हो गया और गवर्नर दिन प्रति दिन के प्रशासन में दस्तकेव करके मन्त्रियों के ऊपर स्वेच्छा को बरतने लगे । सिन्ध के प्रमुख मन्त्री स्वर्गीय श्री थलाबरहा का गवर्नर ने उनके पद से जिम प्रकार हटाया, जो पन द्या ० एस० थी० मुरज्जी ने त्यागवद देते समय बगाल के गवर्नर का लिया, जिस प्रकार बगाल के प्रमुख मन्त्री श्री फजलुल्लह को एस० मुर्तिलमनीसी के लिए स्थान छोड़ने के लिये मन्त्रूर किया गया—ये ऐसी घटनाए हैं जिन्हें नुसारा नहीं जा सकता । जिस प्रभार आसाम, उडीना और मीमांग्सान में मुनिम लीग आर तुद्य काप्रेस छोड़ने वाले सदस्यों की सहायता से मन्त्रियों की नियुक्ति की गई, और जिस दृग और रूति से उद्देशे कार्य किया—स्वय अग्रनी बहानी बहते हैं । इन प्रान्तों में १६३६ के पश्चात् लाकप्रिय मन्त्रियों का शासन और निर्धारण में सर्वीय सहयोग नहीं लिया जाता था । इन सभी प्रान्तों में भी गवर्नर ही मिशिल मर्दिम की सहायता से शासन करते थे । इन स्थानों में केवल नाम भाष का उत्तरदायी शासन था और उसमें बास्तविकता कुछ भी न थी । यह सब बातें उस दृग का समर्थन करती हैं जिनका यह भन था कि १६३५ के एकट में अधिक महन्य गवर्नर के विशेषाधिकार और विशेष उत्तरदायियों का है न कि जनग के प्रतिनिधियों के लिये मत्ता के दस्तान्तरण का ।

* विश्व दिवेजन के लिये पुनर्ज बा पता भाग पढ़िये ।

भारत मंत्री इस्यादि— १९३५ के ऐक्ट के अनुसार भारत मंत्री का भारत सरकार से किस प्रमाण का नाता था, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देना असगत न होगा।

पहिले ही यह बतलाया जा चुका है कि १९१६ ई० के ऐक्ट के अनुसार भारत मंत्री को भारत सरकार के सभी कार्यों का निरीक्षण निर्देशन और नियन्त्रण करने का अधिकार था उस समय, वास्तव में, भारत की स्वतंत्रता और प्रान्तीय सरकारें भारत मंत्री के अधिकारी (agent) के समान था। १९३५ ई० के ऐक्ट ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। इसके अनुसार भारतीय द्वारा के ऊपर सम्भाट को एकाधिकार था और गवर्नर जनरल आर गवर्नर संघे सम्भाट के आधान था। इस संविधान में १९१६ ई० के ऐक्ट की भाँति कहा भी यह जिक नहा है कि भारत मंत्री का भारत के ऊपर निरीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण का आधिकार है। अब भारत मंत्री का वह सुरक्षा स्थान नहा, इसकी जगह सम्भाट (crown) ने ले ली। परन्तु यह स्थाना न्तरण केवल वास्तव रूपक है और इसमें वास्तविकता अधिक नहा है। चूंकि सम्भाट का समूल कार्य मंत्रियों के परामर्श से ही चलता है इसलिये भारत मंत्री की भारत सरकार सम्बन्धी शक्तिया सुट्ट और प्राय वैसी ही रही रहा।

जिस सीमा तक १९३५ ई० के अधिनियम ने जनता के प्रतिनिधियों की सत्ता हस्ता त्तरित की अर्थात् जहाँ तक प्रान्तीय गवर्नर अपने मात्रियों के परामर्श से कार्य करते रहे, वहाँ तक भारत मंत्री का प्रशासन पर से नियन्त्रण हट गया। परन्तु गवर्नर के स्वरिवेक और विशेष उच्चराजपत्र के सम्बन्ध में यह नातन थी। इस कार्य क्षेत्र में गवर्नर भारत मंत्री के आधीन थ और उन्हें इनके सभी आदेशों का पालन करना पड़ता था। यह उल्लेख भी वान्डुनीय है कि सम्भाट का सलाहकार होने के नाते भारत मंत्री भारत से सम्बन्ध रखनेवाले सभी सकौसिल आदेशों (orders in council) के बनाने में सहायता देते थे। ये आदेश गवर्नर जनरल और गवर्नरों को आदेश-पत्र (instrument of instruction) गवर्नर और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त आदि से सम्बन्ध रखते थे। भारत मंत्री को भारत सरकार की ओर से इंग्लैंड से उधार लेने, आल इंडिया सर्विस के कर्मचारियों की नियुक्ति करने और उनका वेतन, भत्ते तथा उत्तर वेतन (Pension) के निरिचत करने और उनके हितों की रक्षा करने के सम्बन्ध में पूरा अधिकार था।

पूर्वग्र आमूल परिवर्तन जो १९३५ ई० के अधिनियम के द्वारा दृष्टिगोचर हुआ वह इंडिया कौसिल का भग करना है। भारत में लगातार इस कौसिल के प्रति असताप्रकट किया जा रहा था। परन्तु यह परिवर्तन भी केवल दिखावटी ही था

*इमें गवर्नर जनरल का जिक बरने की आवश्यकता नहीं चुकि ऐक्ट के कन्द्र सम्बन्ध उपरां कार्यान्वित ही न हो सके।

और इसमें वास्तविकता इतनी नहीं थी। नये अधिनियम में भारत मंत्री के परामर्शदाताओं (Advisers) की नियुक्ति का उल्लेख था। इन सलाहकारों की सख्ता कम से कम तीन और अधिक से अधिक ६ निर्धारित थी। उनमें से आधे सदस्य ऐसे होते थे जो कम से कम दस वर्ष भारत में सम्राट् वी सरकार दी सेवा कर चुके हों और जिन्हें नियुक्ति से पूर्व नौकरी छोड़ दो से अधिक वर्ष का अवकाश न यीता हो। इस प्रकार इन्डिया कौन्सिल परामर्शदाताओं के रूप में बदल गया। सार्वजनिक नौकरियों से सम्बन्धित सभी विषयों में इन लोगों का परामर्श अनिवार्य था।

भारतीय हाई कमिशनर—भारतीय हाई कमिशनर का वार्योल्य १९१६ के ऐक्ट वे द्वारा स्थापित हुआ था। उस समय भारत मंत्री वी आदत सम्बन्धी सभी कार्यवाही हाई कमिशनर के ऊपर छोड़ दी गई। १९३५ के अधिनियम ने इसके कार्यालय को अछूता रहने दिया। हाई कमिशनर की नियुक्ति गवर्नर जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णय वे अनुमार करने लगे। उनका कार्य काल ५ वर्ष निश्चित था। उनका मुख्य कर्तव्य सर्वीय और प्रान्तीय सरकारों और ऐसी देशी रियासतों के लिए जो सध में सम्मिलित हो जाय ऐसी वस्तुओं का सचय रखना था जिनकी उन्हें आवश्यकता हो। उनसे यह आशा भी जाती थी कि भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए बखुए मन्दे से मन्दे बाजार में सरीदैं। इगलैंड में भारतीय विद्यार्थियों के लिए मुक्तिधाएं एकत्रित करना और उनकी भलाई का ध्यान रखना भी उनका एक कर्तव्य था।

आज कल भी इगलैंड में हाई कमिशनर का पद है। भारत, पाकिस्तान और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत सभी उपनिवेश लदन में अपने-अपने हाई कमिशनर रखते हैं जिनका कार्य ब्रिटिश सरकार और सम्बन्धित देशों के बीच एक गठबन्धन स्थापित रखना है।

पार्लमेन्ट का नियन्त्रण—१९३५ ई० के अधिनियम द्वारा भारत शासन सम्बन्धी ब्रिटिश पार्लमेन्ट के अधिकारों में विशेष परिवर्तन नहा हुआ। वह अब भी भारत के लिये नियम और अधिनियम बना सकती थी। इस प्रकार यहाँ के प्रशासन में परिवर्तन करने का उसे पूर्ण अधिकार था।

भारत के ऊपर ब्रिटिश सरकार की प्रमुखा और उसका नियन्त्रण कर्दृ प्रकार प्रयोग में लाया जाता था। नियन्त्रण का सबसे प्रमुख दग भारत के वैधानिक विकास की प्रगति को निश्चित करना था। पालमेन्ट की प्रायता पर ही सम्राट् सध राज्य की धोषणा करते। दूसरे, उसे भारतीय व्यवस्थापक मण्डल के कानूनों के बदलाने अथवा निराकरण करने और ब्रिटिश भारत के लिए दानून घनाने का अधिकार था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के आदाश-पत्रों आर उनके सशोधनों का पालमेन्ट में पश किया जाता था और पालमेन्ट की अनुमति के पिना उनपर कोई कार्यवाही नहा थी जो

सकती थी। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के ऐकटों और अध्यादेशों की सूचना बजारीये भारत मत्री ब्रिटिश समृद्धि की दोनों सभाओं ना दी जानी आवश्यक थी। चूंकि ६००० मील की दूरी से वह भारत के ऊपर सीधा नियन्त्रण न कर सकती थी इसलिये पालमेन्ट अधिकता की होस्यन से भारत मत्री की नियुक्ति की गई थी। भारत मत्री के अधिनारो का हम पहिले ही उल्लेख कर चुके हैं। इस स्थान पर यह कहना आवश्यक है कि भारत मत्री उन सभी अधिनारों के लिए ब्रिटिश समृद्धि के समद्वय उत्तरदायी थ। इसलिए भारत मत्री के अधिकार द्वेष को भी पालमेन्ट के अधिकार द्वेष में सम्मिलित किया जा सकता है।

जन १६४७ ई० में भारत को एउ उपनिवेश स्वीकार कर लिया गया तो यहाँ के प्रशासन का भार पूर्णतया यहाँ के निवासियों के कन्धों पर ही छोड़ दिया गया। यद्यपि उस समय भी भारत के ऊपर सम्भाष की ही प्रभुता भी परन्तु ब्रिटिश समृद्धि का यहाँ के प्रशासन पर किसी प्रभार का नियन्त्रण न रहा। यद्यपि पूर्ण स्वतन्त्रा पाने के साथ साथ सम्भाष की प्रभुता भी समाप्त हो गई है। अब हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं।

१६४७ के ऐकट के द्वारा किये गये सशोधन—इस अध्याय को समाप्त बने और नये संविधान का विश्लेषणात्मक परिचय प्राप्त करने से पहिले १६४७ ई० के ऐकट के सशोधनों का सदैत मात्र आवश्यक है। यह अधिनियम १६३५ के ऐकट और नये संविधान के बीच एक मध्यवता आश्रम के समान है।

जब तक कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा एक नया संविधान देश के लिये प्रस्तुत करे तभी तक कुछ सशोधनों के पश्चात् १६३५ के ऐकट के अनुसार ही कार्यवाहन करना ठोक समझा गया। १६४७ ई० के ऐकट ने १६३५ ई० के ऐकट का कामचलाऊ रूप उपस्थित किया।

इस ऐकट के अनुसार बेन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल के स्थान पर संविधान सभा को स्थापित किया गया जो कि सावधान सम्बन्धी और कानून सम्बन्धी दोनों कार्य नहीं। इस सभा को बाह्य नियन्त्रण से पूर्ण मुक्त नहीं बना दिया गया और इसे एक विधान-मण्डल के सभी अधिनार प्राप्त थे। इस ऐकट ने गवर्नर जनरल और गवर्नरों के बहुत से अधिकार छीन कर उन्हें केवल वैधानिक प्रभुता बना दिया। बेन्द्रीय और प्रान्तीय कार्य कारिणी यद्यपि मण्डल (cabinets) का भारती सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करने लगी। इस ऐकट को एउ ल्परो मता यह थी कि देशी रियासतों को उनकी स्वेच्छा पर छोड़ दिया कि वह भारत अथवा पाकिस्तान में से निसी के नाथ भी निपारित शर्तों पर सम्मिलित हो अथवा समर्था पूर्ख रहे। रियासतों के ऊपर से सम्भाष की छाया हट गई।

अध्याय ११

नये संविधान का सामान्य परिचय

परिचयात्मक — पहिले दो अध्यायों में १६१६ और १६३५ के अधिनियमों के मुख्य उपदन्धों की रूपरेखा पर साधारण दृष्टिपात करने के पश्चात् अब हम अपने वर्तमान शासन प्रबन्ध का आधक विस्तार पूर्वक विवेचन करेगे। नये संविधान की एक विशेष बात यह है कि इसने भारतीय जनता के निर्धारित प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय नेताओं ने उनाया है। इससे पहिले के सभी अधिनियम त्रिटिश संसद् द्वारा बनाये गये थे जो कि एक वाह्य स्थायी थीं। फिस प्रकार संविधान सभा अस्तित्व में आई और विन परिस्थितियों में इसने कार्यान्वय किया—इन विधयों का विवेचन राष्ट्रीय आनंदोलन के अध्याय में किया जा चुका है। यहाँ उसे दोहराने की आवश्यकता नहा। नये संविधान को बनाने का महत् कार्य ६ दिसम्बर १६४६ को प्रारम्भ किया गया और २६ नवम्बर १६४६ को समाप्त कर दिया गया। २४ जनवरी १६५० को संविधान सभा ने ३० राजेन्द्र प्रसाद को भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया और दो दिन बाद संविधान का प्रारम्भ करके यह सभा विसर्जित हो गई।

संविधान की मुख्य विधेयताएँ :—हमारा नया संविधान बहुत सी बातों में दूसरे दशों के संविधानों से भिन्न है। यह अपना एक विशेष अस्तित्व रखता है। इसका यह कारण है कि इसके निमाताओं ने सभी प्रजातन्त्रात्मक देशों के अनुभवों से लाभ उठा कर उनकी सभी मूल्यवान गतों का सम्मिश्रण कर लिया है। प्रचलित सिद्धान्त और व्यवहारों को बहाबहा अलग उठा रखने में भी ये लोग नहीं हिचके हैं। युद्ध और शान्ति के संबंध कानून का सामना करने के लिये इन्होंने वैधता और सदीर्घता की अधिक परवाह नहीं की। यह स्मरण रखने के योग्य है कि १६३५ के ऐकट के बहुत से आधारभूत उपरन्ध जो कि आवश्यक थे नये संविधान में यथावृत् सम्मिलित किये गए हैं, इसके अतिरिक्त और ही भी क्या सकता था। कारण यह है कि तुङ्ग इम्पेरियल क्षेत्र इसी जैसे उपरन्धों से व्युत्साहन चलाया जाता रहा है।

नये संविधान ने भारत को राज्यों का एक सघ घोषित किया है। दूसरे शब्दों में, इसके द्वारा भारत में सधीय प्रणाली को प्रस्थापित किया गया है। एक और शावध्य बात यह है जबकि संयुक्त राज्य अमरीका, स्विटज़रलैंड और ग्रास्ट्रोलिया

आदि दूसरे देशों में कई स्वाधीन राज्यों को उनकी स्वेच्छा से एक प्रभुता सम्बन्ध सत्ता के आधीन रखा गया, भारत में इस प्रथा के विपरीत पहिले एकात्मक शासन द्वारा वही स्वशासी इकाईयों में बंटा गया और फिर उनसे मिला वर एक सघ बनाया गया। इस हाइ से नये संविधान के ऊपर १६३५ के ऐकट का आभार है। जैसा कि पूर्वगामी अध्याय में बताया जा चुका है १६३५, १० के अधिनियम के द्वारा भारतवर्ष को एकात्मक शासन से सघात्मक प्रणाली में बदलने की कल्पना पहली बार की गई।

इस संविधान की दूसरी विशेष बात यह है कि इसने एक सुट्ट केन्द्रीय, राष्ट्रीय सरकार को प्रश्न दिया है। संघीय सरकार की विशेष अधिकार सौपने में इसने अमेरिका के अनुभव से लाभ उठाया है जहाँ कि आधुनिक भभय में संघीय सरकार की शक्तियाँ और अधिकारों में प्राप्त अभिवृद्धि हुई है। आजसल ससार के समस्त संघीय संविधानों की यह भारता है कि केन्द्र को अधिकारिक सबल बनाया जाय। हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट अधिकार केन्द्र को संपै गये हैं न कि राज्यों को।

इस संविधान की तीसरी यह विशेषता है कि सबट बाल में इसे सघात्मक से एकात्मक शासन पद्धति में परिवर्तित किया जा सकता है। राष्ट्रगति को आगामी कालीन शक्तियाँ प्रदान करके इस बात को सम्भव बना दिया गया है। उनकी असाधारण शक्तियों के प्रभाव से राज्यों में स्वशासन को प्राय स्थगित किया जा सकता है। ससार की किसी दूसरी सघात्मक शासन पद्धति में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

चौथी जातव्य बात यह है कि इस संविधान ने राज्यों को संविधान बनाने के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं दिया है, ये राज्य अपना संविधान बनाने, उसे बदलने अथवा विघटित करने का कोई अधिकार नहीं रखते न कोई राज्य सघ के बाहर जा सकता है। राज्यों को अपना संविधान बनाने और सघ से पृथक होने के अधिकार, कदाचित देश की एकता की रक्षा को संटोष बायम रखने के विचार से, नहीं दिये गए हैं। यह संविधान सर्वदा इस मानना को लेकर चला है कि हमारा देश एक सुगाठत इसाई है जिसमें एक ही सत्ता के आधीन एक जन-समुदाय निवास नहीं है।

इसी विचार से सम्बद्ध इस संविधान की एक और विशेषता है। यद्यपि इसमें द्विशासन, द्विविधान मण्डल और द्विकार्यपालिता है फिर भी इसमें सम्पूर्ण नागरिकता का समावेश करने के कारण हमारा संविधान अमरीका के संविधान से संभेद भिन्न है जिसने दुहरी नागरिकता के सिद्धान्त को अपनाया है। सम्पूर्ण

नागरिकता के साथ साथ संविधान ने देश को एक सम्यक नुस्खांचित न्याय-फॉल्स (Judiciary) एवं अग्रिम भारीय लोक सेवा आयोग आर समस्त दश में एक ही व्यवहार विधि और दृष्टि विधि को प्रभास दिया है। इह वह जा सकता है कि सर्व-त्वर शासन के होते हुए भा संविधान ने भारत की एकता को नुस्खित और सुन्दर स्थित रखने वा प्रयत्न दिया है। राजनीति इसी नारण से भारत का राज्यों का सब' (Union of states) नाम दिया गया है और इसने ग्रंथरेती शब्द दैवदेशन के प्रयोग का बिन्दुनार कर दिया गया है।

प्रत्यास्थिता (elasticity) ग्रथवा आनन्द्यता (flexibility) इस संविधान के प्रम्ब प्रस्तुत हुए हैं। संशोधन के द्वारे शिवान्वार ने पूछ दिये जिन संविधान के प्रत्यास्थितियों के प्रत्युक्तु दूसे तुम्हन भी पढ़ला जा सकता है इस सामा तक इसमें आनन्द्यता वा गुण प्रस्तुत है। संविधान सभा ने इसे संवान्त्र (Final) प्रेर पूर्णतया त्रुटिमुक्त (infallible) वी जहा उल्लासा है ग्रार प्रयत्ने निर्णय दी अनित्यमुक्त नहीं लगाई है। प्रमाण (Convention) ओर प्रेषण (Referendum) जैसी संचित प्रणालियों दो भी इस संविधान में न्याय नहीं मिला है। इसके संशोधन की प्रक्रिया बहुत मरल है इसका उल्लेख आये दिया जायगा। इस विधान की प्रत्यास्थिता का एक यह भी सबूत है कि सबृद्धि रात म संवाद में एकात्मक शामन प्रणाली में परिवर्तित दिया जा सकता है।

नये संविधान की एक और विशेषता यह है कि इसने भारत को प्रभुता-समन्वय सोन्तततात्मक गरण्य घोषित किया है। भारत के प्रभुता समन्वय होने का स्थृत प्रमाण यह तथ्य है कि संविधान सभा के प्रत्यन्तर्गत दश के बन प्रिय नेता, राजनीतिक और नीति-व्यष्टि सम्मिलित थे जिनके उपर दिनी भी प्रभुता वा जात्य प्रभाव ग्रथम नियन्त्रण नहीं था। आन हम ग्रामने देश के भाष्य निर्माता हैं और इस दिनी वाहरी सत्ता के ग्राधीन नहीं हैं। हमारा देश आज गणराज्य भी है नूरि इसके राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं न कि कोई रियासत (Hereditary) राजा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं न कि कोई रियासत (Hereditary) राजा या महाराजा। भारत के गणराज्य होने वा महत्व टीक प्रभाव उस समय समझ में आ सकता है जबकि हमें इस विषय वा व्याप रहे हैं कि लगातार लगभग नृहृत वर्ष तक हम स्वेच्छाकारी सत्ता और सामन्तशासी के नीचे रह रहे हैं। यद्यपि अताम जल में हमारे यहाँ ग्राम गण्य भी पूछे देने निन्तु इतिहास के एक बहुत बड़े अवसान में हमारी परम्पराएँ सुखाओँ भी ढाया म ही पनपती रही।

भारत को लोकतात्मक बदलने वा यह अभिप्राय है कि सरकार अपना अधिकार जनता से प्रदान करती है। संविधान की प्रस्तावना में अप्रलैंगित शब्द हैं—‘इन

भारत के लोग.....एतद् द्वारा इस संविधान को अग्रकृत, आधिनियमित और आमांणित करते हैं। हमारी शासन प्रणाली इस प्रकार की है कि इसमें साधारण सदस्य भी ऊँचे से ऊँचा पद ग्रहण कर सकता है। यह बात प्रौट-भत्त के द्वारा सम्भव हो गई है; अब प्रत्येक प्रोट व्यक्ति को चिना किसी सम्मान अधिकार साहित्यक योग्यता की शर्तों के मतदान का अधिकार मिल गया है। रसी-युख्य भेद अधिकार जन्म, जात, धर्म, सभ इत्यादि की स्थापना करने प्रयोग नागरिक को वधान मण्डलों में हुने जाने जा खुला अवसर है। छोटे मोटे पदों का तो कहना ही क्या वह इस गण-राज्य का राष्ट्रपति भी बनने का नेष्ठा कर सकता है।

संविधान की प्रस्तावना में, आठवें वर्ष भी ध्यान दिया गया है कि भारत के समस्त नागरिकों वाँ (१) सामाजिक, आधिक और राजनीतिक व्याय, (२) विचार, आधित्य से विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, (३) प्रातष्टा और अवसर के समता प्राप्त कराई जायगी। इस उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इस संविधान में एक दम युग्मान्तर से प्रचलित लुग्राकूत भी द मारी दो मिटा दिया है गौर भारत को एक ही कक (असाम्रदायिक) राज्य नन दर दत्तन नागरिकों को चिना किसी जात, जन्म, धर्म इत्यादि के प्रतिबन्ध के समानाधनार और समानाधनसर दिये हैं। हमार देश में प्रचलित एव विचारधार हो व भारत को लौकिक राज्य बनाने के पक्ष म नहा है। इस विचार के बावजूद व वस्तान व चरण चिन्हों पर चलकर भरत को हन्दू शास्त्रों के आधार पर एक हिन्दू-राज बनाना चाहते हैं। ऐसे वर क्यह भूल जाते ह कि हम ऐसे युग मे रह रहे हैं जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धान्तों की भवहार मे लाना बाल्की नहीं है। आज विश्वभर की सभ्य सरकारें इस सिद्धान्त को लेकर चलती हैं कि राज्य या कार्य केवल व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों को मुनियमित करना है और उस परमात्मा और व्यक्ति के सम्बन्ध से कोई सरोकार नहा है। मानव ईश्वर सम्बन्ध राज्य के द्वेषाधिकार में नहा आता। किसी राज्य को लौकिक कहने का केवल यही अर्थ है कि यह किसी विशेष धर्म का प्रसार नहीं करता, किसी सरकारी कर्मचारी के पूजा करने के द्वारा पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता या किसी दूसर धर्मावलम्बी को पद अद्यतन से नहीं रोकता। एक असाम्रदायिक राज्य की सरकार सिद्धान्त, किसी विशेष मत या सम्प्रदाय को आभय देने अथवा उसका प्रचार करने से साम इन्कार करती है।

संविधान का नवी विशेषता यह है कि इसमें बैन्द्र और राज्ञों में समृद्ध-शासन (Parliamentary form of government) की व्यवस्था की है न कि प्रचारनीय शासन की। जैसा कि ब्रिटेन मे हुआ है हमारे देश मे भी समृद्ध-शासन का विकास परम्परा द्वारा होगा न कि केवल संविधान की लिखित धाराओं से ॥

संविधान में कहा भी यह उल्लेख नहीं मिलता कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपालों (Governors) के नाम से प्रबलित किये गये आदेशों पर उत्तरदायी मानवियों न हम्लाकर उत्तर नहीं आप्स्यत है। जो आधिकार राष्ट्रपति और राज्यपालों को दिये गये हैं उनमें से कुछ वे समन् शासन के साथ बेमेल से जान पड़ते हैं उदाहरणार्थ राष्ट्रपति ना विधान मण्डलों को अभिभाषण भेजने और विधेयकों को उनमें दोबारा विचार प्रिया के लिये लायने के अधिकार। कदाचित् इन अधिकारों का स्वल्प सम्भवत म प्रयुक्त सुनें रें लाए गया गया है।

नागरिकों के मूल अधिकार (Fundamental Rights) और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों (Directive principles of State Policy) का दो ग्रन्थालये ने रूप म सम्मिश्रण इस संविधान की एक आरं विशेषता है। बहुत धोड़ अन्य दशा ने सावधाना में मूल अधिकारों का समावेश है आरं द्वाचित् आयरलैंड के संविधान म ही इस प्रकार के नात निर्देशकों का उदाहरण पाया जाता है।

अन्तिम बात—यह सावधान एक विशाल प्रनेत्र (Document) है। कदाचित् समार भर ने इससे बड़ा संविधान कोई नहीं। इसमें ३८५ अनुच्छेद (Articles) और ८ संसूचनाया (Schedules) हैं। १६३५ जा एकट मी इतना लम्हा नहीं था। लम्हा होने के कारण ही यह व्यापक और परिकारी मी है। इसमें उन सभी प्रारम्भिक राजिनामायों को दूर करने के मुझाव हैं जो कि एक नये राज्य के सामने आया रहती है। इसमें प्राप्त प्रत्येक संविधान में पाये जाने वाले शीर्षक—शासन का व्यवस्था, विभिन्न ग्रंथ के क्रत्य, नागरिकता, मूल अधिकार आदि ही नहीं बल्कि लोट सेपायें अल्पव्यवस्था की रक्ता, सम्पत्ति, संविदाएं, अस्थायी अन्तकालीन उपचय और भागा के सम्बन्ध में उपग्रन्थ मी समिलित हैं जो ग्राम किसी संविधानीय प्रनेत्र में नहीं पाये जाते। जिम सीमा तम इस संविधान की विशालता और व्यापकता इसमी निशाशोलता म नहायक है वहा तक कोई आपस्त्र नहीं।

ऊपर के विवेचन में यथा स्थन पर इस पाठक का ध्यान आगे देश-आरं संयुक्त राज्य अमेरिका को संविधानोंमें भिन्नताओं की ओर दिलाते रह है। अब इस भारत और इंगलैंड के संविधानों की भिन्नता के सम्बन्ध में कुछ शब्द बहना आवश्यक समझते हैं। यद्यपि बहुत हद तक हमारा संविधान इंगलैंड को शासन पद्धति के मूलभूत सिद्धान्तों पर आधित है परं मी कई प्रकार से यह उसमें मेल नहीं खाता। एक सष्टु लक्षित हाने वाली भिन्नता यह है कि हमारा संविधान पृथक्तया लिखित प्रवत है जब कि इंगलैंड का प्रधानतया अलिखित; जिना आनंद इंगलैंड जा संविधान है उन्ना हमारा नहीं है। इसके साथ-साथ का

साधारण विधिया बनाने से भिन्न ढग है। निन्तु सब ने प्रमुख निन्ता यह है कि हमारे संविधान के द्वारा सखद की पूर्ण प्रभुता स्वामीर नहीं यह है। हम आगे इस बात को स्पष्ट करेंगे नि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को संविधान ने निर्वचन (interpretation) सरक्षण (Protection) रा द्वाधिकार है प्रेरण वे कभी भी विधि को विदि संविधान से अमर्गत या प्रतिकूल पाये, अप्रमाणित घोषित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमने सावधान वी सर्वोच्चता को ग्राहनादा है और उप निर्दिष्ट न्यायालयों को इस सिडान्त का पालन करने का अधिकार प्रदान किया है। इस बात में यह अमेरिका की फ़ड़ान के अधिक निर्दृढ़ है। और इसको नी संविधान दा। एवं प्रशोधना कहा जा सकता है।

सावधान का प्रमुख विशेषता ओ ना विवरण समाप्त करने से पूर्व एक और सार ग भत भात की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। यह पहले ही कहा जा द्यता है कि इस सावधान के निर्माताओं ने दूसरे देशों के अनुभवों से लाभ उठाने में वजा चक्कुराई से काम लिया है और उनके संविधानों से बहुत सी लाभदाद गते अट्ठ का ह। परन्तु इसका यह अभिप्राय कदाचित नहीं है कि उन्होंने भारत की पर्वस्थितियों या आवश्यकताओं को ध्यान म न रखा हो। हमारे सावधान पर राष्ट्राध्य पञ्चारों की छाप है। यह इस बात से सिद्ध है नि संविधान ने आम पचायता के स गठन का उल्लेख है। आम पचायते प्राचीन भारत की प्रजातन्त्राभव सरथाए था।

नय सावधान ने व्यवहार म सधात्मक राज्य ना स्थापना दर दा है व्य क १६३५ मे एकट मे इसकी कल्पना मात्र ही था।

सध की इकाइयों—भारत को 'राजो ना सध' नाम दिया गया ह। इसका यह अर्थ हुआ म अमेरिका की भात इस दश की इकाइयों रो धारा क नाम स पुनराग जायेगा। १६३५ मे ऐसा मे इन इकाइयों मे से कुछ प्राप्त त्र त्रुद दशों प्रियमहों दे नाम म प्राप्त है। जैसे सर्विष्यन मे इन दशों नाम का कुछ त्र त्रुद दशों दशों वा एक नामररण विद्या गया है। प्रथम अनुसूनी ने (क), (ख), (ग), (घ) भागों मे इन इकाइयों का व्योरा दिया गया है जो कि निन्ता बत र

^१ दिल्ली भारत का संविधान—प्रमुखैँ ४०।

संविधान की प्रथम अनुमोदी

(भारत के राज्य)

भाग (क)	भाग (ख)	भाग (ग)	भाग (ज)
१ आमाम	१ जम्मू और दार्शमर	१ अन्नमेर	(प)
२ उडामा	२ त्रिवाहुर-कोवान	२ कच्छ	
३ पञ्चाय	३ पञ्चान और पूवा पञ्चाय संघ	३ राच मिहार	(अ)
४ दाश्वमा राजाल	४ मृग भास	४ काढगु	(अ)
५ बिगर	५ मेंग	५ प्रपुर	(अ)
६ मद्राम	६ गुजन्थान	६ दिल्ली	(अ)
७ मध्य प्रदेश	७ चन्द्र प्रदेश	७ खलासपुर	(अ)
८ मध्य	८ मराष	८ भाल	(अ)
९ सुन प्रदेश	९ हेदरामाद	९ मतपुर	(अ)
		१० हमाचल प्रदेश	(अ)

भाग के राज्यनाम (Territory) में पूर्ण निर्दिष्ट सभी राज्यों का ज्ञात समिक्षित लिखा है। अनुमति के भाग (क) में तल्लानी गदन दों के प्रान्त भाग (ख) में हैदराबाद राज्य, राजस्थान, मैशूर ती त न रही राज्यान्तर नथा है, बहुत मी दशी रक्षाकृता के लिन्ना हुए संघ सम्भालता है। दशी रक्षाकृता का संधा में परवतित करने की नदान्तर बढ़ स्थान सफलता है जो स्वार्थीनता मलने पर राष्ट्रीय सरकार ने प्राप्त की है। बांशा मत्ता के ग्रामीण अनेक राज्यान्तर और उनकी संविधता भारत की एकता के लिये मत्तम आधार ग्रहणनारु था।

एक वार्षिक एक करण के प्रयोग के द्वारा दूर कर दी गई है। नवल यी नहा देश। प्रयोगाना इ आश्वय चापत करने वाली प्राक्षेत्रा का मध्यने के साथ-साथ उनम प्रचारन न्यूमाधन स्वेच्छाचार्यता रा दूर हरक मन की अन्य इकाईयों की माति उनक अन्दर लान्नया भर शापन रा स्थापत कर दिया गया है। १६०५ क गर्वनग अर्थ हाँ-या एक वा प्रयोग, जम्मू म्वेच्छाचार्यता आर प्रनालत्र के बीन गठनन्नन रा प्रन्तान रागा गया था, नये साधान ते मम इन्हो प्रश्ना जो एक सब मिला दिया है। उच्च विधार का (प्रश्नमा) गमाल ने ममावेश करना संविधान इ उम उपर्युक्त रा एक उदाहरण है जिसने ममद का राज्यों की सीमाए घटलने, उनक ज्ञे रों रा धगने वा रद्दने रा अधिगार दिया है। जिस प्रधार सुनक प्रान का नाम उत्तर प्रदेश रा राज्य वा प्रदर्शित करता है ति विना संविधानमे सशोधन किये ही मस्तक दो

किसी राज्य के नाम बदलने का हक है। इसी प्रमाण संविधान की बात ग्राह्यता में परिवर्तन किये जिन ही नये राज्यों को संघ में शामिल किया जा सकता है।

शर्मा चितरण - संघ-संविधान मूल रूप से उस थात पर ग्राहित होता है जिस अधीय शासन और इकाइयों के बीच अधिकारों का परिनियत वितरण कर दिया जाय। प्रत्येक सरकार अपने अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में मर्यादा-वाली जाती है और उस ज्ञेन में उनके अधिकार को कोई नहीं घटा सकता। भारतीय संविधान ने इसी सिद्धान्त के अनुसार शासन सम्बन्धी शक्तियों को संघ और राज्यों की सरकारों के बीच बाट दिया है। यह वितरण की योजना ग्राय उसी प्रमाण नी है जैसी कि १९३५ के अधिनियम में। विधानीय पदों को संघ सूची, राज्य सूची, समवता सूची नाम सूचियों में विभाजित कर दिया गया है। संघ सूची के नियमों पर संघाय सरकार का अनन्य अधिकार है उनमें से किसी एक पर भी राज्य का विधान मण्डल विधिया नहीं जान सकता। राज्य सूची के अन्तर्गत विषय पर साधारणतया राज्यों के विधान मण्डलों की ही कानून बनाने का अधिकार है जेवल ग्राप्तिकाल में अथवा ऐसे समय जब जिरान्त्रीय हित में राज्य परिषद् द्वारा वहुभाव से स्वोकृत प्रत्याव द्वारा ऐसी आवश्यकता समझे या जब कि एक या अधिक राज्य अपने ज्ञेत्र में समूद्र की अधिकार सापद, संघ-विधान मण्डल राज्य सूची के विषयों पर भी जानून बना सकता है। समवता सूची के नियमों पर संघ तथा राज्य नी सरकारों का समान अधिकार है। परन्तु पारस्परिक विरोध की परिस्थिति में संघ द्वी विधियों को राज्यों के कानूनों के ऊपर मान्यता दी जायगी। अवशिष्ट शक्तिया (Residuary Powers) संघ सरकार सोही प्रदान नी गई है अर्थात् उन विषयों पर जो कि नियत सूचियों में नहीं आने संघ समूद्र को कानून बनाने का अनन्य अधिकार है।

संघ सूची में ६७ ग्रंथिष्ठियाँ शामिल हैं। इस सूची को लम्बा बनाने के लिये आज कल की वृत्ति के अनुकूल केंद्र को सुट्ट बनाने का विचार निहित है। ने विषय पूर्णतया प्रादेशिक अधिकार स्थानीय हितों के बजाय सरकारीण राष्ट्र के नामूदित हितों से अधिक सम्बद्ध है। उनसे पूरे देश पर एक साथ प्रभाय पड़ता है इसलिये उनके लिये विधान और प्रशासन की सम्मानना नी वहुन आवश्यकता है।

इन में से मुख्य विषय निम्न लिखित हैं—

प्रतिरक्षा (Defence) नी, रथल और विमान बल, नी, अल और विमान इल की कर्मशालाए, शत्रावर, अभ्यर्त, युधोकरण और प्रस्तोत्रक, अगुशाक्ति, विदेशीय कार्य, रजनयिक, वाणिज्य दूतिर और व्यापारिक प्रविनिधित्व, विदेशी में सधि तथा करार रखना। युद्ध और शान्ति, नागरिकता, रेल और राजपथ, समुद्रनीमहन, प्रकाशस्तम्भ, वायुपथ और विमान पारगत, गेज उप, समुद्र या वायु से यात्रियों और वस्तुओं का रहन, डाक और तार, ट्रांसोन प्रेतार, प्रसारण और अन्य समरूप सचार, मध्य का लोक झगड़ा, चलार्थ टक या, विदेशीय विनियम, विदेशीय झगड़ा, भारत का रक्षा बेक, नाक धर, बचत बन, विदेशा में साथ व्यापार और वाणिज्य, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य, व्यापारिक नियम, मणि-नी विनियम पत्र, चेक, मनन पत्र आदि चीम एकम्ब, आविष्कार और ल्पावन, तैलज्ञोत्ता और व्यविन नेत्र संपत् ता विकास, व्यविन और उनसा विकास अम का विनियम तथा चालों प्रौर नैल ज्ञेता म सुरक्षितना, मछली पकड़ना अपीम, राष्ट्रीय पुलिसालय, भारतीय मग्नहालय, माम्राज्यिर युद्ध-मग्नहालय इत्यादि वाशी, अलीगढ़ और दहली विश्वविद्यालय, प्राचीन और ऐनहासिक स्मारक और अभिलेक, भारतीय भूरिमाप, जनगणना अप्रिल भारतीय मेवाए नथा स्पलाइ नेत्रा आयोग, समद और यज्य के विधान-मण्डला में निये तथा सम्पत्ति और उपराध्यति के वदों के लिये निर्भावन, समद के मदस्या के बेन और नने, मध्य के और गद्यों के लेपाया की लेप्या परीक्षा, उच्चतम न्यायालय वा गर्वन, मध्यन, ज्ञेत्राधिकार और शनियों उच्च न्यायालयों के ज्ञेत्राधिकार वा प्रियार, उपराध्यति तथा मानव उपमाग के मन्त्र सरिक फालों अरीम, भग और अन्य विन लाने वाली औपरिया तथा स्वापका वा छाड वर अन्य सम वस्तुएँ नियम कर, इपि भूमि को छाड कर अन्य सम्पत्ति के शरे म सम्पत्ति शुल्क, इपि भूमि का छाड कर अन्य सम्पत्ति के अधिकार के गरे म शुल्क, रेल या समुद्र या वायु से ले जाने वाली वस्तुओं या यांत्रियों पर सीमा कर, रेल के जन भाडे और वस्तु भाडे पर कर विनियम नन, चेकों आदि पर मुद्राव शुल्क वी दर, तथा समाचार पत्रों के बग या दिव्य पर तथा उनमे प्रशाशन होने वाले विभागों पर कर आदि आदि। इस सूची में और भी इस प्रकार के बहुत से विषय हैं जिन्हे ६७ प्रदिविष्यों में रखा गया है।

राज्य सूची म ६६ प्रदिविष्यों सम्मिलित हैं। इनके अन्तर्गत विषय

प्राचीन गण्डव इता के उज्ज्यवंश के दल से ही प्रोत्तर हैं। इन विद्यम में आपनी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप प्रत्येक राज्य विधान तथा प्रशासन के जार में स्वतंत्र हैं। इन में से मुख्य-मुख्य निम्नांकित हैं—

नारदनन्द व्यापन्था, आरक्षी (पुलिस, जिसके अन्तर्गत रुद्धि और ग्राम आगच्छी भी है व्यापन प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का द्वाड वर सब न्यायालयों का गठन और संघरण, कारागार, सुधारलय वास्तव संस्थाएँ, स्थानीय शासन सावर्जनिक स्वास्थ्य और संचालन एवं कल्याण और व्यौवधालय, मादकशत व्याहीनों और नीकरी के लिये आवास व्याकुलों को सहायता शब गाल्या आर नगरस्थान, शबडाह आर श्वशान यात्रा पुम्पालय आर द्वार्गालय, सड़के, पुल ग्रानवरा घाट, छाप, पशुराख, मिनार, ग्रार नटर, जलनस्तारण आर रघ भूरुत, बन, बन्द प्राण्यों और पान्यों की स्वयं भीन द्वज, नालक अधिकरण, उत्ताग घंथे राज्य के अन्तर्गत व्यापार और वार्ष्य, वाजार और मेले, सान स्वायन जा छाड भर वाड और माप। साहूसारी और साहूसार, नाट्यशाला और नार्य अभन्न, पण लगाना आर जुआ, राज्य र विधान मर्त्तला के लिय निवासन राज्य लान सेनाएँ, राज्य लान ज्ञान याप, राज्य निवास बतन, राज्य जा लाक झारण भूरेजत्व. कुण्ड भूम क उत्तराधिकार र यद्यपि मे शुल्क भूम आर भग्ना पर कर, किमा रथानी ज्ञन मे उत्तराध दराग जा विक्रय के लिय वस्तुओं क प्रेता पर कर, विद्युत के उत्तराध पर नर व्यापार पर कर भग्ना पर कर, पशुओं और नौकाओं पर कर वच नर तुलन्या, व्यापारों पर और विलास वस्तुओं पर कर निवास अलगन आमों बनाद, पण लगाने आर जुआ खेलने पर भी कर है, उच्चतम न्यायालय का द्वाड वर सब न्यायालयों जा ज्ञेयाधनार और शक्ति।

ममदता सूनी म ४३ प्रविष्टि है—। इनक याधक मत्त्वात् विद्यम हस प्रभार है—

दरडविधि और दरट प्रक्रिया, व्यवहार प्रक्रिया, नवारन निराध; दैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य का हगाजा जाना, विवाह और विवाह विच्छेद दरक्क के भृण, इच्छापत्रीनवें, अविभक्त कुटुम्ब और विभाजन, सम्पत्तियों का हल्लान्तरण, सविदा, दिवालयापन; न्याय और न्यामी, माद्य और शर्पय, उन्माद, पशुओं के प्रति निर्देशता का निवारण, अर्थिक और सामाजिक याजना, वाणिज्यिक और औद्योगिक

एकों पष तपार मर, ग्रोवेंसिन और अमिन विवाद, सामजिक सुरक्षा और मामानिस पीभा श्रमिकों ना रखाण, मूल नियास-म्थान से भ्यानान्तरित हुए वर्जनया की भगवता और पुनर्जीव, मूल्य नियमण, रासाने, गाय वन्द नियुत, मसाचार पत्र, पुनर्वें और मुद्रणालय, हुरातन समन्वी स्थान उच्चतम न्यायालय का छोड़ भर ग्रन्थ न्यायालयों रे चैत्राधिकार और शनिवा ।

उपनेदिधि सूची मे एक जान न्यू है— इयरपि दे विषय राज्यों के हितो रे अधिक निर्दिष्ट नि भा इनमे जानूरी विविधता न न्यान पर एक स्फुट लाग ती ग्रविर लाभदायक हामा । जारखाने, अमरो ना रखाण, दरड प्रक्रिया (Criminal Procedure) और व्यवहार प्रक्रिया (Civil Procedure) मादन, विनली ग्राव आद ऐन विषय न न्यतक सम्बन्ध मे वेभिन्न प्रदेशो नी जानूरी गिरि धता ग्रदन डान नक्तो है इन विभा ना तमवता सूक्तो मे इन उद्देश्य से रखा गया है कि न्यक गर्म म उद्धाय विधान मर्दन नामान्य भिद्धान नियान कर दे जा ग्रविन भारतन मे नार्थन्वित हो सरे और जिन की पारंधि मे रहते हुए राज्य श्रमनी श्रमनी आप्समन्ताओं क अनुम्य विधिवा बना ल । स्वद्वजगले, जमनी, (धोमीभर भावधान) आर ग्राम्यलाग द गादि अर भी दश द बगु दि अम प्रभार ना समवता सूक्त मज्जता है ।

पिररा न जार न एक दा ग्रार भी जात व्य गत है । यह प्रमग पाहने भी आ चुना है कि हमरी उन्नीय मर्दन एवं शाकशाली सत्ता है । समार के रायद ही किमी दूसरे सब शासन न कन्नीय मर्दन का इना अधिक शुक्तया दा गद हैं । मारत मे बेन्द्रीय माल्कर ता इना शाकशाली हाना प्रधानता इम शाक विनरणु की योनना वा ही आशाम है । बेन्द्रीय मर्दन क हाथा मे, सब सूची की ६७ और समस्तों सूची नी १७ प्र प्रभुदा क साथ साथ अवाराउत शाक्ता क ऊपर, अ मर्दन सार कर इस योनना ने गव का शाकशाली बना दिया है ।

जा रेन्डाग (centrifugal) प्रवृत्ति ना हमारे इतिहास मे जाम ऊरती आ रही है आज ज्ञन परन्थित भा मे हमार मर का जम्म हुआ है उन्ह ध्यान मे रखने हुए यह कहा जा सर्व है कि ज्ञान सविधान की उन्द का शाकशाली बनाने की बाजना ग्रामनजनन नही है ।

इगी सम्बन्ध म दूसरी विशेष बात यह है कि सविधान की विशाल गुचिया म वहुत से विषय भर दिय गय ह । परन्तु इसने हाँन ही क्या है ? इससे तो लाभ ही होगा चू कि रेन्ड्र और गन्धो के अधिकार चत्र नो सप्ततदा दोंट देने से उनके आपसी भगजों की सम्भ बना क्षम हा जायगी ।

राज-भाषा—सब की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी निश्चित की गई है। परन्तु इस संविधान के लागू होने के पन्द्रह वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। राज्य की सरकारों का हिन्दी अथवा अन्य तेरह निर्धारित प्रादेशिक भाषाओं में अपना कार्य करने की स्वतन्त्रता है। ये प्रादेशिक भाषाएँ अप्रलिपित हैं—असमिया, उडिया, उर्दू, कन्नड, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलगु, पञ्जाबी, बगला, मराठी, मलयालम, मस्कूल, और हिन्दी।

संविधान का सशोधन—जैसा कि पहले भी इस अव्याय में लिया जा सुना है इसमारे संविधान में प्रत्यक्षता और आनंदना का बहुत बड़ा गुण है। इसको संशोधित करने की रीत जान बूझ कर महल और मरल बनाई गई है। यद्यपि वह इतनी सरल नहीं है जितनी कि विनेन ने भविधान ने रद्द करने की। प्रसंभा (convention) और प्रेपरेण्डमेंट (referendums) जैसी सचाल प्रणालियों को इस देश में प्रयोग नहीं किया गया है।

संविधान न संशोधित करने का प्रस्ताव प्रत्यक्ष दशा में संसद् ही प्राप्त होगा। संसद् ने किसी भी आगार में इस विषय का विधेयक पेश किया जा सकता है तब यह विधेयक संसद् के प्रत्येक आगार में उभये कुल सदस्यों के आधे से अधिक आर उपर्युक्त होमर गठ देने वाले सदस्यों के द्वारा निराक महुमत स पाता हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति के लिए रस्त दिया जायगा। और त्वीकृति मिलने पर उनका लागू समझा जायगा। परन्तु कुछ विशेष विषयों के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति में पहले (रु) (रु) भाग के राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों के विधान मण्डलों से त्वीकृत कराने की आवश्यकता है। ये विषय निम्नांकित हैं—

- (a) राष्ट्रपति का निवाचन।
- (b) संघ का कायरालिङ्ग अधिकार नियन।
- (c) पहलो अनुमति के भाग (क) के राज्यों का कायरालिङ्ग का व्यवधान देना।
- (d) न्याय पालना अधान् उच्च निया उच्चतम न्यायालयों का गठन आर राज्यों।
- (e) संघ और राज्यों के सम्बन्ध।
- (f) संघ गृहों, और राज्य सुनी आर समवता मूर्ची।
- (g) संसद् में राज्य का प्रतिनिधित्व।

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो विषय अधिक महत्वपूर्ण समझे हैं उनरे लिये आधे से अधिक राज्यों के विधान मण्डलों की अनुमति अनिवार्य कर दी है।

उछ तीसरे प्रकार के ऐसे भी विषय हैं जिनम संसद् साधारण रोपन से ही पारवर्तन

कर सकता है। उनके सशोधन के लिये ससद् के उपस्थित सदस्यों के वहुमत की ही ज़रूरत है।

राज्य ने विधान मरड़तों को स्वतं संविधान में फिलो प्रकार का सशोधन करने का अधिकार नहीं है। यह स्पष्ट है कि हमारा संविधान तो इतना आनंद्य (Flexible) है जितना कि इगलैंड का और न इतना अप्रत्यास्य (Inelastic) है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूलिए इमका तथान इगलैंड और अमेरिका ने संविधान की दो परामर्शाद्वयों के बीच में है।

अध्याय १२

नागरिकता, मूल अधिकार और निदेशक तत्व

नागरिकता—जैसा कि हम इससे पहले अध्याय में ही बतला दु है हमारे सम्बंधान में दश न सभा नागरिकता न है लेकिं सभाका नागरिकता का मिहान अपनाया गया है। अभेषका वे सावधान न। भारत इसमें दूहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। प्रदेश राज्य को पृथक् नागरिकता—उदाहरणाबाब उच्चर प्रदेश की नागरिकता, महात्मा अथवा बगाल जा नाम एवं नामका का नाम दोनों चाज वहाँ नहीं होगी। हम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जाति वा उच्चर का निवासा हो, वाद दर्शिण्य का, भारत सब का नागरिक है।

सावधान में नागरिकता प्राप्त करने आर उमड़ छिन जाने का नियमों का विवेचन नहीं है। इस गत रा नगरपाल सदूर के ऊपर लाड दिया गया है। सावधान में ता क्षेवल इस व्यवस्था का उल्लेख है कि इसक आरम्भ पर इस प्रकार देव व्यक्तियों का नागरिकता के टुक्रे प्राप्त होते। नागरिकता निश्चित करने के लिये तीन प्रकार के आधार लिये गये हैं—नम उद्भव आर निवास न्यून। पांचवे अनुच्छेद के अनुसार प्रत्वेक व्यक्ति जमका इस सावधान के आरम्भ के सभा (२६ जनवरी १९५०)—भारत राष्ट्र क्षेत्र न निवास था भारत का नागरिक समझा जायगा यदि वह —

(I) भारत के नाम नवे में जन्मा हो या

(II) उसक जा वा जान भारत में जन्मे हो

(III) या उन इष्टते पहले सामन्यतया पाठ वर्त तक भारत वा निवासी रहे हों।

इस अनुच्छेद में लोगों के नागरिक आधारों का काई जिसर नहीं है जो साम्बद्धिक भगाड़ा के कारण प्रक्रियान से भारत में आरूप बन गये हैं। ऐसे व्यक्तियों का नागरिकता के अधिकार एक दूसरे ही अनुच्छेद के अनुसार दिये गये हैं। पांचस्तान से प्रबन्धन करके भारत में आने लोगों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है —

(क) ऐसे लोग जो १६ जुलाई १९४८ से पहले मारत म आये ।

(ग) ऐसे लोग जो १६ जुलाई से नाद मारत में आये ।

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो १६ जुलाई १९४८ से पहले भारिलाल ने भारत में आया, उद्दि वह स्थिय, या उनके जनको मे से कोई अधिकार उनके माहाननदी म से कोई अखण्ड भारत (१५ अगस्त १९४७ म बनाए) में चन्मा हो और उन्हें इह आगमन के नभद्र से लगातार भारत में नियाम नहीं हा, नये मन्दिरियन के प्रारम्भ होने हा नागरिक समझ नयेगा । दूसरी श्रेणी का वह प्रवेश व्यक्ति जो १६ जुलाई १९४८ से नाद यद्दी आया, उद्दि इह भव या उनके जनको म से कोई अधिकार उनके माहाननदी मे से कोई प्रस्तुत भारत में चन्मा हो और यदि उसे नियामित भरनाय अधिकारा द्वाय पत्रिकद (registered) भी भर लिया गया हा, भारताप नागरिकता के अधिकार प्राप्त नह लेगा । पत्रिकद होने के लिये इह शर्त है नि नियामित अधिकारी नो इन विषय म प्रार्थना देने के पूर्व वह व्यक्ति हु मान से लगातार भारत के अधिकार क्षेत्र में रह रहा हो । जो लाग भारत पे पैदा हुए और द मात्र १९४८ के नाद पानिलाल जान्नर पम गये हैं उन्हें भारताय नागरिकता दे प्रविशर नग दिये गये । यदि कोई ऐसा उक्त सरकारी यात्रा पत्र से भारत में लाट आया है प्रव रा दोपारा वह गया है तो उन्हें भी नागरिकता प्राप्त हो जायगी ।

भास मे उक्त रहन वाले भारताना के लिये नागरिकता के प्रधानार मिलने का अलग शब्द है । एका प्रवेश प्राप्त जा स्थिय या जन्म चनक प्रधान महाननद विभाजन से पूर्व भारत म पैदा हुए हा, वश्वते नि वह या उनके जनको मे से नाद या महाननदों मे से नाद भागन के राजनीति या जाईंड प्रतनाय के द्वाय भारत का नागरिक पत्राकद दर लिया गया हा तथा वहां के साधान के प्रारम्भ नि हा भास ना नागरिक समझ लया जायगा ।

मन्त्रीप म तन प्रकार के वक्तव्य भासताय नागरिकता के प्रधानार प्राप्त होगे —

(१) नना भारत म चन्म प्राप्त जन्म है ।

(२) जा पानिलाल मे प्राप्त रहा पम गय है ।

(३) भारत के राज्य रहने वाले नागरिक ।

उक्त रहने की आमत्तु नग वह जो कोई स्वेच्छा मे जन दून रहा ता भासताय नागरिक पत्राकद दर जाप उसे भासन म नागरिकता के अधिकार प्राप्त न हो ।

मूल अधिकार—नागरिकों के मूल अधिकारों का समावेश—भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। यह उस परम्परा के प्रतिकूल है जो अंग्रेजी राज्य ने स्थापित की थी १८१६ के अथवा १८३५ के गवर्मेन्ट आफ इंडिया एकट में ऐसी काई जात नहीं जिनका नये संविधान के मूल अधिकारों से समता की जा सके। इसका यह कारण था कि उन ऐकट के द्वारा भारत में वास्तविक प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित न करने का विचार हा न था। उनका एक मात्र उद्देश्य भारत में इस प्रकार का व्यवस्था की प्रस्थापन करना था जिसमें नागरिकों के हितों के विपरीत वार्यपालिका को मुद्द आर शक्तिशाली नहीं दिया जाता है। इसके पिछले विपरीत नये संविधान को इस उद्देश्य में बनाया गया है। इसका एक लालूतनात्मक व्यवस्था दी जाय, इसी लिये सावधान के निमाताओं का इसमें मूल अधिकार सम्बन्धी एक पृथक ग्रन्थाय जाओना पड़ा। सरार में इस भा कुछ दरा है जहाँ के संविधानों में इस प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं है उदाहरणाथ ब्रिटेन।

मूल अधिकारों के सम्बन्ध में शासन ना सामत हाना सन्तुष्ट है। सरकार और विधान मण्डल को तानाशाह द्वारा स राखा हो इसका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य का प्राप्ति के लिये यह व्याकु न लाए व्यवस्था का अवसर प्रदान करता है।

यह समझना आवश्यक है कि मूल अधिकारों के सिद्धान्त में शासन का सीमित होना इस प्रकार सान्नाहत है। मूल अधिकार उन अधिकारों का बहते हैं जो किसी संविधान में नागरिकों के लिये प्रत्यानुत (Guaranteed) किये जाते हैं। उन्हें मूल भूत इसलिये कहा जाता है कि कार्यपालिका या विधान मण्डल को भी उनके छल्लवन न करने का अधिकार नहीं होता। जिस आर आर सामा तक किसी विधान मण्डल भी निधि अधिकार द्यायेगलिका के बनाये नियम आदि मूल अधिकारों के विरोधी होता तो उस अश आर उसो सामा तक वे विधि अधिकार नियम प्रभाव शून्य समझ जायेगे। न्यायालय इस प्रकार ने नियम आर विधियों का प्रमाणित नहीं ठहराएँगे। इस प्रकार इस संविधान में मूल अधिकारों का समावेश उस देश के शासन पर बहुत बड़ा प्रभावन्य लगा देता है, आर नागरिकों के अधिकारों को अधिक मान्य भना देता है। अधिकारों की इस प्रकार सुन्दर एक व्यक्ति के ज्ञातम विकास में बहुत बड़ी महायना होती है आर वह उसका सरकार की दमन नीति से बचती है ऊपर के बग्गन में वह भी स्थित है कि मूल अधिकार न्याय-संगत भी है। यदि कोई सरकार विसा व्यक्ति के मूल अधिकार क्षेत्र कर आक्रमण कर तो इसके लिये वह

* भारत सरकार द्वारा प्रकाशित Our Constitution के पृष्ठ १६ में उद्धृत किया गया है।

न्यायालय से न्याय की प्रार्थना कर सकता है। इसी बारण से मूल अधिकारों का सरकार और नागरिक दोनों ही सम्मान करते हैं।

‘ सविधान में ये मूल अधिकार छ. शीर्षकों में आ किताफ़िये गये हैं —

- (१) समता अधिकार
- (२) स्वातन्त्र्य अधिकार
- (३) शोपण के विस्तृ अधिकार
- (४) धर्म स्वातन्त्र्य का अधिकार
- (५) सशक्ति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार
- (६) सम्पत्ति का अधिकार

समता अधिकार—समता प्रजातंत्र के मूल भूत तत्वों में से एक तत्व है। इसीलिये इसे भारतीय राजनीतिक भवन का शिलाधार माना गया है। इसमें द्वारा प्रेषान्न, नागरिक और सामाजिक सभी प्रकार की समता प्रदान करने का प्रमाण निया गया है। सविधान के १४ वें अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक नागरिकों को कानून के समक्ष समर्थ ही गई है। १५ वें और १७ वें अनुच्छेद में सामाजिक समता का उल्लेख है और १६ वें अनुच्छेद में राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर की समता दी गई है। कानून के समन ममना का यह अभिप्राय है कि जीवन, सम्पत्ति, स्वेच्छा, आनन्द की जाज व सम्बन्ध म कानून समर्पी रखा करता है। किसी भी अन्याय अथवा अनुचित व्यवहार के निष्पत्ति के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालायों को सहायता ले सकता है। जानपद समता (CIVIC equality) का यह अभिप्राय है कि केवल धर्म, मूलबद्ध, जाति, लिंग जन्मस्थान के आधार पर कार्ड नागरिक-दुकाना, सार्वजनिक भोजनालयों, हाईटों तथा सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के, अथवा राज्य विधि से पोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के बारे में किसी भी नियोग्यता, निर्वन्ध अथवा शर्त के आधीन न होगा इसमें सभी नागरिकों के लिये अवसर की समता भी संनिहित है। अवसर की समता का यह अथ है कि केवल धर्म मूलबद्ध, जाति, लिंग उद्भव, जन्मस्थान, निवास के आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरा या पद के विषय में न अपापना होगी और न विभेद किया जायेगा। चूंकि हुआछूत को किसी भी रूप में अवधार देना जानपद समता के प्रतिकूल है इसलिये सविधान ने इस व्यवस्था का सर्वथा अन्त कर दिया है। इसके अनुसार ‘अस्थृता’ में सम्बन्धित किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा। सामाजिक समता लाने के लिये सिनायों का अन्न कर दिया गया चाहे वे स्थानीय हों नाहीं निश्ची।

जिस अनुच्छेद के द्वारा क्षुद्रता का अन्त किया गया है वह संविधान द्वारा दिये हुए समता के सभी दूसरे अधिकारों से अधिक मूल्यवान है। दिनौसमान को विजैना बनाने वाली सामाजिक विभान्नता और म सभ्यते वडो विभान्नता का इसने अन्त तर दिया है। इसने हमारे देश के लगभग पाच लाख निवासियों को सुगवायान्नर के निम्न और ऊपरी पूर्वी सामाजिक न्यर से उठाकर मतात्मा गावी द्वाग छिये गये कान्तिकारा सामाजिक परिवर्तन पर एक 'कानून मुद्र' लगा दी है।

(२) स्वातन्त्र्य अधिकार—जनतन्त्र समता ना हो उपर्युक्त नहीं नरता विलिक इसक लिये वैयक्तिक स्वतन्त्रता भी आवश्यक है। हमारा साधारण हमारे देश के लास्तन्त्रामुक्त गण्य य उपर्योग न नासि पर्येत् यान् तो वास्तव्यतत्पत्र आर आम व्यक्ति स्वातन्त्र्य, शान्तिपूर्वक आर शान्तिमध्य सम्मेलन मध्या या सभा या सभा ननाने, नास्त राज्य ज्ञान में सदृश ग्रन्थाध सचरण इसक इसी ज्ञान मध्यास वरने आर उस ज्ञाने सम्पत्ति के ग्रन्त धारण आर वरने का तथा शोदृश वृन्द उपर्योगिका व्यापार या नारग्यर रखने के प्रधकार प्रदान नरता है। यह बहुत सी स्वतन्त्रता जानपद रपतन्त्र दा ही अनुगा मिनी है। सावधानमें स्वातन्त्र्य आधिकार सम्बन्धी एक प्राँर सुरक्षा अनुच्छेद है। कोई व्यक्ति किसी अपराध ने लिये मिद्द दोष नहीं टहराया जानगा जन तर कि उसने अपराधारो ग्रात किया वर्जने के समय किसी प्रवृत्तिर्विव का अनिकम्भृत न रिया हो अर न वह उससे अधिक दरड वा पात्र होगा जा उस अपराध के उरने के समय प्रत्युत वर्षि क आर्धान दिया जा सकता है।

फर भी वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार स्वयं अनाधि (absolute) नहीं ठहराया जा सकता। इसक उपर्योग नी सीमाय सामन्तराह हित, शान और सज्ज सुरक्षा का नान रखने हुये सरकार द्वाग निश्चय नी जाती । इस लिये हमारे अधिकार में भी सावधानिक हित दी रखा के लिये राज्य का वैयक्ति स्वतन्त्र दी सामाये निश्चय करने का अधिकार है। इन आयतरणों(restrictions) में विलार पूर्वक जाने की हमे आवश्यकता नहीं। ऐसल नकेत देव म वह नहीं जा सकता है एक कुछ परिस्थितिया में राज्य को रिना वैविक निचार (trial) दिये हा इसी वक्त को निवृद्ध (detain) वर्जने का अधिकार है। कुछ लागा ने इस दा बहुत आलो चना दी है।

अनस्त देव यह टाइ है कि रिना वैयक्तिक निचार के ग्रन्थरेष्व उरना व्याधि नियम (Rule of law) तथा वैयक्तिक स्वातन्त्र्य (जो कि सावधान ने ग्रान्तित किय ह) दोनों वा आत्मकमय करता है। प्रत्यु कभी-कभी सकट काल म उदाहरण्याथ उद्ध और विद्राह क समय, राज्य ने लिये ऐसे व्यक्तियों ना निवृद्ध उरना ग्रावशक्त हा जाता है जिन पर राज्य के शत्रु होने का मन्देह है। प्रत्यक्ष राज्य द। यह मन्द अ वर्दार और वक्तव्य है कि सभायत रखतरों से दश दो सुरक्षित किया जाय। यहा वैयक्ति-

विचार के अवरोध करना। एक सकटकालीन उपाय है जिसे सामान्य शान्तिपूर्ण परिस्थितियों में उपयोग नहीं किया जा सकता।

संविधान में स्वेच्छा (arbitrary) गिरफ्तारी और अनिश्चित खाल के लिए अवरोध करने के खिलाफ भी उपबन्ध है जिसके कारण सरकार अपनी नियांरक अपराध (Preventive detention) की शक्ति का बेजा इत्तेमाल नहीं कर सकती। संविधान में लिखा है कि यिना कारण बताये किसी को बहुत देर तक इसालात या जेल में नहीं रखा जा सकता; प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मजी से आक्षमी भी व्यक्ति की सलाह लेने का हक है। किसी व्यक्ति को यिना वैधिक विचार के अधिक से अधिक तार महीने की कालावधि दे लिए निष्ठद किया जा सकता है। परन्तु यह अपराध उस मन्दणा मडली (Advisory Board) के परमर्य से बढ़ाई भी जा सकती है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधाराओं की योग्यता रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे।

वैयक्तिक स्वातन्त्र्य के चारे में एक बात और ध्यान देने योग्य है। इस संविधान के अनुसार और उच्चों का क्रय मिट्ठ, बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबर्दस्ती से जिया हुआ अम तथा जालकों को किसी कारडाने अथवा रान में या किसी दूसरी संक्रमण नौकरा में लगाया जाना मना है।

(३) धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार— यह संविधान सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वतन्त्र-सम्बन्धी प्रतिमन्यों का विचार में रखते हुए सब व्यक्तियों का अन्त करण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के ग्रन्थाध रूप से मानने, ग्राचरण करने और प्रचार करने का समान हक देता है। इस अधिकार का और प्रधिक मुरक्कित करने के लिये प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय का प्रमने धार्मिक प्रशान्तों ने जिये सभ्याओं का स्थापना का तथा समर्पित अर्जन और स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। परन्तु धार्मिक स्वातन्त्र्य का सीमा इन्हीं अधिकार तक सामित नहीं हो जाती। वेवन एक अनाग्रहाधिक राज्य में ही एक नागरिक का वान्तपिङ धार्मिक स्वतंत्रता मिल सकता है। एक राज्य तभी असाम्राजिक कहलाता है जब कि वह धर्म को शासन की परिधि से दूर रखे; और किसी एक भूमि ने प्रति सदानुभूति और दूसरे के प्रति शर्तुता प्रकट न करे। जिस सीमा तक नौकरों मिलने में इस बत का ध्यान नहीं रखा जाता कि ऐने व्यक्ति किस धर्म में विश्वास रखता है उसी सीमा तक किसी राज्य में असाम्राजिता के तत्व मिल सकते हैं। वर्निक मुदिष्टुग भारतर्पण से गुरुत ग्राचार परमर्य है और नये नियधान ने इस परमर्य को प्रदण निया है।

(४) संस्कृति और शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार— व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देने में भी हमारा सर्वधारण एक कदम और आगे कड़ गया है। इसमें अल्पसंख्यकों के

हितों का सरक्षण है। भारतीय जनता ने एकता को स्वीकार करने और उसे प्रोत्साहन देने के साथ संविधान ने उसकी भिन्न भिन्न आवश्यकताओं का भी मान लिया है। समाज व प्रत्येक अग्र का सम्बन्ध उन्हि करना इसका परम लक्ष्य है। इसी लिये इस द्वारा अल्पसंख्यकों का अपन धर्म, संक्षात्, भाषा और निवास सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। राज्य ने लिए इस बात का निपेक कर दिया गया है कि वह किसी विशेष समूह या सम्बन्ध पर किसी विशेष समृद्धि या भाषा की आरापित करे। अल्पसंख्यकों का पूर्ण अधिकार है कि वह अपनी समृद्धि और भाषा की सुरक्षा के लिये अथवा उनका प्रशार करने के लिए सभ्यताओं की स्थापना और प्रशासन करे। शिक्षा-संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विशेष इस आधार पर निमेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किस अल्पसंख्यक वर्ग न प्रबन्ध में है। प्रत्येक सम्बद्धये ने जालक राष्ट्र की पाठशालाओं में प्रवेश पा सकते हैं। हमारे संविधान में एक प्रकार की सम्पत्ति पाई जाता है न कि कोरी एकरूपता।

सम्पत्ति का अधिकार— कभी कभी सरकार को लाभदायक सार्वजनिक द्वितीये सम्पत्ति का अर्जन (acquisition) करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरणार्थ पाठशाला, राजदुग्ध, सेनास्थल, सड़कें, पार्क आदि बनाने के लिये। इसी बजह से प्रत्येक संविधान द्वारा राज्य का समाजिक अर्जन का आधिकार दे दिया जाता है चाहे उस सम्पत्ति का स्वामी हीन हुजत ही क्यों न करे। हमारे संविधान में भा. राज्य के इस आधिकार को स्वीकार किया गया है किन्तु इसने ऊपर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। इसमें यह उल्लेख है कि काइ विधि न प्राप्तनार के बिना अपनी सम्पत्ति से वचित नहीं किया जायगा। इस बारे में दूसरी शर्त यह है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये कोइ सम्पत्ति कम्जाकृत या अर्बिन तब तक नहीं की जायगी जब तक कि उसके लिये निर्धारित प्रतिकर (compensation) न दे दिया जाय। दूसरे राष्ट्रों में यह संविधान सम्पत्ति क स्वामित्वदरण (expropriation of property) का निपेक करता है। आवश्यक अर्जन के विषय में याद किसी राज्य का विधानमंडल कोई अधिनियम बनाये तो उस लागू करने पर लिये राष्ट्रपति की अतिम स्वाकृति लेना आवश्यक है।

संविधानिक उपचारों के अधिकार— नागरिकों ने उपरोक्त अधिकारों—समता, सार्वजनिक स्वातन्त्र्य आदि—के प्रवर्तित (enforce) करने पर लिये इस संविधान ने ३२वें अनुच्छेद में उच्चतम व्यावालय को कुछ अधिकार प्रदान किये हैं। चूंकि सार्वजनिक रीत से सरक्षित और प्रवर्तित किये बिना अधिकार अपनी सार्थकता से देरे हैं इसलिये ३२वें अनुच्छेद को 'सार्वजनिक संविधान का हृदय और आत्मा'^५ कहा जा सकता है। नागरिकों के मूलाधवारों के रक्षार्थ उच्चतम व्यावालय को कई प्रकार के

* The heart and soul of the whole constitution'

'लेख' (writs) जारी करने का इक है। संविधान में इन लेखों का समावेश व्यक्ति की स्वतन्त्रता से सबसे मुद्द रखा-करना है। संविधान का सशाधन किये जिन इन लेखों को परिवर्तित या बहिष्कृत नहीं किया जा सकता।

आपत्काल के अतिरिक्त इसी दशा में भी संविधानिक उपचारों ने अधिकार को स्थगित नहीं किया था सकता। इन अधिकारों के स्थगित करने की निर्धारित सीमाएँ हैं। सकटकाल के दूर हगते ही तुरन्त मूल अधिकारों को लागू कर दिया जाता है। स्थगन करने की रीत और शक्तियों का विस्तारपूर्वक वर्णन करने की हमें आवश्यकता नहीं।

राज्य की नीति के निर्देशक तत्व

(Directive Principles of State policy)

संविधान के चौथे भाग में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। "आइरिश फ्री स्टेट" ही ऐसा देश है जहाँ न संविधान में इसी प्रकार का अध्याय है। यह समझ लेना आवश्यक है कि निर्देशक तत्वों का क्या अर्थ है और उनकी क्या सार्थकता है। निर्देशक तत्व संविधान-सभा की ओर से किसी भी दल द्वारा बनाई हुई संरक्षक एवं लिए आदेशों के समान है। संविधान ने विधान मण्डल और कार्य-पालिका का शान्ति, व्यवस्था और सुधारन स्थापित करने एवं लिये कुछ शक्तियाँ दी हैं; साथ ही इन शक्तियों का उचित उपयोग करने के लिये आदेशों का भी देना आवश्यक था। इन निर्देशक तत्वों का उन आदेशपत्रों (Instrument of instructions) से मुकाबला किया जा सकता है जो कि ब्रिटिश राज्यकाल में सभाट या ब्रिटिश समूद्र द्वारा गवर्नर और गवर्नर-जनरल का काय-सचालन के बारे में भेजे जाते थे। परन्तु इनका पूर्णतया पालन न करने वाले कारण कार्य-पालिका अधिकार विधान मण्डल का न्याय-पालिका व समन्वय उत्तरदायी नहीं बनाया था सकता। वे मूल अधिकारों से इस दृष्टि से भिन्न अवश्य हैं परन्तु यह कहना अनुचित न होगा कि वे कोरी पवित्र अभिलाप्त मान ही हैं अपितु वे राज्य का सदैव इस विषय का ध्यान दिलाने के लिये रखे गये हैं कि नीति निर्धारित बरते समय अधिकार उन नातियों का कायान्वित बरते समय अवश्य उन उच्चादेशों के पालन बरने वाले लिये सर्वदा प्रश्नशील रहना चाहिए। विधान मण्डल और कार्य-पालिका इन आदेशों का भुला नहीं सकते चूंकि मतदाताओं के सामने उन्हें इसके लिये जवाब देना पड़ेगा। इस दृष्टि से निर्देशक तत्व बड़े ही यिक्काप्रद हैं। उनका वास्तविक मूल्य वह तभा अर्थात् जो उनकी जरूर के इमार राष्ट्र के टिनाइयों का पार कर लेगा और जर कि इसके कार्यघार नीतिक आदेशों का शार उन्मुख होगे।

जैसा कि पहिले भी कई बार सत्ता किया जा चुका है संविधान में भारत को लोक-तन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। इसक अनुसार जनता को पूर्णतया प्रभुता-सम्भव (Sovereign) समझा गया है और उसने उन आधिकार्यों और शाहकों का स्वतंत्र माना गया है जो सरकार द्वारा वरती जाती हैं।

लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने, और स्वयं किसी पद के लिये चुने जाने के अधिकार प्राप्त हो गये हैं। परन्तु राजनीतिक प्रजातन्त्र तक तक लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक उसक साथ सामाजिक और आर्थिक प्रजातन्त्र का भी मेल न हो। प्रजातन्त्र को सारगमित और प्रभावशाली बनाने के लिये ३८वें अनुच्छेद में एसा लिखा है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयत्न करेगा जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नाय पर अपलम्बित होगी और जनता की प्रत्येक प्रकार की उचिति के लिये प्रयत्नशील होगी तथा लोक कल्याण की उन्नत का प्रयास करेगी। दूसरे शब्दों में, यह अनुच्छेद सरकार से यह आशा करता है कि यह देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातन्त्र का प्रस्थापित करे।

संविधान में और भी कई निर्देशक हैं जिनम से मुख्य नुस्खा ये हैं— राज्य ग्रनी नीति का विशेषतया ऐसा सचालन करे कि सुनिश्चित रूप से नर और नारी सभी नागरिक, जीविका प्राप्ति के साधन प्राप्त कर सकें, (१) राष्ट्रीय सम्पाद्य का इस द्वारा से वितरण किया जाय जिससे अधिकाधक लोगों का भला हो सके, (२) समान परिश्रम के लिये समान वेतन हो, (३) बालकों और प्रौढ़ श्रमिकों को सरकारण प्राप्त हो, (४) चौदह वर्ष की वयस्था तक वे बालकों को नि शुल्क शिक्षा दी जाय, (५) बेकारी, बुद्धापा, बीमारी और अग्निनिकी दशाश्वर्णों में नागरिकों को सर्वजनिक सहायता मिले (६) ग्राहार पुष्टि और जीवन स्तर को ऊँचा करने का प्रयत्न किया जाय। इनरे अतिरिक्त राज्य को कुछ और भी नाते करनी हैं जैसे आम-पचायतों का संगठन, मर्यादित वृहि और पशुशाला का संगठन, लाभदायक पशुओं विशेषतया दूध देने वाले पशुओं की हत्या का निपेद, कार्य-पालिका से न्याय-नालिका का पृथक्करण, श्रमिकों के लिये निर्बाह मजरी, प्रमूलि सहायता, अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति, इत्यादि इत्यादि।

उपरोक्त वार्ता से यह समझना कठिन नहीं है कि राज्य नीति ने निर्दशक तरर, मूल अधिकारों के किस प्रकार परिपूरक हैं।

संघ का शासन

परिचयात्मक— जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है भारत एक 'राज्यों का संघ' है और इसमें संघात्मक प्रणाली को प्रशंस मिला है। अन्य संघात्मक राज्यों की भाँति हमारे देश का भी एक लिखित संविधान है, जिसके द्वारा रेन्ड्र और राज्यों द्वे बीच शक्ति नितरित कर दी गयी है। बैन्ड तथा राज्य दोनों की ही सरकारें अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में अवाध रूप से कार्य करेंगी। संघ और राज्यों के बाच तथा राज्यों का आपसी भराड़ा निवृत्ति के लिये एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। जिन बातों में भारतीय संघ अन्य संघ-शासनों से मेल नहीं जाता उनमें भी उल्लेख किया जा चुका है। पुनः स्मरण के लिये ग्रन्थीकी दुर्दी प्रणाली ने विरोत यहाँ सम्यक् नागरिकता का मिदान्त माना गया है; राज्यों के लिये पृथक् नागरिकता नहीं स्वीकार की गई है; राज्यों की अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं है और संविधान-सभा द्वारा बनाया गया संविधान सभी राज्यों में लागू होगा। हमारे संविधान की सरसे प्रमुख विशेषता यह है कि परिवृत्ति के अनुरूप यह संघात्मक या एकात्मक दोनों ही प्रणालियों से, जैसी भी आवश्यकता हो, चलाया जा सकता है। संघ-स्थान यह संघ-प्रणाली से कार्य करेगा परन्तु संकट-काल में यह एकात्मक आकृति धारण कर सकता है। यह इसके अत्यधिक आनंद (Flexible) होने का एक बड़ा प्रमाण है।

इस अध्याय में हम संघ-शासन के गठन, शक्तियों और हृत्यों का विवेचन करेंगे, तथा इच्छात् अथवा अध्याय में राज्य-शासन की रचना पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय शासन प्रणाली— प्रियंशु पद्धति और १६३५ के गर्नरमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट द्वारा आयोजित प्रातीय शासन-प्रणाली के अनुरूप हमारे नये संविधान में भी बैन्ड और राज्यों में संसदीय शासन (Parliamentary government) को प्रशंस मिला है। संसदीय और प्रधानीय शासन (Presidential government) में क्या अन्तर है, इसे स्थृतता समझ लेना चाहए। इस अन्तर का मूलाधार यह तथ्य है कि संघ-शासन के प्रमुख का स्थान न बल संविधानिक (Constitutional) होता है जब कि प्रधानीय शासन में उससे वास्तविक अधिशासी प्राधिकार (Executive Authority) प्राप्त होते हैं। यह नात था 'मैन' के शब्दों में दृढ़ ही सुन्दर दृष्टि से अभिन्नता हुई है: — 'ब्रिटेन के संघाट् राज्य करने हैं प्रशासन नहीं; जब कि संयुक्त राष्ट्र प्रमेरिका के राष्ट्रगति प्रशासन करते हैं पर राज्य नहीं।'

* While the King of England reigns but does not govern, the President of the United States governs but does not reign.

संसदीय शासन की दूसरी प्रमुख विशेषता कार्यपालिका और विधान-मण्डल के बीच गहरा सम्बन्ध है। कार्यपालिका तभी तक पदार्थीन रह सकती है जब तक कि उसे विधान मण्डल का विशेष (Confidenee) प्राप्त हो, मनिमण्डल के सभी सदस्य विधान-मण्डल में बैठकर विधान-सम्बन्धी तथा अन्य प्रधार एवं विधेयों को प्रतिपादित करते हैं और प्रशासन सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रधानाय शासन शक्ति-पृथक्करण (Separation of powers) के सिद्धान्त पर आधारित है। इसमें कार्यपालिका विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और उसके सदस्य निश्चित अवधि एवं लिये नियुक्त किये जाते हैं। इसी प्रकार विधान-मण्डल भी कार्यपालिका के विषयवस्तु से मुक्त होता है, इससे द्वारा विसर्जित नहीं किया जा सकता।

केन्द्रीय शासन के अङ्ग— अन्य सभ्य देशों के भाँति हमारे देश में भी केन्द्रीय सरकार के (१) कार्यपालिका, (२) विधान-मण्डल, (३) न्यायपालिका नामक तीन प्रधान अङ्ग हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रि परिषद् ने सदस्य हैं, विधान मण्डल में राष्ट्रपति और संसद की दोनों सभाएँ सम्मिलित हैं और उच्चतम न्यायालय इसका तीसरा अङ्ग है। अब हम इन तीनों अङ्गों के गठन और शक्तियों पर विचार-विमर्श करेंगे।

राष्ट्रपति— चूँकि भारत एक गणराज्य है इसलिये इसके प्रमुख का राष्ट्रपति कहा गया है, उन्हे राजा नहीं कह सकते थे। जिन विषयों पर संसद का निधि बनाने का अधिकार है वे सब सधे के प्रशासी अधिकार (Executive authority) के अन्तर्गत आते हैं। सब का यह अधिशासी अधिकार राष्ट्रपति का सौपा गया है जो कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। नाम की समता होते हुए भी भारत के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति में बहुत सी भिन्नताएँ हैं। राज्य में उनका स्थान इकलौंड के संघाटके समान है। उन्हें पाँच वर्ष तक के लिए संविधानिक राजा कहा जा सकता है। डा० अम्बेदकर के शब्दों में ‘वह राज्य के प्रमुख अवश्य है कार्यपालिका के नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं परन्तु उस पर हुक्मत नहीं करते। वह राष्ट्र के प्रतीक है। प्रशासन में उनका उत्तरानुस्थानिक युक्ति (Ceremonial device) जैसा महत्व है जिसकी नाम सुदूर संसदीय निर्णयों का निश्चय होता है। न वह राज्य करते हैं, और न शासन।’

राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसे निर्वाचकगण (Electoral College) द्वारा करया जायगा जिसमें संसद के दोनों आगामी के और राज्यों की विधान-सभाओं के

निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन ने लिए चुनाव के साथे (Direct) भारत को छाड़ कर अप्रत्यक्ष (Indirect) दण का इसलिये अपनाया गया है कि भारत जैसे वृत्त देश में निर्वाचकों की सख्त बहुत नहीं और अनियन्त्रित हो जाती। क्रास और अमेरिका में भी राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष दण से ही चुनाव होता है। इस प्रणाली को अपनाने का एक और भा कारण है। वह यह कि राष्ट्रपति की शक्तिशाली अधिकार नाम मान का है। अगर वह वास्तविक होते तो सम्भवत उनके निर्वाचन ने लिए प्रत्यक्ष रीति अपनाई जाती। यह निर्वाचन अनुशासी प्रतिनिधित्व पद्धति (Method of Proportional Representation) के अनुसार एक समरणीय मत द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान 'गुप्तमत' द्वारा होगा। प्रत्यक्ष सदस्य का कितने मत देने का अधिकार होगा इसके मानक करने की सत्रिया प्रणाली है। इसे विस्तरपूर्वक समझने की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव पॉच वर्प की अधिकारी ने लिए किया जायगा और वह पुनर्निर्वाचन का अधिकारी होगा। अपनी अधिकारी ने समाप्त होने से पूर्व भी वह त्यागपत्र दे सकता है। महाभियाग (Impeachment) द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति को जिना कियाये पठावास और १०,००० रुपया प्रतिमास उपलब्धि के रूप म प्रदान किया जायगा। राष्ट्रपति की उत्तराधिकारीय और भत्ते उनके पद का अधिकार म घटाये नहीं जायेगे।

काई भी व्यक्ति जो (१) भारत का नागरिक है, (२) चैताम वर्प की आयु पूरी कर चुका है, और (३) लोकसभा (House of the people) के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, राष्ट्रपति न पद व लिए रहा हा सकता है। इस पद के लिए इतनी यादी याग्यताएँ जान धूक कर रखी गई हैं, ताकि धर्म, वर्ण, जन्म, रग, समत्ति आदि के मेदन-भाव के जिसी भी व्याकृति को इस पद तक पहुँचने का अवश्यक हो। यह रीति शासत्र र शादीयों पर आधित है। इसका यह मनन नहीं कि इस उच्च पद के ग्रहण करने वाले का मस्तिष्क अथवा हृदय के गुणों को काई प्राप्तशक्ता नहीं है। राष्ट्रपति का मुख्य, विद्वान, तेजमय और प्रभावशाली होना चाहिये। मरनता र लिए उसे बड़ी भारी समझ और कार्यपटुता की आवश्यकता है। उच्च वर्ग की निर्वाचित होने की आशा रख सकता है जिसने देश के राजनीतिक और मैत्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति देश के जिने तुने खनों में से एक है और वे अपनी जिगेय याग्यता, कार्य-कुशलता, प्रशासन-शक्ति, इमानदारी और सच्चरित्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। काई व्यक्ति ना भारत सरकार के अधिकार विभिन्न राज्य की सरकार के अधोन अधिकार निम्नी स्थानीय अधिकारी दे अर्थात् काई लाभ का पद प्रदाय किये हुए हो राष्ट्रपति होने का पात्र न होंगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यमाल (Governor), राज्यमुख और मंत्रियों के पद की गिनती लाभ-पदों म नहीं की जाती। राष्ट्रपति सब अधिकार राज्य के विधान-

मण्डल के किसी भी सभ्य (Chamber) का सदस्य नहीं हो सकता और अपनी पदावधि भ कोई दूसरा पद स्वीकार नहीं कर सकता।

भारत गण राज्य के राष्ट्रपति का एक बहुत शान प्रौर सम्मान का पद है। उन्हें बहुत से विशेषाधिकार और सुख सुनिधायें आप्त हैं। विटिश समाइट और अमेरिकी राष्ट्रपति की भाँति उनके ऊपर भी न्यायालयों का काँई जार नहा। अपने पद से समन्वित अधिकार और कर्तव्यों के लिए उन्हें इसी न्यायालय ने सामने उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। परन्तु संविधान का अतिरिक्त करने के लिए उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति की भाँति प्राप्तियोनित (Impeach) किया जा सकता है। मद महामित्यग सचद व दाना म से किसी भी सदन (House) म प्रारम्भ किया जा सकता है। यदि इस प्रकार का प्रत्यावर्त तुल सङ्गति के भूमि से कम दा तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाता है तो दूसरा सदन उस दायारोपण का अनुसंधान करेगा या करायगा। यदि अनुसंधान के पलस्तर पर दूसरा सदन भा कम से १५० दो तिहाई मत स उपर्युक्त सकल्प का पारित (Pass) कर देगा तो राष्ट्रपति पद से हर दिये जायेंगे।

राष्ट्रपति का जक्तियाँ—भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति की शक्तियों को चार अण्डियों म जाया जा सकता है—कार्य पालिका सम्बन्धी, विधान सम्बन्धी, वित्त सम्बन्धी और आपत्तिलीन।

कार्य पालिका शक्तियाँ—उष की समन्वय कार्य पालिका शक्ति राष्ट्रपति भ निहित हाँगी। इसन अतिरिक्त उनके हाथ में सभ के रक्षा बलों (Defence forces) का सर्वोच्च समादेश होगा। वे दण्ड, छापा आदि अधिकारों का भा उपयोग कर सकते हैं। वे सचद द्वारा स्वीकृत अधिनियमों को अपनी स्वाकृत दत हैं और उनका लागू करते हैं। मुख्य मुख्य पद, जैसे राज्यपाल (Governor), राजनायिक (Diplomat), उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ-लोकसेवा प्रायोग वे अध्यक्ष और सदस्य, महान्यायवादी (Attorney-General) और महालोक्या परीक्षक (Auditor General) आदि भी नियुक्ति राष्ट्रपति वरते हैं। उन्हीं के द्वारा निर्वाचन आयोग (Election Commission), अन्तर्याग और परिगणित देनों, वे प्रशासन के विकास के सम्ब भ म रिपार्ट देने वाले ग्राम्यों की नियुक्ति होगा। शासन प्रक्रिया को मुच्चाक रूप से चलाने के लिये वे नियम बना सकते हैं और मनिया में शासन-सम्बन्धी क यं विभाजन कर सकते हैं।

परन्तु प्रनातपालक राज्य के प्रमुख हाने के नाते वे एक संविधानीय प्रमुख ही है और उनका शाक्तयों नाम मात्र का है। इन सब नियमों म व मनि

परिषद् के परामर्श से कार्य करेंगे न कि स्वेच्छा से । ७४वें अनुच्छेद में यह सम्बूद्ध उल्लेख है कि राष्ट्रपति को अब ने कल्यां का सम्पादन करने में सक्षमता और मत्रणा देने के लिए एक मनिपरिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधान मंत्री होगा । तथापि यह संविधान इस नियम में मौन है कि क्या राष्ट्रपति मनिपरिषद् की मत्रणा मानने के लिए सौदैय बाध्य होगी अथवा ठमी-कमी वे उनके परामर्श को दुरुपय कर स्वनिवेक से भी कार्य कर सकते हैं । हमारा अनुमान है कि देख के दिन प्रति-दिन के प्रशासन में वे हस्तचेप न करेंगे और साधारणतया मनिया के परामर्श से कार्य करते रहेंगे । संविधान के अनुसार मनि परिषद् लोकतंत्र के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी । इससे सम्बूद्ध लक्षित है कि प्रशासन मनिपरिषद् द्वारा ही सचान्नित होगा । कदाचित् जिन मनिपरिषद् का परामर्श लिये राष्ट्रपति संसद् की सभाग्राम में अपना अभिभावण तक भा न भेजेंगे । इस पर सन्देह किया जा सकता है कि संकट-काल में भी यह मनि-परिषद् की मत्रणा मानेंगे अधिवा नहीं । यह मानना अतिरिक्त न होगा कि कम से कम संकट काल में तो राष्ट्रपति को एक हद तक स्वेच्छा से काम करने का अधिकार होगा ही ।

इत तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संविधान का अतिकरण करने पर राष्ट्रपति पर भी महा अभिभावण लगाया जा सकता है, और संविधान का अभिभावण ऐसी व्यवस्था को प्रधान देना है जिसमें सभी अधिकार जनजा की इच्छालुक्त उपयुक्त किये जायें, इस यह कह सकते हैं कि यह राष्ट्रपति जो कि संविधान के शब्द और अर्थ पर ध्यान देंगे साधारणतया मनि-परिषद् की मत्रणा से भाग करेंगे और उसकी अवहेलना नहीं करेंगे ।

संविधान ने अनुसार राष्ट्रपति के मुक्त विधान-सम्बन्धी ऐसे अधिकार हैं जिन्हें उनकी कार्य पालिसा-शक्ति में ही समिलित किया जा सकता है । संविधान का ८५वाँ अनुच्छेद उन्हें संसद् ने एक अधिवा दोनों सदनों (Houses) का बुनाने, नियम समय और नियत स्थान पर उनकी बैठक करने, उनक समावेशन (Prorogue) करने और लाक्षमा ने भग करने के अधिकार प्राप्त करता है । अगले अनुच्छेद में उनकी सदनों को सम्बोधन करने और उनक सभाव ग्रन्ति के बारे म सदेश भेजने का अधिकार दिया गया है । प्रत्येक अधिवेशन (Session) के आरम्भ म दोनों सदनों के सामने वक्तव्य देना भा उनम कर्तव्य है । जैसा कि आगे चलकर भवताया जायेगा उनम एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि संघ-सचिवार व आगामा वर्ष के आप और वर्ष का अनुमानित विद्या तैयार करा ने संसद् ने सभाव उपस्थित करे । राष्ट्रपति की मित्रारिद्य न जिन कर अधिवा व्यव सम्बन्धी कोइ प्रस्ताव संसद् न सामने नहीं आ सकता । ये सभा शक्तिर्गत दिन प्रतिदिन ने भाग में आने वाली है और इसे निए मनि-परिषद् की मत्रणा बान्धनीय है ।

विधायनी शक्तियों— संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संसद का एक अभिभव अग है। संसद के पासित सभी विधेयकों पर उनकी अनिम स्वीकृति लेना अनिवार्य है। इस स्वीकृति का बे दे भी सकते हैं और देने से इनकार भी कर सकते हैं। वह किसी भी विधेयक (विधायन के बह आर्थिक विधेयक नहीं है) का संसद के पुनर्विचार के लिए अथवा संशोधन के साथ या व्यापूर्व ही स्वीकार हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वाकृति देने से इनकार नहीं करेंगे। यह पहले ही संबोध किया जा सकता है कि विना विधेयक पेश किया जा सकता है।

संसद की बैठकों के बीचबीच में राष्ट्रपति का, यदि वे तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यक समर्थन, अध्यादेश प्रचालन का अधिकार है। पर तु संसद की बैठक होते ही ऐसा प्रत्येक अध्यादेश दोनों संदनों के समक्ष रख दिया जायगा और अधिवेशन के प्रारम्भ होने के ६ सप्ताह बाद उनका प्रभाव चीण हो जायगा, यदि इससे पहले ही है जो उन्हें १६३५ के ऐकट के द्वारा प्रदान की गई थी।

तथ्य या विधि से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय की मन्त्रणा प्राप्त करने का भी अधिकार है।

वित्त सम्बन्धी शक्तियों— राष्ट्रपति की ओर से आगामी वर्ष की आय और व्यय का एक अनुमान-पत्र बनाकर संसद के सामने रखा जाता है। अनुदान (Grants-in aid) की कोई माग और कर लगाने का कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखा जा सकते।

आय कर की आमदनी में से कितना हित्ता संघ को और कितना हित्ता राज्यों को दिया जाय— यह निर्णय राष्ट्रपति ही करते हैं। आसाम, निश्चार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की सरकारों का जून के निर्णय सुन्तक के स्थान पर वे संवायक घन (Grants-in aid) दिये जायेंगे जो राष्ट्रपति स्वीकार करें। उन्हें एक वित्तयोग (Finance Commission) बनाने का भी आधिकार प्राप्त है।

आपत्ति-शक्तियों— उपरोक्त शक्तियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और सारांभित आपत्ति शक्तियों हैं जो संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। इन शक्तियों के द्वारा राष्ट्रपति संविधान की आकृति और प्रकार को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति का यह विश्वास हो जाय कि युद्ध, वाध्य आक्रमण या

आधिकारिक अरान्ति (Internal disturbance) के द्वारा ऐसा सकट उत्पन्न हो गया है जिससे मारत या उनके राज्यक्रम के किसी भाग की सुरक्षा सकट में है तो वे आपने को उद्धोषण कर सकते हैं। इस प्रभार की उद्धोषणा युद्ध, वाह शाकमण और आधिकारिक ग्रान्ति की सभावना होने पर भी की जा सकती है। जब तक सकटकालीन उद्धोषणा जारी है उस समय तक निम्नान्ति विधियों पर भी संघ-भरकार, यदि उचित समझे, अपना अधिकार विस्तार कर सकती है :—

- (१) राज्य-संघी के विधियों के जारे में कानून बनाना।
- (२) राज्य-सरकारों को शादेश देना कि वे अपनी कार्य पालिका-शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करें।

(३) किसी पदाधिकारी को (विमी) भी प्रकार का अधिकार संपन्न।

(४) संविधान के वित्त-सम्बन्धी उपग्रहों का स्थगन कर देना।

(५) सकटकाल में संविधान द्वारा निर्धारित नागरिकों के मूलाधिकार भी स्थगित किये जा सकते हैं, वकृता सम्मेलन और समुदाय बनाने की सततता पर पाबनियाँ लगाई जा सकती हैं और उनके साधानिक उपचारों के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। सक्तेर में, आपन् की उद्धोषणा होते ही संघातक शासन एकात्मक शासन में परिवर्तित हो जायगा। किसी भी संघातक संविधान में इस प्रब्रह्म की व्यवस्था नहीं मिलती। यद्यपि संविधान में इस विधय का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति आपन्-उद्धोषणा मन्त्रियों के परामर्श से करेंगे या स्वेच्छा से, तथापि यह कहा जा सकता है कि माधारण परिस्थितियों की अपेक्षा ऐसे सकट में उन्हें अपने विवेक से काम लेने का अधिक अवसर है। यह सब कुछ होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि आपन्-काल में राष्ट्रपति ऐसे स्वेच्छानारी हो जायेंगे कि वह मनमानी कार्रवाई करेंगे। इन विधियों में उनके ऊपर सहद का कुछ न कुछ नियन्त्रण रहेगा। आपन्-सम्बन्धी उद्धोषणा सहद के दोनों सदनों के समझ प्रस्तुत की जायेंगे और जब तक सहद इसे न बढ़ाये इसकी अवधि दो महीने से अधिक न होगी। सहद की सहमति से एक बार में सकट-कालीन उद्धोषणा को अवधि बेबत हु गास तक बढ़ाई जा सकती है और किसी भी दशा में यह तीन वर्ष से अधिक न होगी।

दो अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपन् की उद्धोषणा कर सकते हैं। यदि उन्हें यह विश्वास हो जाय कि संविधान के उपग्रहों के अनुसार उन्होंने शासन का कार्य नहीं चल सकता तो वे इस विषय को उद्धोषणा कर सकते हैं। ऐसी दशा में राज्यपाल (गवर्नर) और राज्यमन्त्री दो सभी अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में आ जायेंगे और सहद को उन्होंने से समन्वित सभी विधियों को बनाने का अधिकार मिल जायेगा। किन्तु किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति स्वयं या उनके अभिकर्त्ता (Agent) उच्च

न्यायालय के अधिकारा का अपहरण नहीं कर सकते। दूसरे, यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत अधिकार उसके राज्य-ज्ञेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व (Financial Stability) या प्रत्यक्ष (Credit) रुक्षट में है तो वे वित्तीय आपत् का उद्घापण कर सकते हैं और सध तथा राज्यों के सेवकों के वेतन और भत्ते घटा सकते हैं। आपत् की अवधि और तत्त्वमन्वी प्रक्रिया इन दो अवसरों पर भी उसी समान हारा जैसे कि हम पहले ही बर्णन कर आए हैं।

उपराष्ट्रपति— भारत के एक उपराष्ट्रपति होगे जो कि पदेन राज्य परिपद के सभापति होंगे। यह किसी लाभ के पद पर नियुक्त न होगे। राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तता के अवसर पर वे उपराष्ट्रपति के पद के वृत्तों का पालन करेंगे। ये अवसर कई प्रकार से आ सकते हैं जैसे अनुपस्थिति, बीमारी, पदत्याग करने या पदब्युत होने की अवस्था में। ऐसे अवसरों पर उपराष्ट्रपति को वे ही सभी शक्तियाँ और सुन्दर सुविधाएँ प्राप्त होगी जो कि राष्ट्रपति को, और वे इस अवकाश में राज्य परिपद का सभापतित्व नहीं करेंगे। सुनुक्त आधवेशन में एक्सित ससद् के दोनों सदनों के सदस्य, अनुपाती प्रतिनिधित्व-पदाति के अनुसार एकत्र सक्रमणीय मत हारा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे और ऐसे निर्वाचन में मतदान गृहशलाका द्वारा होगा। उपराष्ट्रपति के पद की लगभग वही योग्यताएँ हैं जो कि राष्ट्रपति के पद की। अन्तर केवल इतना है कि इस हालत में उभेद्वार के राज्य-परिपद के सदस्य होने की आवश्यकता है।

यदि रखना चाहिए कि केवल राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तता के अवसर पर ही उपराष्ट्रपति उस पद के वृत्तों का नियंत्रण करते हैं। यदि राष्ट्रपति पदत्याग कर दें अथवा उनकी मृत्यु हो जाय तो अवशिष्ट अवधि के लिए उपराष्ट्रपति स्वतः ही राष्ट्रपति नहीं बन जाते। ऐसा दशाओं में पदरिक्त होने के लिए मादृ क भीतर ही दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है।

मंत्रि-परिपद— हम ऊपर यह उल्लेख कर आये हैं कि यद्यपि संविधान के अनुसार राष्ट्र की कार्य-पालिका का अधिकार राष्ट्रपति में निहित है परन्तु इससे यह मुहै समझ जाना चाहिए कि वे वास्तव में प्रशासन करते हैं। यद्यपि अपने महान् अधिकार और सम्मान के कारण वे नाम मात्र के प्रमुख नहीं हैं फिर भी उन्हें गण-राज्य के संविधानीय प्रमुख से अधिक बुद्धि भी नहीं कहा जाना चाहिए। वास्तविक प्रशासन का अधिकार तो मन्त्रि-परिपद और उसके प्रमुख होने के नाते प्रशासन मर्त्ता में ही निहित है। भारत की मंत्रि परिपद की समता निरिण मनि मडल (Cabinet) से की जा सकती है। दानों का निर्माण, दाना का प्रशासन पर

नियंत्रण करने के दण प्राप्त मिलते जुनते हैं। संघ प्रशासन किस प्रभार चलाया जाता है— इमर्की कीर्ति या अपर्नीर्ति मंत्रिपरिषद् का हा दी जायेगा न कि राष्ट्रपति का। इनका अपने दुनिया और कठिनाइयों के लिए मनिषा का हा बुरा भजा बहेगा और सुन, समृद्धि का अवधा म उन्हीं के गुणगा न करेगा न कि राष्ट्रपति के।

टिन प्रतिदिन के राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद् की दब्दानुसार ही काम होगा। मंत्रिपरिषद् के मुख्य मुख्य वर्तन निम्नलिखित हैं :—

(१) प्रशासन का काम कई विभागों में बाँट दिया जाता है और प्रत्येक मर्मी न अधीन एक या आधिक विभागों का देस रेस रख दा जाता है। भारत सरकार न विभागों का वर्णन आगे किया जायेगा।

(२) यह विभिन्न विभाग का कार्रवाई का समन्वय करती और सरकार की विधान-सम्बन्धी योजनायें बनाती है।

(३) यह राज्य का नीति निर्धारित करती है और अपने निणयों को संसद् की स्वीकृति के लिए रखती है।

(४) जो विधेयक मंत्रिपरिषद् के मढ़न्या द्वारा पेश किए जाते हैं और जिनके पारित करने में वे अभिनव लेते हैं वे त्रासानी से देश का कानून जन जाते हैं, जब कि साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक के पारित होने का उतनी सम्भासन नहीं होता।

(५) मंत्रिपरिषद् देश की आर्थिक व्यवस्था को भी नियन्त्रित करती है। वार्षिक आय-चयनक (बज़र) बनाने का चारतप में इसी की नियंत्रिता है। कर लगाने या व्यय करने का काई प्रत्याव संसद् म नहीं रखा जा सकता यह मंत्रिमण्डल उसके विरुद्ध है।

(६) यह देश का परन्पराजनाति भा नियंत्रित और नियन्त्रित करता है। इसलिए यह कहना अनुचित न होगा कि मंत्रिपरिषद् एन्य के ललयान की कर्णधार है अथवा राष्ट्रन-न्यन की नियन्त्रक शक्ति है। चाहे उद्धिधान ने इसे एक मन्त्रणा मन्डली के रूप में हो। कभी न माना हा, इसे सदैव यह म्मरण रखना चाहिए कि मंत्रिपरिषद् का मशन् यक्किर्ग है और उसका बड़ा भारा जिम्मेदार्हों है।

मंत्रिपरिषद् के मनिषा की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मर्मी की सिपाहिश से करते हैं जो कि मंत्रिपरिषद् के प्रधन है। आम सुनावों के पश्चात् राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति का प्रधान मर्मी का पद महण करने के लिए बुनाते हैं जिसके पीछे लोकसभा का प्रभावशाला बहुमत हो। प्रधान मर्मी अपने साधियों की नामांकिती अपनी ही पार्टी से पा उहमिन्न (Coalition) की अपर्यान सहयोग करने जाते दलों से उद्घाटन में

से तैयार करने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखते हैं। साधारणतया राष्ट्रपति प्रधान मंत्री द्वारा बनाइ गई सूची (List) का यथावन् स्वीकार कर लेते हैं। किन्तु प्रियंशु परमरा के समान वह किसी मंत्री की नियुक्ति पर आपत्ति प्रकट कर सकते हैं, अथवा किसी नए व्यक्ति को समिलित करने के लिये सिफारिश कर सकते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति के सुभाव काफी महत्व रखते हैं और प्रधान मंत्री को इन पर ध्यान देना पड़ता है परन्तु ये सुभाव प्रधान मंत्री पर वाध्य नहीं होते।

संविधान में एक प्रतिबन्ध ने अतिरिक्त परिपद् के मनियों के लिए किसी प्रकार की शोष्यता का निर्देश नहीं किया गया। केवल इतना ही उत्तेष्ठ है कि यदि मात्रमंडल का कोई सदस्य है जो महाने तक समृद्ध का सदस्य नहीं बन जाता तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। इसका यह अभिप्राय हुआ कि प्रधान मंत्रा समृद्ध के बाहर से भी अपने सदृशागी की नियुक्ति वर सुना है परन्तु ऐसा मंत्री है, महाने से अधिक पदार्थीन नहीं रह सकता जब तक कि उसे समृद्ध में सीट नहीं मिल जाती। हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री (पटित बचाहरनाल नेहरू) ने श्री देशमुख की अर्थमंत्री के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की, यद्यपि वे समृद्ध के सदस्य न थे। वे हैं भास के भौतर भीतर समृद्ध के सदस्य चुन लिए जायेंगे। प्रजातन्त्रात्मक शासन वाले देशों की प्रायः यह परमरा है कि मनि परिपद् के लिए समृद्ध में से ही प्रधान मंत्री अपने दल के सर्वश्रेष्ठ कर्मकुशल वकालों को हॉट लेता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मनिपद पर चुने जाने की चेष्टा करने से पहिले किसी व्यक्ति को अपने नेतृत्व के गुण, कार्यपुढ़ता, सच्चाई, खृद् ज्ञान, मानव-समाज और व्यावहारिक प्रक्रियाओं का अनुभव और इन सबके ऊपर एक विश्वस्त और मुहृद्द चरित्र का परिचय देना पड़ेगा।

संविधान में यह निर्देश है कि मनियों की पदावधि राष्ट्रपति पर निर्भर है और ये लाग अपने हृत्यों के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। पहली बात विद्युत संविधान के उत्तर सिद्धान्त के अनुसार है जिसके मुताबिक समाज, किसी भी समय मनि-मंडल का भग कर सकते हैं। परन्तु केवल अपनी वैयक्तिक दब्ल्यू को प्रदर्शित करने के लिए सम्मान किसी मंत्री या पूरे मनिमंडल को पदस्थुत नहीं करते। नेवन लोकसभा में अविश्वास (non confidence) हाने पर या जनता में अद्वाति होने पर ही कोई मनिमंडल पदत्याग करता है। इसलिये वास्तव में भारतीय मनिपरिपद् की पदावधि का निर्णय लोकसभा की इच्छाशक्ति पर और अन्त में निर्वाचियों की मंत्री पर आधित होता। परन्तु यह समरण रखने पोर्य है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को प्रशासन में गङ्गवड़ी करने पर भी पद से अलग कर सकते हैं। इस प्रकार दो गीतियों से मंत्री लोग अपने कार्यभार से मुक्त किये जा सकते हैं—(१) लोकसभा में विश्वास न मिलने पर, अथवा (२) प्रशासन-कार्य में तुश्ट न

होने के कारण। मंत्रियों का वेतन और भत्ते इत्यादि समय समय पर संसद् द्वारा निश्चित होंगे।

मंत्रिमंडल सामूहिक रूप में संसद् के प्रति उत्तरदायी है। इसका अर्थ यह है कि सरकार के प्रत्येक विधान-सम्बन्धी और शासन-सम्बन्धी कार्य के लिये, चाहे वह किसी मंत्री द्वारा किया गया है, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। 'वे मग लाग साथ साथ तैरते और साथ साथ ढूँगते हैं।' एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये हुए विषेशक पर कोई दूसरा मंत्री न आलोचना कर सकता है और न उसके विरोध मत दे सकता है, चाहे वह स्वतः उससे असहमत ही क्यों न हो। सामूहिक उत्तरदायित्व का दूसरा अभिप्राय यह है कि सरकार के किसी विशेष प्रत्ताव के अस्थीकार होते ही सभी मंत्रियों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। ऐसले उन परिस्थितियों में जब कि कोई मंत्री अपने साथियों के परामर्श से कार्य नहीं करता तब लिखित स्वयं ही स्वेच्छा से सद कुछ कर नेता है उसे अपनी कार्रवाई के लिए अवैला ही उत्तरदायी होना पड़ेगा। ऐसे अवसर बहुत ही कम आते हैं।

मंत्रिमंडल प्रणाली की एक और महत्वपूर्ण विशेषता की ओर यहाँ ध्यान दिलाया जा सकता है— यह है, प्रधान मंत्री का नेतृत्व। यह नेतृत्व कई तरह से प्रदर्शित होता है। पहली बात— राष्ट्रपति प्रधान मंत्री को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमत्रित करते हैं। प्रधान मंत्री ही अन्य मंत्रियों की नामावली राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिये भेजता है। इस प्रकार वही मंत्रियों का पद और स्थान निर्धारित करता है। प्रधान मंत्री के त्यागपत्र का अर्थ है— समस्त मंत्रिमंडल का त्याग। दूसरे मंत्रियों के क्षर वह साधारण देख रेख भी रखता है। दूसरी बात— यह मंत्रिमंडल की बैठकों में अध्यक्ष पद प्रदण करता है और इन बैठकों के लिए कार्यावली (Agenda) बनाता है। उसके मत और विचारों को सदैव प्रधानता दी जाती है। कभी कभी यह यह माँग कर सकता है कि उसके सहयोगी उसकी बात मानें अन्यथा वे त्यागपत्र दे दें। तीसरी बात— यही मंत्रिपरिषद् के निर्णय राष्ट्रपति तक पहुँचाता है और इनको संघ के समस्त प्रशासन और विधान-सम्बन्धी भावी प्रत्तावों से अवगत रखता है। जब कभी राष्ट्रपति को किसी भास्ते पर मंत्रिपरिषद् से पत्र-व्यवहार करना होता है तो प्रधान मंत्री को ही इसका माध्यम बनाया जाता है। चौथी बात— प्रधान मंत्री से यह आशा की जाती है कि संसद् में यह सभी महत्व-शाली प्रश्नों का उत्तर देगा और राज्यनीति का सम्बोधन करेगा।

सभी मंत्रियों को गोपनीयता-रापथ लेनी पड़ती है। किसी भी व्यक्ति को वे मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्रवाई के बाद-विवाद और पारस्परिक मतभेद के घरे में प्रत्यक्ष या प्रोक्ष रूप में भेद न देंगे।

भारत सरकार के विभाग— भारत के मंत्री मंडल का कार्य क्रम पोर्टफोलियो पद्धति पर आधित है। इसका ग्रन्थ यह है कि विभिन्न विभागों में बॉर्ड दिशा जाता है और प्रत्येक विभाग का देख रेख और उसके प्रशासन का भार मान-मंडल के किसी सदस्य के ऊपर सौंप दिया जाता है। भारत सरकार के निम्न-लिखित बहुत से विभाग हैं—

(१) पर राष्ट्र विभाग, (२) गृष्म विभाग, (३) राष्ट्र-रक्षा विभाग, (४) वाणिज्य-विभाग, (५) सचार विभाग, (६) वर्त्ती विभाग, (७) परिवहन विभाग, (८) रेलवे-विभाग, (९) शिक्षा विभाग (१०) संबन्धिक स्वास्थ्य-विभाग, (११) कृषि विभाग, (१२) खाद्य-विभाग, (१३) उद्योग तथा रसद विभाग, (१४) रियासता विभाग, (१५) विद्युत विभाग, (१६) कर्मचाला, रानज, शक्ति-विभाग, (१७) अम विभाग, (१८) सूचना एवं प्रसारण विभाग, (१९) सहायता और पुनर्वास विभाग।

इनमें से प्रत्येक विभाग किसी न किसी मंत्री के अधीन रख दिया गया है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक विभाग के लिए एक पृथक् मंत्री हो। एक मंत्री कई विभागों की देख रेख कर सकता है। कुछ दिनों तक सरदार पटेल, रह-विभाग सूचना तथा प्रसारण के विभागों का कार्य-सचालन करते रहे। अब सूचना और प्रसारण विभाग को एक पृथक् मिनिस्टर ऑफ स्टेट की देख रेख में रख दिया गया है। इसी प्रभार कृषि और याच विभागों को एक ही मंत्री के अधीन रख दिया गया है। ऊपर बताये हुए विभागों के प्रशासक सभी मंत्रियों का एक सा ही पद अथवा सम्मान नहीं है। उनमें बहुत से तो केविट ग्राहीत् मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, और कुछ को केवल मिनिस्टर ऑफ स्टेट की उपाधि दी गई है जो कि मंत्रिमंडल (Cabinet) के सदस्य नहीं है— उदाहरणार्थ सहायता तथा पुनर्वास और सूचना एवं प्रसारण के मंत्री। मंत्री मंडल में कभी-कभी ऐसे मंत्रियों का भी रख दिया जाता है जिनको किसी विभाग का कार्यमार नहीं सौंपा जाता। मारतीय मंत्री मंडल में श्री गोपालस्वामी आयगर इस प्रकार के मंत्री रह चुने हैं^{*}। प्रथम मंत्री को यह आवश्यक नहीं कि वह स्वयं किसी एक विभाग का सचालन करे। इगलैंड के ऐसे कई उदाहरण हैं जब कि प्रधान मंत्रा केवल माधारण देख रेख का कार्य करते थे। इन विभिन्न विभागों को एक दृग से समर्गित करने की आवश्यकता है ताकि प्रशासन का कार्य अधिक सुनाइ रूप से और कम खर्चे के साथ चलने लगे। इस और प्रयत्न मी किया जा रहा है। श्री गोपालस्वामी आयगर ने विभागों के पुनर्संगठन का एक योजना प्रस्तुत की थी। प्रस्तुत योजना पर विचार किया जा रहा है।

समदू— सभ की कार्य पालिका के चारे भवित्वेन करने के पश्चात् अब हम इसके विभायी अङ्ग का आर ध्यान देते हैं। समदू में राष्ट्रपति

* आनकल श्री आयगर रेलवे-विभाग के मंत्री हैं।

और राज्य-परिषद् तथा लोकसभा नाम के दो सदन शामिल हैं। राष्ट्रपति के विधान-समन्वयी अधिभारों का वर्णन पहिले ही किया जा चुका है। इस भाग में हम पहिले दोनों सदनों की रचना और शक्तियों का और तत्त्वशात् विधान समन्वयी और वित्तीय प्रक्रिया (Procedure) का विवेचन करेंगे।

राज्य परिषद्— सन् १९७६ के और सन् १९३५ के गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ऐकट के पारिनियों पर चलते हुए और संघातमक प्रणाली वाले देशों की परम्परा के अनुसार, हमारे संविधान में भी द्विआमारिक (Bicameral) विधान-मण्डल को प्रथम मिला है। उसस्थाने सदन का नाम राज्य-परिषद् है। जैसे कि नाम से ही प्रमुख है राज्य परिषद् में राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा जो कि संघ की इकाइयाँ हैं। अमेरिकी 'संघेट' की भाँति यह भी एक स्थायी (Permanent) संघ्या है। इसे कभी भग नहीं किया जा सकता, न एकदम इसके सभी सदस्यों का चुनाव होगा। इसके लगभग एक तिहाई सदस्य प्रति टा. वर्ष के बाट व्यापार द्वोडते रहेंगे। संविधान में स्पष्ट-दश इस प्रियता का उल्लेख नहीं है कि परिषद् के सदस्यों की अधिक से अधिक कितनी अवधि होगी, जितु उपरोक्त उपदेश से दम यह अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य-परिषद् के सदस्य छः वर्ष के लिए चुने जायगे। परिषद् की सख्ता अधिक से अधिक २५० तक हो सकती है जो कि लोकसभा की निर्धारित सख्ता (५००) की आधी है। राज्य-परिषद् के निर्धारित सदस्यों में से ११ सदनों का नाम-निर्देशन राष्ट्रपति द्वारा होगा। ये व्यक्ति प्रतिद्वंद्वी प्रतिक्रिया, वैज्ञानिक, कलात्रिय और समाज सेवकों में से होंगे। इस सदन के २५० स्थानों को संघके विभिन्न राज्यों में इस प्रमाण बाँटा गया है:— भाग (क)— आमाम ६; बिहार २१; झज्जू १७; मध्यप्रदेश १२; मद्रास ७७, उडीसा ६, पंजाब ८; उत्तरप्रदेश ३१; पश्चिमी भगाल १४। भाग (ख)— हैदराबाद ११, जम्मू और काश्मीर ४; मध्यप्राची ६; मैसूर ६, पश्चिमांचल २०; पञ्जाब ८; राजस्थान ६; बीएस ४; द्राविनोंर कोनीन ६; विन्ध्यप्रदेश ४। भाग (ग)— ग्रन्थमेर १२; भूगोल १; विलायपुर और हिमाचल प्रदेश १; रेखेंद्री १; कच्छ १; मर्नापुर और निपुर १। वृच्चनिधर के भगाल में शामिल होने के कारण उसकी एक सौट वैगाल की सौटी में बढ़ा टो जाएगी। (क) भाग में सम्मिलित राज्यों के प्रतिनिधियों की सख्ता $145 + 1 = 146$, (ख) भाग के सदस्यों की सख्ता ४३ और (ग) भाग के सदस्यों की सख्ता ७—१=६ है। शेष ३३ स्थानों के लिए अभी निर्णय नहीं किया गया, वे अभी सरकार द्वारा रखे गये हैं। यह बात द्यान देने योग्य है कि दमारी राज्य परिषद् में संघ की सब इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व नहीं निना। जैसा कि ऊर के आँखों से पिछित होगा, राज्यों को उनकी बनावत्ता के अनुसार कम या अधिक गठस्य में जाए गया राज्य परिषद् है। इस टॉपिक से हमारी विवरण अमेरिकी संनेट और अधिक रुचतमक देशों के ऊरों आगार से भिन्न है।

राज्य परिपद के सदस्यों का अप्रत्यक्ष (Indirect) रीति से चुनाव किया जायेगा। प्रथम अनुसूची (Schedule) में (क) और (ख) भागों के राज्यों के प्रतिनिधि उन राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे। यह चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संकरणीय मत द्वारा होगा। भाग (ग) में सभीलित होने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस प्रणाली के अनुसार होगा जो ससद विधि के द्वारा निश्चित करे। राज्य-परिपद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मेदवार का निम्नलिखित तीन बातों की पूर्ति करनी पड़ेगी:—

- (क) यह भारत का नागरिक होना चाहिए;
- (ख) उसकी आयु कम से कम ३० वर्ष होनी चाहिए;
- (ग) वह ऐसी सभी शर्तों का पूरा करना हो जो समय समय पर ससद द्वारा निश्चित की जायें।

लोकसभा— लोकसभा भारतीय ससद का निचला और ऊपर आगार है। यह राज्यों का नहीं वॉल्क समस्त सघ की जनता का प्रतिनिधित्व करता है और इसके सदस्यों की सख्ता १६१६ ई० के अथवा १६३५ ई० के ऐकटों की प्रत्तावित असेम्बली के सदस्यों की सख्ता से बहुत अधिक है। इसमें अधिक से अधिक ५०० सदस्य हो सकते हैं और इसके सभी सदस्य राज्यों के निर्वाचित लोकों से चुने जायेंगे। चूँकि इसके सदस्यों का चुनाव प्रौढ मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली से होगा इसलिए इसे भारतीय ससद का 'पॉपुलर हाउस' भी कह सकते हैं। अमेरीकी शाउस ऑफ कॉमन्स, अमेरिकी हाउस ऑफ रिपब्लिकेटिव आगार को भी इसी अर्थ में पॉपुलर चैम्बर कहते हैं।

लोकसभा के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य को बहुत से निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जायगा। प्रत्येक क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुने जायें, निम्नलिखित आधार पर निश्चित किये जायेंगे:— कम से कम ५००,००० और अधिक से अधिक ७५०,००० जनसख्ता के पांच एक प्रतिनिधि होगा। एक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसख्ता और उसमें प्रतिनिधियों में जो अनुपात होगा वही देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में समान होगा। चूँकि एक जनगणना के समय से दूसरी जनगणना के समय तक निर्वाचन-क्षेत्रों की जनसंख्या बदलती रहेगी इसलिए सविधान में इस विषय का उपबन्ध है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात् ससद ऐसे ग्राधिकारी (Authority) की नियुक्ति करेगी जो कि ससद की विधि में द्वारा निर्धारित राति से, विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों से, प्रतिनिधियों की संख्या का निर्णय करेगा। जो परिघर्तन ऐसे ग्राधिकारी के द्वारा सुझाए जायेंगे वे तब तक कार्यान्वित न किये जायेंगे जब तक कि तत्त्वालीन लोकसभा भग न कर दी जाय।

हमारे देश में अब से फ्लै १६३५ ई० के गरमेन्ट ग्रॉक इंडिया एक्ट के अनुसार लोग पृथक् साम्राज्यिक निर्वाचन-क्षेत्रों में मत दिया करते थे। वह नागरिकों की भाँति नहीं बल्कि मुसलमान, ईसाई, योरूपीय, सिख, हिन्दू इत्यादि के नाते वोट देते थे। नये संविधान ने इस विपैले साम्राज्यिक चुनाव के दृग् का सर्वान्तर कर दिया है। अब प्रत्येक क्षेत्र के लिए ही साधारण निर्वाचन-नामायली होगी और किसी धर्म, सम्पदाय अथवा जन्म-जाति वा विभेद विषये द्वारा इसमें प्रायः सभी प्रीढ़ मतदाता होंगे। यह एक बड़ा अनितिहासी परिवर्तन है। इससे विधान में परिणयित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों (Scheduled Castes & Scheduled Tribes) को ह्योड कर किसी भी अल्पसंख्यक जाति के लिए सरक्षित सीटों का निर्देश नहीं है। अप्रूपनि को यह अधिकार दिया गया है कि यह वह यह समझें कि आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) जाति को चुनाव द्वारा लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह इस जाति के दो सदस्यों का लोकसभा में नाम-निर्देशन (Nomination) कर देंगे। परिणयित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों के लिए सरकार और आंग्ल-भारतीयों के लिए इस प्रकार का विशेष प्रतिनिधित्व वेवल अगले दस वर्षों तक ही रखा गया है।

संसद् के लिए प्रतिनिधि निर्वाचन की किस प्रणाली द्वारा चुने जायेगे, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इस समस्या का इल संसद् के कानून ही ह्योड दिया गया है। पिर भी एक चीज़तों स्थित ही है— निर्वाचन-क्षेत्र भू-क्षेत्रों के विचार से ही होंगे, न कि अपसायों के आधार पर। अब तो वेवल यह निश्चित करना शोप है कि प्रत्येक चुनाव-क्षेत्र से एक प्रतिनिधि जायगा या एक से अधिक। संविधान के निर्माताओं ने यह उचित नहीं समझा कि इन क्षेत्रों से चुनाव चरने के लिए भी सक्रमणीय मत याले अनुपाती प्रतिनिधित्व थो अपनाया जाय जिसके दुष्परिणाम से बहुत से दल अस्तित्व में आ जाते हैं। बहुत से दलों के राहे होने का यह फ्लै होता है कि सभाश्रों में बहुमत याला कोई भी एक दल नहीं पहुँच पाता। ऐसी अवस्था में मत्तिमण्डल मिले खुले (Coalition) होते हैं जो कि स्वभावतः निर्यत और लघु आयु याले होते हैं। वेसे भी अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली बड़ी ही संबद्धिल है और हमारे देश में, वहाँ कि मतदाता लोग अधिकतर अनपढ़ हैं, यह पद्धति सफल किए नहीं हो सकती थी।

नये संविधान के अन्तर्गत मताधिकार— मताधिकार की समस्या का किसी भी प्रकार अन्यतमक संविधान में महत्वपूर्ण रूपान होता है। एक संविधान किसी सीमा तक लोकतन्त्र की ओर जा सकता है, इस जात का निश्चय निर्वाचनों और सभूर्ण देश की जनमन्यमानों के पारस्परिक अनुग्रात पर निर्भर है। इस मापदण्ड पर हमारा संविधान पूर्णतया लोकतन्त्रक कहा जा सकता है। मताधिकार से सम्बन्धित इसके उपर्युक्त इस-

की प्रमुख विशेषताओं में से हैं। एक ही प्रहार में इसने उन सभी अप्रजातन्त्रीय और रुद्धिवादी शरणों को रद्द कर दिया है जो सम्बाच्च, आय, पिताव, आदि की प्राचीन भित्तियों पर अवलम्बित थीं, और जिनके कारण जनसख्त्या का एक बड़ा भाग मत देने के अधिकार से बच्चित था। १६१६ ई० के ऐकट के अन्तर्गत ३% से अधिक लोगों को मत देने का हक नहीं था। १६१५ ई० के ऐकट ने निर्वाचकों वी सख्त्या बढ़ाकर लगभग १४% कर दी थी। नये संविधान के अनुमार सभी प्रौढ़ व्यक्ति (स्त्री-पुरुष) जो २१ वर्ष या उससे अधिक आयुवाले हैं और जो किसी अन्य नियोगिता — पारलेपन, अपराध, विधि-विरुद्ध व्यवहार, देश-परिहार आदि — के अन्तर्गत नहीं आते, मताधिकार के पात्र समझे जायेंगे। दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय लोकसभा और प्रान्तीय विधान-सभाओं के लिए इस संविधान ने प्रौढ़ मताधिकार के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। यह अनुमान किया गया है कि हमारे निर्वाचकों वी सख्त्या समार म सर्वे जड़ी होगी, इसमें लगभग एक बरोड़ साठ लाख निर्वाचक होंगे।

शकावादी लोग भारतीय जनता को इस प्रकार प्रौढ़ मताधिकार देने की बुद्धि-मत्ता पर सम्वेद्ध प्रकट कर सकते हैं। वे यह सकते हैं कि भारतीय जनता अनपढ़ है और सार्वजनिक विषयों में बोई अभिरुचि नहीं रखती। इसने अतिरिक्त निर्वाचन ज्ञेय बहुत बड़े बड़े और अनियन्त्रित हो जायेगे, जिसने कारण निर्वाचकों और निर्वाचितों वे दीच का गहन सम्बन्ध, जो कि प्रार्तिनिधि संस्थाओं के मफल कार्यस्नातकों के लिए आवश्यक है, असम्भव हो जायेगा। हमें इस प्रकार ७ कुतकों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हमारी जनता चाहे अनपढ़ ही क्यों न हो, पिर भी वह काफी चतुर और समझदार है। भूतकाल में ऐसे बहुत थोड़े अवसर होते जब कि सम्भवतः उन्होंने सार्वजनिक उत्साह का परिवर्य न दिया हो। मताधिकार स्वयं एक प्रकार का शिक्षा-त्मक मूल्य रखता है — यह प्रजातन्त्र के स्रोतस्थल के समान है और इसे बन्द करते ही प्रारम्भ म ही लोकताप की प्रयोग धारा लुप्त हो जायेगी। इस गत का उल्लेख करना आवश्यक है कि संविधान में निर्वाचन प्रायोग नियुक्त करने का भी उपद्रव है। इस ग्रायोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) और ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त समिलित होगे जो राष्ट्रपति द्वारा नियित किये जायें। चुनावों का देख रेप, निर्देशन और नियन्त्रण, निर्वाचक-नामांवनी तैयार करना, ईमानदारी और निष्पक्षता से निर्वाचन का चलाना — इस ग्रायोग के कर्तव्य होंगे।

संविधान वीलोक्सभा वीकालावधि ५ वर्ष नियत की गई है। सभा के नये चुनावों के पश्चात् जो पहली वेटक होगी उससे ठीक पाँच वर्ष बाद लोकसभा के सदस्यों को विसंजित समझा जायेगा। परन्तु सकट काल घोषित होने की दशा में सदृश विधि द्वारा अपना कार्य काल बढ़ा सकती है, परन्तु एक चार में एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं। आपत्-

की घोषणा के प्रभाव शून्य होने के भाव द मात्र के अन्दर लोकमान का कार्यशाल समाप्त हो जायगा। यह याद रखने की बात है कि विदेशी समदू का कार्यशाल भी ५ चर्चे ही है। विधान सभा की अवधि १९६६ ई० के ऐकड़ के अनुसार तीन चर्चे और १९६५ ई० के ऐकड़ के अनुसार पाँच चर्चे थीं।

प्राय सभी दूसरे देशों म विधान मण्डलों का वापिक अधिवेशन का होना एक नियत नियम है— जाहे सविधानिक विधि के द्वारा और जाहे परम्परा से। किन्तु हमारे सविधान ये अनुसार चर्चे में समदू कम से कम दो अधिवेशन ग्रन्तिवार्ष हैं। एक अधिवेशन की अन्तिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की पहली बैठक मध्य महाने स अधिक का अन्तर नहीं हो सकता। जैसा कि एक और स्थल पर भी सन्त विधा जा चुका है, राष्ट्रगति का यह कर्तव्य है कि एक या दोनों सदनों का अधिवेशन करयें, उनका समावेशन करें और लोकमान का विषयन करें।

समदू और राष्ट्र ने विधान-मण्डलोंकी सदस्यता ने लिए भेल दो शर्तें हैं— पहली शर्त : भारत की नागरिकता, और दूसरो शर्त निर्वाचित आयु। समिधान म यह निर्देश किया गया है कि २५ वर्ष से कम आयु रखने वाला नागरिक इन्होंने लाक सभा के निर्वाचन के यात्र न समझ बायेगा। यद्यपि पारपद् का सदस्य चुना जाने के लिये एक व्यक्ति का कम से कम तीस वर्ष का होना चाहिए। यह समदू न कर दी छोड़ दिया गया है कि यह निर्वाचन की किसी और यात्रता न मापदण्ड का निर्धारित करे। कोई व्यक्ति समदू का सदस्य नहीं हो सकता यदि वह देश की इसी सरकार के अधिन लाम का पद धारण किये हुए है, उसका दिलायी रखवा है, स्वेच्छा से यह किसी अन्य राज्य का, समदू द्वारा ननाई किसी विधि के अनुसार, नागरिक हो गया है। कोई व्यक्ति समदू के दोनों सदनों का, समदू के एक सदन आर राज व विधान-मंडल (परिपद् या सभा) का एक साथ ही सदस्य नहीं हो सकता। एक नर में उसे बेदल एक सदन की ही हो सदस्यता प्राप्त हो सकती है।

समदू के प्रथेन सदन में उन सदन के कुन सदस्यों ने १० % सदस्य उपस्थित होने पर ही गण्डवृत्ति (कारम) होता है। यिन दब प्रतियात सदस्यों की उपस्थिति के बैठक की कर्वाई भद्र चजाई जा सकता। कुछ निर्वाचित विधायी दो छाइकर सब चालें उपस्थित सदस्यों म से बाट देनेगला पर बद्धत से तै की जाती है। अदान्यायगादा (Attorney General) और प्रदेश मवा का नियम भी सदन की फार्वाई म अभिभित होने और अपने विचार रखने का अधिकार है, परन्तु यदि ने उसरे सदस्य नहीं हैं तो उन्ह बाट देन का अधिकार प्राप्त न होगा।

समदू के उद्देश्यों के लिए कुछ विशेषाधिकार और उन्नति ने नियन हैं। समदू के सदनों में उन्हें फ्रेस्मत्तन (Freedom of Speech) है

और बहुत अधिक मत के विषय में उन्हें विशद् किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई न चल सकेगी। परन्तु नियम और स्थायी आदेशों (Standing Orders) के द्वारा सदृश वाक् स्वातन्त्र्य पर प्रतिबन्ध लगा सकती है। जब तक कि सदृश इस प्रश्न पर अपना निर्णय दे उसने सभी सदस्यों को वे सब अधिकार और मुविधाएँ प्राप्त होने जो कि विभिन्न हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त हैं, अर्थात् धोरणपराध (Felony) और राजद्रोह (Treason) को होड़कर किसी भी अपराध के लिए उन्हें अधिवेशन के समय गिरफ्तार नहीं किया जायगा। सदस्यों के वेतन और भत्ते संसद् ही निश्चित करेगी।

अध्यक्ष (स्पीकर) — लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। इन दोनों में से प्रत्येक को पद होड़ना पड़ेगा यदि वह सभा का सदस्य नहीं रहता। उपरित्थित सदस्यों के बहुमत से भी उनको पद से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही उस पद का कार्यवहन करेगे। अध्यक्ष का कर्तव्य सभा की बैठकों में अध्यक्षता ग्रहण करना, बैठकों में यह निर्णय करना कि किस सदस्य को क्वोलने दिया जाय, सभा में शासन और मर्यादा कायम रखना, सभा के नियमों का विवेचन करना, मतगणना का निर्णय देना, औचित्य प्रश्नों (Points of Order) का निश्चय करना और उन पर अनितम निर्णय (Ruling) का देना, आदि है। बोयों की समता के अवसर पर उन्हें निर्णयात्मक (Casting Vote) देने का अधिकार है। वही इस विषय का निर्णय करेंगे कि कोई विधेयक वित्त से सम्बन्ध रखता है अथवा नहीं। संविधान ने इन शक्तियों को देकर अध्यक्ष का सभा के सम्मान, प्रतिष्ठा और मर्यादा का सरकूक है।

यह आशा की जाती है कि लोकसभा के अध्यक्ष अमेरिकी स्पीकर की परम्परा को उन करके इंगलैंड के स्पीकर की परम्परा अपनायेंगे। इस परम्परा के अनुसार करते ही स्पीकर अपने दल से सम्बन्ध विच्छेद कर देते हैं और किसी प्रकार की तिक कार्रवाई में भाग नहीं लेते। बेवल उत्तर-प्रदेश की विधान-सभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तमदास टाट्टौन का उदाहरण होड़कर सभी अध्यक्षों ने इंगलैंड की परम्परा के उक्त कार्य किया है, अर्थात् अध्यक्ष पद ग्रहण करते ही उन्होंने अपने दल की सदस्यता होड़ दी है।

अध्यक्ष पद बेवल प्रतिष्ठित और सम्मानित ही नहीं है बल्कि उसका बहुत बड़ा महत्व भी है। बैठकों में कार्य सचालन की सफलता का बहुत ऊँछु भेय अध्यक्ष के ज्ञान, दक्षता, कार्यपटुता और व्यक्तित्व पर निर्भर है। उन्हें विचार में सप्त, निर्णय में सुदृढ़ और बर्ताव में गम्भीर होना चाहिए। हजारों उत्तेजनाओं के बीच

भी उन्हें स्थिर-चित्त और स्थिर बुद्धि रखना आवश्यक है। अपने कौशल को सहायता से ही वे बैठकों को सफल बना सकते हैं।

सप्तदृ के कृत्य— सप्तदृ सरन्मरकार का विधायी अग है इसलिए इसका प्रधान कर्त्तव्य देश के सुशासन के लिए विधियाँ बनाना है। और किसी दूसरी सत्था अधिकार को सघ सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। परन्तु सप्तदृ पद्धति पर आधारित सप्तदृ का कार्य देवल कानून बनाना हा नहीं है बल्कि इसके अतिरिक्त उसे और बहुत से काम करने पड़ते हैं। इसका एक विशेष कर्त्तव्य कार्य पालिका बनाना और उसे पदासीन रखना है। देश में किस प्रकार की द्वूषण होगी यह इस बात पर निर्भर है कि सप्तदृ में कौनसा दल अधिक शक्तिशाली है। यदि सप्तदृ में काग्रेस दल का बहुमत है तो काग्रेस की सरकार बनेगी किन्तु अगर वहाँ समाजवादी दल या हिन्दू महासभा के सदस्यों का बहुल्य है तो कार्य-पालिका भी क्रमशः समाजवादी या हिन्दू महासभा की नीति का पालन करने वाली होगी। दूसरी बात यह है कि सप्तदृ ही ऐसी जगह है जहाँ जनता की शिकायतों और दुखों को प्रस्तु किया जा सकता है। प्रतिदिन लोकसभा की बैठकों का एक घट्य प्रश्नोत्तरी के लिए दिया जाता है। एक लेखक का कथन है कि विटिश हाउस ऑफ कॉमिट्टी में प्रश्नों का घट्य, ग्रेट ट्रिट्रेन में, प्रनातन्त्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इसमें कोई सदैव नहीं कि सप्तदृ में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अप्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सप्तदृ का कर्त्तव्य प्रशासन का सचालन नहीं है, यह कार्य तो विभिन्न विभागों के द्वारा चलाया जाता है जिनके ऊपर मत्री लोग देख रेख रखते हैं। विभागों के द्वारा प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता है, इसके लिए मन्त्री सप्तदृ के सामने उत्तरदायी होते हैं। अनेक तरीकों से सप्तदृ मन्त्रियों के ऊपर नियन्त्रण रखती है, जैसे— माँगों को स्वाकार करना, प्रश्नों का पूछना और सदस्यों में से बहुत सी समितियों का बनाया जाना, इत्यादि।

सप्तदृ का चौथा कर्त्तव्य राष्ट्रीय वित्त पर नियन्त्रण करना है। जिन सप्तदृ की प्रत्यक्ष आशा के न कोई कर लगाया जा सकता है, न इकट्ठा किया जा सकता है, न कोई धन भूण लिया जा सकता है और (भारित व्यव के अतिरिक्त) न किसी मद में कोई व्यय ही किया जा सकता है।

अन्तिम बात— यदि हम इगलैड की परम्परा पर चलते रहें तो परिणामत हमारी सप्तदृ ऐसी जगह होगी जहाँ कि राष्ट्रीय नेताओं की प्रशिक्षा और परीक्षा हो सकें। अब तक तो यह प्रशिक्षा का कार्य काग्रेस के द्वारा होता रहा है परन्तु जैसे-जैसे समय धीतता जायगा और सप्तदृ परम्परावें और व्यवहार देश में जड़ पकड़ते जायेंगे जैसे जैसे हम आशा करते हैं कि काग्रेस के इस महत् कार्य का सप्तदृ के लिए इत्तान्तरण

हो जायेगा। यद्यपि सप्तद् का यह एक ऐसा मूल्यम् कृत्य है, जिसकी परिभाषा करना आसान नहीं है, पर भी यह वास्तविक और सारागम्भित है। इस कृत्य को समझने के लिए, विटिश सप्तद् का हमारे सामने सबसे अच्छा उदाहरण है।

यह भी स्मरणीय है कि १९३५ ई० के ऐक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय विधान मण्डल की भाँति हमारा सप्तद् किसी बाह्य प्राधिकारी के अधीन नहीं है। इस द्वाष्ट से हम इसे प्रभुतापूर्ण (Sovereign) कह सकते हैं परन्तु यह उस ग्रंथ म प्रभुतापूर्ण नहीं है जिसमें कि विटिश पालियामेन्ट। इसकी विधायी शक्तियां पर संविधान का प्रतिबन्ध है। साधारणतया गज्ज सूची के विषयों पर भी यह कानून नहीं बना सकती। न्यायालय इसके द्वारा ननाई विधियों का संविधान के विपरीत धोपित करके प्रभावशून्य कर सकते हैं, हमारे संविधान ने न्याय पालिका को न्यायिक पुनरावृत्ता (Judicial Review) का अधिकार दिया है। इस बात में यह विटिश व्यवस्था के विपरीत और अमेरिकी प्रणाली क समान है।

विधान प्रसिद्धि— संविधान में सप्तद् म होने वाली प्रक्रियाओं पर भी थोड़ा प्रकाश ढाला गया है परन्तु इसमें उन अवस्थाओं का कोई विस्तृत विवेचन नहीं है जिनमें होमर विधेयकों को दानों सदनों में गुजरना पड़ता है। इन बातों का निर्णय सप्तद् के ऊपर ही होइ दिया गया है। संविधान में ऐसो होइ होइ बातों का विस्तृत उल्लेख करना उचित भी नहीं था।

संविधान के अनुसार धन-विधेयक लोक-सभा में ही आरम्भ किये जा सकते हैं। परन्तु काई भी साधारण विधेयक दिल्ली भी सदन में आरम्भ किया जा सकता है। इस प्रकार का साधारण विधेयक (Non money Bill) एक सदन में प्रकृत और पारित होने के पश्चात् दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। यदि दूसरा सदन भी इसको उसी रूप म पास कर देता है तो कि पूले ने किया था तो राष्ट्रपति भी स्वीकृति मिलने पर यह विधेयक लागू हो जाता है। परन्तु यदि दूसरा सदन ऐसे विधेयक को अखाकार कर देता है या ऐसे संशोधनों के साथ पारित करता है जो आरम्भिक सदन को मजूर नहीं तो 'जिच' यह गतिरोध की अवस्था पैदा हो जाती है जिसे केवल संयुक्त अधिवेशन द्वारा ही दूर किया जा सकता है। संविधान में ऐसा उल्लेख है कि यदि एक विधेयक के ऊपर दानों सदनों में पारस्परिक भत्तमेद है अथवा दूसरे सदन में भेजे हुए विधेयक पर कु महाने तक कोई निर्णय नहीं हो पाता तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर विचार विमर्श कराते हैं और विल व ऊपर बोट लेते हैं। इस पकार के संयुक्त अधिवेशन म एकत्रित होकर मत देने वाले सदनों के घटुपत से जो प्रस्ताव स्वीकार होगा वह दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव समझा जायगा। संसद्चात् यह राष्ट्रपति का स्व. कृति के लिए रख दिया जायेगा।

उपरोक्त उपबन्ध यह प्रदर्शित करते हैं कि धन-विवेयसों के अतिरिक्त सभी वर्तों में दोनों उद्दों के विधान-सम्बन्धी समान और समवर्ती अधिकार है। धन-विवेयस के अतिरिक्त कोई भी विषेयक किसी भी सदन में आरम्भ किया जा सकता है और इस प्राचार का काई मों विषेयक (धन-विवेयक के अधिक) तब तक सहृदृ द्वारा स्वीकृत न उमभा जायगा जब तक इसका एक ही रूप में दोनों सदन पारित न कर दे। परन्तु सिद्धान्त में दोनों उद्दों के प्राप्त गणवर गणिकार होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि वास्तव में लोकसभा राज्य-परिषद् की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली सदन है। कारण यह कि गठमेद की अवस्था में जो संयुक्त अधिकारेण द्वारा उसमें लोकसभा के सदस्यों की लगभग दुगुनी सख्त हाने से इसका नहमत ही जायेगा। इस प्रकार राज्य-परिषद् विधान की प्रगति में बहुत अधिक नाथा नहा डाल सकेगा।

धन-विवेयसों विषेयक विशेष प्रक्रिया— जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है— धन-विवेयक लोकसभा में ही आधारम किये जा सकते हैं। यद्यों से शरित होने के बाद इन्हें राज्य-परिषद् के विचार-विभारी और सिफारिश के लिए मेज दिया जाता है। राज्य-परिषद् को विचार-विभारी करके धन-विवेयक-सम्बन्धी अपनी विषयरिश लोकसभा के जामने प्रसुत करने के लिए केवल १४ दिन का अन्तराल दिया जाता है। लोकसभा इन विचारिशों को मानने न पाने में पूरे व्यवन्व है। इस प्रकार अनित्य निर्णय लोकसभा के ही द्वारा में है। राज्य-परिषद् का तो केवल इतना ही आधारार है कि वह अपनी विचारिशे पेश कर दे चाहे लोक-उमा उसे माने या न माने। धन-विवेयकों पर लोकसभा के अनित्य निर्णय के बाद उन्हें दोनों सदनों से स्वीकृत उमभा जाता है। काई विषेयक धन-विवेयक है ग्रथा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं।

विषेयकों पर स्वीकृति— उक्त द्वारा पारित उभी विषेयक उप के राष्ट्रपति की स्वीकृति ने लिए पेश किये जाते हैं। राष्ट्रपति इनके ऊपर स्वीकृति दे रक्खते हैं अथवा इन्हाँकर कर सकते हैं। जैसा कि राष्ट्रपति वो शक्तियों के सम्बन्ध में पहिले ही बतलाया जा चुका है राष्ट्रपति, धन-विवेयक के अतिरिक्त, कोई भी विषेयक उद्दों के मुनविचार के लिए मेज सहते हैं। उद्दों को राष्ट्रपति के प्रत्याधित संसाधनों पर विचार करना पड़ेगा, परन्तु वे उन्हें न्योजन बरने के लिए आध प नहीं है। मुनविचार वे पश्चात् जो विषेयक राष्ट्रपति के सामने आये, उस पर उन्हें अपनी स्वाकृति देना पड़ेगी।

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया— ८८८ से दोनों उद्दों के सम्बन्ध राष्ट्रपति भारत-राज्यवर का वार्षिक वित्त-प्रिश्न (Annual Financial Statement) राजसार्वे नियम संघ-सरकार के ग्रामामी वर्षे ने आप वर्ष का अनुमान होगा। अप-

की मद में इस विवरण में वह सष्टु कर देना होगा कि (1) कौनसे खर्चे भारत को संचित निधि पर भारित हैं, अर्थात् उनके लिए सप्तदू की स्वीकृति आवश्यक नहीं; और (ii) कौनसे खर्चे ऐसे हैं जो सप्तदू की स्वीकृति के लिए नहीं किये जा सकते।

पहली श्रेणी में निमाकित मद्दे यामिल हैं :—

- (क) राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ और भत्ते और उनके पद से सम्बद्ध प्रन्द्य व्यय;
- (ख) राज्य परिपद्द के सभापति और उप-सभापति तथा लोकसभा वे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते;
- (ग) ऐसे शूण भार जिनका दायित्व भारत-सरकार पर है;
- (घ) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, या उनके घारे में, दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति वेतन (Pension) एवं फ़ेडरल न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिये जाने वाले निवृत्ति वेतन;
- (इ) भारत के नियन्त्रक महालेला परीक्षक (Controller and Auditor General) का दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति वेतन;
- (च) किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण (Tribunal) के निर्णय, आज्ञापति या पत्राट (Judgment, Decree or Award) के सुनितान के लिए अपेक्षित कोई राशियाँ, और
- (छ) इस संविधान द्वारा, अथवा सप्तदू से विधि द्वारा, इस प्रकार का घोषित किया गया कोई अन्य व्यय।

यह भेद करना नहीं महत्वशाली है कि कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है और कौन-सा नहीं है। इस सरह का भेद १६३५८० के गवर्नर-एंड ऑफ इण्डिया एक्ट में भी विद्यमान था, जिसके अनुसार भारत-सरकार का लगभग ७५ प्रति शत व्यय केन्द्रीय सरकार की संचित निधि पर भारित था। प्रियंशु संविधान में भी ऐसी व्यवस्था है। इस प्रकार के व्यय पर सप्तदू की अनुमति लेना आवश्यक नहीं, सरकार इसे सप्तदू का संवृत्ति के लिए ही निकाल सकती है। जो व्यय इस श्रेणी में नहीं आते, उन पर सप्तदू का नियन्त्रण होता है अर्थात् उनमें वह कमी कर सकता है या उन्हें रद कर सकती है।

संविधान में यह निर्देश है कि दूसरी श्रेणी में आने वाले व्यय का अनुमान लाक-सभा के समक्ष अनुदानों की माँगों के रूप में (In the form of demands for grants) खेल जायेंगे और लोक सभा को अधिकार होगा कि किसी माँग का

स्वीकार या अस्वीकार करे ग्रथवा उसे कम करें स्वीकार करे। राज्य-परिषद् को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं चूँकि अनुदानों की माँग पर यह बोट नहीं दे सकती। परन्तु दोनों में से प्रत्येक सदन को सभी लुचों पर (जाहे वे पहली श्रेणी में ग्रामें जाहे दूसरी में) विचार विमर्श और वाद विवाद करने का अधिकार है।

जब लोक-सभा प्रनुदान की माँग पर पूरी तरह विचार कर लेती है, तब उसके मुकाबों के अनुरूप सदद के सामने एक विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) प्रस्तुत किया जाता है। इसका अभिप्राय यह होता है कि संचित निधि (Consolidated Fund) में से आवश्यक निर्धारित राशियाँ निकालने की सदद से आदा मिल जाये। किसी भी सदन में ऐसे विधेयकों में कोई सशाधन नहीं हो सकता, अगर इसका अभिप्राय इन माँगों में परिवर्तन करना या इसकी मर्दों का बदलना है। विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) के उपचरणों के विपरीत कोई भी घन-राशि संचित निधि से नहीं निकाली जा सकती।

यह स्मरण रखना चाहिए कि ब्राटश प्रदति के अनुसार यहाँ पर अनुदान की कोई माँग राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं रखी जा सकती। दूसरे शब्द में, लोक-सभा के साधारण सदस्यों से व्यव-सम्बन्धी कोइ नई मद प्रस्तावित करने की आशा नहीं है। साधारण सदस्यों को तो कबल दतना हा अधिकार है कि सरकार द्वारा का हुई माँगों को घटा दें, इसीकार या अस्वीकार वर दें, न वे किसी माँग को बढ़ा सकते हैं और न एक मट की माँग को दूसरी मद में शामिल कर सकते हैं। दूसरी द्यान देने याप्त यह जात है कि साच्चत निर्ध पर मारित व्यय, जो कि लाक-सभा के नियन्त्रण में परे है, अब अनुपात में उस घन राशि से बहुत कम है, जिसका १९३५ ई० के ऐकट म निर्देश था। हमारे सविधान ने कबल इसी प्रकार के व्यय पर सदद का नियन्त्रण नहीं रखा है जो प्राय दूसरे देशों में भी नहीं रखा जाता।

अनुपूरक अधिकार अनुदान (Supplementary or Additional Grants) के बारे म भी उसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जायेगा। अनुपूरक और अधिकार अनुदानों की माँग उस समय रखी जाती है, जब वर्ष के बीच म ही कोई ऐसी आवश्यकता उपस्थित हो जाय जिसकी बजट बनाते समय कल्पना भान की गई थी, अथवा जब किया मद पर एक स्वीकृत व्यय से बढ़ जाये।

सरकार दे बर से सम्बन्ध रखने वाले तथा वे सभी प्रस्ताव जिनम सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजम्य बढ़ाने के मुभाय हों घन-विधेयक के अन्तर्गत आते हैं। यह विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से केवल लाक-सभा में हा आरम्भ किया जाता है। राष्ट्रपति की सिभारण से जो घन विधेयक लाक-सभा के सदस्यों दे सामने रखा जाता है, उसमें ये लोग करने दफ्तर हैं, उसे स्वीकार या

अस्तीकार कर सकते हैं, परन्तु किसी नये कानून सुभाव रख सकते हैं और न कहा ही सकते हैं।

वित्त य प्रक्रिया की पृति से पहले भी लोक-सभा पेशगा धन दे सकती है, जिसे लैटानुदान (Votes on Account) कहा जाता है। हमारे संविधान में यह एक नया ही उपचर्ण है। इस रीति दे अपनाने से लोक-सभा को आय-व्यय के ऊपर साच विचार करने का अधिक अवसर मिल जायेगा। विनियोग विधेयक की वर्प के आरम्भ से पहले ही पात्र करने की शीघ्रता न होगी।

संविधान के उपचर्णों के अधीन सभद् को प्रक्रिया सम्बन्धी नियम और उपनियम बनाने का अधिकार दिया गया है। यह आशा की जाती है कि जो नये नियम सभद् द्वारा बनाये जायेंगे उनके द्वारा उपप्रक्रिया में अधिक परिवर्तन नहीं किया जायगा जो अब तक काम में लाई जाती रही है। पुरानी पद्धति वे अनुमार एक विधेयक को निम्नलिखित अवस्थाप्रा से गुजरना होता था — 'प्रथम पठन, द्वितीय पठन, कमेटी स्टेज, रिपोर्ट स्टेज और तृतीय पठन। एक सदन में (जहाँ कि यह आरम्भ होता था) सभा अवस्थाओं को पार करने के पश्चात् एक विधेयक दूसरे सदन में भेज दिया जाता था और वहाँ भी वह उन्हीं पाँचों अवस्थाओं से होकर गुजरता था। यदि दूसरे सदन के द्वारा इसमें कोई सशाधन दर दिया जाता, तो ऐसे आरम्भ करने वाले सदन भी भेज दिया जाता था। यदि आरम्भ करने वाला सदन इन संशोधनों से सहमत हो तो सशोधित विधेयक गवर्नर जनरल (आजकल राष्ट्रपति) की स्वीकृति वे लिये रखा जाता था।' प्रथम पठन तो बेवल शिष्टाचार मात्र है, इसका अर्थ इससे अधिक कुछ नहीं कि विधेयक को पेश करके गजट में प्रकाशित होने की स्वीकृति सदन से ले ली जाय। द्वितीय पठन में विधेयक वे मुख्य सिद्धान्तों पर पर्याप्त लोचन होता है, इस अवस्था में काई सशाधन रखने की आशा नहीं होती। यदि विधेयक के सिद्धान्त मान लिये जाते हैं तो इसे एक स्थायी समिति की जांच पड़ताल के लिए भेज दिया जाता है। समिति विस्तारपूर्वक विधेयक के उपचर्णों पर विचार करती है और उसे इसमें सशाधन बरने का अधिकार है। यहाँ पर कमेटी स्टेज समाप्त हो जाती है। अपना काम समाप्त करने पर समिति विधेयक की सदन के सामने रिपोर्ट रखती है। इस अवस्था में लूँग विस्तारपूर्वक विवेचन होता है और सशोधनों पर बाद-विवाद किया जाता है। यह रिपोर्ट स्टेज कहलाती है। समसे बाद में तृतीय पठन होता है, जिसमें बेवल अधिक परिवर्तन करने और सर्वोगीण विधेयक पर बाद-विवाद करने की आशा है।

सविधान ने राष्ट्रपति को केन्द्रीय विधायी व्यवस्था का एक अभिन्न ग्रंथ स्पीकर किया है। इस दृष्टि से उन्हें कुछ विधायी शक्तियाँ सौंपी गई हैं, जिनका पहले ही उल्लेख आ चुका है। यहाँ बेबत यह दोहराना आवश्यक है कि कोई विवेशक तभी परिनियत पुस्तक में अधिनियम की भाँति दर्ज होगा, जब कि उस पर राष्ट्रपति का मुहर हो।

न्यायपालिका— अब हम सविधान के अन्तर्गत भारतीय संघ शासन के एक तीसरे ग्रंथ—न्यायपालिका के गठन, सगड़न, शक्ति और कृत्य— पर विचार करेंगे। चूँकि न्यायपालिका एक प्रजातन्त्रात्मक राज्य के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सविधान का निर्वाचन (Interpretation) एवं सरकार करती है इसलिए उसे एक स्वतन्त्र स्थान और सम्मान देना आवश्यक है। हमारे सविधान में इस बात का पूर्य विचार रखा गया है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका सम्बन्धी हमारे सविधान की एक और विशेषता है, जो कि किसी भी संघात्मक राज्य में नहीं पायी जाती। इसके द्वारा समस्त भारतपूर्ण में एक शूलनाबद्ध सम्पर्क न्यायपालिका बनी है। इस कथन को सम्भवतया समझ लेना चाहिए। सभी संघात्मक सविधानों की भाँति हमारे सविधान में भी केन्द्र और राज्यों में से प्रत्येक के लिए पृथक् पृथक् विधान संघटन और कार्यपालिका का निर्देश है। इस तरह से संघ के क्षेत्राधिकार में अनेक विधान-मण्डल और अनेक कार्यपालिकाएँ कार्य करेंगे। परन्तु न्यायपालिका के प्रियम में दूसरी ही बात है— समस्त देश में एक ही सुप्रिंट न्यायपालिका है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और राज्यों के अन्य अंगों द्वारा न्यायालय सभी एक ही शूलनाबद्ध व्यवस्था के अभिन्न ग्रंथ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ-न्यायपालिका और राज्यों की न्यायपालिकाएँ निलूप्त कृत पृथक् पृथक् और स्वाधीन हैं। इसके विपरीत हमारी व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय एक दूसरे से असम्बद्ध नहीं है। दूसरे राज्यों में, यद्यपि भारतीय संघ में दुहरा शासन (संघ और राज्यों का) है किन्तु इसमें दुहरा न्याय-प्रबन्ध नहीं है। इस प्रकार की सम्पर्क न्यायपालिका इस उद्देश्य से रखी गई है कि कानून और इसके प्रशासन के सम्बन्ध में देश में कोई विभिन्नता न रहे और आधारभूत मामलों में एकत्रिता आ जाय।

इस व्यवस्था में हम उच्चतम न्यायालय का ही विवेचन करेंगे जो कि न्याय-व्यवस्था का चोटी पर स्थित है। उच्च न्यायालय और उसके अधीन न्यायालयों के बारे में वर्णन आगे चलकर राज्य शासन व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

उच्चतम न्यायालय— उच्चतम न्यायालय ने संघीय न्यायालय (फेडरल फोर्ड) का स्थानापन किया है जो कि १६३५ ई० के गवर्मेंट शाफ इंडिया एक्ट के अनुसार बनाई गई थी। इसका नाम उच्चतम न्यायालय इस विचार से रखा गया है कि अब

इंगलैंड की ग्रीष्मी और सिल इस देश का सर्वोच्च न्यायालय नहीं रही है। यह याद रखना चाहिये कि विदिशा राज्यकाल में भारतीय फेडरल कार्ट और हाई कोर्ट को अपील प्राप्ती और सुना फरती थी। यह व्यवस्था इस बात की प्रतीक थी कि भारत इंगलैंड के ग्रधीन है। परन्तु आज जब कि भारत एक प्रभुतासमन्न गणराज्य बन गया है, उसका तर्बोच्च न्यायालय देश में ही स्थित होना चाहिये न कि किसी विदेश में। अब उच्चतम न्यायालय ही सर्वोच्च न्यायाधिकरण का काम करेगा।

उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति के अतिरिक्त अधिक सात न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और ये लोग ६५ वर्ष तक की आयु तक कार्य सञ्चालन करते रहेंगे। किन्तु न्यायाधीशों की नियुक्तियों में राष्ट्रपति पूर्ण स्वेच्छाचारिता से बाम नहीं करेंगे। उन्हें इस विषय में परामर्श लेना पड़ेगा। मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति करते समय वे उच्चतम और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों का सलाह लेंगे जिन्हें वे उनित समझें, और दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधिपति भी उन्हें मन्त्रणा देंगे। यह अमेरिका और इंगलैंड का पद्धतियों में एक चीज़ का मार्ग है। इंगलैंड के समान स्वयं ही इस प्रकार की नियुक्तियाँ करते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श से फेडरल कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ करते हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ न अवेले करते हैं और न विधान-मण्डल के किसी सदन वे परामर्श से। वे बबल न्याय विशेषज्ञों की मन्त्रणा लेते हैं। एक व्यक्ति जो कम से कम ५ वर्ष हाई कार्ट का जज रह चुका है, या कम से कम १० वर्ष किसी हाई कोर्ट का अधिवक्ता (Advocate) रहा हो या जिसे राष्ट्रपति एक प्रख्यात निधिविशेषज्ञ समझते हों, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य समझा जायेगा। अपने कार्यकाल में उसे पूर्ण सरकार मिलेगा। जैसे कि ऊपर भी बढ़ा जा चुका है ये लोग ६५ वर्ष की आयु तक पदासीन रहेंगे। ये अपनी इच्छा से पदस्थापन कर सकते हैं। टुर्ब्वहार और अव्याधिता के सिद्ध हाने पर राष्ट्रपति उन्हें पदन्युत कर सकते हैं। किसी न्यायाधीश का राष्ट्रपति तभी पद से उतार सकते हैं जब कि सदृ के दानों सदनों ने उसके खिलाफ इस प्रकार का प्रत्यावाप पास किया हो। इस प्रकार वा 'ऐड्रैस' सदृ द्वारा तभी पास समझा जायेगा जब कि उसे प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के ग्राम से अधिक और उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम ३ बहुमत प्राप्त हो। सेवा निवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय में 'प्रैविट्स' नहीं कर सकते। अपने कार्यकाल में मुख्य न्यायाधीश का वेतन ५,००० प्रति मास और अब न्यायाधीशों में से प्रत्येक का वेतन ४,००० रु प्रति मास निश्चित है।

उच्चतम न्यायालय की नैटक आम तौर पर दिल्ली में होगी। परन्तु राष्ट्रपति

की अनुमति से न्यायाविपत्ति समय समय पर इससा स्थान बदल सकते हैं। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) होगा और अपने अरमान (Contempt) के लिए वह इस प्रकार के न्यायालय की सभी शक्तियों से समन्वय होगा। एक न्यायालय का उस समय अभिलेख न्यायालय कहते हैं जब कि इसे अभिलेखों के प्रभागिक समझा जाता है और जब किसी न्यायालय के सामने उन्हें प्रलुब्द किया जाता है तो उनके ऊपर वाद-विवाद नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय भी इसी दृष्टि से अभिलेख न्यायालय कहलाते हैं।

उच्चतम न्यायालय का अधिकार— संविधान ने जो शक्तियों मारते हैं उच्चतम न्यायालय को प्रदान की है वे कशाचित् किसी भी शर्य देश के सभाय न्यायालयों को प्राप्त नहीं हैं। इसे अभिलेख न्यायालय के सभी अधिकार हैं और इसके द्वारा उद्योगित कानून भारतीय राज्य के सभी न्यायालयों पर समान रूप से लागू होगा। सभय समय पर याप्तिकी अनुमति से यह स्वयं अपने कार्य सचालन के नियम और उपनियम बना सकती है। मुख्य न्यायाधिपति का न्यायालय न पदाधिकारी और सेवक नियुक्त करने का और उनकी सेवाओं से सम्बन्धित बेतन, भत्ते, छुड़ा, निवृत्ति वेतन आदि के तैयार करने का अधिकार है।

उच्चतम न्यायालय के प्राथमिक (Original), पुनर्विचार सम्बन्धी (Appeal) और मन्त्रणा-सम्बन्धी (Advisory) तीन प्रकार के अधिकार हैं। इसके अतिरिक्त यह संविधान की व्याख्या करने वाली अनितम सत्ता है। यह नागरिकों के अधिकार और स्वातंत्र्य का सरकार है और इसे सिविल विषयों (Civil Cases) की प्रतीन सुनने का अधिकार है। सिविल विषयों में यह अपील की इचाज़त दे सकता है और कुछ विषयों में इसका पुनर्विचार का अधिकार ज्ञेय है। उच्चतम न्यायालय के प्राथमिक देशाधिकार में (i) एक शार भारत सरकार और दूसरा शार एक या अधिक राज्यों के बाच, (ii) एक शार भारत-सरकार और एक या अधिक राज्य, दूसरी शार एक या अधिक राज्य के बाच, और (iii) दो या दो से अधिक राज्यों के बाच पारस्परिक भागड़े उस सीमा तक शामिल है जहाँ तक कानूनी अधिकार सम्बन्धी विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उठता है। इस प्रकार के भागड़े और किसी दूसरे न्यायालय या नहीं रहे बाच रहते। दूसरे विषयों पर उच्चतम न्यायालय का ही अन्तर्गत प्राथमिक देशाधिकार है। इस देशाधिकार में कोई सन्धि, कापर या सनद जो कि संविधान के आरम्भ होने से पहिले देशा रियासतों और भारत सरकार के बीच हुई हो— सम्मिलित न किये जायेंगे। यह प्रारम्भिक देशाधिकार इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पुनर्विचार सम्बन्धी। तीन प्रकार के मुकदमों की अपील इसके सुनने के लिए आती है— संविधानिक, अवहार सम्बन्धी और दण्ड सम्बन्धी (Constitutional, Civil & Criminal)।

संविधान सम्बन्धी मुकदमों में उच्चतम न्यायालय वेतन उसी समय अपील सुनेगा जब कि उच्च न्यायालय यह प्रमाणपत्र दें कि इसमें कोई कानूनी प्रश्न निहित है। प्रमाणपत्र न मिलने की अवस्था में भी यदि उच्चतम न्यायालय को यह विश्वास हो जाय कि कोई सारखान् कानूनी प्रश्न उस विषय में सुनिहित है तो वह स्वयं विशेष दृष्टान्त दे सकता है। व्यवहार विषयों (Civil matters) में उस समय अपील होती है जब कि वाद-विषय की गणितीयों का मूल्य ओस हजार रुपये से कम न हो। दंड-कार्याई में दिये हुये निर्णयों की अपील निम्नलिखित विषयों में हो सकती है—

(क) उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति के विमुक्ति के आदेश को उलट दिया है तथा उसको मृत्युदण्ड का आदेश दिया है। अथवा—

(ख) उच्च न्यायालय ने अपने अधीन न्यायालय से किसी मामले का परीक्षण करने के लिए अपने पास माँग लिया है तथा ऐसे परीक्षण में अभियुक्त व्यक्ति को मिद्द-दोष ठहराया है और मृत्युदण्ड का आदेश दिया है। अथवा—

(ग) उच्चतम न्यायालय प्रमाणित कर दे कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किये जाने के लायक है।

संसद् को विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय का दंड-सम्बन्धी चेत्राधिकार बढ़ाने का हक है।

उच्चतम न्यायालय ने चेत्राधिकार में फेडरल कार्ड के बह सब अधिकार शामिल हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। सभी न्यायालयों ने ऊपर इसे पुनर्विलोकन चेत्राधिकार (Revisory Jurisdiction) है। सेना से सम्बन्ध रखने वाले मामलों को तैयार करने वाले न्यायालय और न्यायाधिकरणों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों के निर्णय वे स्विलाफ उच्चतम न्यायालय अपील की विशेष दृष्टान्त दे सकता है।

जैसा कि एक दूसरे प्रस्तुति में स्पष्ट किया जा चुका है— सार्वजनिक महत्व के किसी भी तथ्य या विधि सम्बन्धी प्रश्न पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का परमर्श ले सकते हैं। यह मूलता चेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction) कहलाता है। इस चेत्राधिकार में उन संघियों और कारों का निर्वाचन और सम्मिलित किया जा सकता है जो भारत की वित्तिश सरकार और देशी रियासतों के बीच हुए थे।

संसद् विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus) और उपेक्षण (Certiorari) के प्रकार के लेख (Writs) भी निशालने की शक्ति प्रदान कर सकता है। इस शक्ति का इस दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है कि इसके द्वारा अकिञ्चन के मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है।

उच्चतम न्यायालय की स्वार्वीनता— यदि उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों और स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है और संविधान का संरक्षण करना है तो उसे कार्य पालिका की विसी प्रकार की अधीनता में न रहना चाहिये। संविधान में

ऐसे कई उपबन्ध हैं जो न्यायपालिका को स्वतन्त्रतापूर्वक काम करने में सहायक हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की रीति नियत करते समय भी इस बात का ध्यान रखा गया है। इस मामले में राष्ट्रपति को न्याय विशेषज्ञों का परामर्श लेना पड़ता है। न्यायाधीशों को उनके कार्य काल में सुरक्षित रखा जाता है। उन्हें तब तक यदन्वयत नहीं किया जा सकता जब तक कि ससद के दोनों सदन इस विषय के प्रस्ताव को दो तिहाई मतों से स्वीकार न कर दें। इन लोगों के बेतन और भत्ते भारत की रक्षित निधि पर भारित हैं और इन के कार्य काल में बेतन और भत्ते में कभी नहीं की जा सकती। पद निवृत्ति के बाद किसी भी न्यायाधीश को कहीं भी चकालत करने की आशा नहीं है। मुख्य न्यायाधिपति को उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी-वर्ग का नियुक्त करने और उनकी सेवाओं तथा कार्य-सचालन के सम्बन्ध में नियम और उपनियम बनाने का अधिकार है। देश के सभी प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय को सदैव सहयोग प्रदान करेंगे।

अन्य कर्मचारी—भारत के संविधान का विवेचन समाप्त करने से पहिले उन उपबन्धों की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है जो भारत के महान्यायवादी और उसके नियन्त्रक महालेखा परीक्षक से सम्बन्ध रखते हैं—

भारत का महान्यायवादी—राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसी योग्यता रखनेवाले किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। वे ही इसका बेतन, भत्ता इत्यादि और कार्य काल नियत करेंगे। महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि विधान सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार और सदैव स्थायता करे। अपने कर्तव्य के पालन के लिए उसे भारत राज्य-क्षेत्र के सब न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।

भारत का नियन्त्रक महालेखा परीक्षक—भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है; चूंकि यह देखना उसी का कर्तव्य होगा कि जो मामी ससद ने स्वीकार की हैं उससे अधिक न कोई विभाग खच करता है और न उसकी मदों में परिवर्तन करता है। राष्ट्रपति की अनुमति से वह सध तथा राज्यों में हिसाब बिताव एक निर्धारित रीति से रखने की आशा देता है। वह सध के हिसाथ की जाँच पड़ताल करता है। वह लेटा-परीक्षण (Audit) की रिपोर्ट तैयार करके ससद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। उमसी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इन्होंने द्वारा इस का बेतन और जेका की रातें आंद हैं होती हैं। इसका बेतन और भत्ता राज्य की रक्षित निधि पर भारित है, इसके लिये ससद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। पहले निवृत्त होने के पश्चात् वह किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।

राज्य-शासन

परिचयात्मक——यहाले एक अध्याय में हम दस बात का सर्वेत [कर आये हैं कि भारतीय संघ की इकाइयों का नाम 'राज्य' रखा गया है। साधारण का आरम्भ होने के समय इनसी सर्वांग २८ थी, परन्तु अब यह सर्वांग २५ है, चूंकि उनमें से एक—**नूचिहिंसक** का गणाल में समावेश हा चुका है। प्रथम अनुसूची में इन राज्यों के नाम दिये हैं और इन्हे चार भागों में बँटा गया है। जिनका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। भाग (क) और भाग (स) के राज्यों की शासन पद्धति में भौतिक समता है। इन समें प्रजातन्त्रात्मक शासनप्रणाली है। दाना में बेवल इतना अन्तर है कि भाग (र) के राज्यों के सर्वोच्च अधिकारी का नाम राज्यपाल के बजाय राजप्रमुख है और इन राज्यों की कार्यपालिका दस वर्ष तक भारत सरकार के देशी रियासती-विभाग की देखरेख में कार्य करती। आगामी पृष्ठों में हम बेवल साधारण की प्रथम अनुसूची के भाग (क) में सम्मिलित होनेवाले राज्यों की शासन-व्यवस्था के सराटन और रचना पर साधारण उपेक्षण मरेंगे।

राज्य-शासन का सर्वांग—पृष्ठों में शासन प्रणाली बहुत कुछ बातों में संघ की शासन-पद्धति से मिलती जुलती है। प्रत्येक में कार्यपालिका और विधान मण्डल बनाये गये हैं जिनके दीच सालदू प्रणाली के आधार पर गहरा सम्बन्ध है। हर एक राज्य के अपने ही न्यायालय है, परन्तु जैसा कि इस से पहले अध्याय में ही सर्वेत किया जा चुका है वे न्यायालय देश की शृंखलावद्वय न्याय व्यवस्था की अभिन्न काढ़िया हैं। अब राज्य शासन के इन्हीं तीनों अंगों का क्रमशः वर्णन किया जायगा।

कार्यपालिका—जिन विषयों पर राज्य के विधान मण्डल को कानून बनाने का अधिगत है उन पर राज्य की कार्यपालिका का अधिकारी अधिकार (Executive authority) है। अर्थात् राज्य सूची और समस्ता सूची में जा विषय हैं उनका प्रन घ राज्य की कार्यपालिका करती है। राजन सूची के विषयों पर राज्य का ही अनन्य (Exclusive) अधिकार है और इन पर संघ की कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करती। समवर्ती विषयों पर राज्य-कार्यपालिका सरदू की विधियों का ध्यान में रखते हुए प्रशासन करती है। संघ की सरकार राज्य की सरकार को समवर्ती विषयों पर प्रशा सन करने की शक्ति वे दारे में आदेश दे सकती है।

राज्य की कार्यपालिका-शक्ति राज्यपाल (गवर्नर) में निहित हैं। उन्हे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा-संहेत अधिष्ठत (Warrant) द्वारा नियुक्त करेंगे। वह अपने पद-भूमि की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे, बशते कि वह पहले ही पद-न्याय नहीं कर दते। पद-न्याय करने के लिये उन्हे राष्ट्रपति के नाम अपने हस्ताक्षरों से एक न्याय पत्र भजना पड़े ।।

भारत ना कोई भी नागरिक जा पैदीम वर्ष की आयु पूरी नर चुना हा राज्य पाल होने का अधिकारी है। परन्तु ऐसी व्यक्ति जो समझ के दिको सदन का या किसी राज्य के विधानसभाओं के किसी सदन का सदस्य है या जो किसी दैतनिक पद पर नियुक्त हैं, राज्यपाल वा पद भूमि न नर समेगा। यदि वाई व्यक्ति किसी विधान भौमिका का सदस्य हो अथवा किसी लाभ के पद पर नियुक्त हो तो राज्यपाल नियुक्त होते ही उसे उन पदों से न्यायपत्र देना पड़ेगा ।

राज्यपाल का मासिन वेतन ५५००) है और इसके अलावा उन्हें वे और सभी भत्ते दिये जायेंगे जो नि अव से पहले प्राप्ति के गवर्नरों ना मिला करते थे । उन्हें बिना सिराये का एक निवासगृह मिलेगा । कार्यकाल के बीच में राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते कम नहा सिये जा सकते ।

राज्यपाल की क्षितियाँ— राज्य का अधिकारी होने के नाते राज्यपाल कार्यपालिका, विधान वित्त, और न्याय-सम्बन्धी बहुत से अधिकार हैं। चूंकि प्रशासन-सन-सम्बन्धी सभी वाम उन्होंने के नाम से चलता है, इसलिये अपने नाम से चलनेवाले व्यायों के प्रभागित समझे जाने की रीति के बारे में वे नियम बना सकते हैं। वे भूमियों में जारी विभाजन और राज्यरामन के सुगमनारूपरूप सञ्चालन के लिए भी नियम बनाते हैं। पहले वे मुख्य भूमि को आमिल करते हैं और इर उनके परामर्श से दूसरे भूमियों की नियुक्तियाँ करते हैं। वही राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्तियाँ इसके हैं श्रीर कुटुम्बाद्वित, वैज्ञानिक और समाज-सेवा तथा सहसारी सरथायों के विरोपणों को याद रखी रियान परियद के लिये मनानीत कर सकते हैं। यदि उनसा यह विचार हो कि ऐस्लाइनिटियों को राज्य की विधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो ये इस जाति के कुछ आशमियों को असेमली के लिये मनानीत वर सकते हैं। वह राज्य के प्रशासन पर सामान्य देखमाल रखते हैं और इसी भी विचारणीय मामले को मन्त्र-मंडल के विचार करने के लिए राय समने हैं। वह मुख्य भूमि को आदेश देसमने हैं कि यह (मुख्य मंत्री) उनसी प्रशासन सम्बन्धी और विद्या की योजनाप्रा के बारे में पूरी रूचना देता रह । इन विद्याओं, प्रशासन और प्रलाभित विधान से सम्बन्धित मन्त्रमंडल के सभी नियन्त्रण मुख्य मंत्री वा राज्यपाल के समझ समने पड़ते हैं, ताकि ये (गवर्नर) अधिकारी शाली अधिकार का पूरी तरह उपभोग कर सकें । सकूप में यह कहा जा सकता है कि

ब्रिटिश सम्प्राद्‌य की भाँति राज्यपाल को परामर्श देने, आगाह करने और सब बातों की सुखना पाने के अधिकार हैं। कुछ राज्यों में राज्यपाल को बन-जातियों के विकास की देखरेख करने और तत्सम्बन्धी एक मन्त्री की नियुक्ति करने का अधिकार है। उन्हें न्यायालय द्वारा दरह प्राप्त व्यक्ति को द्वारा आदि की तथा दस्तावेजों के निलम्बन, परिवार या कम करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। वे राज्य के विधानमण्डल की बैठक बुलाते और उनका समावसान (Prorogue) करते हैं। विधान-सभा को वह भग कर सकते हैं। राज्य के विधान-मण्डल से पारित किए हुए विधेयकों पर वे अपनी स्वीकृति देते हैं और कभी कभी ऐसे विधेयकों का वे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी रोक लेते हैं। अपने अभिभाषण (Address) के साथ ये किंतु विधेयकों की विधान मण्डल के पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। अधिवेशन न होने की दशा में ये अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। उनकी सिफारिश के बिना कर सम्बन्धी अध्यवा अनुदानों की माग-सम्बन्धी काई प्रस्ताव विधान-मण्डल के सामने नहीं रखा जा सकता। इसी प्रकार कोई धन विधेयक भी उनकी अनुमति के बगैर आरम्भ नहीं किया जा सकता।

गवर्नर को यह भी देखना पड़ता है कि सघ-सरकार द्वारा जारी किये हुए सभी आदेश और निर्देशों का उनके राज्य शासन में पालन किया जा रहा है। राष्ट्रपति राज्यपाल को उन बातों में भी अधिकार दे सकते हैं जिन पर संविधान में प्रकाश नहीं ढाला गया।

यह स्थान रखने के योग्य है कि नये संविधान ने गवर्नर को उतने अधिकार नहीं दिये जितने कि उन्हें १६३५ ई० के ऐकट के द्वारा दिये गये थे। स्वविवेक और विशेष उत्तरदायित्व-सम्बन्धी, शक्तियाँ जो १६३५ ई० के ऐकट की बहुत बड़ी विशेषताएँ थीं, नये संविधान से वे बिल्कुल हटा दी गई हैं। आजकल राज्यपाल राज्य का संविधानीय प्रमुख है। वह राज्य का प्रशासन तो नहीं कर सकते, परन्तु इस पर काफी प्रभाव ढाल सकते हैं।

यहाँ यह सकेत करना असगत न हागा कि हमारे देश में एक परमरा चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि राज्यपाल उमी राज्य का निवासी न होना चाहिए जिसमें वह पद ग्रहण करे। हमारे राज्य, उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्री होमी मोदी बर्बाद राज्य के निवासी हैं और हमारे राज्य के निवासी एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ डा० कैलाशनाथ काठ्यू बगाल के राज्यपाल हैं और सर गहराऊर्ड, बर्मदूर राज्य के।

मन्त्रि परिषद—संविधान में राज्यों के लिए भी उसी प्रकार की सरकार की कल्पना की गई है, जैसी कि सघ के लिए। राज्य के गवर्नर को भवणा देने के लिए भवित्व-परिषद बनाने की योजना रखी गई है जिसका प्रधान मुख्य-मन्त्री होगा। उन विषयों के अतिरिक्त जो कि राज्यपाल के स्वविवेक पर छोड़े गये हैं सभी मामलों में

मत्रियों का परामर्श आवश्यक है। यद्यपि आसाम के गवर्नर का होड़कर किसी भी गवर्नर के लिए सविधान में स्वयिक शक्तियों का उल्लेख नहीं है, पर भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, जिनमें यह आशा की जा सकती है कि गवर्नर मत्रियों के परामर्श के बिना ही कार्य करेंगे। उदाहरणार्थ उस समय जबकि उन्हें राष्ट्रपति के निदेशन से कार्य करना पड़ता है। सविधान के बनानेपालों का बदाचित यह विचार था कि राज्यपाल को राज्य का सविधानीय प्रमुख बनाया जाय जा उत्तरदायी मत्रियों के परामर्श से कार्य करे। शायद यही कारण है कि उनका जनता द्वारा छुनाव न कराया जाकर राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति होगी।

मत्रियों की नियुक्ति का राज्य में भी वही तरीका होगा जो कि केन्द्र में, इसलिए इसे यहाँ 'चौप में ही बर्षन किया जायेगा। राज्यपाल विधान सभा में से बहुमत प्राप्त दल के नेता वो मुख्य मंत्री बनाते हैं। मुख्य मंत्री द्वारा अन्य मत्रियों की नामांगली तैयार की जाती है, जिसे राज्यपाल स्वीकृति देते। हैं मंत्री लाग तभी तक पद पर रह सकते हैं जब तक कि गवर्नर चाहे। परन्तु चूंकि ये लाग सामूहिक रूप से राज्य की विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, इसलिए इन्हें उस समय तक पद से नहीं हटाया जाता, जब तक कि उन्हें असेमली का विश्रम (Confidence) प्राप्त है। जिस मनिम दल के पीछे विधान सभा के सदस्यों का बहुमत होता है उसको साधारणतया गवर्नर पद से नहीं हटा सकते। जो मंत्री नियुक्ति के समय विधान मण्डल के किसी सदन के भी सदस्य न हो उन्हें छु मास के भीतर भीतर किसी भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए। राज्य का विधान-मण्डल मत्रियों के बेतन और भत्ते तै करेगा।

राज्य के मनिमदल के उसी प्रकार के बृत्य और अधिकार होंगे जैसे वि कोन्फ्रीय मनिमदल के वह विभाग पद्धति (Portfolio System) पर कार्य करता है। प्रत्येक मंत्री का राज्य के एक या अधिक विभागों के ऊपर देखरेप के लिए रख दिया जाता है, जिनके सुसचालन के लिए वह विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सभी मत्रियों को पदप्रदण करते समय गोपनीयता की शरण लेनी पड़ती है। जिन यद्यों में यिद्युद्धी जातियों नियास करती हैं उनमें इन जातियों के विकास के लिए एक पृथक् मंत्री रख दिया जाता है। इस प्रकार के राज्य सविधान के अनुसार अप्रलियित हैं—यिद्यु, उडीसा और मण्डपदश। इस स्थान पर उत्तरपदश के मनिम दल के सदस्यों और उनके अधीनस्थ विभागों का नाम देना, असंगत न होगा।

भी गोविन्द यह्लम पन — (मुद्रा मंत्री) सामान्य प्रशासन, न्याय और खजना।

भी समूर्यानन्द — यिद्या, भम और वित्त।

भी हफिज मुहम्मद इब्राहीम — सचार-साधन।

श्री हुकमसिंह—	माल और वन विभाग ।
श्री निशार अहमद शेखोनी—	कृषि और पशु विभाग ।
श्री आत्माराम गाँविंद खेर—	स्थानीय शासन ।
श्री चन्द्रभानु गुप्त—	स्थास्थ और रमद ।
श्री लालचन्द्र शाही—	पुलेम अंड याताबाज़ ।
श्री कशबदेव मालवीय—	बदान आर उद्योग ।
श्री गिरधारी जाल—	आपत्तरी, जन, राजस्ती और स्थान ।

इन में से कुछ मिया की सहायता इलए सचिव रख गए हैं। यद्यपि संविधान में इस प्रधार क पद का कोइ उल्लेख नहा ह, परन्तु राज्य के विधानसभाल को स्वनार्थित नियमों के द्वारा इस प्रधार क पदाधिकारी रखने की आज्ञा निरूप है। उत्तरप्रदेश में मुरथ मन्त्री जी सहायता के लिए तान साचन हैं आर दूसरे अन्य मंत्री प्राय एक एक सचिव रखते हैं।

मुरथ मन्त्री के कर्त्तव्य — संविधान में मुरथ मंत्री के निम्नांकित कर्त्तव्यों का उल्लेख है —

(अ) राज्यपाल को उन सभी निर्णयों के बारे में साचन ऊरना जो मनिपरिषद् ने प्रशासन और विधान के सम्बन्ध में किये हा ।

(ब) प्रशासन सम्बन्धी द्वारा प्रस्तावित विधेयका के सम्बन्ध में वह सूचनाएँ दना जो कि राज्यपाल समयन्समय पर मांगे ।

(स) मनिपरिषद् के पिचार विर्माण के लिए ऐसे मामला का रखना जिन पर किसी एक मंत्री ने स्वेच्छा से निर्णय ले लिया है ।

इसमें दो बातें निहित हैं—एक यह है कि मुरथ मंत्री ही राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद् के बीच सचार साधन है। दूसरे, वह मंत्रि म डल का प्रमुख है जैसा कि उसके नाम से ही विदित है। इसी का यह भी अभिप्राय है कि गवर्नर के प्रशासन तथा प्रस्तावित विधेयकों के विषय में सब तरफ की सूचना पाने वा अधिकार है। उन्हे सलाह और मन्त्रणा देने का भी अधिकार है।

जो बाते राष्ट्रसति और बैन्द्रीय मनिपरिषद् के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में कही गई थी, गर्व वे ही, गर्व के, राष्ट्रपति और यन्मिम डल पर लागू हैं। राज्यपाल के बालविक सत्ता मन्त्रियों के हाथ में हैं यद्यपि राज्यपाल के हाथ में कोई वालविक सत्ता नहीं फिर भी यदि वह एक योग्य धर्मि है तो शासन प्रबन्ध में वास्त्री प्रभाव डाल सकता है।

महारितका—संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवना की नियुक्ति का भी निर्देश है। उसकी नियुक्ति राज्य के गवर्नर करते हैं और इस पद पर नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के न्यायधीश की योग्यता होनी चाहिए। उसका वेतन भी राज्यपाल ही निश्चिन्य करते हैं। उसका कर्तव्य कानूनी विषया में राज्य की सरकार का परामर्श देना और इसी प्रकार के बेकानूनी कार्य करने हैं जो गवर्नर द्वारा उनके लिए निश्चित है।

भाग (ग) के राज्यों की कार्य गलिका —संविधान की प्रथम अनुसूचा के भाग (ग) में सम्मिलित राज्यों के प्रमुखा ना राज्यपाल के बजाय राजप्रमुख कहा गया है। इनकी नियुक्तियाँ उस समझौते के आधार पर की गई हैं ना कि भारत सरकार और रियासती संघ के बीच हुआ है। इसी समझौते के आधार पर इन लागों के वेतन नियत किये गये हैं। राजप्रमुख का मन्त्रणा और पहायता दने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मन्त्रिपरिषद् होगा। चूंकि इन रियासतों में पहले से शासन की कोई परम्परा न थी और नूँ कि प्रजातन्त्रात्मक शासन का एक दम स्थापित नहीं होया जा सकता इसलिए संविधान में इस प्रकार का निर्देश है कि दस वर्ष तक या जब तक ससद निर्णय करे, तर तक इन राज्यों नी सरकारों का यातन सरकार की सामान्य देश रेख में शासन कार्य करना पड़ेगा। इन राज्यों में विधान-मंडल का बाबनूद भी इन की सरकारों का राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार के आदेशों का पालन न करना सावधान का अंतिम रूप समझा जायेगा।

शपनी विशेष स्थिति के बारण जम्मू काश्मीर राज्य के साथ कुछ दूसरी प्रकार ना व्यवहार होया जायेगा। ऐसे राज्य के बारे में केंद्रीय सरकार का क्षेत्राधिकार संघसूची और समरती सूची के उन्हीं विषया तक भीमित है जो समिजन विलोए द्वारा निश्चित हो चुके हैं।

भाग (ग) में दिये हुए राज्यों में प्रजातन्त्र स्थापित न होगा। इनका राष्ट्रपति चीफ कमिशनर या लैफ्रीनेंट गवर्नर की सहायता से प्रशासित करेंगे जो उन्हीं के द्वाय मनानीत किये जायेंगे। संविधान में इन प्रदेशों के लिए मन्त्रिपरिषद् का आप्राप्तन नहीं है, परन्तु ससद को यह अधिकार है कि जब भी उचित समझे, तभी इनके लिए मन्त्रिपरिषद् की स्वीकृति द दे। इन प्रदेशों में भी उत्तरदायी शासन स्थापित किया जायेगा, परन्तु धीरे धीरे।

राज्य का विधान मण्डल —भाग (क) के भी राज्यों में एक ही प्रकार के विधानमण्डल नहीं हैं। मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी बंगाल और विहार के छ राज्यों में द्विआगारिक विधानमण्डल हैं, जिनमें विधान-परिषद् और विधानसभा सम्मिलित हैं। शेष तीन राज्य—आसाम, मध्यप्रदेश और उड़ीसा में

विधान-सभा नामी केवल एक ही सदन होगा। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल विधान-मन्डल का अधिन्दित अंग है।

कुछ प्रान्तों में द्विआगारिक विधान-मन्डल में हमारे सविधान १६३५ ई० के गवर्नरमेंट आफ इन्डिया एक्ट के चरण निन्हों पर चला है। उस समय राज्यीय लोक मत प्रान्तों में ऊपर के सदन के प्रस्थानन का विरोध कर रहा था। आज यह अजीव सा दिलाई पड़ सकता है कि हमारी सविधान सभा ने छः राज्यों के लिए दूसरे सदनों की स्वीकृति क्यों दी? सम्भवतः इसके निम्नलिखित कारण हैं :—

(१) सबार के सभी देशों ने दूसरे सदनों की उपर्योगिता को इसलिए स्वीकार किया है कि इनमें ऐसे सभी विधेयकों पर शान्त भावना से सम्बद्ध विचार रिया जाता है, जो विधान-सभा ने शीघ्रता में पारित कर दिये हैं। दूसरे, इन सदनों में एक विधेयक पर दोबारा विचार करने से जनता को भी अपनी धारणा प्रकट करने का अवकाश मिल जाता है। तीसरे, इन विधान-परिषदों में प्रायः ऐसे विधेयक प्रारम्भ किये जाते हैं, जो विवादप्रस्त न हो।

(२) राज्यों की इन विधान परिषदों का सविधान के द्वारा बहुत सीमित अधिकार दिये गये हैं; कानून बनाने में इनका कम महत्व है और धन सम्बन्धी विषयों में तो इन्हें कुछ भी शक्ति नहीं दी गई। इसलिये विधान-सभाओं द्वारा जो लोकमत का प्रतिनिधित्व होता है, उसमें ये वाधक नहीं बन सकती।

(३) दूसरे आगार केवल प्रयोग के उद्देश्य से ही आरम्भ किये गये हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा उपरिधित होकर मत देनेवाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से इस विषय का प्रस्ताव स्वीकार करे कि उस राज्य में विधान परिषद् की आवश्यकता नहीं है तो सबदू एक विधि द्वारा उस राज्य से विधान परिषद् का अन्त कर सकती है। इसी रीति से सबदू एक सभावाले राज्यों में दूसरे सदन बनाने की स्वीकृति दे सकती है।

(४) अन्तिम बात यह कही जा सकती है कि सविधान में विधान-परिषद् के बनाने के बारे में जो सुझाव रखा गया है उस प्रणाली से भिन्न है जो पहले प्रचलित थी। विधान की रचना की जो विधि नये सविधान में अपनाई गई है उसके द्वारा इसमें योग्य और अनुभवी सदस्यों के निर्वाचित होने की अधिक सम्भावना है। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि वे इस के बाद विवाद और पर्यालोचन को अधिक सफल बनायेंगे।

विधान सभा—केन्द्रीय लोक सभा की भौति प्रत्येक राज्य वी विधान सभा का निर्वाचन राज्य के नागरिकों के द्वारा प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर होगा। परिणायित और बन जातियों को छोड़कर इसमें किसी जाति विशेष या हित

लिए जगह निर्धारित नहीं की गई ; परिणामित और बन-जातियों को भी बेवल १० वर्ष के लिए ही यह अधिकार मिला है ।

यदि राजन र महोदय का यह विचार है कि ऐसा इतिहास जाति का असेम्बली में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह इस जाति के कुछ सदस्यों को विधान-सभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं । जातीय और साम्राज्यिक पथव प्रतिनिधित्व का समाप्त करके, १९३५ ई० के ऐकट के अन्तर्गत बनी हुई असेम्बलियों वी एरु सबसे अधिक आपत्तिजनक व्यवस्था का सर्वान्तर कर दिया गया है । राज्यों की विधान सभाओं में कम से कम ६० और अधिक से अधिक ५०० सदस्य हा सकेंगे । सदस्यों की वास्त्रिक सख्त पिछली जन-भाषणों के आधार पर ७५००० व्यक्तियों के पीछे एक प्रति निधि के हिसाब से निश्चित होगी । यह अनुपात आसाम के स्वशासी प्रतेरों और शिलांग की कर्णाटक-मेट्रो और नगरपालिका-क्षेत्रों में प्रयुक्त न की जायेगी, चूंकि यहीं जन सख्ता कम है । नियोंचन-क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करते समय और उनके लिए प्रतिनिधियों की सख्ता निर्धारित करते समय, वह विचार रखा जायेगा कि राज्य के नियोंचन क्षेत्रों में जनता और प्रतिनिधियों का आपसी अनुपात समान हा । राज्य का प्रयोक नागरिक जो २५ वर्ष की अवधि का पार कर चुका है, और वह सब योग्यताएँ रखता है जा समय-समय पर ससद् निश्चित करे, राज्य की विधान सभा के सदस्य बनने का अधिकारी है । पागल, अपराधी, दुष्करारी या दिवालिये आ ऐसे व्यक्ति जो सरकारी नौकर हैं सदस्यता के अधिकारी हैं । अभी तक ससद् ने सदस्यों की अन्य विशेष योग्यताओं का निर्णय नहीं किया है, अभी इस पर विचार किया जा रहा है । साधारणतया राज्य में कुछ वर्ष वा इन आवश्यक समझ जायेगा । विधान-सभा का नियोंचन ५ वर्ष की अवधि के लिए होगा । इन्तु राज्यपाल इसे पहिले भी भग कर सकते हैं । इस सभा का कार्यकाल बेवल आपात में बढ़ाया जा सकता है और यह भी एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं । यदि इस प्रकार सभा का कार्यकाल बढ़ाया गया है तो सकट काल के समाप्त होते ही छ भाषु के भीतर-भीतर सभा का भी विसर्जन हो जाना आवश्यक है ।

विधान-परिषद्—जहाँ वहाँ भी इसे प्रभ्रय मिला है विधान परिषद् राज्य के विधान-भरादल का दूसरा या उपरावाला आगार कहलाता है । इसमें कम से कम चालीस और अधिक से अधिक विधान सभा के सदस्यों की सख्ता के एक नीयाई सदस्य हो सकते हैं । चूंकि इमान राज्य (उत्तरप्रदेश) धनी आदादी याले राज्यों में समिलित है, इसलिए इसमें विधान-सभा के सदस्यों की सख्ता ५०० और विधान-परिषद् के सदस्यों की सख्ता १२५ होगी ।

विधान-परिषद् का अप्रत्यक्ष रूप से नियोंचन होगा और इच्छे सदस्य गिक्किय प्रकार

के होंगे। लगभग एक तिहाई सदस्य निर्वाचन मण्डलों द्वारा चुने जायेंगे। प्रत्येक निर्वाचक मण्डल (Electoral College) में उन सब नगर-पालिकाओं, जिला मण्डलियाँ के सदस्य होंगे जिन्हे सबदू समय समय पर नियत बरे। लगभग इन वें भाग का निर्वाचन ग्रेनेट करेंगे जो कम से कम तीन वर्ष पहिले छिपी ले चुक हों और इन वें भाग का चुनाव हायर सेनेन्टी से ऊपर वी कक्षाओं का पढ़नेवाले अध्यापक करेंगे, जो कम से कम तीन वर्ष उक्त राज्य में शिक्षण कार्य कर चुके हों। एक निहाई सदस्यों ना चुनाव विधान सभा में सदस्य उन लागों में से करेंगे जो कि सभा के सदस्य न हो। शेष स्वानंत्रों के लिए राज्यपाल ऐसे गवियों का मनानीत करेंगे जो साहित्य, कला, सहकारी आनंदोलन और सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान रखते हों।

प्रत्येक नागरिक ३० वर्ष की आयु का पार करते ही परिपद् वा सदस्य बनने का अधिकारी समझा जायेगा, यदि वह अपराध, दिवालियापन यादि के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जाता विधान परिपद् एक स्थायी संस्था है और प्रत्येक दो वर्ष के बाद इस के एक तिहाई सदस्य पद छोड़ते रहेंगे इसका यह अभिभाष्य हुआ कि विधान-परिपद् के सदस्यों का ६ वर्ष के लिए निर्वाचन होगा। काई व्यक्ति राज्य के दानों सदनों या राज्य के एक सदन और सबदू का एक साथ ही सदस्य नहा हो सकता।

मविधान में प्रथम अनुसूची के भाग (ग) के राज्यों के लिए विधान मण्डलों का उल्लेख नहीं है। इन्हुंने सबदू का यह अधिकार है कि इनमें से किसी राज्य में भी विधान मण्डल का निमाण करें, जिसमें कुछ मनानीत और कुछ निर्वाचित सदस्य हों।

राज्य के विधान मण्डल के अधिकार—सविधान में, राज्य के विधान मण्डल के अधिकारेशन, इसके पदाधिकारी, गवर्नर वा सदनों को सम्बोधन करने और सदैश भेजने का अधिकार—इन वातों के उपवन्ध उसी प्रसार के हैं जैसे कि हम सबदू के सम्बन्ध में वर्णन कर आये हैं। राज्य के विधान मण्डल के सदनों के वर्ष में कम से कम दो अधिकारेशन होने चाहिए, और पहिले अधिकारेशन भी अन्तिम बैठक और दूसरे अधिकारेशन की पहिली बैठक में ६ मास से अधिक अवकाश न होना चाहिये। राज्यपाल बैठकों को ऐसे स्थान और समय पर करते हैं जो वह उचित समझे। वह इनमा समावसान (Porogue) भर सकते हैं और ५ वर्ष की अवधि से पहिले ही विधान सभा को भग कर सकते हैं। प्रत्येक अधिकारेशन के आरम्भ में गवर्नर महोदय भाषण देते हैं और बीच बीच में भी वह भाषण दे सकते हैं। इन अधिकारों पर वह मदस्यों का उपरिथित होना अनिवार्य कर सकते हैं। किसी विधेयक पर शीघ्र निर्णय करने के लिए ये सदनों में अपना अभिभाषण भेज सकते हैं। प्रत्येक मन्त्री और भाषा अधिकारों को किसी भी सदन में अपने विचार प्रकट करने और

उसी नार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, चाहे उसे सदस्य हो या न हो, परन्तु वे बाद तभी दे सकते हैं यदि इसके सदस्य भी हो।

विधान सभा ग्रन्ते ही सदस्यों ने से एक अंगत का नियन्त्रण, वैठानों पर सभा परिवर्तन और इस पद से सम्बन्धित ग्रन्थ सभी कार्यवाहियों वा सचालन वर्तने के लिए करेगी। साथ ही एक उपाध्यक्ष का अध्यक्ष वै अनुरूपित में इनका कार्य करने के लिये चुन लिया जायेगा। इसी प्रसार विधान-मरणदं भा (जहाँ नहीं हो) ग्रन्ते सभापति और उप सभापति का नियन्त्रण करेगी। यह सभी पदाधिकारी ग्रन्ते पद रिक्त कर देंगे यदि वे सदनों के सदस्य नहीं रहते। वीच में भी ये अपनी दस्ता से पद द्याग देंगे यदि वे सदनों के सदस्य नहीं रहते। जब नभी इनका पद से दूरने वर सकते हैं, सदन भी उन्हें पदच्युत कर सकता है। जब नभी इनका पद से दूरने के लिये प्रलाप पर बाद विदाद हो रहा हो उस समय सम्बन्धित व्याकृत सभापतित न कर सकेंगे परन्तु उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेनेर अथवा दिर्घि समय करने का अधिकार होगा। इस प्रसार के प्रस्तावों के लिये वर्ष से वर्ष १४ दिन का नाटिम मिलना चाहिए। अथवा, उपाध्यक्ष, सभापति और उप-सभापति को वेतन और भवे मिलेंगे जा चाहिए। अथवा, उपाध्यक्ष, सभापति के द्वारा नियन्त्रित करे। सभाध्यक्ष की शक्तियाँ और उनके पद के द्वितीय तथा महात्म्य के बारे में पहिले ही विवरण आ चुना है। अन उनके पद के द्वितीय तथा महात्म्य के बारे में पहिले ही विवरण आ चुना है। अन

यदौ दोहराने नी आमरक्षता नहीं।

संविधान द्वारा निर्धारित विधियों को छाड़कर सभी प्रश्नों वा उपस्थित हाकर मन देने वाले सदस्यों के बहुमत से तैयार जायेगा। यही नियम दोनों सदनों के सुनुक देने वाले सदस्यों के बहुमत से तैयार जायेगा। ग्रन्थकार या सभापति का मन देने का अधिकार नहीं है परन्तु मनों के सतुलन (tie) की ग्रन्थस्था में उन्हें नियोगकर्ता मन देने का अधिकार है। विसी वैठक का बोस्मपूर्ण होने के लिए १० सदस्य या कुल सदस्यों का दस या भाग, इन दोनों में से ज्ञामी नहीं सहजा हो, उपस्थित होने चाहिए यज्य के विधान-मरडल में उच्च अथवा उच्चतम न्यायाधीश वे कार्य के विषय में कोई याद विदाद न होगा। यह यकीनी कार्यवाही उसी राज्य की प्रादर्शिक भाग, हिन्दी वा अंगरेजी में होगी।

विधान-मरडल के सभी सदस्यों को संविधान के प्रति निष्ठा (Allegiance) और अपने पद के वर्चयों का पालन करने की शरप्त लेना पड़ती है। उन्हें यादृ स्वातन्त्र्य का अधिकार और ने सभ सुविधाएँ प्राप्त हैं जो इसके अन्य देशों में है। उनका वेतन और भवे विधान-मरडल, विधि के द्वारा नियन्त्रित करेगा। वोई सदस्य अपने पद का त्याग करने के लिए अपने इलाक्षण्यों का प्राप्तना पर अध्यक्ष या सभापति के पास भेजेगा। यदि वोई सदस्य, मिना आज्ञा लिए, सदन की वैठानों से लगानार ६० दिन के लिए अनुरूपित है, उनके इनी वैतनिक पद को स्वीकार

कर लेता है, किसी दूसरे राज्य का नागरिक बन जाता है या पागल अथवा दिवालिया हो जाता है तो उनकी जगह रिक्त घोषित कर दी जायेगी।

विधान प्रक्रिया —कोई भी अधिनियम तब तक विधि नहीं बन सकता जब तक उसे दोनों सदन पारित न कर दें और गवर्नर उसे स्वीकृति न दें। जहाँ जहाँ केवल एक ही सदन है वहाँ प्रक्रिया-सम्बन्धी कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती। किसी शाही हस्तांत्रिके दिना सदन का अपने कार्य-सचालन की प्रतिया निश्चित करने का अधिकार है। यह आशा की जाती है कि प्रत्येक विधान सभा वही प्रणाली अपनाएगी जो कि इंग्लैण्ड में प्रचलित है। इसके अनुसार एक विधेयक को पांच अवस्थाओं से अर्थात् प्रथम पठन, द्वितीय पठन, कमिटी स्टेज, रिपोर्ट स्टेज, और तृतीय पठन की अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। वही प्रणाली १८३५ के ऐट के अन्तर्गत भी अपनाई गई थी। प्रतिया का समस्या उस समय सामने आती है जब विधान मण्डल द्विआगारिक हो। केन्द्रीय व्यवस्था के बारे में हमें वह शात हो जुका है कि सिद्धान्त में लोकसभा और राज्य परिषद् का समान दर्जा है। कोई भी विधेयक उस समय तक स्वीकृति के लिये नहीं रखा जा सकता जब तक कि एक ही रूप में उसे सदूँ के दोनों सदन पारित न कर दें। परन्तु राज्यों में विधानमण्डलों के दोनों सदनों का बराबर का दर्जा स्थीकार नहीं किया गया। वही विधान परिषदों का सभाओं की अपेक्षा, बानून बनाने में, छोटा दर्जा है। पहिली बात—विधान परिषद् में कोई धन विधेयक आरम्भ नहीं किया जा सकता ऐसे विधेयक विधान सभा में ही प्रारम्भ किये जा सकते हैं। केवल इसी बात से हम विधान-परिषद् को अधीन नहीं कह सकते, वह पढ़ती तो प्रायः सभी देरों में इसी प्रकार की है। वहाँ भी दूसरे सदन की धन विधेयकों के आरम्भ करने का अधिकार नहीं दिया जाता। दूसरे, सविधान में इस प्रकार का निर्देश है कि विधान सभा से पास होने के बाद एक साधारण विधेयक विधान परिषद् में जाना चाहिए। यदि ऐसा विधेयक परिषद् द्वारा अस्वीकार कर दिया जाय, या वहाँ तीन महीने के भीतर वह पारित न हो, या ऐसे संशोधनों के साथ पारित हो जिनसे असेम्बली सहमत नहीं है और दोवारा असेम्बली उस पर विचार कर नुकती है तो वह विधेयक गवर्नर की स्वीकृति के लिए पेश कर दिया जायेगा। दूसरे शब्दों में, साधारण विधेयकों के बारे में अन्तिम निर्णय विधान सभा को ही सौंप दिया गया है—विधान-परिषद् को उसके समान शक्तियाँ नहीं हैं। यह तो केवल इतना ही कर सकती है कि विधान परिषद् को किसी विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिये बाध्य करदें, यह अपने हस्तिकोण को असेम्बली के ऊपर खोने नहीं सकती। इस प्रकार विधान-परिषद् एक पुनर्विचार करनेवाला और विधेयकों को पारित होने में देरी लगानेवाला सदन है।

केन्द्र में लोकसभा के मुकाबले में राज्य परिषद् की जो स्थिति है, राज्यों में विधान सभा के मुकाबले में विधान परिषद् की उससे भी कहीं कमज़ोर स्थिति है। यद्यपि विधान परिषद् में भी साधारण विधेयकों को आरम्भ किया जा सकता है परन्तु सभी महाराजाली विल पहले असेम्बली में ही रखे जाते हैं।

धनविधेयक सम्बन्धी विशेष प्रक्रिया—कोई विधेयक उस समय धनविधेयक बद्दलाता है जबकि उसके द्वारा कोई कर लगाया जाय, रद कर दिया जाय या घटाया जाय या उधार लेने पर नियन्त्रण करने अथवा 'संक्षिप्त निधि' में रूपया जमा करने या निकालने इत्यादि से समन्वित हो। इस प्रकार का विधेयक विधान सभा में ही आरम्भ किया जा सकता है। इसके द्वारा पास किये जाने के पश्चात् इसे विधान आरम्भ किया जा सकता है। इसके द्वारा पास किये जाने के पश्चात् इसे विधान परिषद् के सामने रख दिया जाता है जहाँ से यह १४ दिन के भीतर ही परिषद् की सिफारिशों के साथ विधान सभा में लौट आना चाहिए। यह सभा की मर्ज़ी है कि वह इन सिफारिशों को स्वीकार करे या न करे। यदि यह परिषद् भी सिफारिशों को मान लेती है तो संशोधित विधेयक दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत समझा जाता है। यदि सभा संशोधनों को स्वीकार करे तो वह विधेयक उसी रूप में दोनों सभाओं द्वारा पारित सभासभा जायेगा जिसमें असेम्बली ने उसे मेजा था। तत्पश्चात् विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति के लिये रख दिया जाता है। इस प्रकार विधान परिषद् को धन विधेयकों के सम्बन्ध में कोई शक्ति नहीं दी गई। यह तो बेवल उनके ऊपर बाद-विधाद कर के सम्बन्ध में कोई शक्ति नहीं दी गई। यह तो बेवल उनके ऊपर बाद-विधाद कर के सकती है परन्तु सभा के निर्णयों को बदलने, संशोधित करने या रद करने का इसे सीमित अधिकार नहीं है। इसी प्रकार साधारण विधेयकों के बारे में भी परिषद् के कोई अधिकार नहीं है।

विधेयकों की स्वीकृति—उपरोक्त रीति द्वारा पारित किये हुए विधेयकों को अन्त में राज्यपाल वी स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। अथवा उसे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए रख लेते हैं। इसी साधारण विधेयक को गवर्नर महोदय अपने भाग्य के साथ विधानमण्डल को पुनर्विचार के लिये भेज सकते हैं। यह पुनर्विचार बेवल गवर्नर द्वारा उत्तराधिकार संशोधनों के ऊपर ही किया जायगा दोना सदन राज्यपाल के सुभर्यों पर तो पुनर्विचार तो अन्तर्य करेंगे परन्तु वे इन संशोधनों को मानने के लिए बाप्प यह तो पुनर्विचार तो अन्तर्य करेंगे परन्तु वे इन संशोधनों को मानने के लिए बाप्प यह को पारित कर देते हैं, तो गवर्नर उत्तर अपनी स्वीकृति देने से इन्हाँ न करेंगे। यदि गवर्नर महोदय का यह विचार है कि कोई विधेयक पास किये जाने पर उच्चन्यायालय वी शक्तियों में कमी बरेगा तो वह ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति वी स्वीकृति के लिये रोक लेंगे। राष्ट्रपति इसे स्वीकृति दे सकते हैं या इकार कर सकते हैं।

यदि कोई साधारण विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये रोक लिया गया है तो वे राज्यपाल को इस विषय का आदेश दे सकते हैं कि विधेयक को सदनों में उल्लिखन संशोधनों के ऊपर पुनर्विचार के लिये लौटा दिया जाये। सदनों में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। इस बार यदि संशोधनों का मानकर या न मानकर ये सदन विधेयक का पारित कर देते हैं तो पिर इस राष्ट्रपति की स्वीकृति न हिते सज्ज दिया जायेगा।

ब्रिटिश सम्राट् का न^o अधिनार है 'क' वे ब्रिटिश सम्राट् द्वारा पारित नहीं हुए तिनी विधेयक पर स्वीकृत दने से दकार रख सकते हैं। परंतु वे वभी इस शक्ति का प्रयोग नहीं करते चूंकि वह समृद्ध शासन का मिडान्ता का विपरीत है। यह वभी हमें देखना चाही है कि भारत ने राज्यपाल अपनी इस शक्ति का विस प्रनार प्रयाग करगा। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि राज्यपाल विधेयकों को बहुत कम दशाओं में अस्थीकृत रूप से केवल आपात् में ही ऐसे अपसर आ सकते हैं। सामान्य काल में इस आधिकार के प्रयोग से राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न होने का खतरा है।

पित्तीय पिपयों में प्रक्रिया —पित्तीय विषया के संघ में केंद्र और राज्यों को मूलरूप से एक प्रकार की प्रक्रिया ही बरती जायेगी। यह राज्यपाल का कर्तव्य होगा कि पित्तीय वार्तिक विवरण तैयार कराये जिसमें राष्ट्र की आगामी शर्ष की अनु मनित आवश्यकता और व्यय का व्यौदय हो। यह व्यौदय राष्ट्र के विधान मण्डल के समझ रखा जायेगा। अन्यान्य पत्र में व्यय के नारे में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होना चाहिए। (१) वे धन राशियाँ जो सचित निधि पर व्यय के रूप में भारित हैं (१) ग्रार वे अन्य व्यय जिनका सचित निधि पर भारित करने का प्रस्ताव विधान सभा ने स्वीकृत रख लिया है। यह जानना आवश्यक है कि कौन सा व्यय सचित निधि पर भारत है और कौन सा नहा है। सविधान में सचित निधिपर भारित व्यय की निम्नलिखित भद्र का उल्लेख है —

(क) राज्यपाल नी उपर्याख्याँ और मन्त्रे तथा उनके पद से मन्त्रित अव्यय,

(ख) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, विधान परिषद् के सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते,

(ग) ऐसे व्यूह भार जिनका दायित्व राष्ट्र पर है।

(घ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते विषयक व्यय।

(ङ) किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के नियम, आशासित या पचाट + के भुगतान के लिये आपेक्षित कार्ड राशियाँ।

* Degree

+ Award

(च) और कोई अन्य व्यय जो संविधान या संसद् द्वारा इस श्रेणी में रखा जाये ।

इस प्रकार के भारित व्यय पर संविधान मण्डल में बाद विवाद तो हो सकता है परन्तु उस पर मत गणना नहीं कराई जाती । और सभी खर्च मतदेय (Votable) है । दूसरी श्रेणी में आने वाले अनुमान अर्थात् जिसके ऊपर संविधानमण्डल की स्वीकृति ली जाती है विधान सभा ने समन्वय अनुदानों की मात्रा के लिए मतदेय दिये जाने हैं । बाद विभाग के पश्चात् संविधान सभा द्वारा स्वीकृत नहीं करनी है उसे राम नारके स्वीकृत कर सकती है या निलूल अधीकार द्वारा सकती है । परन्तु यह इस दूर में छूट नहीं द्वारा सकती और न इसे एक मद से दूसरी मद में बदल सकती है । अनुदान की कार्रवाई तर तर नहीं सकती जो सकती जब तक राज्यपाल इस विधाय की मिरारिया न करें । इसका यह अभिप्राय है कि संविधानमण्डल के साधारण सदस्यों का नये खर्च का प्रस्ताव रखने की आज्ञा नहीं है, यह तो नेपल सरकार का ही अधिकार है ।

संविधान सभा की स्वीकृत मार्गों के आधार पर एक विनियोग विभेद (Appropriation Bill) ठेकार करके सभा के सामने रखा जायेगा । संविधानमण्डल का बारं सदन इस विभेद में कार्रवाई विभाग नहीं कर सकता । यह विभेद एक अनेकम निर्णय है जिसके अनुसार राज्य की मनित निधि में से किसी भी नियमाला जा सकता है । परंतु विनियोग विभेद का निर्दिष्ट धन राज्य से किसी विशेष मेहमान के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है तो राज्य पाल का अनुपूरक, या अधिकारी अनुदानों का अनुपूरक विज्ञापन विवरण (Supplementary Financial Statement) दे रख में रामनाने का अधिकार है ।

केन्द्रीय लान सभा की माँत राज्य की विधान सभा भी लेगानुदान (Votes on Account) प्राप्तानुदान (Votes on credit) और असाधारण मात्र स्वीकृत कर सकती है । लेगानुदान एक ऐसा अनुदान है जो यह वर्ती प्रक्रिया के दूर्घट हाने से पहिले ही विधान मण्डल द्वारा दिया जाय । यह एक अनुमानित व्यय से सम्बन्धित है जो कि बिलोर वर के दूर मात्रा के लिये है । लेगानुदान का स्वीकृत करने से संविधान मण्डल का यह मुख्या हा जानी है कि यह नये वर के शुरू हाने से बाद तर अनुदान की मार्गों पर विनार विर्ग और बाद विवाद कर सकता है । पुरानी पढ़ति के अनुसार अधिक वर्ष के आरम्भ होने से पहिले ही बड़ा अधीकार करा लेना पड़ता था । नई प्रणाली का अनुसार ने इस दान की आनंदतत्त्वा नहीं रखी ।

प्रगतिशान ऐसी मार्गों को दूर परने के लिए स्वीकृत दिया जाना है जिन की पहिले कल्पना न की जा सकी थी और जिन का विनार दूर्घट वार्दिर वित्त में

उल्लेख नहीं किया गया था। एक असाधारण अनुदान वह होता है जो किसी वित्तीय वर्ष की प्रचलित सेवाओं से सम्बन्ध नहीं रखता।

धन विधेयक—ऐसा विधेयक जो ऐसे मार्गोंगाय (Ways and Means) का निश्चय करे जिसके अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के व्यय के लिए राजस्व एकप्रित करने का तरीका हा धन विधेयक कहलाता है। यह उन निर्णयों के आधार पर बनाया जाता है जो कि विधान सभा कर और महण लेने के बारे में करती है। जैसा कि पहिले ही समझाया जा चुका है कि इस विषय में विधान सभा ही अन्तिम निर्णय करती है, परियद् को ऐसे प्रत्याय को स्वत बदलने या सशोधित करने की शक्ति नहीं है।

विधान मण्डल के प्रत्येक सदन की अपने कार्यसचालन के लिए विधायिनी और वित्तीय प्रक्रिया को निश्चित करने का अधिकार है। जब तक नये नियम न बनाए जायें तब तक पुराने नियमों को ही आवश्यक परिवर्तनों के साथ काम में लाया जायेगा। विधान मण्डल की कार्यवाही प्रादेशिक भाषा, हिन्दी या अंग्रेजी में होगी। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि हमारे राज्य, उत्तर प्रदेश में सभी कार्यवाही हिन्दी में की जाती है।

राज्यपाल की विधायिनी शक्तियाँ—राज्यपाल की अधिकैशनों को बुलाने उन्हे सम्बोधित करने अभिभाषण भेजने आदि राजियों का वथा स्थान वर्णन किया जा चुका है। इन के अतिरिक्त उन्हें अध्यारेश लागू करने का भी अधिकार है। जब विधान मण्डल का अधिकैशन न हो और गवर्नर महोदय को यह विश्वास हो जाये कि परिस्थितियाँ तुरन्त कार्यवाही के लिये बाध्य कर रही हैं तो वे आवश्यक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऐसा अध्यादेश राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना चाहिए और विधान मण्डल की बैठक शुरू होने से छु सप्ताह के बाद उस का प्रभाव शून्य हो जायेगा। छु सप्ताह से पहिले ही इसे गवर्नर बापस ले सकते हैं या विधान मण्डल के सदस्य अस्वीकार कर सकते हैं।

यदि इसी अध्यादेश का ऐसे मामले से सम्बन्ध है जिस के बारे में कोई विधेयक राज्य के विधान मण्डल में दिना राष्ट्रपति की अनुमति के आरम्भ नहीं किया जा सकता या जिस को राष्ट्रपति के विचार करने के लिये रोकना आवश्यक है तो ऐसे अध्यादेश के लागू करने से पहिले राज्यपाल को राष्ट्रपति की हिदायते ले लेना चाहिए।

गवर्नर जो अध्यादेश लागू करने की शक्ति आपात का सामना करने के लिये दो हैं। ये अध्यादेश सासद अधिकार के अधीन हैं चूंकि उन्हें विधान मण्डल के सामने रखना आवश्यक है।

न्यायपालिका—पहिले पृष्ठों में कई बार इस बात का सवेत किया जा चुका है कि हमारे संविधान और दूसरे संघात्मक राज्यों के संविधानों में यह अन्तर है कि यहाँ

दुड़ेरे प्रिशन मर्ल्स और दुहरी कायपलिनाओं के होते हुए भी सरे दश में सम्बन्ध मन्त्रालय न्याय व्यवस्था है। इसीलए हमारे अधिकार में सभ्य दी न्यायगालता की रक्षा और शक्तियों का इस प्रकार से उल्लेख नहीं है जैसा कि कायपलिना और विधानमर्ल्स के बारे में।

तिर मी प्रत्येक राज्य में एक सुनसाटत न्यायगालता है जो इसी सर्वपलिना और प्रिशन मर्ल्स में भिन्न और उथर है। न्यायपालिना में कई प्राचीर र न्यायालय समितियाँ हैं। मर्ल्स ऊपर हाईकोर्ट और उससे नीचे फाजदारी और दीनानी निलों की अदालत हैं। दीनानी मामलों के लिए सभन् द्वारी मुन्नार की प्रदानत और फाजदारी मुन्नार के लिए तीसरी छेत्री के मैनस्ट्रुट ग के न्यायालय हैं। उनमें से किसे जाने वाले मुन्नारों के आधार पर न्यायालय का नीतियों, फाजदारी और माल नीचे प्राचीर की अदालतों में रांग जा सकता है। पर्हिले हम उच्च न्यायालय और तत्त्वज्ञान अधीन न्यायालयों का प्रिवेन दर्शें।

उच्च न्यायालय —प्रिशन में प्रधान गण्ड के लिए एक उच्च न्यायालय का निर्दश है। प्रिशन र आरम्भ संगठने जो उच्च न्यायालय प्रिंसिप्राना में स्थित थे वे अब तन्मानीर गण्ड के उच्च न्यायालय समझ जायें।

ग्रन्थ न्यायालय में एक मुरद न्यायाधीत और उसने अन्य न्यायाधीश बित्ते गण्ड राष्ट्र के सम्मानित समग्र समय पर नियुक्त करे, होते हैं। इमलए प्रत्येक ग्रन्थ में उच्च न्यायालय र न्यायाधीश दी सरका भवन भवन द्वारा। एसी ती व्यवस्था १६३५-२० र गण्ड ग्रन्थ इस्टाया एक गें थी। उसके अनुमार १९५५ पर्हिले प्राचीर के उच्च न्यायालय र न्यायाधीश दी सख्त सर्वानुसार संस्था नन्तर बन्ने थे। इताहार इस्टाया म जान रन १५ लाठी-न्यायाधीश है, जिनमें एक मुरद-न्यायाधीश दन भी न भलत है इनके अन्तरक ५८ लाठी-न्यायाधीश है। १६३५-२० र एक के अन्तर्मान इसी कुल सरका अधक स अधक १२ न इन्हें था। पहली अनुसूत १६४८ का २० ली० र उच्चन्यायालय में १६ न्यायाधीश था।

उच्च न्यायालय के मुरद-न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, उच्चन्याय न्यायालय के मुरद न्यायाधीश, शार सन्दर्भ द्वारा गण्ड के गवर्नर ने प्रधानमंत्री के द्वारा द्यूर न्यायाधीश। यी नियुक्ति में उच्च न्यायालय र मुरद न्यायाधीश का भी प्रधानमंत्री लेना पड़ता। प्रिंसिप्राने राज्य वाल में इनकी नियुक्ति सर्वानुसार संस्था रखते थे। वर्तमन वर्षन्या दी दर्दी नीतिका है कि शार न्यायाधीशों की नियुक्ति में यहूर्जति दा न्याय प्रिंसिप्रानी और राजनीका सहायग लेना पड़ेगा। यह परिवर्तन न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक प्रभाव का दर्शन के लिए दिया गया है। इसका दूरी राजनीतिक वालों का न्यायाधीश का दर्शन करने का है, जो प्रधानमंत्री की नीतिका वे हित अनुभव के

है। इसी ध्येय की आर लेजाने वाले और भी उपर्युक्त हैं। न्यायाधीश ६५ वर्ष तक की अवधि तक पदासीन रहते हैं। इबल राष्ट्रपति ही दो शतां वे मात्र हैं उन्ह पदच्युत कर सकते हैं। पहली शर्त यह है कि वह अयाम्य सिद्ध हो जायें, और दूसरी शर्त यह है कि दाना सदनो ने उनके विलाप प्रस्ताव पास करके भेजा हो। इस प्रमाण का प्रस्ताव दोनो सदनो में पृथक पृथक उपस्थित होनेर मत देने वाले सदस्यो के दा लिहाई वहुमत से पार्त हाना चाहए। उनसी नाकर्या और मत्ते उनके वार्य बाल में कम नही हो सकते आर ये राज्य की साचत निधि पर भारित होगे। अर्थात् उनके उपरिधान मट्टल का मत न लिया जायेगा। राज्य ने विधान मट्टल में इसी उच्च न्याय लय के न्यायाधीश क आचार के ऊपर इसी प्रमाण का वादविनाद नही हा सकता। कानून वा। अपाल के ऊपर यह पावन्दी है कि ऐसे पारित विधेयक का जिससे उच्च न्यायालय की शार्च श्रीर प्राधिकार पर काई उलटा प्रभाव पड़ता हो, राष्ट्रपति के निर्णय के लिये भजद। सेवानवृत्त (Retired) न्यायाधीशो को किसी भी न्यायालय में घरालत करने की आज्ञा नहा है। इस प्रमाण सविधान वे निर्माताश्रो ने सच्चे हृदय से इस बात का प्रयत्न किया है कि न्याय पालको को एक स्वतन्त्र स्थान और सुरक्षा दिये जायें। नागरिको के आधिकार और स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए एक स्वतन्त्र न्याय पालिका आवश्यक है। सविधान वे सरकार के लिए भी इसका महान् महत्व है।

भारत का बोर्ड भी नागरिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के बोध समझ जायेगा यदि वह कम से कम १० वर्ष तक न्याय सम्बन्धी सेवा कर चुका है या कम से कम १० वर्ष तक उच्चन्यायालय का अधिकार रह चुका है। इस प्रमाण ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसने पुरानी आर० सी० ऐस० का स्थान लिया है, के सदस्य इस पद पर नियुक्त नहा हो सकते। १६३५ ई० के ऐक्ट की अपेक्षा इस विधान में यह एक अच्छी बात है कि अब आर० सी० ऐस० के सदस्यो को न्यायाधीश नहा नियुक्त किया जायेगा। पदत्याग करने के लिए न्यायाधीश को राष्ट्रपति के नाम पर प्रार्थनापत्र देना पड़ेगा। उपरोक्त शीति से राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को पदच्युत भी कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधिकारी को (४०००) प्रतिमास और दूसरे न्यायाधीशो को (३५००) प्रतिमास बैतल दिया जायेगा।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार—१६३५ ई० के गवर्नेंट ऑफ इंडिया को हठा बर और नये अधिकार द्वार नये सविधान ने इसके क्षेत्र को और भी अधिक विस्तृत बर दिया। राज्य का स्वेच्छ न्यायालय होने के नाते इसका विशेष काम दीयानी और फौजदारी सुरक्षाओं की अपील सुनना है। बेबल बर्बर्द, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालयो का ही व्यवहार और दरड विषयो मे प्राथमिक क्षेत्राधिकार

है। प्राथमिक न्यायालय होने के नाते वे २०००) से अधिक रकम के दीजानी मुकदमों को ले मनते हैं और दसड़ विषयों में वे प्रेसीटेन्टी भिजिस्ट्रेटों द्वारा मने हुए मुकदमों का पैसला नह सकते हैं। इन तीनों न्यायालयों को ममुद्र में किये हुए अपराधों के सुनने का भी अधिकार है।

सभी उच्च न्यायालयों के केन्द्राधिकार में दीजानी, पौजदारी और वे सभी मुकदमे आते हैं जो इच्छापत्र (Wills), दिवाले, जनपद विवाह (Civil Marriage) और विवह-विच्छेद से सम्बन्धित हैं। १९३५ ई० के ऐकट के अन्तर्गत इसी भी उच्च कार्यालय के प्राथमिक केन्द्राधिकार में राजस्व से सम्बन्धित नार्द विषय या इने दरड़ा करने के बारे में कार्द आदेश भाष्मिल नहीं था। नये संविधान ने वह प्रतिबन्ध इय दिया है।

प्रब्लेम उच्च न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय (Court of Record) है। अधीनस्थ न्यायालयों में इसके निर्णय प्रभागिक माने जाते हैं। अपने अधिकार के लिए यह इसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना उसे दसड़ दे सकता है। संविधान द्वारा निश्चित मूलाधिकारों के लागू रखने के लिए तथा और दूसरे उद्देशों से यह बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश (Mandamus) प्रतिक्रिया (Prohibition) और उद्योग-ज्ञान आदि लेन जारी नह सकता है। वह संविधान वा निर्वाचन (Interpretation) और सख्ताएँ रखता है, और राज्य के विधान-मण्डल के इसी भी अधिनयम का प्रभाव शूल विधिन नह सकता है यदि वह संविधान के उपग्रहों के विरुद्ध हो। प्रत्यक्ष उच्च न्यायालय अपने पुनर्विचार व केन्द्राधिकार में समिलित सभी न्यायालयों का अधीक्षण करता है। वह एक न्यायालय से दूसरे में इसी मुकदमे का नश्ल सकता है, उन न्यायालयों के लिए कार्यप्रणाली और कार्यवाहीयों के नियम भना सकता है, उन वुनका और प्रविधियों के रपने का दग निवारित नह सकता है और उन उपलब्धिया वा स्थिर नह सकता है जो एसे न्यायालय व पदाधिकारियों को तथा इनमें वृत्ति करने वाले न्यायिक दो, अधिकारिया और वरीलों को दी जायगी। यदि उच्चन्यायालय का विश्वास है कि उसके अधीन न्यायालय में रुके हुए इसी मामले में इस संविधान के निर्वाचन वा नार्द साराजन विधि प्रश्न अन्तर्गत है, जिसका निर्धारित होना मामले वा नियमने के लिए आवश्यक है, तो वह उस मामले वा अपने पास भगा लेगा। वह जा ला मामले वा स्वयं नियमा लेगा वा उस विधि प्रश्न वा नियम वरने उस मामले को पहले न्यायालय द्वारा संकेता। उन न्यायालय अगली भारीहारी उच्च न्यायालय के निर्णय को बाज में रखते हुए करेगा।

मह याद राजना चाहिए कि राज्य में उच्च न्यायालय ही भव से बड़ा मुनर्विचायलय है परन्तु वह समान न्यायालय नहीं है। १९३५ ई० के ऐकट के अन्तर्गत इसी अपील

प्रीवी कोसिल की जूडिशियल कमेटी सुनती थी—दीवानी मुकदमों में १५,०००) के अधिक के मामलों पर या उन मामलों पर अपील हा सकती थी जिनमें विधि का काई इसलिए यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय इसी देश के अन्दर है। अब प्रीवी कोमिल का अपील सुनने का अधिकार खत्म हो गया है। अब दीवानी फौजदारी और दूसरे मुकदमों में उच्च न्यायालय की अपील उच्चतम न्यायालय सुनता है। यह भी कहा आवश्यक है कि सदा विधि के द्वारा एक उच्च न्यायालय ने देवाधिकार का क्षेत्र दूसरे राज्यों तक बढ़ा सकती है या उसी राज्य तक सीमत कर सकती है।

उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य ही ओर ध्यान देना आवश्यक है। सेना से सन्दर्भ रखने वाले न्यायालय और न्यायाधिकारण इसके देवाधिकार से बाहर हैं।

अधीन न्यायालय

(क) दण्ड न्यायालय—दण्डन्याय (Criminal Justice) के प्रशासन के लिए एक राज्य को बहुत से क्षेत्रों में विभाजित कर लिया जाता है जिन्हे सेशन्स डीविजन कहते हैं। ये टिवीजन साधारणतया उन जिलों के समरूप हैं जिनमें प्रशासन के सुभीति के लिये राज्य का बॉट लिया जाता है। प्रत्येक सेशन्स विभाग अथवा जिले में एक सेशन्स कोर्ट हाती है जो कि उस क्षेत्र में फौजदारी मुकदमों के लिए सब से बड़ा न्यायालय होता है। सरकार इस न्यायालय ने 'सेशन जज' की नियुक्ति कर सकती है। सेशन्स रार्ट के प्रार्थिक और पुनर्विचार—दानों प्रशासन के अधिकार हैं। वह सब फौजदारी के मुकदमे जा नीचे की अदालतों सुन नहीं सकती इनके पास भेज दिये जाते हैं। इसना विधि द्वारा निर्धारित वडे से बड़ा दण्ड देने का अधिकार है। इसके प्रत्येक मूल्य-दण्ड के निर्णय पर उच्च न्यायालय का प्रमाणीकरण आवश्यक है। सैशन्स रोट्ट में इस के अधीन दण्ड न्यायालय के निर्णयों के तिलाप श्रेणी आती है।

सेशन्स रार्ट के अधीन जिले के मजिस्ट्रेटों के न्यायालय होते हैं। यह तीन श्रेणी के होते हैं। एक प्रथम श्रेणी के दण्डाधीश (Magistrate) को दा वर्प तक री सजा और १०००) तक जुर्माना करने का हक है। यदि जिलाधीश से लिसित आचा मिल जाये तो वह निचली अदालतों की अपील सुन सकता है। दूसरी श्रेणी के दण्डाधीश ६ मास तक वी सजा और २००) तक जुर्माना कर सकते हैं। तीसरी श्रेणी के दण्डाधीश रो १ महीने की जेल और ५०) तक जुर्माना करने की शक्ति दी गई है। दूसरी और तीसरी श्रेणी के दण्डाधीशों को पुनर्विचार का अधिकार नहीं है। प्रत्येक न्यायालय के क्षेत्राधिकार की परामाण्डा नियत होती हैं जिन मामलों के तैयार करने का इन्हें अधिकार नहा होता वे सेशन्स कोर्ट का भेज दिये जाते हैं।

प्रत्येक जिले के जिलाधीश का प्रथम श्रेणी के दस्तावधीश की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसी कारण उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से वे दूसरे मजिस्ट्रेट के काम की दस्तऐवं नहीं हैं और उनमें कार्य वितरण करते हैं। केवल कुछ निर्धारित विषयों के अतिरिक्त जिलाधीश तथा ग्राम दूसरे दस्तावधीश किसी विषय में सेशन्स जज के अधीन नहीं है। प्रेसीडेंसी गवर्नर (कलकत्ता, वर्मद्वारा और मद्रास) में प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट्स हैं और वहें गवर्नरों में भगवर दस्तावधीश (City Magistrate) होते हैं जो कि फौजदारी मुकदमों ता केसला बरने और सेशन्स कोर्ट तथा हाईकोर्ट का अधिक मन्त्र्यपूर्ण मामलों को संपन्ने का नाम करते हैं।

इन श्रेणी के दैनिक दस्तावधीशों के साथ ग्रैटेनिक दस्तावधीश भी रखे जाते हैं। उनमें भी प्रथम, द्वितीय ग्राम तृतीय श्रेणीय हैं। उनके पास मामूली मुकदमे में जाते हैं और वे “ईच” के रूप में अर्थात् दो या तीन इकड़े बैठकर कार्य करते हैं। उनकी नियुक्ति प्रान्तीय सरकार द्वारा है। प्रान्तीय सरकार निमी भी व्यक्ति को प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के दस्तावधीशों के अधिकार सेवा मन्त्री है। ऐसा व्यक्ति सैशल मजिस्ट्रेट कहलायेगा और प्रेसीडेंसी नगरों के अतिरिक्त निमी निर्धारित श्रेष्ठ के फौजदारी मुकदमों को नियन्त अपनी तरफ नहीं रखेगा।

(ख) जिले में व्यवहार न्यायालय:—एक जिले में व्यवहार (Civil) न्यायालय वह श्रेणी के होते। उनमें सभ से बड़ा जिला न्यायालय ता न्यायालय है। जिला न्यायालय के प्राथमिक ग्राम पुनर्विचार दाना ही प्रभार के अधिकार हैं। प्राथमिक क्षेत्र में उसके न्यायालय में निमी इसी अर्थिक मूल्य (Pecuniary Value) के विचार के सब तरह की नालियों ता सकती हैं। पुनर्विचार क्षेत्र म वह अपने अधीन न्यायालयों से आर्द्ध ग्रामीण मुनते हैं (प्रति ५०००) मे रुप मूल्य की नालियों।

जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अधीन नियिल जज और मुनिसिप के न्यायालय होते हैं। सियिल जन का, निमी धन राशि ता विचार दिये प्राय सभी मामलों के नीचे का हूँ है और उसे पुनर्विचार की भी शक्तियाँ हैं। दूसरे शब्दों में, उसकी शक्ति प्राय जिला न्यायाधीश की शक्तियों के बगावर है, जिसके प्रशासन की हाई में, वे ग्रामीण हैं। उनकी अपील हाईकोर्ट में मुनी जाती हैं। नियिल जज के न्यायालय के नीचे मुनिसिपों के न्यायालय है जिनमे ५०००) तक के दीवानी मुकदमों की मुनगाह होती हैं। मुनिसिपा को पुनर्विचार का अधिकार नहा होता। इन के अतिरिक्त जिले में ‘स्माल कोज़ कोर्ट’ होती है। उनमे २५०) तक के मूल्य के मुकदमे दावर होते हैं और यदि गज्ज वी सरकार की लिपित स्वीकृति प्राप्त हो जाय तो ये १०००) तक के मूकदमे तैयार होती हैं। प्रेसीडेंसी गवर्नरों मे यह मूल्य २०००) नियत दिया गया है। स्माल कान कार्ट को सनेपतो-वैधिक विचार (Summary Trial) ता है ताकि मामूली नालियों जल्दी तैयार हो जाये और ग्राम वस्तु करने मे

आकांक्षी हो जाये। यह नियम है कि उनके निर्णयों के खिलाफ रेवल विधि प्रश्नों पर ही पुनर्विचार हो सकता है।

जिला न्यायाधीश ना न्यायालय सेशन्स रार्ट से रेवल इसी बात में भिन्न है कि पहला व्यवहार न्यायालय है और—दूसरा दण्ड न्यायालय। तथापि उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में दोनों ना एक ही पदाधिकारी होता है। इसीलिए उसना नाम डिस्ट्रिक्ट और सशन्स जज है। चूंकि उनमें दीवानी और फौजदारी दाना ही प्रकार की प्राथमिक और पुनर्विचार सम्बन्धी शाक्त्या निहित है इसलिए वे जिले के एक मुख्य पदाधिकारी हैं। न्याय सम्बन्धी कृत्ता न साध-साध उनके कुछ प्रशासन सम्बन्ध कर्त्त्व में भी है। जिले के सभी न्यायालयों पर वे देख रेख और नियन्त्रण रखते हैं। सहायता न्यायाधीश को वह कुछ सुनदमों ना कैमला सापते हैं। और नावालिंग और बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है। इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट थार सेशन्स जज का

१६३५ ई० के ऐकट क अनुसार पहले ऐसी व्यवस्था थी कि जिला मजिस्ट्रेटो और दूसरे मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति प्रान्तीय सरसार निना हार्डसार्ट और पब्लिक सेविस कमीशन के परामर्श के ही कर दती थी। नये सविवान में इस व्यवस्था का हटा कर सभी प्रकार की न्यायसम्बन्धी नामांकियों को उच्च न्यायालय के नियन्त्रण में रख छोड़ा है। दूसरे शब्दों में वह कहा जा सकता है कि सेशन्स जज ने पद से नीचे बाले सभी दण्ड, न्यायसम्बन्धी पदाधिकारयों की नियुक्ति, नदली इत्यादि का काम कार्य पारिकार्यालय से लेकर लारू सेवा आयोग आर उच्चन्यायालय न हाथ में साप दिया गया है।

(ग) आगम न्यायालय—दीवानी और फौजदारी अदालतों के अनिरित जिले में आगम न्यायालय (अदालत माल) भी है जो एक राजन्य का अनुमान ऊर्जे और उपाने से सम्बन्ध रखने वाले सुनहरा का फसला करते हैं। भूमि और लगान से सम्बन्धित नामला का भी ये दीते करते हैं। ज़लाधीश (कलकटर) जिले में राजस्व का मुख्य पदाधिकार है और उसना न्यायालय मुख्य आगमन्यायालय है। उसके अधीन सदायक जिलाधीश (Deputy Collector) और वहसलादार न न्यायालय में हाते हैं। अधीन न्यायालय से कलकटर और इनसे डिविजन इमिशनर में पास अरील जाती है। बोर्ड आफ रिकेन्यू राज्य में राजस्व समझी सभ से बड़ा न्यायालय हाता है। पहले यह अपना स्थान बदलता रहा था परन्तु अब इसना भी हैटक्वार्टर इलाहाबाद में स्थित ने गया है।

संघ और राज्यों के सम्बन्ध, लोक-सेवा इत्यादि

परिचयात्मक— हमारा सविधान संघात्मक है। संघीय प्रणाली वा सार इस शब्द में निहित है कि बहुन से गल्यों को एक राष्ट्रीय सरकार के अन्तर्गत इन ग्राम पंचायतों द्वारा संभाला जावे कि यहाँ और उपर्युक्त सरकार दानादा का वर्कलेव एक दूसरे से ग्रहण और अत्येक अपने अपने ब्रेन में भागीदार है। ग्रामपंचायतीयों का एन्ड और इन्साइट में विभाजित कर दिया जाता है अतः अपेक्षा ही अपने अपने लियन विधियों के बारे में कानून बनाने और कानूनी प्रणालीय संसद् द्वारा अनन्य व्यापकार होता है। इन लिद्दात के अनुमति द्वारा सविधान द्वारा सरकार नी शक्तियों वा तीन सुनियोंमें बाट दिया गया है। संघ सूची द्वारा विवरण द्वारा समद् ही विधियों ना भरती है। राज्य सूचा न विधि में राज्यों को ही जानने का ढक है। समग्रता सूची में सम्मिलित विधियों ने बारे में फैलेंट्रीय और प्रांतीय विधान मण्डल दाना ही विधियों जारै है। इन सुनियों का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

राज्य सूची के विधियों पर संसद् के अधिकार— पहलु हमारे सविधान में ऐसे विधियों अवधारे वा उल्लेख है जब कि उनका भारत या उनके दिल्ली भाग के लिए समद् वा राज्य-सूची न विधि पर भी जानून जानने का अधिकार मिल जाता है। (अ) २४६ वं अनुच्छेद के अनुभाव समद् राज्य सूची में परिणामित नियमी विधि के बारे में विधि ज्ञा समती है यदि गणपर्वर्द्ध ने उपलिखत आर गत दने जाने सदस्यों के द्वा लिहाई वहुमत में थोड़ा छिपा है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा सम्भा आवश्यक है। (२) २५० वं अनुच्छेद के अनुकूल समद् दा, जब उस आपान वी उद्योगसत्ता व्यवसन म है, भारत के समर्थ राज्य ने वा उनके दिल्ली भाग के लिये राज्य सूची में परिणामित विधियों में से दिल्ली के बारे में विधि ज्ञा नी शक्ति होगी। यह पहिने ही समेत दिस जा चुका है कि सरकार काल म इमारी राज्य उपस्था संघात्मक के बजाय एकात्मक हो जाती है। (३) अनिम गत वह है जि संसद दा वा अधिक राज्यों वा लिय दनकी सहमति से विधि ज्ञा समतो है। इन गणोंक विधान मण्डल संसद से प्रार्थना द्वारा समतो है यि वह विधि द्वारा चुक्क मालों वा अपन्य नहे। यह भी वह जा सकता है जि संसद दा नियमी ग्रन्त देश या देशा ने साथ भी हुई समेत, कहर वा

सम्मेलन में इन्हे गये दिनी निश्चय के पारपालन के लिए भारत के सम्मूह राजक्षम्य या उसके इसी भाग के लिए वाईं भी यार बनाने की शक्ति है।

प्रशासन सम्बन्ध— सावधान में ऐसे भी कई गतिविधि हैं जिनके अनुमार भारतीय की कायापालका शक्ति पर सघ सरकार का प्रभुत्व होगा। १९५६ के ग्रन्त छद्म में यह उल्लिख है कि प्रधानमंत्री राज्य का कायापालका शक्ति ने इस प्रभाव प्रयोग रागा का अन्त सम्म द्वारा निर्मित वाधवा का पालन होता रहा तथा सघ की कायापालका राज्य का प्रेस ग्रांटर द सरकार है जो उस प्रांत के लिए प्रावश्यक है। इसने आले अनुच्छेद में यह निश्चय है कि सघ के राज्य की कायापालका का यह व्यापार या व्यापार का व्याधिकार में दरलाने द तथा रेलवे राजीने के लिए आर राज्य महबूब के सचार-साधनों की रक्षा करने में सघ सरकार का अधिकार है। राज्यात का यह भी आधिकार है कि सरकार का यह उसके प्रधाधिकार। तो ऐसे इसी विषय सम्बन्धी कृति संपादन पर सघ की कायापालका शक्ति का अस्तार है। ऐसे अवसरा पर यह ना सरारथी पदाधिकारी राज्यात के अधिकारी (Agent) की भारत राज्य के लिए।

राज्य के दीन सम्बन्ध स्थापन करने के लिए राज्यपाल ग्रन्तराज्य के पारपद् (Intestate Council) का निमायन कर सकते हैं। यह पारदू का काम राज्य की — इसी का सम्बन्ध करना पारदूराज्य के संसद विधाया का अनुसंधान प्रयोग तथा नियम आर राज्य के नियम — आप की भगवान का नियमारण करना राज्य में व्यापार में आलोचना भाग (ज) के राज्य का मशास्त्र ला (Armed Forces) के स्वतन्त्र तथा अन्यान्य व्यवस्था के संशोधन करने की अमल अग्रह है। यह राज्य राज्य सह सरकार के नियत नियंत्रण का पालन करने में व्यक्तमय रूप राज्यान्वयनीय सहायता कर सकते हैं।

पितृ सम्बन्ध— उपराज निधन का यह प्रभाव न समझना चाहिए कि इन्हें सम्भव है कि यह सूची के विषयों पर प्राय लगातार कानन बनाता रहे। यह राज्यपाल राज्य का लिए दिन प्रातादन निश्चय भजते रहे। इन उपराज का प्रयोग तो यदा कदा आपात्म में हो सकता जायगा। सामरण्यता यह कि विधान आवश्यक में पूरण स्वाध नहीं होगा। परंतु प्रशासकी स्वशासन + लिए वित्तीय स्वशासन आवश्यक है। कि राज्य तभी तर पूरण स्वशासनी नहीं रहा जो सरकार ने उसके उपराज के एकान्त करने के अपने स्वतन्त्र साधन नहीं लिए। अमालए में ये कि स्वशासन उपराज में इनाद्या आर के द्वीय सरकार के एकान्त प्रथम एकान्त के साथ होते हैं। जिनमें से मन चाल उपराज कर सकते हैं।

हमारे समिधान के द्वाया भी राज्य के साधनों ने सर और राज्यों के बीच विभाजित कर दिया गया है। इसमें सर के लिए एक सचित निधि (Consolidated Fund) का उल्लेख है, जिसमें भारत सरकार द्वारा एकत्रित किया हुआ राजस्व और उधार लिया हुआ अत्यन्त चाहे वह इसी भी रूप में बहूल हुआ हो, शामिल होगा। इसी प्रकार की एक एक सचित निधि भाग (क) ग्रांट (ग) के राज्यों के लिये होगी। (ग) भाग के राज्य केन्द्र के द्वारा प्रशासित होंगे इसलिये उनके लिये नोट पृथक् सचित निधि न होगी।

सर और राज्यों के सम्बन्ध को विल्कुल पृथक् पृथक् बाँट दिया जाता रहा यदि यह सम्भव हो सकता है कि सर्वान् गृही में सम्मिलित सभी प्रिया भी आय सभी सचित निधि में जमा हो जाती और राज्य प्रियों की आय राज्य की निधि में। परन्तु यह विचार कार्यान्वयन न कर सका, नूनि इस व्यवस्था से राज्यों के भागिता साधन रह जाते।

उच्च ऐसे शुल्क (Duties) हैं, जिन्हे केन्द्र आरोपित (Levy) करता है परन्तु राज्य बहुत भरते हैं और उच्च ऐसे दूसरे शुल्क और कर है जिनका सभी सरकार द्वाया आरोपण ग्रांट सम्भृत हाता है परन्तु जिस भी आय राज्यों के लिए इन्हातरित हो जाती है। उच्च ऐसे कर होते हैं जिन्हे भारत सरकार आरोपित ग्रांट एवं उन करती हैं जिन्होंने सभी और राज्यों में ग्रांट दिये जाने हैं। उच्च ऐसे कर एवं शुल्क हैं जिनका भारत सरकार आरोपित ग्रांट एवं ग्रांट करती है और उनकी भाग आय भारत सरकार ग्रांट काम में लाती है। अब में उच्च ऐसे शुल्क और कर हैं जिन्हे राज्य ग्रांट ही रखते हैं लिए इन्हें उच्च ऐसे करते हैं। इस प्रकार सभी और राज्यों के वर्तन् व सम्बन्ध में एक तरह की उलझन सभी आ गई है। सभी एक ने दिये हुए उच्च शुल्क हैं जो भारत सरकार द्वाया आरोपित किये जाने हैं परन्तु जिह ग्रांट ग्रांट करने के नाम से यह उच्च ऐसे इन्हें उच्च ऐसे करते हैं। इनमें मुख्य हैं—विनियोग पत्र, नैन, इन्स्ट्रॉइनिंग पालिसी और प्रामिकी नोट के ऊपर स्थान इयरी और द्वादशों और सामुन इत्यादि के ऊपर अन्न, शुल्क (Excise Duties)।

(२) इसी भूमि के ग्रान्तिकर अन्य समति के उत्तराधिकार का शुल्क, जो भूमि के अतिरिक्त किसी दूसरी समति पर भूमिति कर, रेलवे, समुद्र और वात्सर्ग से जानेवाले मामान, ग्रांट मुकाबिले पर सीमा कर, रेलवे बहन और भाड़, सुदूर शुल्क को छाड़ बरब्रेंड चिल्वर (Stock Exchange), और दादागाजार के सोदा पर कर, तमाचारमाने के ब्रेंड या प्रिक्स पर तथा उनमें प्रसिद्धि होने वाले विचापनों पर कर, ये सभी भारत सरकार द्वाया आरोपित और संग्रहित होते हैं परन्तु इनकी आय राज्यों के लिये इस्तान्ति कर दी जाती है।

(३) हृषि आय के ग्रान्तिकर अन्य आयों पर कर भारत सरकार द्वाया आरोपित और संग्रहीत होते हैं और सभी और राज्यों में बाँट लिये जाते हैं। परन्तु आय द्वाया और

दूसरे तरों पर जो अधिभार (Surcharge) होगा वह भारत की सचित निधि में शामिल किया जायगा।

(४) जूर, या जट की बनी वस्तुओं के नियात शुल्क से जो आप हारी उसे मात्र सरकार ही आरापित ग्रौर सम्हृत करेगी और इस आय के बदले आसाम, निहार, उडीसा आर पश्चिमी बंगाल की सरकारें का उछु भाग सहायक अनुदान के रूप में दिये जायेंगे।

(५) समदृष्टि द्वारा यह निर्देश कर सकती है कि उछु धनराशि सहायक अनुदान रे रूप में सघ की सचित निधि से राज्यों को दे दी जाये।

संविधान ने आगम्भ होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेंगे जो इसे वह निश्चय करेगा कि सघ और राज्यों के बीच विभिन्न करों की आप को इस प्रकार बांटा जाय ? किस सिद्धान्त के आधार पर राज्यों ने सहायक अनुदान दिये जायें ? या इसी प्रकार के ग्रौर वत्त सम्बन्धी मामले मिस प्रकार तथा निये जायें ? भावध्य में वित्त आयोग की नियुक्ति हर पाचवें साल होनी रहेगी। वित्त आयोग ने प्रधान और उनके चार साहयों छाने।

(६) सघ सूची की आर भदों से बगूल होने वाला राजस्व भारत नी सचित निधि का भाग होगा। और इसी प्रकार यज्ञ सूची की शेर मदो से प्राप्त धन उन पृथक् पृथक् शुल्क (Customs) ग्रीष्म, भग आर अन्य नशेवाली ओपधों का छोड़ कर अन्य के मुख्य-मुख्य बात हैं।

भारत नररार नी ग्रौर एक राज्य की आय साधना ना अनुमान करने के लिए और उन्हे समझने के लिए उदाहरण नी सहायता लेना अधिक उपयुक्त है। भारत सरकार ना १६५०—५१ के लिए जा अनुमानित व्यौता तैयार किया गया है यही समसे का आधुनिक उदाहरण है जिसे हम निम्ना करते हैं —

भारत सरकार के राजस्व का विवरण-पत्र (१६५०-५१)

राजस्व के मुख्य शीर्षक	१६५०-५१ के आँकड़े	दोहराया तरमाना	बजट का तरमीना
१. वह शुल्क	१,२६,१५,६७,०००	१,२०,४३,००,०००	(१६४६-५०) (१६४६-५०)
२. सघ आवासी शुल्क	५०,६२,५६,०००	५६,१६,००,०००	१,०६,५४,००,०००
३. निगम कर	६२,८५,८६,०००	४०,६०,००,०००	७१,५५,००,०००

५. आय दर	७३,७०,६०,०००	८२,६६,००,०००	८०,५०,००,०००
६. आर्थिक	८२,८०,०००	१,२८,२०,०००	१,५५,४५,०००
७. अन्य मदे	३,८८,४४,०००	४,७०,८७,०००	६,८६,४३,०००
८. सिवार्ड (Net)	३०,०००	४३,०००	४२,०००
९. टाकतार (Net)	२,३६,४६,०००	३,७७,४३,०००	४,०३,४६,०००
१०. शुल्क	१६०,५८,०००	१,३२,१०,०००	१,१४,२१,०००
११. भिविल प्रशासन	३,०४,५६,०००	७,१७,२६,०००	७,८६,४७,०००
१२. चलार्थ और टरण	१२,६३,८५,०००	८,६६,०६,०००	८,५२,२१,०००
१३. कर्मशाला इत्यादि	१,२८,८८,०००	१,१९,६६,०००	१,२६,८०,०००
१४. विविध	२,५८,८०,०००	३,१०,८८,०००	२,९२,८३,०००
१५. असाधारण मदे	१४,३६,६८,०००	१६,०००	१०,००,०००
योग	३,७१,५८,८८,०००	२,३२,८६,६४,०००	२०,३१,०८,९४,०००

राज्यों के राजत्व के निम्नलिखित मुख्य साधन हैं—निगमन, भूराज्ञव्य, राय की आपकारी, स्थान, वन, हाथ, रजिस्ट्रेशन, मोर्ग गाड़ियों के एकट र अधीन प्राप्तियाँ, दूसरे कर और शुल्क आर सब सरकार द्वारा आरोपित दुद र और शुल्कों में साझा। १६५० ५१ के लिए अनेक साधनों से अनुमानित उत्तर प्रदेश की आय इस प्रकार हैः—

राजस्व के मुख्य शीर्षक	थार्टिविक ओकडे (१६२७ ४८)	दोहराया तरमीना (१६४८ ४६)	बजट का तरमीना (१६४६ ५०)
१. वार्षीक शुल्क वरन अन्तिम आय पर दूसरे नर	६,६२,०६,०००	८,६६,०१,०००	८,३३,१५,०००
२. मालगुनारी	६,८१,३८,८७८	६,७३,७३,३००	६,७८,२४,५००
३. राष्य की आवकारी	७,५५,८७,७०७	६,४२,४४,०००	५,६०,३५,१००
४. स्थान	२,१३,६८,६०६	२,२५,००,०००	२,२०,००,०००
५. वन	१,८२,८६,८०५	१,१५,६८,४००	१,१५,४५,७००
६. रजिस्ट्री	१७,६७,८३७	१५,६४,८००	१८,००,०००
७. मोर्ग गाड़ियों के एकट की अधीन प्राप्तियाँ	३२,२१,६४६	३२,१७,५००	३६,०८,०००
८. दूसरे कर और शुल्क	२,५३,३८,१७०	८,५०,७६,२००	१०,१४,८८,०००
९. मिचार्ड शुद्ध प्राप्तियाँ	१,७४,८८,१६३	१,४७,५४,३००	२,१६,८२,३००
१०. नार्गिक प्रशासन	३,५३,४१,१२७	५,४३,४८,५००	६,८०,८८,८००

११. नागरिक निर्माण-कार्य	१५,७६,५७३	३०,६०,६००	४०,१६,३००
१२. निजली सम्बन्धी योजना ^१	१०,७०,१२६	३१,६००	१२,३४,८००
१३. विविध	६२,६७,२५७	१,७५,३६,६००	२,३१,६५,५००
१४. असाधारण मदे	५,८०,७८,६०१	८,१५,२३,८००	६,०४,५८,६००
१५. भूग्रंह सम्बन्धी आधार्यप	२२,०३,६५५	२२,५६,७००	२०,३१,२००
१६. नेत्रीय ग्राम राज्य की उत्तरार्थ के नीचे विविध अनुदान और			

ग्रामदान

३०,६०७

१५,०००

१५,०००

योग एजेंस

३८,७४,४८,८४६

४६,०४,२५,२००

५५,७३,४४,१००

मरमारी कर्मचारी —यह एक मानी हुई बात है कि कोई सविधान चाहे जिनका ही अच्छा कर्म न प्राप्त करा गया हो, अनोगता इमरी सफलता या असफलता उन स्तोमों की समझ, योग्यता और सच्चाई पर निर्भर होती है जो इसे कार्यान्वयित करते हैं। चाहे सावधान जिनका ही पूर्ण कर्म न हो, चाहे विधान मण्डल में जिन्हें ही अनुभवी प्रेम गुण सम्बन्ध व्यक्ति कर्म न हो, चाहे मन्त्र एवं मण्डल इमानदारी और देशभक्ति का मालाकात प्रतीक हो कर्म न हो, किर मी वर्दि एक देश ना प्रशासन चलाने वाले अधिकारी और धूमप्रशोर हों, तो जनता मुझी नष्ट हर सकती। जनता ने असामित तभी हाती है जराके नस्कारी कर्मचारी, जिनके द्वारा समस्त प्रशासन चलता है, अपने उत्तराधिकार का पालन नहीं करते। यह भी यदि रखना चाहिए तो विधान-मण्डल या मन्त्र मण्डल दोनों में से कोई भी स्वयं प्रशासन नहीं चलाते। पहला तो कानून भनाता है तथा प्रशासन चलाने ने लिये घर राजियों की स्वीकृति देता है और दूसरा इसका नीति निर्धारित करते देश की अपेक्षा समस्याओं ने यारे में निर्णय करता है। इन निर्णयों की अनिवार्यता भी विधान मण्डल ने ही कठोर निर्भर होती है। विधियों तथा नीतियों ने वास्तव में कार्यान्वयन करने का भार मालाकी कर्मचारियों के उन्होंने पर क्लोइ दिशा लाता है जो कि जनता के समर्पण में आते हैं। प्रत्येक देश में प्रशासन का सुप्रचलन और उच्चतर इन्हीं लोगों को सच्चाई, सच्चारिता, योग्यता और प्रशिक्षण पर निर्भर होता है। इमालए प्रत्येक शासन प्रशासनी में सुयोग्य तथा कार्य कुशल व्यक्तियों ने नस्कारी केवा में भर्ती करने का प्रयत्न होता है। हमारे सविधान में भी इन और नासी ध्यान दिया गया है और कर्मचारियों की भता पदावधि, पदवृद्धि आदि वी शता ने वारे में सई अनुब्लेद है।

लोक सेवा-आयोग—मसी लोक तात्पर्य राज्यों में प्रचलित पद्धति के अनुरूप हमारे देश में भी सघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा-आयोग होगा। ऐसा भी विधान है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के विधान का मण्डलोप्रत्येक

सदन इम विषय का प्रस्ताव स्वीकृत कर दि उन राज्यों के लिए एवं ही सेवा आयोग होना चाहिए तो इस प्रस्ताव का वार्यान्वित किया जा सकता है। सभ लोक सेवा आयोग से भी बोर्ड राज्य अपना राय वराने की प्रार्थना कर सकता है।

मरण ग्रीष्म रात्रि के लोक सेवा आयोग का प्रधान कर्त्त्य सेवा में भता के लिए परीक्षाओं का नहना और उनके परिणाम के आधार पर समल उम्मेदवारों की नियुक्ति की भिकारिश करना है। यह याद रखना चाहिए कि अभिन्न पदों पर नियुक्ति लाकर सेवा आयोग स्वयं नहीं करता अपितु यह काम सब में राज्यपति तथा राज्यों में राज्यपाल और राज्य प्रमुखों ना है। लोक सेवा आयोग तो इबल नामों की भिकारिश करता है। इस भावना द्वारा इत्य अधिकारी न हानर देने परामर्श देने का है। चूँकि कर्म चारियों की भत्ता, भत्तों के सिद्धान्त, वायनार्ट, बदली आर पद-बृद्धि न नियम आदि में लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है इसलिए इस उसे सरकारी सेवाओं का सरकार कर सकते हैं। स्मरण रह कि विद्युत-काल म अर्थसिलभारतीय सेवाओं (All India Services) के लिए भता, नियुक्ति, बृद्धि इत्यादि भी जिम्मेदारी भारत-भूमि के ऊपर थी। वह दूस विषय में दृश्यद्या कान्मिल का परामर्श लेते थे। परम्परित, जनजातियों नथा ग्रन्थ पिछ्युडी जातियों के लिए जा सरकार दिये जायेंगे उनसे लाकर सेवा आयोग का बोर्ड सम्बन्ध नहीं होगा।

मध्याधान ने द्वारा 'आयोग' के सदस्यों की सदस्या निर्धारित नहीं री गई है। इन सदस्यों नी वास्तवर सदस्या आर उनकी समाजा की शर्तों का निर्णय राख्या तथा, राज्यसभा या राज्य प्रमुख के ऊपर ही छाड़ दिया है। नियुक्ति न पश्चात् सदस्यों के राज्यसभा या राज्य प्रमुख के ऊपर ही छाड़ दिया है। नियुक्ति न पश्चात् सदस्यों के वेतन भी मुम्प सुविधाएँ न म नहा री जा सकता। आयोग म अनुभवी सदस्यों को लाने के लिए यह आवश्यक बर दिया गया है। उसमें कम से कम आधे सदस्य ऐसे ही जिन्हें कम से उम १० वर्ष का प्रशामन तम्भनी अनुभव हो। इनकी नियुक्ति ६ वर्ष के लिए की जाती है। सब लोक सेवा आयोग के सदस्य ग्राधन से अधिक ६५ वर्ष की आयु तक और राज्यसेवा आयोग के सदस्य ६० वर्ष की अवस्था तक पद ग्रहण बर सकते हैं। सदस्यों मे निष्पक्षता और ईमानदारी लाने के लिए यह अनिवाय न दिया गया है ति किमी दूसरे आयोग के सदस्य या ग्राधन होने के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग भा कोई सदस्य सरकार की और कोई नौकरी न बर सकेगा। इनके वेतन और भत्ते सब और राज्यों की साचत निधि पर भारित होने हैं।

मन या राज्य के लोक सेवा आयोग के गारे में जो नियम राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा गठन प्रभुत्व बनावेगे उन्हे सम्बन्धित विधान मण्डलों के प्रत्येक सदन के समक्ष विचार दे लिए रखा जायेगा। प्रत्येक आयोग का कर्तव्य होगा कि आयोग द्वारा

किये गये काम के बारे में प्रतिवर्प^१ उस सरकार के प्रमुख—राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्य प्रमुख द्वारा प्रतिवेदन (Report) है। ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर सरकारी प्रमुख उन मामलों के बारे में जिन में कि आयाग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया ऐसी अस्वीकृति के लिए कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन (Memorandum) के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदूच के प्रत्येक मामले के सामने रखायेगे। आयाग का परामर्श स्वीकार न करने पर सरकार को अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करना पड़ेगा। कदाचार, दिवालियेतन, अपने पड़ के अतिरिक्त धार्द और दैलनक पद स्वीकार करने या मस्तिष्क या शरीर के बेसार होने के कारण राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्यप्रमुख, आयाग इसकी सदस्यों का पद से हटा सकते हैं। कदाचार का दोषाधीय उच्चतम न्याय द्वारा पास अनुमधान (Investigation) ने लिए भेज दिया जायेगा और इसकी सिफारिश पर ही किसी नदस्य को पद से हटाया जायेगा। इस प्रकार सेवाओं के सरकार और लोक सेवा आयाग का स्वाधीन योर निधन थनाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है।

सेवाएँ—लोक सेवाओं का माटे रूप से दो विभागों में बांटा जा सकता है (१) रक्षा न्यून (२) नागरिक सेवाएँ। संविधान में देश के रक्षावलों की भर्ती पदवृद्धि आदि के बारे में कोई जिकर नहीं है। यह स्टाट है रि राष्ट्रपति सभी सेनावलों के सर्वोच्च समारेधन (Supreme Commander) होने के नाते, इन विषयों का निर्णय नहीं। लोक सेवा आयाग ता नेबल असैनिक सेवाओं से ही सम्बन्धित है।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के माध्यम साथ देश के नशात्तन-बलों की दशा में आमूल परिवर्तन हुआ है। ब्रिटिश राज्य न्यून में रक्षावला को दो भागों में बांटा गया था। एक भाग में भारतीय सिपाही थे जिनके अन्तर्मन अधिकार अंगरेज होते थे और दूसरे भाग में अंगरेज सिपाही। भारतीय सिपाही अधिकार उत्तर के प्रान्तों और दियासना से छाँट जाते थे और वे भी जनसंख्या के एक सुनुचित विभाग अर्थात् युद्धप्रिय जातियां थे। जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग का सेना से बहिर्भार, उच्च पदों पर पढ़ुचने ने अवसरों का न मिलना, 'नेहीं' आरण्डिली या बायु सेना में भारतीय न न लिया जाना—यह सब बातें पहले महा युद्ध के बाद तब भारतीय सेना की सुख्ख निशेषताएँ थीं। दूसरे महायुद्ध के दबाव से कुछ अंश तर इन नमियों का दूर किया गया। सेना का बहुत अधिक विस्तार कर दिया गया। और इसमें प्रायः सभी जातियों के लोग लिये जाने लगे। जब १६४५ ई० में युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीय सेना में लगभग एक तिहाई भारतीय अपसर थे। भारत की एक नोसना और एक बायु सेना यहीं और बहुत से भारतीयों ने सेनाओं की प्रौद्योगिक (Technical) शासाओं में व्यापक ग्रहण

किया। आजादी मिलने के बाद यह प्रगाह और भी आगे नहीं चढ़ा है। अब एक उल्लंघनी, योग्य और समझदार नवयुवक देश के सशस्त्रगला में ऊचे से ऊचा पदा-धिनारी बन सकता है। इस समय हमारा राष्ट्र एक सुन्दर नासना और वायु लेना मनने में सक्षम है।

जैसा कि पहले ही सरेत निया जा चुका है असेनक सेवाओं की निर्मुक्ति सघ और राज्य के लोक सेवा आयोग के प्रभाग में होती है। इन सेवाओं को तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है (१) अखिल भारतीय सेवायें। प्रियंका राज्य काल में इस प्रभाग की सेवाओं की भता आर नियमण भारत मती करते थे। बत्तमान समय में अखिल भारतीय सेवाओं को वायम रखने का उद्देश्य डॉ ग्रन्डेकर के उस भाषण से प्रकट हो जाता है जो उन्होंने संविधान सभा के सामने दिया था। “सभी सजात्कर सभ्यों में फेडल सर्विस और स्टेट सिविल सर्विस होती है। भारतीय सघ के दुर्घटना में दुहरी सेवा होगी परन्तु एक ग्रन्दाद के साथ। यह सर्वमान्य है कि प्रबोन्देश की प्रशासी व्यवस्था में कुछ ऐसी विशेष जगह होती है। जिन्हें प्रशासन का ऊच्च स्तर वायम रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ग्रन्दाद का स्तर उन सेवाओं की बुद्धिमता पर निर्भर है जिनकी इन महत्वपूर्ण जगह पर प्रशासन का सार उन सेवाओं की बुद्धिमता पर निर्भर है कि राज्यों का अपनी अपनी सेवाओं का अधिकार करने का लक्ष्य उनके पास रहते हुए भी एक अखिल भारतीय लोक सेवा होगी जिसकी भता सार दशभर में हो सकती है जिनके लिये समान योग्यतायें होगी, बत्तमान जिसकी भता सार दशभर में हो सकती है कि विभिन्न सर्विस एवं दृष्टिकोण से सर्विस के महत्वपूर्ण पदों का एकमात्र माप-दरण होगा और बेवल उन्हीं के सदर्य समस्त सघ के अधिकारियों पर नियुक्त हो सकेंगे।” परन्तु जर्विक १६४७ ई० से पहले रहने की आल भारतीय सेवाएं थीं (जैसे—इण्ट्रियन सिविल सर्विस, इण्ट्रियन मैडिकल सर्विस, इण्ट्रियन सर्विस और इन्जीनियर्स, इण्ट्रियन पुलिस सर्विस) नई व्यवस्था में बेवल दो अर्थात् इण्ट्रियन एटमिस्ट्रॉटिव सर्विस और इण्ट्रियन पुलिस सर्विस, होगी। परन्तु राज्य परिषद् को यह अविनाश दिया गया है कि विधि द्वारा ऐसी नई अखिल भारतीय सेवाओं का जा सके और राज्यों के लिए उभयनिष्ठ हो, प्रश्न दें, ऐसी सेवाओं के लिए भता के नियम बनाये और उनकी शर्तों का निर्धारित करे। इस प्रकार का नानून दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भविष्य में अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय ही भता हो सकेंगे। अब वे दिन गये बीते हो गए जर्विक इनमें सभी महत्वपूर्ण पदों पर विदर्शियों को रखा जाता था।

(२) सब सेवाएँ मारते लोक सेवा आयोग की दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं। विश्व राज्य काल में इनके स्थान पर फेडल सर्विस था। इनके लिए तथा

आखिल भारतीय सेवाओं के लिए राष्ट्रगति सघलोक नेवा आयोग की सिफारिश से नियुक्तिया दरते हैं। सेवकों की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। दूसरे शब्दों में, इह यिना स्थिती नामण के पद से नहा निकाला जा सकता। इन सेवाओं में किसी भी व्यक्ति को न पद ब्युत किया जा सकता है और न उसकी पदवी कम को जाती है जब तक कि दोषाधीप ने विरुद्ध उसे अपनी स्थिति स्पष्ट घरने का पूर्ण ग्रवर न दे दिया जाये और जब तक उसका दाप पूर्ण रूप से सिद्ध न हो जाये।

सध सेवाओं में भारत सरकार की प्रशासनी प्रिभागों से सम्बन्ध रखने वाली ग्राहितित प्रकार की नियाएँ हैं।—परराष्ट्र और राजनीतिक विभाग, बाह्यशुल्क विभाग, लेखा परीक्षा (Audit) विभाग, वित्त विभाग, डाक और तार, रेलवे, व्याप कर आदि, भारतीय प्रशासनी सेवाओं के सदस्य भी इन विभागों के बड़े से बड़े पदों पर नियुक्त हो सकते हैं।

(३) राज्य लोक सेवाएँ— सरकारी कर्मचारियों की तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो विभिन्न राज्यों में सेवा करते हों और जिनके ऊपर राज्यपाल का सामान्य नियन्त्रण रहता है। राज्य के लाकु सेवा आयोग की सिफारिश पर इनकी नियुक्त राज्यपाल या राज प्रमुख करते हैं। राज्यपाल या राज प्रमुख के प्रसादपर्यन्त ही ये पद धारण करते हैं। ऊपर निलंबी वात का यह अर्थ नहा कि एक राज्य के अधीन सभी पदाधिकारी राज्य की लोक सेवा के सदस्य हैं। कैचे योर जिम्मेदार पदों का धारण करने वाले व्यक्ति, जैसे डिपीजनल कॉमिशनर, डिस्ट्रिक्ट मार्जिरट्रॉट, इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस और नुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस, भारतीय प्रशासनी और पुलिस सेवाओं में सदस्य होते हैं। इन्हीं कलक्टर, सिविल सज्जन, इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, टाइरेक्टर आफ एज्यूकेशन, डिप्टी सुपरिन्टेंडेन्ट आफ पुलिस, तहमीलदार आदि के पद राज्य की लोक सेवा के अन्तर्गत आते हैं। सविधान ने सेवाओं का नई श्रेणियों में नहा दर्जा है परन्तु उन्ह राज्य की उच्च और अधीन सेवाओं में श्रेणा पद किया जा सकता है। डिप्टी कलक्टर, डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, सिविल जज, गवर्नर स्कूल के हेडमास्टर और पिन्सपल वगैरह उच्च श्रेणी में आते हैं, तहमीलदार, सर असिस्टेन्ट सर्जन, असिस्टेन्ट मास्टर, सर इन्स्पेक्टर आफ पुलिस, ऐक्साइज इन्स्पेक्टर इत्यादि निम्न श्रेणी में सम्मिलित निये जा सकते हैं। ये दोना श्रेणिया वेतन, पद वृद्ध आदि के अनुसार (Scales) में भिन्न भिन्न हैं। निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों में से अधिक शोष्य और कार्य-कुशल व्यक्तियों की, पद से निवृत्त होने से पहिले, उच्च-श्रेणी में लिए पद-वृद्धि हा सकती है।

अध्याय १६

जिले का प्रशासन

परिचयात्मक—प्रिटिश भारत में शासन की प्रणाली साधारणत इस सिद्धान्त पर आधारित है कि पूरे ज़ेनरल को एक दूसरे से निम्नतर छोटे होते जाने वाले होंगे में बाँट दिया गया है और इन दोनों के अन्तर नम से छोटे होते गये हैं। प्रान्त, जिसके शासन-सम्बन्ध प्रधान गवर्नर हैं, अनेक इकाइयों में विभाजित है, जिन्हें जिला कहते हैं और प्रत्येक जिला जिलाधीश और कलक्टर के अधीन रहता है। प्रत्येक जिला मिर छोटे-छोटे दोनों में विभाजित है, जिन्हें तहसील बहते हैं और प्रत्येक तहसील में कई गाव सम्मिलित तहसीलदार या मामलातदार के अधीन रहती है। प्रत्येक तहसील में कई गाव सम्मिलित रहते हैं। प्रत्येक गाँव में पटवारी, नभरदार या पाठिल तथा चोकीदार सरकारी कर्मचारी रहते हैं। गाव के अधिनारी तहसील अधिकारियों के अधीन रहते हैं, जो स्वयं वारी रखते हैं। गाव के अधिनारी तहसील अधिकारियों के अधीन रहते हैं, जो स्वयं जिले के कलक्टर के अधीन है। कलक्टर अपने से ऊचे अफसर—सब प्रान्तों ने कह जानेपाने डिवीजनल आयुना तथा अन्त में गवर्नर के अधीन रहते हैं। प्रत्येक प्रशासनिक ज़ोन एक अफसर के अधीन है और यह अफसर अपने से अधिक शांति प्राप्त करने के अधीन है आर इस प्रशासन शासन के पूरे ढाँचे की तुलना एक पिरामिड से अफसर के अधीन है आर इस प्रशासन शासन के पूरे ढाँचे की तुलना एक पिरामिड से ज़ा सकती है, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर सरकार आसीन है। प्रशासन की मर्शल बी जा सकती है, जिसमें ग्रनेक प्रशासन के निम्नतर देस भाल पर निभर है। वा कार्य बड़े अफसरों द्वारा छोटे अफसरों की निम्नतर देस भाल पर निभर है। ये पड़े अफसर अपना नियन्त्रण ग्रनेक प्रशासन से लागू करते हैं। दफ्फरों वा सरकार से ऊचे होता गया है, और नौमिरियों के भी एक से दूसरे में पद-वृद्धि के साथ अनेक सर हैं।

इस शासन प्रणाली में जिने का केन्द्रीय तथा धुरीय स्थान है। यह शासन की इकाई या ‘शासन के पूरे ढाँचे की आधारशिला है’। प्रिटिश भारत में विभिन्न ज़ेनरल तथा जनसख्ता के २७३ जिले थे। सब में छोटा जिला १५०० वर्गमील से थोड़ा कम था। मिन्हु सरसे पड़े वा दोनों ६,००० वर्गमील से भी अधिक था। एक विशेषज्ञ क अनुभाव जिले वा अधिकत ज़ेनरल ४,०७५ वर्गमील है, एक दूसरे अन्य विशेषज्ञ क अनुभाव ४,४३० वर्गमील और अधिकत जनसख्ता दस लाख है।

* मार्डेन इंडिया सर आन कॉमिशन द्वारा सम्पादित, ५७ ७।

जिले के अक्षसर—प्रत्येक जिले के हृष्टक्वार्ड पर लगभग एव्हेन सरकारी विभाग का एक जिला प्रधान रहता है। मेट्रिकल विभाग के प्रधान के रूप में सिविल सर्जन, पुलिम ने प्रधान के रूप में पुलिस क्तान, न्याय विभाग के प्रधान के रूप में जिला आम सेशन जज, पब्लिक वक्रम डिपार्टमेंट ने प्रधान के रूप में एंडीक्यू एव्ह इंजीनियर और दून सर में अधिकर महत्वपूर्ण जिलाधीश और क्लक्टर है, जिसके जिम्मे लगान दमूल करने तथा जिले में शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित रखने का उत्तरदायित्व है। ग्राम्य लोगों के लिए एक इन्फ्राक्टर ग्राम्य न्यूल, मालार्ड अफसर, राशनिग प्राप्तसर तथा एक हाउस बरेट्रॉयल प्राप्तसर भी होता है। प्रत्येक जिले में एक जिला चन होता है, जो जेल सुपरिशेष्ट्रेटर के अधीन रहता है। दून जिला ग्राम्यनारियों में से प्रत्येक अपने विभाग के प्रान्तीय प्रधान ने अधीन रहता है।

ज़िलाधीश और क्लक्टर—जिला विभागों के प्रधानों में ज़िलाधीश और क्लक्टर का स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली है। उत्तरदायित्व उसमें असाधारण ग्राम्य तक विनियोग है। शास्त्र-शास्त्रि का वह जिले में प्रमुख प्रनिनिधि था और उसके अधिकार निवासियों का दृष्टि में यहाँ सरभार है। उसमीं और लाग बेघल ग्राम्यनारियों के निराननरण तथा अपने साथ रखनेवालों के अन्वाय से रखा जैसे लिए ही नहा देखने, अपितु बाड़ों, यानालों, तूफानों, छिप्पियों तथा ग्रन्थ प्राकृतिक विपक्षियों द्वारा उसमें की हुई मुक्तीपतों से छुट्टरे के लिए भी। गरीब तथा बेपढ़े लोग उसे 'सरकार', 'मार्द वाम' नामों से सम्मो धन करते रह हैं। लोगों से सम्बन्ध रखने तथा जिले की साधारण दशा से अपने को अवगत रखने के लाए सरकार उस पर तथा उसमें अधीन नाम रखनेवालों के ऊपर निर्भव रहती है। 'अपने जिले में वह प्रान्तीय सरकार नी आईँ, बान, मुख तथा दाथ है'। और उसके सामान्य प्रतिनिधि के रूप में जारी करता है। इस प्रकार वह सरकार तथा ग्रामीण जनता के बीच कही है।

इस पद पर साधारणत इण्डियन सिविल सर्विस का एक सदस्य आसीन रहता था। कभी कभी प्रान्तीय सिविल सर्विस के सदस्य भी अपनी नौकरी के अन्तिम भाग में इस पद पर आसीन कर दिये जाते हैं। कुछ ग्राम्यां, जैसे पजाप में, वह छिण्ठी कमिशनर वहा जाता है। जैसा कि उसकी उपाधि से प्रदर्शित होता है, उसमीं शक्ति दोहरी है। क्लक्टर के रूप में वह लगान एकान्त रखनेवाले सगटन का प्रधान है और भूमि तथा लगान सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित होने के साथ-साथ वह किसानों की भलार्ड से सम्बन्ध रखनेवाली समस्याओं से भी सम्बन्धित है। वह शायद और अपील तथा चरस जैसे मादक द्रव्यों के विनेताओं को लाईसेन्स देता तथा आवकारी विक्रियों की भी देख भाल करता है। वह जगलों तथा गैर-खेतिहार भूमि से लगान

एकत्रित रखने के लिए भी उत्तरदायी है। उसे अकाल में सहायता, विसानों को कई, कर्जदार रियासतों की देह भाल, जायदाद के परिचर्ता तथा विभाजन, और राजस्ट्रेशन की भी देह भाल करनी पड़ती है। रजिस्टरी रखनेगला विभाग भी उसके अधिकारिय से रहता है। जिले में कोई महामारी दैलने पर उसे इसे दूर रखने के दृग की उपयुक्ता भी देह भाल करनी पड़ती है। उसमें जिम्मे रखने नी देह भाल भी है और हिंसाव भी देह भाल तथा बहुमूल्य बस्तुओं की सुरक्षा भी उचरदायित्व मी उसी पर है। नगरपालिकाओं (Municipalities), निलाम बोर्डों (District Boards) तथा ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में भी उसके मुख्य अधिकार थे, जो अब बहुत कम कर दिये गये हैं। इस प्रकार उसके कर्तव्य बहुमूल्यी हैं।

जिलाधीश के रूप में भी उसके नार्यपालिका तथा न्यायसम्बन्धी (Executive and Judicial) कर्तव्य उनमें ही महत्वपूर्ण हैं। न्याय अधिकार के रूप में उसे प्रथम श्रेणी में दण्डाधीश के अधिकार रखते हैं और वह दो वर्ष की सजा दे सकता है तथा उन्हें जुर्माना भी कर सकता है, जो एक हजार रुपयों से अधिक नहीं हो सकता। जिले के बर्द तथा सेक्रिट दर्जे के दण्डाधीशों के निर्णयों के विरुद्ध वह हो सकता। व्यवहार रूप में वह दीजदारी के मामले स्वयं ग्रामीण भी स्वीकार कर सकता है। व्यवहार रूप में वह दीजदारी के मामले स्वयं नहीं देखता, उल्लिक उन्हें विसी अन्य प्रथम दर्जे के दण्डाधीश के सुपुर्दे कर देता है। जिलाधीश ने रूप में उसके नार्यपालिका सम्बन्धी नर्तव्य रहा अधिक महत्वपूर्ण हैं। जिलाधीश ने रूप में उसके नार्यपालिका सम्बन्धी नर्तव्य रहा अधिक महत्वपूर्ण हैं। जिले के सभी पुलिस अफसरों में वह प्रमुखतया शान्ति और व्यवस्था के लिए उत्तर रखता है। उसके प्रभाव द्वारा में वह प्रमुखतया शान्ति और व्यवस्था के लिए उत्तर रखता है। इस नार्य के लिए जिले भी सभी पुलिस उसके आदेश तथा नियन्त्रण में दायी है। जिले के सभी पुलिस अफसरों को उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। रहती है। जिले की शान्ति भग कर सकनेगले हिंसात्मक तथा अहिंसात्मक कार्यों जैसे नार्य दायित्व दगे, चोरी और डकैती, सर्विन्द्र अवश्य ग्रान्दोलन तथा शनि एवं व्यवस्था भग करनेगले अन्य कार्यों की राक्ष-याम के लिए पुलिस कर्तान भी उसकी सहायता करनी पड़ती है। वह जुनूनों तथा जन ममाओं पर प्रतिबन्ध तथा कफ्यूआर्टर लागू करनी पड़ती है। यह जुनूनों तथा जन ममाओं पर प्रतिबन्ध तथा कफ्यूआर्टर लागू कर सकता है। ग्राम्यान्वयन के लिए वह आम्स ऐक्ट के अनुसार लायसेन्स पर भी नियन्त्रण रखता है। पुलिस कर्तान का यह नर्तव्य है कि व्यक्तिगत वातचीत, तथा जिले की शान्ति एवं नुर्म से समन्वित सभी महत्वपूर्ण मामलों रे सम्बन्ध में विशेष विशेषों द्वारा उसे पूरी जानकारी रहती है।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि पुलिस विभाग ने आत्मिन प्रशासन तथा उसके अनुशासन से जिलाधीश का कोई सम्बन्ध नहीं है। नेचीने पुलिस उपाय के एन आव अधिकार-केंद्र में सम्मिलित हैं। शान्ति तथा सु-व्यवस्था की रक्षा के लिए ये

दोनों अपकुर एक दूसरे से अधिकतर सहयोग करते हैं। यहाँ यह जित कर देना उपयुक्त है कि जलाधीश जेल का महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण करता तथा आनंदीरी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति और उपाधि प्रदान इत्यादि के लिए सरकार से लोगों के नामों की सिफारिश करता है।

हालांकि जिलाधीश का जिले के अन्य विभाग प्रधानाना के कायों से फ़ोरे सीधा सम्बन्ध नहीं है, उनमें से प्रत्येक अपने विभाग के प्रान्तीय प्रधान के नियन्त्रण में रहकर उसकी दख भाल के लिए स्वतन्त्र है, पर भी उन्हे अपने विभाग के प्रमुख कायों से जलाधीश को अवगत रखना पड़ता है, क्योंकि सरकारी मर्शिन की कार्यविधि से उनका बाईंन फ़ोरे सम्बन्ध ग्रवश्य रहता है। जिलाधीश इस प्रभार एक पूरक अपमर के रूप में कार्य करता है। इस सम्बन्ध में मार्टफोर्ड रिपोर्ट के निर्माताओं के निम्नलिखित विचार इतनस्थ होंगे। ‘सिंचाई, सब्जों तथा दमारता, येती, उद्योग धन्धों, पारगाना तथा सहकारी संग्राहिता इत्यादि के प्रयत्न वी भाँति अन्य अनेक कार्य होते हैं, जिनका ग्रेना सेवक-मण्डल होता है। इन सब पर जिला अपमर का नहीं, अपितु उनक अपने विभाग प्रधानों का नियन्त्रण रहता है। सरकार को जनता से सम्बन्धित करने वाला इन्हे विभिन्न धारों का समूह माना जा सकता है। लेकिन इन सभी विधों की नीति पर जिला अपमर का विभिन्न अशों में प्रभाव पड़ता है और अपनी सहायता देने तथा आवश्यकता पड़ने पर वसी वरेषप सेवा विभाग तथा जनमत रुक्त्यां माध्यम रखने के लिए वह सदा पृष्ठ भूमि में बनता रहता है।’

जिले के सभी विभाग प्रधानों का अपेक्षा जिलाधीश और कलकटर जनता के अधिक सम्पर्क में छाता है। जिले के किसी अन्य आधिकारी की अपेक्षा उसके काया का जनता के होता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इनलिए उसे वर्ष का समूचित भाग दैन्या तथा अपने प्रभाव लेने के सभी भागों का दोष करने में नितना पड़ता है। दौश बरते समय ही उस जनता तथा उसकी समस्ताओं का सच्चा ज्ञान तथा स्थिति की चाल्तवित्ता से उसका सम्पर्क होता है। कलकटर के कैम्प जीवन का बहुत बड़ा महत्त्व है उसकी उपका ठीक नहीं।

जिलाधीश के बहुमुखी रूप यों तथा शासिया में ऊपर दिये विवेचन से उसके पद का महान् सम्म हो जाना चाहिए। सरकार का यह नप से प्रमुख अपमर है, वही वह धुरी ह, जिस पर सारा शासन धूमता है। जिला अपमरी की नियुक्ति, नीकरी की शाता, तरकी इत्यादि पर नियन्त्रण रखने के लिए विनिश सरकार यदि व्यग्र रहती थी तो वीर्य आश्चर्य नहीं।

कार्यपालिका तथा व्यापार सम्बन्धी कायों की अभिन्नता जिलाधीश और कलकटर की वटी शक्ति तथा प्रतिष्ठा के शोतों में से एक है। जिले की शान्ति तथा व्यवस्था

की स्थापना के लिए उत्तरदायी अफसर के रूप में वह किसी व्यक्ति को जनता की शान्ति के लिए रातह बताना गिरफ्तार कर सकता है। जिले के दण्डन्याय के शासन पर निगरानी रखने वाले के रूप में यह मुस्कदमों में दिये गये निर्णय पर प्रभाव डाल सकता है। जेन का निरीक्षण करने वाले के रूप में उसे यह देखने का अधिकार है कि फैदी के साथ फैसा व्यवहार हो रहा है। इस प्रभार वह समनित रूप से गिरफ्तार करने वाला, जज तथा जेनर है। जिलाधीश के व्यक्तित्व में कार्यपालिना तथा न्याय सम्बन्धी कार्यों की एकता से राजनीतिक मुस्कदमों में न्याय एक बहुत कठिनता से प्राप्त होने वाली चलती बन गयी है। भारतीय जनमत इन दो प्रभार के कार्यों को एक दूसरे से अलग करने के लिए संयुक्त रूप में माँग करता चला आ रहा है। मुश्कर करने के मार्ग में राजनीतिक बारण वाभर बन जाते हैं। बिन्दु नये विधान के अनुमार फौजदारी मामले तथ करने वाले मजिस्ट्रेट ने नियुनि, बदली तथा पदबृद्धि कार्यपालिना के हाथों से लेकर हाईकोर्ट के अधिकार में रह दी गयी है और इस प्रभार कार्यपालिना तथा न्यायपालिना सम्बन्धी कार्यों को अलग करने की माँग को भूमा करने का प्रयत्न किया गया है।

जिले के दुकड़े—प्रशासन की सुविधा के लिए प्रत्येक जिला अनेक छोटे छोटे दुकड़ों में विभाजित है जिन्हे उत्तर प्रदेश में तहसील कहते हैं। जिने का कलाकार और मजिस्ट्रेट इनमें से प्रत्येक दुकड़े ना प्रशासन अपने अधीन वाम उरनेवाले अनेक व्यक्तियों की सहायता से रहता है, जिनमें से कुछ जिने के हेटक्वार्टर पर रहते हैं तथा कुछ विभिन्न दुकड़ों के हेटक्वार्टरों पर। इस अधीन रहने वाले दुकड़े का अफसर, या तो प्रानीय सिविल सर्विस का सदस्य होता है, जिस Deputy Collector या इंसिडेंस मिडिल बर्पिस में न्या भर्ती होने वाला अफसर जिसे असिस्टेंट कलकटर रहते हैं। वह अपने मर्डल का प्रशासन अपने से लीक ऊपर से जिला-अधिकारी के ग्राहन रहने रहता है और अपने दलाने में उसी प्रभार के कार्यों की पूर्ति करता है, जैसा कि उससे ऊचा अधिकारी जिले में। वह जमीन की लगान के प्रशासन की देख भाल रहता तथा प्रथम दर्जे के मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग करता है। उसके नीचे तहसील तथा नाथन तहसीलदार जैसे अन्य लगान अफसर भी हैं। तहसीलदार सामान्य द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग करता है। तहसीलदार का अपनी तहसील में वही स्थान है, जो मर्लकटर का जिले में। तहसील अनेक परगना में विभाजित रहती हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक कानूनगो रहता है। प्रत्येक कानूनगा के नीचे अनेक फटवारी रहते हैं। लगान ना सर से छोटा अफसर पटवारी है, जिसके अधिकार स्कॉल में कुछ गाँवों ना एक समृद्ध रहता है। यही वह आधार निर्मित रहता है, जिस पर लगान सम्बन्धी प्रशासन ना सारा दर्जा रखा रिंग जाता है।

प्रशासन की मन्त्रसे छोटी इकाई गाव है। भारत की लगभग ७०% जन-सम्बन्ध सात लाख गाँवों में रहती हैं जो समस्त दश में कैने हुए हैं। प्राचीन काल में गाँवों को पर्याप्त सीमा तक स्थानीय शासन मिला हुआ था। वे स्थानीय शासन पूर्ण छोटे-छोटे प्रजातन्त्र थे। ब्रिटिश आगमन ने वह सब परिवर्तन बर दिया और आज वे बहल शहरों के लिये जीवत हैं। अपने आप में पूर्ण रहने वी उनकी प्राचीन परम्परा वही शीघ्रता से समाप्त हो रही है और संगठित जीवन के रूप में उनकी प्रमुख पिंडोत्ता अब नहीं रही। ग्राम पञ्चायतों की सहायता से इसे पुनर्जीवित करने के लिये अतीत में प्रयत्न हुए हैं। हमारा फिलहाल सम्बन्ध आम प्रशासन से है। प्रत्येक बड़े गाव का एक प्रमुख होता है जिसे उत्तरप्रदेश में सुरिया, पजाब में लम्हरदार तथा वर्षर्द में पागत कहते हैं। वह गाव की जन-सम्बन्धित सभी बातों के लिये उत्तरदायी है। यह गाव की व्यवस्था की देखभाल करता, जमीन का लगान एकाक्षत करके जले के नजाने में जमा वरता पुलिस को रटमाशों की उपरिधित नी सूचना दता तथा उन्हे गाँव से वाहर कर देता है। सरकार के सभी आदेश उसी के द्वारा प्रसारित किये जाते हैं। गाव में दौरा करने वाले सरकारी अफसरों की आवश्यकताओं की भी वही देखभाल करता है। उसका अतिरिक्त गाँव में पटवारी और बौद्धिकारी भी रहते हैं।

डिवीजनल कमिशनर—अब तक हम जिले तथा उसके डुस्ट्री तद्दीलि, परगना, गाँव का विवेचन करते रहे। जिले से भी वृहत प्रशासन की एक इकाई है जिस पर ध्यान दना आवश्यक है। आधिकार राज्य में, सर में नहा, अनेक जिलों का एक ग्रुप बना लिया जाता है जिसे डिवीजन कहते हैं। उत्तर प्रदेश में छँटा डिवीजन है। इनमें से प्रत्येक द्विइडियन सिवाल सर्विस ने एक युराने अधिकारी के अधीन रहता है जिसे कमिशनर कहते हैं। वह अपने डाकबज्जन के कलकट्टों के काबों की देखभाल करता तथा उनके तथा प्राचीन सरकार की नीच समर्क तथा माध्यम नी नड़ी ना काय करता है। जिले के प्रशासन पर खलकर्ता द्वारा दी हुई याजनाओं के सम्बन्ध में वह आचत नार्यवाही के लिये सरकार ने परामर्श देता है और इस गत नी निगरानी भी रखता है कि वे सरकार की नीतया का नवदार रूप में परिणत नहरे हैं। कुछ प्रान्तों जैसे उत्तर प्रदेश में व नगर जिला-मड़लिया तथा अन्य स्थानीय सरथाओं पर नियन्त्रण रखते हैं विशेषत उनके बजाए पर। और उनके अधिकारों में जीवी कमी हो गयी है। लगान सम्बन्धी मामलों में जिला कलकट्टों के निर्णयों पर कमिशनर अपील भी सुनता है देश का जन मत इस पद ने जारी रखने के पक्ष में नहा है और वह इसका विश्वास चाहता है। यह भारतीय भिन्निल सर्विस का वह आकर्षक पद था और भारत मन्त्री ने अनुमति दे सिवा पद विधित नहीं किया जा सकता था इसके शीघ्र विघटन की अभी कार्य आशा नहीं है।

स्थानीय स्वशासन

परिचयवाहक—गोड पनामने दो छोड़र सविशेष में स्थानीय स्वशासनी सम्पाद्या रा कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। तथापि, एक देश की शासन शरणन की व मनवृत राज्यान्वयन ही है। आज कल काव्यालिङ्ग, विशेषानुसंदेश और न्याय विलिना के साथ उन्हें भी शासन का एक अंग भाग जाता है। इस सूची में सामान्य लोकनेता, विशेषज्ञ और सजनीर्तन दलों की भी शामिल न हो जिया जाता है। इस ग्रन्थालय स्थानीय स्वशासन के प्रयोग से ही एक देश कर्त श्रेष्ठ रीति के लोकनामालय प्रशाली को प्रहरण कर पाता है। अतएव न बहुत आवश्यक प्रतीत होता है कि अपने दश की स्थानीय स्वशासन पदाति इ सम्बन्ध ने उद्धु शब्द कहे जाये।

स्थानीय स्वशासन का विवास—वह भी कभी कह दावा किया जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की शासना विद्या राज्य की देन है। एक प्रसार से वह बात डाक भी है, इससे पहले नामालिङ्ग या विलाम्बट्टरी की भावि हमारे देश में कोई सहाना न थी। दूसरे हिंदूओं से यह दावा सहातर भूता है। भारतीय इन हास के विचारिंगों का इन्हें है कि हमारे देश से यह ग्रामीण भाषा से ग्राम पञ्चायतों के स्थान में वाल्मीकि ग्राम शान्त सम्बन्ध स्थानीय स्वशाली सम्बन्ध रहनी चली आई है। उत्तर चालौंग मैराड़ॉफ ने १८८३ १० में इस प्रश्न पर लिखा है, “आम्य सस्थाणे क्षेत्रे-क्षेत्र गत्यात्म है, त्वय उनसे निवी आवश्यकताद्वा की कभी बन्नुए विश्वान है और जो प्राय नाम सम्बन्ध से मुक्त (स्वावलम्बी) है”*। आम्य सस्थाणे के इस सघ ने, जिसमें झल्लेन (आम्य मन्दा) एक क्षेत्र था राज्य है, मारतीग उन्नता में, मैरा विनार है, सभी मन्नियों ग्रोर पर्दमनों में, जिनमें से हीनर उमे गुड़मना पदा है, सुभ्यर सरने म सन में प्रतिक स्वाक्षरा प्रदान की है और उन्ने ही, बहुत उद्धु अशा में, भारत की (ग्रामीण) सुशाली, स्वतंत्रता, अथवा स्वाधीनता री थोड़ा दिखा है। *

* The village communities are little republics having nearly everything they can want within themselves and almost independent of foreign relations. This union of village communities each one forming a little state in itself.

ये ग्राम्य संस्थाएं एक सिद्धान्त पर आधित भी जो आज तक नहीं स्वीकार किया जाता—रिसी व्यक्ति के नामों या दुष्कृतों के लिए पूरी संस्था उत्तरदायी थी। आज वल की संस्थाओं की भाँति वे निर्वाचित सम्प्रणाली नहीं थे। ब्रिटिश साम्राज्य की द्वाया के साथ आने वाले नये विचारों और प्रभागों की जोड़ से अन्य प्राचीन संस्थाओं के साथ साथ उनमें भी हास हो गया। हमारी आधुनिक ग्राम परिवेश, आधुनिक परिवर्तनियों का ध्यान रखते हुए, ग्रामीन पद्धति वो पुनर्जागित बरने के लिए बनार्द मर्द हैं।

स्थायी स्वरासन एक प्रतिनिधि संगठन, निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी, प्रशासन और वर लगाने की पर्याप्त शक्ति रखने वाला, उत्तरदायित्वे प्रशिद्धाण इलिए एक नियमित, और एक देश की शासन शृंखला की एक मनमूल नई होते के नाते, भारत में ब्रिटिश राज की इन हैं और इसका शर्न. शर्ने विकास हुआ। यह पूर्ण परिपक्व अवस्था का तो बहुत ही दशा, इसे यद्यों उत्तमी भी सफलता नहीं मिली जितनी कि इसके गहने हैं तथा दूसरे दशा में।

भारत ने ग्रामीन स्वशासन का इतिहास मद्रास के बेसीटनी (महा प्राचीन) विभान से प्रारम्भ होता है जहां मी १६८७ ई० के एक राजल चार्टर द्वारा एक नियम (Corporation) अंगरखी टाउन कारपोरेशन के तमून पर बनाया। उसके पश्चात् वर्ष १८५८ व्यार कनकता नगर में भी इस प्रकार के नाम सनाए गये। स्थानीय स्वशासन का प्रयोग बहुत समय तक इन्हाँ तीन नगरों तक सीमत रहा। १८४४ ई० में पहली बार इसे बगाल क दूसरा नगरा तक पैलांग का प्रयोग किया गया। उस वर्ष नव एक आधिनियम इसु विचार संसार संबंध में आया गया। कि १८८८ जनवरी के नवाँ सिम्मों ने लावजनक स्वास्थ आंश सुविधाओं के लिए सभा इकट्ठा बरते रखने का अधिकार मिले। जाद में इन ऐकट का निरसन (Repeal) नर दिया गया और १८५० में एक और अधिनियम बनाया गया जो कि समस्त ब्रिटिश भारत पर लागू किया गया। यह एक हम कह सकते हैं कि १८५० के ऐकट ने नगर द्वारों के द्वितीय नगरालिंगाओं के विकास में दूसरे दुग का श्री गणेश किया।

वह कहा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन का नामनिक शिलालघ्नि १८८० ई० में लाई गयी नी सरकार के प्राचीन वित्त मण्डली एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ। इसमें इस आवश्यकता नी और सरेत दिया गया कि शिला, सपाई, ग्रौनध, महायता और

has I conceive contributed more than any other cause and the preservation of the people of India through all the revolutions and changes which they have suffered and is in a high degree conducive to their happiness and to the enjoyment of a great portion of freedom and independence.

स्थानीय सार्वजनिक निर्माण कार्यों से सम्बन्ध रखनेवाली निधि जा प्रगत्य और नियन्त्रण स्थानीय सत्थान्त्रों के अधीन रहना चाहिए। अगला कदम लाई रिपन ने उठाया। १८३० ई० के प्रलाव को नियन्त्रित करने के सभी प्रथला और उनके परिणामों का सर्वोच्च अध्ययन और विश्लेषण करने के पश्चात् १८८२ ई० में लाई रिपन की सरकार ने एक प्रमिद्द प्रस्ताव पारित किया जिसने स्थानीय मामलों में स्वशासन को पहुँचे के अधिक सहायता दी। इस प्रस्ताव ने स्थानीय मामलों दी जनेक शास्त्राओं में स्थानीय स्वशासन के मिडान्ट जा पहुँच लिया और इसे राजनीतिक और लोकप्रिय शिक्षा का एक माध्यम स्तीकार किया। इसका उद्देश्य लोगों को अपने निजी मामलों का स्वयं प्रगत्य करने ने लिए प्रोलाहन देना और उन्ह उन ममा विषयों में स्वावलम्बी बनाना या जिनमें सरकारी कमचारियों का हन्तारेप आवश्यन नह। इसने स्थानीय स्वशासन ने पहले प्रयना उदोषों को दूर करने की कोशिश की। इसमें पहले भी स्वशासन मस्थान्त्रों का यह दोष था कि वे नहुन अधिक लटी हुई था और कमचारियों के हलचौप से वह सफल न हो सकी।

इन दोषों को दूर करने जा रहे रीतियों से प्रयत्न किया गया। (1) नवे ऐकड ने पहला बार स्थानीय स्वशासन के मिडान्ट को गावा तक पैलाया। उस समय तक आमा मानी प्रकार के स्थानीय नोर्स न थे, स्थानीय सड़क, स्कूलों, चिकित्सालयों में सम्बन्धित विधियों का प्रबन्ध जिले के प्राधनीय स्थानीय परामर्श शक्ति ममिनि (Local Consultative Committee) दी सलाह में रखते थे। इन परामर्श शक्ति नामतरा की भग वरक उनके न्यून पर स्थानीय या जिना राई रखा गया। (2) दूसर नगरों में भी स्थानीय स्वशासन के मिडान्ट का निलार किया गया और नगर समाजों को पहले ते अ भड़क स्वायीता दे दी गई। (3) तीसरे, स्थानीय सम्बन्धान्त्रों के ऊपर न सरकारी कमचारियों की सरया नहुन बम वर दी गई। अब इनकी सरकारी समर्ति के सदम्या की सत्या नी एक तिहाई से अधिक न हो सकती थी। (4) चौथे, इसने इस प्रयत्न के मिसारिया की कि एक स्थानीय बोर्ड जा अध्यक्ष, प्राव गैर सरकारी होना चाहिए। उस समय तक जिलाधीश ही नगरपालिका और जिलामिनियों का पदन (Ex-officio) अवृक्ष होता था। (5) अन्तिम जात, इससे यह मिसारिया कि प्रान्तीय सरकार के स्थानीय सम्बन्धान्त्रों का अन्दर के दक्षय बाहर से नियन्त्रण करना चाहिए।

इस प्रस्ताव के प्रभागित होने के थोड़े ही समय गाद सभी प्रान्तों में इन सिफारिशों की कार्यान्वयन वरने के लिए लाकल सेल्फ गवर्मेन्ट ऐकड पास किये गये। परन्तु, अपर्याप्त अधिक साधन, लोगों की वैपरवाही, सीमित मताधिकार और सरकारी कमचारियों के विस्तृत नियन्त्रण के कारण इस योना को अधिक सरलता

न मिल सकी। अधिकतर कलकत्ता जैसे सरकारी कर्मचारी ही इनमें अच्छत नियुक्ति दिये जाने रहे और बहुत से नगरों में नगरपालिका ना कर्त्तव्य विभाल इन सरकारी अध्यक्षों के नाण्डों को उन्होंका त्वीकार करने तक ही सीमित था। इस चोजना की असफलता का एक और यह कारण था कि नीतीशी शताव्दी के आरम्भिक दस वर्षों में ही पुरुषक साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया। साम्प्रदायिकता ना यह सदानंत स्थायी स्वशासन के सिद्धान्त के सर्वथा प्रतिकूल है, स्थानीय सम्प्रदायों में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के अपनाने से इनकी असफलता निश्चित हा थी।

स्थानीय स्वशासन के पश्च ना भारत सरकार ने १९१५ई० तक नहा उठाया, जब तक इसने इस प्रियत्व का प्रस्ताव पास किया। परन्तु इसने पहिले कि यह प्रस्ताव कार्योन्नित कर्या जाता, भारत मंत्री ने सबधानांन सुधारा की चूना शुल्क दी और १९१६ई० में भारत सरकार ने दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव कर्या यह प्रस्ताव इस सिद्धान्त पर आधित था। इन उत्तरदायक स्थायों जड़े नहा पकड़ उठाते जब तक उनका उधार हा वस्तुत न हा जाय। बाट का समझदारी के साथ उपयाग और स्थानीय स्वशासन में आधशासन शक्त्या का युन्नपूर्ण प्रयोग हा राजने तक शक्ता का सबशुष्टु पाठशालाएं ह। पर स्थानीय अनुबूल इस प्रलाप ने स्थानीय सम्प्रदायों का आधक स अधिक जनता ना प्रतनाव भनान का प्रभाव लिया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसने मता बनार इन शता ने हजार किया और इन सम्प्रदायों में नवाचत सदस्यों का बहुमा दर दिया। इसने यह उल्लेख भर कि कम स कम तन चार्थाई स ट चुनाव स भर। जान आर दक्ष परमश दने के लिए मन चुने सरकारी कर्मचारा। मनानीत इन जय परन्तु इन्ह मन दने का अधिकार न होना चाहिए। दूसरे नगरपालिकाओं पर अधिक पद पर मरदारा आधकारी के बजाय निवाचत सदस्य था रख भर इस प्रस्ताव के द्वारा नाल्ल नियन्त्रण को कम किया गया। तीमर अभने होनादिकार में इन सम्प्रदायों को दर लगाने के अधिक अधिकार मिल गये। चार्थ उड्डान के सम्बन्ध न उन्ह अधिक स्वतन्त्रता मिल गई। इन में स बहुत से सुभाव इस विचार से रखे गये थे। इन स्थानीय सम्प्रदायों के ऊपर स ग्रान्तीय सरकार वा नियन्त्रण कम रा जाय और उन्ह आधक शासना मिल जाय। १९१८ई० के प्रस्ताव के दा और सुभावों ना आर भान आर्मित किया जा सकता है। एक यह था कि प्रयोग प्राप्ति म एक पुरुषक स्थानीय स्वशासन ना विभाग हा और दूसरा सुभाव आमा में ग्राम पचासत बना दर सरकारी जीवन विकास वरते से सम्बन्ध रखता था।

इस प्रनाल पर तुरन्त ध्यान दिया गया और आगामी दो वार्षिक बर्षों में बहुत से प्रान्तों में इस आधार पर कानून पास रिये गए। १९१६-१७ के मुधारों ने देश में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया, और प्रान्तों में एक उत्तरदायी मण्डी के अधीन हस्तान्तरित विधों के अन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन का एक पृथक किमान बना दिया गया। वे स्मरण रखना चाहिए कि मटेम्यू लैम्सफोर्ट रिपोर्ट के आधारभूत मिद्दानों में से एक यह था कि स्थानीय संस्थानों ने जहाँ तक सम्भव हो युक्त रिया जाये।

मुधारों के अनुसार जो विधान मण्डल बने। उन्हें बहुत से प्रान्तों में स्थानीय स्वशासन के मुधार और विस्तार के लए विधान चयाए। उन्हाने मार्गिधार का विस्तार किया और योदों में कुर्द रखने उन्हे अ धर्म शक्तिया दा। उन्ह सरकारी पदाधिकारियों के नियंत्रण ने मुक्त करने गौर एक व्यापक निवाचक जन सरका के प्रते उत्तरदायी बनाने की रोशनी की गई। १९२५ के एकट के द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन में काई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद स्थानीय स्वशासन संस्थानों वहुत अधिक प्राप्तान्त हिला। हमारे प्य (उत्तर प्रदेश) में १९४७ के पचास राजप्रेक्ट गौर १९५० के ऑस्ट्रेक्ट गौर ग्यूनम्यल योर्ड एकट के द्वारा गाव गौर नगर के नियायियों की स्वशासन के अधिक अधिकार मिल गए हैं।

विशाम की वहुत धीर्घ गति के परिणाम स्वरूप, जिसकी महत्वपूर्ण अवस्थाओं का ऊपर उल्लेख दिया जा चुका है हमारे दश में आज बहुत सो स्थानीय संस्थाएँ काम कर रही हैं। तीन ड्रेसेस्टों दाउनों ने कारपोरेशन (निगम) है, वडे वडे नगरों में नगर यानि नार्ड हैं छोटे शहरी इलानों के लिए दाउन नॉर्मटिव गौर नोटी फाइब एपर्ट कमेटी है, जिले के रिट जिला मण्डली (District Board) हैं। इनके अंतर्गत गावों के लिए आम व्यापत है। इन में से प्रत्यक्ष का गठन संगठन अग्रही आगे बढ़ने रिये हैं।

निगम

प्रेमांडेन्सी दाउनों को छोड़कर बासी सभी वडे वडे नगरों में स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ नगरपालिका कहलाती हैं। प्रेमांडेन्सी दाउनों में इसका नाम नारपोरशन या निगम है। प्रत्येक निगम एक प्रथम अधिनियम के अनुसार बनाया गया है और एक निगम ने अधिकार गौर कर्त्तव्य दूसरे निगम के अधिकार और वर्त्तयों से मिलते हैं, एक प्रान्त की सभी नगरपालिकाएँ एक ही एकट के अनुसार बनाए जाती हैं, इसलिए सभ के सभान अधिकार और कर्त्तव्य होते हैं। निगम का नगरपालिका से ऊचा

दर्जा है, इसके सदस्य बौसिलर और इसके ग्रन्थज मेयर कहलाते हैं। आसार में भी निगम ही बड़ा होता है। बन्वर्ड निगम में १०६ बौसिलर हैं और कलकत्ता निगम और लखनऊ की नगरपालिकाओं में तीस चालीस के बीच ही सदस्य होते हैं। हमारे राष्ट्र (उत्तरप्रदेश) की सरकार के सामने एवं यह सुझाव है कि लखनऊ, कानपुर जैसे नगरों की कारपोरेशन बना दी जाय।

बन्वर्ड के निगम में तीन प्रकार के सदस्य हैं—निर्वाचित, मनोनीत और बाहर से मिलाए हुए। निर्वाचित सदस्य उन योद्धों से चुने जाते हैं जिन में नगर बो निर्वाचित के लिए विभाजित किया गया है। बन्वर्ड चेमर आफ कामर्स, दि इण्डिन मैनेज्मेंट चेम्बर, दि बिल आनस ऐसोसिएशन और बन्वर्ड विश्वविद्यालय में से प्रत्येक एक एक प्रतिनिधि भेजता है। उल्लेख का सरकार मनोनीत करती है और याकी कुछ निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के बहुमत सी तिथारिश पर बाहर से सदस्य मिला लिये जाते हैं। ये कासिलर विस्तृत मताधिकार ने आधार पर चुने जाते हैं और इनमें विशेष हितों—व्यापार, याणिपत्र, अम बो विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है। बौसलर ही मेयर का चुनाव करते हैं। पिछले दिनों से बन्वर्ड में एक परम्परा चली आती है नि हिन्दू, मुस्लिम, पारसी और योश्वियन में मेयर बारी-बारी से बनाये जाते थे। नलन्ना की कारपोरेशन स्वयं अपने अधिकारी पदाधिकारी (Executive Officer) की नियुक्ति करती है, जब नि बन्वर्ड में ऐसा नहा होता। बन्वर्ड निगम की आय लगभग तीन लाख है और कलकत्ता की लगभग दो करोड़ रुपया।

नगरपालिका

माधारण परिय—बर्मा बो निगम कर विभाजन के पूर्व ब्रिटिश भारत में ६८८ नगरपालिकाएँ थीं, जिनकी भिन्न भिन्न उन्नस्तदा थी। आमतौर से लगभग १४०० नगरनिवासियों को नगरपालिकाओं के लिए मत देने का अधिकार था। सभी नगर पालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों ना बहुमत होता था। निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों ना पारस्परिक अनुगत प्रत्येक प्रान्त में भिन्न भिन्न था। बन्वर्ड राज्य में सब से अधिक नगरपालिकाएँ हैं, चूंकि अन्य प्रान्तों की निष्पत्ति इसकी जन संख्या ना अधिक प्रतिशत नगरों में निवास नहीं है। आमाम में भारत के राज्यों में, सब से ज्यान नगरपालिकाएँ हैं।

आगामी पृष्ठों में हम उत्तरप्रदेश की नगर पालिकाओं के सगठन, शक्तियों और कार्यों पर विचार करेंगे।

सगठन—उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं वा प्रशासन १६१६ हॉ वे यू० पी० ग्रूनेसिपेलरीज ऐक्य पर आधारित है। यह समय समय पर सशोधित होता रहा है

ओर इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन अभी १९५० ई० में किए गए ह। एक अधि
सूचना (Notification) के द्वारा राज्य की सरकार किसी भी स्थानीय चैन
का नगरपालिका घोषित ओर इसकी सीमाएं निर्धारित कर सकती हैं, और
विसी भी नगरपालिका के द्वेष को घटाना सकती है। इसी पहिली
अधि सूचना नो, जिसे विसी द्वेष का नगरपालिका घोषित किया हो, सरकार द्वारा
अधि किया जा सकता है। १,००,००० से अधिक की जन सख्त्या होने पर कोई मून-
रद किया जा सकता है। सलैंटी 'सिटी' घोषित की जा सकती है।

अग्रों खोड़े दिन पहिले तक उत्तरप्रदेश में ८५ नगरपालिए थे, जिनमें से ११
सिटी (नगर) थे और वाकी में नान सिटी भूनियत्वित था। मेरठ, मसूरा, आगरा,
दरेली, मुरादाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, फैजाबाद और नैनीताल
सिटी थे। पिछले वर्ष २१ नोटीफाइड एरिया और दो टाउन एरिया नान सिटी
भूनियत्वित बना दिए गये। आज वल कुन नगरपालिकाओं की सख्त्या १०० है। *

जो सशोधन १९१६ ई० के ऐकड़ में इस वर्ष के शुरू में किये गये, उन्हाने इस
राज्य की नगरपालिकाओं की सूचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये ह। सशोधित ऐकड़
के अनुसार केवल उन जगहों का छाड़कर जन्ह सरकार गजट पे प्रमाणित करे,
प्रत्यक्ष नगरपालिका ना एक प्रधान हागा जूनाव सभी मतदाता वर्ग, कम से
कम २० और अधक स अधक ८० जैमा सरकार न शवत कर, नवा चत सदस्य होमे
आर कुछ बाहर से मलाए हुए (काग्राप्टड) मदस्य हागा, जूनाव सरपा कानपुर,
बनारस, आगरा, लखनऊ में ग्राठ ग्राठ, शेरौ सिटी भूनियत्वित्या में छ और
नौन सिटी भूनियत्वित्या में चार चार हागा। बाहर से लिए गए सदस्यों में से ग्राधी
स्थिरां और शेरौ ग्राधी उन प्रयोग हितो के प्रातनध दोग, जन्ह सरकार नियत करे।
ऐसा कोई व्यक्ति का अप्ट नहा इस्या जा सकता जा या ता समर्से हाता न साधारण
चुनावा में हार चुका हा या जा निर्माचत होने के बोग्य न हा। अब इन बाहर से
लिये गए सदस्यों ने वह स्थान प्रहृण किया है जा पहले मनानीत सदस्यों न लिये नियत
था। यह भी ध्यान देने याग्य है कि सरोधन द्वारा प्रत्येक नगरपालिका न सदस्यों
की सख्त्या में पर्याप्त दृढ़ कर दी गई है। पुराने समय में बड़ी से बड़ी नगरपालिका
में ३८ सदस्य थ, जर्मिक नई व्यवस्था में यह सरपा ८८ तर हो सकती है। छोटी
से छोटी नगरपालिका में २५ सदस्य होंगे (एक प्रधान २० निर्वाचित सदस्य और
चार बाहर के लिये गये सदस्य), पुरानी पदति के अनुसार वह सख्त्या ७ निर्धारित थी।

* देल्हिए Govt Report on the Working of Local Self Government
in Uttar Pradesh for 1949-50

मूरी, नैनीताल और हल्द्यानी की नगरपालिकाओं का पथक रीति ने सगड़न होगा। इनमें से प्रत्येक गढ़ में प्रधान, सरकार द्वारा निश्चित सरकार में निर्वाचित सदस्य आर कुछ सरकार द्वारा मनानीत सदस्य होंगे। यह आवश्यक नहीं कि इन स्थानों का प्रधान नियोचित ही हो। नगरपालिकाओं के सगड़न में एक और महत्वपूर्ण यह परिवर्तन किया गया है कि अब पथक माम्रदानिन चुनाव और अल्पसंख्यकों के लिए 'वोटेन' की विपैली पद्धतियों का न्यून कर दिया गया है। भविष्य में हमारी नगरपालिकाओं का संयुक्त नियाचन पद्धति से चुनाव होगा, जिसमें मुन्ह माना ग्यार परिणामित जातियों के लिए उनकी आनुपानिन सरकार के आधार पर जगह सरकारित कर दी जायेगी।

साधारणतया एक नगरपालिका का चार वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है। प्रत्येक चार वर्ष के पश्चात् नगरपालिका के साधारण चुनाव नियत सम्पर्क पर होने हैं। चुनाव की नियम का निर्णय सरकार बरनी है। सरकार ने यह भी अधिकार है कि 'वोई' के कार्यकाल की प्रशंसन वडादे और साधारण चुनावों को स्थगित करद। परन्तु एक वार में एक वर्ष से अधिक ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि सरकार का ऐसा विचार हो कि लोकहित के लिए चुनावों का शीघ्र होना आवश्यक है तो वह अधिक समाज होने से पहले भी साधारण चुनावों की घोषणा कर सकती है। इसी एक नगरपालिका का भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

मताधिकार—सशोधन ने मताधिकार में भी आमूल परिवर्तन किया है। पहिले मताधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूर्य करना पड़ता था आयु और निवास की शर्तों के अनिरिक्त किसी स्त्री या पुरुष के लिए एक मन्दाता बनने के लिए यह आवश्यक था कि वह या तो श्रेष्ठ हो या उम से कम ३६) वापिस नियाये के भर्ता का मालिक या नियोदेश वापिस देता हो, कम से कम १०) लगान देना हो। अब वह सभ कुछ हरान्न प्रौढ वर्चियों को मताधिकार द दिया है। एक व्यक्ति जिसकी आयु २१ वर्ष या उससे अधिक है और प्राय ६ मास से एक नगर में रह रहा है अपना नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज करा सकता है यदि उसके साथ और कोई अपेक्षा नहीं हो। यह स्मरण रहे कि केवल वे लोग ही नगरपालिका के चुनावों में बोट दे सकते हैं जिनके नाम निर्वाचक नामावली में छुप गये हैं। जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं या जिनको एक मान्य न्यायालय में पागल करार दिया है, या जिनकी एक वर्ष से अधिक जेल हो गई हो या भारतीय दरड सहित (Indian Penal Code) के १०३ या ११० न्याय के अनुसार जिन्हें सद्व्यवहार की जमानत भरनी पड़ी हो, वे सभ मत देने के अधिकारी न होंगे। सरकार जेल जाने की नियोग्यता को दूर कर सकती है और किसी भी दशा में इन प्रमार की नियोग्यता जेल से मुक्त होने के चार वर्ष नाद रहेंगी।

राई भी व्यक्ति, द्वीया या पुरुष, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है नगरपालिका के तुनाबां में सहज ही समता है वशतें कि वह—

- (I) नगरपालिका, राज्य अथवा ज़मीं की सखार का वैतनिक सेवक नहीं है।
- (II) अवैतनिक दरडाधीश (मजिस्ट्रेट) मुनिसिप या असिस्टेंट क्लक्टर नहीं है।
- (III) सरकारी सेवा से वर्गात्मक नहीं किया गया है।
- (IV) वकालत करने से नहीं यक दिया गया है।
- (V) नगरपालिका के द्वारा या उसके को नहीं तुम सना है।
- (VI) काढ़ी या दिवालिया नहीं है।

नगरपालिका के कृत्य—यह एक परम्परा है कि राजनीय संस्थाओं—नगरपालिका और ज़िला-भर्डल के कामों वो ग्रनिवार्य और वैनलिक दो भागों में बांटा जाता है। ये सब कृत्य अनिवार्य कहलाते हैं, जिन्हें इस प्रबार की संस्थाओं को उसना पड़ता है और जिनके लिए उन्हें कानूनन अपने बजट में से कुछ सचें करना हाता है। इनके अतिरिक्त ये सब कृत्य वैकल्पिक कहलाते हैं जिन को इन संस्थाओं की स्वेच्छा पर छाड़ दिया जाता है। ये कृत्य प्राप्त धन राशि के अनुसार घटाये बढ़ाए जाते हैं। यदि धन इक्षु न हो तो कोई संस्था इस प्रबार के कृत्यों के न उत्तर के बारण दोगे नहीं ठहराई जा सकती।

अनिवार्य कृत्यों में—सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुविधा आए और सार्वजनिक शिना शामिल किये जाने हैं। मूलभित्ति ऐक्ट में ये कर्तव्य इन्हीं का कु अन्यगत नरमी से नहीं दिये गये हैं, परन्तु विना किसी क्रम के द्वी इनमा वर्णन है। यदि इन्हें तीन भागों में बाया जाये तो इन्हें समझना और अधिक भय हो जायेगा।

(I) सार्वजनिक सुरक्षा से संबन्धित—इस शीर्षक के अन्तर्गत नगरपालिका के कर्तव्यों में सदांग और सार्वजनिक स्थानों पर रात में रोशनी करना, आग उभकाने के लिए 'आपर ऑफिस' का रखना, ईट चूने के बनाने वाले भट्टों का, जा स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है नियन्त्रण करना, सतरनाम मामानों वो गिराना या हटाना, पागल कुत्तों और जगली जानवरों सा मारना आदि सम्मिलित हैं। 'प्रथम सुरक्षा' (Safety First) जैसे—सड़कों पर ग्रामगवन' का नियमन, भीड़ और सवारी गलियों में पगड़ डियों का प्रबन्ध, दुर्घटना से उचाने का प्रबन्ध भी इसी के अन्तर्गत आते हैं। हमारे देश में यह कर्तव्य पुलिस से कराया जाता है, परन्तु विदेशों में नगरपालिकाएँ ही ऐसे कर्तव्य करती हैं।

(II) सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबन्धित—नगरपालिकाओं द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जा कृत्य किये जाते हैं उनका बड़ा महत्व है। इसमें सार्वजनिक भागों की

सफाई, पराने और दूसरी गन्दी चीजों को हटाना और उसे बेचना, नालियों का बनवाना और उन्हें टीक रखना, ग्रौमधालयों और चिकित्सालयों को खुलवाना, सड़ने वाली सचियों को हटाना, सार्वजनिक पराने और पेशावर घरों की समाई, संग्रामक रोपों की रोक थाम, धीने के पानी का प्रबन्ध, बूच डराना वीं देखभाल आदि शामिल किये जा सकते हैं।

(III) सार्वजनिक मुक्तिधार्यों से सम्बन्धित—सार्वजनिक गलियों और स्थानों पर पानी पहुँचाना, सावजनिक सड़कों की योजना बनाना और उनकी रक्षा करना, पुलिया और सापबनिक वाजारों की देखरेत करना पशुओं के माडे बनवाना, जन्म का रजिस्टरों में दर्ज करना, शवों का दराने के लिए जगहों को प्राप्त करना, बूद्ध करकड़ ढालने का प्रबन्ध करना और सड़कों का नाम रखना इस श्रेणी के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार के कृत्यों में तारे रिहावालों को लाइसेंस देना और शहर में एक जगह से दूसरी जगह तक यातायात तथा प्रबन्ध करना भी शामिल किए जा सकते हैं। विदेश में नगरपालिकाओं सार्वजनिक समाजों के चिए मुन्द्र आर वशाल हाल, नार करालाए, बिनाद आर काढास्थन इत्यादि का भी प्रबन्ध करती हैं। भारत में भी कुछ नगरपालिकाओं ने अब भवन नमगाए ह यद्यपि वे इसने विशाल नहीं हैं।

(iv) सार्वजनिक शिक्षा से सम्बन्धित—गलों की शिक्षा के लिए ग्रन्ति के लिए विद्यालयकार में प्राइमरी स्कूलों का स्थापित करना नगरपालिकाओं के सभी प्रमुख कर्त्तव्यों में से एक है। सरकार ने शहरों हल्का में शिक्षा का कार्य नगरपालिकाओं के हाथ में दें दिया है।

भारजनक पार्स, जग, पुस्तकालय, समझालय पागलघाने, हाल, धर्मशाला, विश्वामित्र, गरीबों के घर, डीरी, स्तनागार वार्वार्डों और सावजनिक लाभ की अन्य चीजें, सड़कों पर तथा अन्य जगहों में बृक्षारोपण, जनगणना, मरमान और भूमि की माप करना, विवाह तथा इन्द्रियज करना, बाढ़ के समय महानता देना इत्यादि, ट्रामगाड़ी रेलवे या आगामन के अन्य सावनों का प्रयोग करना और मेने तथा नुसादशा का कराना इमारे देश को नगरपालिकाओं के कुछ आर नैकालक वर्त्तव्य हैं।

प्रयोग नगरपालिकाओं की आनवाय करने पड़ते हैं आर बहुत ही महत्वपूर्ण नगरपालिकाएँ अनेक वैकल्पिक कृद्यों का भी पालन करती हैं। परन्तु भारत की कोई भी नगरपालिका उन स्तर का क्षु भी ना सकती है जिस पराम पाश्चात्य दशों की प्रगतिशील भूमिकिलिया पहले ही पहुँच चुकी है। अभी हमारे दश में नगरपालिकाओं के राय वित्तार के लिए बाही गुन्जाइश है। पाठक वे लिए डा० अल्पदेश के उन विचारों का उल्लेख करना बहुत दूर होगा जो कि उसने अपनी पुस्तक मूर्निशिल

गर्भमेरठ इन फॉन्टेनिशल यारूप (Municipal Government in Continental Europe)में प्रस्तुत किए हैं। उनमा रुथन है—‘जर्मन विचार ने अनुसार नगरपालिना ने डूत्यों की कोई सीमा नहीं है। सभा की शिक्षा विनोद और रीड़ा, जीवित साधनों का प्रचारणा, परिवार के जीवन तथा आयातिमन विचार के लिए, लागों को मन्य और मुस्कृत रूपाने के लिए वैकल्पिक, मित्रायामा के प्रचार के लिए, दुष्यन्ताश्चात्रा से चराने और अवसरों के रूपाने के लिए, औद्योगिक और वाणिज्यिक हितों की रक्षा और सुधर सुविधाओं की प्राप्ति दरने के लिये जमता के नगर उच्चर दापा होने हैं।’ * इनीय महाउद्ध के आरम्भ स पाल्लो उच्चर प्रदेश में कान्त्रेम सरकार ने एक योजना बनाई थी। जिसके अनुसार स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का बहुत कुछ वार्ष और शान्ति विस्तार हो जाता परन्तु उस योजना के पारस्पर होने से पूरे ही उन लोगों की लागत दरने पड़े। यह योजना दायरा काम्य मन्त्रिमंडल ने बनने के पश्चात् निर उठाई गई। नए संशाखों के अनुसार यब नगरपालिना के डूत्यों में अभिवृद्ध कर दा गई है। अब ० सार ग्राम दायरा का प्राप्ति नगरपालिना के डूत्यों में अभिवृद्ध कर दा गई है। अब ० सार ग्राम का प्राप्ति नगरपालिना के डूत्यों में अभिवृद्ध कर दा गई है। अब ० सार ग्राम का प्राप्ति नगरपालिना के डूत्यों में अभिवृद्ध कर दा गई है। ये नियम या उपनियम सरकारी विधियों और नियमों के लिए केन्द्र स्वाजनना ग्राम क्षिजीड़िन बलवर को प्रोत्साहन देना भी नगर पालिका के कर्त्तव्य में शामिल है।

अबने उत्तरा ना ठीक प्रकार पालन नरने ग्राम सामाजिक मुख्या, स्वास्थ्य और मुावधाओं के लिए नगर पालिकाओं का नियम और उपनियम बनाने का अधिकार है जिन्हे वे सरकार की सहायता में कामान्वत् भरती है। ये नियम या उपनियम सरकारी विधियों और नियमों के लिए नहीं चाहए।

नगर पालिका विज्ञा—अपने अनिवार्य और वैकल्पिक कर्त्तव्यों के पालन के लिए नगर पालिकाओं को कुछ कर लगाने ना भी अधिकार है। इन स्थानों में से कुछ प्रत्यक्ष (Direct) और कुछ अप्रत्यक्ष (Indirect) कर होते हैं। पहले अप्रत्यक्ष कर जिनमें से चुंगी मुख्य है अधिक महत्वपूर्ण य। निम्नलिखित कुछ मुख्य कर हैं जिनसे नगर पालिका का विशेष ग्रामदानी होती है। (1) सामान और जानवरा पर जो नगर में लाए जाते हैं, चुंगी, (ii) नगर ना परानाड़ा में आने वाली वस्तुओं पर भीमा कर (Terminal Tax) आनमल कुछ नगरों में चुंगी के रजाय सीमाकर लेता जाता है। (iii) गाड़ियों, जानवरों और सामान लद हुए कुलिया पर जो दि नगर पालिका ना परानाड़ा में देश कर, मामूल, उपरोक्त तीनों अप्रत्यक्ष कर है अर्थात् इनमा वास्तविक भार उन वर्किया पर नहीं पड़ता है जो वास्तव में चुंगी देने ह। अन्ततः

यह भार उन नागरिकों पर पड़ता है जो सामान खरीदते हैं। (iv) कुछ ऐसे कर होते हैं जो नागरिक जन सेवाओं के उपलक्ष में देते हैं, जो नगरपालिका करती है, जल कर, (Water Tax), भगो नर, पसाना नर और कुछ हद तक गाड़ियों, जानवरों पर बर इनी श्रेणी में आते हैं। इन करों को पूर्णतया इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि पानी की रसद, और पानी के तथा सड़कों नीमकाई का सच पूर्य हा जाये। (v) व्यापार और व्यवसायों पर कर जैसे शमर साफ बरने वालों पर नर, नपड़े न व्यापारियों पर कर (vi) इमारतों के बारिंग मल्ट पर और आय पर कर, इमारतों पर लगाए करों में हाउस टैक्स भी शामिल है। एक व्यक्ति नी आय का साधारण मापदण्ड उसने मकान की कीमत से लगाया जाता है। एक हाउस टैक्स के नदले या उसके साथ साथ व्यापार और व्यवसायों पर आम टैक्स लगा देती है। कुछ नगरपालिकाएं यारियों पर भी कर लगा देती है। जिन गाड़ियों पर टैक्स लगाया जाता है, उनमें मोटर गाड़ी शामिल नहीं है।

इन्हें अतिरिक्त नगरपालिकाओं की और साधनों से भी आय होती है, जैसे— पालानों का विक्रय, नालों के पानी का बेचना, नगरपालिका की दुकानों, बाजारों और ननूल भूमि का कियाया। स्कूलों की फीस और जुमानी। मुनिसिल व्यापार को भी एक अच्छा साधन बनाया जा सकता है परन्तु यह हमारे देश में प्रचलित नहा। कुछ अनुदान द सकती है जैसे निर्धारित चेतामें नि शुल्क ग्रनिवार्य शिक्षा न लए। जब कोई किसी भद्र पर असाधारण (Non recurring) खच करना होता है। तो नगरपालिका सरकार से कृष्ण ले सकती है, या अपनी ही आय की जगत पर खुले बजार से उधार ले सकती है। यह बतलाना आवश्यक है कि चु गी के नदले सीमा कर लगाने के लिए नगरपालिका को पहिले राज्य की सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। कानपुर के अतिरिक्त शायद ही कोई दूसरी नगरपालिका है जिसने चु गी की जगह सीमा कर लगाया हो।

यारिक आय व्यवस (बजट) एक विशेष रीत से बनाया जाता है, जिसे राज्य की सरकार निर्धारित करती है। इसके साथ एक सूनी इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें कुन सब निर्माण कायों का और तसम्बन्धी उन सब वातों का निश्चित ढग से उल्लेख होना चाहिए जिन्हें नगर पालिका आगामी वर्ष में करना चाहती है। यह किसी स्थानीय समाचारन्पत्र या ऐसे पत्र में प्रसारित होने चाहिए जिससे सरकार इस अभिप्राय के लिए स्वीकार करे।

जब नगरपालका इस बचट को स्वीकार कर लेती है तो यह जिलाधीश के द्वारा कमिशनर के पास भेज दिया जाता है और बादर चर्चा और नालियों से समन्वित बचट के न्यायीने साप्रजनिक स्वास्थ्य विभाग के मुखरिएटेएटर इङ्ग्लिषर के पास भेज दिये जाते हैं। मुछु विभाग में कमिशनर को बचट के बदलने वा हक है खास तार से जब कि उनका यह प्रियास हो जाये तर अग्रण और आवश्यक वकाया के बारे में उचित प्रक्रम नहीं है। यह भानु चुरचा, स्वास्थ्य और साप्रजनिक शान्ति पर प्रभाव डालने वाले मामलों में भी हल्कूप कर सकता है।

जिन शीर्षकों के अन्तर्गत नगरपालिका आय और व्यय करती है उनका सारेक महत्व समझने के लिए मेरठ की नगरपालिका ने इस वर्ष ने बचट नीचे उद्धृत किया जाता है—

आय के मुख्य स्रोत	रुपय
१. दुमी	१२,००,००
(Share of contonment Board)	—३,८०,०००
२. भूमि तथा मकानों से कर	१,५०,०००
३. साइकिल वर आदि	१६,०००
४. घड़ों पर कर	३००
५. पशुओं के गड़े	१,२००
६. घोड़ा गाडियों और तागा पर कर	३,०००
७. अमीन आप मराना वा इत्यादि, तेह वाजारी आदि	२८,५४०
८. पेड़ा और धान की विनी वी आय	३,८००
९. खाद की विनी	१,४०,०००
१०. स्कूलों से पीस इत्यादि	२,००
११. दुकानों इत्यादि का इत्यादि	२०,०००
१२. बूचड़नाना की फीस	७,५००
१३. पानी वी विनी से आय	८८,८००
१४. नकल करने की फीस	६००
१५. छुकड़ों पर लाइसेन्स फीस	५,५००
१६. छुप्ने इत्यादि की फीस	३,०००
१७. विजली से आमदनी	१,६६,२६०
१८. शूद इत्यादि	१,०००
१९. सरकार द्वारा शान्त लारी टैक्स का इत्यादि	६,१८०
२०. जुमाने इत्यादि	१०,०००

२१ सरकारी सहायता		४०,०००
२२ सरकार से शिक्षा के लिए अनुदान		१,२६,०००
२३ संसदास की सफाई की वसूलयापी		६,०००
२४ विवध		४०,४००

योग

व्यय के मुख्यशीर्षक		२०,७३,८८०
१ सामान्य प्रशासन	रकम	
२ करों को उधाना		४७,४००
३ फायर ब्रिगेट		१,४२,०६०
४ रोशनी		१०,३२८
५ पानी के लिए नल इत्यादि विद्युता		४३,६६८
६ पानी का प्रबन्ध		१५,०००
७ नई नालियों का बनवाना		१,१३,७८२
८ नालियों का प्रबन्ध		३४,०००
९ सफाई		७७,८८२
१० सफाई के औजार इत्यादि		१,३३,२७२
११ सड़क पर पानी छिड़कना		७०,३०४
१२ सफाई के निरीक्षक		१६,२२४
१३ आपाधालय और चिकित्सालय		१६,०२८
१४ प्रोग और चेचन की रोकथाम		८६,१८८
१५ टीरा लगाना		५,०००
१६ बूचड़राने		२,४,८३
१७ सार्वजनिक पार्क		४८०८
१८ पशुओं के हस्पताल		१४,१००
१९ सार्वजनिक मार्ग प्रबन्ध		३,०६६
२० इमारतें		१२,०१८
२१ सड़कों का बनाना बगैरह		४०,०००
२२ गोदाम		१,४५,४०८
२३ नई जगहों में विजली लगाना इत्यादि		३,३००
२४ शिक्षा		२०,०००
२५ स्कूलों की मरम्मत		३,००,०००
२६ शिक्षण संस्थाओं की सहायता		२०,०००
		२०,३३४

२७. पुस्तकालय	३,४००
२८. सूण चुकाना	४५,४३७
२९. छपाई	१०,००७
३०. अदालती सची	१,०००
३१. प्रोवींडेट फड	३६,०००
<hr/>	
योग	२२,६८,०७१

नगरपालिका के पदाधिकारी

प्रधान—प्रधान नगरपालिका का मुख्य पदाधिकारी है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार प्रधान का चुनाव थोर्ड के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता था, परन्तु नए मरोबर्नों के पश्चात् उसका चुनाव अन्य प्रतिनिधियों की भाँति ही साधारण चुनावों के समय समस्त असदाताओं द्वारा किया जाता है। उसका कार्यकाल चार वर्ष है। यदि वह चाहे तो पहले भी व्यागपत्र दे दे। थोर्ड भी उनके विरुद्ध अविश्वस्त का वोट (Vote of No confidence) पारित कर सकता है। यह अविश्वस्त का प्रस्ताव राज्य की सरकार के पास भेजा जायगा। तत्पश्चात् भरकार या तो प्रधान का पदस्थाग देने का आदेश दे सकती है या उसके परामर्श से थोर्ड को ही भग कर सकती है।

प्रधान की नगरपालिका के कर्मचारियों को नियुक्त या पदन्वयन करने का अधिकार है और वह उससे सम्बन्धित सभी प्रकार के प्रश्नों—सेवा, वेतन, लूटी, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं के बारे में निर्णय रखता है। थोर्ड के रारे में यदि जिलाशीश या कमिश्नर भागे तो प्रधान की हिसाब किताब, थोर्ड की कार्यवाहियों की रिपोर्ट, विवरण पर आदि मेज़जे पढ़ते हैं। प्रति मास थार्ड की कम-से कम एक बैठक होती है और ऐसी बैठकों में प्रधान ही अध्यक्ष पद अद्यता करके निर्धारित नियमों द्वारा अनुसार बैठक की कार्यवाही चलाता है। वित्त सम्बन्धी मामलों की देख रेख रखना, थोर्ड के प्रशासन द्वारा आधीक्षण करना और तसम्बन्धी दोषों का बनलाना भी उसी के कर्तव्यों में शामिल हैं। नदस्य प्रधान से थोर्ड-सम्बन्धी कोई भी गूँजना मार्ग सकते हैं। थोर्ड ने एक या दो निर्वाचित उपप्रधान भी होते हैं जिनका कर्त्तव्य प्रधान की सहायता करना और उनकी अनुपस्थिति में कार्य करना होता है। ५०,००० या इससे अधिक वार्षिक आय वाली थोर्ड एक विशेष प्रत्यावर द्वारा एक ऐक्जीक्यूटिव आफीसर की नियुक्ति करती है। इसमें एक एक भैडिकल अॉफिसर आफ इल्यू भी होता है। इन दो वर्तियों नी नियुक्ति, वेतन और नौकरी की शर्तों के लिए राज्य की सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। ५०,०००) से कम वार्षिक आय वाली नगर पालिकायों में एवं या अधिक मन्त्री रखे जाते हैं, जिनकी नियुक्ति कमिश्नर की अनुमति पर निर्भर है।

राज्य की सरकार नगरपालिका के लिए वह भी अनिवार्य कर सकती है कि वह अपने यहाँ एवं इंजीनियर, एक बाटरवर्क्स इंजीनियर, एक बाटरवर्क्स सुपरिशेष्टेंट, एक इलेक्ट्रिकल सुपरिशेष्टेंट, एक सैकेट्री और एक संपादक आवरसीयर रखे। अपने अधीन विभिन्न विभागो—शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चु.गी., बाटर वर्क्स इत्यादि के प्रशासन के लिए वार्ड की बहुत बड़ा स्थायी नमचारी वर्ग रखना पड़ता है। स्थायी नमचारों वर्ग में शिक्षा अधीक्तक (Superintendent of Education) चु.गा. अधाक्ष, मुख्य समाई निरीक्षक और सभाई निरीक्षक मुख्य-मुख्य हैं।

समितियों—कार्य के सुसंचालन और सभी विभागों को सावरण देखभाल और नियन्त्रण के लिए बोर्ड बहुत-सी समितियों नियुक्त करती है। इस प्रकार की निम्नलिखित समितियाँ होती हैं—

दिन समिति, शिक्षा समिति, सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति, सार्वजनिक निर्माण-समिति, चु.गा.-समिति और बाटर वर्क्स समिति। प्रत्येक समिति के सदस्यों की सख्त या आठ सदस्या से बनाई जाता है, इनकी एक वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक समिति में नवाचित सदस्य अपनी समिति के बहुमत से प्रत्यावर स्वीकृत करके बाहर से भी दुक्ष विशेषज्ञ ले सकते हैं परन्तु इस प्रकार लिए हुए (co opted) सदस्य नवाचित सदस्यों की सख्ता एवं तिदाई से अधिक न हान चाहिए। वार्ड एक प्रत्यावर के द्वारा समतयों के अध्यक्ष नियत करता है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति समिति ही स्वयं बर्तने लेती है। समितियों की बैठक प्रायः एक मास में एक बार होती है। बोर्ड को बैठक भी माध्यरात्रि मास में एक बार हो होती है, कार्यवाटों ने अनुमार बैठकों को और अधिक शक्ति बुलाया जा सकता है।

वित्त समिति के निम्नलिखित प्रमुख कर्तव्य हैं—

- (1) वार्षिक आय व्यय का अनुमान तैयार करना।
 - (ii) विभिन्न शार्पकों में स्वीकृत आय-व्ययक ने अनुमार व्यय का विभाजन करना।
 - (iii) बोर्ड के समक्ष रखा जाने से पूर्व मासिक हिसाब फ्रिताब ना निरीक्षण भरना।
 - (iv) चु.गी. के अतिरिक्त और नभी बरों के उधाने का निरीक्षण।
 - (v) इसी का वह भी कर्तव्य है कि बजट ने विपरीत या विनाँ उचित अनुमति के बोर्ड रखा न होने दे।
- भार्वजनिक निर्माण समिति के निम्नलिखित मुख्य-मुख्य कर्तव्य हैं—

(1) सुरक्षितेस्टिग द जॉनिपर के परामर्श से सार्वजनिक निर्माण के लिए निर्धारित निधि में से व्यव करने के प्रस्ताव प्राप्त होता है।

(ii) मार्गजनिक निर्माण भार्य के निरीक्षण करना और प्रमाण पत्र देना।

(iii) विधेयकों की जाँच पड़ताल करना।

(iv) मार्गजनिक निर्माण काया के टेंटों के लिए टेंटर (निविदा) माँगना।

(v) यह देखना कि पानी और रोशनी के गारे में ठीक प्रवन्ध है।

(vi) नारंजनेन निर्माण से सम्बन्ध रखनेवाले सभ भाग में गोर्ड को परामर्श देना।

नारंजनेन स्वास्थ्य उपचार के फल यह है—

(i) यह देखना कि सफाई से सम्बन्धित सभी नियम, उपनियम और आदेशों का पालन ठीक प्रतार किया जा रहा है,

(ii) गन्धी दूर रखनेवाले बर्मचारी वर्ग की दखलेख।

(iii) दुओं, पालाना और पालाने ढाँगेगाली गाड़वा का निरीक्षण करने स्पष्ट देना।

(iv) चम्मच-मूल्यु ने रुजिल्टेशन की जांच करना।

(v) दीना लगानेवालों के भाग की जाँच करना, और

(vi) सफाई, गन्धग मिगने और सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्राप्त, सभी मामला पर गोर्ड का परामर्श देना।

चुंगी उपेती के मुट्ठे छूत्य के हैं—

(i) रम्भ-नभी चुंगी घर और मुतरिरों ने हिमाय रितार नी जान्च करना।

(ii) न देखना कि चोबान्सन (snuggling) और चुंगी अपवर्तन (Evasion) के रोकने का उचित प्रबन्ध है।

(iii) चुंगी न मर्हेच्च दप्तर का निरीक्षण करना।

(iv) इस गत का समाधान करना कि चुंगी के भारण गागर नहीं रुक गता है।

मरकारा नियन्त्रण —यह मानी हुई वात है कि नगर पार्टिकाओं के ऊपर कुछ वय पहने रुदर मरकारा नियन्त्रण था जिसने उसके विभाग की गति का मद्द कर दिया। १९१८ ई० के प्रवासन के द्वाय इह मगर मध्यथा उचित थी कि अनानंद सम्पदों से सरकारा नियन्त्रण हो जर उन्हें स्वय

• चुंगियों उक्त कीजने (Learning by trial&errors) का अवसर दिया जाय। इन प्राचार न अनुकार सरकारी नियन्त्रण कुछ कम किया गया था और स्थानीय सत्याग्रा ना स्वयंबन्ध की अधिक स्वतंत्रता दी गई। मनानीन सदम्हों दो गहूत कम और रिशा गया था और सरकारी चेत्रमैन के बजाए गैर सरकारी अवधार रोपे जाने लगे।

परन्तु, इसका यह ग्रथ नहा । ए स्थानीय सत्वाओं के ऊपर से सरकार नियन्त्रण मर्दित हो गया । न यह सम्भव था ग्राह न बानहुनीय । सार्वजनिक हित का धरोहर होने के नाते सरकार को नगर पालक का नामा दूसरा स्थानीय सत्वाओं पर धोना बहुत नियन्त्रण रखने का आधार है । सरकार के सभी देश में सरकार को स्वशासी सत्वाओं को दर रेत, नियन्त्रण ग्राह योद्धा बहुत नियन्त्रण रखने का है । इन्हीं तो यह दर्शना है कि तमार गज्जर की नगर पालीयों के ऊपर लक्ष प्रशासन ना नियन्त्रण है ।

लोना के हम पहले यह भी चुक है—ऐवज़िक्यू ट्यूटिय अफसर, मेट्रोक्ल आर्सिसर और हितव तथा नगर पालकों के दूसरे प्रमुख पदों की नियुक्त राज्य का सरकारी अनुमति ने हाती है आर यहो उनका नौकरीयों की शत आर उपलब्धयों के विवर में नियन्त्रण करती है । छाट नगरा का गाँड़ का नवाया नियुक्त रखने में कामशनर का अनुमत लेना पड़ता है । इस प्रश्नर सरकार ना गोड पर दारी नियन्त्रण रहता है ।

उद्दे इसका समय राज्य की सरकार का यह समाधान हो जाये कि नोई नोई लगातार गलती पूर्ये या रहा है या अपना शक्ति का दुष्कोण कर रहा है तो, नोई स्पष्ट ज्ञान (explanation) पर विचार दरने के बाद सरकार नोई का अपने नियन्त्रण में रख सकता है अवश्य उसे बलीन (dissolve) कर सकती है । गाँड़ की अधीनता का अवस्था में सरकार इसी भी उम्मीदारी की नगर पालिका का शक्तियों को प्राप्त सकती है ।

तीनर, अपने ज्ञानाधिकार के प्रबलान रुमेशनर आर नेता रोहा ना अधिकार है कि (१) गाँड़ की अचल सम्पत्ति या इसका नाम का नियीक्षण कर या करान् (२) नोई या उम्मीदी इसी समिति की पुस्तक या प्रलेन का जगा कर उन का नियीक्षण करे, (३) लेसित आदेश द्वाये नोई, या उम्मीदी समिति के हिस्त्र रितानि, रिपोर्ट रार्यगद्दा के प्रलेख (document) मगा ले (४) गाँड़ या उनका समितियों के कत्तव्यों के जरै में कोई आदेश उनके विचार विमर्श के लिये भने ।

कथ नमिशनर या जिजाधीश का अपने नवायिकार की नगरपालिकाओं और समरों के प्रत्यावॉं को कार्यव्यवहार होने से रोकने का अधिकार है यदि, उनके विचार में, ऐसे प्रत्यावॉ से जनता (१) जनता या इसी दैध सत्त्वा को असुविधा या पश्चानी होने का अन्देशा है, (२) मान नोवन, स्थान्य या सुस्त्वा का घटना है, (३) जिससे दगा या भगडा होने का सम्भावना है । इस प्रश्नर के आदेश का सरकार समरिवर्तन (modification) अवश्य नियन्त्रण में रखती है ।

पाँचवे सरकार इसी नगर पालिका का इसी विशेष उत्तर्य के पालन के लिए

ज्ञात्य कर सकती है और अपने आदश की जारीन्वयत करने की लिथि निश्चित कर सकती है। याद नियन्त्रण समय में भीतर गोर्ड ऐसे कर्तव्य जा पालन करने से असफल रहें तो सरकार उस कार्य को निसी आर नाबन से करा के धोर्ड से लागत वसूल कर सकती है।

छुटे, सरकाल में जिलाधीश धोर्ड के किसी भार्या को, जिसका एक-दम होना जगता की सुरक्षा और भगवाई ने लिये ग्रावश्यक हो, व्यय इस सकते हैं आर इनमा एक गोर्ड से ले सकते हैं। पर पन्जी ही उल्लेख आ नुसा है कि नगर पालिका के बजट में भी न रकार आपश्वरु परिवर्तन कर सकती है।

नए मशोधन से नगरपालिकाओं को पव्याप्त स्थानिता दे दी गई है। पहले नो उनके ऊपर इतना ठोकर नियन्त्रण था कि नियन्त्रण ने कई अवसरों पर वह न्यून भी अत्यधिकार कर दिया जो कि नगरपालिका जन विधि नेताओं को अभिनन्दन प्रद देने में कर देती था।

कैन्टोनमेंट वार्ड—मेठ आर बोली जैसे नगरों में, जहाँ कि फांजे रहती है छान्नी का न्यून नगर पालिकाओं ने क्षेत्राधिकार के बाहर है। इन छान्नियों में रहने वाले नागरिकों भी ग्रावश्यकनायों को पूरा रखने के लिए कैन्टोनमेंट गोर्ड नामक संस्थाएँ हैं। कैन्टोनमेंट जा समर्पन आर इसके कृत्य नगरपालिका के मालिन आर कृत्य के समर्प हैं यरन्तु इनमा, पश्चातन भू-नस्तित ऐकड़ के ग्राघर पर नहीं जलता। छान्नियों ना प्रशासन भारत सरकार के सेना विभाग के नियन्त्रण में जलता है। कैन्टोनमेंट गोर्ड का अध्यक्ष साधारणतया एक उच्च सैनिक अफसर होता है—उदाहरणार्थ नगरपालिका। उन धोर्डों में मनोनीत सदस्यों की भी काफी आनुगत रहता है।

टाउन एरिया—२० हजार जा इससे अधिक जन संख्या वाले नगरों का नगर पालिका का दर्जा दिया जाता है। इस से नीम हजार तक की जन संख्या वाले नगरों को 'टाउन एरिया' कहते हैं इनका प्रबन्ध करने के लिए गठन एरिया समिति होती है। सरकार निसी ज्ञेत्र का 'गठन एरिया' उद्घोषित कर सकती है। गठन एरिया समिति में (i) एक नियंत्रित ग्राम्यज्ञ (ii) सात से दस तक निर्भीक जन सदस्य, परिवर्णित जातियों का, जिलाधीश द्वारा मनोनीत, एक लदस्य और अल्प सरकार जात जा प्रनिनियित रखने के लिए बभीकमी (iii) एक और मनोनीत सम्प्रद—ये सर सम्मलृत होते हैं। समिति के सदस्यों ना कार्यकाल चार वर्ष नवधीरित है। गठनएरिया समिति के प्राप्त उसी रकार के कर्तव्य हैं जैसे कि नगर पालिका के परन्तु इनकी व्याप्ति (scope) सर्कुलित है। इस समिति को आपने ज्ञेत्र की न्यूनता, रोशनी, सड़कों, पानी के इन्धन,

सार्वजनिक स्वास्थ्य, और प्राथमिक शिक्षा की देख रेख नहीं पड़ती है। इसकी आठ प्रधानत ग्रन्त भूमि, भूमिकर, सम्पत्ति और परिस्थितियों पर कर, रखने की बैच, नक्ल भूमि किराए तथा जिला मण्डली (District Board) और सरपार के अनुदानों में होती है। जिलाधीश का टाउन एरिया पर अधिक नियन्त्रण होता है।

नोटीफाइट एरिया—पाच से दस हजार जनसंख्या वाले नगरों का सरकार नोटीफाइट एरिया घोषित कर सकती है और इसका स्थानीय प्रशासन एक नोटीफाइट एरिया कमीशु के ऊपर होड़ सकती है। इन समेत में एक अध्यक्ष, कुछ स्थानीय जनता के चुने हुए सदस्य, और कुछ सरपार के मनान्वत सदस्य होगे। यह समिति उसी प्रधान के नीचे यों का पालन करती है जैसे कि टाउन एरिया समिति। इसकी आप ने भी उसी प्रधान के द्वारा है।

किसी ज़िले के एक टाउन एरिया या नोटीफाइट एरिया होने के लिए एक नाजार और स्वराह द्वारे की आवश्यकता है—पूरणतया आमीण देशों को यह दर्जी नहीं मिलता। नगरपालिका, टाउन और नोटीफाइट एरिया में दर्जे का अन्तर है। पहले ज़िलों में आधिक स्वशासन दिया गया है और वहाँ अधिक कर लगाये जा सकते हैं।

जिला बोर्ड

परिचयात्मक—आमीण देशों के स्थानीय स्वशासन का भार (अन्य स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ) जिला मण्डली के ऊपर निभर है। जिले प्रधान नगरों के लिए नगरपालिकाएं हैं, उसी प्रधान आमीण देशों को यह दर्जी नहीं मिलता। नगरपालिकाएं, टाउन और नोटीफाइट एरिया में दर्जे का अन्तर है। पहले ज़िलों में आधिक स्वशासन दिया गया है और वहाँ अधिक कर लगाये जा सकते हैं। किसी ज़िले द्वारा ने सर डाक्टर का तालुका बांद है। मद्रास के महाप्रान्त (Presidency) में यूनिवर्सिटी राज है। आमीण देशों के लिए स्थानीय स्वशासन नीं प्रणाली भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार भी है। जैसा कि ऊपर सकूल किया जा चुका है। उसी राज्य में सर डाक्टर का बोर्ड आर दुलु अन्य राज्यों में भी छार्ट 'यूनिवर्सिटी' नामक मण्डलियाँ होती हैं। मण्डलियाँ, जाम नचायतों का संगठन भी भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार का है।

* आम पचायतों का बणन आगे न जाएगा।

आगामी पांचों में हम उत्तर प्रदेश की जिला मरठलियों का सगठन शक्तियों और वृत्तों ना उल्लेख करेंगे। यह मरठलियाँ १९२२ई० के यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एकट के अनुसार बनाई गयी हैं। इस एकट में सभ्य सम्बन्ध पर अनेक सशोधन होते रहे हैं।

जिला बोर्ड का सगठन—उपरोक्त अधिनियम में ऐसा विधान है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्रेक जिले ने लिए, उसी के नाम से, एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होगा। इस बोर्ड का केंद्र मी.डि.ले के हड्ड बवार्ट में या उसी के नकट होगा। रामपुर, टेहरी, गट वाल और उनासम की रियालतों के हमारे राज्य (state) में मिलते हैं पूर्ण इसमें कुल ४६ जिला बोर्ड थे। प्रत्येक बोर्ड (मरठली) में सरकार द्वारा नियाचित वी दुर्द सरजा म नियोनित सदस्य होते हैं, इनमें आतारक एवं अधिक्ष और ऐसे कुछ अन्य सम्बद्ध होते हैं, जिन्हे नियाचित सदस्यों ने बाहर से लिया हो। किसी भी मरठली म नियोनित सदस्य तीन से उम और अस्ती से अधिक नहीं होते, १९८८ई० में सराधन के पूर्ण यह सरजा नमस्करण १५ और अधिक से अधिक ५० नियोनित थी। पुरानी प्रखाली के अनुसार सरकार एक मरठली में अधिक से अधिक तीन सदस्यों ना नाम नियाचन कर सकती थी, जिसमें से एक स्त्री होती थी। नय संशोधन ने इस प्रणाली का सर्वान्तर करने प्रत्येक बोर्ड का बाहर से सदस्य मिलाने (का ग्राप्ट करने) ना अप्रसर दिया है। इस प्रसार से मिले हुए सदस्य नियाचित सदस्यों के दसवें भाग ने अधिक नहीं बढ़ा सकते। इन (co opted) सदस्यों ने प्राचीन सभ्य के मनोनीत सदस्यों का स्थानापन किया है। दूसरे शब्दों में, उनीं द्वारा मरठली में ६१ सदस्य हो सकते हैं—८० नियाचित, १० गार्ड से हिंदे हुए और एक मरठली में ६१ सदस्य हो सकते हैं—८० नियाचित, १० गार्ड से हिंदे हुए और एक अधिक। छोटे से छोटे बोर्डों में ३४ सदस्य होते हैं। मेल, इलाहाबाद, वस्ती, आजमगढ़ और गाँड़ा दी मरठलियों में सर ने आधर सदस्य हैं और दूसरानु और पीलीमीन में सर से उम।

सदस्यों की सख्ती में आमतौर पर उन्हें कैसा साथ नये सशोधनों ने बोर्ड की रचना में ग्राम भी कई आमूल परिवर्तन रखे हैं। अब पृथक् सम्प्रदायक निर्धारण-पर्दाति ने उड़ा दिया गया है और उसके द्वारा पर परामर्शदात जा लेते और मुसलमानों की, दुर्छ शता के साथ, जगह सुरक्षित बरन सुखुच नवाचन प्रखाली को प्रश्न दिया गया है। सीढ़ा को कबल उन्होंने सरकार के सरदित किया जायेगा, जिनमें सरकार आजाद। मुसलमान और पारमणित जातीयों के लिए उसी अनुसार से सीट सुरक्षित की जायेगी, जिसने १८ पिछों बन गयाना के अनुसार उपरोक्त जातियों नियोनित नहीं रखी गयी थी। जो जगह उसी जाति विशेष के लिए सुरक्षित नहीं होती उनके लिए किसी भी जाति या सम्प्रदाय का वर्क्क लड़ा हो सकता

है। ऐकट मे इस प्रत्यार का भी उपदेश है कि यदि कोई व्यक्ति नई चुनाव से चुन लिया जाय तो उसे एक से अधिक सीढ़ न मिलेगी।

मतदाताओं की योग्यताएँ — १९४८ई० के सशोधन के अनुसार इस विध्य के एसे नागरिकों को अपने अपने जिले में गोई के प्रतिनिधियों को चुनने ना अधिकार होगा जा कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा (Legislative Assembly) के लिए मतदाता स्वीकार किये जाए। दूसरे शब्दों में, भविष्य मे प्रत्येक जिला मण्डली के लिए प्राट मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ करेगे। अब पुरानी योग्यताएँ, जो कि समर्पित, लगान आदि पर आधारित थीं, हटा दी गईं। पिछले चुनावों में वह नई प्रणाली प्रयोग न की जा सकी चूंति उस समय तक नया संविधान प्रभान्न मे ही न आया था।

उपरोक्त साधारण नियम के होते हुए भी विसी व्याज का नियमावल दशाओं में मतदाताओं के रजिस्टर से नाम न चढ़ सका।

(1) यदि किसी दण्ड न्यायालय मे किसी अपराध के उपलक्ष मे उसे छु मर्हने से अधिक नी सजा दी गई, और उसे छुमा न किया गया हो, अथवा जिसे काटे पांच वर्ष न रीत चुक हो, या

(ii) यदि किसी चुनाव मे गड़वडी या अवैध नायवाही नरने के नारज उसे निर्वाचन के अवैध घोषित कर दिया गया हो।

यह सैद्य बाद रखना चाहिए कि नई व्यक्ति तप तप मत देने का अधिकारी नहीं है जब तप कि उस ना नाम मतदाताओं नी सूची मे नहीं चढ़ाया जाता। यह प्रत्येक ग्रोट नागरिक का वर्त्तन्य है कि मतदाताओं नी नवी तैयार होने समय वह इस गत को मालूम न कर ले कि उसका नाम मतदाताओं नी सूची मे सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं। किसी निर्वाचन चेत्र मे स्थानी रूप से रठने पर ही बाद व्यक्ति मतदाताओं नी नामावली मे अग्रना नाम चढ़ाने का अधिकारी है। यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक निर्गच्छ चेत्र मे नियास बरता है तो उसे केवल एक जराह है। मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रत्येक मतदाता नी उतनी बोट देने का अधिकार है जितने सदस्य उस नियाचन चेत्र से चुने जायें।

उम्मेदवार के लिए योग्यताएँ—नियमावल नियोगमनाचा नो छाड कर नहीं भी व्यक्ति जिस ना मतदाताओं नी सूची मे नाम चढ़ा हुआ है अपने नियाचन चेत्र से या जिसे के किसी अन्य नियाचन चेत्र से सम्बन्धित हो सकता है। रेवल लिंग (sex) के आधार पर किसी व्यक्ति को अवैध न समझा जायेगा।

कोई व्यक्ति जिला गोई की सदस्यता ने लिए रखा न हो सका यदि —

- (क) उसे सरकारी नौकरी से वियुत (Dismiss) कर दिया गया है, और दावारा नौकरी करने से रोक दिया गया है,
- (ख) किसी निर्धारित प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा किसी न्यायालय में बनालता बरने से रोक दिया गया है,
- (ग) बाईं के अधीन उसने बाईं लाभ की जगह (place of profit), स्वीकार कर ली है,
- (घ) वह सरकारी नोकर है, अथवा
- (इ) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस का बोईं के करार (contract) या नौकरी में बोईं हित निर्दित है,
- (च) वह अगरेजी या राज्य की किसी एक प्रादेशिक मापा का पड़ने लियने के अपेक्षा है, अथवा
- (झ) एक वर्ष में तलब की जाने वाली रकम से उस पर अधिन बनाया है।

उपरोक्त (क) और (रा)नियोग्यताएँ निर्धारित अधिकारी (Prescribed Authority) के आदेश से हटाई भी जा सकती है। कोई व्यक्ति एक से अधिक जिला मण्डलियों द्वा सदस्य नहीं बन सकता। यदि एक से ग्राहिक मण्डलियों द्वारा उस का निर्वाचन हा सका है तो वह स्वेच्छा में किसी एक ही बैठ का सदस्य रह सकता है।

अद्यि —जिला मण्डली ने चुनाव एक गर में चार वर्षों ने लिया हाने नश्वित हैं। पिछो साधारण चुनाव के पश्चात् प्रत्यक्ष जिला बाईं रें सदस्या का एक साथ ही निर्वाचन कराया जायेगा। परन्तु राज्य की सरकार वो नियोगी बोइं या बोडा के कार्य काल को बढ़ाने का अधिकार है, और साधारण चुनाव का एक गर में यह अधिक से अधिन एक वर्ष के लिए स्थगित (postpone) कर सकती है। चुनाव नी तिथि सरकार गजट म प्रभासित करती है।

सदस्यों का अपनयन —अतिरिक्त बाईं का कोई अन्य सदस्य अन्वेषक के द्वारा (Through the President) निर्वाचित अधिकारी का अपने पद से त्याग पत्र द सकता है। याद कोई सदस्य लगातार तीन महीने तक अथवा मिना सन्तापद स्वीकरण (Satisfactory explanation) के लगातार तीन बैठकों में उपस्थित न हो तो उस पदस निकाल सकती है। दन्ड न्यायालय से हु मास से अधिक का कारबास हाने, या दण्ड प्रक्रिया-सहित (criminal-procedure code) की (१०६) या (११०) धारा के अनुसार जमानत रखने; प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में बोईं के किसी करार अथवा व्यापार में स्वार्थ रखने,

स्थायी रूप से जिले से अपना निवाम छोड़ने या अपने पद का अनुचित उपयाग करने पर भी किसी मद्दत का सदस्यता छोड़नी पड़ती।

बोर्ड के पदाधिकारी—प्रत्येक जिला बोर्ड में रहते से पदाधिकारी होते हैं—कुछ वैतनिक और कुछ ग्रैवेटनिक। बा० के (paid officials) वैतनिक पदाधिकारियों में मन्त्री, इन्जीनियर, ट्रैकम आपीसर, डिस्ट्रिक्ट मैटीकल आपीसर आफ हैं गिनाये जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त इसके कार्य नचालन के लिए और भी अनेक कर्मचारी रगे जाते हैं। भूलों के डिप्टी इन्स्पेक्टर और सब डिप्टी इन्स्पेक्टर बोर्ड की शिक्षा मणिनि को शिक्षा सम्बन्धी कायबाह्यों पर परामर्श देते हैं।

जिला बोर्ड का अध्यक्ष—अध्यक्ष बोर्ड वा उससे प्रभुत्व पदाधिकारी है। पुरानी प्रशासली के अनुभार उसे बोर्ड के सदस्य चुनते थे। इस प्रशासली का वह दोष था कि बोर्ड में दलबन्दी और पटघनों को प्रथम मिलता था। १८४८ई० के सशोधन ने इस दोष को दूर करने के लिए अध्यक्ष के निवाचन के टग को ही बदल दिया है। अब पूरे जिले के मतदाता अध्यक्ष को सीधे चुन लेते हैं। बोर्ड व्यक्ति बाईं की सदस्यता और अध्यक्षता के लिए एक साथ उड़ा नहा हो सकता। बोर्ड के सदस्य की योग्यता रखने वाला बोर्ड भी व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए उड़ा हो सकता है यदि उसकी आयु ३० वर्ष या इससे अधिक है और वशत न कि वह अवैतनिक दण्डाधीश (Honorary Magistrate), आनंदरी असिस्टेन्ट क्लक्टर, बोर्ड ना बोर्ड नोकर या पदाधिकारी अध्यवा सरकारी सेवक नहा है। बोर्ड अध्यक्ष दोबारा भी इसी पद के लिए उठ सकता है। परन्तु दो बार हगातार अध्यक्ष रहने के बाद बोर्ड याकू बिना सरकार की अनुमति के तीसरी बार इसी पद के हए नहा चुना जा सकता। सरकार को इस प्रभार की अनुमति देने या न देने का वारणा भी सदृश नहा पड़ेगा। अध्यक्ष का चुनाव बाईं के कार्य-काल तक, अथात् चार वर्ष के लिए होता है, और अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचित होते ही उसकी अवाध समाप्त हो जाती है। अपनी इच्छा से वह कभी भी त्याग पत्र दे सकता है। बोर्ड को भी उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है। जब अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित होकर राज्य की सरकार के पास जाये तो उसे तीन दिन के भीतर त्याग-पत्र दे देना चाहिए, अथवा युक्त पूर्ण कारणों के साथ सरकार से बोर्ड का विद्यार्थ (Dissolve) करने की प्रार्थना करना चाहिए। सरकार अध्यक्ष का त्याग पत्र माँग सकती है अथवा बोर्ड का विघ्नन कर सकती है। पहली दशा में अध्यक्ष का तीन दिन में त्याग-पत्र दे देना चाहिए अन्यथा उसे पद से इन दिया जायगा। याद उसे त्याग-पत्र दने पर वाच्य किया गया है तो वह फिर चुनाव के लिए उड़ा हो सकता है। सदैप में, जनता द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष और

जनता द्वारा चुने हुए बोर्ड के बीच गतिरोध (Deadlock) ने अवस्था में जनता द्वारा ही उनका कैसला करवा जाता है।

बोर्ड के सदस्य अपने हो बीच ने एक सदस्य से एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा उपाध्यक्ष चुन लेने हैं। यह चुनाव केवल एक कई वा अधिक के लिए किया जाता है और न्यू कोर्ट सदस्य दावारा भी उपाध्यक्ष चुना जा सकता है। यदि एक ने वजाय दो उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो एक से बड़ा (Senior) और दूसरे से छोटा (Junior) उपाध्यक्ष कहेंगे।

जिला-मण्डली वी रचना की पुरानी ओर नई पद्धति पर तुलनात्मक दृष्टि द्वारा दूसरे इस सन्ते ह कि प्रार्थनिक सशोषना ने—पृथक निर्वाचन प्रणाली का अन्त, प्रौढ मताधिकार और अध्यक्ष का सीधा (Direct) निर्वाचन, ये तीन मुख्य अवधारणाएँ हैं। इन मुख्यों से राज्य में स्वापत्रशासी स्थितांगों के विभास में पर्याप्त व्यापक मिलेगा।

अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य —जिला मण्डली के अध्यक्ष के निम्न विस्तृत अधिकार ओर कर्तव्य हैं—

(1) बोर्ड द्वारा निर्णयित नियमों के अनुसार बोर्ड के नोट्स की सेवा, बैठन, अचे, कुटी और मुख्य मुविधाओं से सम्बन्धित प्रश्नों का तैयारना।

(2) बोर्ड की बैठके बुलाना, अध्यक्षता करना और उनकी कार्यवाही चलाना, अशासी समिति की बैठकों में अध्यक्षता ग्रहण करना।

(3) रोइ वे विज्ञ और प्रशासन की देख रेख करना और तात्पर्यवाची कमियों का बताना।

(4) राह की कार्यवाहियों की रिपोर्ट, हिसाब किताब का चिह्ना तथा इसी अग्रार के अन्त प्रलेख तैयार करना और वाह्य अधिकारियों के मैंगाने पर प्रस्तुत करना तथा

(5) ऐकट के अनुसार और वे सब का ' करना जो समय-समय पर सौंप जाये। अध्यक्ष का यह भी एक कर्तव्य है कि जिला बोर्ड के प्रशासन से सम्बन्धित आनंद-ओर सूचना तैयार कराये। यह अमनी शक्तियाँ उपाध्यक्षों को भी सोप सकता है।

जिला-मण्डली के कृत्य—जिला-मण्डली और नगर मालिका के कृत्य लगभग एक से ही हैं, अन्यर केवल इतना है कि पहली ग्रामीण परिस्थितियों का ध्यान रखती है और दूसरी नगर ना। जिला बोर्ड के कृत्यों को भी अनिवार्य और वैकल्पिक दो भागों में वर्णिया जा सकता है। ऐकटे अनुसार बोर्ड को निमाकिन नियमों का प्रबन्ध अनिवार्य-रूप से करना होता है—

(१) सार्वजनिक सड़कों और पुलों का बनवाना, मरम्मत करना और उनसे रक्षा करना एवं यातायात की सुविधाएँ बढ़ाना।

(२) सार्वजनिक सड़कों और स्थलों पर बृक्षारामण और उनकी रक्षा करना।

(३) शोषधालय, प्रसूति-केन्द्र, बाल चिकित्सालय इत्यादि का स्थापित करना, सरक्षण करना और प्रबन्ध करना।

(४) स्कूल और पुलामालय खुलवाना, उन्ह संस्कारा दना उनका निरीक्षण करना, अध्यापकों के प्रशिक्षण और विद्यार्थियों की छात्रा वृत्तियों का प्रबन्ध करना आदि।

(५) शरीर निर्माण (Physical culture) और यह उद्योग धन्धों के केन्द्र द्वालय इन्ह प्राप्तसाहन देना,

(६) साधजनिक कुए, तालार, नदरे, रोध, नालिया आदि का बनवाना तथा अन्य साधनों से पानी का प्रबन्ध करना,

(७) भयानक मवानों और भवनों को निराना,

(८) अकाल रोकने वाले साधनों का प्रबन्ध करना और अकाल पीड़ितों का सहायना करना,

(९) पशु शालाएँ जनवाना और उनका प्रबन्ध करना।

(१०) साधजनिक नावों का प्रबन्ध करना,

(११) पड़ाव, सराय आदि का नियन्त्रण करना,

(१२) मेलों, कृषिप्रदर्शनी, और उचाग प्रदर्शनों का लगवाना, पशुओं की नसल बढ़ाना, इनक उपचार का प्रबन्ध करना, और कृषि आर उद्योग को प्रोत्साहन देना।

(१३) साधजनिक वैकिक, धर्मार्थ दान का प्रबन्ध करना

(१४) डंडा लगवाने, सफाई और रापों की राक भाग करने का हत्तियाम करना,

(१५) बीने के स्वच्छ पानी का प्रबन्ध करना,

(१६) गार्द की समति को सुरक्षा करना और उसकी अनिवृद्धि करना,

(१७) ऐसे प्रलेप और विवरण पन तैयार करना जो राय की सरकार के समक्ष भेजने पड़े,

(१८) खननाव, आर ग्लानि पूर्ण व्यापार व्यवसायों को रोक देना,

(१९) रोगनिवारण, सफाई, कृषि, उद्योग और नसल सुधारने में गरे में शान प्राप्त करना,

निम्नलिखित मुद्दे वैकल्पिक विषय हैं जिन पर बोर्ड स्लेच्यू से काम न रेगा,

(१) नई सार्वजनिक सड़कों का बनवाना और उनके लिए भूमि का ग्रावर (Acquire) करना।

(२) जन्म य मृत्यु का हिसाब रखना।

(३) पाटराला के अतिरिक्त अन्य साधनों से शिक्षा का प्रचार करना—जैसे प्रे-शिक्षा स्कूल, और सचल पुस्तकालयों का प्रगत्य।

(४) जनसश्वता करना।

(५) द्रामों, रलवे और आवरणमें के अन्य साधनों का बनवाना अथवा उनकी सहायता करना।

(६) छोटे-मोटे तिचाई के साधनों को जुगाना।

(७) नदियाँ तथा पानों के अन्य स्रोतों से गंदा होने से बचाना, अदि आदि।

मूर खेद वा विषय है कि अभी तक उत्तरप्रदेश की जिला मंडलियों ने ऐसे हिस्से

वित्त—अपने अनिवार्य और ऐकल्यिक कर्नियों का पालन रखने के लिए जिला-मंडली को धन की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यों के लिये राज्य की सरकार वार्षिक सहायता अनुदान देती है, इसके अतिरिक्त अपने व्यवस्थी की सुरक्षा के लिए बोर्ड को स्थानीय पर और टेक्सल लगाने का अधिकार है। यह कर व्यक्तियों पर समर्पित है और परिस्थितियों के विचार से लगाया जाता है। विसी व्यापक पर कर या रेट उसी समय लगाया जाएगा जब विवर कम से कम छ घंटे में रह जुवा हो या व्यापार कर चुका हो, इसके अतिरिक्त उसकी कम से कम २००) वार्षिक आय होनी चाहिये। टेक्सल की दर कुल वरदेय आय (Taxable Income) पर चार पाई की रूपये से अधिक नहीं रखी जा सकती। उत्तर (अवयाव) विभागों या भूमि धरों से मीठा सरकार द्वारा उधा लिया जाता है और बाद में उसे जिला मंडला को दे दिया जाता है। गाड़ियों एवं नावों के भार्गशुल्क (Toll) और दुधानों, पुलों, बाजारों, पशु शालाओं, बोर्ड की समर्पित—जैसे सड़क के बृक्षों के पलों, शिक्षा शुल्क, मेलों इत्यादि से भी बोर्ड कुछ हरया इकट्ठा कर लेती है। नीचे मेरठ की जिला बोर्ड भी आय के विभिन्न स्रोतों की तालिका दी जाती है। यह आंकड़े १९५०-५१ के बजाए से उद्धृत किये जाते हैं।—

आय के मुख्य स्रोत वास्तविक आय विवर वर्ग
सन् ४८-४९

आगामी वर्ष का अनुमान
सन् ५०-५१

सरकारी अनुदान

शिक्षा

४२४५३५

(क) स्थानीय

८८८

(ख) अस्थायी

४४६२८७

स्थायी शपालाने	५२३२	४५००
अवधाव कर (हेसियत नायदाद)	४४८८८१	५८६००
पशुशाला*	१६०१११	२०००००
पुलो से आय	२५८८८	३००००
शिक्षा शुल्क	११००	२५००
सूद अमानत	६०८४५	१४५५००
अन्य आय (अस्थायी)	२६१	२६१
शपालाने इन्सानी ओर देशी इलाज आदि	३४८७	५००
शपालाने पशु	८७८३	६५१०
मेलों वा आय	४८५५	६११०
समस्ति से आय	१५४०३३	१७८०००
कृषि एवं वृक्ष आदि	५६६६	६१८०
बाज	२१६७७	३६०००
आसाधारण ओर कर्ज	११२५	१०००
	११४५५	५००

इन्हा वयों का मेरठ के जिला बाईं का यर मा निम्नान्ति है —

व्यय की मद्दें	विगत वर्ष वा वात्तव्यिक (१९४८-४९)	अनुमानित (१९५०-५१)
----------------	--------------------------------------	-----------------------

स्कूलशाली तथा

साधारण प्रशासन	१२७८५८	१३६५००
पशु-शालाएँ	२५४८०	४७०००
शिक्षा	२५३३१	३५२००
बालकों के मिडिल स्कूल	८१०८०	१४०१५४
साधारण प्राथमिक पाठशालाएँ	३६६०१५	५७७६६६
इस्लामिया पाठशालाएँ	१६५७२	८८१६
हारिजन पाठशालाएँ	२१६२१	३६१३६
ऐस्ला कन्या पाठशालाओं की सहायता	२६२२१	४९४३४

स्थानीय स्वरासन

व्यय की मद्दें—	विगत वर्ष का वास्तविक (१९४८—४९)	अनुमानित (१९५०—५१)
बालकों की अनिवार्य शिक्षा	५४८२११	८६५४८८
विविध	१६५००१]	२८७३८२]
	३५१३६]	६२५००]
	६००	२८५०
शिक्षा दस्तकारी	५३८२३	५३२५०
मेडिकल चिकित्सा (और गरेज़ी)	२५५८३	५३२५०
देरी दलान	१६८६६	५००५०
स्वास्थ्य रक्षा	२०४२२	२८४७०
ट्रीके इत्यादि	२७१७६	५६८००
पशुचिकित्सा	१५२०८२	१७४०००
मेने और प्रशंसनी	१२८३०	२००००
कुणि और हड्ड	२६१९८	३४१८०
भावननेक निर्माण (कम्बलारी वर्ग)		
मरम्मत		१४२०००
मढ़क और	४१५०८	५०२७८१
दूसरे काम	१८३१६	१०७००
जाये काम	५६८८	१५००
ग्रैंड शिक्षा	१८३५५	६४३५०
वायसी	४४१७४	५००
नियुनिया	५००	
आमाधारण और शृण		

बाह्य हस्तक्षेप—जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है कोई भी सरकारी पदाधिकारी या नौकर बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता। परन्तु जिसे के कुछ अधिकारियों को राज्य की सरकार ने बोई की वैठकों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान कर दिया है। जैसे—जिलाधीश डिस्ट्रिक्ट मेडीकल आफसर आफ इल्य, सिविल वैट्रेनरी विभाग के सुपरिटेंडेन्ट और डिप्टी सुपरिटेंडेन्ट। सरकार निर्धारित अधिकारियों को जिला बोर्ड के सम्बन्ध में और भी अधिकार दे सकती है—

जैसे—

- (१) इन्सपैक्टर जनरल आफ सिविल हास्पिटल और सिविल सर्जन को जिले के बोर्ड के आपाधालयों और चिकित्सालयों के नियंत्रण का अधिकार।
- (२) डाइरेक्टर और असिस्टेन्ट डाइरेक्टर आफ पब्लिक इल्य को जिले के कांगड़निक स्वास्थ्य विभाग की देखरेख करने का अधिकार।

(३) चीफ हेजीनियर, सुस्टेनिंग इंजीनियर, ऐक्जोक्यूटिव इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर को सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्गति विभाग का अधिकार।

(४) शिक्षा के डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर, इन्स्पेक्टर और असिस्टेन्ट-इन्स्पेक्टर को शिक्षण-संस्थाओं की जानकारी का अधिकार है।

इनी प्रकार राजस्व, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा विभागों के अन्य निधारित अधिकारियों को भी बोर्ड के कामों में दुच्छ हस्तद्वेप करने का अधिकार दिया जा सकता है।

ब बोर्ड की समितियाँ—नगरपालिका ३। भौत जिला मण्डली को भी अपने अपने बोर्ड के सचालन के लिए अनेक समितियों की सहायता लेनी पड़ती है। इन समितियों में सब से प्रमुख प्रशासी (Executive) और शिक्षा-समितियाँ हैं। कुछ मण्डलियों में सार्वजनिक स्वास्थ्य ने लिए पृथक् एक समिति होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक तहसील के लिए एक एक तहसीली कमर्त्ती होती है।

प्रशासी समिति—यह सर्वसे अधिक महत्वपूर्ण समिति होता है। १९५८ ई० क सशोधन ने ही पहली बार इस समिति का आयोजन किया है। इस समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य समितियों के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों द्वारा तान और चुने हुए सदस्य सम्मिलित किये जाते हैं। बोर्ड का सेकेटरी इस का पदन (Ex-officio) मन्त्री और वोई का अध्यक्ष इसका पदन अध्यक्ष होता है। प्रशासी समिति निम्नालिखित शक्तियों का प्रयोग करती है—

- (१) किसी सदस्य का परिनापण (Remuneration) नियत करना।
- (२) किसी सदस्य के विरुद्ध नालिश करना।
- (३) किसी समिति से हिताव किताव मागना।
- (४) तहसील-समितियों को अधिकार और कर्तव्यों का सौमना,
- (५) तहसील-समितियों के लिए निधिया नियत बरना।
- (६) बोर्ड के विसी सेवक, अधिकारी या समिति को करार (Contracts) की स्वीकृति देने के अधिकार देना।
- (७) किसी व्यक्ति को करार निश्चादन (Execution of Contract) की शार्ति प्रदान करना।
- (८) अनिवार्य कर्मचारी वर्ग के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों की सख्ता और उनका बेतन नियत बरना।
- (९) दूसरी स्थानीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना।
- (१०) सार्वजनिक संकरों का सब बदलना या उन्हें कद करना।
- (११) कर-सम्बन्धी प्रस्तावों का तैयार करना।

(xii) राज्य की सरकार का वान्धित संशोधन (explanation) देना ।

(xiii) शुल्क निर्धारित करना ।

(xiv) बोर्ड को सौंपी गई समिति का प्रभन्न और नियमण करना ।

इसके अतिरिक्त, प्रशासी समिति को 'वार्ड स्वेच्छा से और भी शनिया सोम सबती है। यही समिति वे सब कृत्य में करती जिन्हे अब से पहिले विच समिति दिया दरती थी। दूसरे शब्दों में, प्रशासी समिति ने १९४८ के सशोधन से पूर्व की विच समिति का स्थानापन किया है। उस समय विच समिति का प्रमुख कर्तव्य आगामी वर्ष के लिए आय व्यय के अनुमान और प्रचलित वर्ष के वास्तविक खर्च और अनुमानित रसीदों का विवरण तैयार करना था। यह कृत्य अब प्रशासी समिति द्वारा कराया जायेगा।

प्रशासी समिति का तैयार किया हुआ बनट बोर्ड के सामने रखा जाता है। निचार विमर्श के पश्चात् बोर्ड तक प्रस्ताव द्वारा बजट को सशोधित या पारित कर सकता है अथवा इसे विलुप्त अस्तीकार कर सकता है। अस्तीकृत होने की दशा में प्रशासी समिति को दोनों बजट बनाना पड़ेगा, यदि इस बार भी बोर्ड बजट का प्रस्तीकार कर देता तो यह बजट राज्य की सरकार के पान में अवस्था में भेज दियर जायेगा। सरकार इसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन कर सकती है। प्रत्येक निला मरली की अपना बजट और बाद में किये हुए परिवर्तन सरकार को या सरकार द्वारा निर्धारित अधिकारी को भेजने पड़ते हैं। सरकार बजट को स्वीकार कर सकती है या इस नदों पर सशोधन बरने के लिए इसे लौग सकती है।

शिक्षा समिति-शिक्षा समिति में प्राय १२ सदस्य होते हैं जिनमें से दो का नियो चन बोर्ड के सदस्यों में से होता है और शेष चार को गढ़ से लिया जाता है। इन चार सदस्यों में से दो ऐसे सरकारी अधिकारी हो सकते हैं जो निरीक्षकों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं। समिति अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में अपने ही सदस्यों में से करेगी। प्रतियन्ध यह है कि सरकार का बैठनिक सेम्ब ग्रन्थ घट पर न चुना जासकेगा। इस बार कार्य-काल केवल एक वर्ष नियत है।

इस समिति का मनी डिप्टी इस्पेक्टर आप स्ट्रॉक होता है। जिसे के खूलों के निरहर या निरीक्षकों को समिति की बैठनों में भाग लेने और सदस्यों को शिक्षा के सम्बन्ध में सम्बोधित (Address) करने का अधिकार प्राप्त है। यदि शिक्षा समिति अपना कार्यवहन सुचाइ रूप से न बरेतो गोर्ड एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा सरासर से उसे विभागित (dissolve) करने की प्रार्थना कर सकता है। बोर्ड की ओर से शिक्षा समिति जिसे के खूलों का प्रभन्न और प्रशासन सब अव्याप्ति की

नियुक्ति, बदली दस्यादि करती है। समिति का अध्यक्ष समिति की कार्यवाही का विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करता है।

तहसील समितियों—तहसील के प्रशासन में सहायता के लिए वार्ड तहसील समितियों की नियुक्ति करती है। एक तहसील समिति में वे सभी सदस्य समिलित होते हैं, जो उसी तहसील से चुने गये हों। इस के अतिरिक्त तहसील समिति में और भी सदस्य बार्ड के द्वारा भनोनीत बिचे जा सकते हैं। तहसील समिति के बह अधिकार और कर्तव्य हागे जो बोर्ड उसके लिये इस्ताकित करे। बोर्ड ही इस प्रकार की समितियों के लिए कोप निर्धारित करता है।

ग्राम पंचायतें

परिचयात्मक—हमारे देश में स्थानीय स्थानीयों को उतनी सफलता न मिल सकी जितनी कि इगलैड और अन्य प्रजातन्त्रमक देशों में। नगरपालिका और ज़िला मण्डली वी असफलता के कारणों पर हम बाद में विचार करेंगे। पहिले हम ग्राम पंचायतों का विवेचन करना चाहते हैं जिन का हमारे देश में बहुत पुण्या इतिहास है। कहा जाता है कि एक समय या जब कि पंचायतों हमारे समाज के सुसमाइत भवन की आधार शिलाएँ थीं। एक लेखक ने पंचायतों को प्राचीन भारत की भवनता का कारण बताया है। त्रिष्ठा साम्राज्य की छाया में थे पूल पलन सकी। अपने प्राचीन रूप से न सही, किन्तु विसी न किसी रूप में त्रिष्ठा राज्य काल में भी इन्हें जैसे रैसे जीवित रखने का प्रयास किया गया। हमारे नवीन संविधान में भी इन गणतन्त्रात्मक इकाइयों के पुनर्संगठन का निर्देश है। ★

उत्तर प्रदेश में गांवों में पंचायत राज स्थापित करने के लिए १९५० में एक ऐकट बनाया गया। इस ऐकट का प्रमुख दोष यह था कि आम पंचायतों के प्रतिनिधि जनता से निर्वाचित होने के बजाय सरकारी पदाधिकारी द्वारा नियुक्त होते थे। कलकटा की ओर से तहसीलदार ही पंचों का नाम निर्देशन कर दता था। दूसरे पंचायतों के कुछ अधिकार भी न थे। सरकारी कठार नियन्त्रण के कारण वे वास्तविक लोकतन्त्रात्मक इकाइया न बन सकी। १९३७ ई० में जनप्रिय कांग्रेस मनिमण्डल बना तो हमारे प्रतिनिधियों ने आप्य जीवन में फिर से सूक्ति लाने के लिए १९२० ई० हया के पंचायत राज ऐकट की काया पलट करनी चाही। वे लोग एक नया अधिनियम बनाने की कल्पना ही कर रहे थे कि उन्हें लाग पत देने पड़े। इसके बाद फिर कुछ दिन के लिए आमों वी उन्नति का स्वर्ण भग्नप्राय हो गया। दोगरा पद ग्रहण करते ही हमारे राज्य वी सरकार ने फिर अपने पिचार को पूरा करने का प्रयत्न किया, पलात्तर १९४७ ई० का गाव पंचायत राज ऐकट बनाया गया।

१६४७ ई० का गाँव पंचायत राज ऐकट—यह ऐकट १६५० ई० के ऐकट से मिल्कुल भिन्न है। इस का उद्देश्य ग्रामों में स्वायत्त शासन का बड़े पैमाने पर प्रयोग करना है। यह लोगों में सहकारिता और स्वामिमान की मावना भरना चाहती है। हमरे देश में स्वायत्त शासन की ओर इतना कान्तिकारी कदम नहीं उद्याया गया था। यह १६४७ ई० के ऐकट के समान सुकुचित और सकीर्ष नहीं है। १६२० ई० के ऐकट में प्रलेक गाव में प्रौढ़ भाविकार के आधार पर प्रतिनिधि संस्थाओं की कल्पना भी न थी। १६४७ ई० के ऐकट के अनुसार नगर पालिका, टाउन, एरिया नोरीफाइद एरिया आदि शाहरी हल्कों को छोड़ कर छोटे बड़े गावों के लिए प्राम पंचायत और पंचायती अदालतों का विधान है। नए ग्रामिनियम के अनुसार आम स्वशान से सम्बन्धित तीन संस्थाएं होगी—गाँव सभा, ग्रामपंचायत और पंचायती अदालत। नीचे इन तीनों का अलग-अलग विवरण किया जायगा।

(१) गाँव सभा—१६४७ ई० के गाँव पंचायत राज ऐकट के अनुसार १००० वा इससे अधिक जनसंख्या वाले गाँव की एक गाँव सभा बनादी जायेगी। जिन गाँवों में इससे कम जनसंख्या है उन्हें पाम—पेड़ोस के गाँवों के साथ मिलाकर गाँव सभा बना दी जायेगी। यदि किसी गाँव की ऐसी स्थिति है कि तीन भील से अधिक दूरी के कारण उसे किसी अन्य गाँव के साथ मिलाने में कठिनाई होगी तो उसे अपनी पृथक गाँव सभा बनाने की आज्ञा भिन्न सकती है और ऐसी विधेय परिस्थिति में उस की जनसंख्या का कोई विवार न रखा जायेगा।

गाँव-सभा में अपने द्वेष के निवासी सभी प्रौढ़ स्त्री पुस्त्र सम्मिलित होंगे। नेपल २१ वर्ष से कम आयु का, पागल, दिवालिया, कौठी सरकारा नोकर, कौजदारी मुर्दे में सजायाफला, आदि होने के कारण ही किसी व्यक्ति को उसके द्वेष की गाँव सभा वा सदस्य होने से रोका जा सकता है।

गाँव-सभा की वर्ष में कम से-कम दो बैठें होगी—एक रोपी की पसल उन्ने के बाद और दूसरी रसीक की पसल कटने के बाद। गाँव सभा ने सदस्यों के एक पांचव भाग से अधिक सदस्य रीत में भी सभा की असाधारण बैठक बुलावा सकते हैं। आम पंचायत का तुनाव करते समय गाँव सभा के सदस्य अपने प्रधान और उपग्रहन दो भी सीधा तुनाव (Direct Election) करते हैं। ये पदाधिकारी तीन वर्ष के लिए तुने जाते हैं। इन्हे कार्य काल के बीच में भी कम से-कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पदस्थित किया जा सकता है। सभा की बैठक में प्रधान ही सभागतिल प्रश्न करते हैं।

वरीक भी पसल कटने के बाद गाँव सभा आगामी वर्ष का आय-व्ययक पारिन दरती है और रोपी की बैठक में प्रबलित वर्ष के हिसाब विताव की जाँच-पड़ताल

करती है। सभा प्रधान द्वारा प्रस्तुत नी हुई ग्राम पचायत की कार्यवाही पर भी विचार विमर्श करती है। इन बैठकों में प्रस्ताव रखे जा सकते हैं और पचायत (Executive) के कार्ड के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सभा का काम एक ऐसा रजिस्टर भी तैयार करना है जिसमें सभी प्रौद्योगिक मतदाताओं की सूची हो।

अपनी कार्यकारिणी को गाँव-सभा स्वयं चुनती है जिसे ग्राम पचायत कहा जाता है। ग्रामपचायत ने सगड़न, अधिकार और रक्षाओं का उल्लेख निभाकित है —

ग्राम पचायत — गाँव सभा के द्वेष में बुल जनसुख्या के अनुपात से याव पचायत में कम या अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। एक पचायत में प्रधान आर उपप्रधान के आतंरिक कम से कम ३० और अधिक से अधिक ५० सदस्य हो सकते हैं। गाँव सभा के नमितनि और उपसभापति ग्राम पचायत के भी प्रधान और उप-प्रधान होते हैं।

ग्राम पचायत अपनी छाटा छोटी समितियां बना लेती हैं जिनमें निर्धारित सरदार में बाहर से भी सदस्य मिलाए जा सकते हैं। पचायत का वास्तविक प्रशासन सम्बन्धी कार्य यही समितियां करती हैं। ग्राम पचायत की एक मास में कम से कम एक बैठक दूना आवश्यक है।

एक ग्राम पचायत का निम्नलिखित प्रकार के काय करने पड़ते हैं :—

(क) अपने केन्द्रीयिकार की गलियों या घनबाना, मरम्मत, सफाई, रोशनी आदि करना।

(ख) रोगों वा उपचार करना और सफाई रखना।

(ग) सकामक रोगों से बचाव रखना।

(घ) गाँव सभा के भवन आर सपत्ति नी रखा करना।

(ङ) जन्म, मृत्यु, विवाह आदि का रजिस्टर बनाना।

(च) भरघट और शमशाना का प्रबन्ध करना।

(छ) छोट-छोटे मेने, हाटों का प्रबन्ध करना।

(ज) लड़के लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध करना।

(झ) चाराजाहा दा प्रबन्ध और रखा करना।

(ज) सार्वजनिक, कुएँ, वायडी, तालाब इत्यादि का यनवाना और उनकी रखा करना, पीने के पानी का प्रबन्ध करना।

(ट) सूपि, वाणिज्य, उद्योग का विकास करना, आग बुझाना।

(ठ) प्रशुतमह और बालकों की भलाई का प्रबन्ध करना।

(ड) जन गणना और पशु गणना का हिसाब रखना।

स्थानीय स्वशातन

(द) खत्तों का खुदवाना और स्नाद का प्रबन्ध करना।

(ग) विविध द्वाय निश्चित और कृत्यों का पालन करना।

इनके अतिरिक्त ग्राम पञ्चायत के और भी अनेक कर्तव्य हैं उन मध्य को निम्नलिखी आवश्यकता नहीं। केवल यह कह देना काफी है कि ग्राम्य जीवन के मर्वांगण का विकास का मार पञ्चायतों के ऊपर है। स्थानीय आवश्यकता की सभी बीजों पर उमी विवरण हैं। वह अपने बायों को पूरा रखे सरकार का भी हाथ बैठा मरनी है। उदाहरणार्थं जा पञ्चायते अच्छे ढग से बाम करेंगी उन्हें सरकार लगान उठाने का काम भी सोच रखनी है। पशुओं की उन्नति, जमीन री उन्नति आदि के लिए पञ्चायते सब ठुङ्क कर मरती हैं। सुख्ता के लिए वे स्वयं सेवक दल बना सकती हैं। महाराष्ट्रा विवास, अच्छे बीजों का जमा रखना, अकाल रखा, पुस्तकालयों का आयोजन, मेल-जोल का बढ़ाना, रेडियो इत्यादि का प्रबन्ध करना, ग्रामीण जनता की भौतिक और अध्यात्मिक उन्नति करना, पञ्चायतों के कुछ और वैश्वलिपि कर्तव्य हैं।

इन सभ अधिकार और कर्तव्यों के अतिरिक्त एक और नई बात यह है कि सरकारी नाकरों के तुरे व्यवहार के बिरुद्ध भी पञ्चायत शिकायत कर सकती है एटवारी, पतराल, सरकारी चपरासी, तिपाही और टीका लगाने वालों के खिलाफ जो शिकायत ग्राम पञ्चायते करेंगी उस पर विशेषतया ध्यान दिया जायेगा।

पञ्चायत के कार्य में सहायता देने के लिए पञ्चायत की ओर से वैतनिक संघेश्वरी रखे गये हैं। इनके अतिरिक्त पञ्चायत और भी छोटे छोटे कर्मचारी रख सकती हैं। परन्तु इसके लिए उसे निर्धारित अधिकारी (पञ्चायत अस्सर) की अनुमति लेनी पड़ती है।

गाँव के पथ— अपने विविध कर्तव्य का सुचारू रूप से पालन करने के लिए गाँव पञ्चायत को घन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसे एक गाँव बाप रह न का अधिकार दिया गया है। इस बाप में गाँव पञ्चायत की आप नहीं हों। गाँव पञ्चायत को आप के साथम नमार्जित है।

(i) सरकारी अनुदान।

(ii) एकट के ग्रामीन लगाए हुए कर और शुल्क।

(iii) पञ्चायती अदालतों की आय का बढ़वारा।

(iv) साद गोर, कूडा करकट आदि की वित्ती।

(v) मृतक जानवरों की हड्डियों से आय।

(vi) पञ्चायत की समति पर सद, किरण्या आदि।

(vii) दान या उधार।

(viii) मेले हाथों आदि का शुल्क।

(x) ठेके और व्यापार व्यवसायों पर की आय।

(xi) और भी जिन वैध तरीकों से आय हो सके।

गाँव पचायत को एक रुपये लगान पर एक आना तक कर वसूल करने का अधिकार है। दूसी प्रकार व्यापार और पेशो पर भी कर लगाने के लिए निर्धारित नियम हैं जिनका पचायत उल्लंघन नहीं कर सकती। माव पचायत की तोला, कूजड़ी, शबर साफ़ करने वालों और निराये पर गाँवी चलाने वालों से लाइसेन्स की पीस उदाने का भी अधिकार है।

इन सब आयों का लेनदान गाँव पचायत को गाँव सभा की बैठकों में पेश करता हैगा। गाँव काप में रुपया जमा करने और रुपया निकालने के भी निर्धारित नियम हैं जिनमें जाने की आवश्यकता नहीं।

पचायती अदालत—गाँव वालों का छोटे-छोटे भगड़ों पर भेकार का रखने और कट्टनार्द बचाने के लिए पचायती राज में पचायती अदालत की स्थापना का विधान है। ये पचायती अदालतें कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच गाँव सभाओं के ऊपर एक एक हानी। इस प्रकार एक जिले में ग्रन्ति पचायती अदालत होती।

एक पचायती अदालत के अन्तर्गत जितनी गाँव सभाएँ होती हैं वे पाँच-पाँच पच जुमकर भेजती हैं। इस प्रकार एक पचायती अदालत में कम से कम १५ और अधिक से अधिक २५ सदस्य हो सकते हैं। पचायती अदालतों के सदस्यों की कम से कम ६० वर्ष आयु होनी चाहिए और उन्हें हिन्दी का साधारण ज्ञान होना आवश्यक है। इन सभ का ३ वर्ड के लिए चुनाव होता है। पद ग्रहण करते ही वह लोग निर्धारित दृग से शपथ लेते हैं। एक पचायती मण्डल (circle) के सभी पच मिलकर बहुमत से अपने सरपञ्च का नियाचन करते हैं। सरपञ्च का इस योग्य होना चाहिए कि वह अदालती कार्यवाही का लिख सके। पचायती अदालत के सामने आने वाले ग्रन्तिक अभियोग के तैयारी के लिए सरपञ्च पांच पर्वों का एक बैच बनाता है। इनमें से कम से कम एक पच ऐसा दाना चाहिए जा कार्यवाही लिख सक। बैच के बनाने के कुछ नियम हैं जिन्हें बतलाना आवश्यक नहा है।

प्रत्येक नालश के लिए पचायती की कुछ भीत नियम है। यह शुल्क उस मामले के मूल्य पर निर्मार है। यह अदालत—फौजदारी, दीवानी और माल—तीनों प्रकार के ही छांट-छांटे मुनदमे तैयार कर सकती है। इसके फौजदारी के द्वेषाधिकार में कुछ Cattle Tresspass Act, कुछ D. B. Primary Education Act, कुछ Public Gambling Act और कुछ Indian penal code (भारतीय दण्ड-संहिता) के अभियाग सम्मिलित हैं। दीवानी मामला में ये अदालतें १०० तक के मूल्य के मुनदमे ले सकती हैं;

परन्तु सरकार द्वाये किसी न्यायालय का लेत्राधिकार ५००) तक के मूल्य के मुद्दमों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त २००) तक का हैसियत के माल के मुद्दमे पचायती न्यायालयों वें। सौप दिये जायेंगे। पचायती अदालतों के सामने मुद्दमे मुने जाने की बहुत ही सुगम और सरल रीति अपनाई गई है। इन अदालतों के सामने बकाल पेश नहा किये जायेंगे। कोरी वैधता के नजाय इन अदालतों में सर्वमान्य न्याय पर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

पचायती अदालत केवल जुर्माने ही कर सकती है। इनको शारीरिक दण्ड या बाहागार की सजा देने का अधिकार नहीं है। किसी भी अवस्था में इस अदालत का १००) से अधिक जुर्माना करने की शक्ति नहीं है, केवल सरकार ही इस अधिकार को बड़ा सकती है। जिन विषयों में सजा देना आवश्यक प्रतात हा, उन्हें पचायत के एस० डी० ओ० की अदालत में मेज देना चाहिए। जिन विषयों में पचायत को निर्णय करने का अधिकार है, उनकी अपील किसी बड़ी अदालत में नहीं हो सकती।

द्वाया नियन्त्रण ——एकट के अनुसार यज्य की सरकार को गाँव सभा, ग्राम-पचायत और पचायती अदालत पर नियन्त्रण का अधिकार है। यह नियन्त्रण कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इन सभाओं, पचायतों और अदालतों का नियन्त्रण करने के लिए सरकार ने पचायत नियन्त्रक (Panchayat Inspectors) रख द्या है, जिनके ऊपर पचायत अफसर और पचायत टाइरेक्टर क्रमशः रखे गये हैं। अपने अभिकर्ताओं (Agents) के द्वाया सरकार इन सम्पाद्यों के वार्षीयी प्रशासन और वित्त-सम्बन्धी पुस्तक, प्रलेख आदि भी दख-भाल करती है। सरकार इनकी कार्यवाही के विषय में प्रतवेदन मगा सकती है। उसे किसी भी सभा, पचायत या अदालत के विर्षटि (Dissolve) करने का हक है। गाँव-सभा या पचायती अदालत का बठट तभी लागू द्या सकता, जब उस पर निर्धारित आमंत्री (पचायत नियन्त्रक) क दस्तावेज़ हो।

नये ऐकट के विषय में कुछ विचार ——१५ अगस्त १९४७ई० को उत्तर-प्रदेश में ३४७५५ पचायत आर ८२२५ पचायती अदालतों ने राष्ट्रीयरम्भ किया। ये स्थापित लगभग ५ करोड़ चालीस हजार आमीण जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस प्रकार जनता के हाथों में एकदम इतने बड़े वैमने पर सत्ता का इस्तान्तरण किया गया है, जिसका अनु तर देश में कोई उदाहरण नहीं है। पिछले चुनाव, ऐकट के अनुसार सम्पूर्ण निर्वाचन और प्रौद्योगिकीय के आवार पर किये गये। अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित थे। इन चुनावों में आमीण जनता ने बड़ा ही उल्लास प्रदर्शित किया। लोगों में नई राजनीतिक चेतना दिखाई पड़ रही।

भारतवर्ष^१ का नागरिक जीवन और प्रशासन

थी। इस निवोचनों में स्त्रियों ने भी पर्याप्त अधिकार्य दिखाई और उनमें से लगभग एक हजार को कई पदों पर चुना गया। इन संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों—सदस्य, प्रधान और उपप्रधान की संख्या १३,०६,७०३ थी।

पचायतों के ठीक प्रशार निर्देशन और पथ प्रदर्शन करने के लिए ५०० पचायत राज निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। इन लोगों को लखनऊ में पन्द्रह दिन वी कड़ी ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) दी गई। आठ हजार से अधिक सेकेटरियों वा भी अलग-अलग जिनामें सरपंचों ने साथ प्रशिक्षित किया गया। सरकार ने २८,७८,७५०) रुपये सेकेटरियों की नियुक्ति के खर्च के लिए और ५०,१३,५५०) रुपये गाँव समाजों की सहायता के लिए राश दिया।

पचायतों ने रोग, गन्धर्वी, निरक्षरता को दूर करने में बड़ा काम किया और सरकार की उपज बढ़ाने (Grow More Food) और जमीदारी-उन्मूलन निधि (Zamindari Abolition Fund) के प्रचार में विशेष सहायता की। ऐसे अनेक प्रमाण हैं, जिनसे यह मिल होता है। अब एक लहर सी ग्राने लगी और पचायते अधिकारिक अपने उच्चरायित्व ने बारे में सचेत हो रही हैं और वे आमों की चर्नति में सलम हैं।

सरकार ने २०७ आदर्श पचायन बनाई, एक तहसील में एक के द्विसाव से। प्रयोग जिले में आदर्श पचायतों के निर्देशन व लिए सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों की एक एक समिति बनाई गई। एक १६ मदों की याजना बनाई गई जिनमें राष्ट्रीय कार्यवाही के सभी पहलू थे। वह आशा की जाती है कि ये आदर्श पचायते प्रयोग ग्रास वास के गावों के लिए नमूने का बाम करेंगी। मुकदमेनाली कम करने में भी पचायती प्रदालतों ने बड़ा महत्वपूर्ण यार्थ किया। समाचार है कि प्रय पचायती अदालतें आमीण लोगों में बहुत लोक प्रिय होती जा रही हैं।

हमारो नई गाँव समाज और उनसे सम्बन्धित संस्था^२ केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, अपितु समस्त भारत के लिए गौरव का विषय बननेवाली हैं। वे राष्ट्र की आशाओं की प्रतीक हैं। इन्होंने बड़े पैमाने पर उनकी स्थापना प्रजातन्त्र का सप्तसंघ प्रयोग है जिसमें, बाल्तव में शक्ति का विकेन्द्रीकरण करके लोकतन्त्र के एक नए युग को प्रथम दिया है। ये स्थानीय संस्थाएँ ही प्रशासन आर नेतृत्व के सम्बन्धे प्रशिक्षण देती हैं। यद्यपि अभी हाल में ही १५ अगस्त १९४८ ई० से इन्होंने कार्यालय किया है पर अनेक अठिनाइयों के होते हुए भी उन्हें अपूर्ण सफलता मिली है। हमें आशा है कि इन पचायना क द्वारा ही गांधी जी का स्वराज्य और रचनात्मक कार्य नम का स्वप्न पूर्ण हो सकेगा।

इसी प्रकार वे मस्थाओं का पाश्नात्य देश में है। इस तुलनात्मक, सापेक्ष असफलता के कारण दूँदने में पूर्व यह आवश्यक है कि इसमें यह जान ले कि यह असफलता किस प्रकार बीं है। लेखक के विचार से स्थानीय सस्थाओं की असफलता इस तथ्य में निहित है कि अनिवार्य विषयों में इन्होंने विशेष अभिश्वेत नहीं दिया है। अभी तक अनिवार्य शिक्षा, रागों की सेक्ट-थाम, सराई का विशेषता ग्राम्य क्षेत्रों में कोई उत्तमावबद्धक कार्य नहीं दिया गया। गाव में कच्ची मुट्ठियों की बहुत बुरी दराया है। सभी स्थानीय स्थानीय सस्थाओं में घृत का बाल-बाला है। उच्छ नगर पालिकाओं वा छोड़कर सभी मून्नपेलियों और घृत का बाल-बाला है। उच्छ नगर पालिकाओं वा छोड़कर उठाकर रख दिया है। उदाहरणार्थ— छिड़ियकट बोडों ने वैकल्पिक विषयों को अलग उठाकर रख दिया है। जिला-यातानात के साधनों को उन्नत करने का कोई बदम नहीं उठाया गया। जिला-मठलियाँ इस ओर विशेषतः पिछड़ी हुई हैं। छोटे छोटे सिराई के साधनों और उद्योग धन्यों को प्रोत्ताहन देने का काफी अवसर था परन्तु इस ओर ज्ञान ही नहीं दिया गया।

दिया गया।
इन सबका एक कारण पिछले दिनों का सरकार का इह भी रहा है। सरकार ने इनको काँड़ विरोध प्रोत्ताहन नहीं दिया। परन्तु सरकार पर ही साथ दोष आरोपित करना पद्धति पूर्ण होगा। इन सम्प्रथाओं की असफलता का सबसे प्रमुख कारण होगा मैं, और साम तौर से प्रतिनिधियों में, जननाद चेतना (Civic Consciousness) का अभाव है। अभी इस स्थायों के ऊपर सामाजिक हिंसा को

तरजीह देना नहीं सीख पाये हैं। निर्वाचन के समय मनदाताओं को जानपद कर्त्तव्य (Civic Duty) के बजाय आति, धर्म और कुटुम्ब के विचार का अधिक ध्यान रहता है। नगरों के बजाय भावों पर यह बात और भी ग्रांडक सन्य सिद्ध होती है। भावों के दौरों से जल्हा बोर्ड के चुनाव में कोई भी शोषण प्रभावशाली व्यक्ति बर्जी-मार जाता है।

पिछले दिनों की पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचन घटाली भी स्थानीय समस्याओं के विकास में अत्यावक योग्य रही है। इसके बारंग पदों की नियुक्ति में भी साम्प्रदायिक सबीर्ण भाव ही काम करते थे। अब इस विपैली पद्धति का संरान्त कर दिया गया है परन्तु कुछ दिनों दसका प्रमाण बना रहेगा। स्थानीय स्वशासी मस्थानों में उस समय तक कोई विकास न होगा जब तक इनके अधीन संवादों पर नियुक्त के लिए योग्यता का कोई मापदण्ड न होगा। साथ ही यह भी बहा जा सकता है कि इन समस्याओं के प्रतिनिधियों में कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है। अब स पहले प्राय स्वार्थी लोग ही इनमें जुने जाने की आशा रखते थे। प्रतिनाधियों के लिए विसी प्रकार की योग्यता का भी मुझाव रखा जा सकता है। ग्रेजुएट न सही, उम से कम दसवा पास करना तो इनमें जुने जाने की योग्यता निश्चिन को ही जा सकती है।

पहिले इन स्थानीय समस्याओं के लिए निर्वाचन बहुत शाड व्यक्ति करते थे जिसके कारण ‘प्रभावशाली’ व्यक्ति आमतौर से योग्य व्यक्ति को चुनाव में हृषि सकते थे। अब शाड मताधिकार के कारण यह दाएँ दूर हा गया है।

स्थानीय स्वशासी सम्प्रदायें एक और कारण सभी अधिक सफल न हो सकी—इन समस्याओं के साधन बहुत ही सीमित रहे हैं। यदि हम इन समस्याओं से अनेक अच्छ सुविधाओं की आशा करते हैं तो हमें इनको उतने ही अधिक साधन और अधिकार भी देने चाहिए।

अन्तिम बात यह कि ये सम्प्रदाय भारत के लिए नहैन् था और इन्हे पारचाल्य प्रणाली पर ढालने का प्रयत्न किया गया। भारतीय जनता तो प्राचीन काल में और ही प्रकार की स्थानीय समस्याओं से परिचित थी। यदि इन समस्याओं का अधिक सफल बनाना है तो इनमें एष्ट्रीय प्रतिमा के अनुकूल थांड पारवर्नन आवश्यक ह।

उपरोक्त बातों को हाईकोर रखकर हमारे राज्य की सरकार ने नगर पालिकाओं और जिला भर्डलियोंमें सरोधन किये हैं। आशा है कि भावित्य में राष्ट्रीय सरकार की छत्र छाया में ये सम्प्रदाय अधिक पक्का होंगी।

अध्याय १८

देशी रियासतें

परिचयात्मक—हालांकि आज भारतीय रियासतों की स्थिति उनके पुराने रूप में नहीं है और उनमें स्वतन्त्र स्थिति तथा अधिक सख्त्य से उत्पन्न हुई गम्भीर समस्याओं का नियन्त्रण अच्छी प्रभाव तथा सेप्टेम्बर द्वंग सहा गया है, परं भी उनका कुछ दर्शन किये बिना भारतीय नागरिक जीवन तथा प्रशासन का हमाय निरीक्षण अपूर्ण नहेगा।

हालांकि भारत सरार की स्वच्छतम् भौगोलिक इकाई में से एक था और उसके नियासी एक ही सास्कृतिक परम्परा तथा रक्त एवं मावनाच्चा के एक ही बन्धन से वधे हुए हैं, परं भी ब्रिटिश-युग में वह राजनैतिक द्वाष से एक तथा अविभाज्य न था। हुए हैं, परं भी ब्रिटिश-युग में वह राजनैतिक द्वाष से एक तथा अविभाज्य न था। राजनैतिक द्वाष से वह चार निश्चित भागो—प्रिंगश भारत, कामीसी भारत, पुर्तगाली भारत, तथा जिन निसी अधिक उपयुक्त नाम की अनुपस्थिति में भारतीय भारत वहा जाता था—में विभाजित किया जा सकता था। इनमें फ्रान्सीसी भारत सबसे छाया था और दसके दुर्कड़े एक दूसरे से दूर दूर पड़े हुए थे। भारत तथा फ्रान्सीसी सरनार के बीच चल रही वार्ता के कारण कान्स सरकार ने अपने उभनिकशा के होमो का मनमणिना द्वारा चल रही वार्ता के कारण कान्स सरकार ने अपने उभनिकशा के होमो का मनमणिना द्वारा यह निश्चित करने का अधिकार दे दिया है कि वे भारतीय सूध में सम्मिलित होना चाहते था फ्रान्सीसी साम्राज्य में वने रहना चाहते हैं। चन्द्रनगर के निवासियों ने तो चाहते था फ्रान्सीसी साम्राज्य में वने रहना चाहते हैं। चन्द्रनगर के निवासियों ने तो चाहते था फ्रान्सीसी साम्राज्य में वने रहना चाहते हैं। भारत के पुर्तगाली स्वदेशों के, जिनका ज्ञेत्रपल लगभग १६३० वर्ष भील है। सम्बन्ध में पुर्तगाल स्वदेशों के, जिनका ज्ञेत्रपल लगभग १६३० वर्ष भील है। सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार से अभी कार्ड ऐसा समझौता नहीं हुआ है जो इस उद्देश्व से वाता चल रही है। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतें अन्य एक ही उभरनिष्ठ रुज़-मत्ता—भारत सूध—के भाग हैं। उनका राजनैतिक अलगाय अब समाप्त हो गया है।

रियासतों की समस्या—वैविनेड मिशन-याजना द्वारा जून ३, १८४७ की घायलानुसार ब्रिटिश भारत की सरकार की भारतीय रियासतों के ऊपर मावभीम-सत्ता Paramountcy समाप्त हो गयी। सूध सरकार स समझौता करके भारतीय रियासतें अब भविष्य निर्णय के लिये स्वतन्त्र छाड़ दी गया। ब्रिटिश शाह के हृष्ट जाने तथा उसके स्थान की रिक्ता के कारण भारतीय रियासतों के कुछ शासकों में अब ने को इस्तम्ब धोयित बरने का निश्चय कर लिया। सरकार की इच्छा अब ने का सार्व

भौम-सत्ता (Paramount Powers) प्राप्ति करने की न थी, फिर भी यह उन्हीं रियासत की स्वतन्त्र अनेक बीतीकृति नहीं द सकती थी। ऐसा करना इतिहास द्वारा सम्भव था। मरदार पटेल के शब्दों में, इतिहास की एक शिर्दा है कि राजनैतिक दृष्टि से देश की अनेक दुकड़ा में विभाजित दशा तथा अपना एक समुन्न माचा न बना सकने के कारण ही भारत ने आपसमें कारियों की एक बढ़ते दूसरी लहर के सामने मुक्तना पड़ा। अपने पारस्परिक वैमनस्य, आन्तरिक भगाड़े तथा विद्वेष के कारण ही अतीत में हमारा पनन हुआ और विदेशी सत्ता का हमे कई बार शिकार बनना पड़ा। हम उन नुस्खियों तथा जालों में फिर नहीं पड़ सकते।'

भारतीय रियासतों की भौगोलिक तथा राजनैतिक स्थिति ना शेष भारत से उनकी स्वतन्त्रता के प्रदर्शन पड़ती है। मानवित्र की आरएक द्वारा ढालने से ही यह स्पष्ट है कि बोचीन, द्रावनकार तथा काठिशावाड़ के जलटमस्त्रमध्य तथा कच्छ के द्वीप की कुछ रियासत द्वारा घोड़कर भारतीय रियासतें 'भारत की रीढ़ पर स्थित एक दूसरे से भूमि द्वारा परवेष्टित ज्ञेना ही श चला है। भारत से ग्रलग रहकर वे आशत्-निर्यात् द्वारा व्यापार नहीं वर सकता। इस प्रकार उनकी स्थिति भारत के साथ उनके सवारीण महोगा को आपस्यक तथा लाभप्रद नहीं देती है। ५ जूलाई १९४७ का स्थापित तथा मरदार पटेल की अव्यक्तता में रहकर 'राज्य-मन्त्रिमण्डल' द्वारा भारतीय रियासतों की समस्या के हलने दण का भली प्रकार समझने के लिये यह तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है।

दूसरी बठिन तथा उलझी समस्या रियासतों की अत्यधिक मस्त्या तथा जनस्या, वापिक आप दत्यादि के मन्त्रमध्य में उनकी अत्यधिक भिन्नता द्वारा उत्पन्न हुई। भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा प्रवाशित जापन (Memorandum) में उनकी समगृहीत मस्त्या ६०१ है। बग्लर इमेडी रिपोर्ट में यह मस्त्या ५६२ है। मरवानरली ने अपनी 'नेटिव स्टेट्स आफ इरिडया' में ६७३ रियासतों की बतायी है। उनकी बास्तिक भस्या ५६२ है। ६०१ या ६७३ यह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। अपने भत्तलव के लिये यह व्यान में रखना आवश्यक है कि उनकी यह समस्या बहुत अधिक थी। ब्रिटिश युग में स्वतन्त्र या आर्ध-स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त रियासतों की इनकी बड़ी समस्या को नये ढाँचे में फिर बैठाना सचमुच बड़ी गम्भीर समस्या थी। सरदार पटेल के योग्य तथा दूददर्शी पथ प्रदर्शन द्वारा राज्य मन्त्रिमण्डल ने समस्त का अच्छी प्रकार से मुकाबला किया और उसे प्रशासनीय दण से हल किया। समस्या के हल न रने के दण के बर्यन से पद्दते पाटर का ध्यान स्थिति की कुछ विशेषताओं के प्रति आकर्षित करना आवश्यक है। रियासतों की क्वल समस्या ही अत्यधिक न थी, उनमें क्षत्रज्ञता दत्यादि में भी बड़ा अन्तर था। इन रियासतों में एक और हैदराबाद की विशाल रियासत है जिसका क्षेत्रफल ८२,७०० वर्ग मील, जनसंख्या १ करोड़

६५ लाख और सालाना वसूली लगभग १० करोड़ है। तथा दूसरी ओर काठियावाड़ की रियासत है जिसका चौबकल कुछ एकड़, जमसख्त २० हाथा सालाना वसूली ८० रुपये थी। लगभग ६०० रियासतों में से केवल तीन के चौबकल ५०,००० वर्ग-मील से ज्यादा, केवल नार का ३०,००० और २०,००० वर्गमील के भीतर, नौ का १०,००० वर्गमील से कम, ६६ का १००० वर्गमील ने कम, १३१ का १०० वर्गमील से कम तथा १६८ का १० वर्गमील से कम था।

काठियावाड़ में २८३ रियासतें थीं जिनमें नौ बड़ी थीं, शेष २७४ की सालाना युक्ति की वसूली १ करोड़ ३५ लाख रुपये थी। इस पूरे धन से २७४ शासक-शरियारों का भरण-प्रयत्न तथा २७४ अलग अलग अधं-स्थानत्र रियासतों वा प्रशासन किया था। इन २८३ रियासतों का कुल चौबकल लगभग ३२,००० वर्गमील तथा उनकी युक्ति जन-स्वरूप ४ लाख थी। हस्त प्रकार काठियावाड़ के लोगों के लिये (बड़ी रियासतों को छोड़ कर) प्रत्येक २५ वर्ग मील या जन-स्वरूप के प्रत्येक ५०० के लिये एक अलग रियासत बना जाती है। १७१ छोटी रियासतों की आर्थिक वसूली जोड़ दिये जाने पर कुल स्वरूप ६५०,००० रुपये होती है जिनमें से प्रत्येक की आर्थिक शीसत वसूली ३,८५३ रुपये पढ़ती है। इनी योड़े धन से इन रियासतों के प्रशासन तथा अन्य महलपूर्ण कार्यों की पूर्ति की आशा की जाती है। ये आँकड़े बहुत महलपूर्ण हैं, इन से योड़े चौबकल की अत्यधिक रियासतों की उपरियति से उतना हुई कठिनाई का फला इनी स्थिता से चलता है जिनाना शब्दों द्वारा सम्बन्ध नहीं। सद्बैष में, रियासतों के विस्तार की कमी उनके प्रशासन की गडबड़ी आर्थिक लक्ष से पिछ़वाई स्थिति तथा उनकी प्राकृतिक शक्तियों के विकास की उपेक्षा का दारण बनी।

रियासतों के प्रशासन नी एक दूसरी विशेषता या यी जिक आवश्यक है। उनमें से प्रत्येक में छोटी या बड़ी—स्वेच्छावारी शासन प्रचलित था और अपनी स्वेच्छावारिता तथा हित से तक के लिये एजा अमी सार्वभौमता (Paramount power) पर निर्भर रहता था। श्रीध को छाड़ कर किंतु भी रियासत में लालनन्द प्रचलित नहीं था जो उनमें से बुद्ध ने व्यवस्थापक उभाओं या कौटिली को बहुत नीमित शक्तियों के द्वाय प्रचलित किया था। १६१६ के ऐट के अनुसार केन्द्रीय व्यवस्थापिक समा के द्वाय पर ही उनका निर्माण हुआ था। लालनन्दमुख उभाओं की अनुपारिति तथा रियासतों के उभाओं के सार्वभौमता (paramount power) पर निर्भर हने का दहा विनाशकारी परिणाम हुआ। इसके बारब शक्ति तथा उत्तराधिक एक दूसरे से अलग हो गये। सार्वभौमता (para mountcy)ने यजाओं की सुरक्षा की गारंटी तो अवश्य देती कि लेकिन इसने रियासतों की जनता के प्रति अन्य का सरकार के उत्तराधिक व्यवस्था नहीं की। बिटिह सरकार पर निर्माण द्वाय उन्नन की हुई सुरक्षा

की भावना ने उन्हें अच्छी सरकार के निर्माण की प्रेरणा, जो विद्रोह तथा राज्यावरोहण के भय द्वारा धराचर मिलती रहती है, से बंदित रक्षा यदि वे विजयी बल पूर्वक शक्ति लेने वाले कजूस, लापरवाह तथा उत्तरदायित्वहीन शासक बन गये तो इसमें आश्वर्य ही बग़ा है^१। वाहरी सत्ता से दबे रहने के कारण आत्म बग़ों ने भी आत्मसम्मान की भावना खा दी और अपने शासकों की भाँति वे भी अधक बन गये। भारत सरकार ने सामने रियासतों के प्रशासन का स्तर कॉन्वा करने तथा शोपण की उस व्यवस्था के सुधार करने की नमस्ता भी जिसमें रियासतों की जनता कहा रही थी।

छोटी-छोटी रियासतों की अत्यधिक सख्ता से उत्तम समस्या को एकीकरण तथा शक्ति एवं उत्तरदायित्व के अन्तर से उत्तम हुई उस प्रकार के लोकतन्त्रात्मक सरकार की स्थापना से हल करने वा प्रथम किया गया जैसी नये बनने वाले ग्रान्टों में है। इन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं का सचित वर्णन आवश्यक है।

एकीकरण।—भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले भी देश में यह एक जोरदार भावना थी कि छोटी-छोटी रियासतों की उपस्थिति राजनीतिक दृष्टि से अनावश्यक तथा आर्थिक दृष्टि से अव्यवहारिक थी। उन्हे ग्रन्टर उन सामन्त युगीन सूदूर्चिन्हों के रूप में प्रदर्शित किया जाता जिनका विनाश आवश्यक था। राज्य प्रजा सम्मेलन के १९३३, १९० के लुधियाना अधियेतान में एक प्रमाण पास किया गया जिसमें छोटी छोटी रियासतों के उनसे लगे हुए ग्रान्टों से एकीकरण तथा अन्य रियासतों के बड़ी प्रशासकी इकाइयों के रूप में समर्गन की मांग की गयी। ऐसा ही प्रस्ताव १९४६, तथा १९४७, के सम्मेलन में भी पास किया गया। इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत करने में रियासतों की जनता असहाय थी और प्रियंशु सरकार इसको व्यवहृत करने के लिये उत्सुक नहीं थी क्योंकि भारतीय राजनीति के शतरज बोर्ड पर उनका प्यादो के रूप में उपयोग करने की उसकी नीति के यह विरुद्ध पढ़ता था। इसिंद्रिया आफिस के सरकार का पहले लेनेवाले भिस्टर रशाब्रु के शब्दों में यह नीति सनसे अच्छी प्रकार व्यक्त की जा सकती है। उन्होंने इस प्रकार लिखा: ‘सारे भारत को छा लेने वाली इन सामन्तवादी रियासतों की स्थिति बड़ी ही रक्खात्मक है। ऐसे भूमि-द्वेरों में जहाँ विद्रोह की सम्मावना हो सकती है यह मैंने पूर्ण फौजी दस्तों का विशाल जाल फैला देने के सदृश है। देशी रियासतों के इस शक्तिशाली, तथा स्वामिभक्त जाल के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसी भी सार्वजनिक विद्रोह का सारे भारत में फैल जाना कठिन बन जायगा।

कुछ समय पश्चात् १९४६ में क्राउन के प्रतिनिधि की हेसियत से लाई चेवल ने अपनी एकीकरण की योजना लोगों के सामने खड़ी जिसके अनुसार छोटी-छोटी रियासतों का अपने पड़ोस की उन बड़ी रियासतों से एकीकरण ही जायगा जिनके साथ वे भौगोलिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से सम्बन्धित थीं। यह योजना ७६०० वर्गमील तथा आठ लाख से भी ऊपर जन-सख्ता पर लागू होती।

सरकारी विज्ञानि के निम्नलिखित अंशों का पठन-पाठक के लिये लाभप्रद होगा। सैकड़ों छोटी-छोटी इकाइयों की उपस्थिति से उत्तरान होने वाली जटिल राजनीतिक तथा प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं पर ब्राउन के प्रतिनिधियों ने बहुत दिनों से बढ़ा गौर किया है। उनके व्यक्तिगत प्राकृतिक स्रोतों की कमज़ोरी तथा पड़ोसी के साथ सहकारिता के प्रति उनकी साधारण अनिव्युत के कारण भेगोलिक, प्रशासन सम्बन्धी तथा आर्थिक दृष्टि से इतने अधिक परिमाण में ढुकड़े हो गये हैं जितने देश में अन्यत्र और कहीं नहीं। इन इकाइयों की अत्यधिक सख्त्य होने के कारण सालाना बहुली „ताल्लुकदारों तथा हिस्तेदारों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की बड़ी कठिनता से पूर्ति कर पाती है और इसी लिये प्रजा के हितों में व्यय किया हुआ धन भी बहुत ही अधिक सीमित रहता है निरीक्षण से यह भली भांति निश्चित हो गया है कि वर्तमान व्यवस्था में जिन कोई महत्वपूर्ण सुधार किये ग्राम्य-न्देशों का किसी भी प्रकार का इन्क्षित विकास या किसी भी प्रबार की वास्तविक उन्नति असम्भव है। इस गवाहखण्ड में जिन रियासतों की ओर सकेत है वे काठियावाड़ में था। इसमें दी हुई एकीकरण की योजना की सबसुच पसन्द किया न शासनों ने। जो चीज विलुप्त हीन की जा सकती थी या जो ढग से की आवश्यकता थी लेकिन लोगों पर यह जिस प्रभार से लागू की गयी उसे न प्रजा ने शासनों ने। जो एकीकरण की योजना ने सरदार पटेल के कुशल हाथों में जो स्व प्रहृष्ट किया उसना विस्तृत वर्णन आवश्यक नहीं है, केवल इतना कहना कि इस नाशक तथा जटिल समस्या के उनके गाधीवादी निराकरण का उपयुक्त होगा कि इस नाशक तथा जटिल समस्या के उनके गाधीवादी निराकरण का काग्रेस, रियासतों की जनता तथा शासकों सभी ने प्रशंसा की। रियासतों की प्रजा का यह ज्ञात था कि महात्मा गांधी का अनुयायी होने के कारण सरदार पटेल का उनमें विश्वास या क्षम्यों की वह उन्हें अपना भित्र एवं उद्धरकर्ता समझती थी। शासकों को भी यह ज्ञात था कि महात्मा गांधी का अनुयायी होने के कारण सरदार पटेल की यह धारणा यों कि शासकों को हटाने की आवश्यकता नहा, उनको यह विश्वास या कि अपने समग्र अधिकारों तथा हितों की रक्षा के लिए सरदार पटेल पर भरोसा किया जा सकता था। सरदार पटेल को इस प्रकार सहायता मिली क्यों कि प्रशासनों तथा प्रशासितों के बीच वह सतुर्जन स्थिर रख सके और उन दानों को यह विश्वास दिला सकते थे कि उनमें किसी के भी संगत अधिकारों की वलि न होती।

प्रशासन का एक उचित स्तर रखने तथा लोगों की आवश्यक सेवा करने में असमिल छोटी रियासत या तो अपने पदात् में मिलादी गया या उनको मिला कर वही इकाइयों का निर्माण कर दिया गया। गुजरात की अधिकतर तथा दक्षिण की कुछ रियासतें बम्बई में तथा मद्रास प्रेसिडेन्सी की रियासें मद्रास के साथ सम्मिलित कर दी गयीं। उसी प्रकार मध्यमारत, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश की रियासतें भी इन प्रान्तों में

कम से मिला दी गयीं। बाटियावाड़ की रियासतों को मौराय सघ, पूर्वों पजाब की रियासतों को पटियाला तथा पूर्वों पजाब राज्य सघ, शिमला पहाड़ी की रियासतों को हिमाचल प्रदेश, इन्दौर, ग्वालिशर तथा अन्य मालव रियासतों को मध्य भारत तथा बुन्देलखण्ड की रियासतों को निम्न प्रदेश में परिवर्तन कर दिया गया। रियासतों का सब से बड़ा सघ राजस्थान है। हैदराबाद, मैसूर, जम्मू और काश्मीर अपनी अलग अलग इकाई बनने के लिये काफी बड़ी रियासतें थीं। भाषाल, चिपुर तथा कुछ अन्य रियासतों का न तो पड़ोसी प्रान्तों के साथ एकीकरण हुआ है और न वे किसी की इकाई के रूप में समर्गित हैं। वे बैन्ड द्वारा शासित रियासतों में हैं और पहली अनुसूची (Schedule) के भाग (म) में सम्मिलित हैं।

एकीकरण का यह कार्यक्रम सरदार पटेल द्वारा रियासतों में दी हुई रक्षीन क्रान्ति का एक पहलू है। दूसरा तथा इसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू नये धने संघों के प्रशासन का लोकतन्त्रीकरण है। अंग्रेजी सार्वभौम सत्ता (Paramountcy) की समान्ति के पहले केवल कुछ ही रियासतों में प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाय रही। अलग स्थिति बाली प्रत्येक रियासत तथा रियासतों ने प्रत्येक सघ में अपने उत्तरदायी सरकार की स्थापना हा गयी है। पुराने सामन्तशाही शासन का स्थान जन विधि सरकार ने लिया है। भारतीय नये नयी नमी देखाईयों में आज लगभग एक ही शासन की एक ही प्रणाली है।

विश्व इतिहास में जिसकी नमता बटिनार्द से मिलेगी ऐसी इस 'रक्षीन क्रान्ति', समाजन तथा लोकतन्त्रीकरण का गहुत कुछ अप उन राजाओं पर है जिन्होंने एक ओर अपने तथा भारत सरकार के बीच तथा दूसरी ओर अपने तथा अपनी प्रजा के बीच नवीन यथा तक्षणत सम्बन्ध की आवश्यकता समझी। उन्होंने अपना अन्य भारतीय सघ के साथ सम्मिलित करने तथा अपनी प्राचीन एवं परम्परागत शासन प्रणाली को बदलने का निर्णय किया। इस सम्बन्ध में स्वयं सरदार पटेल के शब्द उद्घृत करना उपयुक्त होगा। १९४८ भी जनवरी के अन्त में अपने एक बच्चब्य में उन्होंने बहा 'देश के एक तिटाई भाग की इस रक्षीन क्रान्ति के लिये मैं जनता को पर्याप्त श्रेय देता हूँ लेकिन इस स्थिति के निर्माण में जासका ने हमारे तथा जनता के साथ जिस दृष्टि से महत्वपूर्ण किया है उसकी मैं चतुर, प्रशस्त करता हूँ। मुझे मैं अधिक ज्ञौर, किसी भी इस बात का ज्ञान नहीं कि उनके स्वेच्छा पूर्ण सहयोग तथा उनकी प्रसुप्त किन्तु देश की स्वतन्त्रता के साथ अभी-अभी विकसित होने वाली देश भक्ति के बिना इन सब की प्राप्ति असम्भव थी।'

राज्य संघों की शासन प्रणाली—जैसाकि पाठ्यक्रम सम्पूर्ण हो गया होगा कि

पुरानी रियासतों में से बड़ी तथा छोटी रियासतों के एकीकरण से, निर्मित नये सध पहली अनुसूची के भाग 'ख' में रखे गये हैं। जहाँ तक शासन प्रणाली का सम्बन्ध है वह पहली अनुसूची के भाग 'क' में गिनायी गयी रियासतों के ही अनुशंश है। भाग 'अ' के रियासतों के कार्य पालिका, व्यवस्थापिका, तथा न्याय से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध (Provision) भाग 'ख' भी रियासतों पर मीलागू होते हैं।

राजप्रमुख का बही स्थान है जो अन्य प्रान्तों में गवर्नरों का। कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति राजप्रमुख जो गवर्नर के स्थान पर हो उसकी सहायता के लिये एक मन्त्रि परिषद का विधान है। विधान मंडल में राजप्रमुख तथा एक सदन (House) रहेगा, बेबल मैसूर में दो सदन होंगे। इन रियासतों में चूंकि जनता का प्रति निधिन्य करने वाली सरकार में अधिनियम से नहीं है इसलिये संविधान की प्रारंभिक से दस वर्षों के लिये कार्य पालिका को सध की सरकार के नियीक्षण में रखना उचित समझा गया है।

चुनी पुस्तक-सूची (Select Bibliography)

एन्डरसन, जी०
बोस, एस० एस०
वेनजी टी० एन०
हार्ने एफ० ए०
केला पुत्र
लोहरी एरड वेनजी
पालेएड एम० आर०
राम शकर प्रसाद
सिंह गुरुमुख निहाल
समू टी० बी०
सप्रे

अबर कान्स्टीट्यूशन
डेवलपमेंट आफ इंडियन पालिटी
दि वर्किंग कान्स्टीट्यूशन आफ इंडिया
दि इंडियन कान्स्टीट्यूशन
दि पालिटीकल सिस्टम आफ ब्रिटिश इंडिया
दि वर्किंग आध डायार्बी इन इंडिया
दि इंडियन कान्स्टीट्यूशन, -ए सप्रे
इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन
इंडिया, सोशल एरड पर्सनल
लेरड मार्क्स इन इंडियन कान्स्टीट्यूशनल
एरड नेशनल डीवैलेपमेंट
इंडियन कान्स्टीट्यूशन
आथ आफ इंडियन कान्स्टीट्यूशन एरड
एडमिनिस्ट्रेशन
दि न्यू कान्स्टीट्यूशन आफ इंडिया
इंडिया केडरेशन
दि इंडियन कान्स्टीट्यूशन ऐट वर्क
प्राविशी पल ऐटानभी
फीडरल स्ट्रक्चर
इंडियन स्टैट्स रीतेशक्ति आफ
इंडियन स्टैट्स आफ विद दी
गवनमेंट आफ इंडिया
एन्थन स्टैट्स एरड दि न्यू रिजिम
दि इंडियन स्टैट्स
पोलिटीकल इंडिया
इंडिया

एरोगे एफ० सी०
इल्वर्ट
एडी एरड लेटन
जोशी जी० एन०
खान एस० ए०
मसानी एरड चिन्तामणि
शाह के० टी०
शाह के० टी०
गुरुमुख निहाल सिंह

पानीकर

रघुवीर मिंह शास्त्री
व मिंग
एलिसन
इंडियन रैयर बुक

पुष्ट ३०५ से प्रष्ट ४८६ तक रामाधार द्वारा नया हिन्दुस्लान प्रेस दिल्ली में मुद्रित